आजादी का आन्दोलन और अलवर



सम्पादक

हरिनारायण सैनी

जुगमंदिर तायल : डॉ. जीवन सिंह मानवी



अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति

अलवर : राजस्थान

आजादी का आन्दोलन और अलवर
AZADI-KA ANDOLAN AUR ALWAR



प्रकाशन समिति :

हरिनारायण सैनी

फूलचन्द गोठड़िया

जुगमंदिर तायल

जीवन सिंह मानवी

सुरेश पंडित

भागीरथ भार्गव

शची आर्य

राधेश्याम सोमवंशी *'चिरकिन अलवरी'*



प्रकाशन : अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, अलवर



मुद्रक : भारत प्रिंटिंग प्रेस (ऑफसेट)
रामगंज, अलवर ☎ 0144-20522

कम्पोजिंग : भारत कम्प्यूटर्स
बाईपास कम्पनी बाग रोड, अलवर ☎ 0144-22102



आवरण चित्र : जितेन्द्र जीतू



संस्करण : अगस्त 1998



मूल्य : 200 रुपया (सजिल्द संस्करण)
100 रुपया (साधारण संस्करण)

अनुक्रम

अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति के

सदस्य व पदाधिकारी

1.	श्री निरंजन लाल डाटा	अध्यक्ष
2.	श्री महेन्द्र शास्त्री	उपाध्यक्ष
3.	श्री फूलचन्द गोठड़िया	उपाध्यक्ष
4.	श्री जुगमंदिर तायल	मंत्री
5.	डॉ. [illegible]वन सिंह मानवी	संयुक्त मंत्री
6.	श्री चिरा[illegible]न अलवरी	सहा. मंत्री
7.	श्री बी. एम. शुक्ला	कोषाध्यक्ष
8.	श्री हरिनारायण सैनी	सदस्य
9.	श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल	"
10.	सुश्री कलावती शर्मा	"
11.	श्री सुरेश पंडित	"
12.	श्री चिरंजी लाल वर्मा	"
13.	श्री हरूमल तोलानी	"
14.	श्री अनन्तराम शर्मा	"
15.	डॉ. शची आर्य	"
16.	श्रीमती कुसुम जोशी	"
17.	श्री जगदीश बेनीवाल	"
18.	श्री रामकिशोर कौशिक	"
19.	श्री अशोक शर्मा	"
20.	श्री भागीरथ भार्गव	"
21.	श्री मौलाना हनीफ खाँ	"
22.	श्री कामरेड मुंशी खाँ	"
23.	श्री रामस्वरूप गुप्ता	"
24.	श्री चिरंजी लाल वर्मा	"
25.	श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल	"
26.	श्री सूर्य देव बारैठ	"
27.	श्री रामधन यादव (बहरोड़)	"
28.	श्री अजय अग्रवाल	"
29.	श्री सेवाराम	"
30.	श्री विनय कुमार जैन	"
31.	श्री सरदारा राम (थानसूर)	"
32.	श्री गोपीराम (चौरपल)	"
33.	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	"
34.	डॉ. वेद कुमारी	"
35.	श्री वी. [illegible]. खान	"
36.	श्री [illegible]चन्द गोयल	"

स्वाधीनता की आधी सदी

15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी-शासन की पराधीनता से मुक्त हुआ और 15 अगस्त 1997 को स्वाधीन भारत के पचास वर्ष पूरे हुए। आदमी की आयु को सौ वर्ष मानकर किसी भी स्थिति के सत्य का आकलन, पचास वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयन्ती के रूप में किया जाना जहाँ वस्तुसंगत होता है, वहीं आत्मिक स्तर पर उल्लास-विधायक भी। स्वाधीनता ने हमारे मन को उल्लसित किया। जब देश को आज़ादी मिली थी, तब सभी ने यह कल्पना की थी कि अब भारतीय जनता के दिन फिर जायेंगे और अब तक अन्याय एवं भेदभावों से भरा जो एक विषम समाज था, वह स्वाधीन समाज के रूप में एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज बनेगा। उसमें अच्छे- बुरे और बड़े-छोटे की कसौटी व्यक्ति के वर्ण,जाति, भाषा, पद, पूँजी आदि से न होकर उसके कर्म एवं आचरण से होगी। एक छोटी अवधि में इन सब बातों का आकलन करना तो ठीक नहीं होता क्योंकि किसी काम और ध्येय को पूरा होने में वक्त लगता है। इसलिए अब जब भारतीय समाज की स्वाधीनता की अवस्था पचास वर्ष की हो चुकी है तो इस तरह का आकलन किया जाना आवश्यक हो गया है। इस पूरे वर्ष –15 अगस्त 1997 से 15 अगस्त 1998 तक की अवधि में इस तरह के आकलन किये गये हैं। अखबारों, पत्रिकाओं आदि ने इस विषय पर विशेषांक प्रकाशित किये हैं। सभा-सम्मेलनों-संगोष्ठियों में इन सवालों को उठाया गया है। इस तरह हमने स्वाधीनता पाने के बाद की पचास वर्षों की सचाई को समझने का प्रयास किया है, जिसमें भौतिक स्तर पर देश की समृद्धि और विकास-गति की सराहना की गई है, भले ही वह समृद्धि, विषम समृद्धि ही क्यों न रही हो, साथ ही देश की आत्मिक-सामूहिक संस्कृति के निर्माण की दिशा में कोई महत्वपूर्ण काम न हो पाने पर अफसोस जाहिर किया गया है। आज भी हमारे देश की लगभग आधी जनता पढ़-लिख नहीं सकती, तीन चौथाई जनता को पीने को स्वच्छ पानी तक सुलभ नहीं है। करोड़ों युवाओं के पास रोजगार नहीं है। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध और बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में अनेक दार्शनिक-राजनीतिक मनीषियों ने भारत की चेतना को विस्तार दिया था, लेकिन आज बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में हम देख रहे हैं कि हमारी चेतना पहले की तुलना में संकुचित हुई है। स्वाधीन भारत के राजनीतिक वातावरण में पूँजी की प्रभुता बढ़ी है, जातिवाद बहुत उभरकर अपने उग्र रूप में प्रस्तुत हुआ है, धर्म ने अपने सहज मानवतावादी मार्ग को छोड़कर साम्प्रदायिकता के रूप में राजनीति के सरोवर को विषाक्त किया है। इस सबसे मूल्यहीनता और मूल्यशून्यता बढ़ी है। हमारे पुराने सांस्कृतिक मूल्य सुरक्षित-संरक्षित नहीं रह पाए हैं तथा चेतना के संकोची वातावरण में नए सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान और स्वीकृति का भाव अजन्मा रह गया है। इतिहास और संस्कृति का बोध भी स्वार्थ की परिधियों में सिमटने को मजबूर है। इसलिए यह महसूस किया गया कि स्वाधीनता आंदोलन की अपनी संघर्षचेता परम्पराओं का स्मरण, वर्तमान पीढ़ी को कराया जाय। स्थानीय स्तर पर चले मुक्ति-आन्दोलन की जो कड़ियाँ अभी तक जुड़ नहीं पा रही थीं, उन्हें जोड़ते हुए लिपिबद्ध किया जाय। इस काम को यहाँ करने का प्रयास किया गया है।

स्थानीय स्तर पर चले आजादी के आंदोलन में अलवर के स्वाधीनता सेनानियों की उल्लेखनीय भूमिका रही है। उन्होंने अलवर की जनता को संगठित कर नई लोकतांत्रिक चेतना

का विस्तार किया तथा इस काम को करते हुए तत्कालीन सामंती सत्ता की प्रताड़नाएँ, उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार व यातनाओं को भोगा। उन सभी का इतिहास इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। हमारे अंचल का स्वाधीनता आंदोलन, पूरे देश और प्रदेश के आंदोलनों की एक कड़ी है, इसलिए यह आवश्यक माना गया कि पूरे देश के मुक्ति आन्दोलन के संदर्भ में अलवर में चले मुक्ति आंदोलन को देखा-परखा जाय। इससे पूर्व भी, यद्यपि इस तरह के प्रयास किये गये हैं, तथापि हमारा यह प्रयास रहा है कि उन प्रयासों की शृंखला में हमारा यह प्रयास उनकी अगली कड़ी के रूप में सामने आए। ऐसा कितना हो पाया है, हम नहीं जानते। इसे तो हमारा पाठक वर्ग ही हमको बतला सकेगा।

इस पुस्तक को मूर्त रूप प्रदान करने में हमारे वरिष्ठ साथी पत्रकार एवं स्वाधीनता आंदोलन के वरिष्ठ नेता श्री फूलचंद गोठड़िया की मुख्य प्रेरणा रही है। इस ग्रन्थ को प्रकाशित कराने के प्रति उन्होंने हमको निरन्तर सजग एवं सक्रिय बनाए रखा। अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्णजयन्ती समारोह समिति के अध्यक्ष तथा अलवर के प्रतिष्ठित समाजसेवी श्री निरंजन लाल डाटा ने अपने सभी तरह के सक्रिय सहयोग से न केवल इसको पूरा करवाया बल्कि अपनी दिलचस्पी से हमारे उत्साह को शिथिल नहीं होने दिया।

सबसे बड़ी कठिनाई पुस्तक-लेखन की थी। समस्या यह थी कि यत्र तत्र बिखरी हुई सामग्री को संयोजित कर उसे लेखन का सुसम्बद्ध रूप कैसे प्रदान किया जाय? इस काम को पूरा किया- प्रो. जुगमंदिर तायल, डॉ. जीवनसिंह मानवी, हरिशंकर गोयल एड्वोकेट तथा चिरकिन अलवरी ने। हमारे वरिष्ठ लेखक साथी श्री भागीरथ भार्गव का भी इस काम में सहयोग रहा है।

हमने अलवर के स्वाधीनता-आंदोलन से सम्बद्ध उन ऐतिहासिक दस्तावेजों को एक स्थान पर जुटाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो इस इतिहास के साक्षी हैं।

समिति के कोषाध्यक्ष श्री बी. एम. शुक्ला ने पूरी तत्परता, निष्ठा और संलग्नता से पुस्तक-प्रकाशन के लिए विज्ञापन जुटाए हैं, इस काम के लिए उनको धन्यवाद देना मात्र औपचारिकता होगी। पूर्व विधायिका श्रीमती पुष्पा शर्मा तथा स्वाधीनता सेनानी श्री महावीर प्रसाद जैन व श्री चिरंजीलाल वर्मा ने अलवर के स्वाधीनता आंदोलन से सम्बंधित महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रदान कर इस काम की सार्थकता में श्रीवृद्धि की है। हम उनके प्रति आभारी हैं।

भारत प्रिंटिंग प्रेस के मालिक श्री रामसिंह व उनके सुपुत्र श्री विष्णु कुमार ने इसको आकर्षक रूप प्रदान किया है। उसकी हम सराहना करते हैं।

अपने अन्य समस्त सहयोगियों एवं साथियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम आज 31 अगस्त, 1998 के दिन आपको यह पुस्तक सौंपते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जय हिन्द !!

256, लाजपत नगर,
अलवर

(हरिनारायण सैनी)
प्रधान सम्पादक

अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति:
प्रतिवेदन

अलवर के प्रबुद्ध नागरिकों एवं स्वाधीनता प्रेमियों ने अनुभव किया कि जब पूरा देश अपनी स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती मना रहा है तो अलवर में भी इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष में विभिन्न आयोजनों के लिए एक समिति का गठन किया जाये। देश की नई पीढ़ी जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ, वह वस्तुतः अपनी आज़ादी के संघर्ष व आजादी के रण-बाँकुरों की कुर्बानियों से भली भाँति परिचित नहीं है। आवश्यकता है कि यह परिचय उन्हें विभिन्न माध्यमों से दिया जाये, विशेषकर अलवर जिले के संदर्भ में तो उनकी जानकारी बहुत ही सीमित है। इस दृष्टि से कुछ नागरिकों की अपील पर इस सम्बन्ध में विचार विमर्श व समिति का गठन कर भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने के लिए 19 अक्टूबर, 97 रविवार को गिरधर आश्रम में एक आम बैठक आहूत की गई। इस बैठक की अध्यक्षता समाजसेवी निरंजनलाल डाटा ने की। इस प्रथम आम बैठक में सभी उपस्थितों ने समिति गठन के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए समिति के भावी कार्यक्रमों के लिए जो सुझाव, दिशा निर्देश सामने आये, उनका विवरण इस प्रकार है-

1. आजादी का आन्दोलन और अलवर शीर्षक से एक पुस्तक लिखी जाए।
2. राता गोलीकाण्ड, खेड़ा मंगल सिंह, नीमूचाणा काण्ड, जैसे आन्दोलनों की स्मृति में सभा-संगोष्ठियाँ आयोजित की जायें।
3. अलवर नगर के विभिन्न मार्गों के नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया जाय।
4. अलवर जिले के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी विश्वम्भर दयाल शर्मा व भवानीसहाय की प्रतिमाएं चौराहों पर स्थापित की जायँ।
5. स्वाधीनता आन्दोलन में महिलाओं के योगदान को भी रेखांकित किया जाय।

बैठक में सर्वसम्मति से अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति का गठन इस प्रकार से किया गया-

1. निरंजन लाल डाटा (अध्यक्ष), महेन्द्र शास्त्री व फूलचन्द गोठड़िया (उपाध्यक्ष), जुगमंदिर तायल (मंत्री), चिरकिन अलवरी (सहा. मंत्री), डॉ. जीवन सिंह मानवी (संयुक्त मंत्री), बी. एम. शुक्ला (कोषाध्यक्ष) इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी में हरिनारायण सैनी, लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल, सुश्री कलावती शर्मा, सुरेश पंडित, लार्ड सन्नू खाँ मेवाती, हरूमल तोलानी, अनन्तराम शर्मा, गोपालशरण माथुर, (अब दिवंगत), डॉ. शची आर्य, श्रीमती कुसुम जोशी, जगदीश बेनीवाल, रामकिशोर कौशिक, आशोक शर्मा, भागीरथ भार्गव को लिया गया। आगामी बैठकों में कार्यकारिणी का विस्तार कर मौलाना हनीफ खाँ, कामरेड मुंशी खाँ, रामस्वरूप गुप्ता, चिरंजीलाल वर्मा, राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, सूर्य देव बारैठ, रामधन यादव (बहरोड़) अजय अग्रवाल, सेवाराम, विनय कुमार जैन, सरदारा राम (बानसूर) गोपीराम (खैरथल), ओमप्रकाश गुप्ता, डॉ. वेद कुमारी, बी. जी. खान व हुकुमचन्द गोयल को भी सदस्य के रूप में लिया गया। समिति द्वारा समय-समय पर जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये, उनका विवरण इस प्रकार है-

(1) अलवर के मुख्य स्थानों जैसे होप सर्कस का नाम 'गाँधी सर्किल' किये जाने का प्रस्ताव किया गया। केडल गंज का 'आजाद गंज' और अलवर नगर विकास न्यास भवन का नाम शोभाराम भवन रखे जाने का प्रस्ताव लिया गया।

(2) सड़क नं. 2 का पुराना नाम 'जय मार्ग' है अतएव इस मार्ग को जय मार्ग के रूप में प्रचलित किया जाय। इसी तरह पुराने कटले का नाम सुभाष चौक है, इस स्थान पर सुभाष चौक की नाम पट्टिका लगाई जाय तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा लगाई जाय। इसके अलावा अलवर नगर के विभिन्न बेनामी मार्गों का नामकरण व चौराहों के नामकरण अलवर अंचल के स्वाधीनता सेनानियों एवं संतों के नाम पर किया जाय। इस नामकरण हेतु एक पैनल भी बनाया गया जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अंचल के सन्तों, कलाकारों, कवियों, समाज सेवियों के नामों को भी सम्मिलित किया गया।

(3) स्वतंत्रता सेनानी पं. भवानी सहाय शर्मा और अमर शहीद विश्वंभर दयाल शर्मा की नगर के चौराहों पर प्रतिमा लगाए जाने का निर्णय लिया गया। पार्कों के नामकरण भी इन सेनानियों के नाम पर किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

उपर्युक्त निर्णयों की क्रियान्विति के लिए भागीरथ भार्गव के संयोजन में एक उपसमिति का भी गठन किया गया। इस उपसमिति के अन्य सदस्य थे- गोपाल शरण माथुर, लार्ड सन्नू खाँ मेवाती, अशोक शर्मा व राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल।

उपर्युक्त निर्णयों की क्रियान्विति- जिला प्रशासन एवं नगर विकास न्यास के सहयोग से निर्णयों को मूर्तरूप देने के लिए सार्थक प्रयास किए गये। समिति का एक प्रतिनिधिमण्डल जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष यू. आई. टी. से मिला और उपर्युक्त क्रम में एक ज्ञापन दिया गया। यू. आई. टी. सचिव से भी समिति के पदाधिकारियों ने विचार-विमर्श किया। इन प्रयासों का सुफल शीघ्र ही सामने आने वाला है।

(4) आज़ादी का आन्दोलन और अलवर :

ग्रन्थ के प्रकाशन हेतु एक उपसमिति का गठन इस प्रकार किया गया-

हरिनारायण सैनी (संयोजक) व सदस्य- फूलचन्द गोठड़िया, प्रो. जुगमंदिर तायल, सुरेश पंडित, भागीरथ भार्गव, जीवन सिंह मानवी, डॉ. शची आर्य व चिरकिन अलवरी।

संयोजक हरिनारायण सैनी के सम्पादन व सतत प्रयासों से ग्रन्थ का प्रकाशन संभव हो पाया है। यह ग्रन्थ एक ओर अलवर अंचल के स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से परिचित करायेगा वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में भी अलवर के योगदान को जाना जा सकेगा। इस ग्रन्थ के माध्यम से निश्चय ही युवा पीढ़ी, जो देशभक्तों के नाम और उनके बहादुराना कारनामों के बारे में परिचित नहीं है, बहुत कुछ जान सकेगी। वस्तुतः क्रांतिकारियों और देशभक्तों के बलिदान से ही जनता में स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति जागरूकता आई और वह अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ उठ खड़ी हुई। अलवर के अंचल के क्रांतिवीरों को तो सामंतशाही के खिलाफ भी मोर्चा लेना पड़ा, जो किन्हीं अर्थों में अंग्रेजों से भी अधिक जुल्मी थी। आज राजनीतिक मूल्यहीनता, आर्थिक पिछड़ेपन, व्यापक भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, जातिवाद,

क्षेत्रवाद, और टूटे मन के अंदर बैठे जहरीले सांप को नथने के लिए इन क्रांतिवीरों के आदर्श जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है।

(5) राष्ट्रीय सेमीनार हेतु उपसमिति :

राष्ट्रीय सेमीनार किसी राष्ट्रीय विषय से संबंधित आयोजित किए जाने के लिए एक उपसमिति श्री महेन्द्र शास्त्री के संयोजन में गठित की गई। अन्य सदस्य रहे प्रो. जुगमंदिर तायल, जगदीश बेनीवाल, अशोक शर्मा व सन्नू खाँ मेवाती।

(6) वित्तीय उपसमिति :

वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्त जुटाने के लिए एक उपसमिति का गठन निम्नांकित रूप में किया गया-

निरंजन लाल डाटा – संयोजक व अन्य सदस्य सूर्य देव बारैठ, अजय अग्रवाल, बी. एम. शुक्ला व सेवाराम।

महिला स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान :

अलवर अंचल की महिलाओं का स्वाधीनता आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सामंतशाही के उस युग में जब महिलाओं में साक्षरता भी कम थी और महिलाओं का घर से बाहर आकर सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना एक अजूबा ही होता था तब अलवर नगर की अनेक महिलाओं ने आन्दोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने जुलूस में भाग लिया। सामन्त शाही, साम्राज्यशाही के विरोध में अपनी आवाज उठाई, वे धरने पर भी बैठी। इसी प्रकार एक धरने पर बैठी महिला आन्दोलनकारी महिलाओं का एक सामूहिक चित्र भी उपलब्ध हुआ। इस चित्र को आधार बनाकर जीवित महिलाओं से सम्पर्क किया गया व उनके अनुभव सुने गये। महिला स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करने के लिए एक सार्वजनिक सभा दिनांक 4 जनवरी 1998 को आयोजित कर सुश्री कलावती देवी, श्रीमती शांति गुप्ता, रामप्यारी, रामेश्वरी, शांति गोठड़िया, विमला शर्मा, कमला जैन, शोभा भार्गव, कौशल्या देवी, रुकमणी देवी, गुलाब देवी, उमा माथुर, कमला डाटा, शांति देवी उर्फ सुन्दरी एवं सत्यवती उर्फ सत्या को समिति अध्यक्ष निरंजन लाल डाटा ने प्रशस्ति पत्र, श्रीफल, आन्दोलन के दौरान लिए गये सामूहिक चित्र की प्रति के साथ शाल उढ़ाकर सम्मानित किया गया। सार्वजनिक सभा में भारी संख्या में स्त्री-पुरुषों की उपस्थिति ने सम्मान समारोह को गरिमामय बनाया। सम्मान समारोह का संचालन भागीरथ भार्गव ने किया।

राष्ट्रीय रैली व दौड़ का आयोजन :

मार्च 1857 में अमर शहीद मंगल पाण्डे द्वारा सेना में प्रारंभ किये गए विद्रोह से 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का श्री गणेश हुआ। इसके समर्थन में 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह की शुरूआत हुई। इस दिन की स्मृति में 10 मई 1998 को एक विशिष्ट आयोजन राष्ट्रीय रैली व राष्ट्रीय दौड़ के आयोजन का निश्चय किया गया। नयी पीढ़ी को राष्ट्रीय धारा में सक्रिय करने का मकसद विशेष रहा। निर्णयानुसार 10 मई को प्रातः श्री रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रैली व स्वतंत्रता दौड़ का भव्य आयोजन हुआ। दौड़ शुरू होने से पूर्व विशाल रैली को संबोधित करते हुए पूर्व विदेश मंत्री व सांसद कुं. नटवर सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वाधीनता संग्राम हमारी राष्ट्रीय धरोहर है तथा इसकी स्मृतियों को संजोए रखना हम सभी का पुण्य कर्त्तव्य है।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी एवं अमर शहीदों के उन आदर्शों पर अमल करना होगा तब ही देश आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष निरंजन लाल डाटा व मंत्री प्रो. जुगमंदिर तायल ने भी संबोधित किया। रैली का संचालन भागीरथ भार्गव ने किया।

स्वतंत्रता दौड़ :

रैली के पश्चात स्वतंत्रता दौड़ का शुभारम्भ कु. नटवर सिंह ने झण्डी दिखाकर किया। दौड़ में हजारों की संख्या में सम्मिलित बच्चों, युवाओं व बुजुर्ग स्त्री पुरुषों ने भाग लिया जिनमें अधिकांश ने पचासवीं वर्षगांठ के प्रतीक चिन्ह की टोपियां व टी-शर्ट पहनी हुई थी व हाथों में तिरंगी झण्डियां व आज़ादी से सम्बन्धित प्रेरक आदर्श वाक्यों की तख्तियां थीं। समिति की ओर से यह समस्त सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी। स्वतंत्रता दौड़ रामलीला मैदान से शुरू होकर होप सर्कस, पंसारी बाजार, टाऊन हॉल, केड़लगंज, सामान्य चिकित्सालय एवं अशोक सर्किल होती हुई कम्पनी बाग के मुख्य द्वार पर समाप्त हुई। दौड़ का नेतृत्व खुली कार में बैठे अलवर के बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी कर रहे थे जिनमें प्रमुख थे- फूलचन्द गोठड़िया, डॉ. शान्तिस्वरूप डाटा, चिरंजीलाल वर्मा, हारूमल तोलानी, लक्ष्मी नारायण खण्डेलवाल, मोतीलाल शर्मा, कलावती देवी व कमला जैन। दौड़ के सफल आयोजन में सहसचिव चिरकिन अलवरी के अतिरिक्त जगदीश बेनीवाल, बी. एम. शुक्ला, राजीव सैनी आदि का योगदान महत्त्वपूर्ण रहा।

रैली व दौड़ ने अलवर नगर में आज़ादी के संघर्षों की स्मृतियाँ ताज़ा की वहाँ दूसरी ओर युवा पीढ़ी की विशेष भागीदारी ने अपनी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति निष्ठा व सम्मान को दोहराया।

गोवा आंदोलन के सत्याग्रहियों का सम्मान :

समिति की ओर से गोवा मुक्ति दिवस- 18 जून, 1998 को गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने गये अलवर के सपूतों का भावभीना सम्मान आयोजित किया गया। गोवा की मुक्ति के लिए 15 अगस्त, 1955 को गोवा की सीमा पर अहिंसक सत्याग्रह किया गया था। इस सत्याग्रह में दो जत्थों में अलवर से शम्भू दादा, नवनीत भाटिया, किशनचन्द शर्मा, अमर सिंह, लक्ष्मीचन्द बजाज, दयाराम गुप्ता, ठण्डूराम, डॉ. जगमाल सिंह, गुरूदयाल सिंह, हज़ारी सिंह, जयशिवलाल भास्कर व कमलेश जोशी ने भाग लिया था। इन सत्याग्रहियों में जीवित शम्भू दादा, किशनचन्द शर्मा, गुरूदयाल सिंह व जयशिवलाल भास्कर का वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी कृपादयाल माथुर ने तिलक लगाकर माल्यार्पण किया व श्री फल भेंट कर व शॉल उढ़ाकर सम्मान किया। इस अवसर पर समिति के उपाध्यक्ष फूलचन्द गोठड़िया द्वारा शॉल उढ़ाकर कृपादयाल माथुर का भी अभिनन्दन किया गया। 85 वर्षीय शंभुदादा सत्याग्रही जिनमें आज भी चीते जैसी स्फूर्ति है, वे जब अपने संस्मरण सुनाने खड़े हुए तो उपस्थितों ने उनका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया और उनके संस्मरण सुनकर सभी भावविभोर हो गए। श्री किशनचंद शर्मा व जयशिवलाल भास्कर ने भी अपने संस्मरण सुनाये। सम्मान समारोह को भागीरथ भार्गव ने संचालित किया।

समिति उपर्युक्त आयोजनों व कार्यक्रमों के अतिरिक्त भी बहुत कुछ करना, चाहती थी किंतु कई अपरिहार्य कारणों से वैसा संभव नहीं हो सका। समिति को अपने सदस्यों,नागरिकों, विज्ञापन दाताओं, दानदाताओं और विशेषकर स्वतंत्रता सेनानियों से जो सहयोग प्राप्त हुआ वह उत्साहवर्धक व प्रेरक रहा। मैं इन सभी के प्रति अपना विनम्र आभार व्यक्त करता हुआ कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

निरंजन लाल डाटा (अध्यक्ष)

आजादी
का
आन्दोलन



1. राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन :
एक विहंगावलोकन
– डॉ. जीवन सिंह मानवी

2. राजस्थान में स्वाधीनता-संघर्ष
– प्रो. जुगमंदिर तायल

राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन : एक विहंगावलोकन

❑ डॉ. जीवन सिंह मानवं

अठारहवीं सदी भारतीय इतिहास में बिखरने-टूटने की सदी है। इस सदी के आरम्भ मं मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही एक केंद्रीय शक्तिशाली सामन्ती राजसत्ता क शीराजा बिखरने लगता है तथा पूरे देश में छोटे-छोटे सामन्ती सत्ता-केन्द्रों के रूप में कहं राजपूत, कहीं मराठा, तो कहीं सिख एवं जाट तो कहीं नवाब राजसत्ता पर अपना अधिकार जम लेते हैं। ये सत्ता केन्द्र, मुगल सत्ता के पतन के विकल्प के रूप में उभरे। लेकिन आपस में भी अपने सत्ता-विस्तार एवं व्यक्तिगत अहंकार की तुष्टि के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे ब रहे। जिसका परिणाम हुआ-सतत युद्ध, लड़ाई, झगड़ा-फसाद एवं कलह की स्थिति। य शताब्दी छोटे-छोटे अदूरदर्शितापूर्ण लड़ाई-झगड़ों से भरी हुई शताब्दी है। यह तत्कालीन भारतीय उच्च वर्ग के छोटे एवं घटिया मन की शताब्दी है। यह आर्थिक-सामाजिक एवं राजनीतिक दृि से आगे बढ़ने की नहीं, पीछे हटने की शताब्दी है। इसी कमजोरी को भाँप कर यूरोप के 'दूरदर्शितापूर्ण' एवं चालाक व्यापारी वर्ग की आर्थिक-राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा ने भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ, राजनीतिक सत्ता केन्द्र को भी अपने कब्जे में ले लिया। अर्थ सत्त जिसके अधिकार में होती है, वही राजनीतिक सत्ता का भी स्वामी होता है। भारत में अंग्रेज राजसत्ता का इतिहास यही है, जिसने अपनी व्यापार-व्यवस्था को राजनीतिक सत्ता के लिए काम में लिया है जब उसने राजनीतिक सत्ता पर पूरा अधिकार कर लिया तो दुनिया को दिखाने के लिए इस तरह के नियम-कानून बनाए, जिससे वह अपने अधीन समाज के श्रम एवं भौतिव साधनों का खुला शोषण एवं दोहन कर सके। अंग्रेजी राजसत्ता ने अपने लगभग दो सौ वर्षों के शासन काल में भारत में यही किया।

हमें यह मालूम है कि अँग्रेजों का भारत पर अधिकार होने से पूर्व, विभिन्नताओं के बावजूद हमारा समाज सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग एक सोचवाला था। हमारे देश की सामान्य जनता की सांस्कृतिक मान्यताएँ एवं दिनचर्या एक जैसी थी, भले ही उसके ऊपर शासन करने वाली राजनीतिक सत्ताओं के रूप कितने ही भिन्न क्यों न रहे हों? यही सांस्कृतिक सूत्र था, जो स्वाधीनता आंदोलनों के समय में भारतीय समाज को उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम में एकजुट करता था। औरंगजेब की साम्प्रदायिक कट्टरता एवं अदूरदर्शितापूर्ण राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक दृष्टि के बावजूद निचले स्तर के मेहनतकश एवं उत्पादक भारतीय समाजों में हिन्दू-मुस्लिम जैसा साम्प्रदायिक वैमनस्य नहीं था। आम जनता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने सम्बंधों का निर्वाह करती थी और उसकी स्मृतियों एवं संस्कारों में अकबर, जहाँगीर तथा शाहजहाँ के समय की उदारतापूर्ण तथा धार्मिक आजादी की संस्कृति का इतिहास अब तक मौजूद था। यहाँ पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि भारतीय समाज से अठारहवीं सदी में ही विदेशी एवं दूसरे धर्मों के समाजों का सम्पर्क पहली बार नहीं हुआ था। यहाँ बाहर विदेशों से आने वाली विभिन्न कौमों और समाजों का सिलसिला बहुत पुराना है लेकिन उनमें फर्क यह है कि बहुत पहले बाहर से आने वाली अन्य कौमें, भारतीय समाज में घुलमिलकर उसकी विविधता को समृद्ध करती रहीं। वे अपने जन्म, कर्म और मरण में पूरी तरह भारतीय हो गई।

राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन : एक विहंगावलोकन

❑ डॉ. जीवन सिंह मानवी

अठारहवीं सदी भारतीय इतिहास में बिखरने-टूटने की सदी है। इस सदी के आरम्भ में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही एक केंद्रीय शक्तिशाली सामन्ती राजसत्ता का शीराजा बिखरने लगता है तथा पूरे देश में छोटे-छोटे सामन्ती सत्ता-केन्द्रों के रूप में कहीं राजपूत, कहीं मराठा, तो कहीं सिख एवं जाट तो कहीं नवाब राजसत्ता पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। ये सत्ता केन्द्र, मुगल सत्ता के पतन के विकल्प के रूप में उभरे। लेकिन आपस में भी, अपने सत्ता-विस्तार एवं व्यक्तिगत अहंकार की तुष्टि के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहे। जिसका परिणाम हुआ-सतत युद्ध, लड़ाई, झगड़ा-फसाद एवं कलह की स्थिति। यह शताब्दी छोटे-छोटे अदूरदर्शितापूर्ण लड़ाई-झगड़ों से भरी हुई शताब्दी है। यह तत्कालीन भारतीय उच्च वर्ग के छोटे एवं घटिया मन की शताब्दी है। यह आर्थिक-सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ने की नहीं, पीछे हटने की शताब्दी है। इसी कमजोरी को भाँप कर यूरोप की 'दूरदर्शितापूर्ण' एवं चालाक व्यापारी वर्ग की आर्थिक-राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा ने भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ, राजनीतिक सत्ता केन्द्र को भी अपने कब्जे में ले लिया। अर्थ सत्ता जिसके अधिकार में होती है, वही राजनीतिक सत्ता का भी स्वामी होता है। भारत में अंग्रेजी राजसत्ता का इतिहास यही है, जिसने अपनी व्यापार-व्यवस्था को राजनीतिक सत्ता के लिए काम में लिया है जब उसने राजनीतिक सत्ता पर पूरा अधिकार कर लिया तो दुनिया को दिखाने के लिए इस तरह के नियम-कानून बनाए, जिससे वह अपने अधीन समाज के श्रम एवं भौतिक साधनों का खुला शोषण एवं दोहन कर सके। अंग्रेजी राजसत्ता ने अपने लगभग दो सौ वर्षों के शासन काल में भारत में यही किया।

हमें यह मालूम है कि अँग्रेजों का भारत पर अधिकार होने से पूर्व, विभिन्नताओं के बावजूद हमारा समाज सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग एक सोचवाला था। हमारे देश की सामान्य जनता की सांस्कृतिक मान्यताएँ एवं दिनचर्या एक जैसी थी, भले ही उसके ऊपर शासन करने वाली राजनीतिक सत्ताओं के रूप कितने ही भिन्न क्यों न रहे हों? यही सांस्कृतिक सूत्र था, जो स्वाधीनता आंदोलनों के समय में भारतीय समाज को उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम में एकजुट करता था। औरंगजेब की साम्प्रदायिक कट्टरता एवं अदूरदर्शितापूर्ण राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक दृष्टि के बावजूद निचले स्तर के मेहनतकश एवं उत्पादक भारतीय समाजों में हिन्दू-मुस्लिम जैसा साम्प्रदायिक वैमनस्य नहीं था। आम जनता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने सम्बंधों का निर्वाह करती थी और उसकी स्मृतियों एवं संस्कारों में अकबर, जहाँगीर तथा शाहजहाँ के समय की उदारतापूर्ण तथा धार्मिक आजादी की संस्कृति का इतिहास अब तक मौजूद था। यहाँ पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि भारतीय समाज से अठारहवीं सदी में ही विदेशी एवं दूसरे धर्मों के समाजों का सम्पर्क पहली बार नहीं हुआ था। यहाँ बाहर विदेशों से आने वाली विभिन्न कौमों और समाजों का सिलसिला बहुत पुराना है लेकिन उनमें फर्क यह है कि बहुत पहले बाहर से आने वाली अन्य कौमें, भारतीय समाज में घुलमिलकर उसकी विविधता को समृद्ध करती रहीं। वे अपने जन्म, कर्म और मरण में पूरी तरह भारतीय हो गई।

उनका विदेशी स्वरूप, देशी स्वरूप में बदलकर भारतीय बन गया। धार्मिक रूप में इस्लाम का भारत में आगमन, भले ही एक बड़े समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को आज भी एक भिन्न रूप दिये हुए है किन्तु आर्थिक-राजनीतिक तथा कला-संस्कृति के क्षेत्र में यह पूरे भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन गया है। यह बाहर से आकर भी भारतीय समाज का अपना अंग बन गया। यह यहीं जन्म लेता है, यहीं कमाता-खाता है और यहीं अपनी सृजनकारी भूमिका अदा करता है और यहीं अपनी जीवन-लीला का समापन करता है। यह अँग्रेजों की तरह भारतीय समाजों और संसाधनों को लूटकर पूँजी को किसी अन्य देश में नहीं ले जाता। भारत से भिन्न उसका कोई अपना इतिहास नहीं। भारत और उसका इतिहास दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं।

इस इतिहास में अठारहवीं सदी में बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध-स्वतंत्र शक्तियों के रूप में बंगाल, अवध, हैदराबाद और मैसूर में नवाबी राजसत्ताएँ उठ खड़ी हुई तो उत्तर में राजपूत, जाट, सिख, जैसी नई स्वतंत्र राजसत्ताएँ अस्तित्व में आई। इससे पहले दक्षिण में मराठा राज्य से पतनोन्मुख मुगल राजसत्ता को चुनौती मिली थी इस काल में यह भारत की सबसे शक्तिशाली राजसत्ता थी, लेकिन इस राजसत्ता के आपसी संघर्ष एवं अन्तर्विरोधों के कारण यह उस केंद्रीय मुगलसत्ता का विकल्प होते हुए भी उसका स्थान न ले सकी। पानीपत में अहमदशाह अब्दाली से 1761 में हुई मराठों की पराजय ने, अँग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता के विस्तार का एक अच्छा अवसर प्रदान कर दिया। इसी नई उदीयमान ब्रिटिश सत्ता ने अन्ततः मराठों को पराजित कर भारत में अपनी सत्ता कायम की।

अठारहवीं सदी और अलवर रियासत का जन्म

अठारहवीं सदी की इन्ही राजनीतिक-आर्थिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर तथा अपनी दूरदृष्टि, निडरता, साहस तथा गहरी राजनीतिक समझ से जयपुर राज्य के ढाई गाँव के जागीरदार रावराजा प्रतापसिंह नरूका ने 1775 ई. में एक नई राजसत्ता अलवर रियासत का निर्माण कर लिया था। इस समय तक अंग्रेजी सत्ता भी भारत में अपना निरन्तर प्रसार कर रही थी। मराठों से उसका सीधा संघर्ष चल रहा था। उसने उन्नीसवीं सदी के आरंभ में मराठों को पराजित कर अपना प्रभाव कायम कर लिया था। महाराजा प्रतापसिंह नरूका के बाद उनके उत्तराधिकारी अलवर-नरेश बख्तावर सिंह ने 1803 ई. में अंग्रेजों से संधि कर, अंग्रेजी-सत्ता के बढ़ते वर्चस्व को स्वीकार कर लिया था। इस तरह, अलवर रियासत का राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, अंग्रेजी सत्ता की छत्र छाया में आरंभ हुआ। 1803 ई. में अंग्रेजी-शासकों से की गई संधि में बख्तावर सिंह को राजकाज चलाने की स्वाधीनता थी लेकिन 16 जुलाई 1811 ई. की दूसरी संधि में महाराव राजा बख्तावर सिंह अंग्रेजी-शासन की सहमति या जानकारी के बिना किसी अन्य राज्य से राजनीतिक व्यवहार नहीं रख सकता था। इस तरह अंग्रेजी शासन का शिकंजा धीरे-धीरे भारतीय देशी रजवाड़ों के शासक वर्ग पर कसता जा रहा था। अलवर के तीसरे नरेश विनय सिंह के शासनकाल में अंग्रेजी-शासन का नियंत्रण पहले की तुलना में अधिक बढ़ गया था। इस नियंत्रण और अंग्रेजी शासन के सम्पर्क का दूसरा पक्ष यह है। कि महाराजा विनयसिंह के शासन काल में ही अंग्रेजी-पद्धति की तर्ज पर देशी आधुनिक स्कूल 1842-43 ई. में अलवर में खोला गया। इससे सांस्कृतिक स्तर पर अंग्रेजी सभ्यता के

प्रभाव कायम होने आरंभ हुए, जो अच्छे और बुरे दोनों तरह के थे। उनसे सांस्कृतिक गुलामी के बीज बोए जाने आरंभ हो गए थे।

1857 का विद्रोह

सन् 1857 का भारतीय इतिहास में स्वाधीनता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सन् सत्तावन में जहाँ एक ओर यहाँ के हिंदी रियासतों के राजा-महाराजाओं की पुरानी तलवारें अंग्रेजी-शासन के बढ़ते शोषण, उत्पीड़न एवं नियंत्रण के विरुद्ध चमक उठी थीं। वहीं इन्हीं इलाकों के किसानों और उनके बेटे अंग्रेजी फौज के सिपाहियों में अंग्रेजी शासन की विधर्मिता के प्रति तीव्र आक्रोश असंतोष एवं विद्रोह की लहर उठ खड़ी हुई थी। अंग्रेज इतिहासकारों ने जिसे सिपाही-विद्रोह या गदर नाम देकर उसकी भावना को बहुत छोटा करके दिखाने का प्रयास किया है। अब इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया है कि सन् 1857 का यह विराट विद्रोह, भारतीय समाज की स्वाधीनता की चेतना की पहली बड़ी एवं सामूहिक अभिव्यक्ति था। इसी आधार पर इसे भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। इस स्वाधीनता संग्राम की मुख्य विशेषता थी कि इसमें तत्कालीन भारतीय सामन्तवर्ग द्वारा हिस्सा लिये जाने पर भी, इसका चरित्र सामन्तवाद विरोधी था। भारतीय सिपाहियों की इस संग्राम में मुख्य भूमिका थी और वे अपनी समझ के अनुसार दिल्ली, अवध, बिहार के आंदोलनों को एक दूसरे से जोड़कर, उनको अन्तर्जनपदीय स्वरूप प्रदान कर रहे थे। यह लड़ाई लगभग दो साल तक चली। किसी युद्ध, संग्राम, लड़ाई या आंदोलन का इतने बड़े पैमाने पर दो साल तक चलना इस बात का सूचक है कि उसकी पृष्ठभूमि में कोई न कोई व्यापक जन-असंतोष है और उसका व्यापक जनाधार भी है। इस संग्राम की एक विशेषता यह थी कि इसमें भारत के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया था। इसमें हिंदू-मुसलमानों की जैसी एकता देखने को मिली, वैसी कभी बिरले ही अवसरों पर मिली हो। इस संग्राम का नेता बहादुरशाह जफर को बनाया गया था। इस तरह भारतीय सेना ने सभी को एक सूत्र में बाँधे रखने की एक अच्छी तरकीब सोची थी, जिसने इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। इस संग्राम के लोकसत्तात्मक चरित्र की बारीकी और सैन्य-सीमा को डॉ. रामविलास शर्मा ने इन शब्दों में व्यक्त किया है-

"भारत के बादशाह, नवाब, बेगमें, राजे-महाराजे, जमींदार साधारण आदमियों के समान कभी पहले ऐसे न झुके थे, जैसे अब सिपाहियों के सामने झुके। इज्जत उन्हीं की थी, जो रानी लक्ष्मीबाई और राणा बेनी माधो की तरह वीरतापूर्वक अंग्रेजों से लड़े। अंग्रेजों के पास बेहिसाब युद्ध सामग्री, तोपें और एनफील्ड राईफलें, अनुभवी अफसर, भारी सैन्यदल, रसद और लूट का माल था। बड़े-बड़े सामन्तों की मदद से उन्होंने दिल्ली, झाँसी, पटना के त्रिकोण में भारतीय सेना को घेर लिया। विषम परिस्थितियों में सिपाहियों ने स्वाधीनता, राष्ट्रीय एकता और नई लोकसत्ता के लिए जो संघर्ष किया, वह भारतीय इतिहास का अत्यन्त गौरवपूर्ण अध्याय है।"

इस संग्राम में तत्कालीन राजपूताने के देशी रजवाड़ों के शासकों की भूमिका, यद्यपि अंग्रेज-समर्थक रही तथापि कुछ छोटे सामन्त, जागीरदार, भूस्वामी व सिपाही तथा आम जनता की पूरी सहानुभूति भारतीय सेना के विद्रोही सिपाहियों के साथ थी। समय आने पर उन्होंने अपनी भावनाओं को सक्रियता में बदला। अलवर के तत्कालीन शासक विनयसिंह ने अंग्रेजी

फौज की सहायता के लिए आगरा अपनी सेना को भेजा, लेकिन उस सेना के एक सैनिक चिमन सिंह किलाणौत ने विद्रोह कर, अछनेरा में हुई लड़ाई में भारतीय विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। इससे पता चलता है कि राजपूताने में भी स्वाधीनता संग्राम के प्रति साधारण जनता में सहानुभूति थी।

इस संग्राम में भारतीय विद्रोही सेना पराजित हुई, लेकिन इसका लाभ यह हुआ कि तत्कालीन अंग्रेज-शासकों की निरंकुशता, नृशंसता, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पीड़न एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार पर कुछ अंकुश लगा। अंग्रेजी-शासक जैसा करना चाहते थे, वैसा करते रहने की अब वे नहीं सोच सकते थे। इतिहास गति की आंतरिक सचाई के बतौर पराजय के पीछे भी, विद्रोह और विरोध में जीत का एक आंशिक पक्ष छिपा हुआ रहता है। इस संग्राम के पश्चात् अंग्रेजों ने अपनी शासन-नीति में बुनियादी परिवर्तन किया। वे अब हिंदुस्तानियों को तन से नहीं 'मन' से जीतना चाहते थे। दरअसल, मन की विजय ही असली विजय होती है। निस्सन्देह, अंग्रेजी-सभ्यता और संस्कृति ने भारतीयों के 'मन' को जीता है और उनकी यह विजय, उनके शासन में उतनी प्रतीत नहीं होती थी, जितनी कि आज स्वाधीनता प्राप्ति के इन पचास वर्षों में महसूस होती है। आज हम चाहे कितने ही स्वदेशी के राग अलापें, सभ्यता और संस्कृति के स्तर पर, अंग्रजी सभ्यता हमारे मानस पर कहीं गहरे तक अपना अधिकार जमाती चली जा रही है। इसलिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो स्वाधीनता आंदोलन चला था, उसमें गांधी जी ने तन से अधिक मन पर जोर दिया था। अंग्रेजी-सभ्यता और संस्कृति की अच्छाइयों का प्रभाव गाँधी जी के मन पर भी था, लेकिन उसकी अपसंस्कृति, असभ्यता, अमानवीयता, अन्याय, दम्भ-कपट गाँधी के मन को नहीं जीत सके थे। गाँधी जी ने अपने इसी शक्तिशाली मन और आत्मबल से स्वाधीनता आन्दोलन का नेतृत्व किया था। और उन्होंने 'सर्वोदय' की भावना के साथ राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के हक़ में स्वाधीनता आन्दोलन को दिशा दी थी।

यह इतिहास की विडम्बना और जटिलता की सूचक है कि अठारहवीं सदी के मध्य तक भारत, औद्योगिक विकास में इंग्लैण्ड और पश्चिमी यूरप से पिछड़ा हुआ नहीं था। यदि वह पिछड़ा हुआ होता तो इंग्लैण्ड और यूरप का व्यापारी यहाँ की मण्डी से माल खरीदकर अपने देशों में बेचने के उद्देश्य से यहाँ नहीं आता। इस समय तक उस समय के प्रमुख उद्योग-वस्त्र उद्योग में इंग्लैण्ड, भारत से बहुत पीछे था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारी यहाँ से कपड़ा खरीद कर ले जाते थे। 1757 ई. में क्लाइव ने जब मुर्शिदाबाद देखा तो उसने लिखा-"यह शहर उतना ही फैला हुआ, घनी आबादी वाला और धनी है, जितना लंदन का शहर है। फ़र्क़ यह है कि वहाँ की तुलना में यहाँ के व्यक्ति कहीं अधिक सम्पतिशाली हैं।" (रजनी पामदत्त, आज का भारत)

सवाल उठता है कि इंग्लैण्ड और यूरप की तुलना में भारत अपने औद्योगिक विकास और पूँजी-अर्जन की विद्या में कुशल एवं अग्रगामी होने के बावजूद, उन पिछड़ी हुई शक्तियों का गुलाम क्यों बन गया? इतनी बड़ी और विराट जनशक्ति होने के बावजूद, भारत उन मुट्ठीभर लोगों द्वारा क्यों हस्तगत कर लिया गया? इन सवालों का उत्तर हमारे देश के उस पिछड़ेपन में है, जो सामाजिक-राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर रहा है। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि

इतिहास-गति में पूँजी की केन्द्रीय भूमिका होने पर भी, सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारतीय समाज अठारहवीं सदी तक पूँजी-निर्माण और उसके संचय की कला में कितना ही कुशल क्यों न रहा हो, अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी परिस्थितियों में इंग्लैण्ड की तुलना में पिछड़ा हुआ था। हिन्दू समाज जातिवाद की क्रूर एवं अमानवीय सामाजिक व्यवस्था की वजह से इतना बिखरा हुआ एवं विभाजित था कि उसका संख्याबल इसकी वास्तविक ताकत नहीं बन पाता था। दूसरे, सामन्ती शासक वर्ग एवं सामान्य मेहनतकश जनता में इतना अलगाव और दूरी थी, कि जो एक राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण की संभावनाओं को कमजोर करती थी। सामन्तों, साहूकारों की समृद्धि और सामान्य जनता की भुखमरी-दरिद्रता के बीच इतनी चौड़ी एवं गहरी खाई थी कि उसे पाटने की न किसी को फिक्र थी और न वह तत्कालीन राजनीतिक चिन्तन की जरूरत बन पाती थी। तीसरे, देश के भीतर हिन्दू-मुस्लिम समाजों के स्तर पर एक तरह का धार्मिक-सांस्कृतिक अलगाव था। यह अलगाव गंभीर वैज्ञानिक एवं मानवीय दृष्टि तथा उससे पुष्ट शिक्षा एवं नवजागरण से ही दूर हो सकता था, जिसका अभाव भारत में पहले से चला आ रहा था। इतिहास की इन दो महत्वपूर्ण धार्मिक-सांस्कृतिक हिन्दू-मुस्लिम धाराओं में, 1857 की राष्ट्रीय एकता के बावजूद अलगाव बना हुआ था। दरअसल, संकटकाल की एकता का अपना महत्त्व होने के बावजूद, इतिहास की गति को शान्तिकाल की एकता ही आगे ले जाती है। सृजन और निर्माण शान्तिकाल में ही होता है।

कहने की जरूरत नहीं कि अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय समाज की इन अलगाववादी परिस्थितियों को निरन्तर हवा दी थी और इतिहास की फिरकापरस्त स्थापनाओं से इस कमजोरी को इतना उभारा था कि उनके शासन की जरूरत, भारतीयों को निरन्तर बनी रहे। चूंकि औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ किसी देश, समाज और राष्ट्र की राजनीति, समाजनीति और संस्कृति की बुनियाद होती हैं, इसलिए अंग्रेजी सत्ता ने सबसे पहले भारत की देशी उद्योग एवं व्यापार व्यवस्था को तबाह किया। सन् 1857 में जब गदर की शुरूआत हुई, तब 25 अगस्त 1857 को उस विद्रोह के सेनापति बहादुर जफर की ओर से एक इश्तहार निकाला गया, जो तत्कालीन आंदोलनकारियों की समझ के व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है। दरअसल, ये आंदोलनकारी केवल राजनीतिक स्वाधीनता के लिए संघर्ष न करके मुकम्मल आजादी के सवाल को लेकर इस संग्राम में उतरे थे। बहादुरशाह जफर का यह इश्तहार इस बात का सबूत है। इश्तहार के एक भाग का संबंध भारत के देशी व्यापार की दुर्दशा से है। इसमें बतलाया गया है- "यह बात साफ है कि दगाबाज और काफिर ब्रिटिश हुकूमत ने सभी नफीस और कीमती चीजों का व्यापार, जैसे कि नील, कपड़ा और जहाजों में भेजी जाने वाली दूसरी चीजों का व्यापार अपनी मुट्ठी में कर रखा है। यहाँ के लोगों के लिए छोटी-छोटी चीजों का व्यापार ही छोड़ा है और इसके मुनाफे में भी वे हिस्सा बँटाते हैं। कस्टम्स के जरिए, दीवानी के मुकदमों में स्टाम्प फीस वगैरह के जरिए, अपना हिस्सा वसूल करते हैं। लोगों के पास व्यापार नामचार को रह जाता है। इसके अलावा डाक खर्च, चुंगी, स्कूलों के लिए चन्दे वगैरह के रूप में व्यापारियों के मुनाफे पर टैक्स लगाते हैं। इस सब रिआयतों के बावजूद व्यापारी किसी ऐरे गैरे की शिकायत या इशारे पर जेल में डाले जा सकते हैं। या उन्हें नीचा दिखाया जा सकता है।"

यह है अंग्रेजी हुकूमत की असलियत और आन्दोलनकारियों की तत्कालीन आर्थिक परिप्रेक्ष्य की समझ का एक प्रमाण। ये आंदोलनकारी केवल ब्रिटिश हुकूमत की आलोचना करने तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि जब उनका अपना स्वदेशी राज्य कायम हो जायेगा तो वे क्या करेंगे, यह भी इसी इश्तहार का हिस्सा है, जिसमें कहा गया है- " जब बादशाह की सरकार कायम होगी, तब धोखाधड़ी की ये सारी बातें खत्म कर दी जायेंगी और भी चीज छोड़े बिना हर माल का जल और थल का व्यापार खुला रहेगा। इसके सिवा अपना माल ढोने के लिए भाड़ा दिए बिना उन्हें सरकारी, भाप के जहाजों और भाप की गाड़ियों की सुविधा मिलेगी। जिन व्यापारियों के पास खुद की पूँजी नहीं है, उन्हें सरकारी खजाने से सहायता मिलेगी।"

यह करने के लिए व्यापारी वर्ग का क्या कर्त्तव्य है, यह भी साफतौर पर बतला दिया गया है "इस लिए हर व्यापारी का यह कर्त्तव्य है कि वह लड़ाई में शमिल हो और जैसी उसकी हालत हो, उसे देखते खुलकर या छिपकर आदमी और रुपये-पैसे से, बादशाही सरकार की मदद करे और ब्रिटिश हुकूमत के लिए अपनी वफादारी खत्म करे।"

नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इस पहले चारण में सामन्तशाही की छत्रछाया में लोकहित के संदर्भ स्पष्ट हो रहे थे, जो भावी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किये जाने वाले संघर्ष की पूर्व-पीठिका थे। इस चरण के नेताओं की यह साफ समझ थी कि अंग्रेजी साम्राज्यवादी सत्ता, भारतीय उद्योग और देशी अर्थव्यवस्था को निरन्तर तबाह कर रही है। यहाँ ब्रिटिश सरकार ने जो अपना प्रशासनिक ढाँचा कायम किया, वह इंग्लैण्ड में बनी वस्तुओं को पूरा संरक्षण देता था तथा भारतीय उद्योगों में बनी वस्तुओं पर भारी आयात शुल्क लगाकर उनको तबाही के कगार पर पहुँचाता था। इसी का परिणाम यह हुआ कि जो भारतीय समाज अपनी देशी एवं स्वाभाविक ऐतिहासिक गति से अपना विकास करता, अंग्रेजी-सत्ता ने उस स्वाभाविक गति में तीव्र एवं गंभीर अवरोध पैदा किये। इससे मुगलकालीन शासन की उन समस्त उपलब्धियों पर पानी फिर गया, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को विश्व के नक्शे पर ला रही थी और जिसकी औद्योगिक ऊँचाई की पूरे विश्व में धाक थी। अंग्रेजों से पूर्व भारतीय सामन्तों के आन्तरिक गृहकलह और अहं भावना और बाद में स्वयं अंग्रेजी सत्ता ने विकास की उस स्वाभाविक धारा को बहने से रोककर नष्ट कर दिया। उस धारा के ऊपर उन्होंने अपनी उस धारा को बहाया, जो भारतीय समाज के स्वाभाविक प्रवाह के प्रतिकूल थी। यद्यपि अंग्रेजी सभ्यता से जुड़े ज्ञान-विज्ञान और पूंजीवादी समाज की नई आधुनिक समझ एवं विवेक से एक नई तरह का रुझान, भारतीय समाज के जागरूक, विवेकसम्पन्न एवं संवेदनशील तबके में उत्पन्न हुआ, जो यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक नवजागरण के सूर्य के रूप में उदित हुआ। जिसके फलस्वरूप तत्कालीन भारतीय समाज के अज्ञान, अविवेक, रूढ़िवाद एवं मध्यकालीन नजरिये से संघर्ष की संभावनाएँ जन्मीं और जिन्होंने आधुनिक विवेक की ताकत से लोकतांत्रिक मूल्यों की पीठिका तैयार की। इससे भारत में एक नई संस्कृति पनपने लगी और इस तरह अंग्रेजी-सभ्यता के राजनीतिक आर्थिक वर्चस्व के साथ-साथ भारतीय समाज पर सांस्कृतिक वर्चस्व भी कायम हुआ। अंग्रेजी-सभ्यता के सांस्कृतिक वर्चस्व से मुक्त होना आसान नहीं था। यही कारण है कि

अंग्रेजी-साम्राज्यवाद से 1947 ई. में राजनीतिक मुक्ति मिलने के बावजूद भारतीय समाज पर उनका सांस्कृतिक वर्चस्व कायम रहा। स्वतंत्र भारत में वह वर्चस्व, कम होने के बजाय दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ा है। आज हमारी अपनी जनभाषाएँ, अंग्रेजी के सामने खड़ी हो पाने में लज्जा का अनुभव करती हैं। पूँजी-निर्माण और शासन-प्रशासन के सारे बड़े काम अंग्रेजी में ही होते हैं। देशी भाषाएँ, भारतीय समाज की निरक्षरता और निर्धनता के कारण उसकी विवशता हैं। नए ज्ञान-विज्ञान और नई तकनीकों के लिए वह अंग्रेजी के प्रभुत्व से आज भी मुक्त नहीं है। इस वजह से उस सभ्यता और संस्कृति का रौब-दाब भारतीय समाज पर आज अंग्रेजी-शासन काल से भी ज्यादा है।

उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध से ही, अंग्रेजी-सभ्यता और ज्ञान-विज्ञान के सम्पर्क के कारण, भारत में जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की एक लहर चली थी, उसने भारतीय समाज को 'नई ऊर्जा और स्फूर्ति' से भरकर एक नई राह पर चलाया। समन्वयवाद और मध्यमार्ग पर चलकर भारतीय समाज धीरे-धीरे भीतर से अपने स्वरूप को बदलने के लिए तैयार होने लगा। इस जागरण के प्रमुख व आधुनिक भारत के पहले महान सांस्कृतिक नेता राममोहनराय के मन में जहाँ एक ओर भारत की प्राचीन दार्शनिक मान्यताओं और विचारों के प्रति बहुत प्रेम एवं सम्मान था, वहीं दूसरी ओर वे इस बात को स्वीकार करते थे कि भारतीय समाज और संस्कृति को नया विवेक पाश्चात्य संस्कृति से ही दिया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पश्चिमी सभ्यता की बुराइयों को छोड़ते हुए उनके पास हम को सीखने और अंगीकार करने के लिए बहुत कुछ है। हमें अपनी विकृतियों को छोड़ना होगा और अपनी अच्छाइयों को बचाते हुए पश्चिमी सभ्यता की उन अच्छाइयों को अपने समाज का अंग बनाना होगा, जो आज केवल उनके ही पास हैं। राममोहनराय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जैसे नवजागरण के प्रणेता अपनी संस्कृति के सुपक्ष के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखते हुए भी पाश्चात्य संस्कृति के अंधविरोधी नहीं थे। इन सांस्कृतिक नेताओं की यह विशेषता थी कि ये किसी भी तरह की संकीर्णता एवं कट्टरता की ग्रन्थि से सर्वथा मुक्त थे। यही कारण है कि इनके विचारों को मान्यता देकर सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन करने के लिए एक नया वर्ग भारत में तैयार हुआ। उस समय के नवजागरणकर्त्ताओं में डेविड हेअर, स्काटिश धर्म प्रचारक अलेकोडंर डफ्फ, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, चन्द्रशेखर देव और ताराचन्द चक्रवर्ती ने भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण करने में राममोहन राय की बहुत मदद की थी। उन्नीसवीं सदी के तीसरे दशक के अन्त में और चौथे दशक में एक एंग्लो इंडियन नौजवान हेनरी विवियन डेरोजिओ ने हिंदू कालेज, कलकत्ता में एक शिक्षक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उसने अनेक छात्रों को एकत्र कर उनको विवेकपूर्ण व मुक्त ढंग से सोचने, सभी आधारों की प्रमाणिकता की जाँच करने, स्वाधीनता, समानता और मुक्ति से प्रेम करने तथा सत्य का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। इनका आन्दोलन 'यंग बंगाल ' के नाम से मशहूर हुआ। बंगाल में एक विवेक संपन्न पीढ़ी को प्रेरित करने में इस आंदोलन की बड़ी भूमिका है। डेरोजिओ की क्रान्तिकारी मान्यताओं और व्यवहार के कारण उन्हें कॉलेज से हटा दिया गया। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के पिता देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने भी इस नवजागरण में उल्लेखनीय भूमिका अदा की। उन्होंने 1843 ई. में ब्रह्मसमाज का पुनर्गठन किया, जिसने नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह का उन्मूलन, रैयत की दशा में

सुधार तथा आत्म संयम पर विशेष बल दिया। इसी धारा में बंगाल में नवजागरणकर्त्ता दूसरा बड़ा व्यक्तित्व उभरा-ईश्वर चन्द्र विद्यासागर। ये एक बड़े संस्कृत मनीषी थे, साथ ही पाश्चात्य चिन्तन के सर्वोत्तम को स्वीकार करने में भी इनके मन में कोई झिझक नहीं थी। वे आत्माभिमानी तो थे किन्तु अपनी परम्पराओं के प्रति श्रेष्ठता का दंभ इनमें नहीं था। इनके जैसा संतुलित और सर्वसमावेशी व्यक्ति विरला ही होता है। बंगाल में आज तक भी इनके उदात्त चरित्र, व्यवहार, नैतिक गुणों और अगाध मानवतावाद की अनेक कहानियाँ कही जाती हैं। इनकी प्रेरणा से ही भारत की सवर्ण जातियों में पहला हिन्दू विधवा पुनर्विवाह कानून कलकत्ता में 7 दिसम्बर 1856 को लागू हुआ।

पाश्चात्य शिक्षा और विचारों का प्रभाव पश्चिमी भारत से पहले पूर्वी भारत में खासकर बंगाल में कायम हुआ। पश्चिमी भारत ब्रिटिश नियंत्रण में उन्नीसवीं सदी के दूसरे दशक में आया। इसलिए पश्चिम में नवजागरण किंचित विलम्ब से प्रारंभ हुआ। 1849 ई. में महाराष्ट्र में परमहंस मण्डली की स्थापना हुई। इसके सदस्य एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, तथा जातिबंधनों को तोड़ने के पक्षधर थे। जोतिबा फुले और उनकी पत्नी ने 1851 ई. में पूणे में एक बालिका विद्यालय खोलकर नारी तथा दलित वर्ग के लिए शिक्षा का प्रसार करने में बहुत उल्लेखनीय भूमिका निभाई। विष्णुशास्त्री पंडित ने इन्हीं दिनों 'विधवा पुनर्विवाह एसोसिएसन' की स्थापना की। उत्तर एवं मध्य भारत में इन दिनों में ईस्ट इंण्डिया कम्पनी के शासन के प्रति असंतोष एवं आक्रोश तो बहुत अधिक था, लेकिन नवजागरण की कोई बड़ी शुरूआत इस बड़े भूभाग में हुई हो, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर बदलाव के कुछ प्रयत्न महर्षि दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद द्वारा किये गये जो सुधारात्मक कार्यों के रूप में सामने आते हैं। दरअसल, हिंदी-प्रदेश में अंग्रेजी-राज के प्रति आरंभ से ही विरोध का स्वर प्रमुख रहा। उनकी आधुनिक सभ्यता और शिक्षा की तुलना में उनके द्वारा किये गये छल-कपट, षडयंत्र, दगाबाजी, शोषण, उत्पीड़न, दमन, और उनकी क्रूरता की पराकाष्ठा ने हिंदी-प्रदेशों के नागरिकों के मन में उनकी चेतना, विवेकपरम्परा, ज्ञान विज्ञान व नई शिक्षा-व्यवस्था के प्रति सम्मान के अंकुर जमने ही नहीं दिए। जब कि बंगाल एवं महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ उनके विरोध एवं समर्थन की दोनों धाराएँ साथ-साथ बहीं। बंगाल में अंग्रेजी सभ्यता की अच्छाइयों को स्वीकार कर, अपनी बुराइयों से लड़ने वाले लोगों की एक परम्परा है। डॉ. रामविलास शर्मा ने लिखा है कि "बंगाल में दो तरह के नवजागरण हुए: (1) अंग्रेजी राज बना रहे, उसमें रहते हुए हम शान्तिपूर्वक समाज सुधार करते रहें और (2) अंग्रेजी राज में लाखों आदमी भूख से दम तोड़ रहे है; इस राज को हर संभव उपाय से खत्म करो।" यह विदित है कि हिंदी-प्रदेशों में 1857 का पहला स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। उसमें किसान, दस्तकार, सैनिक, छोटे सामन्त, कुछ राजा-नवाब आदि ने भाग लिया लेकिन नई सभ्यता की आधुनिकता को स्वीकार करने के लिए जिस तरह के नवजागरण और नए विवेक की आवश्यकता होती है, उसका अभाव इन क्षेत्रों में बना रहा। इसी का परिणाम है कि ये इलाके रूढ़िवाद और संकीर्णता को संरक्षण देने में आज तक पीछे नहीं हैं। इस हिन्दी इलाके में अंग्रेजी-शासन के प्रति गुस्सा और नाराजगी तो बहुत थी, लेकिन एक विदेशी चालाक और नई सभ्यता की नई तकनीकों से युक्त शासक वर्ग के विरुद्ध उस नाराजगी का एक बड़ा विकल्प तैयार कर पाना मुश्किल था। यह तभी संभव था, जबकि पूरे देश की

जनता में आधुनिक मूल्यों पर आधारित एक नए तरह के समाज के निर्माण का लक्ष्य भी नेतृत्व के मन और आचरण में हो। इस तरह के नए समाज के निर्माण का आधुनिक स्वरूप स्वाधीनता आंदोलन के दूसरे चरण में निर्मित हुआ, जिसकी आधारभूमि उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में चलने वाले नवजागरण तथा नई सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के निर्माण से बनी। निस्संदेह, इस नयी चेतना को निर्मित करने में अंग्रेजी-सम्पर्क, उनकी शिक्षा का स्वरूप और ज्ञान-विज्ञान की आधुनिक चेतना की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। जब कि दूसरी ओर अंग्रेजी-शासक वर्ग के मन में भारतीय समाज के अबाध शोषण के लिए इसे लम्बे समय तक पिछड़ा हुआ रखने की दुरभिसंधि लगातार चल रही थी। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि अंग्रेजी शासक वर्ग भारत का शोषण करके अपने देश की समृद्धि के लिए यहाँ शासन कर रहा था, न कि भारतीय समाज को एक प्रगतिशील एवं विकसित समाज बनाने के लिए। यह अलग बात है कि उनके साथ आने वाले और शोषण का माध्यम बनने वाले नए ज्ञान-विज्ञान के सम्पर्क से भारतीयों के विचारों में सामन्ती एवं पूर्व-पूँजीवादी सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त कर एक नए तरह के स्वराज्य और सुराज्य का सपना निर्मित हुआ। अंग्रेजी शासक वर्ग अपनी क्रूरता, अहम्मन्यता और अत्याचारों के लिए बहुत बदनाम था। लेकिन उसे अपना साम्राज्य चलाने के लिए भारतीय कर्मचारियों, अनुचरों, सेवकों, सैनिकों की भी बड़ी जरूरत थी। ये सभी उसे यहीं तैयार करने थे। ये तभी तैयार हो सकते थे, जब कि वे अपने देश इंग्लैण्ड जैसे प्रशासनिक ढांचे का निर्माण यहाँ करें। इसी ढाँचे में कहीं 'स्वाधीनता' का वह बीज भी था जो साम्राज्यवादी क्रूर व्यवस्था के विरोध में अंकुरित हो रहा था। इस नये ढाँचे के निर्माण के लिए 1857 के पहले अंग्रेजी-शासक वर्ग ने बहुत आधे-अधूरे मन तथा हिचकिचाहट से भारत को आधुनिक बनाने की कोशिश की थी, मगर 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद वे बदले की भावना से 'फूट डालो और राज करो' की दुर्नीति पर खुले आम आ गए। यहाँ की साम्प्रदायिक और जातिप्रथा पर आधारित सामाजिक विभाजनकारी व्यवस्था को वे हवा देने लगे। इस काम को करने में उन्होंने शिक्षा की उस नई पद्धति को प्रमुख माध्यम बनाया जो भारतीय समाज के अन्दरूनी विभाजन को तथ्यों के विरुद्ध मनमाने तरीके से प्रस्तुत कर रही थी। इतिहास को उन्होंने साम्प्रदायिक एवं जातीय रंग देकर हिन्दुओं के मन में मुसलमानों के प्रति और मुसलमानों के मन में हिन्दुओं के प्रति नफरत के बीज बोए। इसी तरह हिन्दुओं में सामाजिक स्तर पर विभिन्न जातियों के घृणापरक अलगाव को भी उन्होंने भड़काने एवं उकसाने का औजार बनाया। इससे उनका निर्णायक भूमिका में बने रहकर शासन करना आसान हो गया। तीसरे, यहाँ की देशी रियासतों के सामन्ती शासकों को शोषण करने व विलास करने की छूट देकर सामन्तवाद को जीवित रख कर अपनी मंजिल को आसान बनाया। जहाँ सीधे-सीधे ब्रिटिश शासन था, वहाँ भी अँग्रेजी शासक वर्ग ने जमींदारी व्यवस्था कायम करके सामन्तवाद को सुदृढ़ किया।

1857 में ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गये थे, इससे उच्च शिक्षा का प्रसार इन क्षेत्रों में तेजी से हुआ। हिंदी इलाकों में इस तरह की शिक्षा का कोई बड़ा केन्द्र अभी नहीं बना था। 1857 तक आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय शिक्षित वर्ग ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने से इन्कार कर दिया था, जिसकी ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रशंसा की थी, लेकिन इनमें से कुछ ने उसके बाद इस ज्ञान का उपयोग ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी

चरित्र का विश्लेषण करने तथा प्रशासन में भारतीय भागीदारी की माँग रखने के लिए किया। इससे अंग्रेजी शासक वर्ग तथा शिक्षित भारतीय वर्ग के बीच टकराहट की शुरूआत हुई। इस टकराहट को शान्त व समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने दिसम्बर 1885 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अब ब्रिटिश शासक वर्ग इन नए शिक्षितों का विरोधी बनकर यहाँ के पुराने जमींदारों, भूस्वामियों, सामन्तों की तरफदारी करने लगा। इसी तरह उन्होंने समाज-सुधारों के प्रयत्नों का साथ न देकर भारत के तत्कालीन रूढ़िवादी एवं प्रतिक्रियावादी वर्गों को उकसाना आरंभ कर दिया। जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में लिखा है कि "भारत के प्रतिक्रियावादियों के साथ ब्रिटिश सत्ता के इस स्वाभाविक गठजोड़ के कारण, अंग्रेज उन अनेक कुरीतियों और कुप्रथाओं के संरक्षक बन गए, जिनकी अन्यथा वे निन्दा करते थे।" साथ ही फौज एवं नागरिक प्रशासन पर वे अधिकांश भूराजस्व को खर्च करने लगे, जिससे सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन आदि की उपेक्षा हुई और इनमें अत्यन्त पिछड़ापन बना रहा। श्रमिकों और कारखानों की दशा बहुत शोचनीय थी। प्रेस पर पाबंदियाँ थीं। दूसरी ओर तत्कालीन शिक्षित एवं राजनीतिक-सामाजिक रूप से जागरूक भारतीय वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा करने में प्रेस को बहुत बड़ी भूमिका के रूप में देख रहा था। इसलिए राममोहन राय से लेकर तिलक, मालवीय जी, लाला लाजपतराय, गांधी जी आदि सभी ने समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। इससे प्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के हाथों में एक बड़ा हथियार बन गया। चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 ई. में भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्ति दिलाई थी, लेकिन 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास करके भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सख्त पाबंदियाँ लगा दी गई। उस समय के जाग्रत जनमत ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और यह नया कानून 1882 में रद्द कर दिया गया। इसके बाद जब राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन गति पकड़ने लगा तो उसके दमन के लिए 1908 और 1910 में दमनकारी प्रेस कानून बनाए गए। अंग्रेजों ने यहाँ अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करते हुए एक नस्लवादी शासन चलाया। इससे अंग्रेजों और भारतीयों का मन कभी एक न हो सका।

ब्रिटिश शासन का हमारी देशी अर्थव्यवस्था के विघटन करने और दस्तकारों एवं शिल्पकारों की बर्बादी करने में बहुत बड़ा हाथ था। भारतीय किसानों के शोषण-उत्पीड़न, दरिद्रता व भुखमरी का एक अमानवीय इतिहास, अंग्रेजी शासन की देन रहा है। शोषण-दमन करने के मामले में अंग्रेजी शासक वर्ग, यहाँ के देशी शासक वर्ग से चार कदम आगे था। अंग्रेजों ने यहाँ नए कानून बनाकर एक ऐसी नयी जमींदारी व्यवस्था कायम की, जो उनको कानूनी लूट के अधिकार दे सके। कानून बनाकर कानूनी ढंग से समाज का शोषण करने एवं लूटने की प्रथा चलाने का 'श्रेय' अंग्रेजी शासक वर्ग को है। लेकिन यह भी सत्य है कि इस अंग्रेजी कुशासन के प्रति भारतीय जनता के आक्रोशस्वरूप विद्रोह, विरोध और आंदोलनात्मक कार्यवाही सतत चलती रही। अपने शासन को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश शासक वर्ग ने जहाँ एक ओर विरोधियों का क्रूर दमन किया, वहीं दूसरी ओर अनेक प्रकार के समझौते किये।

1885 : कांग्रेस का जन्म

उन्नीसवीं सदी का जागरूक भारतीय मध्यवर्ग अब तक इतना जान गया था कि संगठित विरोध और सामूहिक जागृति द्वारा ही ब्रिटिश शासन की ज्यादतियों का मुकाबला किया जा

सकता है। इसके लिए 1837 से ही विभिन्न वर्गहितों से सम्बद्ध संस्थाएँ गठित की जाने लगी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जमींदारों के हितों की रक्षा करने वाली पहली सार्वजनिक संस्था 'लैंड होल्डर्स सोसायटी' का गठन 1837 में किया गया। इसके बाद 1843 में सामान्य सार्वजनिक हितों को साधने के उद्देश्य से 'बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसायटी' का गठन किया गया। इन संस्थाओं की भूमिका विरोधात्मक न होकर सुधारात्मक एवं निवेदनपरक थी। 1857 के बाद शिक्षित भारतीयों और अंग्रेजी-शासकों के बीच की खाई चौड़ी होती गई। दादाभाई नौरोजी ने अपने अर्थशास्त्र सम्बंधी लेखों में यह स्पष्ट किया कि भारत की दरिद्रता का कारण है- ब्रिटिश शासक वर्ग द्वारा भारत का शोषण। इन्होंने 1866 में 'ईस्ट इंडियन एसोसिएशन' नामक संस्था की स्थापना की और राष्ट्रीय आंदोलन के लोकप्रिय नेताओं में प्रमुख बने। 'पूना सार्वजनिक सभा' की स्थापना करके जस्टिस रानाडे ने राष्ट्रीय समस्याओं को अभिव्यक्ति दी। बंगाल में 1876 में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में 'इंडियन एसोसिएशन' नामक संस्था की स्थापना की गई। 1881 में 'मद्रास महाजन सभा' और 1885 में 'बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन' बनी। इस तरह क्षेत्रीय स्तरों पर विभिन्न सार्वजनिक संस्थाएँ बनीं, किन्तु अखिल भारतीय स्तर के संगठन के रूप में पहला संगठन- 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' दिसम्बर 1885 में बना। इतिहास की यह विडम्बना और विचित्र गति ही है कि इसकी स्थापना का श्रेय एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर ए. ओ. ह्यूम को है। दिसम्बर 1885 में बम्बई में इसका पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्यों में मुख्य थे- देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के बीच एकता कायम करना, जाति, धर्म या क्षेत्र (प्रांत) की संकीर्ण भावना के विरुद्ध राष्ट्रीय आधार पर सभी की एकता का विकास, जनता की माँगों का सूत्रीकरण और उनका सरकार के सामने प्रस्तुतीकरण तथा देश में जनमत का प्रशिक्षण व संगठन करना। दरअसल, इस संगठन के माध्यम से अंग्रेज शासक वर्ग यह चाहता था कि भारतीय जनता के असंतोष को पहचान कर, शिक्षित वर्ग को संतुष्ट रखते हुए किसी तरह के जन-विद्रोह को न भड़कने दिया जाय। किन्तु इतिहास की गति सदैव शासक वर्ग के अनुसार ही नहीं चलती है। सत्य तो यह है कि उसे चलाने में उत्पादन-कार्यों में लगी हुई मेहनतकश जनता का योगदान ही मुख्य होता है। जागरूकता एवं चेतना के अभाव, संगठन विहीनता और शासन-सत्ता के दण्ड-दमन के डर और कुछ लोगों को सत्ता द्वारा पद और पूँजी के प्रलोभन से भेदनीतिकृत विभाजन की वजह से सामान्य जनता सत्ता के आदेशों का पालन करने को बाध्य होती है। जब उसके भीतर चेतना आ जाती है, वह संगठित हो जाती है, तथा कुछ लोग अपने जीवन तक का बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं, तो सत्ता का सिंहासन डोलने लगता है। हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन के दूसरे चरण की कहानी यही है।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में एक ओर तो भारतीय जनता की राजनीतिक चेतना का अभ्युदय हुआ, दूसरी ओर सामाजिक-वैचारिक स्तर पर सुधारात्मक एवं जागरणात्मक उपायों का एक गंभीर सिलसिला आरंभ हुआ। इन दिनों एक तरह से मुक्ति का एक समग्र आन्दोलन चला। अब केवल पुरुष वर्ग ही नहीं, पढ़-लिखकर स्त्रियाँ भी मुक्ति-आन्दोलन में भाग लेने लगीं। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस

अधिवेशन को सम्बोधित कर यह दिखला दिया कि इस मुक्ति आंदोलन से सदियों से समाज की क्रूर प्रथाओं और अमानवीय मान्यताओं के कुटिल पाश में जकड़ी हुई स्त्रियों की मुक्ति भी जुड़ी हुई है। हमारा यह स्वाधीनता आंदोलन इस बात का प्रमाण भी है कि अब सामाजिक अन्याय के रूप में सदियों से चली आती घृणा व अपमान पर आधारित जाति-व्यवस्था के बन्धनों पर भी गाज गिरने वाली है। यह सच है कि कोई भी बड़ा आन्दोलन तभी खड़ा होता है, जबकि समाज, शोषक-उत्पीड़क पक्ष की आलोचना करने के साथ-साथ, आत्मालोचना करने की सामर्थ्य भी अपने भीतर पैदा करे। महर्षि दयानंद, विवेकानंद जैसे मनीषियों ने समाज में यह सामर्थ्य पैदा की। भारत के राष्ट्रीय प्रेस ने भी इस काम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1885 से 1905 तक की अवधि में संवैधानिक, आर्थिक, प्रशासनिक सुधार तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा जैसे कार्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने कराये। इस काल के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं में दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोजशाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, पी० आनंद, आनंद मोहन बोस, गोपालकृष्ण गोखले, महादेव रानाडे, बालगंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय आदि थे। सांस्कृतिक क्षेत्र की राष्ट्रीय मुक्तिधारा में अग्रणी थे- महर्षि दयानंद, गोपाल हरि देशमुख, आर० जी० भंडारकर, गोपाल गणेश आगरकर, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्रीमती एनीबेसेंट, सैयद अहमद खाँ, मुहम्मद इकबाल आदि। ये सभी समाज सुधारक, विचारक और परिवर्तन के समर्थक थे और तर्कबुद्धि एवं मानवतावाद के पोषक थे। यद्यपि इनकी अपनी सीमाएँ थी लेकिन इन सुधारवादी प्रयत्नों से जहाँ एक ओर भारतीय जनता में आत्मगौरव व आत्मसम्मान का भाव पैदा हुआ, वहीं उसे अपनी खामियों, कमियों और कमजोरियों की पहचान भी हुई। इन्होंने जातिप्रथा के विरुद्ध संघर्ष चलाकर शिक्षा के प्रसार तथा नारी मुक्ति के लिए विशेष प्रयास किये।

गरमपंथियों का प्रभाव

1905 से 1918 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वाधीनता आंदोलनों का चरित्र अपेक्षाकृत जुझारू हो गया। इससे पूर्व जो नरमदलीय राजनीति चल रही थी, इस काल में वह गर्मदलीय राजनीति में बदल गई । इसे इतिहास में जुझारू राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। 1905 में इसकी पहली अभिव्यक्ति बंगभंग के विरुद्ध आंदोलन के रूप में हुई। इस आंदोलन के शीर्षस्थ नेता थे लोकमान्य बालगंगाधर तिलक।

इस काल में बंगभंग के विरुद्ध व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय एकता का वातावरण बना। उस समय राष्ट्र प्रेम की भावना ने पूरे देश की जनता को सराबोर कर दिया। उस समय बंगाल के नेताओं ने यह महसूस किया कि जनभावनाओं की तीव्रता को लम्बे समय तक बनाये रखने के लिए स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया जाए। इस आंदोलन को अपार सफलता मिली। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस स्वदेशी भावना के विकास का चित्रण इन शब्दों में किया है-

"अपने उत्कर्ष के दिनों में स्वदेशीवाद ने हमारे सामाजिक और घरेलू जीवन की संरचना को रंग दिया था। शादी के उपहारों में मिली ऐसी विदेशी वस्तुएँ वापस कर दी जाती थीं, जिनके ... के अन्दर तैयार की जाती थी। पुरोहित्त ऐसे यज्ञों को कराने से इन्कार कर देते

थे, जिनमें नैवेद्य के रूप में विदेशी वस्तुएँ चढ़ाई जाती थी। अतिथि उन आनंदोत्सवों में भाग लेने से इन्कार कर देते थे, जिनमें विदेशी नमक या विदेशी चीनी का इस्तेमाल होता था।''

इस आन्दोलन से उत्पन्न स्वदेशी व स्वराज्य के नारे को अन्य भारतीय प्रान्तों ने भी अपनाया। बंगभंग के विरोध और स्वदेशी के समर्थन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में बम्बई, मद्रास तथा उत्तरी भारत में भी आन्दोलन चलाए गए। देश के अन्य भागों में स्वदेशी और स्वराज्य के समर्थन में सबसे प्रभावकारी भूमिका लोकमान्य तिलक की रही। उन्होंने लड़ाकू-राष्ट्रवादी आन्दोलन को खड़ा किया- जिसमें उनके साथ बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय का अग्रणी योगदान रहा। इसी बीच क्रान्तिकारी आतंकवाद भी पनपा। बंगाल के अनेक नवयुवक इस काम में आगे आए। इससे राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलने का अवसर मिला। त्याग और बलिदान की भावना के ऊँचे उदाहरण इस क्रान्तिकारी आतंकवाद से सामने आए।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दो राष्ट्रवादी धाराओं के रूप में नरम पंथी और गरमपंथी आमने-सामने आ गये थे। इन दोनों धाराओं में फूट डाले रखने के उद्देश्य से 1909 में 'इंडियन काउंसिल्स एक्ट' के जरिए संवैधानिक रियायतों की घोषणा ब्रिटिश शासन ने की। 1911 में बंगभंग रद्द करने की घोषणा की गई। दरअसल 1909 के एक्ट की इन रियायतों का उद्देश्य, रियायतें देना उतना नहीं था, जितना कि हिन्दू-मुसलमानों की राष्ट्रवादी जमातों में फूट डालना। इन रियायतों के अन्तर्गत मुसलमानों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में रखा गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि नरमपंथियों का जन-समर्थन कमजोर पड़ा और लोकमान्य तिलक जैसे लड़ाकू राष्ट्रवादियों के नेतृत्व को उभरने का अवसर मिला।

अँग्रेजों ने अपनी कूटनीति से साम्प्रदायिकता के बीज भारतीय राजनीति में बो दिए थे, जो ब्रिटिश शासक वर्ग भारतीय मुसलमानों को 1857 के विद्रोह का मुख्य अपराधी मानकर उनकी घोर उपेक्षा कर रहा था, उनकी कुटिल प्रशासन-नीति ने अब उनके प्रति एक बनावटी सहानुभूति का नाटक करना आरंभ कर दिया था। अंग्रेज-शासक वर्ग दरअसल यह अच्छी तरह समझ गया था कि भारत के इन दो बड़े धार्मिक समुदायों- हिन्दू-मुसलमान को आपस में लड़ाते-भिड़ाते रहकर अपनी मंजिल को आसान किया जा सकता है। बंगभंग से ही इसकी शुरूआत हो गई थी। 1906 में आगा खाँ, ढाका के नवाब तथा नवाब मोहसिन उल-मुल्क के नेतृत्व में कांग्रेस जैसे अखिल भारतीय एवं धर्मनिरपेक्ष संगठन के प्रतिरोध स्वरूप 'आल इंडिया मुस्लिम लीग' की स्थापना हुई। यद्यपि देश के अनेक सक्युलर मुसलमान नेताओं ने कांग्रेस में रहकर, अकबर- जहाँगीर-शाहजहाँ के समय की तथा 1857 काल की राष्ट्रीय एकता एवं सर्वधर्मसमभाव की भाव-परम्परा का निर्वाह किया। मौलाना अबुल कमाल आजाद का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। इसके बावजूद अंग्रेजों की कुटिल भेदनीति तथा कुछ उच्चवर्गीय मुस्लिम सामन्तों, नवाबों और जमींदारों के स्वार्थ ने राष्ट्रीय एकता को तोड़ने में अगुआई की। इससे देश के समस्त नागरिकों की समस्याएँ एक न रहकर, हिन्दू-मुस्लिम समस्याएँ हो गईं।

इस संदर्भ में हमारे प्रबुद्ध इतिहासकारों ने यह ठीक लिखा है कि ''इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हमें, यह भी जानना चाहिए कि जिस तरह उन दिनों स्कूलों और कॉलेजों में भारतीय

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में एक बड़ा समझौता- कॉंग्रेस-लीग समझौता हुआ, जिसे 'लखनऊ समझौते' के नाम से जाना जाता है। इससे पूरे देश में उत्साह का वातावरण एवं जोश पैदा हुआ। इस समझौते का प्रभाव ब्रिटिश शासक वर्ग पर इतना हुआ कि उसने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की "ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न भाग के रूप में जिम्मेदार भारत सरकार की उत्तरोत्तर स्थापना की दृष्टि से स्वायत्त संस्थानों के क्रमिक विकास" जुलाई 1918 में मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की गई, लेकिन राष्ट्रवादी भावनाएँ इतने से संतुष्ट नहीं हुई। यहीं से राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का तीसरा एवं आखिरी दौर आरंभ हुआ, जिसकी बागडोर युगपुरुष महात्मा गाँधी ने संभाली।

गाँधी और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन

मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक सुधारों के फलस्वरूप 'गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट 1919' बना। इस समय तक भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन स्वराज्य और स्वाधीनता की स्थिति तक आ गया था, केवल कुछ रियायतों तक सीमित रहने से उसकी तुष्टि संभव नहीं थी। उधर दूसरी ओर ब्रिटिश शासक वर्ग तुष्टि एवं दमन दोनों नीतियों पर चल रहा था। उसका असली चेहरा तो दमनकारी था। दमनकारी कदमों को विधि सम्मत रूप देने के लिए सरकार ने रौलट एक्ट पास किया, जो ब्रिटिश शासन के दमनकारी कानूनों में एक कुख्यात कानून के रूप में जाना गया। इस एक्ट से भारतीय जनता ने खुद को घोर अपमानित महसूस किया। इसके खिलाफ पूरे देश में एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा हो गया, जिसका नेतृत्व संभाला- मोहन दास कर्मचंद गाँधी ने। इससे पहले गाँधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में विदेशी पराधीनता और अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष चलाकर लगभग दो दशकों तक सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह की तकनीक को विकसित कर लिया था। गांधीजी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष को जरूरी मानते थे लेकिन उसके साथ सत्य, प्रेम और अहिंसा को जोड़कर देखते थे। जो संघर्ष या आंदोलन- सत्य और अहिंसा जैसे जीवन मूल्यों से सम्बद्ध नहीं होता, गाँधी जी को ऐसा संघर्ष मान्य नहीं था। उन्होंने 1920 में अपने साप्ताहिक पत्र 'यंग इंडिया' में लिखा- "अहिंसा उसी प्रकार मानव जाति का नियम है, जैसे हिंसा पशुजाति का।" मगर "जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो..... वहाँ मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नजरों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले।"

गाँधी जी 1915 में 46 साल की अवस्था में भारत लौटे थे। पहले 1915 में उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1917 में बिहार के चम्पारन जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाकर उसमें सफलता प्राप्त की। 1919 में रौलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया, जिससे पूरे देश में राजनीतिक जागृति की लहर दौड़ गई और हिन्दू-मुस्लिम एकता कायम हुई। 1919 में 13 अप्रेल को अमृतसर का जलियाँ वाला हत्याकाण्ड, गाँधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों का दमन करने के उद्देश्य से किया गया, लेकिन इससे भी भारतीय जनता की जागृति का प्रवाह रुक न सका। इसमें अनेक लोग शहीद हुए।

1919 से 1922 तक की अवधि में चले 'खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन' से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में एक नए तरह का राजनीतिक एवं भावनात्मक उभार आया। हिन्दू-मुस्लिम एकता के अनेक ठोस प्रमाण इस समय सामने आए- एक कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद से तत्कालीन मुस्लिम नेताओं ने दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन-मंच से उपदेश देने का आग्रह किया, जबकि डॉ० सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर में सिक्खों के पवित्र स्थान स्वर्णमंदिर की चाबियाँ सौंप दी गई। हिन्दू-मुसलमानों के बीच पनपी इस सच्ची एवं भावनात्मक एकता ने खिलाफत आंदोलन को पुष्ट किया। भारत के लोगों ने तुर्की के खलीफा के समर्थन और ब्रिटेन की नीतियों के विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया। गाँधी जी ने इसमें सक्रिय हिस्सेदारी की। 1921-22 में भारतीय जनता ने जो आंदोलन चलाया, उसमें सरकारी नौकरों ने अपनी नौकरी और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इस समय सारे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी और स्वावलम्बन का आंदोलन चलाया गया। पूरे देश में आंदोलनों और संघर्ष के प्रति भारी जोश और उत्साह पैदा हुआ, लेकिन 5 फरवरी को चौरी-चौरा काण्ड में 22 पुलिस वालों को क्रुद्ध भीड़ द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाने के कारण गाँधी जी ने अपने आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया। जनता में इस निर्णय की दोनों तरह की प्रतिक्रियाएँ हुई।

यद्यपि ऊपर से देखने पर तो यह आंदोलन असफल दिखाई देता है तथापि इसका एक अच्छा परिणाम यह हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की लहर देश के गाँव-गाँव में पहुँच गई और भारतीय जनता का भीतर का डर बहुत कुछ निकल गया। अब वह अँग्रेजी शासक वर्ग का सामना करने को तैयार हो गई थी। इसके बावजूद देश में फिर अनुत्साह और निराशा का एक दौर कुछ समय के लिए चला।

1927 में पुन: उत्साह की लहर तब दौड़ी, जबकि जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चंद बोस के नेतृत्व में कांग्रेस में वामपंथी समाजवादी राजनीति का उदय हुआ। इससे पूर्व 1917 में रूस में क्रान्ति हो चुकी थी और वहाँ समाजवादी राज्य के रूप में एक नए मजदूर किसान राज्य की स्थापना हो चुकी थी। हमारे नेताओं का ध्यान इस क्रान्ति और उससे सम्बंधित विचारों की ओर खिंच चुका था। भारतीय जनता भी उन विचारों से प्रभावित हुई। 1936-1937 में इसी प्रभाव के फलस्वरूप नेहरू काँग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और उनके बाद 1938 एवं 1939 में सुभाषचंद बोस को अध्यक्ष चुना गया। इससे पूर्व 1925 ई. में कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म भी हो चुका था। इन विचारों का परिणाम यह हुआ कि स्वाधीनता आंदोलन के साथ देश का मेहनतकश किसान-मजदूर वर्ग भी जुड़ने लगा। उसे स्वाधीनता आंदोलन में अपनी समस्याओं के समाधान की आशा और विश्वास जाग्रत हुआ। यद्यपि स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व देश के बुर्जुआ वर्ग के हाथों मे ही रहा। गाँधी जी के मानवतावादी सिद्धांतों के बावजूद काँगेस की बागडोर बुर्जुआ वर्ग के हाथ में ही थी। उसकी आकांक्षाएँ देश के पूँजीपति वर्ग के पक्ष में रही।

बुर्जुआ वर्ग के काँग्रेसी नेतृत्व और मानसिकता के विरोध में देश में उन क्रान्तिकारी आंदोलनों का जन्म हुआ, जो आतंकवाद का सहारा लेने को भी न्यायसंगत मानते थे। इन क्रान्तिकारी आतंकवादी आंदोलनों की भावना 'समाजवाद' के पक्ष में थी। ये उस समाजवाद के

समर्थक थे, जो मेहनतकश के राज्य के लिए प्रयत्नशील रहता है। देश के नवयुवक सशस्त्र क्रान्ति से, स्वाधीनता के सपने को पूरा करने के प्रयत्न में आगे बढ़ रहे थे। इनमें काकोरी के शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाखाँ, रोशन सिंह का नाम सभी जानते हैं। इन क्रान्तिकारियों की परम्परा को चंद्रशेखर, भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त आदि ने आगे बढ़ाया और सोती हुई भारतीय जनता का एसेम्बली में बम का धमाका करके जगाने का हौसला दिखलाया। इनके क्रान्तिकारी त्याग और बलिदानी गतिविधियों से भारतीय जनता में निडरता एवं जोश उत्पन्न हुआ।

नवम्बर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक भारतीय संवैधानिक आयोग की नियुक्ति संवैधानिक सुधारों के उद्देश्य से की थी, लेकिन इस आयोग के सभी सदस्य अँग्रेज होने के कारण देश की जनता ने एक स्वर से इसका तीव्र विरोध किया। इस आयोग को 'साइमन कमीशन' के नाम से जाना जाता है। पूरे देश में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। इस समय हिन्दू और मुसलमान नेताओं के बीच साम्प्रदायिक भावनाओं का ज्वार भी पैदा हुआ, जो धीरे-धीरे बढ़ता गया। नेताओं के साम्प्रदायिक स्वार्थों और ब्रिटिश शासकों की 'फूट डालो और राज करो' की भेदनीति ने इस तरह की साम्प्रदायिक भावनाओं को उकसाया।

साइमन कमीशन के बहिष्कार के फलस्वरूप लाहौर में इस कमीशन के विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले अत्यन्त प्रखर एवं लोकप्रिय नेता लाला लाजपतराय पर ब्रिटिश पुलिस ने *अंधाधुंध लाठी प्रहार किया। लाला लाजपतराय इसमें बुरी तरह ज़ख्मी हुए और उनका निधन हो* गया। इससे पंजाब के क्रान्तिकारी युवकों में गुस्से की लहर दौड़ गई। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से पंजाब नौजवान भारत सभा के नेता भगतसिंह ने लाठी चार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक सांडर्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इन क्रान्तिकारी युवकों की मान्यता थी। इस तरह व्यक्तिगत बहादुरी और बलिदान की आतंकवादी कार्यवाइयों के माध्यम से जनता को अपनी स्वाधीनता के लिए जाग्रत किया जा सकता है।

1931 से 1940 के बीच के समय में स्वाधीनता का यह संघर्ष काफी आगे बढ़ा। इससे पूर्व 1928 में ही देश में 203 हड़तालें हुई, जिनमें 5 लाख से भी ज्यादा मजदूरों ने हिस्सा लिया। समाजवादी विचारधारा को मानने वाले कीर्ति, मजदूर, किसान और क्रान्ति जैसे समाचार पत्रों का प्रसार हुआ। इस तरह स्वाधीनता संघर्ष का विस्तार भारतीय निम्नवर्ग तक हुआ। ब्रिटिश शासक वर्ग को भी यह समझ आने में देर न लगी कि अब यह आंदोलन वामपंथी दिशा में आगे बढ़ रहा है।

26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता का एक घोषणा पत्र जारी किया गया और माना गया कि इस तिथि को नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। इस आंदोलन को शुरू करने का प्रमुख कारण बतलाया गया था- "भारत की ब्रितानी सरकार ने भारतीयों को न केवल उनकी स्वतंत्रता से वंचित रखा है। बल्कि वह जनता के शोषण पर टिकी हुई है। उसने भारत को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बरबाद कर दिया है। अत: हम मानते हैं कि भारत को निश्चय ही ब्रिटेन से सम्बंध तोड़कर पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए।"

अव गांधी जी ने 'नमक सत्याग्रह' के लिए दाँडी मार्च करके जनता में एक नए उत्साह और उभार को पैदा कर दिया था। इस समय महिलाएँ भी आन्दोलन में कूद पड़ीं, इसके लिए गांधी जी ने चरखे, स्वदेशी और नशावंदी आंदोलन को माध्यम बनाया। नमक सत्याग्रह में गांधीजी और तैयव जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे राष्ट्रवादी नेता सरोजिनी नायडू के नेतत्व में पूरा किया गया। व्रिटिश पुलिस ने निहत्थे और प्रतिक्रियाविहीन सत्याग्रहियों पर निर्ममता और क्रूरता से लाठी प्रहार कर 320 व्यक्तियों को बुरी तरह घायल कर दिया, इसमें 2 की मृत्यु हो गई। इससे बंम्बई में कई जगह दंगे भड़क उठे। बंगाल, विहार उड़ीसा में विदेशी वस्त्रों का भहिष्कार हुआ। मद्रास-आन्दोलन का भी पुलिस ने दमन किया। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खाँ ने पठानों में राष्ट्रवादी भावना जगाने का कार्य कर उनको शिक्षित एवं संगठित किया। इस तरह पूरे देश में जगह जगह नए नए आंदोलन एवं विद्रोहात्मक कारवाइयाँ की गई।

नवम्वर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। काँग्रेस ने इसका वहिष्कार किया। इसी क्रम में 1931 में गाँधी-इरविन समझौता हुआ। इसी समय कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके बाद के दिनों में ब्रिटिश शासक वर्ग ने मुस्लिम साम्प्रदायिक शक्तियों को उकसा कर पूरे राष्ट्रीय आन्दोलन की एकता को जबरदस्त धक्का पहुँचाया। इरविन की जगह आए नए वायसराय लार्ड विलिंगडन ने उदारतावादी रुख की बजाय दमनकारी उपायों एवं भेदनीति को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के प्रयास किये। अंग्रेज-शासकों ने अपनी 'फूट डालो राज करो' की भेदनीति के अन्तर्गत हिन्दुओं, हरिजनों और मुसलमानों के लिए संघीय विधान परिषद में पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की थी, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण हिन्दुओं और हरिजनों को अलग न मानकर हिन्दुओं के भीतर ही आरक्षण की व्यवस्था की गई।

1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट :

नवम्बर 1932 में लंदन में हुए तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें कांग्रेसी नेताओं ने भाग नहीं लिया था, हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट 1935 पास हुआ। इस एक्ट में भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर प्रांतों के लिए सरकार की एक नई प्रणाली की व्यवस्था का प्रावधान था। लेकिन इस एक्ट में अंग्रेज-शासकों के लिए इतने नियंत्रणकारी एवं निरंकुशता के अधिकार प्राप्त थे कि यह एक्ट भी राष्ट्रवादी नेताओं की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। काँग्रेस ने इसको बिल्कुल निराशा जनक कहकर इसकी निन्दा की। फिर भी प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस को 1937 में हुए चुनावों में असाधारण सफ़लता मिली। कांग्रेस ने ग्यारह में से सात प्रांतों में अपने मंत्रिमण्डल बनाए। दो राज्यों में संयुक्त मंत्रिमण्डल बनाए तथा बंगाल एवं पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रिमण्डल बने। उस समय के कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने अपनी सादगी के उदाहरण प्रस्तुत किये।

देशी राज्यों में स्वाधीनता आन्दोलन

कांग्रेस ने पहले तो देशी राज्यों को स्वाधीनता आंदोलन से इसलिए मुक्त कर रखा था कि यहाँ सीधे सीधे देशी राजाओं-नवावों का शासन था। साम्राज्यवादी ब्रिटिश सत्ता का, यद्यपि

उनकी रियासतों में सं   दखल था और पूरा शोषण-उत्पीड़न भी था तथापि वे दिखलाते यही थे कि देशी राज्यों में देशी राजाओं-नवाबों-सामन्तों का ही शासन है। एक तरह का आवरण पड़ा हुआ था। देशी राज्यों में अशिक्षा, गरीबी और भुखमरी के कारण स्वाधीनता आंदोलनों का जन्म हो पाना भी आसान काम नहीं था। इसके बावजूद जब ब्रिटिश भारत में स्वाधीनता संघर्ष तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा और उसकी खबरें देशी राज्यों की बेवश प्रजा तक पहुँचने लगी तो सभी देशी राज्यों के संवेदनशील, जागरूक एवं शोषित लोग अपनी एकजुटता कायम कर स्वाधीनता के बारे में सोचने लगे। इस काम के लिए दिसम्बर 1927 में अखिल भारतीय प्रजामंडल की स्थापना की जा चुकी थी। धीरे-धीरे देशी राज्यों में जगरूकता बढ़ी। इसके फलस्वरूप जयपुर, कश्मीर, त्रावणकोर, हैदराबाद, और राजकोट रियासतों में जन-आन्दोलन हुए। राजाओं ने इन्हें दबाने का पूरा प्रयास किया। दरअसल, वे अंग्रेजी-शासकों की छत्र-छाया में अपना वैभव-विलास भोग रहे थे और अंग्रेज, उनको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। देशी राज्यों के राजाओं-नवाबों ने जनसंघर्षों को कुचलने केलिए जहाँ हिंसक दमन किया, वहीं परिस्थितियाँ के अनुसार साम्प्रदायिक उन्माद फैलाकर राष्ट्रीय एकता को तोड़ा गया। इसके बावजूद वे स्वाधीनता की जनभावना के ज्वार को पूरी तरह नहीं दबा सके। दमन होता रहा और आंदोलन भी चलते रहे। 1938 में कांग्रेस ने देशी राज्यों में आंदोलन चलाने की इजाजत दे दी और 1939 में जवाहर लाल नेहरू 'अखिल भारतीय प्रजामंडल' के अध्यक्ष बने। इससे देशी राज्यों में भी स्वाधीनता की चेतना की नई लहर फैल गई।

अलवर में 1937 में यहाँ के महाराजा जयसिंह के देश निष्कासन और राजगद्दी के उत्तराधिकार के सवाल पर जन्मे विवाद के फलस्वरूप एक नए तरह के संघर्ष ने जन्म लिया। 1937 में महाराजा जयसिंह का पेरिस में निधन हो गया, इससे उत्तराधिकार का जो विवाद पैदा हुआ, उसमें यहाँ के स्वाधीनता आन्दोलन के नेता महाराजा जयसिंह की भावनाओं और विचारों के साथ थे। प्रजा में भी महाराजा जयसिंह अत्यन्त लोकप्रिय थे। उनके आकस्मिक निधन से भी उनकी मान्यताओं के प्रति सहानुभूति पैदा होना स्वभाविक था। इसका लाभ तत्कालीन स्वाधीनता संघर्ष के समर्थकों को मिला। वैसे अलवर में स्वाधीनता आंदोलन 1943 से सतत एवं सक्रिय रूप से चला।

1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन

1939 में दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ गया। इसमें ब्रिटेन भारत का पूरा सहयोग चाहता था। इसलिए ब्रिटेन के एक तेजतर्रार और समाजवादी नेता स्टैफोर्ड क्रिप्स को यहाँ एक घोषणा के मसौदे के साथ भेजा गया। उसमें यह प्रस्ताव था कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को उपनेवेशिक दर्जा दे दिया जायेगा। लेकिन इस घोषणा को सभी राजनीतिक दलों ने नामंजूर कर दिया। क्रिप्स मिशन असफल हो जाने से भारतीय नेताओं में निराशा एवं क्रोध पैदा हुआ। एकमात्र मुस्लिम लीग इसका अपवाद रही। वह इस समय तक साम्प्रदायिक भावनाओं के उभार का केन्द्र बन चुकी थी।

अगस्त 1942 में बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें "अंग्रेजो भारत छोड़ो" जैसा ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ। जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने 'करो या

मरो' का नारा देकर एक बड़े पैमाने के आंदोलन की शुरूआत की। ब्रिटिश सत्ता ने इसका क्रूरता से दमन किया, लेकिन इससे अंग्रेजी सत्ता की चूलें हिल गई। अब तक वे जान गए थे कि अब भारत में उनके दिन गिने चुने हैं। अब केवल यह प्रश्न शेष रह गया था कि सत्ता का हस्तान्तरण किस तरीके से हो तथा स्वाधीनता के बाद सरकार का स्वरूप क्या हो?

आजाद हिन्द फौज

1942 से 1945 के बीच देश के नेताओं के जेल में बंद कर दिये जाने के कारण देश का राजनीतिक वातावरण ठंडा रहा। सुभाषचन्द्र बोस 1941 में चुपचाप देश से चले गए थे। पहले वे रूस गए, फिर जर्मनी और इसके बाद जापान। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए 'आजाद हिन्द फौज' का गठन किया। उनके नेतृत्व में जापानियों के साथ मिलकर भारत की तरफ इस फौज ने बढ़ना शुरू किया, लेकिन 1945 में जापान-जर्मनी की पराजय हो जाने के बाद आजाद हिन्द फौज की योजना भी असफल हो गई।

1946 में नौसेना ने विद्रोह कर दिया, जो देश में बढ़ते हुए समाजवादी विचारों एवं आंदोलन की अभिव्यक्ति था। अब तक अंग्रेज शासकों की रीढ़ टूट चुकी थी, और वे अपने भावी हितों की दृष्टि से देश के उस वर्ग को सत्ता सौंपकर जाना चाहते थे, जो उनकी तरह की राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था यहाँ कायम कर सके। वे अपने फूट डालो-राज्य करो, की भेदनीति में सफल हुए। हिन्दुस्तान दो टुकड़ों में विभाजित हुआ। 14 अगस्त 1947 को एक धार्मिक देश के रूप में पाकिस्तान बना। 15 अगस्त, 1947 को दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहरा दिया गया और भारत एक संप्रभुतासम्पन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में विश्व के नक्शे पर उदित हुआ। ●

राजस्थान में स्वाधीनता-संघर्ष

❑ जुगमंदिर तायल

18 वीं शताब्दी के शुरू में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु (1707 ई.) के बाद केन्द्रीय मुगल-सत्ता निर्बल होने लगी। केन्द्रीय सत्ता के निर्बल होने से, राजस्थान के राजपूत राजा-महाराजा अपनी महत्त्वाकांक्षाओं के कारण परस्पर विवाद-युद्धों में उलझने लगे। इन विवाद-युद्धों से फायदा उठाकर राजा-महाराजाओं के अधीन रहने वाले सामन्त भी अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गये। इन विवादों में राजस्थान के शासकों ने स्वयं ही पहले तो मराठा-सेनापतियों को सहायता के लिए बुलाया, फिर बाद में जब राजस्थान में मराठा सेनापतियों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा और अपने ऋण या चौथ वसूली के लिए वे बार-बार आक्रमण करने लगे तो राजस्थान के शासक उनसे त्रस्त होने लगे। 18 वीं सदी का अन्त होते-होते राजस्थान के शासक पूरी तरह अशक्त-निर्बल होकर अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो गये थे। वे न तो मराठा-सेनापतियों के आक्रमणों से अपनी रक्षा कर सकते थे और न ही अपने विद्रोही सामन्तों को दबाने में समर्थ थे।

अंग्रेजी-प्रभुत्व की स्थापना

इन हालातों में 19 वीं शताब्दी के आरम्भ में राजस्थान के शासकों ने स्वेच्छा से ईस्ट-इंडिया कम्पनी की सरकार से मैत्री-सन्धियाँ की और अंग्रेजी प्रभुत्व को स्वीकार किया। सबसे पहले सितम्बर 1803 ई. में भरतपुर राज्य ने और फिर नवम्बर 1803 ई. में अलवर राज्य ने कम्पनी सरकार से सन्धि की। जयपुर और जोधपुर राज्यों से भी सन्धियाँ की गई, लेकिन उन्हें बाद में रद्द कर दिया गया। कम्पनी सरकार की नीति में परिवर्तन के कारण अगले 14 वर्ष तक किसी भी राज्य से सन्धि नहीं की गयी। 1817 ई. में नीति-परिवर्तन के बाद कम्पनी-सरकार ने राजस्थान के शासकों को मैत्री-सन्धि के लिए आमंत्रित किया। 1818 ई. के अन्त तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कम्पनी सरकार से मैत्री-सन्धि करली थी। जोधपुर राज्य ने सिरोही-राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व पर आपत्ति की थी। उसे अमान्य कर 1823 ई. में कम्पनी-सरकार ने सिरोही राज्य से भी मैत्री-सन्धि कर ली।

इन सन्धियों द्वारा कम्पनी-सरकार ने आन्तरिक शासन के बारे में देशी राज्यों के शासकों के पूरे अधिकार को मान्यता दी, किन्तु बाहरी सम्बन्धों (अन्य राजाओं से सम्बन्ध) का अधिकार कम्पनी सरकार ने अपने पास रखा। देशी राज्यों में कम्पनी सरकार अपना प्रतिनिधि पोलिटिकल एजेण्ट के रूप में रखेगी, इसे देशी नरेशों ने मान्यता दी। संकट अथवा जरूरत के समय कम्पनी-सरकार को सहायता देने का वचन भी देशी-नरेशों ने दिया।

राजस्थान में प्रत्यक्ष रूप में अंग्रेजी-शासन नहीं था, किन्तु राजाओं की अयोग्यता एवं शक्तिहीनता के कारण राज्यों के आंतरिक शासन में अंग्रेजी हस्तक्षेप बढ़ता गया और देशी-नरेशों की तुलना में अंग्रेजी रेजीडेण्ट या पोलीटिकल एजेण्ट की शक्ति बढ़ती गयी। इन परिस्थितियों के चलते साधारण-जन को दुहरी-तिहरी गुलामी का भार झेलना पड़ा। एक गुलामी राजा-

महाराजा की थी तथा दूसरी अंग्रेज रेजीडेण्ट की और उसके माध्यम से अंग्रेज-सरकार की। जागीरदारी क्षेत्र में तीसरी गुलामी सामन्त-जागीरदार की बढ़ जाती थी। उस समय सारे राजस्थान में सामन्ती शासन एवं शोषण का बोलबाला था। विदेशी सरकार इस शोषण की रक्षक ही नहीं पोषक भी थी।

अंग्रेजी-प्रभुत्व की स्थापना के कुछ समय बाद ही राजस्थान में उसका विरोध शुरू हो गया। सन्धि के बावजूद कुछ नरेशों ने (जैसे जोधपुर के राजा मानसिंह) अंग्रेज-विरोधी रुख अपनाया। बाँकीदास तथा अन्य चारण कवियों ने अंग्रेजी प्रभुत्व स्वीकार करने वाले राजाओं की निन्दा की और साधारण-जन को विदेशी गुलामी के प्रति सचेत किया। अंग्रेज अधिकारियों ने महाराजा-महाराणाओं का समर्थन करते हुए उनके सामन्तों के अधिकारों को कम करने का प्रयत्न किया तो इससे अनेक सामन्त अंग्रेज विरोधी हो गये। 1857 ई. के जन-विद्रोह में इन सामन्तों ने खुलकर अथवा छिपे तौर से विद्रोहियों की सहायता की। देशी-राज्यों में बढ़ते अंग्रेजी हस्तक्षेप को साधारण जन ने भी पसन्द नहीं किया। अंग्रेजी सुधारों (जैसे सती-प्रथा पर रोक) और विदेशी पादरियों द्वारा हिन्दू व इस्लाम धर्मो की निन्दा करते हुए ईसाई धर्म के प्रचार ने भी साधारण जन को शंकित बनाया। अंग्रेजी राज्य में बार-बार अकाल पड़े और महामारियाँ फैली। इन सब कारणों से साधारण-जन अंग्रेजी राज के विरोधी हो गये। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि अंग्रेज शासक उनके धर्म तथा परम्परागत सामाजिक जीवन-पद्धति के विरोधी हैं और उसे नष्ट करना अथवा बदलना चाहते हैं।

1857 ई. के विद्रोह से पहले भी राजस्थान में अनेक घटनाओं के माध्यम से अंग्रेज-विरोधी भावनाएँ प्रकट होती रही। जयपुर में पोलीटिकल एजेण्ट के सहायक कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी गयी। जोधपुर में भीम जी राठौड़ नामक सामन्त ने वहाँ के पोलीटिकल एजेण्ट लुडलो पर हमला किया। जन-साधारण में अंग्रेज विरोधी भावनाएँ इतनी प्रबल थी कि अंग्रेजी छावनियों पर हमला कर उन्हें लूटने वाले शेखावाटी के राजपूत-वीर डूँगर सिंह व जवाहर सिंह को जनता ने लोक-नायकों जैसा सम्मान दिया। उनकी वीरता की प्रशंसा में गीत लिखे गये और उन्हें लोकगीतों के रूप में गाया जाने लगा।

राजस्थान में 1857 का जन-विद्रोह

1857 के जन-विद्रोह की शुरूवात 10 मई को मेरठ-छावनी में भारतीय सैनिकों के विद्रोह से हुई थी। उन दिनों संचार के साधन आज की तरह उन्नत नहीं थे, अत: राजस्थान तक विद्रोह के समाचार पहुँचने में विलम्ब होना स्वाभाविक था। 28 मई को नसीराबाद की छावनी में 15 वीं नेटिव इन्फेन्ट्री के सैनिकों के विद्रोह से राजस्थान में जन-विद्रोह की शुरूआत हुई। छह दिन बाद नीमच-छावनी के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। 21 अगस्त को आबू पहाड़ पर जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह किया। पहाड़ से नीचे उतर कर उन्होंने एरिनपुरा की छावनी को लूटा। यहाँ मौजूदा सैनिक भी उनके साथ मिल गये। जब ये विद्रोही सैनिक पाली पहुँचे तो आउवा के ठिकानेदार खुशालसिंह ने उनकी सहायता की और उन्हें अपनी जागीर आउवा ले गया। इसके बाद आउवा राजस्थान में विद्रोह का एक मुख्य केन्द्र बन गया। मारवाड़ राज्य के अन्य अनेक सामन्तों ने भी खुशालसिंह तथा विद्रोहियों का साथ दिया और अपने

सैनिक आउवा में भेजे। जनवरी 1858 ई. में ही मारवाड़ राज्य तथा अंग्रेजों की सेनाएँ आउवा पर कब्जा कर सकी। खुशालसिंह बचकर मेवाड़ राज्य में चला गया।

15, अक्टूबर 1857 ई. को **कोटा** नगर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और नगर पर अधिकार कर लिया। छह माह तक कोटा-नगर पर विद्रोहियों का अधिकार रहा। कोटा-नगर के निवासियों ने विद्रोही सैनिकों का पूरा समर्थन किया। इस विद्रोह का नेतृत्व काँमा (भरतपुर) के निवासी **जयदयाल भटनागर** ने किया। वे कोटा के महाराव के दरबार में वकील थे। छह माह बाद मार्च 1858 ई. में ही अंग्रेजी-सेना कोटा-नगर पर फिर से अधिकार कर सकी। नीमच के विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की ओर जाते हुए **टोंक** पहुँचे तो वहाँ के अधिकांश सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और वे अपने शस्त्रों सहित नीमच-छावनी के सैनिकों के साथ दिल्ली की ओर चले गये।

पूर्वी राजस्थान के राज्य भी विद्रोह से प्रभावित हुए। **भरतपुर** में लगातार अशान्ति बनी रही। विद्रोहियों के भय से वहाँ के पोलीटिकल एजेण्ट मारीसन को राज्य छोड़कर आगरा जाना पड़ा। भरतपुर राज्य के मेव तथा गूजरों ने विद्रोहियों का पूरा साथ दिया। **अलवर** राज्य में मेवों ने रामगढ़-नौगांवा में राज्य की सेना का मुकाबला किया। अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य के सैनिकों का एक दल आगरा भेजा था। आगरा के पास अछनेरा गांव में जब इस दल का मुकाबला नसीराबाद-नीमच छावनी के विद्रोही-सैनिकों से हुआ तो अलवर के अधिकांश सैनिक विद्रोहियों के साथ मिल गये। अक्टूबर 1857 में इन्दौर व ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों ने **धौलपुर** राज्य में घुसकर नगर पर अधिकार कर लिया। दो माह तक नगर पर विद्रोहियों का अधिकार रहा।

जयपुर और मेवाड़ राज्यों में प्रत्यक्ष विद्रोह नहीं हुआ किन्तु दोनों राज्यों के साधारण-जनों की सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी। जब विद्रोही सैनिक जयपुर राज्य के गाँवों से गुजरे तो जनता ने जगह-जगह उन्हें रसद आदि देकर सहायता की। जयपुर के सामोद ठिकाने के **रावल शिवसिंह** ने तो दिल्ली जाकर मुगल बादशाह को नजर भेंट की। इसके कारण उसे **प्रधान-मंत्री** के पद से हटाया गया। आउवा का विद्रोही सामन्त खुशालसिंह जब मेवाड़ राज्य में आया तो **सलूम्बर** के रावत कीरतसिंह और **कोठारिया** के रावत जोधसिंह ने उसे शरण एवं सहायता दी। 1857 के विद्रोह का प्रसिद्ध नायक तात्या टोपे जब मेवाड़ राज्य में आया तो इन दोनों ठिकानेदारों ने उसको भी सहायता दी। नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा होते हुए जब **शाहपुरा** पहुँचे तो वहाँ के शासक ने उन्हें दो दिन तक अपने राज्य में रखा और रसद देकर उनकी सहायता की।

1857 में सारे उत्तरी-भारत में अंग्रेजी सेनाओं के भारतीय सैनिकों में असन्तोष फैला हुआ था। राजस्थान में स्थित सेनाओं के सैनिकों की मनोदशा भी ऐसी ही थी। इन सैनिकों ने ही राजस्थान में विद्रोह की शुरूआत की। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर राज्यों के कुछ सामन्तों ने भी इन सैनिकों की सहायता की क्योंकि वे निजी कारणों से अपने राज्य के शासकों से नाराज थे और वे शासक अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि साधारण-जन ने सब जगह विद्रोही-सैनिकों का समर्थन किया और उनकी सहायता की। प्रजा के दबाव के कारण बीकानेर

के महाराजा को नाना-साहब की सहायता करनी पड़ी। तात्या टोपे ने साधारण-जन तथा स्थानीय सैनिकों की मदद से ही बाँसवाड़ा और झालरपाटन (झालावाड़) नगरों पर अधिकार करने में सफलता पाई थी।

विद्रोहियों के बीच व्यापक-समन्वय एवं समर्थ-नेतृत्व का अभाव था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास बेहतर साधन थे तथा उनका रण-कौशल भी उन्नत था। इस कारण विद्रोह का असफल होना स्वाभाविक था। विद्रोह की असफलता से राजस्थान में सामन्ती-शासन को नया जीवन मिला। विद्रोह से पहले गवर्नर-जनरल लार्ड डलहौजी ने देशी राज्यों को धीरे-धीरे समाप्त कर सारे भारत में प्रत्यक्ष अंग्रेजी शासन स्थापित करने की नीति अपनायी थी। इस नीति से प्रभावित होने वाले राजा-महाराजा तो नाराज हुए ही, अपने शासकों के प्रति निष्ठा रखने वाले साधारण जन भी अप्रसन्न हुए। विद्रोह में इन लोगों ने सक्रिय भाग लिया। राजस्थान में, संयोग से इस नीति से कोई शासक प्रभावित नहीं हुआ था। यहाँ के सभी शासकों ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया, उनकी रक्षा की और उन्हें सहायता दी। विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया की घोषणा में सभी देशी राज्यों को बनाये रखने तथा उनके शासकों के साथ मैत्री-सम्बन्धों के निर्वाह का आश्वासन दिया गया। अंग्रेजी राज्य से सुरक्षा का आश्वासन पाकर राजस्थान के शासक अपने भविष्य के प्रति निश्चिन्त हो गये।

राजस्थान में सामाजिक-बदलाव

1857 ई. के बाद राजस्थान में व्यापक परिवर्तन हुए। देशी शासकों को सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने उनके आंतरिक प्रशासन को अपने प्रभाव में लाने का पूरा प्रयत्न किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों में अपने अनुकूल अधिकारियों की नियुक्ति की। ये अधिकारी प्रायः अंग्रेजी-प्रान्तों से लाये जाते थे। शासन की नीतियों में भी बदलाव किये गये। पुलिस की व्यवस्था में सुधार किया गया। राज्यों में अंग्रेजी ढंग के न्यायालय स्थापित किये गये। विद्रोह के समय राजस्थान में एक भी रेल-मार्ग नहीं था। विद्रोह के बाद रेल मार्ग और नयी सड़कें बनायी गयी। डाक-तार की व्यवस्था का भी विस्तार किया गया। किसी भावी संकट का सामना करने के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए भी यातायात एवं संचार के बेहतर साधन जरूरी थे।

राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरूआत भी की गयी। सबसे पहले 1842 ई. में अलवर राज्य में अंग्रेजी ढंग का स्कूल खोला गया। विद्रोह से पहले इसमें हिन्दी व उर्दू की शिक्षा दी जाती थी। विद्रोह के बाद 1858 ई. से स्कूल में अंग्रेजी भी पढ़ायी जाने लगी। जयपुर में 1844 ई. में महाराजा स्कूल स्थापित किया गया था। विद्रोह के बाद 1873 ई. में इसे कॉलेज बना दिया गया। अजमेर के सरकारी स्कूल को 1868 में इन्टर कॉलेज और 1869 ई. में डिग्री कॉलेज बनाया गया। राजपूत नरेशों को यूरोपीय ढंग की शिक्षा देने व आधुनिक आचार-विचार सिखाने के लिए अजमेर में एक विशेष कॉलेज 'मेयो कॉलेज' स्थापित किया गया। अलवर के महाराजा मंगलसिंह इस कॉलेज के पहले छात्र थे। बाद में सभी राज्यों के भावी शासकों ने यहाँ शिक्षा पायी। इस शिक्षा विस्तार के माध्यम से अंग्रेज पुराने सामन्ती-वर्ग के मुकाबले में अपने विचार-आदर्श एवं जीवन-पद्धति में ढले नये शिक्षित-वर्ग का विकास करना चाहते थे। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। इस नये वर्ग के योग्य-व्यक्तियों को ही आगे चलकर महत्वपूर्ण प्रशासनिक ... दिये गये।

राजस्थान का पहला समाचार-पत्र जयपुर से 1856 में प्रकाशित 'रोजे-उल-तालीम अथवा राजपूताना समाचार' था। इसके सम्पादक मास्टर कन्हैया लाल थे और यह हिन्दी-उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। विद्रोह के बाद राजस्थान में पत्रकारिता का तेजी से विकास हुआ। उस युग में भी इन पत्रों के सम्पादक- प्रकाशकों ने तत्कालीन शासकों एवं प्रशासन की आलोचना करने का साहस दिखाया और राजस्थान जैसे पिछड़े प्रदेश में नवीन चेतना को आगे बढ़ाया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा प्रकाशित 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' का प्रकाशन जब आर्थिक कारणों से स्थगित हो गया तो 1881 ई. में विष्णुलाल मोहनलाल पंड्या ने नाथद्वारा (उदयपुर) से उसे नये रूप में 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका-मोहन चन्द्रिका' के नाम से प्रकाशित करना शुरू किया। यह पत्र साहित्यिक लेख-रचनाओं के साथ सामाजिक-राजनैतिक समाचार भी प्रकाशित करता था। अजमेर अंग्रेजी सत्ता का केन्द्र होने से सामाजिक-शैक्षणिक प्रगति में शेष राजस्थान से आगे था। 1885 ई. में हनुमान सिंह ने अंग्रेजी में 'राजपूताना हेराल्ड' और मौलवी मुराद अली ने हिन्दी-उर्दू में 'राजपूताना गजट' का प्रकाशन अजमेर से आरम्भ किया। 1889 ई. में अजमेर से ही मुंशी समर्थदान ने 'राजस्थान समाचार' का प्रकाशन आरम्भ किया। यह राजस्थान का पहला दैनिक पत्र था।

विद्रोह के बाद राजस्थान में बड़े सामाजिक बदलाव हुए। व्यापार-वाणिज्य के विकास तथा अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के साथ नये सामाजिक-वर्गों का विकास हुआ। नये सामाजिक-*वर्गों का बड़ा हिस्सा अंग्रेज समर्थक था, किन्तु उसके विरोधी भी इन वर्गों से ही उभर कर आये।* स्वामी दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द की यात्राओं का भी राजस्थान में बड़ा प्रभाव हुआ। 1865-66 में स्वामी दयानन्द राजस्थान में पहली बार आये। 1875 ई. में आर्य समाज की स्थापना के बाद 1881 ई. में उन्होंने राजस्थान की दूसरी यात्रा की। अगले वर्ष वे फिर राजस्थान आये और इस यात्रा का अंत अक्टूबर 1883 ई. में अजमेर में उनके देहान्त के साथ हुआ। स्वामी दयानन्द ने जोधपुर एवं उदयपुर के नरेशों को विशेष रूप से प्रभावित किया। जन साधारण पर भी उनके विचारों का गहरा असर हुआ। उनके देहान्त के बाद राजस्थान के अनेक नगरों में आर्य-समाज की स्थापना हुई। स्वामी जी जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास तथा धार्मिक पाखण्डों के विरोधी थे। वे स्वदेश प्रेमी, स्वधर्म और स्वदेशी भाषा (हिन्दी) के समर्थक थे। राजस्थान के अनेक क्रांतिकारी तथा प्रजामण्डल प्रजा-परिषदों के नेताओं ने स्वामी दयानन्द के विचारों से प्रेरणा पायी। स्वामी विवेकानन्द ने फरवरी 1891 ई. में अलवर से अपनी राजस्थान यात्रा आरम्भ की। बाद में वे जयपुर, अजमेर, आबू और खेतड़ी गये। खेतड़ी के तत्कालीन शासक अजीत सिंह उनसे बहुत प्रभावित हुए और स्वामी जी वहाँ काफी समय रहे। अलवर में उन्होंने महाराजा मंगलसिंह को अपनी निर्भीकता एवं नये विचारों से प्रभावित किया।

राजस्थान में क्रान्तिकारी गतिविधि

बीसवीं शताब्दी के शुरू में राजस्थान में क्रांतिकारियों की नयी पीढ़ी सामने आयी। इस पीढ़ी के महत्वपूर्ण नेता थे- बारैठ केसरीसिंह, राव गोपालसिंह खरवा, दामोदरदास राठी, अर्जुनलाल सेठी, और विजयसिंह पथिक। बारैठ केसरीसिंह के पिता बारैठ कृष्णसिंह उदयपुर में स्वामी दयानन्द के सम्पर्क में आये थे और उनसे प्रभावित होकर स्वदेश-प्रेमी बन गये थे।

1903 ई. में बारैठ केसरीसिंह ने अपनी रचना 'चेतावणी -रा चूँगट्या' के द्वारा उदयपुर के महाराणा फतहसिंह को प्रभावित किया और उन्हें कुल-गौरव की याद दिलाकर लार्ड कर्जन के दिल्ली दरबार का बहिष्कार करने की प्रेरणा दी। उदयपुर के महाराणा द्वारा वायसराय के दरबार का यह बहिष्कार उस समय की परिस्थितियों में बड़ा साहसिक कार्य था और सारे देश में उसकी चर्चा हुई। बारैठ केसरीसिंह भी सारे देश में प्रसिद्ध हो गये। बाद में 1914 ई. में बारैठ जी को राजद्रोह एवं जोधपुर के एक महन्त प्यारेराम की हत्या का षडयंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 20 वर्ष के कारावास की सजा दी गयी। बारैठ जी का पूरा परिवार क्रांतिकारी-कार्यों में शामिल था। उनके छोटे भाई जोरावरसिंह ने 1912 ई. में दिल्ली में लार्ड हार्डिंग पर बम फैंकने के कार्य में भाग लिया। उन्हें नीमाज (बिहार) के एक धनी महन्त की हत्या के आरोप में भी अपराधी बनाया गया था। जोरावरसिंह कभी पकड़ में नहीं आये और 1939 ई. में फरारी अवस्था में ही उनका देहान्त हुआ। बारैठ केसरीसिंह के पुत्र प्रतापसिंह भी क्रांतिकारी दल में शामिल थे। 25 वर्ष की छोटी आयु में उनका देहान्त बरेली जेल में कठोर अत्याचारों के कारण हुआ। बारैठ जी के दामाद ईश्वरदान आशिया भी क्रांतिकारी कार्यों में शामिल रहते थे।

अर्जुनलाल सेठी का जन्म जयपुर के एक प्रतिष्ठित जैन परिवार में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा पाने के बाद जयपुर राज्य में पदाधिकारी बनने के स्थान पर देश-सेवा का व्रत चुना। 1905 ई. में उन्होंने जयपुर में 'वर्धमान-पाठशाला' की स्थापना की। यह पाठशाला बाहर से एक शिक्षा-संस्था, लेकिन हकीकत में क्रांतिकारी समिति थी। इसके सभी अध्यापक एवं छात्र क्रांतिकारी कार्यों में भाग लेते थे। सेठी जी दिल्ली तथा राजस्थान के क्रांतिकारियों के बीच मुख्य सम्बन्ध-सूत्र थे और उनका अनेक क्रांतिकारियों से सम्पर्क था। मार्च 1913 ई. में 'वर्धमान-पाठशाला' के छात्रों ने क्रांतिकारी कामों के लिए धन एकत्र करने हेतु बिहार में आरा जिला के नीमाज के धनी महन्त पर हमला किया। महन्त हमले में मारा गया, लेकिन तिजोरी नहीं खुलने के कारण क्रांतिकारी धन पाने में असफल रहे। बाद में सेठी जी की पाठशाला के एक छात्र ने मुखबिर बनकर इस काम का भेद खोल दिया। पाठशाला के अनेक छात्र गिरफ्तार किये गये। मोतीचन्द नामक छात्र को फाँसी और अन्य छात्रों को लम्बी अवधि के कारावास की सजा मिली। दिल्ली में वायसराय पर बम फैंके जाने के बाद सेठी जी इन्दौर जाकर रहने लगे थे। इस बमकाण्ड के सम्बन्ध में जब दिल्ली में गिरफ्तारियाँ हुई और खोजबीन हुई तो सेठीजी का नाम भी पुलिस को मिला। इस पर उनके इन्दौर निवास-स्थान की तलाशी ली गयी। सेठी जी सजग रहते थे, इस कारण उनके निवास पर पुलिस को कुछ भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। नीमाज महन्त हत्याकाण्ड में भी सेठी जी को आरोपी बनाया गया, पर उनके विरुद्ध कुछ सिद्ध नहीं हो पाया। तब अंग्रेज सरकार ने जयपुर राज्य पर दबाव डालकर उन्हें नजरबंद कराया। 1914 ई. के अंत में उन पर जयपुर राज्य का विरोध करने के लिए मुकदमा चलाया गया और पाँच वर्ष की सजा दी गई। कुछ समय जयपुर जेल में रखने के बाद उन्हें सुदूर वेलूर (मद्रास) जेल में भेजा गया। अंग्रेज सरकार उन्हें राजस्थान से दूर रखना चाहती थी। 1920 ई. के शुरू में सेठी जी जेल से मुक्त होकर वापस आये। इसके बाद वे कांग्रेस के कामों में भाग लेने लगे, यद्यपि क्रांतिकारियों से उनके सम्बन्ध फिर भी बने रहे। चन्द्रशेखर आजाद जब अजमेर आये तो [illegible] के पास ही छुपकर रहे।

1907 ई. में राव गोपालसिंह खरवा और दामोदरदास राठी बंगाल के क्रांतिकारियों से सम्पर्क करने के लिए कलकत्ता गये। अगले वर्ष प्रसिद्ध क्रांतिकारी अरविन्द ब्यावर आये और राठी जी के पास रहे। राठी जी नये युग के उद्योगपति थे। राजस्थान में पहली सूती मिल कृष्णा मिल राठी जी ने ही ब्यावर में स्थापित की थी। राव गोपाल सिंह अजमेर के पास स्थित खरवा के ठिकानेदार थे। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में राजस्थान में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई, उनमें राव गोपालसिंह ने बहुत सहयोग दिया। विजयसिंह पथिक मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। पिता की मृत्यु के बाद वे अपने बहनोई के पास इन्दौर आये। इन्दौर में उनका क्रांतिकारियों से सम्पर्क हुआ और वे क्रांतिकारियों के दल में शामिल हो गये। जब राजस्थान में अंग्रेजी सेना की पुरानी तोड़ेदार बन्दूकों को बेचा जाने लगा तो पथिक जी को क्रांतिकारी दल की ओर से इन बन्दूकों को खरीदने के लिए भेजा गया। पथिक जी ने अजमेर आकर पहले रेल्वे वर्कशॉप में नौकरी की, फिर राव गोपालसिंह के सचिव बनकर उनके पास रहने लगे।

1914 ई. के अन्त में रासबिहारी बोस ने सारे भारत की सैनिक छावनियों में एक साथ विद्रोह करने की योजना बनायी। पहला महायुद्ध शुरू हो चुका था। अंग्रेज सैनिक-अधिकारी पूरा ध्यान युद्ध में लगा रहे थे। भारत से भी काफी सैनिक युद्ध में भाग लेने यूरोप भेजे गये थे। क्रांतिकारी इस स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजी शासन का अंत करना चाहते थे। क्रांति की तिथि 21 फरवरी 1915 निश्चित की गयी थी। दुर्भाग्य से, अंग्रेज अधिकारियों को इस योजना की जानकारी पहले मिल गयी और 19 फरवरी को ही क्रांति-योजना में शामिल सैनिक-नेताओं को बन्दी बना लिया गया।

राजस्थान में नसीराबाद की छावनी और अजमेर पर कब्जा करने की योजना बनायी गयी थी। इस कार्य के प्रमुख राव गोपालसिंह थे। 20 फरवरी की रात राव गोपालसिंह और पथिक जी अपने साथियों को लेकर खरवा के पास जंगलों में छुप गये। पूर्व-योजना के अनुसार एक क्रांतिकारी को रेल से यात्रा करते हुए निश्चित स्थान पर विस्फोट कर कार्य आरम्भ करने की सूचना देना था। योजना असफल हो जाने के कारण वह क्रांतिकारी नहीं आया। राव गोपालसिंह और पथिक जी ने सारी रात प्रतीक्षा की। दूसरे दिन जब उन्हें नयी परिस्थिति का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने हथियार जंगल में छुपा दिये और सभी क्रांतिकारी इधर-उधर चले गये।

कुछ समय बाद अजमेर के कमिश्नर को इस योजना का पता चल गया। वह 500 सैनिक लेकर खरवा की ओर गया। कमिश्नर ने जबरदस्ती करने के स्थान पर राव गोपालसिंह और पथिक जी को समझाया कि उनके विरुद्ध सरकार के पास कोई पक्के प्रमाण नहीं हैं। गोपाल सिंह, उनके चाचा मोड़सिंह तथा पथिक जी ने कमिश्नर की बात मानली और उन्हें मेवाड़ राज्य की सीमा के पास टाडगढ़ के किले में नजरबन्द कर दिया गया। कुछ दिन बाद यह सूचना मिली कि अंग्रेज सरकार पथिक जी को लाहौर षडयंत्र केस में शामिल करना चाहती है। तब पथिक जी छुपकर टाडगढ़ किले से निकल मेवाड़ राज्य में चले गये। कुछ दिन बाद राव गोपालसिंह और मोड़सिंह भी टाडगढ़ से भाग निकले लेकिन बाद में पकड़ गये। पथिक जी कुछ दिन मेवाड़ राज्य के गाँवों में छुपकर रहे फिर बिजोलिया चले गये। वहाँ उन्होंने बिजोलिया के किसान आन्दोलन का नेतृत्व कर सारे देश में प्रसिद्धि पाई।

1921 ई. में असहयोग आन्दोलन आरम्भ होने पर सारे देश में क्रांतिकारी गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया था। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ, यद्यपि 1920 के बाद सभी प्रमुख क्रांतिकारी पथिक जी, सेठी जी, बारैठ जी, राव गोपालसिंह आदि जेल से बाहर आ गये थे। बीसवीं शताब्दी के चौथे दशक में राजस्थान के अनेक क्रांतिकारियों ने चन्द्रशेखर आजाद और भगतसिंह के साथ 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' में काम किया। इनमें अलवर राज्य के पं. भवानी सहाय शर्मा और रुद्रदत्त मिश्र भी थे। 1932 ई. में अजमेर में इसी दल के क्रांतिकारी रामचन्द्र नरहरि बापट ने जेल महानिरीक्षक गिब्सन की हत्या का प्रयत्न किया, किन्तु गिब्सन बच गया। बापट को 11 वर्ष के जेल की सजा मिली। 1935 ई. में ज्वाला प्रसाद, रमेश चन्द व्यास और रामसिंह ने अजमेर के कुख्यात डी.एस.पी. प्राणनाथ डोगरा की हत्या करने की योजना बनायी। डोगरा घायल तो हुआ किन्तु बच गया। ये तीनों पकड़े गये। रामसिंह को सात साल की सजा देकर काला पानी भेजा गया। ज्वाला प्रसाद को पहले अजमेर और फिर बरेली जेल में नजरबंद रखा गया। व्यास जी पर आरोप प्रमाणित नहीं हुआ। 1942 ई. में उदयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर आदि अनेक स्थानों पर युवकों ने क्रांतिकारी तोड़फोड़ की। कोटा में पाँच दिन तक एक तरह से जनता का अधिकार रहा। पुलिस को कोतवाली में बंद कर दिया गया और बाहर से सहायता आने के सभी रास्ते रोक दिये गये।

राजस्थान में किसान-आन्दोलन

बीसवीं शताब्दी की शुरूआत के साथ राजस्थान में किसान-आन्दोलनों की शुरूआत भी हुई। इनमें बिजोलिया का किसान आन्दोलन सबसे महत्वपूर्ण था। बिजोलिया मेवाड़ राज्य का ठिकाना था। सारे राजस्थान में किसान सामन्ती शोषण से परेशान थे। उन्हें बेगार करने के साथ कितने ही तरह के कर व लाग भी देने पड़ते थे। जागीरदार जब मनचाहे तब नयी लाग वसूल करने लगते थे। उनके दुख-दर्दों की कहीं सुनवाई नहीं थी। बिजोलिया के किसानों की भी यही दशा थी। पहले उन्होंने उदयपुर के महाराणा तक अपनी शिकायतों को पहुँचाने का प्रयत्न किया, पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला। 1916 में पथिक जी किसानों के निमंत्रण पर बिजोलिया आये। उन्होंने पहले धीरज के साथ किसानों में चेतना जगायी, फिर 'किसान पंच-बोर्ड' का गठन किया। आन्दोलन का संचालन इसी बोर्ड के माध्यम से किया गया।

पथिक जी ने आन्दोलन को पूरी तरह अहिंसक बनाया। किसानों ने सब तरह की बेगार और लाग देने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी जमीन जोतना भी छोड़ दिया। इससे ठिकाने की आमदनी बन्द हो गई। पथिक जी के निर्देश पर किसानों ने युद्ध के लिए ऋण या चंदा देना भी बन्द कर दिया। ठिकाने की कचहरी का भी बहिष्कार किया गया। ठिकाने ने बल प्रयोग द्वारा किसानों को डराने-दबाने की कोशिश की, किन्तु किसान अपने निर्णय पर अड़े रहे। पथिक जी ने आन्दोलन के प्रचार की भी अच्छी व्यवस्था की। इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी और उनके पत्र 'प्रताप' का विशेष योगदान रहा। 'प्रताप' के माध्यम से पथिक जी और बिजोलिया का किसान आन्दोलन सारे देश में प्रसिद्ध हो गये। धीरे-धीरे भारत सरकार भी चिन्तित हुई। आन्दोलन का प्रभाव दूसरे क्षेत्रों में भी होने लगा था। फरवरी 1922 ई. में भारत सरकार ने ए. जी. जी. कर्नल ... को किसानों से वार्ता करने के लिए बिजोलिया भेजा। किसानों के प्रतिनिधियों ने भारत

सरकार के प्रतिनिधि के साथ बराबर की हैसियत से बात की। 35 लाग-बाग माफ करने पर समझौता हो गया। यह किसानों की बहुत बड़ी विजय थी।

किन्तु कुछ समय बाद ठिकाने ने समझौते को तोड़कर किसानों पर फिर नये कर लगा दिये। तब 1927 में आन्दोलन फिर शुरू किया गया। 1929 ई. में मेवाड़ के बन्दोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने फिर समझौता कराया। 1931 ई. में फिर समझौते का उल्लंघन किया गया और किसानों को आन्दोलन करना पड़ा। किसानों की समस्या का समाधान 1941 ई. में ही जाकर हो पाया। बिजोलिया के किसानों ने 20 वर्ष तक अहिंसात्मक ढंग से और पूरी एकता के साथ आन्दोलन किया। स्वयं महात्मा गांधी ने पथिक जी के नेतृत्व और बिजोलिया के किसानों की प्रशंसा की। इस आन्दोलन से अनेक नये नेता सामने आये जिनमें माणिक्यलाल वर्मा का नाम सबसे प्रमुख है।

बिजोलिया के किसानों द्वारा आन्दोलन करने के बाद, पास के दूसरे ठिकाने बेगूं के किसानों ने भी आन्दोलन शुरू किया। यहाँ के किसानों को भी पहले बल प्रयोग से डराने-दबाने के प्रयत्न किये गये। जुलाई 1923 ई. में गोविन्द पुरा नामक गाँव में किसानों पर गोली चलायी गयी। जिसमें दो किसान मारे गये। औरतों को भी अपमानित किया गया। लगभग पाँच सौ किसानों को गिरफ्तार किया गया। पर किसान डरे-दबे नहीं। मेवाड़-सरकार ने पथिकजी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें राजद्रोह के आरोप में पाँच साल की सजा दी गयी।

इसी समय कोटा और बूँदी राज्यों में भी बेगार तथा अनुचित लाग-बागों के खिलाफ किसानों ने आन्दोलन किये। इनका नेतृत्व पं. नयनूराम शर्मा ने किया। बूँदी रियासत के डाबी नामक गाँव में किसानों की एक शांति-पूर्ण सभा पर गोली चलायी गयी, जिसमें नानक भील नामक युवक मारा गया। इस आन्दोलन में महिलाओं ने भी पुलिस से संघर्ष किया। गोलीकाण्ड के बाद बहुत से किसान गिरफ्तार किये गये।

1925 ई. में अलवर राज्य के **नीमूचाणा** क्षेत्र के किसानों ने लगान बढ़ाने के खिलाफ आन्दोलन किया। इससे नाराज होकर मई 1925 में अलवर के महाराजा ने नीमूचाणा के किसानों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की। सैनिकों ने गाँव की नाकेबन्दी करके गोलियाँ चलायी और किसानों की झोपड़ियों को भी जला दिया। लगभग 100 किसान मारे गये। बड़ी संख्या में पशु तथा अन्य सम्पति आग में नष्ट हुई। राज्य सरकार ने इस घटना को छुपाने का बहुत प्रयत्न किया, किन्तु 'प्रताप' और 'तरुण राजस्थान' जैसे अखबारों ने घटना का विवरण प्रकाशित कर दिया। नीमूचाणा के हत्याकांड को दूसरा जलियावाला बाग हत्याकांड कहा गया और सारे देश में इसकी निन्दा हुई। महात्मा गांधी ने इसे 'दोहरी डायरशाही' कहकर निन्दा की।

1932-33 में अलवर राज्य के मेव-किसानों ने राज्य के अत्याचारों के विरुद्ध आन्दोलन किया। इस आन्दोलन में **गोविन्दगढ़** नामक कस्बे में राज्य- सेना ने गोली चलायी जिसमें बड़ी संख्या में मेव-किसान मारे गये। धीरे-धीरे यह आन्दोलन अलवर राज्य के सारे मेवाती क्षेत्र में फैल गया और भरतपुर राज्य तथा तत्कालीन पंजाब (अब हरियाणा) के मेवाती क्षेत्र भी इससे प्रभावित होने लगे। तब अंग्रेजी सरकार ने हस्तक्षेप किया। शांति स्थापित करने के लिए राज्य में अंग्रेजी सेना भेजी गयी और मेव-प्रधान क्षेत्र का शासन-प्रबन्ध अंग्रेज अधिकारी ने संभाल

ा। 1933 ई. में अलवर के महाराजा को राज्य छोड़कर बाहर जाने के आदेश दिये गये।

शेखावाटी के जाट-किसानों ने भी सामन्ती शोषण के विरुद्ध आन्दोलन किया। पहले ीय संगठन बनाकर जाति-सुधार एवं समाज सुधार के काम किये गये, फिर चौथे दशक के में कृषि-भूमि के बन्दोबस्त को लेकर लगानबन्दी का आन्दोलन चलाया गया। उस समय कर के ठिकाने और जयपुर के महाराजा के बीच विवाद चल रहा था। 1935 ई. में जयपुर राजा ने सीकर के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की। इससे किसानों को फायदा हुआ। सीकर के ानेदार को जयपुर महाराजा के सामने दबना पड़ा और किसानों की माँग मानी गयी।

दक्षिणी राजस्थान के भील आन्दोलन का उल्लेख भी जरूरी है। भीलों में सामाजिक ृति के काम की शुरुआत गोविन्द गुरू ने 19 वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में की। गोविन्द स्वामी दयानन्द के शिष्य थे। उन्होंने 1883 में 'संप-सभा' की स्थापना की तथा भीलों के व शराब व मांस छोड़ने, कृषि एवं मजदूरी से परिवार का पालन पोषण करने, शिक्षित बनने, देशी वस्तुओं को अपनाने और बेगार आदि नहीं करने का प्रचार किया। 1903 ई. से उन्होंने सवाड़ा जिले के मानगढ़ पहाड़ी पर वार्षिक मेला एवं यज्ञ की शुरूआत की। भीलों में गोविन्द का प्रभाव तेजी से बढ़ा और उनका आन्दोलन उदयपुर तथा सिरोही राज्यों के साथ गुजरात ईडर, विजयनगर आदि राज्यों में फैलने लगा। 1908 ई. में मानगढ़ पहाड़ी के वार्षिक मेले के वसर पर अंग्रेजी सेना ने भीलों पर आक्रमण किया। गोलीकाण्ड में लगभग 1500 भील मारे । गोविन्द गुरू पर गुजरात के एक थानेदार की हत्या में भाग लेने का आरोप लगाया गया। ले उन्हें फाँसी की सजा दी गयी, फिर अपील में उसे दस वर्ष की जेल में बदल दिया गया।

बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में **मोतीलाल तेजावत** ने भीलों में जागृति के काम को गे बढ़ाया। वे पहले उदयपुर राज्य के झाड़ोल ठिकाने में कामदार थे। भीलों के शोषण को खकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और गरीब भीलों के बीच काम करने लगे। उन्होंने भीलों को गठित कर 'एकी' आन्दोलन चलाया। महाराणा पर विश्वास कर भील-पंचों को साथ ले वे दयपुर आये और भीलों की समस्या को महाराणा तक पहुँचाया। महाराणा ने भीलों की 18 माँग नली किन्तु बेगार बन्द करने आदि से सम्बन्धित तीन मुख्य माँगें अस्वीकार कर दी। तेजावत पने साथियों को लेकर झाड़ोल क्षेत्र में वापस आ गये और भीलों को आन्दोलन के लिए तैयार रने लगे। भीलों ने बेगार करना बन्द कर दिया। मार्च 1922 ई. में विजयनगर राज्य के ालछितरिया गाँव में भील-किसानों की सभा पर भील-कोर रेजीमेण्ट के सैनिकों ने हमला कया और हजारों भील-किसानों को मार डाला। इसके बाद तेजावत अज्ञातवास में रहकर आन्दोलन चलाने लगे। मई 1922 ई. में सिरोही राज्य के दो गाँवों बालोलिया एवं भूला में राज्य क सैनिकों ने किसानों पर गोली चलायी और गाँव में आग लगा दी। 1929 ई. में गाँधीजी के निर्देश पर तेजावतजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। उदयपुर राज्य ने गिरफ्तार कर उन्हें सात वर्ष की सजा दी।

राजस्थान में किसान आन्दोलन के दिनों में दो महत्त्वपूर्ण संगठनों का विकास हुआ। 1918 ई. में दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन के समय **'राजपूताना-मध्यभारत सभा'** की ... हुई। सभा का कार्यालय कानपुर में रखा गया। जमनालालजी बजाज को सभा का

अध्यक्ष और गणेश शंकर विद्यार्थी को उपाध्यक्ष चुना गया। मार्च 1920 ई. सभा का अधिवेशन अजमेर में हुआ। पथिक जी के प्रयत्नों से अक्टूबर 1920 ई. में **'राजस्थान सेवा संघ'** की स्थापना हुई। इसका मुख्य कार्यालय अजमेर में था। पथिक जी इसके अध्यक्ष और रामनारायण चौधरी मंत्री थे। देशी राज्यों में जन-जागृति फैलाने में संघ ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। जहाँ से भी अत्याचार-गोलीकाण्डों की खबर आती थी, संघ वहाँ अपने प्रतिनिधियों को भेजकर जाँच कराता था और तथ्यों को जनता के सामने प्रस्तुत करता था। विद्यार्थीजी का पत्र 'प्रताप' इस काम में बहुत सहायक था। शीघ्र ही प्रान्त भर में संघ की शाखाएँ खुल गयी। देशी राज्यों के अत्याचारी शासक तथा अधिकारी सबसे ज्यादा संघ के नाम से डरते थे। राजस्थान के किसान आन्दोलनों में संघ ने सक्रिय काम किया और हर तरह से किसानों की सहायता की।

इन किसान-आन्दोलनों ने राजस्थान में सामन्त-विरोधी चेतना फैलाने का महत्वपूर्ण काम किया तथा सामन्ती-आतंक को कम कर सुदूर गाँवों तक में नयी चेतना का प्रसार किया। इन आन्दोलनों का प्रत्यक्ष उद्देश्य अंग्रेजी-शासन का अंत करना नहीं था, लेकिन राजस्थान में सामन्ती शासन (जो विदेशी साम्राज्यवाद का मुख्य सहायक था और जिसके माध्यम से विदेशी साम्राज्यवाद राजस्थान पर नियंत्रण किये हुए था) का अंत इन आन्दोलनों से उत्पन्न नयी चेतना के द्वारा ही संभव हुआ। इन आन्दोलनों से जो नेता और कार्यकर्त्ता सामने आये, आगे चलकर उन्होंने ही प्रजामंडल-प्रजापरिषदों का नेतृत्व किया।

जन-जागृति की शुरूआत

देशी राज्यों के स्वेच्छाचारी सामन्ती-शासन में राजनैतिक-संगठनों की स्थापना तथा उनके विकास की संभावनाएँ न्यूनतम थी। अजमेर सीधा अंग्रेजी-शासन में था, अतः यह सामन्ती-शासन की निरंकुशता से मुक्त था। राजस्थान में कांग्रेस समिति की स्थापना सबसे पहले अजमेर में ही 1920 ई. में हुई। 1921 ई. के असहयोग आन्दोलन के समय अजमेर में विदेशी-वस्त्रों के बहिष्कार का आन्दोलन चलाया गया। 1930 ई. में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय अजमेर सत्याग्रह आन्दोलन का मुख्य केन्द्र बना। राजस्थान के सभी प्रमुख नेता यहाँ सत्याग्रह करते गिरफ्तार हुए। 1932 में गांधीजी के लन्दन से वापस आने के बाद जब पुनः सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ हुआ तो अजमेर में भी फिर सत्याग्रह किया गया। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में इस सत्याग्रह में भाग लिया और जेल गयी।

राजस्थान की देशी रियासतों में सामाजिक-संस्थाओं के माध्यम से जन-जागृति का कार्य आरम्भ हुआ। चूरू में 1907 ई. में पं. कन्हैया लाल ढूंढ तथा स्वामी गोपालदास ने 'सर्वहित-कारिणी सभा' स्थापित की और बालिकाओं एवं हरिजनों के बीच शिक्षा-प्रचार के लिए काम किया। धौलपुर में यमुनाप्रसाद वर्मा ने पहले 1910 ई. में 'आचार सुधारिणी सभा' की स्थापना की, फिर आर्य समाज की स्थापना कर उसके माध्यम से समाज-सुधार के काम किये। आर्य समाज के बढ़ते प्रभाव से घबराकर राज्य के अधिकारियों ने जब आर्य-समाज मन्दिर पर कब्जा कर लिया तो उसके विरुद्ध सत्याग्रह किया गया। लगभग एक हजार सत्याग्रही आन्दोलन में शामिल हुए। अन्त में राज्य को झुकना पड़ा और आर्य समाज मन्दिर पर से कब्जा हटाना पड़ा। भरतपुर में 1912 ई. में महन्त जगन्नाथ दास अधिकारी तथा उनके साथियों ने 'हिन्दी साहित्य

समिति' की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से ही शुरू में भरतपुर में जन-जागृति का कार्य आगे बढ़ा। भरतपुर के महाराजा किशनसिंह ने भी संस्था को सहयोग दिया। जोधपुर में चाँदमल सुराणा तथा उनके साथियों ने 'मारवाड़ सेवा-संघ' स्थापित कर 1920-21 में राज्य में 80 तोला के अंग्रेजी सेर के प्रचलन का विरोध किया। उस समय मारवाड़ में 100 तोला का सेर प्रचलन में था। संघ ने 1922-24 में राज्य से मादा-पशुओं की निकासी के विरुद्ध भी आन्दोलन किया। 1924 ई. में संघ के स्थान पर 'मारवाड़ हितकारिणी सभा' का गठन किया गया। श्री जयनारायण व्यास इस सभा के माध्यम से ही सार्वजनिक जीवन में आये।

करौली में कुँवर मदनसिंह ने 1927 ई. में किसानों की दशा सुधारने के लिए बेगार-विरोधी आन्दोलन चलाया। उन्होंने उर्दू के स्थान पर हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए भी आन्दोलन किया। प्रतापगढ़ में रामलाल मास्टर तथा उनके युवा साथियों ने 1931-32 में खादी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रसार के लिए आन्दोलन चलाया। राज्य ने उनके इन कामों को भी खतरनाक माना और तीन युवकों को गिरफ्तार कर तीन-तीन माह की सजा दी। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी प्रधान क्षेत्र में पहले गोविन्द गुरु और फिर मोतीलाल तेजावत ने भीलों को संगठित कर उनके बीच समाज-सुधार के काम किये। डूँगरपुर राज्य में श्री ठक्कर बापा की प्रेरणा से 1935 ई. में भोगीलाल पंड्या ने 'हरिजन-सेवा समिति' की स्थापना की और अछूतोद्धार का काम किया। बाद में श्री माणिक्य लाल वर्मा ने 'बागड़ सेवा-मन्दिर' की स्थापना कर भीलों के बीच शिक्षा-प्रचार तथा सामाजिक कुरीतियों के निवारण का काम किया।

महात्मा गांधी पहले देशी राज्यों में कांग्रेस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के पक्ष में नहीं थे। इसी कारण अलवर राज्य के नीमूचाणा गोलीकाण्ड की निन्दा करते हुए भी उन्होंने कांग्रेस द्वारा इस प्रसंग में कोई कार्यवाही करने का समर्थन नहीं किया था। 1938 ई. में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में इस सम्बन्ध में नया निर्णय किया गया और कांग्रेस-जनों को देशी राज्यों में सामन्तशाही का विरोध करने के लिए संगठन बनाने की अनुमति दे दी गयी। यह निर्देश दिया गया कि देशी राज्यों में प्रतिनिधि-मूलक उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आन्दोलन चलाने के काम में कांग्रेस के नाम का उपयोग नहीं किया जाये।

प्रजामण्डल-प्रजापरिषदों की स्थापना

देशी राज्यों में जन जागृति का कार्य 20 वीं शताब्दी के आरम्भ से ही शुरू हो गया था। कांग्रेस अधिवेशनों के समय देशी राज्यों के कार्यकर्ता भी एकत्र होते थे और अपनी समस्याओं पर विचार-विमर्श करते थे। 1927 ई. में ऐसे कार्यकर्ताओं ने मिलकर 'अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद' की स्थापना की। अगले वर्ष राजस्थान में इसकी शाखा 'राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद्' के नाम से स्थापित की गयी। कुछ देशी राज्यों में 1938 ई. से पहले ही कांग्रेस समिति अथवा प्रजामंडल की स्थापना के प्रयत्न भी किये गये। 1931 ई. में जयपुर में कपूरचंद पाटनी ने प्रजामंडल की स्थापना की लेकिन वे अधिक सहयोग पाने में सफल नहीं हुए और प्रजामंडल निर्जीव हो गया। 1936 ई. के अंत में श्री जमनालाल बजाज की प्रेरणा से प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। चिरंजीलाल मिश्रा एडवोकेट प्रजामंडल के अध्यक्ष और हीरालाल सचिव चुने गये। पं. नयनूराम शर्मा ने 1934 ई. में 'हाड़ौती प्रजामंडल' की स्थापना की,

लेकिन कुछ समय बाद यह संस्था बेजान होगयी। बीकानेर में मघाराम वैद्य ने 1936 ई. में 'बीकानेर प्रजामंडल' की स्थापना की। बीकानेर के महाराजा गंगासिंह ने तत्काल कार्यवाही और वैद्यजी को 6 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया गया। बीकानेर में प्रजामंडल बनाने का पहला प्रयत्न असफल हो गया। अलवर में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के नेताओं के सहयोग से 1937 ई. में कांग्रेस-समिति की स्थापना की गयी। यहाँ भी राज्य शासन ने तत्काल कार्यवाही कर नवगठित कांग्रेस समिति के नेताओं को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें एक से दो वर्ष तक के कारावास की सजा दी गयी। भरतपुर में भी 1937 ई. में कांग्रेस-मंडल की स्थापना हुई।

हरिपुरा कांग्रेस के निर्णय के बाद राजस्थान के देशी राज्यों में प्रजामंडल-प्रजापरिषदों स्थापना के काम को नयी दिशा मिली और अगले चार-पाँच वर्षों में लगभग सभी देशी राज्यों में ऐसी संस्थाओं का गठन हो गया। मेवाड़ (उदयपुर) में श्री माणिक्यलाल वर्मा के प्रयत्नों से अप्रेल 1938 ई. में 'मेवाड़ प्रजामंडल' का गठन हुआ। श्री बलवन्तसिंह को प्रजामंडल का अध्यक्ष और वर्माजी को सचिव चुना गया। महाराजा की सरकार ने मई में प्रजामण्डल को अवैध घोषित कर दिया। इस पर अक्तूबर से प्रजामण्डल के नेताओं ने सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया। सत्याग्रह में सभी नेता गिरफ्तार कर लिये गये तथा वर्मा जी को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। वे अजमेर जाकर रहने लगे और वहीं से सत्याग्रह का संचालन करते रहे। फरवरी 1939 में राज्य के जासूस छल से वर्मा जी को पकड़ लाये। उनके साथ मारपीट की गयी और देशद्रोह के आरोप में दो साल की सजा दी गयी। दो-ढाई वर्ष के संघर्ष के बाद फरवरी 1941 में ही प्रजामण्डल से पाबन्दी हटाई गयी।

मई 1938 ई. में जोधपुर में 'मारवाड़ लोक-परिषद' की स्थापना की गयी। परिषद का उद्देश्य महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। 1939 ई. में मारवाड़ में अकाल पड़ा तो परिषद के कार्यकर्ताओं ने अकाल पीड़ितों की मदद करने के लिए खूब काम किया। इससे जनसाधारण में परिषद की लोकप्रियता बढ़ी। परिषद की लोकप्रियता से घबराकर राजशाही ने फरवरी 1940 ई. में परिषद को अचानक गैर-कानूनी घोषित कर दिया और जयनारायण व्यास तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। परिषद के कार्यकर्त्ताओं ने राजशाही के इस कार्य के विरोध में आन्दोलन शुरू किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। गांधीजी ने भी अपने समाचार पत्र 'हरिजन' में राजशाही की निन्दा की। अन्त में परिषद और राजशाही के बीच में समझौता हो गया। परिषद ने अपना पंजीकरण कराना स्वीकार किया तथा राजशाही ने परिषद के उद्देश्य (उत्तरदायी शासन की स्थापना) को मान्यता दी। समझौते के बाद सभी गिरफ्तार नेता-कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया।

जयपुर में श्री जमनालाल बजाज की प्रेरणा से 1936 के अंत में प्रजामण्डल का पुर्नगठन हुआ था। 1938 ई. में प्रजामण्डल का पहला खुला सम्मेलन जयपुर में ही हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता जमनालाल जी ने की। 1938-39 में जयपुर में अकाल पड़ा तो प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं ने पूरी लगन से अकाल पीड़ितों की सहायता की। जमनालाल जी इन कार्यों में भाग लेने के लिए जब जयपुर आने लगे तो सरकार ने राज्य में उनके प्रवेश पर अचानक पाबन्दी

लगा दी। कुछ समय बाद सरकार ने प्रजामण्डल को भी गैर-कानूनी घोषित कर दिया। फरवरी 1939 में जमनालाल जी तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रजामण्डल के बाहर रह गये नेताओं ने तब सत्याग्रह आरम्भ किया जिसमें 600 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। मार्च में गांधीजी की सलाह पर सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया और सरकार से वार्ता आरम्भ हुई। कई माह की बातचीत के बाद अगस्त में समझौता हुआ जिसके अनुसार एक ओर प्रजामण्डल ने अपना पंजीकरण कराना स्वीकार किया तो दूसरी ओर सरकार को भी प्रजामंडल के काम करने के अधिकार को स्वीकार करना पड़ा। 1940 ई. में हीरालाल शास्त्री प्रजामण्डल के अध्यक्ष बने।

राजस्थान के अन्य राज्यों में भी लगभग ऐसी ही घटनाएं हुई। बीकानेर में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 ई. में बीकानेर राज्य प्रजा-परिषद की स्थापना की जिस पर श्री गोयल को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। 1939 ई. में श्री नयनूराम शर्मा ने कोटा राज्य प्रजामण्डल की स्थापना की। अक्टूबर 1941 ई. में शर्मा जी की किसी गिरोह ने हत्या कर दी। भरतपुर में भी 1938 ई में प्रजामण्डल बनाया गया। अप्रेल 1939 में मंडल ने राज्य सरकार से मान्यता पाने के लिए सत्याग्रह शुरू किया। 6 माह तक सत्याग्रह आन्दोलन चला जिसके बाद सरकार से समझौता हुआ। प्रजामण्डल का नाम बदलकर 'प्रजा परिषद' कर दिया गया तथा सरकार ने उसे मान्यता प्रदान कर दी। अलवर में कांग्रेस कमेटी ने 1938 ई. में स्कूलों में फीस लगाने के विरूद्ध आन्दोलन किया। राज्य में इससे पहले शिक्षा निशुल्क थी। फीस-विरोधी आन्दोलन में कांग्रेस के प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें राजद्रोह के आरोप में सजाएं दी गई। कुछ नेता 1937 के मुकदमों में सजा पाकर पहले से ही जेल में बन्द थे। सभी प्रमुख नेताओं के जेल चले जाने पर कांग्रेस कमेटी निष्क्रिय हो गयी। 1939 ई. में बाहर रहे नेताओं ने प्रजामण्डल की स्थापना की। राजशाही सरकार से लम्बे पत्र-व्यवहार के बाद अगस्त 1940 ई. में अलवर प्रजामण्डल का पंजीकरण कर उसे मान्यता दी गई। करौली में सितम्बर 1938 में कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई। धौलपुर में 1938 ई. में प्रजामण्डल की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इन्दु ने की। सिरोही में प्रजामण्डल की स्थापना श्री गोकुल भाई भट्ट द्वारा जनवरी 1939 ई. में की गई। शाहपुरा और किशनगढ़ जैसे छोटे राज्यों में भी 1938-39 ई. में प्रजामण्डल बने।

सामन्तशाही के विरुद्ध अन्तिम-संघर्ष

पाँचवा दशक देश मे स्वाधीनता के लिए अन्तिम संघर्ष का दशक था। राजस्थान के विभिन्न देशी राज्यों में प्रजापरिषद या प्रजामण्डल स्थापित हो चुके थे और शुरूआती संघर्षों के द्वारा उन्होने सामन्तशाहियों को ऐसे संगठनों की वैधता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था। पंजीकरण अथवा मान्यता प्राप्त करने के बाद प्रजामण्डल तथा प्रजापरिषदों ने उत्तरदायी शासनों की स्थापना के लिए संघर्षों की शुरूआत की। देश की परिस्थिति तेजी से बदल रही थी। यह समय राजनैतिक-चेतना के तीव्र विकास का समय था। राजनैतिक-चेतना के इस तीव्र विकास ने ही अंत में राजस्थान को शताब्दियों पुराने सामंती-शासन से मुक्त किया।

जोधपुर में 1941 ई. में नगर-पालिका के चुनाव हुए जिसमें मारवाड़ लोक परिषद को बहुमत मिला। व्यास जी नगरपालिका के अध्यक्ष बने, किन्तु सरकारी हस्तक्षेप के कारण उन्हें कामकाज में बाधा होने लगी। जोधपुर का प्रधानमंत्री उस समय एक अंग्रेज अफसर डोनाल्ड फील्ड था। वह लोक परिषद का घोर विरोधी था। उसके हस्तक्षेप से विवश होकर अंत में, लोकपरिषद को उसे हटाने के लिए आन्दोलन की शुरूआत करनी पड़ी। मई 1942 मे व्यासजी तथा अन्य नेताओं ने नगर-पालिका से स्तीफा दे दिया और सत्याग्रह शुरू किया। शीघ्र ही व्यास जी तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महिलाएं भी बड़ी संख्या में गिरफ्तार हुई। बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध व्यास जी तथा अन्य नेताओं ने जेल में भूख हड़ताल की। जून मे बाल मुकन्द बिस्सा भूख हड़ताल करते शहीद हो गये।

अगस्त में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन शुरू होने के बाद जोधपुर में सत्याग्रह और तेज हो गया। जोधपुर के नौजवान विद्यार्थी भी अब सक्रिय हो गये। अक्तूबर में छात्रों ने पहला बम विस्फोट किया जिसके बाद अनेक छात्र नेता पकड़े गये। अप्रेल 1943 ई में छात्रों के एक अन्य समूह ने स्टेडियम तथा अन्य स्थानों पर बम विस्फोट किये और फिर बहुत से छात्र नेता पकड़े गये। अगले वर्ष 1944 ई. में लोक-परिषद तथा राज्य सरकार के बीच वार्ता आरम्भ हुई और मई में व्यास जी एवं अन्य नेता जेल से छोड़े गये। परिषद ने अपनी ओर से यह आश्वासन दिया कि वह महायुद्ध सम्बन्धी कार्यों में बाधा नहीं डालेगी।

अक्तूबर 1945 ई. में जवाहरलाल नेहरू जोधपुर आये। महाराजा उमेदसिंह उनसे भेंट करने उनके निवास पर गये और कांग्रेस के कामों के लिए उन्हें पच्चीस हजार की थैली भेंट की। नेहरू जी के सुझाव पर उन्होने डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर एक भारतीय अधिकारी सी एम वैंकटाचारी को जोधपुर का प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया। इससे राज्य-सरकार और परिषद के बीच सम्बन्धों में बड़ा सुधार हुआ। किन्तु , 1947 ई. के आरम्भ में महाराजा उमेद सिंह का अचानक निधन हो गया। नये महाराजा हनुवन्त सिंह ने परिषद विरोधी रुख अपनाया। उन्होने सामंती-तत्व तथा जागीरदारों को परिषद-विरोधी कार्य करने के लिए भी उकसाया। मार्च 1947 ई. में नागौर जिला के डावड़ा गांव में सामंती-तत्वों ने परिषद द्वारा आयोजित किसान-सम्मेलन पर हमला किया जिसमें पांच कार्यकर्त्ता मारे गये। राज्य सरकार ने हमलावरों पर कार्यवाही करने के स्थान पर परिषद के नेताओं पर मुकदमें दायर किये।

विदेशी सरकार ने भारत को स्वाधीनता देने के निश्चय के साथ देशी राज्यों के शासकों को यह अधिकार दिया कि वे भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय स्वयं करेंगे। जोधपुर राज्य की सीमा पाकिस्तान के सिन्ध प्रांत से मिलती थी। महाराजा ने इस भौगोलिक परिस्थिति का लाभ उठाकर पाकिस्तान में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता जिन्ना से वार्ता आरम्भ की। अनेक नाटकीय घटनाओं के बाद 14 अगस्त को ही महाराजा ने भारतीय संघ में शामिल होने की सन्धि पर हस्ताक्षर किये। भारतीय-संघ में शामिल होने के बाद भी वे अपने को जोधपुर का निरंकुश राजा मानते रहे। अक्तूबर में उन्होंने प्रधानमंत्री वैंकटाचारी को हटाकर अपने एक चाचा को प्रधानमंत्री बना दिया। 18 वर्ष के एक राजपूत युवक को गृहमंत्री बनाया गया। जनता में इसकी उग्र प्रतिक्रिया हुई। भारत सरकार के रियासती विभाग के सचिव वी.पी. मेनन

के समझाने पर महाराजा ने फरवरी 1948 में व्यास जी को प्रधानमंत्री बनाकर लोक-परिषद एवं सामंतों का मिलाजुला मंत्रीमण्डल बनाया। दिसम्बर में व्यास जी ने नया मंत्रिमण्डल बनाया जिसमें पहली बार लोक परिषद को बहुमत मिला।

'भारत छोड़ो' आन्दोलन शुरू होने के बाद मेवाड़ प्रजामण्डल ने भी आन्दोलन शुरू किया। श्री माणिक्यलाल वर्मा ने अपने साथियों के साथ विचार-विमर्श करके मेवाड़ के महाराणा को अल्टीमेटम दिया कि वे 24 घंटे में अंग्रेजी शासन से सम्बन्ध विच्छेद करें नहीं तो आन्दोलन किया जायेगा। राज्य सरकार ने वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया। शीघ्र ही सारे मेवाड़ राज्य में आन्दोलन फैल गया। अनेक दिनों तक उदयपुर में हड़ताल रही और शिक्षा संस्थाएं बंद रहीं। बड़ी संख्या में नेता तथा छात्र गिरफ्तार किये गये। 1943 ई. में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी. विजयराघवाचार्य ने श्री [illegible] को उदयपुर आमंत्रित कर उनके माध्यम से प्रजामण्डल से समझौता करने का प्रयत्न किया, किन्तु समझौता नहीं हो सका। 1944 ई. में सरकार ने धीरे-धीरे सत्याग्रहियों को मुक्त करना शुरू किया।

1945 ई. के अन्तिम दिन (31 दिसम्बर) और 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा-परिषद का छठाँ अधिवेशन हुआ। श्री जवाहरलाल नेहरू ने अधिवेशन की अध्यक्षता की। उदयपुर के महाराणा भूपालसिंह ने नेहरू जी को भेंट के लिए जगमन्द आमंत्रित किया और कांग्रेस के लिए पच्चीस हजार रुपये भेंट किये। फरवरी 1947 ई. में महाराणा ने राज्य में विधान-सभा स्थापित करने तथा उसमें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करने की घोषणा की। मार्च में भावी संविधान की रूपरेखा की घोषणा भी की गई। इसके अनुसार विधान-सभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत होना था। पर प्रजामण्डल ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि विधान-सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या काफी अधिक रखी गयी थी। महाराणा ने फिर प्रसिद्ध विधिवेत्ता और कांग्रेसी नेता श्री के. एम. मुंशी को अपना वैधानिक सलाहकार बनाया तथा उन्हें मेवाड़ का नया संविधान बनाने का दायित्व सौंपा। मई में महाराणा ने नये संविधान को लागू कर प्रजामण्डल के दो तथा क्षत्रिय-परिषद के एक सदस्य को लेकर अन्तरिम मंत्रीमण्डल का गठन किया। अगस्त में महाराणा ने भारतीय संघ में शामिल होने की संधि पर भी हस्ताक्षर कर दिये।

फरवरी 1948 में विधान-सभा के चुनावों की प्रक्रिया शुरू हुई। मार्च में महाराणा और प्रजामण्डल के बीच बातचीत के बाद प्रजामण्डल के बहुमत वाले मंत्रीमण्डल बनाने का समझौता हुआ। प्रधानमंत्री का पद भी प्रजामण्डल को मिला। मार्च के अन्तिम सप्ताह में नये मंत्रीमण्डल की नियुक्ति की घोषणा भी कर दी गई। अप्रेल में महाराणा ने मेवाड़ राज्य को संयुक्त राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया।

बीकानेर के महाराजा गंगासिंह बड़े प्रबुद्ध शासक थे। अपने राज्य के विकास तथा उसे आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने विशेष प्रयत्न किये। पर वे निरंकुश शासक भी थे और अपने राज्य में किसी तरह की राजनैतिक गतिविधि को सहन नहीं करते थे। उनके राज्य में तिरंगा झण्डा फहराना भी अपराध था। दिसम्बर 1942 ई. में राज्य के कार्यकर्त्ताओं ने झण्डा सत्याग्रह किया। फरवरी 1943 ई. में महाराज गंगासिंह के देहान्त के बाद शार्दूलसिंह नये महाराजा बने। उन्होंने

राजनैतिक बन्दियों को तो रिहा करना शुरू कर दिया किन्तु प्रजा-परिषद पर पाबन्दी बनी रही। जुलाई 1946 ई. में ही बीकानेर में प्रजा-परिषद का कार्यालय खुले रूप में स्थापित हो सका।

1946 ई. के मध्य तक देश को स्वाधीनता मिलना निश्चित हो चुका था। बीकानेर में भी अब परिस्थितियां बदली। अगस्त 1946 में शासन सुधार के लिए दो समितियाँ नियुक्त की गई। दिसम्बर में राज्य में नया संविधान भी लागू किया गया। मार्च 1947 में प्रजा-परिषद तथा राज्य सरकार के बीच बातचीत के बाद अन्तरिम सरकार बनाने तथा नयी विधान-सभा के चुनाव कराने के लिए समझौता हुआ। अप्रेल में बीकानेर राज्य ने देश की संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि भेजा। अगस्त में बीकानेर राज्य भारतीय संघ में शामिल हो गया।

जयपुर में 1942 ई. में प्रजामण्डल की ओर से कोई आन्दोलन नहीं हुआ। उस समय श्री हीरालाल शास्त्री प्रजामण्डल के अध्यक्ष थे। जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल और उनके बीच अच्छा तालमेल था। तब बाबा हरिश्चन्द्र के नेतृत्व में प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं ने 'आजाद-मोर्चा' बनाकर आन्दोलन शुरू किया। आन्दोलन में बहुत से नेता गिरफ्तार हुए। 1943 ई. में जब देश में अगस्त-क्रांति का उभार कम होने लगा तो जयपुर की सरकार ने धीरे-धीरे गिरफ्तार नेता एवं सत्याग्रहियों को छोड़ना शुरू कर दिया। अक्तूबर 1945 ई. में नेहरू जी जयपुर आये। उनकी पहल से प्रजामण्डल में फिर एकता स्थापित हुई और आजाद मोर्चा के नेता प्रजामण्डल में वापस शामिल हो गये। मई 1946 ई. में जयपुर में विधान-सभा एवं विधान-परिषद की स्थापना की गयी। प्रजामण्डल के प्रतिनिधि के रूप में श्री देवीशंकर तिवारी को राज्य मंत्रीमण्डल में भी शामिल किया गया। मार्च 1947 ई. में राज्य के नये मंत्रीमण्डल में शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके अलावा प्रजामण्डल की ओर से तीन अन्य नेता भी मंत्रीमण्डल में शामिल किये गये।

राज्य सरकार से पंजीकरण मिलने के बाद अलवर प्रजामण्डल ने जन-साधारण की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया। जून 1941 ई. में राजगढ़ में जागीरी-क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन किया गया। अक्तूबर में अलवर शहर में खादी-प्रदर्शनी का आयोजन हुआ जिसका उद्घाटन महादेव भाई देसाई ने किया। 1942 ई. के आन्दोलन के समय कुछ युवक डाकखाना जलाने की कोशिश में गिरफ्तार हुए। 1943 ई. में कस्तूरबा गांधी के निधन पर छात्रों ने हड़ताल की। प्रजामण्डल का पहला खुला अधिवेशन 1944 ई. में खैरथल कस्बे में हुआ। अगले वर्ष अलवर में मध्यभारत एवं राजपूताना के देशी-राज्यों के नेताओं-कार्यकर्ताओं का एक शिविर हुआ जिसमें देशी-राज्यों में उत्तरदायी शासन के लिए किये जाने वाले आन्दोलनों की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। 1946 ई. की शुरूआत में खेड़ा मंगलसिंह नामक गांव में विशाल किसान सम्मेलन किया गया। सम्मेलन को असफल करने के लिए राजशाही ने सम्मेलन से पहले ही अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में अलवर शहर में कई दिन तक हड़ताल रही। अगस्त माह में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए सत्याग्रह किया गया, जिसमें लगभग 400 सत्याग्रही गिरफ्तार हुए।

1947 ई. के आरम्भ से राज्य में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने लगा। प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं ने अब साम्प्रदायिक शांति की स्थापना पर ध्यान दिया और ग्रामीण-क्षेत्रों के दौरे

करने लगे। जुलाई में राज्य सरकार ने भारतीय संविधान-सभा में अपना प्रतिनिधि भेजने की घोषणा की। अक्तूबर में महाराजा की ओर से लोकप्रिय मंत्रीमण्डल बनाने का प्रस्ताव किया गया किन्तु प्रजामण्डल ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि प्रजामण्डल को मंत्रीमण्डल में एक ही स्थान दिया गया था। दिसम्बर में महाराजा ने दो वर्ष की अवधि में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा की। 1948 ई. की शुरुआत के साथ राज्य में घटना चक्र तेजी से चला। जनवरी में महाराजा ने 25 सदस्यों की अन्तरिम परामर्शदात्री समिति स्थापित करने की घोषणा की। महात्मा गांधी की हत्या के बाद यह सन्देह किया गया कि हत्या के षडयंत्र में अलवर राजशाही का भी कुछ हाथ था। फरवरी के शुरू में जनता ने राजशाही के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन किये। भारत सरकार ने महाराजा तथा राज्य के प्रधानमंत्री को दिल्ली बुलाया और फिर सैनिक कार्यवाही कर अलवर राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अलवर के नागरिक सामंती शासन से मुक्त हुए।

'भारत-छोड़ो' आन्दोलन शुरू होने के बाद कोटा में जनता ने पुलिस को बैरकों में बन्द कर दिया तथा नगर में जनता-प्रशासन की स्थापना की। लगभग दो सप्ताह बाद महारावल द्वारा किसी प्रकार का दमन नहीं किये जाने के आश्वासन पर पुलिस को मुक्त किया गया। इसके बाद कोटा राज्य में शांति रही। राजस्थान के अन्य राज्यों के साथ अगस्त 1947 में कोटा भी भारतीय-संघ में शामिल हो गया। 1948 ई. में महारावल ने लोकप्रिय मंत्रीमण्डल का गठन करने की भी घोषणा की। भरतपुर प्रजा-परिषद ने भी अगस्त 1942 ई. सत्याग्रह शुरू किया किन्तु राज्य में बाढ़ आने के कारण आन्दोलन स्थगित करना पड़ा और परिषद के कार्यकर्त्ता बाढ़-पीड़ितों की सहायता में जुट गये। अक्तूबर में परिषद तथा राज्य के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई। राज्य ने निर्वाचित बहुमत वाली विधान-सभा बनाना स्वीकार कर लिया। समझौते के बाद गिरफ्तार सत्याग्रहियों को मुक्त कर दिया गया। 1943 ई. में ब्रज जया प्रतिनिधि-समिति (विधान-सभा) के चुनाव हुए जिसमें प्रजा-परिषद को बहुमत मिला। 1945 में एक बार फिर संघर्ष की स्थिति बनी जब कि राजशाही के हस्तक्षेप से परेशान होकर परिषद ने प्रतिनिधि-समिति का बहिष्कार कर दिया। पहले तो सरकार ने दमन किया और नेताओं को गिरफ्तार कर उन्हें राज्य-द्रोह में सजा दी गई, किन्तु बाद में परिषद और राजशाही के बीच समझौता हो गया और गिरफ्तार नेता रिहा कर दिये गये। जनवरी 47 में वायसराय लार्ड वेवल के भरतपुर आगमन पर फिर संघर्ष हुआ। परिषद ने बेगार लेने के विरूद्ध आन्दोलन किया तो सरकार दमन पर उतर आई। भुसावर कस्बे में एक प्रमुख कार्यकर्ता रमेश स्वामी सत्याग्रह करते शहीद हुए। बहुत से अन्य नेता भी सत्याग्रह में घायल हुए। बाद में देश की बदलती स्थितियों को ध्यान में रख कर सरकार ने अपनी नीति बदली। नेताओं को धीरे-धीरे छोड़ दिया गया। दिसम्बर 1947 ई. में परिषद के प्रतिनिधियों को मंत्रीमण्डल में भी शामिल किया गया।

राजस्थान के अनेक छोटे राज्यों में प्रजामण्डल अथवा प्रजा-परिषदों का गठन काफी देर से हुआ। तब तक देश की स्थिति बदल चुकी थी और भारत की स्वाधीनता तथा अंग्रेजी-राज का अंत निश्चित हो चुका था। इस कारण इन राज्यों में अधिक संघर्ष नहीं हुआ। झालावाड़ के महाराजा हरिश्चन्द्र सिंह तो स्वयं प्रजामण्डल में शामिल हो गये और उनके नेतृत्व में वहां उत्तरदायी मंत्रीमण्डल का गठन हुआ। शाहपुरा में 1946 ई. में वहां के नेता श्री गोकुल

लाल असावा की अध्यक्षता में संविधान-सभा बनायी गयी। संविधान सभा ने जो जनतांत्रिक संविधान बनाया, महाराजा ने उसे स्वीकार कर लिया। 14 अगस्त 1947 को वहां प्रो. असावा के नेतृत्व में मंत्रीमण्डल भी बन गया।

दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी-प्रधान राज्य डूँगरपुर में अगस्त 1944 ई. में प्रजामण्डल का गठन हुआ। अप्रेल 1946 में प्रजामण्डल का पहला खुला सम्मेलन हुआ। इसी वर्ष प्रजामण्डल ने अकाल-पीड़ित आदिवासी किसानों से लेवी-वसूली करने के खिलाफ आन्दोलन किया जिसमें अनेक नेता गिरफ्तार हुए। जेल में उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, किन्तु बाद में मेवाड़ के प्रमुख नेताओं के हस्तक्षेप से प्रजामण्डल और सरकार के बीच समझौता हो गया तथा गिरफ्तार नेता छोड़ दिये गये। डूंगरपुर में बागड़ सेवा-संघ द्वारा संचालित पाठशालाओं को राज्य द्वारा बंद करने पर भी संघर्ष हुआ जिसमें दो आदिवासी नाना भाई खाट और कालीबाई शहीद हुए। दिसम्बर 1947 में डूंगरपुर के महारावल ने प्रजामण्डल के प्रतिनिधियों को मंत्रीमण्डल में शामिल किया। अप्रेल 1948 में प्रजामण्डल के नेता श्री गौरीशंकर उपाध्याय को प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया। बाँसवाड़ा राज्य में प्रजामण्डल की स्थापना 1943 ई. में हुई। शुरू में प्रजामण्डल और राजशाही के बीच संघर्ष हुआ किन्तु फिर समझौता हो गया। 1946 ई. में राज्य में विधान-सभा के चुनाव कराये गये जिनमें प्रजामण्डल को बहुमत मिला। प्रजामण्डल के प्रतिनिधियों को इसके बाद मंत्रीमण्डल में भी शामिल कर लिया गया। 1948 ई. के आरम्भ में प्रजामण्डल के नेता भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। एक और आदिवासी-प्रधान राज्य प्रतापगढ़ में प्रजामण्डल का गठन 1945 ई. में हुआ। 1948 ई. में वहाँ भी मंत्री-मण्डल में प्रजामण्डल के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। बूँदी में 1944 ई. में लोक-परिषद की स्थापना हुई। उसी वर्ष बूँदी के महाराव ने राज्य में विधान-सभा बनाने और लोकप्रिय मंत्री-मण्डल का गठन करने की घोषणा कर दी।

सामन्तशाही का अन्त

15 अगस्त 1947 ई. से पहले राजस्थान के सभी देशी राज्यों ने भारतीय-संघ में शामिल होने की संधियों पर हस्ताक्षर कर दिये थे। बदली हुई परिस्थितियों को समझकर 1947 ई. के उत्तरार्ध में धीरे-धीरे सभी राज्यों में प्रजामण्डल या प्रजा-परिषदों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर लोकप्रिय मंत्रीमण्डलों का गठन किया गया। यद्यपि महाराजा-महाराणा बने रहे किन्तु शासन में जनता की भागीदारी बढ़ गई। 1948 ई. के आरम्भ में भारत-सरकार ने राजस्थान के विभिन्न देशी राज्यों को परस्पर मिलाकर नये राज्यों के गठन की प्रक्रिया आरम्भ की। यह बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। इसके साथ राजशाही के पूर्ण अन्त की प्रक्रिया आरम्भ हुई। सबसे पहले मार्च 1948 ई. में पूर्वी राजस्थान के चार राज्यों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य-संघ का निर्माण हुआ। अलवर प्रजामण्डल के नेता श्री शोभाराम मत्स्य-संघ के प्रधानमंत्री बने और धौलपुर के महाराजा को संघ का राजप्रमुख बनाया गया। इसी माह दक्षिणी राजस्थान के नौ राज्यों को मिलाकर संयुक्त-राजस्थान बनाया गया। इनमें कोटा सबसे बड़ा राज्य था, अतः कोटा के महाराव को राजप्रमुख बनाया गया। शाहपुरा के नेता प्रो. गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री बने। कोटा तथा शाहपुरा के अलावा संयुक्त-राजस्थान में बूँदी, झालावाड़,

टोंक, किशनगढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बाँसवाड़ा राज्य शामिल थे। अप्रेल में महाराणा भूपालसिंह ने मेवाड़ राज्य को भी संयुक्त-राजस्थान में सम्मिलित करने पर सहमति दे दी। तब महाराणा को संयुक्त-राजस्थान का महाराजा-प्रमुख बनाया गया और श्री माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में नये मंत्रीमण्डल का गठन किया गया। उदयपुर नये राज्य की राजधानी बना।

राजस्थान के सभी राज्यों को मिलाकर एक वृहद् राजस्थान के निर्माण का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। जयपुर, बीकानेर तथा जोधपुर जैसे बड़े राज्य और सिरोही एवं जैसलमेर के छोटे राज्य अभी संयुक्त राजस्थान से बाहर थे। सिरोही राज्य का प्रबन्ध मई 1948 में बम्बई राज्य को दे दिया गया। जैसलमेर पाकिस्तान का सीमावर्ती राज्य था और वहाँ पाकिस्तान द्वारा आक्रमण करने का खतरा था। अतः भारत सरकार ने राज्य का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया था। 1948 ई. के अन्त में भारत सरकार के रियासती विभाग ने जयपुर, जोधपुर तथा बीकानेर के महाराजाओं से राजस्थान में विलय की बातचीत आरम्भ की। शीघ्र ही तीनों महाराजा विलय के लिए सहमत हो गये। 30 मार्च 1949 ई. को सरदार वल्लभभाई पटेल ने जयपुर में वृहद् राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया। जयपुर के महाराजा मानसिंह को नये राज्य का राजप्रमुख बनाया गया और श्री हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। जयपुर नये राज्य की राजधानी बना। मई 1949 ई. मत्स्य-संघ का विलय भी राजस्थान में हो गया। जनवरी 1950 में सिरोही राज्य के राजस्थान में विलय के बाद अजमेर के केन्द्र शासित भाग को छोड़कर सारा राजस्थान एक राज्य बन गया। यद्यपि महाराजप्रमुख तथा राजप्रमुख जैसे औपचारिक पद अभी बने हुए थे किन्तु राजस्थान में सामन्ती शासन समाप्त हो गया। 1956 ई. में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अजमेर भी राजस्थान में शामिल हो गया और राज-प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। अब सारा राजस्थान एक था और सामन्ती शासन का कोई चिन्ह शेष नहीं रह गया था। ●

अलवर :
साम्राज्यवाद-सामंतवाद से मुक्ति का संघर्ष



अलवर रियासत में नवजागरण

❑ डॉ. जीवन सिंह मानवी

अलवर का इतिहास बहुत पुराना है। इस अंचल ने इतिहास में न जाने कितने घटना-चक्रों और उनके नायकों को देखा है। इसलिए इसका कोई एक तरह का इतिहास न होकर विभिन्नताओं एवं विविधताओं का सतत बदलता हुआ इतिहास है। पौराणिक काल से लगाकर ऐतिहासिक काल तक की अनेक कहानियाँ अलवर के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। अलवर-दुर्ग की पहाड़ियों के बगल में प्रतापबंध से ऊपर की छोटी-सी उपत्यका में आज भी 'रावण देवरा' के खंडहर इसके बसने-उजड़ने के ऐतिहासिक प्रमाण हैं।

भारत के प्राचीन इतिहास में उल्लिखित 'मत्स्य जनपद' का संबन्ध इस अंचल से माना जाता है। 10 वीं 11 वीं सदी में इस अंचल पर गुर्जर-प्रतिहारों का शासन रहा। मध्यकालीन राजपूत काल तथा मुगलकाल से इसके इतिहास की कड़ियाँ स्पष्टतः जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। इसके 'बाला किला' से क्षत्रियों की एक पुरानी शाखा 'निकुंभों' का सम्बन्ध रहा है। हसन खाँ मेवाती और उसके पिता अलावलखाँ का अधिकार भी इसे किले पर रहा। मुगल राजसत्ता के संस्थापक बाबर को भी परिस्थितियों ने इस किले में विश्राम करने को विवश किया। मुगलसत्ता के पतन के बाद यह जयपुर के अधीन रहा। इसके बाद जब भरतपुर रियासत बनी तो इस पर भरतपुर के राजाओं का अधिकार रहा। भरतपुर के राजा जवाहर सिंह से 1775 ई. में इसको छीनकर, अलवर रियासत के संस्थापक महाराजा प्रतापसिंह ने अठारहवीं सदी के उतार पर एक नये राजपूत-राज्य को जन्म दिया। पूरे भारत के इतिहास में यह समय विशृंखलता एवं अराजकता का समय है। ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाकर पूरे देश में अनेक जातिपरक एवं साम्प्रदायिक सामन्ती राजसत्ताओं का अभ्युदय इस काल में हुआ। इसी सदी में मराठा-शक्ति का दबदबा कायम हुआ, लेकिन उनके शासक-वर्ग के मन में कोई एक 'राष्ट्रीय' दृष्टि न होने के कारण वे लूट-मार, चौथवसूली जैसे कारनामों तक ही सीमित रहे। इससे यहाँ विदेशी ब्रिटिश व्यापारी वर्ग को अपनी राजसत्ता कायम करने का मौका मिला। 1757 में उनकी पलासी की विजय से भारत पर अंग्रेजी शासन की शुरूआत हुई, जो धीरे-धीरे पूरे देश की पराधीनता में बदल गई।

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है कि महाराजा प्रतापसिंह अलवर रियासत के पहले स्वतंत्र शासक बने। उनके पश्चात् महाराजा बख्तावर सिंह, महाराजा विनयसिंह, महाराजा शिवदान सिंह तथा महाराजा मंगलसिंह ने उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेजों से सन्धि तथा बाद में उनकी औपनिवेशिक शासन-व्यवस्था के अधीन रहकर अलवर रियासत का शासन-प्रबंध चलाया। महाराजा विनय सिंह के शासन काल में सन् 1857 में अंग्रेजी राजसत्ता के विरूद्ध, भारतीय सामन्ती शासक वर्ग तथा आमजनता के प्रतिनिधि सिपाहियों व किसानों ने स्वाधीनता के लिए युद्ध छेड़ा, जिसमें यदि सभी देशी राजा अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध हो जाते, तो भारतीय इतिहास का नक्शा ही आज दूसरा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तत्कालीन राजपूताने के अनेक राजाओं ने

अपनी सेनाओं को अंग्रेजी सत्ता के पक्ष में युद्ध में भेजा। अलवर के तत्कालीन शासक महाराजा विनयसिंह भी इसके अपवाद नहीं थे। यद्यपि महाराजा विनयसिंह अंग्रेजी सत्ता की अधीनता से खुश नहीं थे, लेकिन उनकी शक्ति के विरुद्ध जाने की ताकत भी उनके पास नहीं थी, विवशता में उसे अंग्रेजी सत्ता के आदेशों का पालन करना पड़ता था। वह उनके विरुद्ध रहते हुये भी, अपनी सत्ता की सुरक्षा की वजह से उनके विरुद्ध नहीं जा सकते थे। ऐसा माना जाता है कि 1857 के प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महाराजा विनयसिंह ने अंग्रेजों की सैनिक सहायता, अपने बिगड़े हुए सम्बन्धों को सुधारने के लिए दी थी। उसने चिमनसिंह किलाणोत के नेतृत्व में 800 पैदल सैनिक, 400 घुड़सवार सैनिक तथा 4 तोपों की अपनी सेना को आगरा में अंग्रेजी सेना की सहायता के लिए भेजा था। आगरा से पहले पड़ने वाले अछनेरा नामक स्थान पर अलवर की इस सेना का नीमच और नसीराबाद छावनी के विद्रोही भारतीय सैनिकों से युद्ध हुआ। इस युद्ध में अलवर की सेना का कमांडर चिमनसिंह किलाणोत, अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के विरुद्ध था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिये लड़ रहे विद्रोही भारतीय सैनिकों के साथ था, इसलिए यह सेना अंग्रेजों के पक्ष में पूरे जोश व उत्साह से न लड़ सकी। इस युद्ध में अलवर के 55 सैनिक मरे तथा अलवर की सेना को मैदान छोड़ना पड़ा। इस तरह हम देखते हैं कि 1857 ई. के स्वाधीनता संग्राम में अलवर के सैनिकों ने, अन्य भारतीय विद्रोही सैनिकों द्वारा अंग्रेजी सत्ता के प्रति किये गए विद्रोह के प्रति सहानुभूति रखी। इसके अलावा अलवर रियासत के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह की आग लगातार सुलगती रही। वैसे अंग्रेजी सत्ता के प्रति अलवर के शासकों में आन्तरिक रूप से कभी आदर भाव नहीं रहा, किन्तु उसकी ताकत के सामने उनकी अधीनता को स्वीकार किये रखने के अलावा अन्य कोई रास्ता भी नहीं था। शिक्षा-संगठन तथा नए विचारों के अभाव के कारण जनता में जागृति नहीं आई थी। यद्यपि राजपूताने की तत्कालीन रियासतों में सन् 1842 ई. में पहला आधुनिक स्कूल खोलने का श्रेय अलवर के महाराजा विनयसिंह और भरतपुर में वहाँ के राजा बलवंत सिंह को प्राप्त है। इस समय तक तत्कालीन राजपूताने की जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसी बड़ी रियासतों तक में आधुनिक शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल नहीं खुला था।

1842 ई. में तत्कालीन अलवर-नरेश विनयसिंह द्वारा खोले गए स्कूल को 1870 ई. में उनके पुत्र तत्कालीन अलवर-नरेश शिवदान सिंह ने हाईस्कूल तक क्रमोन्नत किया। 1842 ई. से 1857 ई. तक इसमें हिन्दी-उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था थी। जिसमें 1857 ई. के प्रथम राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के बाद से अंग्रेजी भी पढ़ाई जाने लगी, इसके माध्यम से अलवर में आधुनिक बोध सम्पन्न एक नयी पीढ़ी तैयार होने की प्रक्रिया आरंभ हुई। अंग्रेजी तथा अन्य विषयों के अध्ययन से एक नई विश्वचेतना का आगमन इस अंचल में हुआ। उस अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के सम्बन्ध में हिन्दी-नवजागरण के सूत्रधार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 'अँग्रेजी पढ़ि कै जदपि सब गुन होत प्रवीण' जैसी बात कही थी। दरअसल, अंग्रेजी माध्यम की इस नयी शिक्षा व्यवस्था से दोनों बातें ही पैदा हुई। एक ओर तो भारतवर्ष की नई शिक्षित पीढ़ी को अपने विकास के लिए नया क्षितिज मिला तथा जो बातें, वह पुरानी देशी शिक्षा पद्धति से नहीं समझ एवं जान पायी थी, उन्हें जान सकी। वह विश्व के देशों की नई लोकतांत्रिक राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्थाओं से परिचित हुई, जिससे अपने देश की व्यवस्था को बदलकर एक लोकतांत्रिक राजनीतिक-सामाजिक

आर्थिक व्यवस्था बनाने की आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न हुई तथा अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शोषण-उत्पीड़न की व्यवस्था के प्रति उसके मन में घृणा का भाव जन्म लेने लगा। दूसरी ओर, इस नई शिक्षा व्यवस्था ने उसके मन में स्वदेशी के प्रति हीनता-बोध भी पैदा किया। वह आत्महीनता जैसी ग्रन्थि का शिकार हुआ।

अलवर रियासत का अंग्रेजी शासकों से सम्पर्क उन्नीसवीं सदी के आरंभ में ही 1803 की उस सन्धि के समय में हुआ था, जबकि अलवर रियासत के संस्थापक महाराजा प्रतापसिंह के उत्तराधिकारी महाराजा बख्तावरसिंह ने मराठों की लूटमार से बचने और आस-पड़ौस की देशी रियासतों- खासकर जयपुर से अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ी एवं राष्ट्रीय मानचित्र पर उभर रही ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कम्पनी से समझौता किया। इससे अलवर को सुरक्षा मिली, लेकिन पराधीनता का अध्याय भी यहीं से आरंभ हो गया। अंग्रेज-शासकों की ताकत का यह शिकंजा इतना कसा कि देशी रियासतों के इन राजाओं के आपसी विवादों के फैसले अंग्रेज-शासक करने लगे। महाराजा बख्तावर सिंह के उत्तराधिकारी महाराजा विनयसिंह एवं मूसी महारानी के पुत्र महाराजा बलवंत सिंह के बीच राजसत्ता के अधिकार को लेकर चला लम्बा विवाद अंग्रेज-शासकों के हस्तक्षेप से ही तब सुलझ पाया, जबकि उन्होंने अलवर रियासत को विभाजित कर उसमें से एक नयी रियासत तिजारा का निर्माण कर इसका राज्याधिकार महाराजा बलवंत सिंह को सौंप दिया। अंग्रेजी ताकत और उनकी केंद्रीय सत्ता का ही दबाव था कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों की रक्षा करने के लिए अलवर की फौज को महाराजा विनयसिंह ने आगरा भेजा। महाराजा विनयसिंह के बाद महाराजा शिवदानसिंह, महाराजा मंगलसिंह, महाराजा जयसिंह और महाराजा तेजसिंह के शासनकाल में अंग्रेजी-सत्ता का दबाव उत्तरोत्तर इतना बढ़ गया था कि वे शासन में सीधा हस्तक्षेप करने लगे। बीसवीं सदी के चौथे दशक में तो उन्होंने महाराजा जयसिंह जैसे 'लोकप्रिय' राजा को देश निकाला दे दिया। लेकिन यह इतिहास का एक पक्ष है। इसी पक्ष के साथ सामान्य जनता का वह पक्ष भी है, जो इसके भीतर प्रतिरोध और विरोध की जमीन तैयार कर उस बहुत बड़ी ताकत को एक दिन इस जमीन से अपने देश को भागने को विवश कर देता है। उसकी सारी सत्ता की ताकत धरी रह जाती है। जनता की संगठित और जाग्रत ताकत के समक्ष वह पराजित हो जाती है। जनता की इस ताकत को हम अपने स्वाधीनता आंदोलन के समग्र इतिहास में देख सकते हैं।

जनता की शिक्षा के लिए भी नए स्कूल खोले गए, जो जन-जागृति के वाहक बने। महाराजा जयसिंह के शासन काल- 20 वीं सदी के पूर्वार्द्ध में राज से बाहर के कुशल एवं योग्य प्रशासकों की नियुक्ति की गई। राज्य में रेल लाइन बिछ जाने से देश के अन्य देशी राज्यों तथा अंग्रेजों के अधीन राज्यों की जनता से अलवर की जनता का सम्पर्क बढ़ा। इससे नए विचारों की साझेदारी कायम हुई। स्वयं महाराजा जयसिंह नई चेतना को स्वीकार कर सके। महाराजा जयसिंह के अनेक कार्यों का भी अलवर के नवजागरण में योगदान रहा। अलवर रियासत के नागरिक शिक्षा प्राप्ति के लिए बाहर जाने लगे। इससे जनता की जागृति बढ़ी और वह अपने अधिकारों के बारे में सोचने लगी तथा उसे अपनी संगठित सामूहिक ताकत का अहसास होने लगा। इसके फलस्वरूप जनता ने संगठित सामूहिक विद्रोह भी किये। इस संदर्भ में अलवर रियासत का नीमूचाणा कांड' (1925 ई.) भारतीय इतिहास की एक अत्यन्त-चर्चित घटना बना।

औपनिवेशिक ब्रिटिश सत्ता तथा देशी सामन्ती राजसत्ता की दुहरी चक्की में पिसने वाली रियासती प्रजा लम्बे समय से भाग्य के भरोसे अपना जीवन यापन कर रही थी। अलवर रियासत की जनता भी इसका अपवाद नहीं थी। लेकिन जब नई आधुनिक शिक्षा, प्रेस तथा रेल एवं सड़क मार्ग बने और मध्यम एवं लघु उद्योगों का विकास हुआ तो औपनिवेशिक एवं सामन्ती शोषण को जनता का जागरूक वर्ग पहचानने लगा। नई चेतना से प्राप्त विवेक उसे भीतर से मुक्ति के लिए झकझोरने लगा। दूसरे देशों की मुक्ति के इतिहास पढ़कर यह अपने भीतर उस इतिहास की आहट सुनने लगा। यह स्वयं भीतर से मुक्ति की आकांक्षा से भरने लगा। निठल्ले, अपांग एवं भोगविलास की कीचड़ में सने हुए लोगों के प्रति, उसके मन में घृणा का भाव पैदा होने लगा। उसे शोषण और अत्याचारों की अनगिनत कहानियाँ असह्य होने लगी। उसे सामन्ती एवं औपनिवेशिक पराधीनता के विकल्प के रूप में स्वराज्य की कल्पना अच्छी लगने लगी। उसे लगा कि जैसे कोई बन्द रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसे अपनी सभी सीमाओं को लाँघ कर एक नई दुनिया को बसाने का संकल्प पूरा होता हुआ नजर आने लगा। शिक्षा अब उसे बहुत जरूरी लगने लगी। नई शिक्षा ने उसकी सीमाओं के सारे बंद दरवाजे एक साथ खोल दिए। नई शिक्षा ने उसे जगाया, नया विवेक दिया और जीवन-सम्बंधों को जानने-समझने की एक ऐसी दृष्टि दी, जहाँ मनुष्य-मनुष्य के बीच खड़ी की गई कृत्रिम भेद की दीवारें ढहती हुई नजर आने लगी। उसे अपने शासकों और उनके दरबारी-चाटुकारों, के कारनामों की असलियत का पता चल गया। उसे उस धर्म, की असलियत भी मालूम हो गई, जो सामन्ती राजसत्ता को बनाए रखने के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसके अलावा उत्पादन के नए तरीके और व्यापार की नई गतिविधियों से उसकी चेतना में बदलाव हुआ। आधुनिक बोध वाले इस नए मनुष्य को जाति, सम्प्रदाय, भाषा और क्षेत्र के भेद, कृत्रिम दिखाई देने लगे। इसी का परिणाम था कि बीसवीं सदी के दूसरे-तीसरे दशकों में पूरे देश में स्वाधीनता का नया जोश एवं उत्साह पैदा हुआ। इसका प्रभाव दूरस्थ अंचलों तक हुआ।

उन्नीसवीं सदी भारत के इतिहास में जहाँ एक ओर अंग्रेजी-शासन के सुदृढ़ होने की सदी है, वहीं दूसरी ओर यहां भारतीय नवजागरण और अंग्रेजी-शासन के प्रति विद्रोह एवं विरोध की सदी भी है। 1835 ई. में अंग्रेज-शासकों ने भारत में यह निर्णय लागू किया कि वह पाश्चात्य विज्ञानों व साहित्य को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से यहाँ पढ़ानें का काम करेगी। लार्ड मैकाले की भूमिका इस मामले में बहुत अग्रणी रही। राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे आधुनिक विचारकों ने इस बात को स्वीकार किया कि पाश्चात्य शिक्षा में "आधुनिक पश्चिम के वैज्ञानिक तथा जनतांत्रिक चिन्तन के खजाने की कुंजी है।" इस नीति के तहत, यद्यपि अंग्रेज-शासक भारतीय जनता को शिक्षित नहीं करना चाहते थे। इसलिये उसने जनशिक्षा का काम हाथ में न लेकर, केवल सीमित उच्चशिक्षा का प्रबंध किया, जिससे तत्कालीन उच्च एवं मध्य वर्ग के कुछ लोग आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। असलियत तो यह थी कि ब्रिटिश शासक वर्ग भारतीय जनता की अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़ि, संकीर्णता आदि का लाभ उठाकर उसका शोषण करते रहना चाहता था, किन्तु परिस्थितियों और जरूरतों का यह दबाव था कि उसे अपने काम के लिए देशी सहायक वर्ग की जरूरत थी। वे अकेले सारा शासन-प्रशासन नहीं चला सकते थे। जबकि

हमारे देश के आधुनिक दृष्टि सम्पन्न लोग यह चाहते थे कि आधुनिक शिक्षा द्वारा भारतीय जनता को उसकी रूढ़ियों, संकीर्णताओं, दकियानूसीपन, अंधविश्वासों से मुक्ति मिले और उसके भीतर जनतांत्रिक सोच-विचार उत्पन्न हो, जिससे वह सामन्तवाद और साम्राज्यवाद दोनों के क्रूर बंधनों से मुक्त हो सके। ब्रिटिश शासक वर्ग द्वारा लागू इस नयी शिक्षा नीति के पीछे उसकी दृष्टि मैकाले के इस निर्देश में छिपी हुई है:

"हमें ऐसा वर्ग बनाने के लिये जी जान से प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन करोड़ों लोगों के बीच, जिन पर हम शासन करते हैं, दुभाषिए का काम कर सकें, यह उन लोगों का वर्ग हो जो रक्त और रंग की दृष्टि से भारतीय मगर रुचि, विचारों, आचरण तथा बुद्धि की दृष्टि से अँग्रेज हों।"

कहना न होगा कि अंग्रेज अपनी शिक्षा-व्यवस्था की इस कुटिल नीति में सफल रहे किन्तु इसी का दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष वह भी है, जिसका रास्ता स्वाधीनता एवं मुक्ति की ओर जाता है। अंग्रेजी-शासक वर्ग की इच्छा भी पूरी हुई और ऐसा एक बड़ा शिक्षित उच्च वर्ग देश में तैयार हुआ, जो रूप-रंग में भारतीय था लेकिन अपनी मानसिकता में पूरा अंग्रेज था। इसके साथ ही इस इतिहास का दूसरा बड़ा सच यह भी है कि इसी वर्ग में कुछ लोग ऐसे भी थे, जो पश्चिमी शिक्षा एवं सभ्यता के महत्त्व को जानते हुए भी उसके गुलाम नहीं थे। वे उस नयी शिक्षा का उपयोग अपने समाज की मुक्ति एवं परिवर्तन के लिए करने की इच्छा रखते थे। वे जितने रूप रंग से भारतीय थे, उतने ही अपने मन से। ऐसे ही लोकनायकों के प्रयत्नों से उन्नीसवीं सदी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण की लहर चली। इसमें दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्तरों पर प्रयत्न किये गए। देश में नवजागरण की शुरूआत बंगाल से हुई जो महाराष्ट्र तक फैली। अंग्रेजों द्वारा किये गए शोषण-उत्पीड़न के विरोध में हिन्दी क्षेत्र में 1857 का विद्रोह हुआ, जो आगे चलकर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर विकसित हुआ। नवजागरण के परिणामस्वरूप ही उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में हिन्दी में आधुनिक बोध से सम्पन्न गद्य साहित्य का सृजन हुआ। इसी से हिन्दी-पत्रकारिता का विकास हुआ।

सांस्कृतिक-सामाजिक दृष्टि से अलवर रियासत हिंदी-प्रदेश का ही एक हिस्सा रही है, इसलिए 'हिन्दी-नवजागरण' का प्रभाव ही यहाँ पर विशेष रूप से हुआ। हम देखते है कि बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब एवं दक्षिणी राज्यों की तुलना में 'हिन्दी-नवजागरण' कमजोर रहा है। इसके सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कारण रहे। इसके अधिकांश भूभाग पर देशी राजा-महाराजाओं-नवाबों के शासन के साथ-साथ साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवाद का दुहरा शिकंजा कसा रहा था। 1857 का विद्रोह इस अंचल के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, जिसकी असफलता से यह इलाक़ा अंग्रेजी शासक वर्ग की सभी तरह की उपेक्षा एवं घृणा का शिकार हुआ। उन्होंने जानबूझ कर इस इलाके को पिछड़ेपन की गिरफ्त में इसलिए भी बनाए रखा कि यहां के लोग 1857 जैसा दूसरा विप्लव न कर सकें। नयी चेतना के विकास से नए उद्योग धंधों का विकास जुड़ा हुआ है। किसी भी नई चेतना के विकास की पृष्ठभूमि में उसका आधारभूत आर्थिक पक्ष होता है। नयी आधुनिक चेतना केवल कृषि-व्यवस्था पर विकसित नहीं हो सकती थी। उसके लिए जरूरी होता है उद्योग-धंधों का विकास। जिन्हें यहाँ

आकर अंग्रेज पहले ही नष्ट एवं तबाह कर चुके थे। इस तरह यह इलाका विशुद्ध रूप से कृषि-व्यवस्था, वह भी अत्यन्त पिछड़ी हुई कृषि-व्यवस्था वाला इलाका था। थोड़े बहुत उद्योग धंधे जो यहाँ विकसित हो सकते थे, उन्हें अंग्रेजी शासन की उद्योगनीति ने विकसित नहीं होने दिया। इस वजह से यहाँ अंधविश्वास, रूढ़िवाद एवं संकीर्णता के लिए ही उर्वर जमीन हो सकती थी। ऐसा ही यहाँ हुआ भी, लेकिन जैसा कि हर चीज का दूसरा पक्ष भी होता है, इन इलाकों में भी वह दूसरा पक्ष विद्यमान है। इसके पिछड़ेपन के भीतर से ही वह आग पैदा हुई, जो मुक्तिसंग्राम में सहायक बनी।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में अलवर के महाराजा मंगलसिंह अजमेर के मेयो कॉलेज के प्रथम विद्यार्थी बने। उनके पुत्र और राज्य के उत्तराधिकारी महाराजा जयसिंह की भी यही शिक्षा-दीक्षा हुई। इसी तरह बीसवीं सदी के चौथे-पाँचवे दशकों में अनेक लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलवर से कानपुर, बनारस, आगरा, दिल्ली, अजमेर आदि स्थानों पर गए। जब वे शिक्षा प्राप्त करके अलवर लौटे तो नयी आधुनिक एवं जनतांत्रिक चेतना के संवाहक बनकर यहाँ आए। नयी शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल दिया। वे भारतीय मुक्ति संग्राम के एक सिपाही के रूप में अलवर में आए। ऐसे लोगों में लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, भवानी सहाय शर्मा, रामजीलाल अग्रवाल, शोभाराम, रामचंद्र उपाध्याय, बद्रीप्रसाद गुप्ता, डॉ शान्तिस्वरूप डाटा, रूद्रदत्त एवं रामानंद अग्रवाल, कृपादयाल माथुर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने विभिन्न राजनीतिक-सामाजिक माध्यमों से नयी जनतांत्रिक चेतना व मूल्यों का प्रचार-प्रसार अलवर रियासत की प्रजा में किया। इस काम के लिए इनको अभाव, पीड़ा, मानसिक एवं शारीरिक यातनाएँ भी सहनी पड़ीं। इनके अलावा स्वाधीनता-संघर्ष में भाग लेने वाले अनेक नेताओं एवं कार्यकर्त्ताओं ने नयी जनतांत्रिक चेतना का दूर-दूर तक प्रसार किया।

अलवर में जो थोड़ा-बहुत नवजागरण का काम हुआ, उसमें राजनीतिक नेताओं के अलावा 'आर्य समाज' द्वारा किये गए सामाजिक सुधारों का योगदान रहा। सच तो यह है कि हिन्दी-क्षेत्र के अन्य इलाकों जैसी ही शोचनीय हालत अलवर रियासत की प्रजा की भी थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि से संबंधित समस्याएँ भाग्य-भरोसे से हल होती थीं। महाराजा जयसिंह ने ऐसे कई प्रयास अवश्य किये थे, जो प्रजा को कुरीतियों से मुक्ति दिलाने वाले थे। उन्होंने 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए 'धूम्रपान निषेध' की राज्याज्ञा प्रसारित कर प्रजा के स्वास्थ्य के प्रति अपनी सजगता जाहिर की। बाल-विवाह और वृद्ध विवाह पर रोक लगाकर उन्होंने अपनी जागरूकता का परिचय दिया। न्यायप्रक्रिया को पंचायती स्वरूप प्रदान कर सुविधाजनक एवं सरल बनाया। उन्होंने बाँध बनवाए और शिक्षा को निःशुल्क बनाया। 1930 ई. में उच्च शिक्षा के लिए राजर्षि कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा प्रयाग विश्वविद्यालय को आर्थिक सहयोग देकर शिक्षा के प्रति अपना आदरभाव प्रदर्शित किया। अलवर रियासत में नवजागरण की दृष्टि से उनका महत्वपूर्ण कार्य है- 1908 में राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी को लागू करना। उन्होंने अपने राज्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुन्शी प्रेमचंद एवं कुँवर मुहम्मद अशरफ जैसे साहित्य-मनीषियों एवं राजनीतिक विचारकों को आमंत्रित किया। इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल व कुँवर

मुहम्मद अशरफ तो कुछ समय के लिए यहाँ आकर रहे भी, लेकिन सामन्ती परिवेश में उनका मन यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रम सका। महाराजा जयसिंह की राजशाही की सारी सीमाओं के वावजूद 1937 में जब उनका निधन हुआ, तब यहाँ के प्रजामंडल के नेता महाराजा जयसिंह के पक्ष में थे और वे बीजवाड़ नरूका के कल्याण सिंह को राजगद्दी दिये जाने के समर्थक थे। इस घटना ने यहाँ प्रजा मण्डल के आन्दोलन को बल दिया, जिससे सामंतशाही के विरोधी नेता उभर कर आए।

नवजागरण और प्रेस :

किसी भी समाज के नवजागरण में प्रेस की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में भी उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में होने वाले नवजागरण में प्रेस की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। इन दिनों राष्ट्रीय भावनाओं और विचारों से ओतप्रोत राष्ट्रीय अखबारों व पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन बड़ी संख्या में हुआ। इन अखबारों में अंग्रेजी-शासन के शोषण-उत्पीड़न व जनविरोधी नीतियों की आलोचना की जाती थी और ये अखबार एवं पत्र-पत्रिकाएँ देशी राज्यों में होने वाले दमन-उत्पीड़न की आलोचना करने से भी नहीं चूकते थे। 1925 ई. में अलवर रियासत में हुए नीमूचाणा कांड की खबर दूर-दूर तक राष्ट्रीय अखबारों में छपी। महात्मा गांधी ने भी इस काण्ड की तीव्रतम शब्दों में निन्दा की। राष्ट्रीय प्रेस तत्कालीन शासन-व्यवस्था की जनता-विरोधी नीतियों की आलोचना करने के साथ-साथ भारतीय दृष्टिकोण को भी सामने रखता था। इन अखबारों एवं पत्रपत्रिकाओं के माध्यम से जनतंत्र, स्वराज्य, समानता, स्वाधीनता, औद्योगिकीकरण के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता था, जिससे जनता के सामने सामन्तवादी एवं साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था का एक विकल्प सामने आताथा। इस तरह प्रेस ने पूरे देश की जनता को राष्ट्रीय विचारों के एक सूत्र में बाँधने का उल्लेखनीय काम किया। अख़बारों के अलावा तत्कालीन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पत्रकारिता ने भी राष्ट्रीय विचारों एवं आधुनिक बोध का प्रसार करने में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अब वह समय आ गया था, जब कि देशी राज्यों के शासकों को भी यह अनुभव होने लगा था कि अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों को प्रजा तक पहुँचाने के लिए कोई ऐसा अखबार निकले, जो यह काम आसानी से कर सके। इस उद्देश्य से 19 सितम्बर 1937 को अलवर से 'तेजप्रताप' नाम का अख़बार निकाला गया। इस अख़बार में तत्कालीन सरकार के पक्ष को व्यक्त किया जाता था। लेकिन अभी भी यहाँ एक ऐसे अख़बार की जरूरत थी जो शासन की नहीं, जनता की भावनाओं और आशा-आकांक्षाओं को व्यक्त कर सके। 7 जनवरी 1944 को इसकी पूर्ति मोदी कुंजविहारी लाल गुप्त के अख़बार 'अलवर पत्रिका' से हुई। यह अख़बार तत्कालीन जनभावनाओं को प्रस्तुत करने वाला था। इसके सम्पादक मोदी कुंज विहारी लाल स्वंय प्रजामंडल के एक महत्त्वपूर्ण नेता भी थे। इनके अतिरिक्त अलवर के जागरूक नागरिकों का सीधा सम्पर्क राष्ट्रीय प्रेस से था। प्रजामंडल एवं कांग्रेस के एक महत्त्वपूर्ण नेता स्वाधीनता सेनानी मास्टर भोलानाथ जी, कानपुर के 'प्रताप', दिल्ली के वीर अर्जुन और हिंदुस्तान, अजमेर की नवज्योति, बनारस के 'आज' आदि अख़बारों के स्थानीय संवाददाता थे और इनमें अलवर में चलने वाले स्वाधीनता आंदोलन पर लेख आदि भी लिखा करते थे। इस तरह अलवर रियासत

की प्रजा का राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सम्पर्क कायम हुआ था और यह जनतांत्रिक विचारों को जानकर उनकी समर्थक बनने लगी।

जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि अलवर रियासत में नए आधुनिक जनतांत्रिक विचारों को फैलाने में उन लोगों की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है, जो अलवर से बाहर जाकर कानपुर, बनारस, आगरा, दिल्ली, अजमेर आदि जगहों से उच्च शिक्षा प्राप्त कर यहाँ आए और यहाँ आकर राजनीतिक कार्य किया। इन नेताओं में रामजीलाल अग्रवाल ऐसे थे, जो अपने विद्यार्थी जीवन में ही विद्यार्थियों द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व करने लगे थे। उन्होंने कानपुर में अपने विद्यार्थी जीवन में कॉलेज छात्रावास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के लिए निकलने वाले जुलूस का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश पुलिस के क्रूर लाठी प्रहारों को झेला। इस संबध में उनके साथ शिक्षा पाने वाले उनके एक कनिष्ठ साथी प्रो. गुलजारी लाल जैन ने मुझे बतलाया कि- 1942 ई. के आरंभिक दिनों में रामजीलाल अग्रवाल कानुपर में बी.कॉम के विद्यार्थी थे। उस समय प्रो. जैन भी वहीं थे। प्रो. जैन ने बतलाया कि उस समय कानपुर में जगह-जगह राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराये जाने की घटनाएँ हो रही थीं। विद्यार्थी वर्ग इन घटनाओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा था। श्री रामजीलाल अग्रवाल इन बातों में बहुत अगुआ होकर नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने उनके जीवन की एक महत्त्वपूर्ण घटना के साक्षी के रूप में बतलाया कि एक दिन निश्चय किया गया कि श्री रामजीलाल अग्रवाल के नेतृत्व में एस.डी. कॉलेज, कानपुर के भवन पर राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज, फहराया जायेगा। इसमें कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ के हजारों विद्यार्थी जुलूस के रूप में आकर ध्वज फहरायेंगे। ध्वज फहराने का दायित्व श्री रामजीलाल अग्रवाल को दिया गया। वे जुलूस के आगे-आगे चले। थोडी दूर चलकर ही अंग्रेजों की अस्त्रशस्त्रधारी पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयास किया। प्रतिरोध करने और आगे बढ़ने का हठ और हौसला दिखाने पर रामजीलाल जी पर पुलिस ने इतना लाठी-प्रहार किया कि वे बेहोश हो गये, किन्तु अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। प्रो. जैन ने बतलाया, कि तब हम लोग उनको उठाकर गंगापार ले गए, जहाँ होश में आने केबाद उनको तिलक हॉल,में होने वाली मीटिंग में ले जाया गया, जिसे उन्होंने सम्बोधित भी किया। स्वाधीनता आंदोलन के तत्कालीन राष्ट्रीय नेता मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित की मध्यस्थता से समझौता हुआ कि तिरंगा झण्डा, कॉलेज-भवन पर न फहराकर छात्रावास भवन पर फहराया जायेगा। इससे नई पीढ़ी में स्वाधीनता के प्रति नया जोश एवं उत्साह पैदा हुआ तथा सत्ता के भय तथा आतंक के विरूद्ध युवा वर्ग में निडरता जन्मी, देश और समाज के लिए किसी भी तरह का त्याग एवं बलिदान करने का हौसला बढ़ा और नई पीढ़ी, नए जीवनमूल्यों से सुसज्जित होने लगी।

. यहाँ देखने की बात यह है कि कोई बड़ा व्यक्तित्व एक दिन में अचानक नहीं बनता। उसके बनने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें जितनी परिस्थितियों की भूमिका होती है, उससे अधिक बड़ी भूमिका उस व्यक्ति की स्वयं की होती है। उस समय कानपुर में अलवर के 45 विद्यार्थी पढ़ रहे थे लेकिन उनमें दो-चार ही ऐसे निकल कर आए, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हिस्सेदारी की। श्री रामजीलाल अग्रवाल इनमें पहले स्थान पर थे। कानपुर से अलवर

लौटकर भी वे अलवर में स्वाधीनता आन्दोलन के लिए पहले से निर्मित परिस्थितियों को अपनी सक्रिय भूमिका से उर्वर बनाने के महत्त्पूर्ण कार्य में लग गये। उनकी विशेषता यह थी कि उस समय के अलवर के स्वाधीनता आंदोनल के नेताओं को तुलना में उनका वैचारिक आधार बहुत सुदृढ़ था। वे स्वाधीनता और नवजागरण में अटूट सम्बन्ध देखते थे। कानपुर में रहते हुए बड़े नेताओं के सम्पर्क तथा स्वाध्याय से उन्होंने राजनीतिक एवं आर्थिक दर्शन की नवीनतम विचारधाराओं को गहराई से समझने और उन्हें विश्लेषित करने तथा उनसे सही निष्कर्ष निकालकर जनसंघर्ष चलाने की योग्यता हासिल की थी। वे स्वाधीनता के साथ-साथ, गैर-बराबरी वाले भारतीय समाज में 'समता' जैसे जीवनमूल्य को केंद्रीय स्थान देते थे। वह समता के बिना स्वाधीनता को अधूरा मानने वाले लोगों में थे तथा स्वाधीनता के बिना समता को अधूरा मानते थे। उनके साथ काम करने वाले मा. हरिनारायण सैनी तथा श्री फूलचन्द्र गोठड़िया बतलाते हैं कि अलवर में समाजवादी विचारों का बीजारोपण करने वाले दो-चार नेताओं में श्री रामजीलाल अग्रवाल का स्थान नम्बर एक पर है। यद्यपि, वे कभी समाजवादी दल के सदस्य नहीं रहे लेकिन रूसी क्रांति के बाद दुनिया में प्रचारित सामाजवादी विचारों और सिद्धान्तों पर उनका गहरा विश्वास बन गया था। और वे मनुष्यता की अगली मंजिल इन्हीं विचारों के व्यवहार में देखते थे। उनके व्यक्तित्व की खासियत थी कि वे अपने सिद्धान्तों को अपने आचरण में उतार कर उनका उदाहरण प्रस्तुत करते थे। इसलिये उनका सहयोगी-साथियों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उन्होंने जन-आन्दोलनों के माध्यम से जन-चेतना का विकास करने तथा आम जनता से राजसत्ता के आतंक को दूर करने के लिए जहाँ एक ओर जेल की यातनाएँ सहीं वहीं अपने जीवन में निर्लोभी रहकर त्याग के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये। दरअसल, वह स्वाधीन भारत के सत्तापिपासु तथा भ्रष्ट 'नेताओं' की पाँत के नेता न होकर, उन जननेताओं की कतार में थे, जो अपना सर्वस्व दाव पर लगाकर सच्चे अर्थों में जनकल्याण का कार्य करते हैं।

विवेकानन्द एवं आर्य समाज

अलवर में स्वामी विवेकानन्द का आगमन अलवर के नवजागरण के इतिहास की एक उल्लेखनीय घटना है। वे महाराजा मंगलसिंह के शासन काल में यहाँ आए। विवेकानन्द के विचारों का महत्त्व इसलिए है कि उन्होंने वेदान्त और हिंदू धर्म का विवेचन-विश्लेषण आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधारों पर किया, जिससे हमारी जाति-बिरादरी एवं सम्प्रदायगत संकीर्णताएँ समाप्त होती हैं। इसी तरह 1892 से अलवर में आरंभ होने वाले आर्य समाजी सामाजिक सुधारों ने हिंदू-समाज में एक नई सामाजिक चेतना को जन्म दिया।

इस सबके बावजूद हिंदी-इलाकों में नवजागरण का स्तर बहुत कमजोर एवं सतही रहा। सामंती व्यवस्था, गरीबी, असमानता, अज्ञानता, पिछड़ेपन, और अशिक्षा ने यहाँ रूढ़िवाद और जड़ता की जड़ों को इतने गहरे में रोपा है कि उनको उखाड़ने के लिए सतत गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। एक दूसरे नवजागरण को आवश्यकता यहाँ आज भी बनी हुई है।

की प्रजा का राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सम्पर्क कायम हुआ था और वह जनतांत्रिक विचारों को जानकर उनकी समर्थक बनने लगी।

जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि अलवर रियासत में नए आधुनिक जनतांत्रिक विचारों को फैलाने में उन लोगों की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है, जो अलवर से बाहर जाकर कानपुर, बनारस, आगरा, दिल्ली, अजमेर आदि जगहों से उच्च शिक्षा प्राप्त कर यहाँ आए और यहाँ आकर राजनीतिक कार्य किया। इन नेताओं में रामजीलाल अग्रवाल ऐसे थे, जो अपने विद्यार्थी जीवन में ही विद्यार्थियों द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व करने लगे थे। उन्होंने कानपुर में अपने विद्यार्थी जीवन में कॉलेज छात्रावास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के लिए निकलने वाले जुलूस का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश पुलिस के क्रूर लाठी प्रहारों को झेला। इस संबध में उनके साथ शिक्षा पाने वाले उनके एक कनिष्ठ साथी प्रो. गुलजारी लाल जैन ने मुझे बतलाया कि- 1942 ई. के आरंभिक दिनों में रामजीलाल अग्रवाल कानुपर में बी.कॉम के विद्यार्थी थे। उस समय प्रो. जैन भी वहीं थे। प्रो. जैन ने बतलाया कि उस समय कानपुर में जगह-जगह राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराये जाने की घटनाएँ हो रही थी। विद्यार्थी वर्ग इन घटनाओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा था। श्री रामजीलाल अग्रवाल इन बातों में बहुत अगुआ होकर नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना के साक्षी के रूप में बतलाया कि एक दिन निश्चय किया गया कि श्री रामजीलाल अग्रवाल के नेतृत्व में एस.डी. कॉलेज, कानपुर के भवन पर राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज, फहराया जायेगा। इसमें कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ के हजारों विद्यार्थी जुलूस के रूप में जाकर ध्वज फहरायेंगे। ध्वज फहराने का दायित्व श्री रामजीलाल अग्रवाल को दिया गया। वे जुलूस के आगे-आगे चले। थोडी दूर चलकर ही अंग्रेजों की अस्त्रशस्त्रधारी पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयास किया। प्रतिरोध करने और आगे बढ़ने का हठ और हौसला दिखाने पर रामजीलाल जी पर पुलिस ने इतना लाठी-प्रहार किया कि वे बेहोश हो गये, किन्तु अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। प्रो. जैन ने बतलाया, कि तब हम लोग उनको उठाकर गंगापार ले गए, जहाँ होश में आने केबाद उनको तिलक हॉल.में होने वाली मीटिंग में ले जाया गया, जिसे उन्होंने सम्बोधित भी किया। स्वाधीनता आंदोलन के तत्कालीन राष्ट्रीय नेता मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित की मध्यस्थता से समझौता हुआ कि तिरंगा झण्डा, कॉलेज-भवन पर न फहराकर छात्रावास भवन पर फहराया जायेगा। इससे नई पीढ़ी में स्वाधीनता के प्रति नया जोश एवं उत्साह पैदा हुआ तथा सत्ता के भय तथा आतंक के विरूद्ध युवा वर्ग में निडरता जन्मी, देश और समाज के लिए किसी भी तरह का त्याग एवं बलिदान करने का हौसला बढ़ा और नई पीढ़ी, नए जीवनमूल्यों से सुसज्जित होने लगी।

. यहाँ देखने की बात यह है कि कोई बड़ा व्यक्तित्व एक दिन में अचानक नहीं बनता। उसके बनने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें जितनी परिस्थितियों की भूमिका होती है, उससे अधिक बड़ी भूमिका उस व्यक्ति की स्वयं की होती है। उस समय कानपुर में अलवर के 45 विद्यार्थी पढ़ रहे थे लेकिन उनमें दो-चार ही ऐसे निकल कर आए, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हिस्सेदारी की। श्री रामजीलाल अग्रवाल इनमें पहले स्थान पर थे। कानपुर से अलवर

लौटकर भी वे अलवर में स्वाधीनता आन्दोलन के लिए पहले से निर्मित परिस्थितियों को अपनी सक्रिय भूमिका से उर्वर बनाने के महत्त्पूर्ण कार्य में लग गये। उनकी विशेषता यह थी कि उस समय के अलवर के स्वाधीनता आंदोनल के नेताओं की तुलना में उनका वैचारिक आधार बहुत सुदृढ़ था। वे स्वाधीनता और नवजागरण में अटूट सम्बन्ध देखते थे। कानपुर में रहते हुए बड़े नेताओं के सम्पर्क तथा स्वाध्याय से उन्होंने राजनीतिक एवं आर्थिक दर्शन की नवीनतम विचारधाराओं को गहराई से समझने और उन्हें विश्लेपित करने तथा उनसे सही निष्कर्ष निकालकर जनसंघर्ष चलाने की योग्यता हासिल की थी। वे स्वाधीनता के साथ-साथ, गैर-बराबरी वाले भारतीय समाज में 'समता' जैसे जीवनमूल्य को केंद्रीय स्थान देते थे। वह समता के बिना स्वाधीनता को अधूरा मानने वाले लोगों में थे तथा स्वाधीनता के बिना समता को अधूरा मानते थे। उनके साथ काम करने वाले मा. हरिनारायण सैनी तथा श्री फूलचन्द्र गोठड़िया बतलाते हैं कि अलवर में समाजवादी विचारों का बीजारोपण करने वाले दो-चार नेताओं में श्री रामजीलाल अग्रवाल का स्थान नम्बर एक पर है। यद्यपि, वे कभी समाजवादी दल के सदस्य नहीं रहे लेकिन रूसी क्रांति के बाद दुनिया में प्रचारित सामाजवादी विचारों और सिद्धान्तों पर उनका गहरा विश्वास बन गया था। और वे मनुष्यता की अगली मंजिल इन्हीं विचारों के व्यवहार में देखते थे। उनके व्यक्तित्व की खासियत थी कि वे अपने सिद्धान्तों को अपने आचरण में उतार कर उनका उदाहरण प्रस्तुत करते थे। इसलिये उनका सहयोगी-साथियों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उन्होंने जन-आन्दोलनों के माध्यम से जन-चेतना का विकास करने तथा आम जनता से राजसत्ता के आतंक को दूर करने के लिए जहाँ एक ओर जेल की यातनाएँ सहीं वहीं अपने जीवन में निर्लोभी रहकर त्याग के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये। दरअसल, वह स्वाधीन भारत के सत्तापिपासु तथा भ्रष्ट 'नेताओं' की पाँत के नेता न होकर, उन जननेताओं की कतार में थे, जो अपना सर्वस्व दाव पर लगाकर सच्चे अर्थों में जनकल्याण का कार्य करते हैं।

विवेकानन्द एवं आर्य समाज

अलवर में स्वामी विवेकानन्द का आगमन अलवर के नवजागरण के इतिहास की एक उल्लेखनीय घटना है। वे महाराजा मंगलसिंह के शासन काल में यहाँ आए। विवेकानन्द के विचारों का महत्त्व इसलिए है कि उन्होंने वेदान्त और हिंदू धर्म का विवेचन-विश्लेपण आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधारों पर किया, जिससे हमारी जाति-बिरादरी एवं सम्प्रदायगत संकीर्णताएँ समाप्त होती हैं। इसी तरह 1892 से अलवर में आरंभ होने वाले आर्य समाजी सामाजिक सुधारों ने हिंदू-समाज में एक नई सामाजिक चेतना को जन्म दिया।

इस सबके बावजूद हिंदी-इलाकों में नवजागरण का स्तर बहुत कमजोर एवं सतही रहा। सामंती व्यवस्था, गरीबी, असमानता, अज्ञानता, पिछड़ेपन, और अशिक्षा ने यहाँ रूढ़िवाद और जड़ता की जड़ों को इतने गहरे में रोपा है कि उनको उखाड़ने के लिए सतत गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। एक दूसरे नवजागरण की आवश्यकता यहाँ आज भी बनी हुई है।

स्वतंत्रता संग्राम में अलवर का योगदान

☐ हरिशंकर गोयल एडवोकेट

1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम का लम्बा इतिहास रहा है, जिसमें अनेक योद्धाओं के बलिदान एवं प्राणों की आहुतियाँ देने की कहानियाँ है।

ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सन 1857 की क्रान्ति के पुरोधा मंगल पांडे को माना जाता है। बैरकपुर छावनी में कारतूस बनाने का कारखाना था। इसमें मातादीन सफाई कर्मचारी था, जिसने मंगल पांडे से पानी पीने को लोटा माँगा जिस पर मंगल पांडे ने कहा, "नीच जाति को लोटा देने से धर्म भ्रष्ट हो जायेगा।" मातादीन ने कहा, "जो कारतूस तुम दाँत से तोड़ते हो, इसमें 'सुअर-गाय' की चर्बी लगी होती है, तब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता? तब तुम्हारा ब्राह्मणत्व कहाँ चला जाता है?"

मातादीन ने यह कर जो चिंगारी लगाई, वह आग बन गई। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर नाम देकर विद्रोही सेनानियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। इस मुकदमे का अनुवान सरकार बनाम मातादीन मेहतर था जिसमें मातादीन सहित अन्यों को फांसी दी गई।

अन्तिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में लड़ा गया वह संग्राम संगठित और दिशामुखी न होने के कारण हार में परिणत हो गया। बादशाह को बंदी बनाकर रंगून भेजा गया और उसके शाहजादों के सिर काट कर उन्हें सजाकर बादशाह को अंग्रेजों ने पेश किया। झांसी की रानी, अवध के नवाब, राव तुलाराम रेवाड़ी, नारनौल के शेख खैराती, नाना साहब पेशवा, तांत्या टोपे, नाना फडनवीस, नाहर सिंह, रंगे बापू जी गुप्त, अजीमुल्ला खाँ, लाला जयदयाल आदि इस संग्राम की धुरी थे। शुरू में इन सेनानियों को कुछ सफलता मिलती रही। अंग्रेजों की जगह-जगह हार हो रही थी, और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसी समय हमारे देश के कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों की सहायता कर, उनकी डूबती नाव को बचा लिया। राजपूताना के राजाओं ने उन्हें सहयोग दिया, अपनी सेनायें और धन देकर। हालांकि यहाँ की जनता और छोटे रजवाड़ों और कुछ जागीरदारों ने अंग्रेजों से देश की मुक्ति के लिये लड़ाइयाँ लड़ीं, कुछ मरे और अपनी भारी जोखिमें उठाई, जिसके प्रमाण हैं।

1857 की क्रान्तिकारी गतिविधियाँ और अलवर :

इस संग्राम में अलवर के राजा विनयसिंह अंग्रेजों के पक्षधर थे जिन्होंने अपनी सेना के साथ एक लाख रुपया अंग्रेजों को सहयोग में दिया, वहीं जनता का एक वर्ग अंग्रेजों के विरोध में खड़ा हुआ।

अलवर के सूबेदार (सैनिक) चिम्मन सिंह भाटी, जो नसीराबाद छावनी में थे, ने 40 सिपाहियों सहित विद्रोह में हिस्सा लिया, जिसमें एक अंग्रेज मारा गया और ये सभी फरार हो गये।

बाद में अंग्रेज सैनिकों के साथ मुठभेड़ में इनमें से अनेक सिपाही शहीद हुये। अछनेरा तक इन विद्रोही भाटी (गुर्जर) सिपाहियों का पीछा किया गया। जो बच गये वे आजीवन जंगलों में भटकने व साधु बनने को मजबूर हुये। इस तरह के सैनिकों को भगोड़ा घोषित करने के लिये राजपूताने के रैजीडेंट की ओर से एक पत्र राजा अलवर को भेजा गया। वारंट की जानकारी क्रम सं. 856 अलवर राज्य रिकार्ड से ली जा सकती है।

बहरोड़ के कर्ण त्रिपाठी :

स्वतंत्रता सेनानी पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी के चचेरे दादा कर्ण त्रिपाठी ने मेरठ छावनी के सशस्त्र विद्रोह में हिस्सा लिया। वे अंग्रेज सेना में ऊँचे औहदे पर थे- घुड़सवारों के सिपहसालार! वे ब्रिटिश सैनिकों से लोहा लेते हुये लाल किले तक पहुँचे और वहाँ बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के सामने उन्होंने झंडा फहराया। बाद में आन्दोलन कुचल दिया गया और मेरठ छावनी के आजादी के दीवानों के साथ कर्ण त्रिपाठी भी शहीद हुये।

बहरोड़, कोटकासिम क्षेत्र (1.11.1859) से पूर्व रेवाड़ी में, बाद में जयपुर रियासत में और स्वतंत्रता के बाद अलवर जिले में था। तिजारा-मुँडावर वासियों, विशेषतः महाजन और अहीर समुदायों ने मिलकर राव तुलाराम (रेवाड़ी) के नेतृत्व में इस क्रान्ति के दौरान इस इलाक़े के लड़ाकू सिपाहियों ने नसीबपुर गाँव में अंग्रेज सेना का डटकर मुकाबला किया। सैकड़ों सिपाही इस युद्ध में शहीद हुये। (यादव इतिहास-सुधानंद योगी)

12 मई 1857 को क्रान्तिकारियों ने गुड़गाँव पर आक्रमण कर दिया और 7,84,000 रु. लूटे। अलवर के मेव क्रान्तिकारियों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सदरूद्दीन, मँदारी नसीया, समद खाँ, भरतपुरी और नीकच रघुनाथगढ़ कोलानी (मुबारिकपुर के पास) के मेवों ने इसमें हिस्सा लिया क्योंकि इस क्षेत्र के मेव महाराजा विनयसिंह से काफ़ी नाराज थे। बाद में सारे मेवात क्षेत्र के 52 मेव प्रमुखों को, विशेषतः हरियाणा क्षेत्र में फाँसी दी गई।

नाहर सिंह जाट, वल्लभगढ़ का जागीरदार, जिसका निकास भरतपुर से था इसने दिल्ली में अलवर भरतपुर के सिपाहियों को काफी सहयोग दिया।

अलवर के जंगल और पहाड़ क्रान्तिकारियों की संरक्षण-स्थली रहे जिनमें करीब 100 क्रान्तिकारियों को अलवर के सघन जंगलों में पकड़कर या तो मारा गया अथवा गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने दिल्ली के खूनी दरवाजें पर फांसी दी।

प्रसिद्ध शायर मिर्जा ग़ालिब (जिनके पिता यहाँ सिपहसालार थे) ने अपने पत्रों में यह सांकेतिक जानकारी अंकित की है।

लाला जयदयाल कायस्थ (कामां वाले), जिन्होंने कोटा में क्रान्तिकारियों की सरकार बनाई, सैनिक हार के बाद साधु बनकर अलवर-बैराठ के सघन जंगलों में समय काटा और बैराठ में पकड़े जाने पर जिन्हें 17 सितम्बर 1860 को कोटा एजेंसी में फाँसी दी गई। यदि शोध किया जाय तो और भी नये तथ्य जानकारी सहित सामने आ जायेंगे।

आइये, हम इन शहीदों को स्मरण कर, उन्हें नमन करें!

सन्दर्भः

1. राष्ट्रीय अभिलेखागार, दिल्ली।
2. राजस्थान अभिलेखागार, बीकानेर।
3. पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी परिवार-गाथा
4. गज़ट, अलवर, भरतपुर, गुड़गाँव, रेवाड़ी।
5. गालिब की जुबानी: दिल्ली की कहानी ले. रामशरण जोशी
6. सन्दर्भ राठ- रामानन्द राठी
7. यादव इतिहास ले. स्वामी सुधानन्द योगी।

क्रान्तिकारी विरासत :

1857 ई. की क्रान्ति के असफल हो जाने के बाद भी अलवर में ब्रिटिश साम्राज्य वाद के विरुद्ध स्वातंत्रता की लौ जहाँ तहाँ जलती रही।

अलवर के लाडले सपूतों, पं. विश्वम्भर दयाल शर्मा, पं. भवानी सहाय शर्मा, पं. रुद्रदत्त शर्मा, ने सशस्त्र क्रान्तिकारियों का साथ देकर, क्रान्ति की लौ को तेज किया।

I. पं. विश्वम्भर दयाल शर्मा :

सबलपुरा बहरोड़ के नवयुवक पं. विश्वम्भर दयाल शर्मा यहाँ से जाकर दिल्ली में अपने चाचा के साथ कटरा अशरफी में रहते थे। 23-12-1912 को रासबिहारी बोस व अन्य क्रान्तिकारियों के साथ बनी एक योजनानुसार दिल्ली के चाँदनी चौक में इन्होंने क्रान्तिकारियों के साथ वायसराय हार्डिंग पर एक राजकीय जुलूस के समय बम फेंका। वायसराय घायल हुआ और उसका छत्रधारी अंगरक्षक वहीं ढेर हो गया। केशरी सिंह बारैठ के भाई जोरावर सिंह व पुत्र प्रतापसिंह, मा. अमीर चन्द, भाई बाल मुकुन्द, बसन्त कुमार विश्वास तथा अवध बिहारी भी इस कांड में शामिल थे। पकड़ में आये चार लोगों को इस कांड के सिलसिले में फांसी हुई तथा बाक़ी लोगों को फरार घोषित कर दिया गया। पं. विश्वम्भर दयाल 19 वर्ष तक फरार रहते हुये, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में क्रान्तिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे। 25.1.1930 को पर्चे बाँटे गये। 6.7.1931 को चन्द्रशेखर आजाद, काशीराम धनवन्तरी आदि के साथ दिल्ली के चाँदनी चौक में गाड़ोदिया स्टोर (बैंक) में डकैती डाली। 16.3.1931 को एक पुलिस मुठभेड़ में पं. विश्वम्भर दयाल घायल हो गये। 22.4.1931 को पुलिस हिरासत में गोलियों से जख्मी इस महान क्रान्तिकारी ने अन्तिम सांस ली।

सन्दर्भः

1. राजस्थान के अमर शहीदों की कहानियाँ
   अमर शहीद ग्रन्थमाला,
   प्रकाशक, इतिहास शोध संस्थान, महरोली, नई दिल्ली।
2. पं. विश्वम्भर दयाल -भारत की सशस्त्र क्रान्ति के राजस्थानी महानायक
   -रामानंद राठी

3. Whose Who of Indian Martyrs-Pt.I - Vol. 34
भारत सरकार प्रकाशन

4. परिवारजनों से प्राप्त जानकारी

II. पं. भवानी सहाय शर्मा :

पं. भवानी सहाय शर्मा का जन्म 21.3.1909 को पं. रामदयाल रेलवे गार्ड के यहाँ राजगढ़ में हुआ। शिक्षा राजगढ., बाँदीकुई और दिल्ली में। 1926 में रामजस कॉलेज दिल्ली में 9 वीं कक्षा में अध्ययन के दौरान ही 'आनन्दमठ', उपन्यास व कांकोरी केस की अखबारी रिर्पोट पढ़कर क्रान्तिकारी गतिविधियों में रुचि लेने लगे। छात्रावास में कई क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आये, प्रेरणा ली। इस प्रकार 6 माह में सम्पर्कों से वह कैलाशपति, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन के दिल्ली शाखा के आर्गनाइज़र के काफी निकट आये। 1927 में सहायक आर्गनाइज़र, दिल्ली बनाये गये। तब इनका नाम 'रामप्रसाद' था। 1926 से 29 तक इस रूप में आपको काफी काम करने का मौका मिला। तब तक आप पुलिस की नज़रों में नहीं आये थे। लाहौर षडयंत्र केस में जयदेव कपूर और शिव वर्मा को सहारनपुर में गिरफ्तार कर लिया गया तब इनका नाम पर्चा-पुलिस रिकार्ड में आया। पुलिस ने आपके बड़े भाई को दिल्ली लाकर जानकारी ली, पर्चे से लिखावट मिलाई। न मिलने पर और कपूर व शिव वर्मा से सम्बन्ध न होने की कहने पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार तो नहीं किया, पर निगरानी पूरी रखी जाने लगी।

26.8.31 को दिल्ली षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किये गये और ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत किये गये। 11 महीनों तक गवाहों के बयान चलते रहे। नये अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिये फिर बयान हुये। पुनः परीक्षण होता तो और समय लगता, अतः दिल्ली षडयंत्र केस से पंडित जी का नाम हटाकर 110 D P.C. -सी.आर.पी.सी. में चालान किया गया और 10 हजार रु. की जमानत पर छोडे गये। अगली पेशी पर आने पर इन्हें पुलिस ने लोथन कमीशन के नेता लोथन की गाडी के नीचे बम रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। केस में प्रमाणों के अभाव में 26.1.32 को इमरजेंसी पावर्स आर्डिनेंस के अन्तर्गत उन्हें नज़र बन्द रखने का आदेश दिया गया। 2 महीने बाद इन्हें 21.4.32 को रेग्युलेशन 3, 1818 के अन्तर्गत अनिश्चित काल के लिये नज़रबन्द कर दिया गया।

24.1.33 से 1.2.38 तक नैनीताल जेल में बन्द रहे, जहाँ से पुनः दिल्ली जेल लाये गये। यहाँ पर वी.पी. वैशम्पायन के साथ "नजरबन्दी कारण बताओ या रिहा करो" की घोषणा के साथ भूख हड़ताल की।

महात्मा गांधी क्रांतिकारियों के मामले में वायसराय से मिले। उनके प्रयास से 19-3-1939 को बिना शर्त रिहाकर दिया गया। छूटने पर अलवर आने पर पंडित जी का स्वागत हुआ। इसके साथ ही आप स्थानीय कांग्रेस में शामिल हो गये।

आप सन् 1946 के खेड़ा मंगल सिंह तथा गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आन्दोलनों में जेल गये।

आप सन् 1952 से 1957 तक थानागाजी से राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे।

पं. रुद्रदत्त शर्मा

31 जुलाई 1911 को जन्मे पं. रुद्रदत्त शर्मा का बचपन किशनगढ़ (अजमेर) में बीता। 1928 में वे अपने चाचा के पास लाहौर (लायलपुर) जाकर रहने लगे। उनके चाचा [illegible] महारानी के निजी सचिव थे। लायलपुर प्रवास के दौरान ही आपको क्रान्तिकारी दल के बारे में जानकारी मिली। वहीं से जब आप लौट कर आये तो अर्जुन लाल सेठी के माध्यम से चन्द्रशेखर आजाद, भगतसिंह, व अलवर के पं. विश्वम्भर दयाल आदि क्रान्तिकारियों के संगठन, 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' के सदस्य बन गये। दल के निर्देशानुसार आपने दिल्ली में रहकर 'कैलाश' छद्म नाम से दल के क्रान्तिकारियों को गोला बारूद पहुँचाने का जोखिम भरा कठिन कार्य संभाला। दिल्ली की शाखा के प्रमुख कैलाशपति बिहारी युवक, जो 1930 में मुखबिर बन, की गिरफ्तारी और उसके मुखबिर बन जाने से पुलिस को इनकी गतिविधियों व कार्यकलापों की सूचना मिली और परिणामस्वरूप 11.11.30 को गिरफ्तार हुये। इन्हें जेल में भारी यातनायें झेलनी पड़ी। पर ये टूटे नहीं। जमानत पर छूटते ही सीधे लाहौर, जो क्रान्तिकारियों का गढ़ था, चले गये और डी. ए. वी. कॉलेज में प्रवेश लिया। पुलिस को पता लगने पर 24 घंटे में लाहौर छोड़ने का आदेश मिला। वहाँ से निकलकर यह युवक बनारस पहुँचा। बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे। बनारस में क्रान्तिकारी गतिविधियों के कारण ये पुनः गिरफ्तार कर लिये गये। दो वर्ष का कठोर कारावास का दंड मिला।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रुद्रदत्त अनेक वर्षों तक अलवर जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में अधीक्षक रहे। 4.1.1980 को आजादी के इस वीर सेनानी का देहान्त हो गया।

यदि हम सशस्त्र क्रान्तिकारियों के बारे में गहनता से खोजबीन करें तो पता लगेगा कि अलवर जिले के और जिले के बाहर प्रवास करने वाले अलवरियों के बारे में पता लगेगा कि इन्हें क्रान्तिकारियों ने महान क्रान्तिकारियों को तन, मन, धन से देश के स्वतंत्रता संग्राम में पूरा योगदान किया। अलवर के क्रान्तिकारियों जैसे पं. विश्वम्भर दयाल, भवानी सहाय, रुद्रदत्त शर्मा आदि 'सन्देहास्पद व्यक्ति' शीर्षक फाइलों में 37 व्यक्तियों के बारे में राज्य सरकार और अंग्रेजी रेजीडेंसी के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ, उसमें भी भूमिगत और क्रान्तिकारी गतिविधियों का चाहे अलवर केन्द्र नहीं रहा, पर संरक्षण-स्थल अवश्य रहा है।

प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्याम जी कृष्ण वर्मा, सरदार भगतसिंह, सुखदेव, चन्द्रशेखर आज़ाद, कुं. विजय सिंह पथिक और कितने ही अनाम क्रान्तिकारियों की शरणस्थली, सरिस्का, बहरोड़ (सबलपुरा) और अलवर शहर के किले के पीछे के जंगल एवं ऐकान्तिक स्थल रहे हैं। ऐसी जानकारी सरकारी पत्राचार, पुलिस डायरियों, विविध फाइलों, राष्ट्रीय अभिलेखागार, दिल्ली, राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, पुस्तकों, निजी डायरियों आदि से मिलती है।

स्वतंत्रता सेनानी बुजुर्ग नरेन्द्रपाल चौधरी (मावली-उदयपुर), श्री शोभालाल गुप्त आदि के पास ऐसे पत्र और जानकारियाँ उपलब्ध हैं। यदि उनका अवलोकन किया जाय तो एक नया अध्याय, एक नया आयाम, हमारे सामने आ जायगा।

सन्दर्भ :

फाइल नं. 27 रुद्रदत्त
रेजीडेंट एजेंट, अजमेर।

इसी प्रसंग में काफी जानकारी हमें हरिभाऊ उपाध्याय अभिनंदन ग्रन्थ पृष्ठ 91 से मिलती है, जहाँ इन क्रान्तिकारियों के बारे में इस प्रकार मूल्यांकन किया गया है-

"नौजवान सभा के सुखदेव और हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन के चन्द्र शेखर आजाद, राजस्थान में अपने सम्पर्क स्थापित कर चुके थे। अर्जुन लाल सेठी, विजयसिंह पथिक, केसरी सिंह बारेठ के मार्ग-दर्शन से अजमेर, ब्यावर, जयपुर, मेवाड़, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, के शहरों में नवयुवकों को क्रान्तिकारी संगठनों में लाने के प्रयत्न किये गये।"

अलवर वासियों ने यहाँ से बाहर जाकर अनेक स्थानों पर राजनैतिक गतिविधियों में भाग लिया, जिसके कारण उन्हें कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी और उनमें से कई लोगों को सजायें तक हुई। इनमें से कुछ के बारे में हम यहाँ संक्षेप में जानकारी दे रहे हैं-

1. श्री गौरी सहाय जैमन और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती कमला जैमन

श्री गौरी सहाय अर्थात् जी. एस. जैमन, राजगढ़ के रहने वाले थे। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु दिल्ली गये। वहाँ पर वे चाँदनी चौक स्थित खादी भंडार में कार्य करते थे। उनकी पत्नी श्रीमती कमला जैमन ने तो गांधी जी के शराब विरोधी सत्याग्रह आन्दोलनों में भाग लिया। श्रीमती जैमन को राजनैतिक कार्यों में भाग लेने के कारण 21 दिनों की जेल यात्रा भी करनी पड़ी। जब जैमन साहब एम. ए., एल. एल. बी. पास कर राजर्षि कॉलेज में प्रोफेसर लगे, तब भी उन पर निगरानी रखी जाती थी। बाद में राज्य सरकार की अधिक पाबन्दियों के कारण उन्होंने राजनीति से पूरी तरह नाता तोड़ लिया और पूरी तरह सरकारी सेवक रहकर कार्य करते रहे।

2. श्री रामसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह

ये पहले 'अलवर स्टेट वर्कशॉप' में मास्टर थे। बाद में ये नौकरी छोड़कार दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचारक के रूप में कार्य करने लगे। हिन्दी प्रचार कांग्रेस का कार्यक्रम का अंग था। अतः इस कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। वहाँ से इन्हें करनाल जेल में बन्द रखा गया, जहाँ से वे फरार हो गये। इन्होंने नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया बताते हैं। ये 23 दिनों के लिये गुरदासपुर जेल में भी रहे।

(सूत्र-पोलिटीकल एजेंट-स्टेट ऑफ राजपूताना द्वारा भरतपुर सरकार को लिखा गया पत्र)

3. श्री गौरी शंकर भार्गव

सी. आई. डी. रपट में जानकारी है कि श्री गौरी शंकर भार्गव पुत्र मा. फूल चन्द अजमेर में प्रमुख सत्याग्रही थे। ये एक पारिवारिक विवाह में शामिल होने अलवर आये और यहाँ 24-11-33 से 28-11-37 तक रहे। इस दौरान राजनैतिक चर्चायें की। ये यहाँ के कुछ नवयुवकों को लगातार सलाह मशविरा दिया करते थे। इनकी ऐसी गतिविधियों पर निगरानी रखने को कहा गया।

4. श्री ध्रुवसिंह पथीना

ये हिन्दी साहित्य परिषद के कार्य के साथ-साथ, कांग्रेस की गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट सी. आई. डी. द्वारा दी गई।

5. श्री चिरंजी लाल झाटीया

ये नीमच कांग्रेस कमेटी के महामंत्री थे, अलवर में मार्च के शुरू में आये और 30.3.35 को यहाँ से गये। अंग्रेज अधिकारियों ने इनके बारे में गुप्तचर विभाग से जानकारी मांगी।

6. श्री चिरंजी लाल पालीवाल

ये आगरा वासी थे। दिल्ली से अलवर आये। इनके बारे में भी जानकारी देने के लिये आगरा के अधिकारियों ने यहाँ की सी. आई. डी को जानकारी प्राप्त कर रिपोर्ट देने को कहा।

7. श्री पृथ्वीनाथ भार्गव एडवोकेट

इनके बारे में जयपुर रेजीडेंसी की ओर से अलवर के चीफ मिनिस्टर को सूचित किया गया कि पृथ्वीनाथ भार्गव वकील बाहर से आकर 15.11.35 को अलवर अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहरा। अब आगे आयेगा, अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में। यह शख्स अलवर शहर में अपने धन्धे के लिये जमना चाहता है। इनके बारे में यह कहा गया कि इन्हें कानपुर में 4.11.1930 में 2 साल की सजा हुई और 50/- जुर्माना किया गया। भार्गव साहब यहाँ आकर बसे। वकालत की। इनके पिता भी नामी वकील थे। ये मूलतः बहरोड़ के रहने वाले थे। ये सन् 1946 में लाला काशीराम के बाद अलवर नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे और प्रजामंडल की गतिविधियों में भी भाग लेने लगे। इन्होंने खेड़ा मंगल सिंह की मीटिंग में नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अध्यक्षता की।

8. श्री मूलचन्द शर्मा दीवान

ये अलवर के वासी थे जो, जयपुर में जाकर बस गये थे। इन्होंने राजपूताना स्टेट प्यूपिल्स कन्वेंशन में 23.11.1928 को भाग लिया। इसी कन्वेंशन के ब्यावर जलसे में आपने 1.1.1934 को भाग लिया। वहाँ इन्होंने अपने असली नाम की बजाय छद्म नाम से भाग लिया।

अलवर की राजगढ़ व खेड़ली मंडियों में दिल्ली के कांग्रेसी अक्सर आते रहते थे। दिल्ली के लाला शंकर लाल जी तो यहाँ पर कांग्रेस के सदस्य बनाने के लिये आते रहते थे। उस समय अलवर को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन के रूप में जिला बनाया हुआ था। अतः यहाँ के सदस्यों के आधार पर वे संस्था का चुनाव लड़ते थे।

इसी प्रकार आगरावासी श्री रामावतार अग्रवाल 1937 में यहाँ से खेड़ली आये और राजनैतिक प्रचार करते रहते थे।

यह स्मरण रहे कि 30 मई 1934 को अलवर राज्य सरकार को अजमेर के रैजीडेंट ने लिखा कि अलवर राज्य में कुछ बंगाली क्रान्तिकारी गुप्त रूप से रहते है। राज्य के बंगाली अधिकारी उनसे मिले हुये हैं। इसकी जाँच कर रपट भेजी जाय।

अलवर राज्य सरकार ने जवाबी पत्र में 19 बंगाली अधिकारियों की एक सूची देते हुए कहा कि इनमें से किसी का भी न तो क्रान्तिकारियों से सम्बन्ध है और न ही कांग्रेस के सत्याग्रहियों से।

इसके बारे में पुन: एक पत्र आया जिसमें अलवर के आई.जी. एफ.एस. महमारा से कहा गया कि "सन्देहात्मक व्यक्ति नं. 9" उपेन्द्रनाथ चौधरी (बंगाली बाबू) महाराज साहब का हैडक्लर्क है। इस व्यक्ति को राज्य सेवा से मुक्त किया जाय।

ऊपर से लिखे जाने वाले पत्रों में यह भी हिदायतें की जाती थी कि राज्य के सिख अधिकारियों के पास उनके सगे-सम्बन्धी बाहर से आते हैं। इन पर खास निगाह रखी जावे । पत्र में यह भी कहा गया कि सिख मोना (बिनाबाल वाले) हैं। ये पंजाब के बाग़ी हैं जो यहाँ पनाह पाते हैं।

रैजीडेंट जयपुर ने सुमन्त (प्राइम मिनिस्टर) अलवर को 15.9.1934 को पत्र भेजा और कहा कि अक्टूबर 1934 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में यहाँ से कौन व्यक्ति भाग लेंगे? यहाँ कितनी कांग्रेस कमेटियाँ हैं ? राज्य के प्रमुख क्रान्तिकारी और सन्देहात्मक व्यक्ति (सस्पैक्टेड़) व्यक्तियों की लिस्ट भेजें।

इसके जवाब में अलवर राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि अलवर से कोई भी डेलीगेट्स नहीं जा रहे हैं। अलवर में कोई कांग्रेसी नहीं है।

इसके साथ ही सरकार ने लिखा कि अलवर से बाहर जो लोग सक्रिय हैं और जो सन्देहास्पद हैं वे इस प्रकार हैं:-

(1) रुद्रदत्त शर्मा (मिश्रा) बहरोड़ वाले हैं। ये अजमेर रहते हैं।
(2) रामसिंह अलवर के हैं। ये बनारस विश्वविद्यालय में एम ए. फाइनल के छात्र हैं।
(3) दीवान मूलचंद उर्फ मूलचंद हैं। ये जयपुर रहते हैं।
(4) सुमेर चन्द्र ओसवाल- बुक सेलर- ये जयपुर रहते हैं।
(5) निरंजन नाथ राजगढ़ वासी हैं।
(6) कन्हैयालाल, ये भी राजगढ़ वासी हैं।
(7) ठेकेदार छोटे लाल (चक्खन लाल) टप्पल वाले।
(8) मोतीलाल रिटायर्ड कर्मचारी हैं।
(9) लच्छीराम सौदागर, होप सर्कस, अलवर।
(10) मामराज खाती, नारायणपुर।
(11) मनसूर शाह, ब्यावर व अजमेर में सक्रिय हैं।
(12) डॉ. एच. एम. बख्श।
(13) गुरु वृजनारायण शर्मा, माफीदार।
(14) जगन्नाथ दूसर (भार्गव) वकील।

राज्य लेखागार, अलवर के यहाँ, स्वतंत्रता आन्दोलन सम्बन्धी विविध फाइलों में फरार व्यक्तियों की जानकारी पत्र व्यवहार देखने योग्य है। इनकी फाइलों में सोहनलाल नामक व्यक्ति का जिक्र है, जिसने मास्को में ट्रेनिंग ली। यह यहाँ अलवर में आकर रहा है।

राज्य सरकार से उक्त व्यक्तियों के बारे में जानकारी माँगी गई। इसके जवाब में राज्य सरकार ने जवाब भिजवाया कि हमारे यहाँ इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। रैजीडेंट ने यह भी जानकारी देने को कहा कि, अलवर के इब्राहीम उर्फ भूरेखाँ, क्रान्तिकारी गतिविधियों में लिप्त रहते हुए 15 मई 1934 को काबुल में मर गया। सूचित रहे।

इसी प्रकार श्री नारायण पुत्र बसन्त लाल, वासी गली गंडन, नमक मंडी, नगर परिषद अमृतसर- यहाँ से फरार है। सन्देह है कि वह अलवर राज्य में कहीं शरण लिये हुए है। उसकी तलाश की जावे। यह ध्यान रहे कि उस समय अलवर राज्य की सीमा, पुराने पंजाब राज्य (आज का हरियाणा), पंजाब, हिमाचल प्रदेश, से नौगांवाँ से आगे 3-4 मील पर लगती थी। इसीलिये इस सारे क्षेत्र के बारे में जो भी सम्पर्क या व्यवहार था वह पंजाब से ही होता था।

अतः यह स्वाभाविक था कि यहाँ के रहने वाले अलवर वासियों पर अपने यहाँ से बाहर गये व्यक्तियों के माध्यम से उन पर भी राजनैतिक- सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता। बाहर रहने वाले अलवरिये तन, मन, धन से वहाँ सहयोग करते, गतिविधियों में भाग भी लेते, पर अपने को बचाकर भी रखते थे। उनके मन में गाँधी जी और अहिंसक सत्याग्रहियों अन्य राजनैतिक कर्मियों और सशस्त्र क्रान्तिकारियों के प्रति सहानुभूति रखते, उन्हें नमन करते रहते थे। इन बातों के अनेक प्रमाण हैं।

इसी प्रकार श्री महावीर प्रसाद जैन का कहना है लक्ष्मणगढ़ के ग्राम भनोखर के एक युवक कल्याण सहाय गुप्ता पुत्र श्री गंगासहाय सन् 1931 पुष्कर कांग्रेस सम्मेलन में गये जिसमें बड़े-बड़े नेता आये। वहाँ उनकी भेंट कांग्रेस नेता श्री हरिश्चन्द्र से हुई, जिन्होंने उन्हें अपने गाँव में कांग्रेस का कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने ही उन्हें एक गांधी टोपी और गांधी जी के चित्रों के तीन पोज दिये। श्री हरिश्चन्द्र उनके साथ भनोखर आये। उनके घर पर ठहरे। उन्होंने वहाँ पर एक मिटिंग की जिसमें लगभग 125-150 आदमी आये। मीटिंग में राजाशाही व जागीरदारों जुल्मों के बारे में श्री हरिश्चन्द्र व उनके साथ ही कल्याण सहाय के मित्र मदन लाल के ओजस्वी भाषण हुये। ये बाहर से आये साथी दूसरे दिन वापिस चले गये।

गांव के लम्बरदार ने इस मीटिंग की रिपोर्ट नाजिम को की। इस पर नाजिम ने कार्यवाही करने के लिये 26-12-1931 को थानेदार को तीन चार घुड़सवारों के साथ गांव में भेजा। थानेदार ने जांच कर श्री कल्याण सहाय व श्री मदन लाल को गिरफ्तार कर हथकड़ी लगाई और कठूमर थाने में बन्द कर दिया। इन दोनों के खिलाफ जावली ठिकाना परिवार का एक सदस्य शम्भूसिंह मुखबिर बना। उसने दोनों के खिलाफ जम कर गवाही दी। इस पर दोनों को दो साल की सजा हुई। इन्हें 17.7.1933 को महाराजा की सालगिरह पर रिहा किया गया। श्री कल्याण सहाय सम्भवतः अलवर के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं। जिस दिन इन्हें पकड़ा गया उसी दिन इनकी सगाई पक्की करने बाहर से लोग आये थे। गिरफ्तारी के कारण वे वापिस चले गये। इसका परिणाम यह हुआ कि वे आजीवन अविवाहित रहे। ●

अलवर में आज़ादी के आन्दोलन का शुरुआती दौर

❑ हरिनारायण सैनी
❑ हरिशंकर गोयल

नीमूचाणा (1925) और गोविन्दगढ़ (1933) के दो किसान आन्दोलनों के बीच के काल से ही अलवर राज्य की जनता के कानों में आजादी की, उसको प्राप्त करने के लिये काम करने वाले देश के नेताओं एवं वीर सेनानियों की खबरें, सशस्त्र क्रान्तिकारी नवयुवकों की गतिविधियों की चार्चायें, अंग्रेजी राज्य के जुल्म, दमन, लूट के कारनामों की साफ-साफ गूँजें, पूरी तरह पहुँच कर कुछ-कुछ असर करने लग गई थी। चाहे उस जमाने में यहाँ के नागरिकों की जानकारी के लिये इतने अखबार भी नहीं थे और मीडिया के अन्य साधनों का तो विकास क्या जन्म भी नहीं हुआ था। जो अखबार राष्ट्रीय घटनाओं को खुलकर समर्थन देते थे, उनका तो यहाँ प्रवेश तक वर्जित था। पर हृदय को छूने वाली बातें किसी न किसी माध्यम से- एक मुख से दूसरे मुख के माध्यम से पहुँचकर भी सुनने वालों में भारी रोमांच सा भर जाती थीं। चाहे आज़ादी की बातें लोग छिप-छिपकर ही सुनते और सुनाते थे, पर उस समय जो तल्लीनता, पूर्ण विह्वलता और औत्सुक्य भाव, दिखाई देता था, वह गहरा असर करता था। इस प्रकार की चार्चाओं से और अखबार आदि के माध्यम से जिज्ञासु जन को यह पता लगने लगा था; कांग्रेस क्या है ? वह क्या कर रही है ? गांधी-नेहरू कौन हैं ? शहीद भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद आदि क्रान्तिकारियों के नामों और उनके शूरवीरता के कार्यों से भी कुछ नवयुवक परिचित होते जा रहे थे।

राज्य की प्रजा का बड़ा भाग, जो यहाँ के राजा सवाई जयसिंह को 'प्रभुदेव' कहकर पूजा योग्य मानता था और उसके बहुत से जन विरोधी कार्यों और नीतियों का दर्शक होते हुये भी उसके प्रति असीम आदर भाव रखता था, उसमें भी देश की स्वाधीनता के लिये भी आदर भाव जाग रहा था- राष्ट्रीय चेतना के अंकुर प्रस्फुटित होने लग गये थे। प्रजा की इस चेतना को जगाकर विकसित करने में उन लोगों का बड़ा योगदान था जो बाहर से यहाँ आते थे, चाहे थोड़े समय के लिये ही, पर वे ब्रिटिश भारत में क्या हो रहा है, इसके बारे में काफी बता जाते थे। बाहर के लोगों में ऐसे लोग भी थे जो अधिक पढ़े-लिखे होने के कारण यहाँ आकर नौकरी-धन्धे करते थे, पर वे अपनी जानकारी और ज्ञान से यहाँ के लोगों को बहुत कुछ बताते रहते थे।

हमारे यहाँ से बहुत से अलवर वासी बाहर जाकर दूकानदारी, व्यापार आदि के धन्धे, दिल्ली, पंजाब, बंगाल आदि में करते थे। उनमें बहुत से वहाँ राष्ट्रीय गतिविधियों से जुड़ जाते थे और जब वे 'देश' में आते तो कुछ न कुछ असर नई बातों का यहाँ के लोगों पर छोड़ जाते थे। यहाँ के छात्र उच्च शिक्षा हेतु आगरा, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर आदि शहरों में जाते रहते थे, उनमें से काफी बड़ी संख्या में छात्र आन्दोलनों के अनुभव लेकर आते थे। उन दिनों के छात्र-संगठन पूरी तरह राष्ट्रीयता से जुड़े हुये होते थे। जब वे यहाँ पर आते और अपने लिये रोज़गार के लिए वकालत आदि का धन्धा अपनाते तो उनके लिये राजनैतिक गतिविधियों से जुड़ना स्वाभाविक था। वकील वर्ग-प्रबुद्ध नागरिक होता है और जनता से उसका दैनिन्दन सम्बन्ध होता है। अतः यहाँ पर 20 वीं सदी के चौथे दशक में गये विद्यार्थी वर्ग ने यही भूमिका

अदा की। ये छात्र अपने अध्ययन काल में कभी जलियाँवाला बाग के नरसंहार की गूँज सुनते, कभी रॉलट एक्ट के विरोध में आयोजित विरोध प्रदर्शन देखते, कभी 'साइमन वापिस जाओ' के नारे सुनते, कभी गांधी, नेहरू, सुभाष बोस, मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, राजेन्द्र बाबू के भाषण सुनते, उनके जुलूस देखते, कभी क्रान्तिकारियों की आतंकवादी गतिविधियों के किस्से सुनते, उनके बम विस्फोट की ध्वनि से रोमांचित होते, कभी गांधी जी के असहयोग आन्दोलन को देखते, कभी शराबबन्दी, खादी बिक्री करती आज़ादी की दीवानी ललनाओं को सड़कों पर कार्य करते देखते, कभी आन्दोलनों को नृशंसता के साथ कुचले जाते देखते। कभी पुलिस को डंडे बरसाते हुये देखते थे। इतना सब कुछ देखकर, सभी तो मात्र दर्शक नहीं रह सकते थे। उनका नौजवान खून खौलता और वे छात्र संगठनों के माध्यम से उन में कूद पड़ते थे।

ऐसे नवयुवक जब अलवर आते, निश्चय ही उनमें से काफी लोग अपने यहाँ भी वही करने के लिये मैदान में कूद पड़ते, जो वे बाहर देखकर और अनुभव लेकर आते थे। यहाँ पर भी राष्ट्रीय गतिविधियों के लिये उर्वरा भूमि पहले से ही तैयार होती जा रही थी। राजाशाही सरकार के जनता पर बढ़े हुये टैक्स, कस्टम और आवगमन तथा व्यापार धन्धे के मार्ग में भारी अवरोधक सैस टैक्स, कस्टम और एक्साइज टैक्स, राज्य भर में छोटे-छोटे कस्बों तक बना दी गई 32 नगर पालिकाओं के चुंगी टैक्स, किसानों के लगानों में वृद्धि, लाग बेगार और राजा की शिकार, दौरों के समय जबरन ली जाने वाली मजदूरी और हथूब-बेगारें आदि ऐसी थी, जिनके कारण आम आदमी का जीवन घोर संकटों में फँसता जा रहा था। वैसे भी 20 वीं सदी के तीसरे दशक में जो भारी अन्तर्राष्ट्रीय मंदी थी, उससे भी अलवर कहाँ बचा था। इधर लगातार पड़ने वाले अकाल, शीत लहर, टिड्डी दल के आगमन आदि से किसानों की दशा बद से बदतर होती जा रही थी। ये सब बातें चाहे राजनैतिक समस्यायें नहीं थी, पर जीवन को गुलामी के अनेक बंधनों में बाँधने वाली होने के कारण, राजनीति के लिये मैदान तैयार कर रही थीं। यहाँ का राजा चाहे कितना ही अपने आप को प्रजा वत्सल, उदार दानवीर और धर्म परायण बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, प्रजा की हर तरह की वाहवाही लूटने के काम शुरू करने पर भी वह था तो पूरा सामन्त ही और उसकी शासन व्यवस्था भी पूरी तरह जनता को अपने वास्तविक अधिकारों से वंचित करती जा रही थी। उसने विकास और निर्माण के नाम पर राज्य के धन को बुरी तरह स्वाहा करने में कोई कसर नहीं छोडी थी। राजा का स्वयं का निजी खर्च सभी सीमाओं को लांघ रहा था। जुबिली के जश्न पर पानी की तरह रुपया बहाया गया। ये जनसमस्यायें ही आर्थिक से राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करने लग गई थी और जैसा कि ऊपर शुरू में ही नीमूचाणा और मेवात के आन्दोलनों का जिक्र किया गया है, वे राजनैतिक वातावरण बनाने में अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन दोनों ही आन्दोलनों ने अलवर को भारत भर में चर्चित कर दिया था।

ऐसे ही कारणों से राजा सवाई जयसिंह को अंग्रेज-हुकूमत ने अलवर से बाहर चले जाने के आदेश दिये थे। पर राजा के निष्कासन से यहाँ की जनता को आघात लगा, गहरा आघात लगा। इस राजा ने, अपनी फिजूल खर्ची और अन्य हरकतों से बजाय आम आदमी को नाराज़ करने के, उसकी हमदर्दी ही अधिक अर्जित की। उसका काशी विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटियों को बड़ी दान राशियाँ देना, लाहौर को सनातन धर्म सभा में अध्यक्षीय भाषण देना और उसको भारी आर्थिक सहायता देना, गंगाजी की सवारी के साथ रेलवे स्टेशन से

गंगा मंदिर और शहर महल तक पैदल जाना, अलवर शहर में नया कॉलेज राज्य के अन्य भागों में हाई स्कूल आदि खोलना, होली आदि के जश्न मनाते हुये प्रजा को उसमें शामिल करना, रघुनाथ जी की भक्ति में एक साधारण सेवक की तरह लगना, कभी गरीबों, वृद्धों की सहायता हेतु धन राशियाँ लुटाना आदि ऐसी बातें थीं, जिनके कारण लोग उन्हें प्यार करते थे। वह विलायत से और आबू शिमला आदि पहाड़ी स्थानों से प्रजा का दिल जीतने के लिये पातियाँ लिखकर भेजता, कविताओं और गीतों की रचनायें कर पहुँचाता, खेलकूद और अनेक प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन करवाकर उनमें पूरी तल्लीनता से भागीदारियाँ कर वह ऐसा जताता रहता था कि जैसे उसके तन में अपनी प्रजा के लिए एक बड़े पालक पिता का दिल है। इसीलिये उसके निष्कासन ने प्रजा को आहत और दुखी किया। उसका निष्कासन अंग्रेजी सत्ता के हाथों किया गया था, अत: देशभक्त और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के भावों से प्रभावित लोगों को लगा कि उसका जो महाराजा, प्रजा की सेवा करना चाहता है, जो अपनी हिन्दू और मुस्लिम प्रजा को बराबरी का दर्जा देकर पालना चाहता है, उससे अंग्रेज ईर्ष्या रखता है, इसीलिये उसका निर्वासन किया गया है। प्रजा के एक भाग ने उस के निष्कासन को इसी रूप में लिया। राजा भी जनभावनाओं का कुशल और पारखी चितेरा था। अत: वह प्रथम निष्कासन पर मालवीय जी द्वारा आयोजित यूनिटी कन्वेंशन में गया- वहाँ भाषण दिया। लोगों ने समझा वह कांग्रेस में शामिल हुआ है। अपनी अल्पावधि के निष्कासन के बाद वह गंगा जल लाया और उस गंगा जल के कलश को सवारी के रूप में लेकर गंगा मंदिर गया- जो दलित वर्ग का मंदिर था। सवारी के साथ रामनामी ओढ़कर नंगे पैर सारे रास्ते गर्मी के मौसम में पैदल ही गया।

यह राजा खेलों में नटवर नागर कृष्ण की सी कला बाजियाँ दिखाने में भी माहिर था। चाहे पोलो हो या क्रिकेट, घुड़सवारी हो या शिकार, इन सब में वह असाधारण था। ऐसे व्यक्ति के प्रति वीर-पूजा के भाव स्वत: ही जागते हैं। अत: आम लोग तो उसके प्रशंसक बन गये।

इसे संयोग ही कहिये कि शुरू में जब यहाँ कोई संगठित गतिविधियाँ शुरू नहीं हुई थी, उन दिनों अलवर को कांग्रेस संगठन की दृष्टि से एक देशी रियासत होते हुए भी दिल्ली प्रान्त का एक जिला, यानि संगठन की एक इकाई के रूप में शामिल किया हुआ था। ट्रॉपिकल कम्पनी के सर्वेसर्वा ला० शंकर लाल, जो प्राय: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते थे, वे संगठन के चुनावों से पूर्व कांग्रेस सदस्यता भर्ती के लिये अलवर आते और अलवर शहर, राजगढ़, खेड़ली और कुछ गाँवों में जहाँ भी उन्हें यहाँ के उनके परिचित ले जाते वे, कुछ लोगों को कांग्रेस के मेम्बर बनाकर ले जाते। उन कापियों के आधार पर उनमे से कुछ को डेलीगेट नियुक्त करवा देते और उनके मतों की मदद से वे पार्टी के पदाधिकारी बनते थे। जो लोग उन दिनों कांग्रेस का फार्म भर देते थे, वे अपने आप को आज़ादी का सिपाही मानकर संस्था के प्रति पूरी वफादारी निभाते थे। चूंकि लाला जी (शंकर लाल जी) को तो सिर्फ अपने चुनाव और दिल्ली के संगठन तक ही दिलचस्पी थी, अत: यहाँ पर कांग्रेस की ओर से कोई इकाई नहीं बन सकी।

राजा के विरुद्ध कार्यवाही क्यों ?

राज्य में मेव आन्दोलन के उग्र हो जाने और राज्य सरकार द्वारा उसे सही ढंग से शान्त नहीं कर पाने पर और अंग्रेजों के अपने ही भेजे लोगों के इशारे पर अंग्रेजी फौज ने यहाँ

19 जनवरी 1933 को कैप्टेन इयटसन के संचालन में मेवात को अपने नियंत्रण में ले लिया और फरवरी 33 में सेना ने तिजारा, रामगढ़, गोविन्दगढ़ और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र का समस्त कार्य भार संभाल लिया। 16 मई 33 को अंग्रेज हुकूमत ने महाराजा को कहा कि वे अपनी सारी शक्तियाँ राज्य के प्राइममिनिस्टर एफ० वी० वाइली, आई. सी. एस. को सौंपकर दो वर्ष के लिये 48 घंटे में राज्य की सीमा से से बाहर हो जावें। राजा ने केन्द्रसत्ता से टकराने की बजाय, अपना निष्कासन स्वीकार किया और वे बाहर चले गये। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने राज्य के हालात को दो वर्ष की अल्पावधि में संभाल नहीं पाने की आड़ में महाराज के निष्कासन को 15 साल के लिए बढा दिया।

महाराज पहले कुछ समय देश के विभिन्न भागों में घूमते हुये लन्दन जाकर रहने लगे। लन्दन प्रवास के दौरान वे कुछ समय के लिये फ्रांस की राजधानी पेरिस गये जहाँ 19 मई 1937 को एक होटल की सीढ़ी से फिसल जाने के कारण उनका असामयिक निधन हो गया। उनके निधन के इस दु:खद समाचार से सारा राज्य शोक से अभिभूत हो गया। इस घटना से अंग्रेज सत्ता के प्रति सारी जनता में तीव्र प्रतिक्रिया और भारी आक्रोश छा गया।

यह ध्यान रहे, महाराजा के स्थान पर राज्य की गद्दी पर कौन बैठे ? यह प्रश्न अनुत्तरित रह गया, क्योंकि महाराज के कोई पुत्र नहीं था और वे भी स्पष्ट तौर पर अपना उत्तराधिकारी बनाकर नहीं गये थे। लोगों की धारणाओं के अनुसार वे बीजवाड़ के ठा. कल्याण सिंह को चाहते थे और वंशपरम्परा के अनुसार श्रीचन्दपुरा के ठा. गंगासिंह जो उनके चाचा होते थे, उनका पुत्र ही स्वाभाविक उत्तराधिकारी बनता था। राजा की अपने इन चाचा से नाराजगी जगजाहिर थी। अत: राज्य की जनता और राज्य के अधिकारी गण इस मामले में बँटे हुये थे। इस विवाद को लेकर दोनों की ही ओर से दिल्ली की सरकार के समक्ष दावे पेश कर दिये गये। दोनों तरफ की बातें सुन सरकार ने किसी भी तरह सही, फैसला श्री तेजसिंह के हक में कर दिया, जिसको सुनकर पूर्व महाराज के प्रशंसक और श्री कल्याण सिंह समर्थक क्षुब्ध हो गये। ये लोग जाहिरा तौर पर लगता था, श्री तेजसिंह समर्थकों से ज्यादा थे और सक्रिय व अधिक मुखर भी। वे जब भी अवसर आता, ''कल्याण सिंह को गद्दी दो! तेजसिंह को भट्टी में दो'' के नारे लगा देते थे।

13 जून 37 को शहर महल में स्वर्गीय महाराज की तीये की बैठक में ही अंग्रेज सरकार के फैसले को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें वही स्वर गूँजने लगे। महाराज को श्रद्धांजलियाँ देने के क्रम में स्थानीय जगन्नाथ जी के मंदिर में एक शोक सभा और हुई जिसमें मुख्य वक्ता रमाबाई कथा वाचक द्वारा महिलाओं को संबोधित किया गया और महाराज को श्रद्धांजलि दी गई।

श्री तेजसिंह को उत्तराधिकारी घोषित करने के विरोध में एक पर्चा डॉ० मोहम्मद अली और श्री सालिगराम नाज़िम ने छापे जाने के लिए शर्मा प्रेस को दिया, जिसमें जनता से इसका जोरदार विरोध करने के लिए अपील की गई। इसकी खबर सरकारी अधिकारियों को लगी और वह पर्चा रोक दिया गया, पर्चा निकालने वाले दोनों ही मौन हो गये।

यहाँ यह बात स्मरण रहे कि महाराजा तेजसिंह के विरोध में सक्रियता से काम करने वालों में कांग्रेस समर्थक, हिन्दू सभाई और मुसलमान सभी थे। उस समय एक हिन्दू सभाई और

कांग्रेसी में कोई फर्क भी नहीं था, एक व्यक्ति दोनों का ही एक साथ सदस्य हो सकता था। सरकार का गुप्तचर विभाग उसे यह सूचनायें अवश्य देने लग गया था कि अलवर में कांग्रेस का संगठन बन गया है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार, डॉ० मोहम्मद अली कांग्रेस के अध्यक्ष, रामजी लाल पूर्व सरिश्तेदार उपाध्यक्ष, पूर्व नाजिम सालिगराम सैक्रेटरी और अब्दुल गफ्फार जमाली नरल सैक्रेटरी बताये गये थे। सी० आई० डी० ने यह भी बताया कि इस प्रकार के संगठन से हिन्दू-मुसलमान एक मंच पर आ गये हैं। सी. आई. डी. ने अन्य जानकारियाँ देने के साथ ही यह भी रपट दी कि नागरिकों की एक सभा ता. 3-6-37 को स्व. महाराज के द्वादशे पर हुई जिसमें हिन्दू और मुसलमानों की एक समान राय थी।

महाराज तेजसिंह, जो गद्दी-नशीन हो चुके थे, ने सी० आई० डी० की रिपोर्टों के आधार पर ठा० कल्याण सिंह और उनके समर्थकों पर कड़ी निगरानी शुरू करवा दी। इस आधार पर सरकार को यह सूचना मिली कि ठा० कल्याण सिंह से श्री रिसालसिंह, श्री बुधसिंह, पं. नारायण बिहारी पूर्व महाराजा जयसिंह के निजी सचिव, डॉ. मोहम्मद अली, श्री मुश्ताक, हकीम मोहम्मद अली आदि मिले और आपस में गुफ्तगू की।

सी.आई.डी. ने यह भी रिपोर्ट दी कि श्री सालगराम नाजिम, श्री जयशिव को लेकर मोहम्मद जैदी से मिले और सुझाव दिया कि हिन्दू-मुस्लिम एकता कमेटी बनाओ ताकि इसके द्वारा दोनों समुदायों में एकता आये। मौ. जैदी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और तय हुआ कि बहरोड़, राजगढ़ थानागाजी में पहले कार्य हो। यह बात सुझाओं तक ही रह गई कोई निर्णय कमेटियाँ बनाने का नहीं हो पाया।

28.6.37 को कांग्रेस के पहले सदस्य बनने वालों में सर्व श्री सालगराम पूर्व नाजिम, मोदी कुंजबिहारी लाल, लाला गौरी चरण गुप्ता बजाज, इन्द्रसिंह आजाद, शिवचरण लाल भार्गव, अब्दुल गफ्फार जमाली, डॉ. मोहम्मद अली, ओमकार बिहारी पूर्व पुलिस कर्मचारी पं. राम लाल पूर्व सरिश्तेदार, रणजीत सिंह व पं. गोपी कृष्ण थे।

यह स्मरण रहे कि राजगद्दी के मामले में श्री तेजसिंह विरोधी तथा श्री कल्याण सिंह समर्थकों की एक मीटिंग फरवरी 1, 1937 को कम्पनी बाग में हुई जिसमें सर्वश्री पं. हरनारायण शर्मा, मोदी कुंजबिहारी लाल, अब्दुल गफ्फार जमाली, पं. सालगराम नाजिम आदि ने अंग्रेज सरकार के फैसले के खिलाफ जोरदार भाषण बाजी की व नारे लगाये, जिसके कारण इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं के साथ स्कूलों में तोड़-फोड़ के आरोप लगाकर श्री इन्द्र सिंह आजाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। श्री टीकाराम पालीवाल इन लोगों की पैरवी करने के लिए अलवर आये, पर उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई।

श्री सालगराम नाजिम, मोदी कुंजबिहारी लाल आदि को राज्य सरकार ने अनेक अरोप लगाकर पहले ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। अत: ये लोग कांग्रेस संगठन बनाने की ओर प्रयासरत थे। इसी हेतु इन लोगों ने मन्नी का बड़ के पास एक शिव मंदिर में, जिसके बारे में विभिन्न लोगों की विभिन्न धारणायें और राये हैं, अपने समान विचार वाले लोगों की एक मीटिंग की जिसमें पं. हरिनारायण शर्मा, पं. गुरू वृजनारायणाचार्य, श्री इन्द्र सिंह आजाद शामिल हुये। श्री सालगराम की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति बनाई गई, जिसके श्री इन्द्र सिंह आजाद मंत्री बनाये गये।

सन् 1937 की गिरफ्तारियों के विरोध में कांग्रेस की ओर से एक आम सभा की गई जिसमें दिल्ली कांग्रेस की ओर से बहिन सत्यवती अलवर आई। सभा में उनका बड़ा ओजस्वी भाषण हुआ। उनके भाषण से जनता में काफी जोश आया और राज्य सरकार की दमननीति के प्रति भारी आक्रोश पैदा हुआ।

कांग्रेस को इस जमाने में महाराजा जयसिंह के प्रशंसकों व कल्याण सिंह समर्थकों और हिन्दू सभाई विचार धारा से प्रभावित लोगों का समर्थन था। कुछ मुसलमान नेता भी कांग्रेस से जुड़े हुये थे और यह भी सच्चाई है कि उनमें से कुछ खास तौर से मेवात के मुसलमान चौ. यासीन खाँ के प्रभाव में थे जो प्रच्छन्न रूप से अंग्रेज सरकार की नीतियों के अनुसार काम कर रहे थे, क्योंकि वे महाराज जयसिंह विरोधी थे।

अलवर शहर के तथा कुछ तहसीलों के मुसलमान नेता हिन्दू मुस्लिम एकता की बजाय अपनी ही अलगाव वादी नीति पर चल रहे थे। ये लोग अपने सम्प्रदाय के अलग-अलग नामों से संगठन खड़े कर अपनी गतिविधियाँ चला रहे थे और साम्प्रदायिक माहौल भी बिगाड़ कर छुट-पुट ऐसी घटनायें भी करा देते थे जिनके कारण, कहीं किसी मजार पर चादर चढ़ाने के मामले में तो, कहीं ताजियों के जुलूस को लेकर या इसी तरह के मुद्दे उठाकर झगड़े करा देते थे जिनमें कुछ हत्यायें तक हो जाती थी, कहीं किसी मुसलमान की तो कहीं किसी हिन्दू की। हिन्दू तो हिन्दू सभा के नाम से अपनी गतिविधियाँ चलाते थे और मुसलमान, अंजुमन इसलाम आदि के नाम से। इस प्रकार के झगड़े तिजारा, बहरोड़, अलवर शहर, रामगढ़ गोविन्दगढ़ आदि में हुये।

एक तरफ हिन्दू-मुसलमानों को लड़ाकर अलग-अलग रखने की गतिविधियाँ चल रही थी तो दूसरी तरफ एकता के लिए भी कार्य चल रहे थे। कांग्रेस इसका माध्यम थी। इन सबके साथ राजा तेजसिंह की सरकार की ओर से भी अपने हक में, अपनी सरकार को मजबूत बनाने तथा जनता में अपनी साख व प्रभाव बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे थे। राजा की सरकार न तो महाराजा जयसिंह के समर्थकों को बढ़ने देना चाहती की और न ही वह कांग्रेस की जमती हुई जड़ों को गहरी होने देना चाहती थी। वह हिन्दू मुस्लिम एकता को भी नहीं चाहती थी। इसके लिये उसने अपनी ही रणनीति अपनाई। जहाँ उसने एक ओर महाराजा जयसिंह समर्थकों को कुचला, नौकरी से निकाला, वहीं साम, दाम, दण्ड, भेद की नीति का पालन करते हुए अनेक सक्रिय लोगों को लम्बी-लम्बी सजायें मामूली सी बातों को लेकर दी और जेल भेजा। उधर उसने हिन्दू सभा के विचार के लोगों को अपनी ओर खेंचा। चौ. यासीन खाँ जो अंग्रेज समर्थक था, को अपनी ओर किया। उसे मेवात में राजा के पक्ष में काम कराने के लिये लगाया। मेवों के पुराने गुस्से को शान्त करने के लिए मेव पंचायत के माध्यम से कुछ राजस्व सुधारों की घोषणा की। मुस्लिम लीग, अंजुमन-ए-इस्लाम आदि संस्थाओं को बढ़ावा दिया। इसी तरह हिन्दू सभा के विचारों के लोगों को भी संभाला। इसके लिये अपनी सरकार के हक में प्रचारात्मक काम करने के लिए श्री कांति चन्द्र मोदी व उनके पुत्र श्री अवतार चंद्र जोशी को "तेज-प्रताप" नाम से एक पत्र निकालने के लिए 2000/- रुपये की सरकारी सहयोग राशि देकर साप्ताहिक निकालना शुरु करवाया। अखबार के नाम से ही जाहिर है यह पत्र महाराजा तेजसिंह के प्रताप को उजागर करने के लिए प्रकाशित किया गया था। अखबार के लिए भरपूर सहयोग देने के लिए

सरकारी विज्ञापनों के द्वार पूरी तरह खोल दिये गये। सरकार इस अखबार की 2000 हजार प्रतियाँ भी एक आना प्रति की दर से खरीदकर लाभ देती थी।

तेज प्रताप साप्ताहिक का प्रथम सम्पादक पं. नन्दकिशोर शास्त्री को 19.9.1937 को बनाया गया, जो बाद में स्थानीय स्कूलों में काफी समय तक अध्यापक रहे। इस पत्र के सह-सम्पादक पं. नाथूराम शर्मा भारद्वाज, साहित्यरत्न बनाये गये। पं. कान्ति चंद्र जोशी पत्र के प्रकाशक-मुद्रक बने। पत्र की मुद्रण व्यवस्था के लिये मुंशीबाजार में 'राधाकान्त प्रेस' लगाई गई। इस अखबार का मूल्य एक आना था। इस पत्र के पहले ही अंक में महाराणा प्रताप का घोड़े पर सवार चित्र छापा गया, जो उनके चित्रों में सबसे अधिक लोकप्रिय एवं बहु प्रसारित है। इसमें अलवर के सभी पूर्व राजाओं की जानकारी देते हुये महाराजा तेजसिंह के 9.7.39 के सांय 6 बजे सिंहासनारूढ़ होने का विस्तार से विवरण छापा गया। इस अखबार के दूसरे अंक से ही इसके प्रकाशक श्री कांतिचन्द्र जोशी के पुत्र श्री अवतार चन्द्र जोशी सम्पादक बन गये। इस तरह तेज प्रताप पूरी तरह जोशी परिवार का निजी पत्र बन गया, जो राजा का गुणगान करता था और कांग्रेस की छवि को धूमिल करता रहता था।

तेज प्रताप साप्ताहिक ने अपने एक अंक में यह समाचार छापा कि 30.9.39 को सायंकाल पुरजन विहार (कम्पनी बाग) में कांग्रेस की एक आम सभा हुई जिसमें काफी लोगों ने भाग लिया। सभा में झंडारोहण और राष्ट्रगान के पश्चात कार्यवाही हुई। इस सभा की अध्यक्षता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह सचिव श्री दामोदर लाल ने की, सर्व श्री कुंजबिहारी लाल मोदी, पं. बदरी प्रसाद व्यास, रामकिशोर, लाला गौरीशरण गुप्ता, मा. गौरी चरण (राधाचरण) आदि के भाषण हुये। सभा में कई प्रस्ताव भी पास किये गये।

1937 में अक्टूबर मास की 2,4,6,8 तारीखों में कुछ राजनैतिक गिरफ्तारियाँ हुई जिनमें डॉ. मोहम्मद अली, मोहम्मद जमाली, हकीम मोहम्मद महमूद, पं. रामजी लाल, लच्छी राम सौदागर, पं. हरनारायण शर्मा 'लट्ठमार' जानकी प्रसाद, जयराम जाट, पं. सालगराम नाजिम को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया। इन गिरफ्तारियों के बारे में कहा यह जाता था, कि ये 30.9.37 की कांग्रेस मीटिंग के कारण की गई, जबकि कुछ लोग यह चर्चा करते थे कि महाराज जयसिंह के तीये की मीटिंग के दिन गद्दी के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में नारे बाजी और आपसी विवाद के कारण की गई।

गिरफ्तारियों के समाचार सुनकर ता. 7 अक्टूबर 37 को सायंकाल कुछ कांग्रेसी नेता दिल्ली से आये। उन्होंने एक मीटिंग की, इस मीटिंग में लगभग 1500 आदमियों ने भाग लिया। मीटिंग स्थल कर झंडारोहण हुआ। ठेकेदार केदार नाथ गोयल, पुराना पोस्ट आफिस अलवर के पास, ने सभा की अध्यक्षता की। प्रो. इन्द्र विद्यावाचस्पति एवं बहिन सत्यवती जी के ओजस्वी भाषण हुये। इन दोनों ने अपने भाषणों में कांग्रेस के उद्देश्यों, नीतियों, खादी प्रचार, छुआछूत उन्मूलन आदि विषयों पर प्रकाश डाला। इनके भाषणों में इन बातों के अलावा मुख्य जोर राज्य सरकार की कांग्रेस को कुचलने और बिना वजह गिरफ्तार कर कड़ी सजाओं की कड़ी निन्दा की गई। इन नेताओं ने इस बात पर भी भारी अफसोस जताया कि सरकार जेल में राजनैतिक बंदियों को कत्ल आदि जुर्मों के कैदियों की तरह बेड़ी हथकड़ी और जौलान डालकर रखती है। उसी

तरह के कपड़े पहनाती है और भंगी से मेहनत कराती है, 20 सेर अन्न देकर घर चलवाती है।

उक्त नेताओं के साथ भाषण देने वालों में श्री गोपाल प्रसाद का जो भाषण हुआ उन्होंने गिरफ्तार व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने की इस अवसर पर मांग की। इस अवसर पर दिल्ली के वैद्य दामोदर दास जी, फूलचन्द जी जैन, श्री कन्हैया लाल गर्ग के भी भाषण हुये। सभा की कार्यवाही समाप्त कर दिल्ली से आये नेता गण वापिस उसी दिन ही लौट गये।

इस सभा के भाषणों में उठाये गये मुद्दों का जवाब देते हुए राज्य सरकार ने 8.10.37 को यह सफाई दी कि आपत्ति जनक व भड़काऊ मीटिंग करने के अपराध में कानून के प्रावधानों के अनुसार "सिडीशस मीटिंग्स एक्ट" की धारा के 10/4 की अनुपालना में ही 8 गिरफ्तारियां की गई जो इस प्रकार हैं, डॉ. मोहम्मद अली, अब्दुल गफूर जमाली, हकीम मोहम्मद महमूद, पं. रामजी लाल, कयूम जाट, पं. हरनारायण शर्मा, पं. जानकी प्रसाद, लच्छीराम सौदागर। आज अर्थात् 8 अक्टूबर को पं. सालिगराम ने अपने आपको स्वयं पुलिस को सुपुर्द किया है और कुंजबिहारी लाल अभी फरार हैं।

10 अक्टूबर 37 को उक्त गिरफ्तार शुदा बंदियों में से पं. रामजीलाल और हकीम मोहम्मद महमूद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। शेष बंदियों के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

इसके बाद 16.10.37 को पुरजन बिहार में पं. रूपकिशोर की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक और सभा हुई जिसमें मौलाना इमदाद अली, सरदार सादरी, लाला शंकर लाल, पं. गोपाल प्रसाद के भाषण हुये। इन वक्ताओं ने भी कांग्रेस के उद्देश्य पर विचार व्यक्त किये।

उन्होंने राजनैतिक बंदियों के बारे में बोलते हुये कहा, "इन बंदियों को राज्य द्रोह के अपराधी करार देते हुये गिरफ्तार किया गया, बताते हैं, परन्तु अलवर सरकार को चाहिये कि वह ऐलान निकालकर यह स्पष्ट करके दे ताकि जनता में कांग्रेस के सम्बन्ध में गिरफ्तारियाँ होने की गलत फहमी दूर हो।"

आश्चर्य की बात है कि सरकार इन लोगों को गिरफ्तार तो राजनैतिक कारणों से कर रही और बर्ताव उनके साथ हत्यादि जैसे संगीन जुर्मों में बंदी बनाये लोगों की तरह करते हुए पूरी तरह हथकड़ियों में जकड़ कर हर तरह परेशान कर रही है।

17-10-1937 को राजनैतिक बंदियों की जमानतें नामंजूर हो जाने पर श्री कुंज बिहारी लाल मोदी ने अपने आप को गिरफ्तार करा लिया। वे अब तक अजमेर में जातीय संस्था के कार्य के सिलसिले में लगे हुये थे। अजमेर से अलवर आते ही वे गिरफ्तार हो गये। वक्ताओं ने आगे कहा कि हमारी राय में यहाँ अलवर में कोई विद्रोहात्मक कार्य नहीं हुआ। फिर भी गिरफ्तारियाँ क्यों हुई? यहाँ की जागरूक जनता जानना चाहती है, वह अपना दुःख दूर कराना चाहती है। अपने दिवंगत राजा को श्रद्धांजलि देना कोई गुनाह नहीं है। दिल्ली के दैनिक समाचार पत्र अर्जुन में समाचार छपा है कि देहली में कुछ लोग राष्ट्रपति (कांग्रेस अध्यक्ष) श्री जवाहर लाल नेहरू से मिले थे। उन्होंने तीन मास में आने का कहा था।"

22-10-1937 को स्थानीय कांग्रेस की बैठक श्री केदारनाथ गोयल ने की जिसमें नये पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई जो इस प्रकार हुई-

1. श्री काजी सरफराज अली : अध्यक्ष
2. श्री पं. राम किशोर जयशिव : उपाध्यक्ष
3. श्री रूपनारायण : जनरल सैक्रेटरी
4. श्री लक्ष्मण सिंह सुनार : कार्य कारिणी सदस्य
5. श्री सम्पत राम सेठ : कार्य कारिणी सदस्य

25.10.37 को स्थानीय जेल पर तत्कालीन कलैक्टर कुं. रघुवीर सिंह ने राजबन्दियों से मुलाकात की और उनकी सुनवाई की। आई. जी. और शहर कोतवाल शिवशंकर के बयान हुये। मुलजिमों के भी बयान लिये गये। पं. हरनारायण शर्मा, श्री जानकीशरण, श्री लच्छीराम सौदागर के अलावा सब ने 13.6.37 को हुई मीटिंग में शामिल होने को स्वीकार किया। डॉ. मोहम्मद अली और पं. रामजीलाल ने अपने बयान लिखित में पेश करने की पेशकश की। इसके बाद अभियुक्तों के विरुद्ध प्रीवेंशन ऑफ सिडोशस मीटिंग्स एक्ट की दफा 4, 8 व 10 के अन्तर्गत फर्द जुर्म लगा दी गई जिससे स्पष्ट है कि इन बन्दियों का कांग्रेस से कोई सम्बन्ध नहीं था। सफाई के लिये 26.10.37 की तारीख लगा दी गई। इस तारीख को निर्णय सुनाते हुये डॉ. मोहम्मद अली, मोदी कुंजबिहारी लाल, पं. सागलगराम को दो-दो साल की सजा सुनाई गई और पं. हरनारायण शर्मा व श्री लच्छीराम सौदागर को , 1-1 साल की सख्त कैद की सजा दी गई। पं. रामजी लाल, हकीम मोहम्मद महमूद, पं. जानकी चरण को 2 वर्ष की फैल जमानत पर रिहा किया गया। सन् 1937 में जेल भेजे गये स्वतंत्रता सेनानियों को 1 एक माह पूर्व जेल से छोड दिया गया। (तेज प्रताप - 28.10.38)

फीस विरोधी आन्दोलन और गिरफ्तारियाँ :

सन् 1938 में अलवर राज्य में छात्रों पर फीस लगा दी गई। इससे पहले शिक्षा खर्च हेतु मालगुजारी पर ही 2 पैसा प्रति रुपया शिक्षा कर लिया जाता था। कांग्रेस के कार्यकर्त्ता इन वृद्धियों से चिन्तित थे। वे खास तौर से छात्रों से सम्पर्क कर रहे थे। फीस वृद्धि उस समय, जब शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ था, लोगों को अशिक्षित रखने का ही कदम माना गया। कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं की छात्रों के साथ कई मीटिंगें होती रही। छात्रों में और उनके अभिभावकों में तो इस फीस वृद्धि के प्रति रोष होना ही था, अध्यापकों ने भी इसे अच्छा नहीं माना। ऐसे अध्यापकों में मा. भोलानाथ पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी आदि थे। कॉलेज के अध्यापक भी इससे रुष्ट थे।

इसी समय राजर्षि कॉलेज के पुस्तकालय में 27.5.1938 को रेड की गई। कुछ पुस्तकों का पुस्तकालय में रखा जाना आपत्ति जनक माना गया और यह आदेश दिया गया कि प्रतिबंधित और सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले साहित्य को परखा जाये। रेड के दौरान पाया गया कि कॉलेज की मैगज़ीन 'विनय' में कुछ सामग्री भी आपत्ति जनक मानी गई जिसमें एकलेख 'भारत की गरीबी' शीर्षक से भूषण प्रसाद जैन का तथा दूसरा 'भूख हड़ताल' रामचरण अवस्थी विद्यार्थी कक्षा XII का और कांग्रेस का बजट आलेख था तथा प्रो. जी. एस. जैमन के दो लेख

थे-एक 'राष्ट्रीय नाद' और 'आत्मकथा' जो गांधी जी की जीवनी के बारे में थे। रेडपार्टी ने ऐसी सामग्री को विनय में आइन्दा न छापने के साथ हिदायत दी और इसके लिये कड़ी ताड़ना दी गई। कॉलेज में भगवत स्वरूप भार्गव और कुछ अन्य छात्रों को प्रवेश नहीं देने के आदेश दिये।

इस रेड की भी शिक्षा जगत में काफी प्रतिक्रिया हुई। कांग्रेस के लोगों के लिये इन मुद्दों को लेकर आम जनता तथा छात्रों में जाने का अच्छा अवसर मिला। अत: कांग्रेसी की ओर से फीस विरोधी आन्दोलन की शुरूआत "ट्यूशन फीस माफ करो" के नारे के साथ कर दी गई। इस आन्दोलन की रणनीति मा. राधाचरण गुप्ता ने निर्धारित की। उन्होंने एक ज्ञापन तैयार किया जिसे विद्यार्थियों की ओर से प्रिंसीपल राजर्षि कॉलेज तथा सम्बन्धित अधिकारियों को देना तय हुआ। मांगें माने नहीं जाने पर कक्षाओं का बहिष्कार तथा हड़तालें, आम सभायें आदि कर आन्दोलन को तेज करने का फैसला किया गया। आन्दोलन के संचालन कर्त्ताओं की यह नीति थी कि हर कदम को पूरी तैयारी से उठाकर आगे बढ़ा जाय। आन्दोलन के पक्ष में पूरी तरह वातावरण बनाने के लिये 14.6.38 से 28.6.38 तक सभायें, सम्पर्क आदि के कार्यक्रम चलते रहे।

आन्दोलन के बारे में प्रशासन अपने गुप्तचर विभाग तथा अन्य माध्यमों से पूरी जानकारी लेकर नजर रखे हुये था। उसे पता था कौन लोग इस आन्दोलन में राजनैतिक तौर पर और कौन सरकारी सेवा में होते हुये भी इसके लिये काम कर रहे हैं। इसी आधार पर प्रशासन ने 29.6.1938 को 8 व्यक्तियों के खिलाफ एफ. आई. आर संख्या 63/38 दर्ज कराई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी थे, जिन्होंने जेल में बन्दियों के साथ अमानुषिक व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल कर दी। इसकी खबर लगते ही राजपूताना के उस समय के मूर्धन्य नेता श्री जयनारायण व्यास उनसे मिलने के लिये अलवर आना चाहते थे। महाराजा तेज सिंह की सरकार ने उन्हें यहाँ आने से इंकार कर दिया और कड़ी पाबन्दी लगा दी। उन्हें अलवर स्टेशन से ही वापिस जाने को मजबूर कर दिया। राजर्षि कॉलेज तथा स्कूलों के छात्रों की जारी हड़ताल को दबाने के लिये छात्रों के संरक्षकों से बाउण्ड भरवाये जाने लगे।

राज्य के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आनन्द नारायण कौल ने ता. 11 जुलाई 38 से 18 जुलाई 38 तक गिरफ्तार शुदा बन्दियों के मामले की सुनवाई की। पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, पं. हरनारायण शर्मा लड्डमार, श्री इन्द्र सिंह आजाद को दो साल की सपरिश्रम कैद की सजा सुनाई। इनके साथ मा. राधाचरण गुप्ता (टप्पलवाले) श्री नत्थूराम मोदी को 1-1 साल की सपरिश्रम जेल की सजा दी गई। छात्र नेता शिवचरण भार्गव, सम्पतराम सोमवंशी, नाथसिंह, (लाला बनवारीलाल) को 500 रु. के प्रतिभूति बॉउड्स एक साल के लेकर रिहाकर दिया गया।

सजा भुगतने वालों ने मजिस्ट्रेट के फैसले के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ अपील की, जिन्होंने 2.9.1938 को अपील स्वीकार करते हुये अभियुक्तों की सजायें घटाकर इस प्रकार कर दी-

1. श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की 1 वर्ष की सपरिश्रम कारावास की सजा को घटाकर 8 माह की कर दी।

2. पं. हरनारायण शर्मा व श्री इन्द्रसिंह भार्गव (आज़ाद) इन दोनों की सजाओं को साधारण कारावास में बदल दिया गया।

3. मा. राधाचरण गुप्ता की एक साल की सपरिश्रम सजा को घटाकर 4 मास साधारण कैद में वदल दिय गया।

4. श्री नत्थू राम मोदी की सजा को भी एक साल से 4 माह की साधारण कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया।

इस प्रकार श्री राधाचरण गुप्ता व मोदी नत्थूराम जी 19.11.38 को अपनी सजा की अवधि पूरी कर रिहा किये गये। इसके बाद 16.3.39 को रात्रि के समय पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, पं. हरनारायण शर्मा, श्री इन्द्र सिंह आजाद की सजा की अवधि पूरी होने पर छोड़ा गया। दूसरे दिन 17 मार्च को प्रातः 8 बजे स्थानीय सुगनाबाई धर्मशाला (केडलगंज) में इनका गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वागत के बाद यहाँ से केडलगंज, पंसारी बाजार बजाजा बाजार होता हुआ एक जुलूस, त्रिपोलिया होता हुआ कांग्रेस के मुंशी बाजार स्थित कार्यालय पर जाकर पहुँचा। इस जुलूस में 250 व्यक्ति थे और 30 छात्र व उनके नेता थे। श्री छोटू सिंह आर्य छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे।

अलवर में यह आन्दोलन जन चेतना को आन्दोलित कर कांग्रेस को जमाने और आगे चलकर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना के लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के रूप में मानी जाती है। इससे उस समय का बुद्धिजीवी और मध्यम श्रेणी का वर्ग राष्ट्रीयधारा से जुड़ता चला गया। कांग्रेस या प्रजामण्डल को जो कर्मठ और जागरूक नेता मिले उनमें इस आन्दोलन का हिस्सा सर्वोपरि हैं।

अब इस आन्दोलन के सिलसिले में, जो पत्र व्यवहार रियासत सरकार तथा अंग्रेज सरकार, राजपूताने की रैजीडेंसी के बीच हुआ उसकी भी थोडी चर्चा कर ली जाय, जो राजनीतिक विश्लेषण-कर्त्ताओं के लिये काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसमें सबसे पहला पत्र अलवर के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मि. सी. जी. प्रायर का है, जो उन्होंने जे.एच. थामसन, रेजीडेंट जयपुर को डी. ओ. न. 30, माउण्ट आबू से 1.7.38 को लिखा जिसमें उन्होंने उन्हें सूचित करते हुये कहा कि "प्रजामण्डल दुःख देगा। स्कूलों में हड़ताल होने पर 6 व्यक्ति- शिवनाथ सिंह, इन्द्र सिंह आजाद, बनवारी लाल गुप्ता, शिवचरण भार्गव, हरिनारायण शर्मा, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी को गिरफ्तार किया जाय, इससे सहमत हूँ।" इसी के साथ श्री रघुवीर सिंह जावली वाले ने जो उस समय अलवर कलैक्टर थे, ने आदेश पारित किया कि इन 6 व्यक्तियों के साथ मा. राधाचरण गुप्ता, नत्थूराम महाजन (मोदी), सम्पतराम कलाल को भी गिरफ्तार किया जावे, मात्र बनवारी लाल को छोड़ दिया जावे।

दैनिक हिन्दुस्तान दिल्ली के 3 व 4 जुलाई 1938 के अंकों में ये खबरें छापी गई कि दिल्ली कांग्रेस कमेटी के महासचिव कृष्ण नैयर, श्रीमती सत्यवती देवी, और मौलाना इमाम सादरी सचिव कांग्रेस अलवर पहुँचे और प्रजामण्डल की गतिविधियों की जानकारी लेकर 3 जुलाई को दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यह भी बताया कि कल यानी 2 जुलाई को कांग्रेस के

अध्यक्ष प. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी और सचिव पं. हरनारायण शर्मा व श्री लक्ष्मीनारायण खंडेलवाल के वारण्ट गिरफ्तारी जारी हुये हैं।

सिडीशस मीटिंग्स एक्ट की धारा 410 के कारण श्री नायर जी को मुलाकात न तो जेल के बंदियों से हो पाई और न ही वारंट शुदा लोगों से। जेल में कई बंदियों की भूख हड़ताल जारी है। इस बाबत कांग्रेस सचिव दिल्ली प्रदेश, श्री नायर जी ने श्री जमना लाल बजाज को तार दिया कि,"नये घटना क्रम पर हस्तक्षेप करें।" यह ध्यान रहे कि उन्होंने यह इसलिये किया कि उस समय तक अलवर का कांग्रेस संगठनात्मक ढाँचा दिल्ली प्रदेश के अर्न्तगत एक जिला के रूप में था। जेल के बन्दियों की हड़ताल को लेकर स्कूल व कालेज के छात्रों में पुनः हड़ताल शुरू हो गई। श्री लक्ष्मणस्वरूप त्रिपाठी की पत्नी श्रीमती सुशीला त्रिपाठी भी हड़ताल कराने गई और वे भी आन्दोलन में सक्रिय हो गई है।

इसी क्रम में 15 जुलाई 1938 को अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के महासचिव श्री जयनारायण व्यास ने ब्यावर से एक पत्र अलवर के प्राइम मिनिस्टर को भेजा था, जिसमें बंदियों के मामले में जिक्र किया। सुनवाई 'कैमरा प्रोसीडिंग' कमरे में हो रही है, वह अन्यायपूर्ण है। उनकी ओर से मुकद्दमों की पैरवी के लिए 100 रु. प्रतिदिन के मेहनताने पर श्री सत्यनारायण सर्राफ एडवोकेट को नियुक्त किया गया है। बंदी भूख हड़ताल पर बैठे हैं अतः मामले में हस्तक्षेप करें। हम भूख हड़ताल को समाप्त कराने के प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में श्री रामनारायण चौधरी अजमेर वाले अलवर आये और राजा तेजसिंह से मुलाकात के लिये अनुमति चाही। उन्होंने पत्र में आन्दोलन की जानकारी देते हुए कहा कि "(1)कांग्रेस के नेताओं को राजनैतिक बन्दी माना जाय। (2) उनके मामले की सुनवाई कैमरा प्रोसीडिंग की बजाय, खुली अदालत में चलाई जाय, जेल में नही। (3) बन्दियों की पैरवी करने के लिये बाहर के वकीलों को लाने की अनुमति दी जाय। पर राज्य सरकार ने इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं किया है। यह भी कहा गया कि संयुक्त पत्र के श्री प्यारेलाल शर्मा, तथा तीन अन्य वकीलों ने अलवर राज्य सरकार के बंदियों की पैरवी करने की आज्ञा चाही है। इस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। और न ही उनको कोई उत्तर ही भिजवाया गया है। जेल में बंदियों को कोई सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। भूख हडताली कमजोर हो रहे हैं, उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। दो बंदी तो निरन्तर बेहोश पड़े रहते है। इनमें श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी को तो 15-7-38 की सुनवाई के लिये होश में लाने के लिए 3 बार इंजेक्शन लगाये गये हैं। यही नहीं उनकी पत्नी श्रीमती सुशीला त्रिपाठी के घर पर पुलिस का 24 घंटे का पहरा लगा हुआ है। उनसे मिलने वाले आते जाते व्यक्तियों का पीछा किया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है रियासत में नागरिक अधिकारों का पूरी तरह हनन किया जा रहा है। "

श्री चौधरी के इस पत्र के बारे में तथा यहाँ के हालात के बारे में दैनिक हिन्दुस्तान के उन दिनों के अंकों में प्रायः समाचार छपते रहते थे। 16 जुलाई 38 के ही अंक में त्रिपाठी जी की भूख हड़ताल तथा उनकी चिन्ता-जनक हालत तथा भूख हड़ताल को जबरदस्ती तुड़वाने के प्रयासों की विफलता के बारें में छापे गये। समाचार में बताया गया कि उनका वजन 32 पौंड घट गया। यह खबर 19 जुलाई 38 के अंक में छपी।

मा. भोलानाथजी का इस्तीफा और राजनीति में प्रवेश

मा. भोलानाथ जी अलवर राज्य के सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। वे अपनी नौकरी के दौरान ही कांग्रेस की गतिविधियों में रुचि लेते रहते थे और फीस विरोधी आन्दोलन की गतिविधियों से सम्पर्क बनाये हुये थे। उनकी इन गतिविधियों की रिपोर्ट सी. आई. डी. द्वारा उच्चाधिकारियों को मिलती रहती थी। अतः उनका अलवर से तबादला हरसौली में कर दिया गया। वे तबादले पर ड्यूटी देने की बजाय, अलवर शहर में रह सक्रियता से कांग्रेस तथा फीस विरोधी आन्दोलन में भाग लेने लग गये। उन्होंने पहले तो अपना तबादला रद्द कराने की कोशिश की। इसमें सफल नहीं होने पर उन्होंने 7.9.1938 को राज्य सेवा से त्याग पत्र दे दिया।

मास्टर जी के तबादले के साथ ही कुछ छात्रों का स्कूल व कालेज से रैस्ट्रीकेशन कर दिया गया। इनमें श्री हजारी लाल जैन, कालेज छात्र तथा भगवत स्वरूप भार्गव आठवीं कक्षा का छात्र आदि थे। एक छात्र और थे जिनको स्कूल से निकाला गया वे थे, श्री प्रभुदयाल। इन लोगों ने इसकी शिकायत दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक की। वे 27.8.38 को दिल्ली भी गये। यह सी. आई. डी. रिपोर्ट पृष्ठ 326 पर सन् 1938 में दर्ज है। उन दिनों गुप्तचर विभाग बड़ा सक्रिय था, जो पोलीठिकत विभाग के रैजीडेंट जयपुर के पत्र (कॉन्फीडेंशियल ब्रांच) की फाइल से ज्ञात होता है कि-

(1) ऑल इण्डिया स्टेट्स पीपुल्स कांफ्रेंस के जनरल सैक्रेटरी श्री जयनारायण व्यास ने 27.6.38 को ब्यावर से एक पत्र बलवन्त भाई को लिखा जिससे जाहिर होता है कि अलवर राज्य प्रजामंडल ने अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद से अपने आपको 5/- शुल्क जमा कर सम्बद्ध करा लिया था और स्कूलों व कालेज की फीस वृद्धि आन्दोलन की सफलता के लिये अधिक तैयारी के साथ काम में उसके सभी कार्यकर्त्ता लग गये थे।

(2) दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव कृष्णा नैयर ने अपने अलवर प्रवास से ता. 3.7.38 को श्री रामनारायण चौधरी को एक पत्र भेजकर उनसे कहा कि आप अलवर आइये। यहाँ के संगठन को पैरों पर खड़ा कीजिये। हम दिल्ली के समाचार पत्रों में पब्लिसिटी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे कलैक्टर रघुवीर सिंह से मिलने आये। मुलाकात नहीं हो पाई। भूख हड़ताल पर बैठे साथियों के घरों पर सहायता के लिये आर्थिक सहायता की व्यवस्था कीजिये। मुकद्दमे में पैरवी के लिये वकील तैयार करें। यह ध्यान रहे कि कुछ चालाक लोग इस आन्दोलन की दिशा बदल कर तोड़ भी सकते हैं।

(3) इसीलिये दिल्ली कांग्रेस के नेता श्री नरसिंह दास ने ला. रामनारायण चौधरी को 9.7.38 को पत्र लिखा जिसमें बताया, ''मैंने श्री जयनारायण व्यास को अलवर भेजा है। अलवर के कार्यकर्त्ता यह गलती दोहरा रहे हैं कि वे राजा को सहयोग दे रहे हैं। पहले तो इन्होंने दूसरे राजा के लिये उत्तराधिकार के मामले में काम किया था। कांग्रेस और प्रजामंडल के दोनों ही कार्यकर्त्ता महाराज तेजसिंह का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। ये गिरफ्तारियाँ इसी कारण से हुई हैं। कृपया अपने प्रभाव का उत्तरदायी सरकार की राज्य में स्थापना के लिये आम जनता से जुड़ें। मुझे लगता है पं. हरनारायण इस नीति के लिये जिम्मेदार है।

पं. लक्ष्मण स्वरूप एक सभ्य और प्रगतिशील विचार धारा का व्यक्ति है। पर मेरी समझ में नहीं आता कि वह क्यों दूसरों के पीछे चलता रहा है। त्रिपाठी की पत्नी को आर्थिक सहयोग, जब तक वह जेल में रहें , देने का प्रयत्न करें।"

यह पत्र कांग्रेस की स्थिति के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण है और आन्दोलन की भीतरी जानकारी देता है। यह कांग्रेस के व उसके नेतृत्व की मनोदशा तथा उनके राजा से बाद में बन गये सम्बन्धों की ओर भी संकेत देता है। शायद यही कारण है कि जो लोग बड़े जोश खरोश के साथ कांग्रेस के छात्र आन्दोलन में उतरे थे और उनसे बडी आशायें थी, वे शायद जेल से बाहर आने के बाद उतने सक्रिय नहीं रहे। ये बिखर गये। खास तौर से त्रिपाठी जी तो धीरे धीरे अलवर की राजनीति से निराश होकर बाहर ही चले गये, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने हरिपुरा अधिवेशन में सन् 1937 में ही यह निर्णय ले लिया था कि देशी राज्यों में कांग्रेस की इकाइयाँ अपने अधीन स्थापित न कर उनके यहाँ काम करने की पूरी जिम्मेदारी अ. भा. देशी राज्य प्रजा परिषद पर छोड़ दी जाय। इसके अन्तर्गत मा. भोलानाथ के राजनीति में आ जाने पर अलवर में भी जयपुर जोधपुर भरतपुर आदि के साथ साथ ही अलवर राज्य प्रजामंडल स्थापित करने की गतिविधियाँ चलती रही। उधर प्रजामंडल के साथ साथ कांग्रेस भी काम करती रही। सन् 1938-39 का एक समय वह रहा था, जब दोनों ही संगठन बराबर से काम करते रहे। दोनों के संचालन अलग अलग केन्द्रों से होते थे। कांग्रेस का संगठन दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों के संचालन में चलता था और प्रजामंडल का देशी राज्य प्रजापरिषद के नेतृत्व व मार्गदर्शन में। यह भी मज़ेदार बात है कि दोनों ही संगठनों से कुछ व्यक्ति एक साथ जुड़े हुये थे। दोनों के पदाधिकारी अवश्य अलग थे। इस बारे में अधिक जानकारी मास्टर भोलानाथ जी के लेख महात्मा गांधी और अलवर से प्राप्त की जा सकती है। जो इसी पुस्तक में छापा गया है। कांग्रेस के निर्माण की यह प्रकिया चल ही रही थी और एक प्रकार से वह पूरी तरह सही रूप में एक व्यवस्थित व प्रभावी क्रियाशील संगठन के रूप में बन पाया था कि उसके कार्यों में दिलचस्पी लेने के लिये आगे आने वालों को किसी न किसी रूप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता था, कभी महाराजा जयसिंह समर्थक होने पर तो कभी उत्तराधिकार के मामले में अपनी आवाज रखने के कारण। अलवर में राजा तेजसिंह की सरकार ने अन्य देशी राजा और उनके अंग्रेज शासकों के द्वारा प्रजामंडलों के मामलें में तब क्या नीति अपनाई हुई उसका एक अच्छा और रोचक विवरण पूज्य महात्मा गांधी ने अपने एक लेख Kicks & Kisses में दिया है जो उन्होंने 31.1.39 को बारदोली से लिखा और जो उनके 31.2.1939 के हरिजन में छापा गया उसका अलवर से सम्बन्धित अंश निम्न प्रकार है-

"The question of Praja Mandals was then discussed. In this connection H.H the Maharaja of Bikaner, Sir Kailashnarain Haksar, R B. Pt. Amar Nath Atal of Jaipur, Pt. Dharamnarain of Udaipur and Major Harvey of Alwar made valuable contributions to the discussions. Mr. Robertson of Bundi and Mr. McGregor of Sirohi also asked a few questions. Mr. Atal narrated at great length the origin and growth of the Praja Mandal at Jaipur It was evident that

the founders and promoters of these Praja Mandals were disgruntled subjects and dismissed petty officials of the State. A note of caution and warning was sounded. It was agreed that they should be watched very carefully and their activities, however slight or extensive, should be fully reported. It was stated that these Praja Mandals should be crushed immediately and that they should not be allowed to gather strength or to attain the status of an influential body. If they had gained any, an effort should be made to direct adroitly their activities into social channels such as the Sarda Act, etc."

बापू द्वारा नरेन्द्र मंडल की बम्बई मीटिंग के निर्णय का यह जो अंश दिया गया है, वह इन संगठनों के रास्तों की विकट स्थिति की कहानी की एक साफ तस्वीर देता है। यही कारण था कि प्रजामंडल के नेताओं ने अलवर राज्य प्रजामंडल को रजिस्टर्ड कराने में कितना संघर्ष और पापड़ बेलने का काम किया। महाराजा बीकानेर ने तो अपने साथी राजाओं और उनकी ओर से राज्यों का शासन चलाने वालों को तब कितना सारगर्भित संदेश दिया था, जो बापू के उक्त लेख में इस शब्दावली में अंकित है " Be responsive, but no responsible government." H. H. the Maharaja of Bikaner was emphatic in his policy towards the congress and his words can be crystallized the following mottos: Be just, but be firm; follow the policy of 'repression' and reconciliation' as stated in the famous letter of Lord Minto in 1908; ' the policy of kicks and kisses'."

ऊपर के उद्धरणों का पूरा अनुवाद देने की आवश्यकता नहीं समझते हुए हम पाठकों को यही बता देना पर्याप्त समझते हैं कि बम्बई में नरेन्द्र मंडल में राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी इकट्ठे हुये। उस समय प्रजामंडलों के मामलों में विचार किया गया। अलवर की ओर से राजा नहीं गये सिर्फ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मि. हार्वे गये जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इन लोगों की धारणा थी कि प्रजामण्डलों में राज्यों के कुछ असन्तुष्ट और राज्य सेवाओं से निकाले गये तुच्छ अधिकारी कर्मचारी हैं। ऐसे लोगों की गतिविधियों पर सावधानी पूर्वक निगाह रखी जाय। चाहे उनके काम कितने छोटे और व्यापक हों। यह सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इन प्रजामंडलों को तत्काल कुचल दिया जाय और उन्हें शक्ति और प्रभाव बढ़ाने की छूट न दी जाये, ताकि वे इस योग्य बन जाय कि प्रजा उन्हें अपनाने लग जाय यदि वे ऐसा करे तो उन्हें उनकी गतिविधियों के मामलों में सीधे हस्तक्षेप कर उन्हें शारदा एक्ट जैसी कानून की गतिविधियों की ओर मोड़ा जाय।

बीकानेर के राजा गंगासिंह ने तो यहां तक सलाह दी अपने राजाओं को राज्य की प्रजा की ओर ध्यान तो दो, पर उत्तरदायी सरकार देने की बात मत करो। उन्होंने अपनी बात के बारे में एक बात बहुत ही मजेदार कही कि हमारी यह नीति होनी चाहिये कि, न्यायप्रिय बनो, मजबूत रहो, और दमन और मेल-मिलाप के रास्ते पर चलो। उन्होंने लार्ड मिंटो के एक पत्र के इन शब्दों को दुहराया कि हमें लात मारो और चूम लो की नीति का अनुसरण करते हुये चलना चाहिये।

गांधीजी ने राजाओं और उनके सलाहकार दीवानों की नीति का सारांश अन्त में इस प्रकार दिया- (1) राज्यों के लिए गुप पुलिस (2) प्रजामंडलों को तत्काल कुचल दिया जाय

(3) प्रजा के उचित अभाव अभियोगों का निराकरण हो (4) बाहरी आन्दोलनकारी ही तत्वों के साथ कठोरता से वर्ताव करो और उन्हें बाहर फेंक दो (5) सामाजिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दो, पर राजनैतिक गतिविधियों को नहीं (6) राज्य की प्रजा की सही सलाहकार समितियों को बढ़ावा, (7) मेल मिलाप और दमन की नीति, न्याय प्रिय बनो, किन्तु कठोर भी।

प्रजामंडल, प्रजापरिषद आदि के बारे में राजाओं की सरकारों की ऐसी ही नीति थी। इसका सही मूल्यांकन गांधी जी से ज्यादा कौन कर सकता था। उन जैसे व्यक्ति के द्वारा राजाओं की अपनी प्रजा और उनके संगठनों के बारे में ऐसा आचरण यह सिद्ध करता है राजाओं ने अपने राज्यों में क्या किया? उनके राज्यों में अन्य राज्यों में क्या हुआ वह तो दूर की बात होगी- हमारे राजपूताने की रियासतों में कितने सागरमल गोपा जिन्दा जलाये गये, कितने रमेश स्वामियों की शहादतें हुई यह क्या किसी से छिपा है?

श्री जयनारायण व्यास का पत्र: आत्मघात के विरुद्ध चेतावनी

श्री जयनारायण व्यास ने एक पत्र बलवन्त भाई को दिनांक 10 जुलाई 1938 को लिखकर बताया-

''मैं दिल्ली अलवर के मित्रों के सहयोग के लिये गया था। सत्यनारायण वकील तैयार नहीं हुये। प्यारे लाल शर्मा (पूर्व शिक्षा मंत्री संयुक्त प्रांत सरकार 1937) और दिल्ली के कुछ मित्र मुकदमें लड़ने आयेंगे।

बचाव समिति निम्न प्रकार बनायी गयी-

(1) सेठ केदारनाथ गोयनका, (2) श्री आनन्द राज सुराणा (कोषाध्यक्ष) और (3) श्री कृष्ण नैय्यर महामंत्री, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और (4) श्री रामनारायण चौधरी, सम्पादक नवज्योति अजमेर -कनवीनर

इसके लिये एक मीटिंग हुई जिसमें बहिन सत्यवती, दुर्गाभाई वोहरा, श्री बाबूल सिंह, श्री नरसिंह दास, श्री बृजकिशोर चांदी वाला तथा कुछ और साथी हैं। सम्भवत: ऐसे सहयोगी या साथी जो नाम जाहिर करना नहीं चाहते थे, की ओर से मौके पर 500 रु. इकट्ठे हुये, जो भेजे जा रहे हैं। अलवर की राजाशाही ने कुछ व्यक्तियों को नियोजित कर लिया है जो इस आंदोलन को आत्मघात (सैबोटाज) कर रहे हैं। हमें (इनसे) निपटना होगा।''

श्री जयनारायण व्यास ने 10 जुलाई 1938 को ही एक प्रेस कांफ्रेंस की जिसमें उन्होंने जो बयान दिया वह अलवर के तत्कालीन कांग्रेस संगठन के भीतरी घात पर अच्छा प्रकाश डालता है उन्होंने कहा, ''मेरी जानकारी में यह बात आई है कि डॉ. सुमेर चन्द जैन स्वंय-भू अपने को अलवर राज कांग्रेस का महामंत्री बताता है और उसने एक आम सभा करके प्रजामंडल और कांग्रेस की गिरफ्तारियों को डिनाउन्स (भर्त्सना)किया है, जबकि यह कांग्रेस का मंत्री चुना ही नहीं गया। पं. हरनारायण शर्मा कांग्रेस के महामंत्री हैं। डॉ. कांग्रेस के पदाधिकारी बने थे पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और दूसरे व्यक्ति उनकी जगह पदाधिकारी बने। मैं जानता हूँ कि कौनसी ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्होंने कांग्रेस का राष्ट्रीय ध्वज और रिकॉर्ड कांग्रेस ऑफिस से हटाया

(दरसअल तो कांग्रेस ऑफिस को आग लगायी गयी थी) किंतु उनकी चाल सफल नहीं हुई, श्रीमती सुशीला त्रिपाठी की साहसिकता के कारण। और राष्ट्रीय ध्वज कांग्रेस ऑफिस पर फहरा रहा है।

श्री जयनारायण व्यास ने श्री नरसिंह दास को एक पत्र 14 जुलाई 38 को लिखा उसके आधार पर 10-7-38 को सभी वंदी भूख हड़ताल पर थे। वकीलों को अनुमति (मिलने व पैरवी करने की) नहीं दी गई। हर दूसरे दिन मुकदमे की सुनवाई होती थी। इतवार को मिलनी हुई। पत्र व्यवहार पर सेंसर तार पर भी सेंसर। श्री रामनारायण वकील हिसार से वकालत के लिये आ रहे हैं। उन्होंने वकालत के लिये अपलाई (आवेदन) किया है। दिल्ली के मित्रों को कहें श्री वहलसिंह, वर्मा जी, पंडित प्यारे लाल शर्मा को अलवर भेजें। व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री (राज्य के प्राइममिनिस्टर) को कहें कि, 'बयान-कार्यवाही को होने दें।

तारीख 7 जुलाई 38 को श्री जमनालाल बजाज ने एक पत्र प्रधानमंत्री को आंदोलन की पूरी जानकारी पर श्रीमती सुशीला देवी के पत्र दिनांक 17-8-38 पर सुनाई पर ध्यान देने देने को लिखा। (समाचार नेशनल काल)

व्यास जी का अलवर आगमन और निर्वासन

तारीख 17-7-38 को श्री जयनारायण व्यास अलवर के हालात की जानकारी लेने के लिये आये। उन्हें रेलवे स्टेशन से ही बाहर चलें जाने को कह दिया गया। उनके आने के दूसरे दिन 18 जुलाई तक श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी का वजन 32 पौंड घट गया। सरकार द्वारा उन्हें जबरन खाना खिलाया। इसी दिन 29 जून 1938 को फीस विरोधी आंदोलन में गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में निर्णय हुआ, जिसमें 14 से 28 जून के बीच हुई आम सभाओं को ही सिडीशस एक्ट में माना गया।

I सन्दर्भ सूत्र

सी. आई. डी. रपट 1938 पेज 167 के अनुसार राजर्षि कॉलेज की विनय में प्रकाशित लेख पर रोक पढ़ने-छापने की लगाते हुए, उसकी कापियाँ ज़ब्त की गई जिसमें भारत की गरीबी-लेख भूपण प्रसाद जैन तथा भूख हड़ताल-लेख रामनारायण अवस्थी छात्र कक्षा XII का लेख छापे गये थे।

II राजर्षि कॉलेज पुस्तकालय में रेड- (सी. आई. डी. डायरी 17-5-38)

III अलवर राज्य प्रजामंडल उद्देश्य और कार्यक्रम (पुलिस डायरी 17.5.38)

IV 26 मई 1938 की प्रजामंडल की जो सभा हुई, जिसमें प्रजामंडल को अ. भा. देशी लोक राज्य परिषद से सम्बद्ध करने का निर्णय लिया गया, उनकी रिर्पोट सी. आई. डी. ने की।

V प्रो. जी. एस. जैमन के आपत्ति जनक लेख जो विनय में छापे गये पर सुलतान सिंह होम मिनिस्टर ने मेजर प्रायर को 2.6.38 को पत्र लिखकर प्रो. जैमन को मात्र चेतावनी देने की सिफारिश की।

VI नेहरूजी, गांधीजी की जीवनी आदि के संबंध में जिन पुस्तकों या मैगजीनों में लेख थे, उन्हें कॉलेज पुस्तकालय में न रखकर महाराज तेज सिंह के निजी पुस्तकालय विजय मंदिर में भेज दिये जाने का सुझाव दिया।

VII राजगढ़ में प्रजामंडल की शाखा 4-6-38 को खोली गयी,

VIII कलेक्टर अलवर श्री रघुवीर सिंह ने 15-6-38 को एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा जिसमें उन्होंने यह जानकारी दी गई कि छात्रों के फीस विरोधी आन्दोलन की पूरी तैयारियों के लिये कांग्रेस जुट गई है। इस सिलसिलें में 14.6.1938 को कंपनी बाग में लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, हरिनारायण शर्मा, इन्द्र सिंह आज़ाद, शिवचरण आदि ने एक सभा फीस माफी के लिये की, जिससे लगता है कि इस वर्ष स्कूल खुलते ही कुछ हो कर रहेगा। कृपया ध्यान दें, 14.6.38 की हुई मीटिंग की रपट 21.6.38 को हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी थी।

अलवर कलेक्टर को प्रधान मंत्री की ओर से निर्देशित किया गया कि, जो 19.6.38 को मीटिंग होगी, यदि तीन बार ऐसा करें तो चालान करें। इसी समय गुप्तचर विभाग ने सरकार को रपट दी कि स्वामी नरसिंह राव व श्री जयनारायण व्यास अलवर आयेंगे। इस पर प्रधान मंत्री की ओर से जिसमे पुलिस को आदेश दिये गये कि वे यहाँ 19.6.38 की सभा के लिये आयें उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से राज्य निर्वासित करने का वारण्ट थमा दिया जाय। मीटिंग हुई पर वे नहीं आये। 21.6.38 को नत्था सिंह, इन्दर सिंह भार्गव, बनवारी लाल, शिवचरण भार्गव, पं. हरनारायण शर्मा, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी ने सभायें की। इनके विरुद्ध कार्यवाही करने के पर्याप्त सबूत हैं (सी. आई. रिपोर्ट 22.6.38)।

22 जून से 28 जून 38 को शहर के हर गली मौहल्ले में सभायें हुई। सी. आई. डी. ने इसकी अपनी रिपोर्ट में पूरी जानकारियाँ दी।

प्रजामंडल के मंत्री पंडित हरनारायण शर्मा के बारे में कुछ टिप्पणियाँ-

ये राजाशाही समर्थक माने जाते थे। हिन्दू विचार धारा के पोषक व स्वभाव से अक्खड़ और गर्म मिजाज थे और हमेशा ही लट्ठ हाथ में रखने के कारण इन्हें जनता ने लट्ठमार की उपाधि दे रखी थी। इन्होंने एक तार तेजसिंह को दिया की "हम महाराजा साहब का स्वागत करना चाहते है, महाराज कुमार के जन्म दिवस पर। अतः हमें मुलाकात की अनुमति दी जाय।"।

प्रजामंडल का प्रतिनिधि मंडल 26 जून 38 को महाराज से नहीं मिल पाया क्योंकि अनुमति नहीं दी गयी। बल्कि आई. जी. पुलिस ने 24 6.38 को निर्देश रिपोर्ट दी की इन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जावें। साथ ही सुशीला देवी त्रिपाठी के ख़िलाफ भी कार्यवाही किये जाने की हिदायत दी।

इस प्रकार जैसा कि व्यास जी ने अपने ऊपर दिये पत्र में लिखा था अलवर के आंदोलन में आपसी मतभेद व रस्साकशी थी। उनमें किसी प्रकार का तालमेल भी नहीं था। यह बात सही है कि ये मतभेदों के बावजूद आंदोलन में कूद पड़ते थे और जेल भी जाते थे।

सन् 1938 से 1941 तक कांग्रेस सदस्यों की संख्या

सन् 1938 में, जबकि कांग्रेस कई आन्दोलनों व संघर्षो से गुजर रही थी, तब उसकी कुल सदस्य संख्या मात्र 71 थी, जिसमें सरदार नाथसिंह, काज़ी शैफुद्दीन, पं. हरनारायण शर्मा, डॉ. सुमेर चन्द जैन, श्री लच्छीराम सौदागर, पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, पं. रामचन्द्र उपाध्याय, श्री रामकिशोर उर्फ जयशिव, श्री गोपीकृष्ण, पं. नाथूराम भारद्वाज, मा. राधा चरण गुप्ता टप्पलवाले, श्री शिवचरण लाल भार्गव, श्रीमती सुशीला देवी त्रिपाठी, श्री इन्द्रसिंह आज़ाद, श्री सम्पतराम सोमवंशी, श्री रूपकिशोर, श्री नाथसिंह, श्री रवीन्द्र नाथ चौबे, (बाटा शू कम्पनी)

यह भी एक कटु सत्य है कि कांग्रेस के इस शुरुआती दौर में इतनी कम संख्या होते हुए भी, उसकी कार्यकारिणी के सदस्यां में एक बार तो 11 में से 8 सी. आई. डी. के आदमी मर गए थे। यह तब हुआ जब प्रमुख सक्रिय लोग जेल में थे।

सन् 1939 में यह संख्या 46 रह गई जबकि 1940-41 में बढ़कर 398 हो गई। सन् 1939 से कांग्रेस के स्थान पर अलवर राज्य प्रजामंडल अस्तित्व में आ गया, इसलिये कांग्रेस की सदस्य संख्या कम हो गई और 40-41 में वह पूरी तरह प्रजामंडल में बदल गई।

सन् 1939 का घटना-क्रम

सन् 1939 का साल कांग्रेस और प्रजामंडल दोनों की दृष्टि से काफी महत्व का साल था। कांग्रेस के इस समय तक पिछले छात्र विरोधी आन्दोलनों तथा स्व. महाराज जयसिंह की मृत्यु के बाद के अलवर की गद्दी के उत्तराधिकार के मामले में जो प्रतिरोधात्मक कार्यवाहियाँ चलीं उनके कारण बहुत से उत्साही नवयुवक कांग्रेस से जुड़े। इसी काल में तब के कांग्रेसी नेता पं. सालगराम के पुत्र श्री रामचन्द्र उपाध्याय अपना अध्ययन बनारस में पूरा कर अलवर में आये और अपने पिता के पदचिन्हों पर कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल हो गये। श्री बदरी प्रसाद गुप्ता, श्री कृपादयाल माथुर आदि भी अपनी पढ़ाई पूरी कर यहाँ आकर वकालत करने लगे। इस तरह वकीलों का कांग्रेस में प्रवेश होने लग गया। पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी और मा. भोलानाथ, पं. बृजनारायणाचार्य की भांति राज सेवा से त्याग पत्र देकर राजनीति में सक्रिय हो गये। वे शुरू से ही प्रजामंडल की स्थापना के लिये विशेष प्रयत्नशील रहे। इस तरह इसका साल (1938) से 1940-41 तक यहाँ पर आज़ादी के लिए काम करने वाले, कांग्रेसी और प्रजामंडल दोनों में ही कहीं समानान्तर तो कहीं एक ही छत्री तले काम करते रहे।

आइए, अब सन् 1938 की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नज़र डाल लें-

(1) कांग्रेस कार्यालय की स्थापना

दिनांक 4.1.39 को अलवर राज्य कांग्रेस कमेटी का दफ्तर खोला गया। यह दफ्तर मुंशी बाजार में मुसम्मात तन्नी एवं फूलबाई बेवा बख्तावर से 2 रु. मासिक किराये पर मा. भोलानाथ के नाम से लिया गया। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौ. अब्दुल गफ्फार जमाली, मंत्री श्री राधाचरण गुप्त, कोषाध्यक्ष श्री नत्थूराम मोदी, मा. भोलानाथ कार्यकारणी सदस्य थे।

ता. 23.1.39 को श्री मोहन सिंह सेंगर, सम्पादक, अग्रसर हिन्दी साप्ताहिक पिछले दिनों से श्रीमती सुशीला त्रिपाठी के यहाँ आकर रहे, श्री जमनालाल बजाज की जयपुर में हुई गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित सत्याग्रह, जो *1.2.1939 से होना था*, में सहयोग और तैयारी के लिये आये थे। उन्होंने अलवर के श्री जमाली, मा. भोलानाथ, गुरू बृजनारायण आचार्य से जयपुर सत्याग्रह के लिये सहयोग का प्रस्ताव किया जिस पर इन लोगों ने सहानुभूति तो दिखाई पर जयपुर जाकर भाग लेने में अपनी विवशता बताई।

दिनांक 21 जनवरी 1939 को मौ. अब्दुल गफ्फार जमाली, मा. भोलानाथ, श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, श्री राधाचरण गुप्त, श्री गंगाराम हलवाई, पं. गोपी कृष्ण आदि स्वतन्त्रता दिवस मनाने के लिये कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित हुये और शहर के बाजारों और गलियों में झंडा लेकर प्रभात-फेरी निकाली।

श्री जमना लाल बजाज का स्टेशन पर स्वागत

दिनांक 1, जनवरी 1939 को दिल्ली से जयपुर थ्रीअप से गुजरने पर अलवर स्टेशन पर 300 व्यक्ति जिनमें 200 छात्र थे, उनका स्वागत करने के लिये पहुँचे, जिनमें जमाली जी, मा. भोलानाथ, राधाचरण जी, सम्पतराम जी, पं. गोपीकृष्ण, श्रीमती सुशीला देवी, पं. सालगराम नाजिम, श्री नत्थूराम मोदी, श्री लक्ष्मीराम सौदागर आदि फूलमालायें व गुलदस्ते लिये हुये, इनक्लाब जिन्दाबाद। भारतमाता की जय, महात्मा गांधी की जय, पं. नेहरू की जय, नारे लगाते रहे। रेल के आने पर बजाज साहब, प्लेटफार्म पर खड़े हुये। सभी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण में इतना ही कहा "हमारी मांग हैं, अंग्रेजों को राज्यों में मत भेजो। और सरकार से मत टकराओ। राजकोट व जयपुर की स्थिति देखकर आगे बढ़ो।"

श्री बजाज का राजगढ़ स्टेशन पर स्वागत

अलवर से आगे चलकर राजगढ़ स्टेशन पर श्री जमना लाल बजाज का स्वागत 150 व्यक्तियों ने किया। यहाँ उन्हें खादी भंडार से लाई गई खादी की माला पहनाई गई। श्री बजाज से श्री कन्हैया लाल पंड्या ने श्री लालाराम सेठ, श्री रामेश्वर दयाल महाजन, श्री निरंजन लाल प्रधान आदि का परिचय कराया।

बजाज को जयपुर में गिरफ्तार कर अलवर छोड़ना

श्री जमना लाल बजाज को फरवरी 1939 में शुरू हुये सत्याग्रह के सिलसिले में जयपुर में गिरफ्तार कर उन्हें एक एस. आई. भौंरेलाल एक कार में बैठाकर अलवर के जंगलों में छोड़ने के लिये लाया। कुछ लोगों का ख्याल है, वह उन्हें दिल्ली लेकर जा रहा था। अलवर प्रजामंडल के कुछ पुराने साथियों का कहना है कि श्री बजाज की गिरफ्तारी कर उन्हें थाना थाँदौल तक लाने की खबर जब अलवर के कांग्रेस वालों को लगी तो वे इस प्रकार गिरफ्तार कर अलवर सीमा में छोड़ने का विरोध करने के लिये भागाभागी होते हुये थाना थाँदौल पहुँचे। ये सभी छात्र नेता व कार्यकर्ता थे जिनमें सर्व श्री हीरालाल भारतीय, कल्याण सहाय, गुरुदयाल माथुर, महावीर प्रसाद जैन, रामस्वरूप पाठक, छोटू सिंह, रामजीलाल शर्मा राजगढ़, विजय सिंह अग्रवाल आदि मुख्य थे। इन लोगों ने पुलिस अधिकारी का घेराव कर यह विरोध जताया कि

सेठ जी को अलवर क्षेत्र में क्यों छोड़ा। इस विरोध के कारण पुलिस वाले उन्हें वापिस जयपुर ले गये। इस तरह हम देखते हैं कि जयपुर के आन्दोलन में जब कांग्रेस ने कोई सहयोग नहीं दिया वहीं यहाँ छात्रों ने बजाज साहब के अलवर में निर्वासित किये जाने का विरोध किया।

राजर्षि कॉलेज के छात्रों की हड़ताल व राजा का घेराव

जयपुर प्राजमंडल के आन्दोलन के सिलसिले में सेठ जमना लाल बजाज को गिरफ्तार कर अलवर की सीमा में न छोड़ने देने की कामयाबी तथा वहाँ के प्रजामंडल के समर्थन व राज्य सरकार के दमन के विरोध में राजर्षि कॉलेज के छात्रों ने 8 फरवरी को हड़ताल की। इस हड़ताल का संचालन पूरी तरह क्रांतिकारी छात्र कर रहे थे। इस सिलसिले में 12 फरवरी की सी. आई.डी. रपट बताती है कि राजर्षि कॉलेज के छात्रों की मीटिंग अभी हुई है। प्रिंसिपल छात्रों की मीटिंग, शनिवार को जरूर-जरूर करें अन्यथा, 13 फरवरी को छात्र विद्रोह (विस्फोट) करेंगे। यह ता. 8 फरवरी 1939 की घटना की पुनरावृति होगी। छात्र नेताओं में 29 विशेष सक्रिय हैं जिनमें बृजकिशोर, श्यामलाल रामस्वरूप, रामनारायण सिंह, सत्यभान स्वरूप, कृष्ण चंन्द्र, विजय सिंह अनावड़ा। श्री अनावड़ा बाद में 1977 में बांदीकुई व पूर्व में 1967 में गैगानगर से विधायक बने। इनके साथ ही बनवारी लाल शर्मा आदि हैं। इन छात्रों को मा. राधाचरण, मा. भोलानाथ, कुंजबिहारी लाल मोदी, अब्दुल गफ्फार जमाली आदि कांग्रेसियों का वरदहस्त है। प्रिंसीपल ने छात्र यूनियन की बैठक नहीं बुलाई। अतः छात्रों का 13 फरवरी को सत्याग्रह कॉलेज गेट पर हुआ। जब महाराजा तेजसिंह उधर से गुजरे, उन्होंने कार निकाली, छात्रों ने उन्हें देखा और घेराव कर लिया। महाराज ने छात्रों की बात सुनी। कॉलेज की 12वीं कक्षा के छात्र महेश चन्द्र ने कहा कि ता. 8 को छात्रों पर जो जुर्माना किया गया है, उसे वापिस लिया जाय। महाराजा ने कहा तुम अपना, प्रतिवेदन शिक्षा मंत्री को दो, तभी कार्यवाही होगी। इसकी खबर पाने पर बाद में शिक्षा मंत्री ठा. सुलतान सिंह गृहमंत्री आये। उन्होंने कहा, पहले छात्र अपनी कक्षाओं में जायें। वे वहाँ आधा घंटे तक रुके रहे। छात्रों की हाजिरी ली गई। इस पर भी 55 छात्र अनुपस्थित रहे। यह स्मरण रहे उस समय कॉलेज की कुल छात्र संख्या में यह अच्छी गिनती थी। प्रिंसीपल साहब ने अपना संयत भाषण देकर छात्रों को संयत किया और राज्य सरकार से टकराने से अलग रहने की सलाह दी। बाद में वह जुर्माना माफ कर दिया गया।

दिनांक 25 फरवरी 39 को श्रीमती सुशीला त्रिपाठी के पास एक पत्र जयपुर आन्दोलन के लिए धन भेजने के बारे में आया। साथ ही आदमी भी भेजने को कहा गया। उनको लिखे पत्र को दिखाकर मा. राधाचरण चन्दा इकट्ठा करने लगे। धन और जन भेजे गये या नहीं पता नहीं चला।

इसी बीच अंजुमने इस्लाम को रजिस्टर्ड कराने हेतु अब्दुल अजीज, अब्दुल गफूर आदि 10 व्यक्तियों ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। यह राजनैतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण घटना थी।

दिनांक 5 मार्च 1939 को मोदी कुंजबिहारी लाल ने एक हैंडबिल छपवा कर बाँटा कि कांग्रेस के रजिस्ट्रेशन के लिये शर्तों की बाध्यता गलत है। इस बाबत श्रीमती सुशीला त्रिपाठी के घर पर एक मीटिंग हुई जिसमें श्री जमाली, श्री मोदी कुंजबिहारी लाल, नत्थूराम जी मोदी, मा. राधाचरण जी, द्वारका प्रसाद गुप्ता आदि ने भाग लिया।

मीटिंग के बाद छात्र नेता द्वारका प्रसाद झंडा लेकर शहर में होते हुये पुरजन विहार तक गये। इसके बाद 13 मार्च 39 को श्रीमती त्रिपाठी व श्री राधाचरण ने त्रिपोलिया में एक इश्तिहार चिपकाया कि श्री लक्ष्मणस्वरूप त्रिपाठी, श्री इन्द्र सिंह आज़ाद की जेल से छूटने की तारीख आ रही है। इन राष्ट्र भक्तों का स्वागत करो। स्वागतार्थ 15 रुपये का चन्दा भी मिला है। तदनुसार 16 मार्च को इन नेताओं की रिहाई हुई और घोषणानुसार 17 मार्च को उनका स्वागत किया गया।

गांधी जी के अलवर होते हुये जाते समय स्वागत के लिये भीड़

कांग्रेस जनों की ओर से अलवर की जनता से अपील की गई कि महात्मा गांधी 14 मार्च 1939 को फोरडाउन ट्रेन से अलवर होते हुये जायेंगे। अत: जनता उनका स्वागत करने के लिये रेल्वे स्टेशन पर पहुँचे। इस हेतु कांग्रेस जन झंडे लेकर लगभग 1500 आदमियों को लेकर गये जिनमें 150 छात्र थे। कुछ राज्य कर्मचारी व पुलिस वाले भी पहुँचे। ट्रेन आने के साथ ही कांग्रेस जन बड़े उत्साह के साथ नारे लगाने लगे। पर अफसोस कि महात्मा जी इस ट्रेन से नहीं आये। स्वागतार्थ और भीड़ के साथ छात्र नेता बनवारी लाल व सम्पत राम सोमवंशी भी थे जो एक-एक साल की जेल के दौरान अच्छे आचरण की जमानत पर पाबन्द होते हुये भी शामिल थे। उस समय इतनी पाबन्दियों और सरकार की कड़ी निगरानियों के बावजूद गांधी जी के दर्शन पाकर धन्य होना हर आदमी की कामना थी। रात को टू डाउन ट्रेन पर भी गांधी जी को देखने के लिए लोग गये। पर महात्मा जी 15 मार्च 1939 को थ्री अप ट्रेन से आये। इस अवसर पर सी.आई.डी. के एक पूर्व कर्मचारी ने फ्लैग सैल्यूट रेल्वे स्टेशन पर दिया। बाहर नारे लग रहे थे, गांधी जी जिन्दाबाद, भारतमाता की जय आदि। गांधी जी के निजी सचिव ने बाहर आकर उन्हें जगाने से मना कर दिया, यह कहकर कि बापू सो रहे हैं, वे बहुत थके हुये हैं। पर पं. सालिगराम नाज़िम, मा. भोलानाथ, अब्दुल गफ्फार जमाली, श्रीमती सुशीला त्रिपाठी आदि तेजी से धक्का-मुक्की कर डिब्बे में घुस गये। उन्होंने सोये हुये महात्मा जी के चरणों में फूल मालायें और गुलदस्ते चढ़ाकर उन्हें प्रणाम किया। उनके निजी सचिव ने विश्वास दिलाया कि तीसरे दिन 18 मार्च को अपनी वापिसी यात्रा पर थ्री अप से आते समय बापू आप सब लोगों से मिलेंगे। गांधी जी के दर्शनार्थ आने वालों में प्रमुख लोग थे- नथासिंह, गौरी चरण गुप्ता बजाज, मिश्री लाल (श्री इन्द्र सिंह के भाई), गंगा दीन मोदी, प्रभुदयाल मोदी (अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री) गंगा सहाय तेली, गंगा राम हलवाई, हीरालाल यादव, छात्र बनवारी लाल, हजारी लाल जैन, दुलीचन्द, गिरांज छात्र, जिनके साथ छात्र संघ व छात्रावासों के विद्यार्थी थे, गांधी जी के दर्शनार्थ आये। यह ध्यान रहे श्री प्रभुदयाल मोदी का गांधी जी के दर्शनार्थ आना इसलिये महत्वपूर्ण था कि ये इसी समय हाल में बने चैम्बर आर्फ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष बने थे। ऐसी संस्थाओं के पदाधिकारियों का सरकार की निगाह में गलत कामों में भाग लेना, उन दिनों कितनी जोखिम का काम था।

नगरपालिका के चुनाव और कांग्रेस

अलवर नगर पालिका के चुनाव 17.7.39 को होने वाले थे। इस बारे में चुनावी रणनीति तय करने के लिये 14 मई को कांग्रेस की एक मीटिंग हुई जिसमें पं. हरनारायण शर्मा लट्ठमार श्री नथासिंह, मोदी कुंजबिहारी लाल, श्री जकाती, मा. गोपीकृष्ण, मा. भोलानाथ, गंगाराम हलवाई

आदि ने भाग लिया। वाद विचार कांग्रेस ने चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। यह इसलिये कि सरकार ने पालिका के कुल 10 वार्ड बनाकर यह कहा कि अमुक वार्ड से हिन्दू उम्मीदवार लड़ेगा और अमुक से मुसलमान। कांग्रेस ने इस प्रकार के विभाजन को घातक माना। पर बाद में पता नहीं, कांग्रेस के ही लोगों ने यह होते हुये चुनाव लड़ा। वार्ड नं. 3 से पं. रामचन्द्र उपाध्याय, वार्ड नं. 9 (तीज की मौहल्ला) से जमाली, वार्ड नं. 4 से नत्थूराम मोदी व एक अन्य वार्ड से मोदी कुंजविहारी लाल चुनाव लड़े और जीते। इन चुनावों में कांग्रेसी उम्मीदवार श्री नत्थूराम मोदी के मुकाबले में श्री शोभाराम ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वे हारे। यह स्मरण रहे ये ही बा. शोभाराम महात्मा गांधी द्वारा 21 दिनों की भूख-हड़ताल के समर्थन में 13 दिनों की भूख-हड़ताल कर प्रजामंडल में आये और उसके एक छत्र नेता बन कर बाद में राजस्थान के 4 बड़ों में माने गये।

चुनाव सम्पन्न होने पर उपाध्याक्ष पद के लिये चुनाव हुये। अध्यक्ष के चुनाव नहीं कराकर राज्यसरकार इस पद पर अपनी ओर से मनोनयन करती थी। उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया जो श्री चिरंजीलाल पूर्व मुंसिफ के मुकाबले में हारा।

बाद में मोदी नत्थूराम के पालिका की सदस्यता से इस्तीफा देने पर चुनाव हुये और शोभाराम जी ने चुनाव लड़ा और वे विजयी हुये।

जमाली रिश्वत के मामले में फँसे

नगरपालिका के सदस्य श्री अब्दुल गफ्फार जमाली को 100 रुपये की रिश्वत, एक कार्नियाल कम्पनी से लेते हुये पुलिस ने रंगे हाथों 21.12.1939 को पकड़ा। यद्यपि श्री जमाली ने इसका विरोध किया और जाँच की मांग की। वे गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये। उनके साथ ही तीन व्यक्ति भी थे इस मामले में पर वे फरार हो गये। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में मुसलमान समुदाय की एक मीटिंग हुई और एक पर्चा विरोध करते हुए बाँटा गया, सत्याग्रह की धमकी दी गई। शायद इसी बात से डरकर सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। पर इसके बाद वे प्रजामंडल व कांग्रेस की ओर नहीं मुड़े और राजनीति से दूर हो गये।

श्री जमाली ने बाद में यहाँ पर हो रहे हिन्दू मुसलमान दंगों और झगड़ों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट लिखी जो 'जमाली रिपोर्ट' के नाम से मशहूर है। उसमें मुसलमानों के साथ नौकरियों आदि में भेदभाव बरते जाने तथा उनके साथ होने वाले अत्याचारों, दमन आदि के अनेक मामले दिये। रिपोर्ट छापी गई। इसके बाद वे मुसलमान नेता के रूप में कुछ समय सक्रिय रहे।

यहाँ एक घटना का जिक्र कर इस लेख को समाप्त करना चाहेंगे। सन् 1937 में राज्य प्रशासन ने श्री इन्द्रसिंह आजाद को उनकी स्पष्टवादिता एवं निडरता पूर्ण जूझारू प्रवृत्ति के कारण जय दयाल नामक व्यक्ति के इस्तगासे के आधार पर आई. पी. सी. की धारा 336व 488 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में मामले में समझौता हुआ श्री आजाद को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ●

अलवर राज्य प्रजामंडल की संघर्ष गाथा

❑ हरिनारायण सैनी

अलवर प्रजामंडल को विधिवत मान्यता 1 अगस्त 1940 के सरकार के रजिस्ट्रेशन के फैसले के बाद मिल गई। प्रजामंडल को इस दौरान दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिये राज्य सरकार की वारफण्ड वसूली की और जबरदस्ती की कार्यवाहियों का मुकाबला करना पड़ा। इस विरोध के कारण कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रजामंडल के नेता मा. भोलानाथ और पं. हरनारायण शर्मा भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किये गये। इसी काल में नगरपालिका के दूसरे चुनाव 1941 में हुये। सन् 1941 में ही कम्पनी बाग में प्रसिद्ध खादी प्रदर्शनी हुई। राजगढ़ में जागीर माफी कान्फ्रेंस, खादी भंडार की स्थापना, पहले मोदी नत्थूराम जी के खादी भंडार के रूप में हुई इन सब बातों को हम विस्तार से चर्चा न कर यही कहना चाहेंगे कि इसके लिए जानकारी चाहने वाले मा. भोलानाथ जी का लेख पढ़ें, जो इसी पुस्तक में 'गांधी जी और अलवर' शीर्षक से छापा गया है। इस काल में सन 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान अलवर के छात्रों की उसके समर्थन में विशाल हड़ताल और यहाँ के क्रांतिकारी छात्रों द्वारा अंग्रेजी शासन और उसके प्रतीक डाकखानों-रेल पटरियों को जलाने-उखाड़ने की योजनायें बनाई गई। इन छात्रों ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत तो सन् 1939 में ही कर दी थी। और यही कारण है कि इन लोगों ने श्री जमना लाल बजाज को अलवर में छोड़ने का विरोध कर कामयाबी हासिल की।

छात्र आन्दोलनों एवं यहाँ की क्रांतिकारी गतिविधियों के सूत्रधार नेताओं में सर्व श्री महावीर प्रसाद जैन, हीरालाल भारतीय व चिरंजीलाल वर्मा थे। छात्र नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में कुछ अन्य साथी भी इस प्रकार की गतिविधियों से जुड़े हुये थे, जिनमें सर्व श्री कृष्ण चन्द्र खंडेलवाल, हरप्रसाद गुप्त, आदि थे। गुप्त रूप से ही ये लोग अलग ग्रुपों में अपनी

काम को इतने समर्पित थे कि इन्होंने अपने घर से जेवरात की चोरी कर कांग्रेस के एक सबसे बड़े नेता को हथियार तथा बम बनाने की सामग्री लाने को उसे दे दिया। पर नेताजी ने उन्हें सामान न लाकर सारा माल चम्पत कर अलवर से ही बाहर चले गये।

इन क्रांतिकारी छात्रों ने ही गांधी जी सहित सभी बड़े नेताओं को बम्बई में 8 अगस्त के कांग्रेस के भारत छोड़ो आन्दोलन के कारण गिरफ्तारी के विरोध में राजर्षि कॉलेज व स्कूलों की हड़ताल कराई, जबकि प्रजामंडल के नेताओं ने कोई आन्दोलन नहीं किया। इन छात्रों ने ही बापू के सन्देश 'करो या मरो' के जवाब में अपनी समझ के अनुसार डाकखाने आदि जलाने, रेल पटरियाँ उखाड़ने, टेलीफोन, टेलीग्राम के तार काटने आदि की योजनायें बनाई। इन्हें इसमें आने वाली दीवाली के दिन कुछ डाकखानों में विस्फोट सामग्री रखकर जलाने में सफलता मिली। इस कार्यवाही में तीन साथी गिरफ्तार हुए सर्व श्री महावीर प्रसाद जैन, हीरालाल भारतीय और चिरंजी लाल वर्मा। इन पर मुकदमे चलाने पर ये जेल गये। श्री चिरंजीलाल वर्मा अपनी आगरा में पढ़ाई छोड़कर अलवर में आकर इनके साथ हो गये थे और आग लगाने में शामिल हुए। श्री वर्मा श्री शोभाराम के छोटे भाई हैं। आप अपने यशस्वी भाई से भी पहले कांग्रेस की गतिविधियों में कूद पड़े थे।

क्रांतिकारी साथियों में से काफी युवक कांग्रेस और प्रजामंडल से जुड़कर काम करने लगे। धीरे-धीरे उनकी समझ में आ गया कि मात्र कुछ आतंकवादी और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों से स्वाधीनता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए पूरे देश की जनता को एक संगठन से जोड़कर ही वह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

प्रजामंडल में श्री महावीर प्रसाद जैन, कृष्ण चंद्र खंडेलवाल, छोटू सिंह आदि नवयुवक तो छात्र संघर्षों एवं क्रांतिकारी गतिविधियों के रास्ते आये ही, इनके अलावा संगठन में बाहर से शिक्षा प्राप्तकर आने वाले श्री रामचन्द्र उपाध्याय, श्री कृपादयाल माथुर, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता आदि भी सक्रियता से उसके साथ जुड़ गये। ये लोग चूँकि पेशे से वकील थे, इसलिए संगठन को काफी प्रतिष्ठा दिलाने वाले सिद्ध हुये। पर यह विडम्बना ही कही जायगी कि जहाँ संगठन में नये लोग आ रहे थे, वहीं पुराने संघर्षशील व्यक्ति धीरे-धीरे उससे दूर होते चले गये। इनमें सबसे पहले पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी थे, जो अलवर छोड़कर बाहर चले गये। बाहर जाकर वे पहले पत्रकारिता एवं लेखन कार्य में लगे और बाद में शिक्षा क्षेत्र में सेवारत रहकर सदैव के लिए यहाँ के राजनैतिक परिदृश्य से ओझल हो गये। इसी प्रकार कुछ समय के लिये श्री इन्द्रसिंह आजाद भी दिल्ली जाकर अपने बहनोई श्री दीनानाथ दिनेश के साथ काम करने लगे। यह दूसरी बात है कि वे थोड़े समय बाद ही अलवर आकर निजी तौर पर काम करने लगे। वे हरिजन स्कूलों में शिक्षण कार्य में भी कुछ समय के लिए लगे, पर संगठन में उन्हें जिम्मेदारी का कोई काम नहीं मिला। हाँ वे आगे जब प्रजामंडल का आन्दोलन या संघर्ष हुआ उसमें पूरी शक्ति से लगे और जेल भी गये। इसी प्रकार श्री मोदी कुंजबिहारी लाल भी अपनी पत्रकारिता एवं प्रेस के धन्धे में लगकर संगठन से दूर होते गये। वे भी प्रजामण्डल के आन्दोलनों आदि में आज़ाद की ही तरह सक्रिय हो जाते थे। उनके प्रजामंडल नेताओं से अक्सर सम्बन्ध अच्छे नहीं रहते थे, अतः उनकी उनसे पटरी नहीं बैठती थी।

कांग्रेस और प्रजामंडल के कुछ नेता, पं. हरनारायण शर्मा, मोदी नत्थूराम, श्री लक्ष्मीनारायण खंडेलवाल, श्री भवानी सहाय शर्मा, आदि संस्था में बने रहे और अपने ढंग से सक्रिय भी होते गये। सन् 1942 के आन्दोलन के बाद प्रजामंडल में एक साथ बहुत से साथियों का प्रवेश हुआ। इनमें सर्व श्री लाला काशीराम, दयाराम गुप्ता, मायाराम बालोनी आदि प्रमुख हैं। श्री शोभाराम सन् 1943 में महात्मा गांधी द्वारा पूना के आगा खां पैलेस में 21 दिनों की भूख हड़ताल करने पर स्वयं 13 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे और उसके बाद प्रजामंडल में शामिल हो गये। उनके आने के थोड़े दिनों बाद ही श्री रामजीलाल भी यहाँ आकर बस गये। इसी प्रकार कुछ और साथी भी अधिकतर बाहर से आकर कांग्रेस में शामिल होकर अलग-अलग मोर्चों पर काम करने लगे। प्रजामंडल के इस विवरण को हम संक्षेप में रखते हुये यही कहना चाहेंगे पाठक आगे की घटनाओं के साथ इस काल की घटनाओं का विवरण अन्यत्र देख सकते हैं। इसके लिये मा. भोलानाथ जी का लेख काफी जानकारी देगा, खासतौर से प्रजामंडल की स्थापना, कांग्रेस दफ्तर के ताला तोड़ने का मामला, अलवर की खादी प्रदर्शनी, राजगढ़ की जागीर माफी कान्फ्रेंस आदि के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। कुछ बातें, इसी लेख के अगले भाग में विस्तार दी गई हैं यहाँ उन्हें दोहराना उचित नहीं होगा।

प्रजामण्डल का नया नेतृत्व :

अलवर राज्य में स्थानीय प्रजामण्डल के नेतृत्व में राजनैतिक गतिविधियों का सिलसिला सही रूप में सन् 1943 के साल से एक निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर तब चला, जब संस्था के नेतृत्व की बागडोर सर्व श्री शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल, लाला काशीराम, फूलचन्द गोठड़िया आदि नये आने वाले उत्साही एवं कर्मठ लोगों के हाथ में आ गई। मा. भोलानाथ यद्यपि सन् 1938-39 से ही प्रजामण्डल से जुड़ गए थे, पर वे संस्था को अलवर शहर और प्रजामण्डल से आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाये। उनका जोर संस्था को बाहर के नेताओं से सम्बन्ध रख, चलाते रहने का था।

सन् 1943 में श्री रामजीलाल अग्रवाल कानपुर, इन्दौर आदि स्थानों में अपने अध्ययन के दौरान छात्र आन्दोलनों तथा मजदूर संगठनों में काम करने का पूरा अनुभव लेकर अलवर में आकर रहने लगे। यहाँ आते ही उन्होंने यहाँ के नवयुवकों एवं छात्रों से सम्पर्क कर प्रजामण्डल से जोड़ना शुरू किया। श्री शोभाराम यद्यपि प्रजामंडल में श्री अग्रवाल के आने से पूर्व ही आ गये थे और नगर पालिका के सदस्य भी बन गये थे, पर उन्हें काम करने वाली सही टीम नहीं मिल पाई थी। श्री शोभाराम ने 1942 के अंतिम दिनों में श्री रामचन्द्र उपाध्याय एवं श्री कृपादयाल माथुर के साथ निर्णय किया कि वे भविष्य में वकालत नहीं करेंगे। यही साल वह था जब लाला काशीराम भी अलवर में अपना स्लेट का धन्धा शुरू करने के उद्देश्य से अलवर में, महावर प्रेस के सामने लाला चिरंजीलाल ठेकेदार का मकान किराये पर लेकर रहने लगे। वे चूंकि दिल्ली से यहाँ आये थे और वहाँ पर ही दिल्ली के स्कूल व कालेज में शिक्षा ली थी, अत: यहाँ पर राजनैतिक तौर पर वे प्रजामण्डल से और जातीय तौर पर महावर समाज की गतिविधियों से जुड़ते चले गए। महावरप्रेस की स्थापना तथा वहाँ से महावर नवजीवन नामक मासिक पत्र को चलवाने में उनका योगदान सर्वोपरि था। श्री रामकुमार राम ने यह कार्य उनके सहयोग से किया था।

श्री रामजीलाल अग्रवाल की प्रजामण्डल में सक्रियता के साथ ही उसकी गतिविधियाँ जहाँ अलवर शहर में युवकों और छात्रों में तेज होने लगी थी वहीं वे श्री शोभाराम, श्री रामचन्द्र उपाध्याय, पं. हरिनारायण शर्मा, श्री भोलानाथ मास्टर के साथ गांवों की ओर चल पड़े और जगह-जगह पर घूम-घूम कर स्थानीय कमेटियों का गठन करने लगे। इन गतिविधियों के मार्फत उन्होंने शहर के नवयुवकों में सर्व श्री फूलचन्द गोठड़िया, दयाराम गुप्ता, हरिनारायण सैनी, नारायण दत्त गुप्ता, शादीलाल गुप्ता, चन्दगीलाल गुप्ता आदि को संस्था की गतिविधियों से जोड़ा।

श्री शोभाराम व श्री रामजीलाल अग्रवाल की सक्रियता को देखकर ये प्रजामण्डल के अध्यक्ष व मंत्री बना दिये गये। इन नए साथियों से पूर्व प्रजामण्डल में सर्व श्री रामचन्द्र उपाध्याय, लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल, कृपादयाल माथुर, मा. भोलानाथ, कुंज बिहारीलाल मोदी, इन्द्रसिंह आजाद, पं. हरिनारायण शर्मा लट्ठमार, मोदी नत्थूराम, सालिगराम नाजिम, महावीर प्रसाद जैन, पं. भवानीसहाय आदि अपने अपने ढंग से संस्था से जुड़े हुए थे। यह स्मरण रहे, इनकी सक्रियता जहाँ अपने अपने ढंग से काफी सराहनीय एवं महत्वपूर्ण थी, वह संगठन के तौर पर प्रायः असम्बद्ध एवं छुटपुट गतिविधियों तक ही सीमित थी। जैसे श्री मोदी कुँजबिहारी लाल अपने साप्ताहिक अखबार अलवर पत्रिका व जातीय पत्र खण्डेलवाल जगत के मुद्रण प्रकाशन में अति व्यस्त थे, श्री इन्द्रसिंह आजाद व नत्थूराम मोदी हरिजनों आदि के शिक्षा कार्यों में अधिक समय देते थे।

श्री रामजीलाल अग्रवाल के साथ उनके एक अनन्य साथी श्री मायाराम बालोनी थे जो कानपुर में उनसे दो कक्षा पीछे पढ़ते थे, वे वहाँ पर श्री रामजीलाल अग्रवाल की देखरेख और संरक्षण में अध्ययन करते थे। मूलतः वे टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे। जब श्री रामजीलाल अग्रवाल अलवर आ गए तो वे अपनी इण्टरमीडियेट परीक्षा सनातन धर्म कालेज कानपुर से पास कर अलवर आ गए। अलवर में उन्हें प्रजामण्डल का कार्यालय सचिव लगा दिया गया। वे श्री रामजीलाल अग्रवाल के परिवार में एक सदस्य के रूप में रहते थे। उन दिनों श्री अग्रवाल अलवर के टेली का कुआ मोहल्ला में डॉ. गंगाबख्श जी के मकान में किराये पर रहते थे। इस मकान में उनके साथ श्री फूलचन्द गोठड़िया भी अपने रामगढ़ कस्बे को छोड़कर वहीं पर रहने लगे। श्री अग्रवाल का मकान एक प्रकार से साथियों का एक संयुक्त परिवार (कम्यून) था। इसका लगभग पूरा खर्च श्री अग्रवाल ही उठाते थे। यहाँ पर इनके परिवारों की स्त्रियाँ भी अपने पतियों की भांति मिल-जुल कर रहती थीं। श्री रामजीलाल अग्रवाल, उनके छोटे भाई श्री सूर्यप्रकाश, श्री फूलचन्द गोठडिया, श्री हरसहाय विजय आदि भी रहते थे। ये लोग तो शादीशुदा थे, और श्री मायाराम भी इन परिवारों के साथ रहते थे जो सन् 1948 तक अविवाहित थे। बाद में उनका विवाह मत्स्य संघ में भरतपुर के कोटे से बने मंत्री श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी की बेटी इन्दिरा से हुआ। श्री मायाराम, श्री शोभाराम के मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनने पर उनके निजी सचिव के पद पर सरकारी सेवा में लगा दिये गये और मत्स्य संघ के वृहद राजस्थान में विलिनीकरण पर राजस्थान राज्य सेवा में आ गए। बाद में उन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास कर ली। इस सेवा में कार्य करते हुए प्रोमोटी कोटे से आई.ए.एस. बने और कई जिलों में जिलाधीश तथा कई महकमों में निदेशक आदि पदों पर कार्य करते हुये एक प्रतिष्ठित अधिकारी पद से सेवानिवृत्त

हुए। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इन्दिरा मायाराम शुरू से ही युवा कांग्रेस में सक्रिय रहीं और पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए राजस्थान विधान सभा की सदस्य भी सन् 1993 में चुनी गईं। श्री मायाराम ने अलवर का एक गजेटियर भी काफी श्रम कर तैयार किया।

श्री रामजीलाल अग्रवाल तथा उनके साथियों की यह दैनिक दिनचर्या का अंग था कि ये सभी साथी प्रातः 8-9 बजे अपने घर से नहा धोकर प्रजामण्डल के बजाजा बाजार स्थित कार्यालय में आ जाते थे और अपने-अपने कार्यों में लग जाते थे। जिन्हें बाहर जाना होता था, वे गांवों के दौरों पर निकल जाते थे। उन दिनों गाँवों पर दौरों के लिये जाने का मतलब था, दो-तीन दिनों के लिए शहर से बाहर जाना जो अति कठिन कार्य था। आने जाने के साधन इतने नहीं थे कि घंटे-दो घण्टे में जिले के किसी भी दूर से दूर के अंचल में पहुँचा जा सके और देर रात तक अपना कार्य कर वापिस लौट कर आया जा सके। ऊँट गाड़ियों या तांगों से ही जाया जा सकता था, जिनमें अलवर से रामगढ़ जैसी जगहों पर पहुँचने में ही आधा दिन लग जाता था। दोपहर पहले चले हुये लोग शाम तक पहुँच पाते थे। वहाँ पर लोगों से सम्पर्क करते शाम हो जाती अतः वहीं अपने मिलने वालों के घर खाते पीते और रात को विश्राम कर दूसरे दिन सम्पर्क के लिए निकल पड़ते थे। 5-7 गांवों में सम्पर्क करने पर 2-4 दिन लग जाना मामूली बात थी।

यह स्मरणीय है कि श्री शोभाराम भी श्री रामजीलाल अग्रवाल के पास ही टोली का कुआ पर अपने परिवार के पुश्तैनी मकान में रहते थे। श्री शोभाराम भी इन साथियों के साथ-साथ अपने घर से प्रजामण्डल के दफ्तर तक आपस में राजनैतिक मामलों में बहसें करते हुए आते थे। इन बहसों में कभी कभी बड़ी तेज आवाज में चर्चायें होती जिन्हें बाजार में बैठे दुकानदार बड़ी दिलचस्पी और उत्सुकता से सुनते। बहसों के विषय होते थे- कम्युनिस्टों ने द्वितीय महायुद्ध को लोक युद्ध क्यों कहा? सन् 1942 का आंदोलन कितना अनुचित कितना उचित था। भारत को आजादी गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से मिलेगी या भगतसिंह जैसे क्रान्तिकारियों की सशस्त्र लड़ाई के द्वारा या कम्युनिस्टों की गुरिल्ला युद्ध तकनीक से।

श्री रामजीलाल अग्रवाल को श्री शोभाराम आदि के प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे। वे उन दिनों पूरी तरह कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक थे और भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी के बहुत से बड़े-बड़े नेताओं से उनकी निजी मित्रता और सम्पर्क थे। इनमें कामरेड एस. जी. सरदेसाई, कॉ. पी. सी. जोशी., कॉ. के. एम. अशरफ, अब्दुल हई आदि प्रमुख थे। वे पार्टी के मेम्बर भी थे- गुप्त रूप से। क्योंकि सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के मामले में कम्युनिस्ट पार्टी के साथियों को कांग्रेस से निकाल दिया गया था। श्री अग्रवाल धीरे-धीरे प्रजामण्डल में रहते हुए पूरे कांग्रेसी बन कर रह गए और उनका एक प्रकार से 3-4 साल बाद कम्युनिस्ट पार्टी से कोई सम्बन्ध या सम्पर्क नहीं रह गया।

श्री रामजीलाल अग्रवाल को हम उस समय की प्रजामण्डल के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत के रूप में इसलिए जोर देकर याद करना चाहते हैं कि श्री शोभाराम को राजनीतिक गतिविधियों की ओर पूरी तरह प्रवृत्त करने वालों में ये सबसे ऊपर थे। वे रोजाना कोई न कोई नया कार्यक्रम बनाकर लाते जो प्रजामण्डल को जनता के बीच ले जाने के लिए बड़े उपयोगी होते थे। श्री शोभाराम जो अपनी वकालत छोड़ कर पूरी तरह राजनीति में कूद पड़े थे, उनके लिए भी

प्रजामण्डल को आगे बढ़ाना अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया था। श्री रामजीलाल अग्रवाल अनुभव और अपनी लग्न व काम के प्रति जुनूनी जोश के कारण ऐसे साधक के रूप में उभर कर आगे आये जिसे न पहनने की सुध थी न खाने की।

अलवर प्रजामण्डल ने जागीर माफी जुल्मों के विरुद्ध जनता को लामबद्ध करने को अपनी राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु बना कर अपनी राजनैतिक समझदारी का परिचय दिया। इसके साथ ही प्रजामण्डल ने व्यापारी एवं दूकानदार वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिये राज्य सरकार के कस्टम टैक्स, तम्बाखू आदि के उत्पादन कर, वारफण्ड की वसूली में जो जोर जबरदस्ती हो रही थी उसको भी अपने राजनैतिक कार्यक्रमों का अंग बना कर संस्था को जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले संगठन का रूप दिया। उस समय प्रजामण्डल के कार्यालय में राज्य के विभिन्न अंचलों से इसी प्रकार की शिकायतें दुःख तकलीफों की फरियाद लेकर लोग आते थे कि अमुक गांव में तहसीलदार कानूनगो तथा अन्य अधिकारी दूकानदारों को अपने कार्यालय में बुलाकर बड़ी-बड़ी धनराशियाँ अंग्रेजों की मदद करने के लिये वारफण्ड में देने के लिए मजबूर कर रहे थे। छोटे छोटे व्यापारियों को भी इस वसूली से बख्शा नहीं जाता था। जो थोड़ी भी आनाकानी करता उसको सरे आम बेइज्जत करना, उस पर तरह-तरह के इल्जाम लगाकर परेशान करना उन दिनों की आम बात थी। राज-राजा का, राजा के अधिकारी अपने आपको बिल्कुल निरंकुश मानकर मनमानी हरकतें करने से बाज नहीं आते थे। वारफण्ड न देने वालों को थानों तक में बैठा कर देर रात छोड़ना, तहसीलदार के कार्यालयों में बैठा लेना तो आम बात थी। उन व्यापारियों को तो दबोचना और कसना बहुत सरल था, जो युद्ध के जमाने में कण्ट्रोल का कपड़ा, चीनी, कैरोसीन, चावल, आदि का धंधा करते थे और जिन्हें राज्य में बाहर से उन वस्तुओं को लाने के लिए राज्य की ओर से लाइसैन्स आदि दे रखे थे।

प्रजामण्डल के नेताओं का गांवों के साथियों को जाकर सक्रिय करने का यह कार्यक्रम चल ही रहा था कि सन् 1943 में रामगढ़ कस्बे में एक घटना हो गई। वहाँ के थानेदार अविनाश जोशी ने किसी मामले में लल्लूराम कुम्हार नाम के एक व्यक्ति से 30 रुपये की रिश्वत लेली। वहाँ पर प्रजामण्डल की एक शाखा पहले ही कार्यरत थी जिसकी स्थापना में स्व. इन्दरलाल मित्तल ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। श्री हरलाल मित्तल जो श्री फूलचन्द गोठड़िया के अंतरंग साथी थे, वे श्री मित्तल के रिश्तेदार थे, उन्हीं की प्रेरणा से श्री हरलाल मित्तल प्रजामण्डल में आये थे। बाद में वे रामगढ़ प्रजामण्डल के काफी समय तक अध्यक्ष रहे।

यह रिश्वत का मामला प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ताओं के सामने आया। पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने मामले को गंभीर मानते हुए फटाफट एक भोपू लेकर पूरे बाजार में इसका प्रचार किया और एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया। कार्यकर्त्ताओं में थानेदार द्वारा एक गरीब आदमी से इस प्रकार बड़ी रिश्वत लेने पर भारी रोष था। अतः तत्काल काफी भीड़ जमा हो गई जो थानेदार के खिलाफ नारेबाजी करती हुई पूरे बाजार तथा कस्बे के मोहल्लों में घूम गई। अन्त में प्रदर्शनकारी एक स्थान पर इकट्ठे होकर आम सभा करने लगे, जिसमें वक्ताओं के काफी जोशीले भाषण हुये। उस जमाने में पूरे रामगढ़ कस्बे में वह पहली घटना थी-कार्यकर्त्ताओं और जनता के लिए तथा राज्य के निरंकुश पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों के लिए भी, जिनके सामने किसी

की जुबान तक नहीं खुलती थी, बल्कि तब तो आम घरों की स्त्रियाँ अपने बच्चों को "सिपाही आ गया," कह कर चुप कराया करती थी।

प्रजामण्डल के साहसी कार्यकर्त्ताओं की इस कार्यवाही का यह असर हुआ कि थानेदार अपने कार्यालय के पिछवाड़े से चुपचाप निकल कर अलवर भाग आया। दूसरे दिन जनता पर रौब गालिब करने तथा आतंकित करने के लिये पुलिस का एक दल मय राइफलों व हथियारों के 15-20 जवानों के साथ रामगढ़ पहुँचा। इस दल ने मय हथियारों के प्रमुख बाजारों में गश्त लगाई ताकि लोग यह समझें कि सरकार की कितनी ताकत है और अगर किसी ने आगे से ऐसा किया तो उसे हथियारों से भून दिया जायेगा।

पुलिस की इस कार्यवाही का वही असर हुआ जो सरकारी अधिकारियों का मकसद था। लोग बुरी तरह भयभीत हो गए और सोचने लगे, पता नहीं ये सिपाही किसको अपनी गोलियों का निशाना बनायेंगे और किसे पकड़ कर जेल में डालकर परेशान करेंगे। जनता को इस प्रकार भयभीत और आतंकित देखकर प्रजामण्डल के साथियों ने इसके असर को कम करने के लिए एक मीटिंग अपने कार्यकर्त्ताओं की, की और एक आम सभा करने का फैसला किया। सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया गया और प्रजामण्डल का झण्डा फहरा कर आम सभा की जो पहले से काफी बड़ी थी। वक्ताओं ने बड़े जोर-शोर से भाषण दिये। सरकारी अधिकारियों और पुलिस वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की। मीटिंग की सफलता का जनता पर अच्छा असर पड़ा, क्योंकि उसकी आशंकाएँ सभी निर्मूल सिद्ध हुई।

इस घटना के 2-3 दिनों बाद अलवर से रतन सिंह नामक एस. पी. रामगढ़ पहुँचा। उसने प्रजामण्डल के पदाधिकारियों को बुलाया और थानेदार के रिश्वत वाले मामले में बयान लिए। श्री फूलचन्द गोठड़िया और हरलाल मित्तल आदि ने थानेदार के खिलाफ लिखित में ज्ञापन दिया और बयान दिये। जाँच व पूछताछ में पुलिस अधीक्षक ने सारी बातें सही पाई जिसको देखते हुए वह थानेदार को मुअत्तिली के आदेश दे गया। थानेदार ने चुपचाप रिश्वत के 30 रुपये लल्लूराम कुम्हार के पास भिजवा दिये। यह प्रजामण्डल वालों की राजनैतिक और नैतिक विजय थी। इससे पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्त्ताओं में भारी जोश आ गया और काम करने के लिए उनके हौसले बुलन्द हो गये और जनता में भी भारी प्रभाव पड़ा।

इससे प्रभावित होकर प्रजामण्डल की टीम तहसील के आसपास के गांवों में जाकर सदस्य बनाने के कार्य में तेजी से जुट गई। गाँव के लोगों में यह बात जादू का सा प्रभाव डाल गई कि प्रजामण्डल वाले इतने बहादुर और निडर हैं कि ये पुलिस वालों से ली गई रिश्वत भी उगलवा लेते हैं। अतः बड़े उत्साह से लोग प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ता बनकर आजादी के सिपाही बनने लगे। थोड़े ही दिनों में अलावड़ा, नौगांवा, मुबारिकपुर आदि कस्बों में प्रजामण्डल की स्थानीय कमेटियां बन गई। लोग अपनी समस्याओं के लिये प्रजामण्डल के बड़े नेताओं को बुलाने के लिए आग्रह करने लगे। कस्बों के दुकानदार तथा अन्य लोग वारफण्ड की वसूली तथा चीनी, कैरोसीन, सूती कपड़े आदि जो कण्ट्रोल से मिलते थे और अधिकारी इस प्रकार की सामग्री देने में भारी रिश्वत लेते थे तथा जिसे चाहते उसे परमिट देते थे, इन परेशानियों को लेकर प्रजामण्डल की सभाएँ करवाने के लिए आते थे। वे समझते थे प्रजामण्डल वाले रिश्वतखोर

अफसरों के काले कारनामों की पोल खोलेंगे और उन्हें जरूरत का सामान मिलेगा। प्रजामण्डल उन दिनों सामन्तशाही जुल्मों और अफसर शाही के अन्यायों और अत्याचारों से जनता को राहत दिलाने का एक सशक्त संगठन बनता जा रहा था।

जागीरदारों के जुल्मों और किसानों की लूट पर अंकुश लगाने के लिए किसान जनता भी प्रजामण्डल की ओर देखने लग गई थी।

इस घटना के कुछ समय बाद राज्य भर में प्रजामण्डल का व्यापक जनाधार बढ़ाने व कार्यकर्त्ताओं से सम्पर्क करने के लिए एक दिन श्री रामजी लाल अग्रवाल व श्री कृपादयाल माथुर के भतीजे श्री कैलाश नारायण माथुर रामगढ़ पहुँचे। वे वहाँ पर शाम को देर से पहुँचे थे, अतः देर हो जाने के कारण दोनों ही रात को वहाँ ठहरे जहाँ उन्होंने प्रजामण्डल के सभी कार्यकर्त्ताओं व पदाधिकारियों को एकत्रित कर रात को देर तक एक लम्बी मीटिंग की और तत्कालीन राजनीति तथा संगठन सम्बन्धी बातों की जानकारी स्थानीय कार्यकर्त्ताओं को दी। वे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रातः जल्दी उठ कर सर्व श्री फूलचन्द गोठड़िया, हरलाल मित्तल ताराचन्द जैन, नन्द किशोर शर्मा आदि कार्य कर्त्ताओं को लेकर कस्बे के आसपास के गांवों में पहुँचे। जब ये लोग एक गाँव में पहुँचे तो वहाँ के एक मेव ने कार्यकर्त्ताओं से कलेवा-पानी (नाश्ता) की बात की तो सभी उसके घर की राबड़ी खाने को तैयार हो गये, जबकि वह तो उन्हें किसी हिन्दू या उच्च जाति के आदमी के यहाँ से कुछ सामान मंगवा कर उन्हें कलेवा करने को कह रहा था; पर ये सारे ही साथी उसी के घर की राबड़ी खाने के लिए तैयार हो गये। वह संकोच कर रहा था और ये आग्रह कर रहे थे। उस समय किसी हिन्दू का उसमें भी ब्राह्मणों और बनियों के नवयुवकों को इस तरह एक मुसलमान या अन्य छोटी जाति के घर की कच्ची रसोई आदि ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं था। इन सभी साथियों ने राबड़ी और मिस्सी रोटी तथा कैरी के अचार के साथ कलेवा किया, पूरा छक कर खाया। सभी को उसके घर का यह भोजन बड़ा रुचिकर लगा। मगर इस मजेदार भोजन या भारी नाश्ते की बात एक कान से दूसरे कान होती हुई उस गाँव के हिन्दू-मुसलमान सभी घरों के लिए तो एक कौतुहल के साथ चर्चा का विषय तो बनी ही, वह कस्बा रामगढ़ में एक गर्म खबर (Hot-news) बन गई। लोगों की जुबान पर एक ही वाक्य तैर रहा था- ''पंडत गोठड़िया को छोरो (अर्थात पं. नानग राम गोठड़िया जो काफी इज्जतदार व सम्मानित ब्राह्मण थे और पंडिताई के लिए प्रसिद्ध भी) मेवन की राबड़ी खा आये। और दोपहर की रोटी भी उन्हीं के घर खा आयो।'' इन साथियों ने यह भोजन आदि क्या कर लिया मानो धर्म विरोधी बड़ा पाप कर लिया। श्री फूलचन्द गोठड़िया बताते हैं कि उनके खिलाफ रामगढ़ कस्बे के सीताराम जी के मंदिर के सामने गांव तथा आसपास के ब्राह्मणों की पंचायत जुड़ी। ''बारी'' के द्वारा बुलावा दिये जाने पर बिरादरी के लगभग सभी लोग उस पंचायत में आये। पर फूलचन्द नहीं आये। उनके न आने पर पंचायत में दो गुट हो गये। एक गुट कहता था कि फूलचन्द गोठड़िया ऐसा कर ही नहीं सकता। दूसरे गुट के लोग सीना तान और ताल ठोक कर कह रहे थे कि यह बात सोलहों आन सच है, अगर गलत है तो दोषी खुद क्यों नहीं आता। गोठड़िया जी का जोरदार विरोध करने वालों में एक व्यक्ति सबसे मुखर था, वह था श्री मोतीलाल उर्फ जिन्ना। इन्हें जिन्ना कुछ लोग इसलिए कहते थे कि वह कट्टर पंथी हिन्दू था

और बड़ा अड़ियल भी। इसलिए कस्बे के नये और प्रगतिशील युवक जो प्रायः सभी प्रजामण्डली थे वे इस हिन्दू सभाई कट्टर व्यक्ति को जिन्ना व्यंग रूप में कहते थे। यह नाम उनके साथ अन्त तक चला। वह तब भी और बाद में भी हमेशा ही गोठड़िया, कांग्रेस व कम्युनिस्टों का कट्टर विरोधी था। फूलचन्द जी को नीचा दिखाने और प्रजामण्डल को छवि खराब करने के लिए ही उसने कस्बे के ब्राह्मणों को उकसाकर वह सभा करवाई थी।

इस मामले पर श्री फूलचन्द ने पूरी तरह मौन रहकर सभी को शान्त कर दिया। पंचायत दो गुटों में बँट जाने के कारण थोड़ी देर आपसी बहस के बाद समाप्त हो गई।

उधर श्री रामजीलाल अग्रवाल व श्री कैलाश नारायण माथुर कस्बे के आसपास के गाँवों में सम्पर्क कर अलवर आ गये। इस दौरान उन्होंने अलावड़ा, दौहली आदि गांवों के लोगों से सम्पर्क किया। वे श्री फूलचन्द गोठड़िया को इसी दौरे के समय यह कह कर तैयार कर आये थे कि वे अब पूरी तरह रामगढ़ छोड़ कर, अपना परिवार लेकर अलवर शहर में रहें और प्रजामण्डल का कार्य उनके साथ सक्रिय कार्यकर्त्ता के रूप में करें। जैसा कि ऊपर कहा गया है वे तभी से अलवर में श्री रामजीलाल अग्रवाल के साथ उनके टोली का कुआँ वाला निवास स्थान पर रहने लगे।

श्री शोभाराम व श्री रामजीलाल अग्रवाल के पूरी तरह सक्रिय हो जाने पर अलवर राज्य प्रजामण्डल एक जीवन्त संगठन बन गया। राज्य भर से लोग अपनी समस्यायें लेकर संगठन के दफ्तर में आने लगे। वह चूँकि द्वितीय महायुद्ध के तेजी से एशिया, और यूरोप के देशों में फैलने के कारण, वह हमारे देश को भी पूरी तरह प्रभावित करने लगा था। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पहले जर्मनी आदि देशों में जाकर भारत की आजादी के लिए वहाँ के बड़े नेताओं और सरकारों से सम्पर्क कर रहे थे, जिसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तब वे जापान आ गए और एशिया के पूर्वी-दक्षिणी देशों में रह कर भारत की आजादी के लिये वहाँ के भारतीयों सहित उन देशों के लोगों से सम्पर्क बना रहे थे। उन्होंने आजाद हिन्द फौज का संगठन भी शुरू कर दिया था, जिसकी खबरें सुन कर भारत के स्वतंत्रता प्रेमी युवकों में उत्साह व खुशी के भाव पूरी तरह भर रहे थे। हमारे जिले में भी नवयुवक इन खबरों से ये आशाएँ लगाने लग गये थे कि सुभाष बाबू विदेशों की मदद से भारत को अपनी सेवाओं के द्वारा आजाद करायेंगे। ऐसे ही समय में जहाँ देश में क्रान्तिकारियों की गतिविधियाँ भी चल रही थी और लोकनायक जय प्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली आदि जो उन दिनों भूमिगत होकर देश भर में आजादी के दीवाने युवकों को प्रेरणा दे रहे थे, इन सब बातों का असर हमारे यहाँ के शहर और कस्बों के लोगों में तो हो ही रहा था, दूर दराज के गांवों तक में इसकी हवा फैल रही थी। प्रजामण्डल के नेताओं को अपने देहात के दौरों में इस लहर का काफी लाभ मिल रहा था और इसके साथ ही प्रजामण्डल के नेताओं ने जो कार्यक्रम अपने संगठनों को कस्बों और गांवों की जनता के बीच ले जाने के लिए अपना रखे थे उनमें विशेषतः वार फण्ड की ज्यादतियों का विरोध, वसूली में जो सरकारी अधिकारी जोर जबर्दस्ती करते थे, उनके विरुद्ध स्थानीय और केन्द्रीय प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ता और नेता लोगों की मदद कर रहे थे। वे अधिकारियों के काले कारनामों का भण्डा फोड़ते, प्रदर्शन करते और आम सभायें कर जनता को अन्याय का विरोध करने के लिये तैयार करते थे।

युद्ध के कारण कैरोसीन (मिट्टी का तेल) जो उस जमाने में हर घर की जरूरत की सबसे बड़ी सहयोगी वस्तु थी, क्योंकि उस समय अलवर शहर तक में भी आंशिक क्षेत्रों में ही बिजली के लट्टुओं का प्रकाश पहुँचा था, तब रोशनी का वही एक साधन था जो नहीं मिलता था। चीनी और कपड़ा भी नहीं मिल रहे थे क्योंकि ये वस्तुएँ युद्ध में मोर्चों पर लगी सेना के जवानों की आपूर्ति में लगी हुई थी। ये बहुत ही कम मात्रा में नागरिकों की जरूरतों के लिए कण्ट्रोल रेट पर मुहैया कराई जाती थी, जिसमें राज्य के अधिकारी बड़ी धांधली करते थे। इससे दुकानदार बड़े परेशान थे, आम नागरिक भी परेशान थे। बड़ी सिफारिशों पर कुछ गज कपड़ा, शादियों व अन्य कार्यों के लिये, चीनी एक मन मांगो तो 5-10 सेर ही परमिट द्वारा दी जाती थी। गरीबों के लिये उन दिनों नालीदार लोहे की चद्दरें भी बड़ी आवश्यकता की वस्तु थी, तब जब कि किसी गांव में आग लग जाती थी और ऐसा होना उन दिनों आम बात थी, क्योंकि गाँव के गाँव और कस्बों के मोहल्ले के मोहल्लों में एकाध पक्के घरों को छोड़ कर शेष घर छान से ढंके होते थे, जिनमें गर्मी के दिनों में एक घर में गलती से लगी आग पूरे गांव को पार उतार जाती थी।

ऐसे अभावों और परेशानियों के जीवन को युद्ध के अभावों ने और बेहाल कर दिया था। आज कल्पना मात्र की जा सकती है, पर उस समय प्रजामण्डल के नेताओं के लिए जनता के ये अभाव अभियोग और उनसे जुड़ी अनेक समस्यायें बुरी तरह तोड़ रही थी। प्रजामण्डल के नेता सर्व श्री शोभाराम, रामजी लाल अग्रवाल, मा. भोलानाथ, कृपादयाल माथुर, फूलचन्द गोठड़िया, रामचन्द्र उपाध्याय आदि गांवों का बुलावा आते ही, गांवों में जा पहुँचते थे। जन समस्याओं के लिए आम सभाओं आदि के मार्फत संघर्ष किये जाते और इनके माध्यम से कस्बों और गांवों में प्रजामण्डल की स्थानीय शाखाएँ खोली जाती थी जिनमें युवक बड़ी संख्या में पूरे जोश के साथ जुड़ते थे और आजादी की भावना मन में लिये काम करते थे। उस समय किसी के भी मन में यह भाव तो आता ही नहीं था कि उनके कार्यों की बदौलत उन्हें कुर्सी मिलेगी या अपने आपको सम्पन्न बनाने का अवसर मिलेगा। उस समय तो कार्यकर्त्ताओं में कुछ करने और खोने का भाव था।

ऐसी लग्न और निष्ठा से काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं की एक बड़ी सेना, आजादी तथा जनाधिकारों के लिये लड़ने वालों की एक संगठित शक्ति अलवर के पूरे अंचल में हजारों कार्यकर्त्ताओं के रूप में उभर कर आगे आ रही थी। क्या अलवर शहर, राजगढ़, तिजारा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, थानागाजी, बहरोड़ सभी तरफ एक तूफानी लहर सी उठती नजर आती थी।

जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं अलवर के केन्द्रीय संगठन में जहाँ एक बड़ी टीम खड़ी हो गई थी, वहीं तहसील स्तर पर भी वहाँ के संगठनों को चलाने वालों की टीम पूरी तरह अपने काम को संभालने में लगी हुई थी।

तिजारा में बाबू शोभाराम जी के साथ वकालत छोड़ने वाले श्री कृपादयाल माथुर वहाँ जाकर वकालत करने लगे। वहाँ पर उनके इर्द गिर्द सर्व श्री लाला घासीराम, गोपाल शरण माथुर, मित्रसेन, सुआलाल जैन आदि प्रजामण्डल से जुड़ कर सक्रियता से काम करने लगे। ये लोग स्थानीय किसानों तथा व्यापारियों दुकानदारों तथा आम जन के मसलों को उठाते और उनके लिए कार्य करते थे। जब श्री शोभाराम आदि क्षेत्र का दौरा करने जाते, उनके साथ गाँव गाँव पहुँच

कर स्थानीय लोगों से परिचय कराते, उन्हें संगठन का सदस्य बनाते और गाँव या कस्बे की प्रजामण्डल की शाखा खोलते। तिजारा तहसील के मेव किसानों में खास तौर से श्री कृपादयाल माथुर के मार्फत सम्पर्क हुआ। मेवों में उन्हें उस समय श्री मौलवी इब्राहीम और श्री सुलेमान आदि काफी उत्साही व पढ़े लिखे कार्यकर्ता मिले जिन्हें मौलवी होने के कारण मेव बड़ा आदर देते थे।

राजगढ़ में तो शुरू से ही कांग्रेस के नाम पर काफी बड़ी संख्या में लोग जागरूक थे। श्री भवानी सहाय शर्मा जो दिल्ली में काफी दिनों से क्रान्तिकारी गतिविधियों में भाग ले रहे थे और कई मामलों में उन्हें लम्बी लम्बी सजायें भी सुनाई गई थी जेल से छूटने पर वे अक्सर अपने परिवार वालों तथा यहाँ के कार्यकर्ताओं से सम्पर्क करने आया करते थे। वे अलवर राज्य प्रजामण्डल के उपाध्यक्ष भी थे। राजगढ़ कस्बे के ही श्री जी. एस. जैमन भी अपने छात्र दिनों में दिल्ली में कांग्रेस से जुड़े हुये थे। यहाँ के कई कार्यकर्ता खादी व ग्रामोद्योग व अन्य रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुऐ थे। सन् 1942-43 से ही श्री रामस्वरूप गुप्ता उनके भाई श्री कन्हैया लाल गुप्ता, श्री रामजीलाल खादी भण्डार वाले श्री रामशरण शर्मा आदि यहाँ पर प्रजामण्डल की गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेने लगे। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने हरिजनों में शिक्षा प्रचार तथा छुआछूत की भावना को समाप्त करने के लिये हरिजनों के मोहल्लों में शिक्षा प्रचार का कार्य शुरू किया। श्री रामावतार मास्टर, हैपी स्कूल में कार्य करने से पहले राजगढ़ में और बाद में अलवर शहर के गंगा मन्दिर मोहल्ले में हरिजन पाठशालायें कांग्रेस के सहयोग से चलाते थे। राजगढ़ की सार्वजनिक लाइब्रेरी भी श्री जैमन आदि के प्रयासों से बनाई गई जिसके मूल प्रेरणा स्रोत राजगढ़ हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री रामजस राय थे।

यह याद रहे कि अलवर जिले में राजगढ़ हाई स्कूल सबसे पुराना स्कूल है जिसमें अलवर जिला कांग्रेस के नेता और अन्य राजनीतिक स्कूलों से जुडे लोग पढ़े थे। इनमें सर्व श्री बाबू शोभाराम, पूर्व मंत्री श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, उमराव लाल एडवोकेट, प्रोफेसर जी. एस. जैमन जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष पं. दीनदयाल उपाध्याय, पं. भवानी सहाय शर्मा आदि प्रमुख हैं।

लाला काशीराम, जो अलवर राज्य के मांढण के पास घीलोट गांव के रहने वाले थे, वे यद्यपि अलवर में नहीं पढ़े थे, पर सन् 1941-42 से ही अलवर आने लगे थे। उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई थी जहाँ उन्होंने हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियेट परीक्षा पास की थी। वे अपनी दिल्ली की कपड़े की दुकान पर काम न कर कुण्ड और अटेली में स्लेट का कारखाना चलाते थे। इस लिए उनका अलवर में आना जाना रहता था। दिल्ली में ही उन्हें राष्ट्रीय गतिविधियों से लगाव हो गया था। अत: वे अलवर में आकर यहाँ शहर में ही स्लेट बनाने का काम करना चाहते थे। उन्होंने मत्री का बड़ पर छोटा सा काम भी शुरू किया था, साथ ही जंगलात की लकड़ी काटने का ठेके का काम भी करते थे। वे प्रजामण्डल की गतिविधियों में अक्सर दिलचस्पी लेते थे और यहाँ के राजनैतिक कार्यकर्ताओं से पूरी तरह घुल मिल कर रहते-रहते स्वंय अपना निवास अलवर को बना कर प्रजामण्डल के सक्रिय सदस्य बने। उनके प्रजामण्डल में आने पर व्यापारी वर्ग में संस्था को समर्थन मिलने लगा। शुरू में लालाजी का सम्पर्क राज्य के बड़े-बड़े अधिकारियों तथा मंत्रियों से भी बड़ा सौहार्द्र पूर्ण रहता था। धीरे धीरे वे जैसे जैसे प्रजामण्डल

में सक्रिय होते गये, वे भी अन्य राजनेताओं की तरह सरकार और उच्चाधिकारियों के उतने ही कोप भाजन होते गये। लाला जी के आने से प्रजामण्डल वालों को दुकानदारों से आर्थिक सहायतायें भी मिलने लगी। लालाजी यहाँ के हरिजन सेवक संघ को अपनी पाठशालायें चलाने में पूरा सहयोग देते और दिलाते थे।

लालाजी गांधीजी के रचनात्मक कार्यों में अधिक विश्वास करते थे। वे मूलत: सुधारवादी विचारों के व्यक्ति थे। जब भी प्रजामण्डल के बड़े आंदोलन होते वे उनमें पूरी सक्रियता से भाग लेते थे। उनको देखकर जिले भर में दुकानदार और व्यापारी वर्ग के लोग भी प्रजामण्डल से जुड़ते चले गये। लाला प्रहलाद राय धातरिया, हजारीलाल गुप्ता, सियाराम, लाला गूजरमल गुप्ता, आदि ऐसे ही नाम हैं जो प्रजामण्डल संगठन में पूरी दिलचस्पी से कार्य करते थे।

यहाँ की केडल गंज मण्डी के लोगों में श्री प्रभुदयाल गुप्ता, मिश्री लाल, श्री प्रभुदयाल मोदी, श्री छोटूसिंह, उनके बडे भाई श्री रामजीलाल आर्य, श्री श्योप्रसाद नेता, बर्फखाना परिवार के श्री शादीलाल, श्री चंदगीलाल, श्री रामदयाल हलवाई व श्री रामकुमार राम आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं जो लालाजी से प्रेरणा लेते थे।

थानागाजी में प्रजामण्डल का प्रवेश– खट्टे-मीठे अनुभव :

प्रजामण्डल के नेताओं ने राज्य के सभी अंचलों में संगठन को प्रसार देने के लिये अपना ध्यान थानागाजी क्षेत्र की ओर दिया। राजगढ़ की ही भाँति, यद्यपि इस अति पिछड़े अंचल से भी कुछ लोग अलवर से बाहर दिल्ली आदि में जाकर अपने धंधे करते थे। उनमें प्रतापगढ़ के श्री सियाराम भी एक थे, जो दिल्ली में बैटरी का धंधा करते थे। वे श्री भवानी सहाय जी शर्मा की तरह दिल्ली में अपनी दुकान चलाते थे और कांग्रेस की गतिविधियों में हिस्सा लेते थे तथा खादी पहनते थे। इस प्रकार और भी लोग थे। श्री रामजीलाल अग्रवाल बानसूर तहसील के नीमूचाणा गाँव के रहने वाले थे और थानागाजी की सीमा से थोड़ी दूरी पर ही उनके गाँव की सीमा थी, अत: उनका थानागाजी के व्यापारी वर्ग के लोगों से अच्छा परिचय था और कुछ वकील भी प्रजामण्डल से सम्बद्ध होना चाहते थे। अत: श्री शोभाराम व श्री रामजीलाल अग्रवाल ने एक घटना को लेकर यहाँ के दौरे का कार्यक्रम बनाया।

प्रजामण्डल के कार्यालय में एक दिन यह खबर मिली कि थानागाजी का तहसीलदार रिश्वतखोरी के अनेक मामलों में बुरी तरह लिप्त है और उसकी आदत लोगों को हर तरह तंग करने की है। उसका आमजन और किसानों के साथ बड़ा ही अभद्र व्यवहार रहता है। इस तहसीलदार के ऐसे कारनामों की खबर देने के लिये एक दुकानदार आया। उसके बुलाने पर बाबू शोभाराम, पं. हरनारायण शर्मा, श्री रामजीलाल अग्रवाल, श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल, श्री फूलचन्द गोठड़िया, 1944 की हल्की सर्दियों के दिनों में थानागाजी पहुँचे। ये लोग थानागाजी दोपहर पीछे पहुँच सके। वहाँ पहुँच कर पहले तो कस्बे के लोगों से सम्पर्क किया और शाम होने पर एक भोंपू लेकर इनमें से कुछ साथियों ने बारी-बारी से कस्बे भर में भोंपू से मीटिंग के लिए ऐलान किया। कुछ अंधेरा सा होने पर बाजार में ही बिना लाउड स्पीकर के ही वक्ताओं ने भाषण दिये। कस्बे में यह पहली मीटिंग थी जिसमें राज्य सरकार तथा उसके स्थानीय तहसीलदार के

भ्रष्टाचार तथा अन्य अत्याचार व जुल्मों के खिलाफ वक्ताओं ने जोशीले भाषण दिये। बारकण्ड की जबरन वसूली, मिट्टी का तेल, चीनी, कपड़ा, लोहे की चद्दरों के दिये जाने में भारी धांधली तथा लोगों को उससे होने वाली परेशानियों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया। उत्सुकतावश काफी लोग मीटिंग को सुनने के लिये आये। जब मीटिंग समाप्त हो गई तो मीटिंग बुलाने वाले ने अलवर से पहुँचे नेताओं को पास के ही एक हलवाई की दुकान में पूरी व साग बनवा कर भोजन करवाया। भोजनादि तो सभी ने कर लिया, पर उनके सामने यह समस्या आई कि अलवर वापिस लौटने का कोई साधन नहीं था और पूरे कस्बे में एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो इन सभी को अपने घर सोने और आराम करने के लिये ले जाता। उन दिनों प्रजामण्डल के इतने नेताओं को अपने घर ले जाने के जो खतरे थे, उनको देखते हुए 'बचो भाई' की नीति अपना कर एक-एक कर सभी खिसक लिये। बुलाने वाले ने भी स्थानाभाव की अपनी विवशता बता कर क्षमा मांगी और अपने घर चला गया।

ऐसे में उपरोक्त सभी नेताओं ने, जिनके पास थोड़ी सर्दी हो जाने के कारण साथ में कम्बल थे, वे उसी दूकान के सामने के चबूतरे पर अपने-अपने कंबल ओढ़ कर दुकानदार की बिछी बोरियों पर पसर गये। वे सोये तो क्या, रात को काफी देर तक बातें करते रहे। चुटकुले, किस्से सुनाते हुए समय काटते रहे। आधी रात के बाद किसी की थोड़ी बहुत देर के लिये बमुश्किल आंखें लगी होंगी। आज उस समय के हालात के बारे में और तब के पिछड़े सामाजिक रहन सहन आदि का पता लगता है कि आगे चलकर जो लोग राजस्थान के एक समय चार पाँच बड़ों में गिने जाते थे और श्री शोभाराम जो किंग मेकर कहलाते थे, उन्हें भी शुरू के दिनों में कितनी तपस्या करनी पड़ी थी।

थानागाजी में ही दूसरी मीटिंग :

उपरोक्त मीटिंग की चर्चा तथा उसका असर अधिकारियों तथा जनता में काफी पड़ा। इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि कस्बे के उस समय के सबसे बड़े वकील पं. नन्द किशोर शर्मा प्रजामण्डल की ओर बढ़े। वे अलवर आये और प्रजामण्डल के नेताओं और वकील साथियों से मिले। उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि जानकारी के अभाव में वे पहली मीटिंग में नहीं आ पाये, और इतने सज्जनों का स्वागत नहीं कर पाये। उन्होंने नेताओं के सामने प्रस्ताव रखा कि वे शीघ्र ही कार्यक्रम बना कर थानागाजी आयें ताकि एक बड़ी आम सभा कराई जा सके और प्रजामण्डल की तहसील कमेटी का भी गठन किया जा सके।

दूसरी मीटिंग में लगभग वही टीम पुनः थानागाजी पहुँची। पं. नन्द किशोर शर्मा की अध्यक्षता में काफी बड़ी और सफल सभा हुई। पंडितजी ने सबको अपने घर ले जाकर भोजन कराया और रात को आराम से ठहराया। मीटिंग के बाद उनके घर पर वे तथा कस्बे के काफी लोग प्रजामण्डल के सदस्य बने। कुछ दिनों बाद सदस्यता बढ़ने पर श्री नन्दकिशोर शर्मा की अध्यक्षता में तहसील प्रजामण्डल का गठन कर दिया गया। पंडितजी के प्रभाव से द्वारापुर नारायणपुर, प्रतापगढ़ आदि कस्बों व गांवों में स्थानीय कमेटियाँ बनने लगी। सर्व श्री पंडित आनन्दी लाल, नित्यानन्द शर्मा एडवोकेट, बालासहाय, गूजरमल गुप्ता, सियाराम आदि धीरे धीरे प्रजामण्डल की गतिविधियों में सक्रियता से आगे बढ़ कर भाग लेने लगे।

बानसूर में प्रजामण्डल की स्थापना की शुरूआत :

यूँ तो बानसूर तहसील में अपने अपने तरीके से कुछ लोग राजनैतिक तौर पर चेतनाशील थे, पर संगठन की दृष्टि से वे अपनी प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। इनमें से कई साथी, अलवर राज्य से बाहर जाने पर राष्ट्रीय भावनायें और आजादी की तड़प लेकर आते और अपने राज्य की जनता को इस ओर प्रेरित करने के प्रयास करते रहते थे। इन सज्जनों में सर्व श्री रामकिशोर कौशिक, दुर्गाप्रसाद पुरोहित, प्रकाश चंद शर्मा (कॉ. विश्वेन्द्र शर्मा के पिता) मंगतीराम पंसारी, छीतरमल, सूरजभान भार्गव, लीलाराम आदि हैं।

इनमें श्री रामकिशोर कौशिक अलवर शहर में स्थायी रूप में अपना पुस्तक भंडार शुरू करने से पूर्व लखनऊ, दिल्ली आदि में साहित्यिक पुस्तकों के विक्रय का कार्य करते थे। सन् 1945 के अन्तिम दिनों में एक बार वे अपने निवास स्थान गूंता (शाहपुर) जो बानसूर तहसील का छोटा सा गाँव है, आये। आपने गाँव के कुछ लोगों को इकट्ठाकर उन्हें प्रजामंडल की शाखा खोलने की प्रेरणा दी। इस पर श्री कौशिक तथा कुछ ने अपने मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया। ऐसा करने वालों में एक श्री छीतरमल थे। उन्हें आतंकित करने के लिये बानसूर के तत्कालीन थानेदार श्री पृथ्वी सिंह ने उन्हें थाने में बुलाकर मुर्गा बनाया।

इस पर श्री कौशिक, इस बात की सूचना देने अलवर आये। वे पहले ला. काशीराम से मिले, क्योंकि इससे पूर्व उनका, उन्ही से सम्पर्क था। लाला जी ने उन्हें यह सब बताने के लिये श्री शोभाराम के पास भेजा। इस प्रकार के व्यवहार की भर्त्सना करने तथा जनता में पुलिस के आतंक को कम करने के लिये, उन्होंने वहाँ पहुँचकर एक सभा करने का कार्यक्रम तय करके दे दिया। तदनुसार श्री शोभाराम, ला. काशीराम, श्री लक्ष्मीनारायण खंडेलवाल आदि गूँता गये। वहाँ पर मीटिंग की। मीटिंग में उक्त थानेदार भी अपने दलबल सहित सभास्थल पर पहुँचा। श्री शोभाराम ने राज्याधिकारियों के जुल्मों तथा पुलिस के अत्याचारों की घोर शब्दों में निन्दा करते हुए कहा, ''भाइयो! आपको पता होना चाहिये, शीघ्र ही देश आज़ाद होगा। राजाशाही हुकूमत खत्म होगी। आज जो थानेदार आम जनता को मुर्गा बना रहा है, प्रजा का राज्य आयेगा, तब इस जैसे अधिकारियों को मुर्गा बनाया जायेगा।''

आम सभा बड़ी सफल रही। लोगों के मन से भय तथा आतंक समाप्त हुआ। बड़ी संख्या में लोग प्रजामंडल के सदस्य बन गये और एक स्थानीय कमेटी, प्रजामंडल की बना दी गई।

इसके बाद बानसूर कस्बा, हरसोरा, नीमूचाना, ज्ञानपुरा आदि में भी संगठन की इकाइयाँ स्थापित कर दी गई।

यह स्मरण रहे कि बानसूर अंचल के गाँवों के छात्र स्थानीय स्कूलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर जयपुर रियासत के कोटपूतली हाईस्कूल में पढ़ने जाते थे। स्व. रामजीलाल अग्रवाल भी वही पर पढ़ने गये थे। वही से श्री रामकिशोर कौशिक आदि ने हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री रामजीलाल अग्रवाल के सम्पर्क में आने पर वहाँ पर राष्ट्रीय विचारधारा के अनेक साथियों को देश प्रेम की लग्न लगी। उनके ऐसे अंतरंग साथियों में सर्व श्री उमराव प्रसाद अग्रवाल, रामेश्वर प्रसाद भारद्वाज, रघुनन्दन शर्मा एडवोकेट आदि थे। बानसूर तहसील के संगठन को बढ़ाने में श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल ने काफी सहयोग दिया।

बहादुरपुर की सभा और उसके अनुभव :

सन् 1944-45 के वर्षो में बहादुरपुर कस्बे में वहाँ के थाना प्रभारी श्री सोहनलाल तलवार थे। ये अपने समय के बहुत तेज तर्रार, निरंकुश और अहंकारी पुलिस अधिकारी थे। आम जनता उनके तेज मिजाज और यंत्रणाओं से पूरी तरह भयभीत थी। उनको देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। उनके जुल्मों से कस्बे के तथा आस पास के गांवों के लोग काफी परेशान थे। कस्बे के कुछ लोग हिम्मत कर प्रजामण्डल के दफ्तर में उनके जुल्मों की शिकायतें लेकर पहुँचे। उनके बारे में शिकायतों की जाँच करने तथा लोगों की हिम्मत बढ़ाने और राहत दिलाने के उपायों की तलाश में प्रजामण्डल के नेताओं ने बहादुरपुर में जाकर आमसभा करने का फैसला किया। सर्व श्री शोभाराम, मास्टर भोलानाथ, रामजीलाल अग्रवाल, फूलचन्द गोठड़िया आदि वहाँ पहुँचे। सीतारामजी के मंदिर के सामने जो कस्बे के मुख्य बाजार में था, उसके सामने खुले स्थान पर एक बड़ा सा डहला लेकर उसको स्टेज के रूप में काम लेते हुए आम सभा करना शुरू किया।

थानेदार सोहनलाल ने अपने आदमी पूरे कस्बे में फैला दिये। और इस बात की पूरी तरह तैयारी कर ली कि लोग प्रजामण्डल के नेताओं को सुनने के लिये सभा स्थल पर पहुँचे ही नहीं ताकि सभी नेतागण निराश होकर अलवर लौट जावें। यही नहीं वह स्वयं भी 5-6 सिपाहियों को लेकर जिनके हाथों में हथकड़ियाँ और डंडे थे, उनके साथ सभा स्थल के आस पास घूमने लगा। उसकी इन हरकतों का यही मकसद था कि लोग यह समझें कि थानेदार मीटिंग में आने वाले नेताओं को गिरफ्तार करेगा और सभा में भाग लेने वालों पर डंडे भी बरसा सकता है।

थानेदार की इस तरह की रणनीति का असर यह हुआ कि सभा में बमुश्किल 60-70 श्रोता ही जमा हो पाये। थानेदार श्री सोहन लाल तलवार, प्रजामण्डल के नेताओं को पूरी तरह जानता था और कुछ के साथ उसके निजी संबध भी थे। अतः वह इस कारण ही वक्ताओं के नाम लेकर, चिल्ला-चिल्ला कर बोलने लगा, "देख भोलानाथ, बन्द कर दे तेरे इन लीडरों को, वर्ना मैं इन्हें अभी गिरफ्तार कर थाने ले जाऊँगा और इनकी ऐसी मरम्मत करूँगा कि सारी हेकड़ी भूल जायेंगे। मगर उसकी उन धमकियों का वक्ताओं पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वे तो और भी जोर और उत्साह से बोलने लगे और कहने लगे थे कि, भाइयो, देख लो, यह गुस्ताख अफसर कितना जालिम है कि इसमें अपने बारे में सचाई को सुनने का भी सब्र नहीं है। वक्ताओं ने उसकी इस प्रकार की गीदड़ भभकियों की जम कर खिल्ली उड़ाई। मीटिंग काफी देर तक चली और कामयाब रही। लोगों में काफी हिम्मत आई। उसकी हर चाल की लोगों ने परवाह न कर प्रजामण्डल के सदस्य बनना स्वीकार किया। कुछ दिनों में बहादुरपुर में एक स्थानीय प्रजामण्डल का गठन किया गया। लाला मदनलाल पंसारी उसके अध्यक्ष बनाये गये। वे काफी समय तक प्रजामण्डल की हर गतिविधि के साथ जुड़े रहे। ये पंचायती राज्य के प्रथम चुनावों में बहादुरपुर ग्राम पंचायत के सरपंच बने, जिस पर ये काफी समय तक रहे।

ग्राम मौजपुर में संगठन :

तहसील लक्ष्मणगढ़ के गांवों में मौजपुर सबसे बड़ा गाँव है। इस गाँव के नीचे जितनी

राजस्व भूमि है, उतनी पूरे अलवर जिले में कुछ ही गांवों में होगी। मास्टर भोलानाथ जी का जन्म इसी गांव में हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं हुई। उनके साथ इस गांव के बहुत से लोग राष्ट्रीय विचारों में पहले से रंगे हुए थे। इनमें पंडित रेवड़राम मास्टर उनके सबसे निकट के साथियों में एक थे। बाबू शोभाराम के सुझाव पर यह तय हुआ कि मेवात व राठ के क्षेत्रों की भाँति लक्ष्मणगढ़-कठूमर में भी प्रजामण्डल का प्रसार-प्रचार कार्य शुरू किया जाय।

इस निश्चय के साथ सर्व श्री शोभाराम, मा. भोलानाथ, रामजीलाल अग्रवाल, फूलचन्द्र गोठड़िया आदि मौजपुर पहुँचे। कुछ स्थानीय कार्यकर्त्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने वाले स्थानीय सज्जनों में खेड़ापति रामजीलाल, मा. रेवड़राम, कन्हैयालाल गोपालपुरा आदि मुख्य थे। शाम को एक आम सभा करने के लिए भोंपू से ऐलान किया गया।

एक बड़ी रोचक बात इस मीटिंग में देखी गई कि स्थानीय लोगों को अपने नेताओं का स्वागत करने के लिए उस दिन कहीं से भी फूल या मालायें उपलब्ध नहीं हुई। अतः उन्होंने आक (आकड़ा) के फूलों को इकट्ठा कर उन्हीं को पिरोकर मालायें बनाई और उन्हीं को पहना कर अपने प्रिय नेताओं का स्वागत किया। स्वागतकर्त्ता लगभग 50-60 थे और सभी जोश में भी थे।

आम सभा का स्थान कस्बे के बाहर की एक बगीची के पास खुले स्थान में रखा गया। इस बगीची में अन्दर एक बाबा रहते थे जो कहीं बाहर संभवतया विहार आदि की तरफ से आकर यहाँ धूनी लगा कर तप करते थे। वे बदन पर भस्म लगा कर तथा मूंज के रस्से का मोटा घेरा अपनी कमर में बांध कर, कोपीन लगा कर पूरे तपस्वी लगते थे। आयोजकों ने, अलवर के नेताओं के सुझाव पर उन्हीं की अध्यक्षता में वह सभा करने का तय किया क्योंकि स्थानीय लोगों में, संकोचवश कोई भी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं था। अतः बाबाजी के पास लोग गये और कहा "महाराज, आज की सभा की अध्यक्षता आप करें तो बड़ी कृपा हो।" बाबाजी इसके लिए तैयार हो गये। बाद में बाबा जिनका नाम रामप्रियदास था, प्रजामण्डल के काफी सक्रिय नेता बन गये। मीटिंग काफी देर तक चली और काफी सफल भी रही। स्वागत कर्त्ता सभी साथी प्रजामण्डल में भर्ती हो गये। इस मीटिंग की सफलता और इतने साथियों के एक साथ पार्टी में शामिल होने का असर यह हुआ कि लक्ष्मणगढ़ कस्बे के लोग भी अपने यहाँ प्रजामण्डल बनाये जाने के लिये बड़ी उत्सुकता दिखाने लगे। यह स्मरण रहे कि लक्ष्मणगढ़ और कठूमर क्षेत्र में मोदी कुँजबिहारी लाल, उनके छोटे भाई श्री बाबू प्रसाद और कठूमर के ही श्री रोशनलाल जैन आदि पहले से ही राष्ट्रीय विचारों तथा कांग्रेस के बड़े नेताओं के भक्त थे। इनमें से कई साथी पूरी तरह खादी पहनते थे। अतः उनका आग्रह था कि लक्ष्मणगढ में भी प्रजामण्डल की शाखा खोली जाये। मौजपुर की सभा में जिन साथियों ने भाग लिया वे भी लक्ष्मणगढ़ में काम करने में विशेष दिलचस्पी लेने लगे। श्री बाबूप्रसाद मोदी तथा उनके परिवार के लोगों के साथ सर्व श्री सेठ थानसिंह लीली वाले, बिहारीलाल शर्मा, अनन्तराम शर्मा, खेड़ली के अजीराम आदि इस तहसील के काफी प्रभावशाली नेताओं के रूप में बन कर उभरे।

लक्ष्मणगढ़ कठूमर में प्रजामण्डल :

कठूमर कस्बे के मोदी परिवार के कई सदस्य राजनैतिक गतिविधियों से जुड़ चुके थे।

इनमें श्री कुंज बिहारी लाल मोदी उनके छोटे भाई बाबू प्रसाद मोदी व रंगबिहारी मोदी, भतीजे श्री कृष्ण चन्द्र खंडेलवाल आदि अलवर तथा लक्ष्मणगढ़–कठूमर अंचल में सक्रिय थे। इनके साथ ही सेठ थानसिंह, श्री बिहारीलाल शर्मा, श्री हजारीलाल जैन, श्री रामसिंह भी इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में अग्रणीय थे। इनके प्रयास से प्रजामंडल यहाँ बढ़ा। गाँव गाँव में संगठन की इकाइयाँ स्थापित हो गई।

पद्माड़ा काण्ड ने प्रजामंडल को राठ क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया:

द्वितीय महायुद्ध के लिये वार फंड वसूली में राज्य सरकार के अधिकारी राज्य भर में पूरी कठोरता और जोर–जबरदस्ती कर ही रहे थे, पर मुण्डावर के नाजिम (तहसीलदार) श्री रामचन्द्र हरित ने पद्माड़ा गांव के लोगों के साथ जिस तरह का अमानुषिक कार्य किया, उसने लोगों में भारी दहशत फैला दी।

यह तहसीलदार गाँव के दुकानदारों और व्यापारियों को बड़ी–बड़ी रकमें वार फण्ड में देने के लिये जबरन वसूली करने लगा। जो जरा भी आना–कानी करता, उसे डांटना, गाली देना उसकी आदत थी। उसकी इस तरह की हरकतों से परेशान लोगों ने एकता कर उसे गाँव से भगा दिया। इससे वह बड़ा क्रुद्ध हुआ। अतः वह दूसरे दिन पुलिस के जवानों के साथ गाँव में गया। जाते ही उसने लोगों को डराने, धमकाने और ललकारने की पहले से ज्यादा हरकतें की। इस पर गाँव के कुछ लोगों ने उसको अपनी इस प्रकार की बातें बन्द करने तथा लोगों में हिम्मत के साथ, उसकी बातों को रोकने के लिए एक होकर कुछ कहना शुरू किया। उस समय जनता की बात कहने वालों में से श्री उमरावसिंह बारैठ, श्री शिवनारायण तथा अन्य लोग जो उसके साथ थे, को उसने पुलिस के जवानों को हुकम देकर बुरी तरह पिटवाया। इस पिटाई में श्री बारैठ को काफी चोटें आई। पिटाई करने के बाद उसने बारैठ सहित कई लोगों को धर्मशाला में बन्द कर दिया।

इस काण्ड की खबर लोगों ने अलवर राज्य प्रजामण्डल के दफ्तर में पहुँचाई। खबर पाने पर सर्व श्री शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल, डॉ. डाटा, दयाराम गुप्ता, फूलचन्द गोठड़िया, आदि काफी लोग बड़े जोश के साथ पद्माड़ा पहुँचे। वहाँ जाकर प्रजामण्डल की ओर से एक आम सभा हुई जिसमें आसपास के हजारों किसान पद्माडा की इस सभा में अपना रोष जताने तथा प्रजामण्डल के नेताओं के भाषण सुनने के लिए पहुँचे। लोगों का अनुमान है कि उस सभा में 7–8 हजार आदमी इकट्ठे हो गये थे, जो उस समय की शायद वह ग्रामीण अंचल की सबसे बड़ी आम सभा थी। इतनी बड़ी संख्या में उस गांव में इतने लोगों का थोड़े से समय में बिना कोई खास प्रचार के इकट्ठे हो जाना इस बात का सबूत है कि लोग वार फण्ड में जबरन वसूली से कितने तंग आ चुके थे और अपने कष्टों के निवारण में वे प्रजामण्डल की शक्ति और क्षमता में कितना विश्वास करते थे।

पद्माड़ा की इस घटना ने मुण्डावर तहसील के कई कर्मठ कार्यकर्ता एवं निर्भीक लोगों को प्रजामण्डल से जोड़ा जिनमें सर्व श्री विशम्भरदयाल शर्मा, उमराव सिंह बारैठ, परभातीलाल यादव, श्योनारायण शर्मा, लाल जी जाट, श्री राम यादव हवलदार, ललता प्रसाद माथुर, रामकुँवार स्वामी, पंडित मन्नालाल, भीमाराम जाट, मुन्नाराम जाट, भावर मल सुनार, पंडित रामप्रताप,

पंडित महादेव प्रसाद, प्रभुदयाल अग्रवाल, पंडित दीपचन्द, जयनारायण गुप्ता, राम देवाजाट, रामलाल जाट आदि अनेकों लोग थे।

पद्माड़ा की जुल्म और तशद्दुद की घटना के विरोध में न सिर्फ पद्माड़ा में मीटिंग हुई -राज्य सरकार और पूरे प्रशासन व आमजन को ऐसे अन्याय और जुल्मों से अवगत कराने के लिए अलवर शहर में भी एक आम सभा प्रजामण्डल की ओर से की गई जिसमें पद्माड़ा के घायल श्री उमराव सिंह बारैठ को पट्टी बांधे हुए, स्टेज पर आम लोगों के सामने पेश किया गया। श्री बारैठ ने, जिन्हें शायद पहले कभी बोलने का अभ्यास नहीं था, तो भी उन्होंने अपने साथ तथा गांव के अन्य लोगों के साथ नाजिम रामचन्द्र हरित तथा पुलिस वालों ने किस बेरहमी और बर्बरता के साथ व्यवहार किया, बन्दी बनाया और अपमानित किया, इसका बड़े ही जोश व रोष के साथ विवरण सुनाया जिसको सुनकर लोग राज्य के अधिकारियों की 'शेम-शेम' के साथ भर्त्सना करने लगे।

राज्य सरकार के जुल्मों के विरोध में ऐसी मीटिंग उससे पहले शायद ही हुई हो। होपसर्कस से लेकर बजाजा बाजार तक हजारों की संख्या में लोग काफी देर तक वक्ताओं के भाषणों को पूरी तल्लीनता से सुनते रहे।

इस घटना की गूंज पूरे राज्य में, काफी दिनों तक आमसभाओं और जलसों में गूंजती रही। प्रजा के सभी वर्ग-व्यापारी, दूकानदार, बुद्धिजीवी, छात्र, किसान, मजदूर इसको सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि राज्य सरकार जनता की कितनी बड़ी शत्रु होती जा रही है और उसके अधिकारी कितने जालिम हैं।

प्रजामण्डल को इस घटना के द्वारा, अपने संगठन को जनता में ले जाने का एक खास बिन्दु मिल गया। उस समय वार फण्ड की वसूली का मामला ही एक समस्या नहीं, युद्ध के कारण सभी उपभोक्ता सामग्री का अभाव, चीजों की आसमान छूने वाली मंहगाई तथा ब्लेक मार्केटिंग ने तो जनता की कमर ही तोड़ दी थी। जनता की बात करने वाला और उसके सवालों के लिए लड़ने वाला प्रजामण्डल के अलावा कोई संगठन नहीं था। अतः जहाँ भी वारफण्ड की वसूली के मामलों में ज्यादती होती, किसानों और आम जनता पर जुल्म होते वे प्रजामण्डल की ही ओर दौड़ते थे।

प्रजामण्डल के प्रति गाँव-गाँव और कस्बे कस्बे में विश्वास बढ़ता जा रहा था। राष्ट्रीय भावना, आजादी की प्यास, प्रपीड़न के अनेक सवाल, ये सभी शक्ति और प्रेरणा के बड़े स्रोत थे, जिनके कारण प्रजामण्डल की लोकप्रियता बढ़ रही थी और इस सबको संगठन की महानशक्ति के रूप में जमा करने के लिये प्रजामण्डल का नेतृत्व तेजी से समृद्ध और विकसित हो रहा था। जनता की चेतना का विकास बड़ी तेजी से एक भावना और विश्वास के साथ बढ़ रहा था।

यह जोश का सैलाब आगे बढ़ा :

पद्माड़ा की चिंगारी ने राज्य के सभी अंचलों में वह ऊर्जा और रोशनी फैला दी, जिसके कारण राजगढ़, रामगढ़, तिजारा, थानागाजी, बानसूर तक में नई जागृति होने लगी और लोगों में अन्याय का प्रतिकार करने की हिम्मत बढ़ने लगी।

श्री शोभाराम, श्री रामजीलाल अग्रवाल, श्री फूलचन्द गोठडिया, श्री हरलाल मिश्र आदि पहले पूरी रामगढ़ तहसील के गांवों में घूमे। नौगांवा में जाकर मीटिंग की, यहाँ पर कमेटी कायम की। वैद्य विश्वनाथ व श्री नत्थू लाल जैन स्थानीय कमेटी के पदाधिकारी बने, जिन्होंने काफी लोगों को प्रजामण्डल का सदस्य बनाया।

नौगांवा में पद्माड़ा कांड तथा अन्य मामलों को लेकर एक आम सभा की गई जिसकी अध्यक्षता वैद्य विश्वनाथ ने की।

यहाँ की गतिविधियों से प्रेरणा लेकर पास के मुबारिकपुर गांव के लोगों ने भी अपने यहाँ पर आने और सभा करने का निमंत्रण दिया। मैसर्स फुन्दनलाल प्यारेलाल फर्म के श्री सीताराम व रामजीलाल (नेताजी) श्री मगनलाल अग्रवाल, मक्खन लाल आदि ने अपने गांव मुबारिकपुर में भ्रष्टाचार तथा मंहगाई व अन्य जन समस्याओं के मामलों में एक आम सभा करवाई। उन दिनों वहाँ का एक पटवारी गांव के किसानों को बुरी तरह लूट रहा था। यह तहसीलदार का प्रिय पात्र था। इसी वजह से उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती थी। मीटिंग के बाद उपरोक्त सभी साथी प्रजामण्डल के सदस्य बन गए और ग्राम प्रजामण्डल की स्थापना हो गई। यह स्मरण रहे कि मुबारिकपुर के श्री सीताराम और रामजीलाल आगे चल कर काफी आगे आये और राजनैतिक गतिविधियों में लगभग 40-50 सालों तक पूरी तरह सक्रिय रहे।

पद्माडा की घटना का सबसे अधिक असर मुण्डावर और बहरोड़ की जनता पर पड़ा। यह कहें की पूरे राठ के इलाके को जगाने और संगठन से जोड़ने में इस घटना ने सबसे बड़ी शक्ति दी। यह ध्यान रहे कि बहरोड़ क्षेत्र पहले से ही पंजाब, हरियाणा क्षेत्रों के पास होने के कारण आर्य समाज के प्रभाव में रहा जिसके कारण लोगों में स्वाभाविक रूप से अंध विश्वासों, रूढ़ियों के खिलाफ वातावरण था। इसकी वजह से राजनैतिक चेतना में बड़ी सहायता मिली। राष्ट्रीय भावना, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और हिन्दी, हिन्दुस्तान से प्रेम आर्य समाज के मूल मंत्र हैं। अतः अन्याय और जुल्म का प्रतिकार करने की भावना इन सबके कारण बढ़ना स्वाभाविक है। पद्माड़ा काण्ड ने उसे और भी अधिक तेजस्विता दी।

तिजारा में प्रजामण्डल का विस्तार :

यह स्मरण रहे कि अलवर में प्रजामण्डल के तीन वकीलों –सर्व श्री शोभाराम, रामचन्द्र उपाध्याय और कृपादयाल माथुर ने वकालत छोड़ दी, उनमें से श्री कृपादयाल माथुर ने तिजारा में आकर अपनी वकालत शुरू कर दी। इसका प्रच्छन्न रूप से यह लाभ हुआ कि कस्बे में उनके इर्द गिर्द, राष्ट्रीय भावना वाले व्यक्तियों का एक अच्छा ग्रुप बनता गया। इनमें सर्व श्री लाला घासीराम गुप्ता, मित्रसेन, महावीर प्रसाद, सुआलाल, महाशय चुन्नीलाल आदि प्रमुख थे।

श्री कृपादयाल माथुर एक अध्ययन शील, प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति रहे हैं। वे हमेशा ही, अपने इर्द गिर्द लोगों को जमा कर अपनी बात बड़े रोचक और प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। वे चूँकि पेशे से हमेशा वकालत के धन्धे में रहे हैं अतः उन्हें किसान तथा आम जन से रोजाना सम्पर्क होता रहता है। उन्हें किसान हों चाहे मजदूर सभी को अपनी बात कहने और समझाने की आदत रही है। इसलिए वे तिजारा में जब तक रहे वहाँ के मेवों और आम किसानों को अपनी

बातों से प्रभावित करते रहते थे। मौलवी सुलेमान, मौ. इब्राहीम तथा कई और मेव कार्यकर्त्ता एक प्रकार से उनके ही बनाये हुए लोग हैं।

सन् 1946 के खेड़ा मंगलसिंह में जहाँ वहाँ पर मौके पर श्री शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल आदि की गिरफ्तारी हुई वहीं तिजारा से भी श्री कृपादयाल आदि को पकड़ कर इसलिए जेल भेजा गया कि कहीं खेड़ा मंगलसिंह की गिरफ्तारियों के कारण तिजारा में जनान्दोलन जोर न पकड़े। सन् 1946 के ही "गैर जुम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो" आंदोलन में भी तिजारा के इन साथियों ने सत्याग्रह में बढ़ चढ कर भाग लिया।

श्री कृपादयाल माथुर के नेतृत्व में तिजारा तथा टपूकड़ा क्षेत्र की जनता के उत्साह व लग्न के कारण अलवर राज्य प्रजामण्डल की तहसील इकाई का गठन कर दिया गया था। श्री कृपादयाल तिजारा में इतने लोकप्रिय हो गये थे कि इन्हें उन दिनों "शेरे मेवात" के नाम से सम्बोधित किया जाता था।

राजगढ़ में प्रजामण्डल :

राजगढ़ क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना का विकास कई कारणों से काफी समय पूर्व ही शुरू हो गया था। यह स्मरण रहे, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वहाँ का हाई स्कूल काफी अच्छा और स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का केन्द्र था। यहाँ के स्कूल ने अच्छे राजनैतिक कार्यकर्त्ता, प्रशासनिक अधिकारी, अच्छे शिक्षक, वकील आदि दिये जो यहाँ से पढ़ कर ही चमके।

राजगढ़ में ही प्रजामण्डल की स्थापना के मात्र 13 महीने बाद नवम्बर 1941 में जागीर माफी कांफ्रेंस हुई जिसमें अलवर राज्य के अलावा भरतपुर व जयपुर तथा आसपास के कार्यकर्त्ता शामिल हुए। इस कान्फ्रेंस का उद्घाटन दिल्ली के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता सत्यदेव विद्यालंकार ने किया। गुरू ब्रजनारायणाचार्य जो स्वंय एक माफीदार थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। उनका एक बड़ा ही ओजस्वी भाषण हुआ।

यहाँ के पंडित भवानी सहाय शर्मा तो दिल्ली में रहकर राष्ट्रीय गतिविधियां में पूरी तरह सक्रिय रहे। वे लम्बी जेल यातना काट कर आये। वे भगतसिंह आदि क्रान्तिकारियों के संगठन से भी जुड़े रहे। यहाँ से कई कार्यकर्त्ता खादी तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों में जीवन के लम्बे समय तक जुड़े रहे। यहाँ से ही हरिजनों में कार्य करने के, शिक्षा प्रचार तथा जन जागृति एवं चेतना को बढ़ाने के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई।

बाद में प्रजामण्डल की स्थापना के बाद भी यहाँ अनेक कार्यकर्त्ता आगे आये। उनमें सर्व श्री रामस्वरूप गुप्ता, उनके छोटे भाई कन्हैयालाल गुप्ता, रामजीलाल शर्मा, रामशरण शर्मा, केदारनाथ धामाणी, रामस्वरूप शर्मा गौड़, नत्थूराम, छगनलाल, रामजीलाल शर्मा आदि विशेष रूप से सक्रियता से प्रजामण्डल के आंदोलनों में लगे रहे और उनमें से अधिकांश जेल गये।

किसानों में प्रजामंडल को ले जाने की ओर :

धीरे-धीरे दो साल से भी कम समय में अलवर राज्य प्रजा मंडल, राज्य के लगभग सभी भागों में अपना विस्तार करता हुआ तेजी से बढ़ने लगा। जन समस्याओं के बारे में संगठन की गहरी दिल-चस्पी और उन्हें मुद्दे बना कर, जनता के बीच से जाने में नेताओं की पकड़ और

धीरे-धीरे उनके अनुभव होते जाने के कारण, आम जन में प्रजामंडल अपने लिए एक आदर और विश्वास का स्थान बना चुका था। कस्बों और गांवों के व्यापारियों और दुकानदारों, छात्रों और युवकों के साथ राज्य भर के किसान भी संगठन की ओर बढ़ने लगे थे। हर जगह प्रजामंडल की सभा में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में थोड़े से ही समय में मात्र पर्चों द्वारा सूचना होते ही किसान अपने ऊँटों और गाड़ियों पर सवार हो, एक जतन और जोश के साथ उनमें निमंत्रण पाकर चले आते थे। उसका कारण यह था कि प्रजामण्डल के उत्साही और क्रियाशील कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गांव-गांव में उठ खड़े हुए थे।

इस प्रकार का उत्साह वर्द्धक वातावरण पाकर कांग्रेस के नेताओं ने देहात में अपनी पकड़ और पैठ पक्की करने के लिए नियमित रूप से महीने की हर अमावस्या के दिन किसी न किसी बड़े कस्बे में आस पास के क्षेत्र के किसानों के सम्मेलन करने की शुरूआत की। इन किसान सम्मेलनों को सफल बनाने तथा उनमें अधिक से अधिक लोगों के सम्मिलित होने के लिए, सम्मेलन की तारीख से सप्ताह भर पहले से ही प्रजामंडल के नेता और कार्यकर्ता अलग-अलग ग्रुप बनाकर देहात में निकल पड़ते थे। वे दिन रात घूमते हुए इस गांव से उस गांव जाते, रात को किसी बड़े गांव या कस्बे में ठहर कर कार्यकर्त्ताओं की मीटिंग लेते। उन्हें जन समस्याओं तथा संगठन के बारे में जानकारी देते। सदस्यों की भरती करते और आवश्यकतानुसार संगठन की इकाइयाँ स्थापित कर देते। यह स्मरण रहे इस अर्से में पूरे राज्य में प्रजामण्डल की लगभग एक सौ इकाइयाँ बना दी गई। संगठन की ये इकाइयाँ आज की तरह मात्र सदस्यता भरती कर, सदस्यों की कागजी इकाइयाँ न होकर जनता के बीच के लगनशील और निष्ठावान समर्पित कार्यकर्त्ताओं की जीवन्त संस्थाएँ थी, जिनके सामने, देश की आजादी, किसानों की उनकी समस्याओं से मुक्ति और जनसाधारण के मसलों के लिए अनेक उत्साह वर्द्धक कार्यक्रम थे।

प्रजामंडल के इन सम्मेलनों में संक्रान्ति आदि पर्वों और त्यौहारों के आसपास के कार्यक्रम तो इतने बड़े होते थे, जिनमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। इन सम्मेलनों में भरतपुर आदि से आए हुए किसानों के लिए बारहमासी आदि के गीत और भजनों को पेश करने वाले जनकवि भी शामिल होते थे। इनमें सर्व श्री नानक चन्द, श्यामल प्रसाद चतुर्वेदी, गिर्राज सिंह निडर, आदि होते थे। कभी जाट बहरोड़ में तो कभी गण्डाला, बीबीरानी, कोट कासिम, नीमराणा, माँढण आदि में सम्मेलन होते रहे।

इस सम्मेलनों और किसान कान्फ्रेंसों के माध्यम से प्रजामंडल के राठ क्षेत्र से अनेक कार्यकर्त्ता मिले जो बड़े जुझारू थे। इनमें से बहुत से साथी प्रजामंडल के सन् 1946 के आंदोलनों में जेल गए। बहरोड़ के इन कार्यकर्त्ताओं में सर्व श्री प्रभुदयाल डवानी, श्री दुर्गाप्रसाद मंत्री, श्री श्योनारायण, श्री लेखराम अग्रवाल एडवोकेट आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

बहरोड़ क्षेत्र तो श्री शोभाराम का सबसे अधिक प्रभावी क्षेत्र था उनके साथ श्री रामजीलाल अग्रवाल व लाला काशीराम विशेष रूप से साथ जाते थे। काशीराम का भी बहरोड़ क्षेत्र में काफी प्रभाव था। उनका क्षेत्र के [illegible] था। वे स्थानीय जनता से राठी भाषा में काफी घुलमि[illegible] में दिलचस्पी लेते थे।

प्रसार प्रचार के लिए प्रेस व समाचार-पत्र की योजना बनी :

सन् 1945 में प्रजामंडल के नेताओं ने यह महसूस किया कि संस्था जिस तेजी से काम कर रही है उसके अनुरूप न तो किये गए कार्यों की जनता को जानकारी होती है और न ही राज्य भर के कार्यकर्त्ताओं की जानकारी व ज्ञान को बढ़ाने के लिए, शिक्षित व प्रशिक्षित करने के लिए सामग्री दी जा रही है। उस समय केवल दो ही साप्ताहिक पत्र अलवर शहर से प्रकाशित होते थे। उनमें एक तो राजाशाही का पूरा समर्थक था जो प्रजामंडल की गतिविधियों को प्रकाशित नहीं करता था, बल्कि विरोध ही करता था। दूसरा पत्र यद्यपि कांग्रेसी विचारधारा के व्यक्ति ही निकालते थे पर उनकी प्रजामंडल के तत्कालीन नेताओं से कभी भी नहीं बनी। अतः उनके पत्र में में सहयोगी सामग्री का आभाव रहता था। इस समाचार पत्र का विशेष रूप से श्री शोभाराम और मा. भोलानाथ के प्रति व्यक्तिगत रूप से कटाक्ष पूर्ण रुख ही रहता था, समाचारों को देने में।

अतः योजना यह बनाई कि सिंगापुर के लिए एक टीम जाय जो वहाँ पर रह रहे अलवर राज्य के धनी मानी व्यवसाइयों से धन इकठ्ठा करके लाये।

प्रजामंडल के दो बड़े नेता श्री शोभाराम तथा मा. भोलानाथ मलाया गये, वहाँ पर अलवर बर्डोद ग्राम के सेठ मक्खन लाल का बड़ा कारोबार था। वे वैसे भी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अत्यन्त विश्वास पात्र राष्ट्रीय विचारों के व्यक्ति थे।

जैसा कि अनुमान और विश्वास था, उस समय के हिसाब से अच्छा स्वागत हुआ और प्रेस व अखबार चलाने लायक धन मिल गया। अलवर आते ही फटाफट प्रेस की मशीन खरीद ली गई, पर प्रेस चालू करें उससे पहले ही प्रजामंडल के कुछ लोगों ने कई तरह के प्रश्न खड़े कर एक विवाद खड़ा कर दिया। इस विवाद में प्रजामंडल के तत्कालीन पदाधिकारियों के विरुद्ध वे लोग एक जुट हो गए जो प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व उससे पूर्व की कांग्रेस से जुड़े हुए थे और उनमें से कई 1937 के छात्रों के फीस विरोधी आंदोलन में जेल गये थे तथा अन्य मामलों में लम्बी व कड़ी सजायें काट कर आये थे। ये लोग किन्हीं कारणों से प्रजामंडल की गतिविधियों से जुड़ने में पिछड़ते गए अथवा उन्हें धकेल दिया गया, यह एक विवाद का विषय है। विरोध करने वालों में थे मोदी कुँज विहारी लाल, श्री प्रभुदयाल गुप्ता, श्री इन्द्रसिंह आजाद, श्री रामदयाल जैन हलवाई, श्री पन्नालाल चौबे, श्री रंगबिहारी लाल मोदी थे। इन लोगों ने सिंगापुर से आई धन राशि आदि के बारे में काफी आरोप लगा कर पर्चे बाजी की। शहर में जगह-जगह पर इन्होंने प्रजामंडल के नेताओं के खिलाफ मीटिंग कर कार्यकर्त्ताओं में भ्रामक प्रचार किया। थोड़े दिनों तक काफी कटुता पूर्ण वातावरण रहा, किन्तु कुछ समय बाद धीरे-धीरे विरोधी सिमट कर घर बैठते गए। मगर इसका परिणाम यह हुआ कि प्रजामंडल का न प्रेस चालू हुआ और न ही अपना अखबार ही शुरू किया जा सका। समाचार पत्र शुरू नहीं होने का कारण तो राज्य सरकार द्वारा प्रजामंडल की बार-बार की कोशिशों के बावजूद इसके छापने की स्वीकृति नहीं देना था।

अलवर में मध्य भारत व राजपूताना के कार्यकर्त्ताओं का सम्मेलन :

सन् 1944 की सर्दियों के शुरू में मध्य भारत में राजपूताना की देशी रियासतों के कार्यकर्त्ताओं का एक सम्मेलन अलवर शहर के गिरधर आश्रम में हुआ, जिसमें बाहर के काफी

बड़े-बड़े नेता व प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। [illegible] निजलिंगप्पा, कृष्ण दत्त [illegible], सोमनाथ जोशी तथा अखिल भारतीय स्तर के नेताओं में [illegible] भाई, श्री जमनालाल बजाज आदि थे, वहीं राजस्थान के बड़े नेताओं में सर्व श्री जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, प्रो. गोकुल लाल आसावा, [illegible] वर्मा, [illegible] आदि प्रमुख थे।

इस सम्मेलन में देशी राज्यों में काम करने वाले प्रजामंडलों, कार्यकर्ताओं आदि के संगठनात्मक समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन दो दिनों तक चला। सम्मेलन के साथ ही एक कवि सम्मेलन भी हुआ जिसमें राजस्थान तथा बाहर के अनेक गणमान्य कवि पधारे। इस सम्मेलन से अलवर के प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भर गया। उन्हें इससे पूर्व इतने बड़े नेताओं को देखने का सौभाग्य नहीं मिला था।

राजा की सरकार जिसने प्रजामंडल को मान्यता देते समय जो कड़ी शर्तें लगा दी थी कि प्रजामंडल का बाहरी संगठनों से सम्बन्ध नहीं होगा, प्रजामंडल का अपना कोई झण्डा नहीं होगा, और वह उत्तरदायी शासन की मांग करने की बजाय राज्य प्रशासन को प्रगतिशील सहयोग करेगी- इन तीनों शर्तों को इस सम्मेलन में पूरी तरह नकारते हुए सारी कार्यवाहियाँ चली। प्रजामंडल ने अब पूरी तरह तिरंगे को अपना लिया था, जो कि कांग्रेस का चर्खे वाला झंडा था। बाहर के इतने बड़े नेताओं का आना और सयक्त उत्तरदायी शासन की पुरजोर मांग करना, अब प्रजामंडल का एक बड़ा नारा व उद्देश्य बन गया था। प्रजामंडल अब एक राज्य (अलवर) तक ही सीमित टापू न रह कर, पूरे देश के साथ जुड़ गया था। पूरे देश की देशी रियासतों की आवाज ही उसकी आवाज थी। कांग्रेस के नेता पूज्य बापू सर्व श्री जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि ही इसके प्रेरणा स्रोत व मार्ग दर्शक थे।

प्रजामंडलों की किसानों के प्रति नीति :

अलवर राज्य प्रजामंडल के नेता एवं कार्यकर्ता देश की जहाँ आजादी तथा अपने राज्य की जनता के लिए उत्तरदायी शासन के संघर्ष को तेज करने में लगे हुए थे, वे राज्य के किसान जो, खुदकाश्त खालसा, जागीर व माफी की श्रेणियों में विभक्त थे, उनकी अपनी समस्यायें थी। खास तौर से जागीरदारों और माफीदारों का शोषण उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ चुका था। *अलवर राज्य प्रजामंडल का नेतृत्व किसानों के मामलों में राजस्थान के सबसे सुलझे हुए और* प्रगतिशील नेताओं का संगठन था। उसके बारे में सन् 1945-46 के दिनों की घटनाओं के कुछ मामले इसकी अच्छी मिसालें हैं।

बरखेड़ा ग्राम के किसानों का वहाँ के माफीदार से बेदखली के मामले को लेकर केस चल रहा था। किसानों की ओर से श्री रामचन्द्र उपाध्याय तथा श्री कृपादयाल माथुर वकील थे। मामला गंभीर था अतः माफीदार ने अपनी ओर से पैरवी करने के लिए कांग्रेस के एक बड़े नेता तथा मूर्धन्य वकील श्री के. एन. काटजू को नियुक्त किया। प्रजामंडल वालों को पता लगा तो उन्होंने उन्हें न आने के लिए आग्रह किया। वे फिर भी अपने मुवक्किल की पैरवी करने की जिद करते रहे। इस पर प्रजामंडल की ओर से उन्हें यह सूचित किया गया कि यदि वे अलवर में एक

माफीदार की पैरवी करने आयेंगे तो उनको काले झण्डे दिखा कर विरोध किया जायेगा। इसे देख कर उन्होंने अलवर आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया और पैरवी करने से इंकार कर दिया।

काली पहाड़ी में मेवों को भी वहाँ के जागीरदारों द्वारा हर तरह से सताया जा रहा था। प्रजामंडल के नेताओं ने गांव में जाकर आम सभा की, प्रदर्शन किया और किसानों को जुल्मों से राहत दिलाई।

गढ़ी के जागीरदार जो उस समय राज्य सरकार में आई. जी. थे, उन्होंने गांव के एक व्यापारी को अपना मकान बेचने से यह कह कर मना कर दिया कि तुम मेरी जागीर के अन्तर्गत अपना मकान नहीं बेच सकते क्योंकि जमीन हमारी है तुम्हारा तो सिर्फ मकान के निर्माण के अन्दर काम में लिया गया मलवा है जिसे चाहो तो उठा कर ले जा सकते हो।

इस पर मकान मालिक गुलाब चन्द नामक महाजन प्रजामंडल के कार्यलय में आया। प्रजामंडल वालों ने उसके अधिकार दिलाने के लिए गांव में आम सभा की और महाजन को राहत दिलाई।

ऐसे ही मामलों से प्रजामंडल की आम जनता, व्यापारी वर्ग तथा किसानों में एक साख बनती जा रही थी। संस्था उस समय जनता के अभाव अभियोगों में एक मुक्तिदाता संगठन के रूप में तेजी से उभर रही थी।

उदयपुर में देशी राज्य प्रजा परिषदों का अधिवेशन :

अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजापरिषद का छठा अधिवेशन उदयपुर शहर के सलैटिया मैदान में दिनांक 31 दिसम्बर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक हुआ जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में भारत की लगभग सभी देशी रियासतों के प्रजामंडलों, परिषदों आदि के नेता तथा कार्यकर्त्ता सम्मिलित हुए जिनमें सबसे प्रमुख शेरे काश्मीर शेख अब्दुल्ला थे जो अपने साथ 30 डेलीगेट लेकर आये थे। अलवर से भी यहाँ की आबादी आठ लाख होने के कारण, एक लाख के पीछे एक होने के हिसाब से आठ डेलीगेट गये, जिनके नाम इस प्रकार हैं:-

श्री शोभाराम, मा. भोलानाथ, श्री रामजीलाल अग्रवाल, श्री भवानी सहाय शर्मा, लाला काशीराम, पंडित हरिनारायण शर्मा, श्री कृपा दयाल माथुर, लाला घासीराम गुप्ता और श्री फूलचन्द गोठड़िया।

इनके अलावा दर्शकों में, श्री दयाराम गुप्ता, कुमारी शोभा भार्गव, सेठ हजारी लाल, व उनकी धर्म पत्नी, स्वर्गीय श्री रामजीलाल अग्रवाल की धर्म पत्नी श्रीमती रामेश्वरी देवी, श्रीमती रामप्यारी देवी, श्री मायाराम, श्री रोशन लाल आदि।

यह सम्मेलन बहुत ही जोश व उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ। राजपूताना के सभी कार्यकर्त्ताओं को एक दूसरे से मिलने व उनके विचार जानने का अवसर मिला। इस सम्मेलन में उत्साही व प्रगतिशील विचारों के कार्यकर्त्ताओं ने अपने विचार रखे। अलवर के साथियों को इस सम्मेलन से बड़ी प्रेरणा व कार्य करने की दिशा मिली।

अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह पारित हुआ कि रियासतों के शासक बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए अविलम्ब अपनी-अपनी रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करें। साथ ही सम्मेलन में किसानों की समस्याओं तथा जनाधिकार के मामलों में कई प्रस्ताव पारित हुए।

इस अधिवेशन से जुड़ी दो घटनायें काफी रोचक हैं, जिनका यहाँ प्रसंग वश जिक्र करना अनुचित न होगा-

पंडित नेहरू देहली से उदयपुर जा रहे थे तब उन्हें दो ऐसे स्रोतों से धन मिला, जो काफी दिलचस्प हैं। पहला यह कि जब पंडित जी जयपुर से उदयपुर जा रहे थे तो रास्ते में डाकुओं ने बंदूक तान कर उनकी कार को रोक लिया। डाकू दल के नेता लक्ष्मण सिंह खारवा ने नेहरूजी को 10 हजार की थैली भेंट करनी चाही। पंडित जी ने यह कह कर वह धन लेने से इंकार कर दिया कि कांग्रेस समाज विरोधी तत्वों से धन नहीं लेती। डाकू नेता ने कहा कि कांग्रेस सेठों से धन लेती है और हमारे पास भी सेठों का ही धन है। वैसे हर भारतीय को, चाहे वह अच्छा है या बुरा देश की आजादी के लिए अपनी ओर से वह जो भी कर सकता है, करने का अधिकार है। हम यही कर सकते हैं। पंडित जी के साथ अजमेर के प्रसिद्ध वकील व कांग्रेस के नेता श्री मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। उन्होंने नेहरू जी को बताया कि डाकू नेता और कोई नहीं, यह सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी स्व. ठाकुर गोपाल सिंह खरवा परिवार में से है एवं परिस्थितियों वश ऐसा जीवन बिता रहा है। यह जानकर पंडित जी ने उसकी वह थैली स्वीकार कर ली। डाकू दल बहुत प्रसन्न हुआ और 'जयहिन्द' का उद्घोष करता हुआ बीहड़ वनों में गायब हो गया।

दूसरा यह कि उदयपुर के महाराणा ने पंडित जी को अपने महल में बुलाकर 25 हजार रुपये की एक थैली भेंट की जिसे पंडित जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजापरिषद के अधिवेशन का यह असर हुआ कि मेवाड़ सरकार ने दिनांक 16 फरवरी 1946 को ही उत्तरदायी शासन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी और एक विधान निर्मात्री परिषद की स्थापना की घोषणा स्वयं महाराणा ने अपने जन्म दिन पर कर दी।

इस सम्मेलन के कर्णधार व संचालक स्व. जयनारायण व्यास थे जो उस समय देशी राज्य प्रजा परिषद के जनरल सैक्रेटरी थे।

गढ़ी में सभा बुलाने वाले का विचित्र रवैया :

गढ़ी ग्राम के जिस गुलाब महाजन के मकान बेचने के मामले में प्रजामंडल ने अविलम्ब कार्यवाही की और गांव में जाकर उसके पक्ष में वहाँ जागीरदार तथा राज्य सरकार के एक बड़े अधिकारी के खिलाफ मीटिंग का माहौल बनाया, वही नेताओं के वहाँ पहुँचने पर आशंकित खतरों से घबराकर वह शिकायत कर्ता विचित्र व्यवहार करने लगा। उसके बुलाने पर ही अलवर से सर्व श्री शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल, फूलचन्द गोठड़िया, रामस्वरूप गुप्ता, रामशरण शर्मा दिनांक 1 फरवरी 1946 को मीटिंग करने के लिए 31 जनवरी को गढ़ी पहुँच गये। साथ में आल्हा गायक श्री नानक चन्द भी थे। पर गुलाब महाजन ने उन्हें अपने घर ठहराने की बजाय

धर्मशाला भेज दिया और उसकी चाबी तक नहीं दी। वहाँ जगह नहीं मिलने पर जब उसे यह बताया तो उसने अपने एक कमरे में जिसमें मिर्चें भरी हुई थी, सोने को जगह बता दी। अपने घर पर ठहराने या खाना खिलाने के लिए पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर साफ कन्नी काट गया।

श्री शोभाराम तो अन्य साथियों को दूसरे दिन मीटिंग करने को कह कर खेड़ा मंगलसिंह के लिए चले गये और मीटिंग समाप्त कर वहाँ आने के लिए कह गए। अत: निश्चयानुसार दूसरे दिन 1 फरवरी को मीटिंग करने के लिए लोगों से सम्पर्क करना शुरू किया गया। शाम की मीटिंग के लिए ऐलान किया गया। यह देखकर जागीरदार के लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि आज शाम को मीटिंग में बोलने वालों पर फर्सियों से हमला होगा। पर प्रजामंडल के साथी डरे नहीं और शाम को मीटिंग की कार्यवाही शुरू हुई। श्री फूलचन्द गोठड़िया का पहले भाषण प्रारंभ हुआ। उन्होंने अपने भाषण में एक बात उकसाने वालों और झगड़े की अफवाह फैलाने वालों के मनसूबों पर पानी फेरने के लिए यह कही कि "भाइयो, आपका यहाँ का जागीरदार जो सरकार में आई. जी. है, वह हमारे प्रजामंडल के दफ्तर में आया और कहने लगा, आप मेरे गांव में मत जाओ, वहाँ राम राज्य है। अगर कोई गलत कार्य हो रहा होगा, तो जैसा आप कहोगे वैसा ठीक कर दूंगा।" इसके बाद श्री नानक चन्द के आल्हा गीत हुए और अन्त में श्री रामजी लाल अग्रवाल का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा, हम प्रजामंडल वाले किसानों और आम नागरिकों के डर और आंतक को समाप्त करते हैं, जागीरी जुल्मों, लाग-बेगार का विरोध करते हैं। आपके यहाँ क्या ये जुल्म आदि नहीं हैं? उनका ओजस्वी भाषण सुनकर जनता तो बड़ी प्रभावित हुई ही, साथ ही जो लोग जागीरदार के कामदार के उकसाने पर मीटिंग में झगड़ा कर मार पीट करने आये थे, वे माफी मांग कर प्रजामण्डल के नेताओं के पास स्टेज पर ही पहुँचे और बड़े उत्साह के साथ वहीं कहने लगे, आप तो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। हमें तो कामदार और जागीरदार के लोगों ने झूठी बातें बताकर आपको पीट कर भगाने के लिए यहाँ भेजा था। हमने सचाई जान ली है। आप हमें प्रजामंडल का सदस्य बना लीजिए। यह कहते हुए अनेक लोगों ने तत्काल प्रजामंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली।

इस प्रकार गढ़ी में प्रजामंडल के काफी सदस्य बन गये और बाद में वहाँ स्थानीय कमेटी का गठन कर दिया गया।

खेड़ा मंगलसिंह आंदोलन की ओर :

दूसरे दिन अर्थात 2 फरवरी 1946 को श्री रामजीलाल अग्रवाल, श्री नानक चन्द, श्री रामस्वरूप गुप्ता आदि सभी साथी अलावा श्री फूलचन्द गोठड़िया के खेड़ा मंगलसिंह के लिए रवाना हो गए। श्री गोठड़िया अलवर आ गए, खेड़ा मंगल सिंह में होने वाले सम्मेलन के लिए फर्शों, शामियानों, तख्त बल्ली आदि जुटाने के लिए। जब वे प्रजामंडल के बजाजा बाजार स्थित केन्द्रीय दफ्तर में गये तो उन्हें वहाँ पर अलवर राज्य के प्राइम मिनिस्टर का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने प्रजामंडल के 4 बड़े नेताओं सर्व श्री शोभाराम, मा.भोलानाथ, रामजीलाल अग्रवाल, तथा पं. हरनारायण शर्मा को बुलाया और यह भी कहा गया कि प्रजामंडल की ओर से किये जाने वाले जलसे आदि के कार्यक्रम बिल्कुल बन्द कर दिये जायें। चूँकि इनमें से कोई भी नेता अलवर में नहीं था अत: वह पत्र कार्यालय में छोड़ कर श्री गोठड़िया अपने

काम में लग गए। ये श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल से ट्रक लेकर और सारा आवश्यक सामान जुटाकर सर्व श्री पृथ्वीनाथ भार्गव वकील, लाला काशीराम गुप्ता, श्री कैलाश विहारी रायजादा, श्री मायाराम, महावीर प्रसाद जैन, दयाराम गुप्ता, हरसहाय लाल विजय आदि साथियों को लेकर दोपहर पीछे लगभग 4 बजे खेड़ा मंगल सिंह के लिए रवाना हुए। रास्ते में लक्ष्मणगढ़ से श्री विहारी लाल शर्मा को साथ लिया। रात को लगभग 8 बजे खेड़ा मंगल सिंह पहुँचे, जहाँ एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में श्री शोभाराम व अन्य साथी खाना खा रहे थे। खाना बनना जारी था अतः आने वाले तथा अन्य सभी खाना खा कर सो गये।

खेड़ा मंगलसिंह में रात में गिरफ्तारियाँ :

जिस ट्रक से अलवर से सामान तथा कार्यकर्त्ताओं को ले जाया गया था, पुलिस वाले उसके आस पास जमा होने लगे। रात को लगभग 1 बजे राजगढ़ के नाजिम रामचन्द्र हरित ने घेर लिया। इसी वक्त रात को पं. भवानी सहाय शर्मा, जो दिल्ली से लाउड स्पीकर लेकर आये थे, उन्हें गिरफ्तार कर, मंदिर में सो रहे सर्व श्री शोभाराम, रामजी लाल अग्रवाल, लाला काशीराम को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इन सभी के नाम वारंट थे। वारंट मा. भोलानाथ के भी थे मगर वे उस दिन दिल्ली थे और वहाँ से रात को महुआ मुंडावर होते हुए दिन में खेड़ा मंगल सिंह पहुँचने वाले थे। उन्हें गिरफ्तार होने से बचाने के लिए, वारंट न होने के कारण गिरफ्तारी से बचे कार्यकर्त्ताओं ने सबसे पहले यह व्यवस्था करने का निर्णय किया कि मास्टर भोलानाथ जी को खेड़ा मंगल सिंह पहुँचने से रोका जाय। इसके लिए महावीर प्रसाद जैन तथा श्री हरसहाय लाल विजय को मास्टर जी को बांदीकुई से ही वापिस भेज दिये जाने को कहा गया ताकि बाहर रहकर वे आंदोलन का संचालन कर सकें।

उधर खेड़ा मंगल सिंह में दूसरे दिन जो मीटिंग होने वाली थी, उसको पूर्व कार्यक्रम के अनुसार करने का निश्चय किया गया। सुबह से ही दोपहर को मीटिंग करने के लिए ऐलान किया गया और दोपहर को 1 बजे से मीटिंग की गई। रात को अचानक हुई गिरफ्तारी का असर यह हुआ कि किसान तथा आम जनता बड़ी संख्या में सम्मेलन में भाग लेने के लिए आई। लगभग 15 हजार लोग सम्मिलित हुए। सभा की अध्यक्षता श्री पृथ्वीनाथ भार्गव ने की। सभा में श्री फूलचन्द गोठड़िया, श्री के. बी. रायजादा, श्री दयाराम गुप्ता आदि के बड़े ओजस्वी भाषण हुए।

मीटिंग की भारी भीड़ तथा जोश को देखकर राज्य सरकार ने कोई गिरफ्तारी नहीं की।

अलवर में आन्दोलन का बिगुल बजा : श्री डाटा ने कमान संभाली :

खेड़ा मंगल सिंह में जिस समय रात को गिरफ्तारियाँ की गई, उसी समय अलवर, तिजारा आदि में भी प्रजामंडल के कार्यकर्त्ताओं एवं नेताओं की गिरफ्तारियाँ की गई। इनमें तिजारा से श्री कृपादयाल माथुर तथा श्री घासीराम गुप्ता, अलवर से सर्व श्री कुंजविहारी लाल मोदी, रामावतार गुप्ता एडवोकेट, इन्द्रसिंह आजाद, पं. रामचन्द्र उपाध्याय, बद्री प्रसाद गुप्ता, पं. हरिनारायण शर्मा आदि को गिरफ्तार किया गया।

मास्टर जी को श्री हरसहाय लाल विजय व श्री महावीर प्रसाद जैन ने दिल्ली रवाना कर दिया। उधर श्री फूलचन्द गोठड़िया खेड़ा से सीधे रामगढ पहुँचे और वहाँ हड़ताल करा दी।

बाकी साथी अपने-अपने ढंग से लौट आये और आंदोलन में जुट गए।

इन गिरफ्तारियों के विरोध में अलवर, राजगढ़, तिजारा आदि में भी हड़तालें हुई। अलवर शहर में तो बाजार पूरे आठ दिनों तक बन्द रहे।

अलवर के आंदोलन की कमान डॉ. शान्तिस्वरूप डाटा ने संभाल ली, क्योंकि प्रजामंडल के लगभग सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे और जो बचे थे, उन्हें आंदोलन चलाने का इतना अनुभव नहीं था। ऐसे में डाक्टर डाटा का गुडगांवा, दिल्ली में राजनैतिक आंदोलन को चलाने का अनुभव काम आ गया। इस बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक "*स्मृति के वातायन से*" में जो विवरण दिया है वह इस प्रकार है-

सन् 1946 के फरवरी महीने में अलवर प्रजा मंडल में लछमणगढ़ के खेड़ा मंगलसिंह गाँव में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। मैं सभा में तो नहीं जा सका था, लेकिन शाम को सात बजे के करीब जबकि मैं अपने क्लिनिक पर बैठा था, तब शहर कोतवाल श्री बालूसिंह मेरी दुकान पर आए और कहा कि खेड़ा मंगल सिंह में सरकार ने सर्व श्री शोभाराम पं. भवानी सहाय आदि कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर के राजनैतिक आन्दोलन में, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का मेरा यह पहला मौका था। मैंने श्री बालूसिंह के जाते ही अपने क्लिनिक को बन्द किया और तीन-युवकों को साथ लेकर अलवर के जितने भी कॉलेज व स्कूलों के छात्रावास थे, उनमें रात भर साइकिल लेकर घूमता रहा। अलवर की तमाम सड़कों पर खड़िया मिट्टी से अलवर में कल हड़ताल है ऐसा लिखवा दिया। मा. भोलनाथ जी जो प्रजामंडल के नेताओं में थे और जिन्होंने किसी समय, फीस विरोधी आन्दोलन में अपने अध्यापक पद से त्याग-पत्र देकर सार्वजनिक जीवन अपनाया था और वर्तमान में कुछ समाचार पत्रों के सम्वाददाता के रूप में काम करते हुए अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, वे किसी तरह से खेड़ा मंगल सिंह से पुलिस की निगाहों से बचकर बाँदीकुई पहुँच गए थे। उनको मैंने रात को एक आदमी को ट्रेन से भेज कर अलवर के पूरे समाचार, समाचार पत्रों में छापने हेतु अर्जुन, दैनिक हिन्दुस्तान, विश्व मित्र आदि के लिए भेज दिए। उसी रात मुलतानी मिट्टी का एक सांचा बनाकर, उससे साइक्लो स्टाइल का काम लिया। रात में ही प्रभुदयाल जी मोदी व बरफ खाने में जाकर श्री चन्दगी लाल गुप्ता व शादीलाल जी गुप्ता से 500 रु. आर्थिक सहायता ली। उस रात में जो भी युवक मेरे साथ थे, उन्होंने अद्भुत काम किया और रात भर जागकर शहर में ऐसा वातावरण बना दिया जैसे अलवर में किसी क्रान्ति की तैयारी की जा रही हो।

अगले दिन सारा अलवर पूरी तरह बन्द हो गया। प्रजामंडल के दफ्तर में जो कि बजाजा बाजार में पालावत की दुकान के ऊपर था, वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। मैंने सुबह ही, अलवर की सभी तहसीलों में अलग-अलग कार्यकर्त्ता भेजकर सन्देश भेजा कि वे अपने-अपने जत्थे बनाकर अलवर आयें।

भारत में, देश की अनेक रियासतों में उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के लिए अनेक संघर्ष हुए, लेकिन अलवर में अचानक यह संघर्ष बिना किसी योजना के तैयार हुआ, वह बेमिसाल था। सारा अलवर निरन्तर तीन दिनों तक बन्द रहा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद (All India States People's Conference) के श्री हीरालाल शास्त्री और श्री जयनारायण

जी व्यास से सम्पर्क किया गया। डॉ. पट्टाभि सीतारमैया उस समय अ. भा. देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष थे। साथ ही पं. जवाहरलाल नेहरू को भी श्री जयनारायण व्यास और श्री हीरालाल शास्त्री ने अलवर की पूरी स्थिति से अवगत करा दिया था।

तीन चार दिनों तक अलवर में जुलूस और जलसे निरन्तर होते रहे। सभी रियासत के कार्यकर्ता अलवर में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और 20-20 हजार की आम सभायें पुरजन विहार, होप सर्कस और सुभाष चौक में हुई। इस सारे आन्दोलन के संचालन करने का दायित्व और भार मुझ पर आ पड़ा, जिसको आम जनता और कार्यकर्ताओं के सहयोग से मैंने बखूबी निभाया। आन्दोलन के सातवें दिन आल इण्डिया स्टेट्स पीपुल्स कान्फ्रेंस के प्रधान मंत्री पं. हीरालाल शास्त्री को पं. जवाहर लाल नेहरू ने, यहाँ की पूरी स्थिति की जानकारी के लिए भेजा। श्री शास्त्री पहिले जयपुर में, जो वहाँ की प्रजामंडल ने आन्दोलन किया था, उसके सर्वमान्य नेता थे और वनस्थली विद्यापीठ नामक बालिकाओं की शैक्षणिक संस्था के संस्थापक थे, इसलिए न सिर्फ राजस्थान में अपितु राजनैतिक क्षेत्र में, उनका नाम था।

श्री हीरालाल शास्त्री सर्व प्रथम रियासत के शासक महाराज तेजसिंह से मिलने के लिए विजय मंदिर के महल में गए। वहाँ से आने के बाद वे मुझे लेकर अलवर केन्द्रीय कारागृह में, उन राजनैतिक बंदियों से मिलने गए जो खेड़ा मंगलसिंह में, सात दिन पूर्व गिरफ्तार किए गए थे।

हम दोनों की श्री शोभाराम व अन्य कार्यकर्ताओं से खुलकर बात हुई। मुझे जेल में जाकर ही पता लगा कि प्रजामडंल के जो कार्यकर्ता जेल में बन्द थे, उनको लक्ष्मीनारायण खंडेलवाज जैसे कार्यकर्ता ने पिछले दिनों जेल में उनसे मिलकर उनको मेरे खिलाफ बहुत भड़काया हुआ है। मुझे उन्होंने कहा कि आपने बिना पूछे अपने आप को इस आन्दोलन का संचालक (Dictator) कैसे घोषित कर दिया। मैंने बहुत शान्त भाव से सारी परिस्थिति की उन्हें जानकारी दी और कहा कि मैंने अपने ऊपर जो दायित्व ओढ़ा है, वह बहुत मजबूरी में ही ऐसा किया है। आखिर इस आन्दोलन के चलाने के लिए किसी एक व्यक्ति को तो आगे आना ही पड़ता। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी पूरी निष्ठा और योग्यता से अपने दायित्व को निभाया है और जिन लोगों ने आपको भ्रमित किया है, वे प्रजामंडल के निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं हैं। लेकिन मुझे अत्यन्त दुःख व क्षोभ इस बात का हुआ कि पिछले छः सात दिन जो मैंने अलवर रियासत में जन जागरण का अभूत पूर्व वातावरण पैदा किया, वह कुछ लोगों की स्वार्थ-लिप्सा के कारण मेरे लिए राजनीति के क्षेत्र में बहुत कड़ुवे बीज बो गया।

शास्त्री जी ने अपनी चतुराई से सब राजबन्दियों को यह बात मनवा ली कि वे महाराज की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन को स्वीकार कर लेंगे और महाराज उन्हें अखबार निकालने, प्रेस आदि चलाने की सुविधाएँ दे देंगे।

हम जब केन्द्रीय कारागृह से वापिस लौटकर आए तभी सभी राजबन्दियों को छोड़ने का आदेश जेल पहुँच गया और उनको एक बड़े जुलूस की शक्ल में सारे नगर में घुमाया गया। ऐसा भव्य जुलूस अलवर के राजनैतिक इतिहास में एकाध बार ही निकला होगा।

शाम को अलवर रियासत के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर सिरेमल बापना ने मुझे अपनी कोठी पर आमंत्रित किया और वहाँ पर आधा घंटा चर्चा के बाद एक मसविदा तैयार हुआ जिस

पर मेरे और सर सिरेमल बापना के हस्ताक्षर हुए। उस मसविदे में मुख्य रूप से प्रजामंडल को अपना अखबार निकालने का अधिकार दिया गया था।

इस आन्दोलन में लोगों में उत्साह तो बहुत था, लेकिन आन्दोलन को जिस प्रकार श्री हीरालाल जी शास्त्री ने महाराज से मिलकर समाप्त कराया उससे लोगों में शंकाएं बहुत हो गई। तरह-तरह की अफवाहें फैली, और कहा गया कि शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ के लिए महाराज से एक बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त की, हालांकि इस बात का जाहिरा तौर पर कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था। कुछ दिनों तक प्रजा मंडल में कुछ लोगों का रोष मेरे प्रति भी बना रहा, लेकिन अगली लड़ाई की, जो उत्तरदायी शासन के नाम से लड़ी जाने वाली थी, उसकी तैयारी करनी थी, इसलिए वह, रोष अधिक दिनों तक टिक नहीं सका।

इस आंदोलन की जहाँ कुछ कमियाँ रहीं, वहीं कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ भी रहीं। राज्य भर के प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ताओं में भारी जोश था। उनमें संगठन के प्रति विश्वास और संघर्ष करने की भावना बहुत बढ़ गई। तहसीलों में कार्यकर्त्ता काफी तेजी से बढ़ने लगे।

राता का टैक्स विरोधी आंदोलन :

राज्य सरकार ने सन् 1946 में तम्बाखू तथा कुछ अन्य कृषि उत्पादों पर आबकारी कर (Excise Duty) में काफी वृद्धि कर दी; इससे राज्य भर के किसानों में खास तौर से मेव किसानों में तीव्र असंतोष बढ़ गया। उनके असंतोष को और अधिक बढाने में 'अहरार पार्टी' के एक नेता अयुस्समद कुद्दूस ने बड़ी भूमिका निभाई। यह शख्स कश्मीर क्षेत्र के पुँछ क्षेत्र का रहने वाला था, किसी कारण से अलवर में आया हुआ था। यह मेवात को अपनी गतिविधियों का केन्द्र बनाने की गर्ज से ही शायद इधर आया था। इसके लिए इसने किशनगढ़-खैरथल मार्ग के पास पड़ने वाले 'राता' गांव में अपना जमावड़ा किया। यहाँ 60-70 युवाओं को चुन कर इसने फौजी ट्रेनिंग देने के लिए बन्दूक चलाना, घुड़सवारी के अभ्यास आदि कराने शुरू किये। थोड़े ही समय में इसका प्रभाव इलाके के मेव किसानों में तेजी से बढ़ने लगा। मेवात क्षेत्र में जगह-जगह इसकी आम सभाएँ होने लगीं। सरकार इसकी गतिविधियों से भय खाने लगी।

प्रजामण्डल के नेताओं ने भी किसानों पर टैक्स के विरोध में बढ़े असंतोष को उनकी जायज मांगों के कारण सही पाया और इस टैक्स के विरोध में एक पर्चा मौलवी इब्राहीम, श्री रामजीलाल अग्रवाल तथा श्री फूलचन्द गोठड़िया, इन तीनों के नाम से निकाला और किसानों की बड़ी मीटिंग रामगढ़ कस्बे में करने की सूचना दी। इसमें मौलवी कुद्दूस को भी आमंत्रित किया गया। रामगढ़ की इस सभा में 5000 से ज्यादा लोग आये। मीटिंग में, जिसकी अध्यक्षता श्री गोठड़िया ने की, मौलाना कुद्दूस एक ऊँट पर ऊँचा झण्डा जो लाल रंग का था, जिस पर कोई चिह्न नहीं था, लगा कर 2-2 की पंक्तियाँ वाले साठ घुड़ सवारों के साथ आया जिनके सभी के पास देशी बन्दूकें थीं। वे "नारा-ए-तदबीर, अल्ला हो अकबर", 'अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद' 'राजा के जुल्मों-सितम बन्द करो' ''तम्बाखू टैक्स खत्म करो'' ''कस्टम हटाओ'' आदि नारे लगा रहे थे। उस दिन की आम सभा पूरे जोश के साथ हुई। प्रजा मण्डल के नेताओं सहित मौलवी कुद्दूस के भी भाषण हुए।

सभा समापन के ऐन वक्त रामगढ़ के पास के दौहली गाँव का एक रिटायर्ड सेना का सूबेदार आया और उसने सभी नेताओं को अपने घर पर एक दावत में आमंत्रित किया। मौलवी कुद्दूस से उसकी दावत में शामिल होने के लिये कहा गया तो वह गुस्से में गालियाँ देते हुए बोला, "यह साला अंग्रेजों का कुत्ता है। राजा का सी. आई. डी. है। यह दावत के बहाने हम सबको बुला कर गिरफ्तार करवा देगा।" इस पर सब तरफ से इन्कारी हो गई और वह अपना सा मुँह लेकर चला गया।

मौ. कुद्दूस के भाषण की कुछ खास उल्लेखनीय बातें :-

"लोग कहते हैं, कुद्दूस हिन्दुओं के हाथों बिक गया। मैं कहता हूँ, अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं। हिन्दू उसके साथ लड़ते है। कहावत है, दुश्मन के खिलाफ कुत्ता भी भौंकता है, उसे चुपड़ी रोटी दो। मैं इसी पालिसी से हिन्दुओं के साथ आता हूँ।

मीटिंग की समाप्ति पर, वहाँ से, उसी तरह जुलूस बना कर अपने साथियों के साथ श्री कुद्दूस चले गए। उसके सभी फायर करते और नारे लगाते हुए गए। इधर श्री रामजीलाल अग्रवाल अलवर आ गए।

मौलवी इब्राहीम और श्री फूलचन्द गोठड़िया रामगढ़ में रह गये। श्री मोतीलाल उर्फ जिन्ना ने गांव के व्यापारियों को भड़काया कि कांग्रेसी लोग इन मुसलमानों को यहाँ लाकर नुकसान पहुँचायेंगे। कुछ लोगों को छोड़ किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया।

उस दिन मौलवी इब्राहीम कस्बे में ठहर कर शाम को दौहली गांव की ओर चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद मिलिट्री उनका पीछा करती हुई उधर गई। वे गांव में पहुँच कर एक पटवारी के यहाँ ठहरे। वहाँ जाकर उनका पता लगा कर, मिलिट्री ने पटवारी के घर को घेर लिया और मौलवी इब्राहीम को पकड़ कर अलवर में ले आये। यहाँ लाकर उन्हें रातों रात प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश किया। उनसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, "हमें कुद्दूस की जरूरत है, उसे गिरफ्तार करवा दो।"

मौलवी इब्राहीम ने कहा, "मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह आवाम के हकूक के लिए लड़ रहा है। चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर लें।" पर प्राइम मिनिस्टर यही कहते रहे, "हमें कुद्दूस की जरूरत है।" मौलवी साहब ने वही उत्तर दिया, मैं गिरफ्तार होने को तैयार हूँ।" आखिर सुबह, मौलवी साहब को रामगढ़ पहुँचा दिया गया।

29 मार्च को फिर रामगढ़ में मीटिंग हुई। कुद्दूस राता में था। उसे गिरफ्तार करने के लिए मिलिट्री खैरथल, किशनगढ़ में उसकी तलाश करती हुई, राता गांव में पहुँची। कुद्दूस के सभी बन्दूक धारी जवान व ऊँट आदि वहीं थे। सबने कुद्दूस को बन्दी बनाने से बचाने के लिए मजबूत घेरा बन्दी कर ली। एक मोर्चा सा खुल गया।

इस बात की खबर जब प्रजामण्डल कार्यालय में पहुँची कि राता में मेव भारी संख्या में जमा हो गए हैं और मिलिट्री हर हालत में कुद्दूस को गिरफ्तार करने पर आमादा है, तो इससे भारी खून खराबे का अंदेशा मानकर सर्व श्री शोभाराम, नत्थू राम मोदी, रामजीलाल अग्रवाल, मौलवी इब्राहीम, मौलवी सुलेमान, दयाराम गुप्ता आदि वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि मेव गांव के इर्द गिर्द

मैदान में जमा होते जा रहे थे और पहाड़ी पर मिलिट्री ने मोर्चा ले रखा था। कांग्रेस के नेताओं ने मेवों को समझाया कि, "हथियारों से काम नहीं चलेगा, कुदूस को गिरफ्तार हो जाने दो।" यह कह कर वे मिलिट्री की ओर जा रहे थे। यह देख कर मिलिट्री वालों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। वे सभी जमीन पर लेट गए। इस फायरिंग में 'बंदर' नाम का एक मेव मारा गया व अन्य छः घायल हुए। कई तो काफी गंभीर हालत में थे। फायरिंग देख भीड़ तितर-बितर हो गई। भीड़ के छंटने पर मौलवी सुलेमान व कुदूस को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर मिलिट्री वालों ने मौलवी इब्राहीम को बंदूक की बट से गिरा कर उनका पैर तोड़ दिया और जख्मी हालत में ही उन्हें जेल भेज दिया। यह ध्यान रहे कि गोली बारी के समय कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं के बिल्कुल पास से गोलियाँ निकली,खास तौर से दया राम गुप्ता तो बाल-बाल बचे।

अलवर में तीनों को सेन्ट्रल जेल में बंदी बना कर बन्द किये जाने पर उनको खाना, कपड़े आदि पहुँचाने के लिए श्री फूलचन्द गोठड़िया व श्री दया राम गुप्ता जाते थे, जिनके द्वारा उनके पढ़ने के लिए कुरान शरीफ भी पहुँचाई गई।

मौलवी इब्राहीम को चोट लगने से उनके पाँव में फ्रेक्चर हो गया था जिसके इलाज के लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में शिफ्ट कर दिया और ठीक होते ही पुनः जेल में भेज दिया गया। जेल में उन्हें कई महिनों तक रहना पड़ा। राज्य सरकार की मेहरबानी के कारण मौलवी सुलेमान को कुछ ही महिने बाद छोड़ दिया गया, पर कुदूस को अवैध हथियार रखने के जुर्म में ढाई साल की सजा सुनाई गई।

मौलवी इब्राहीम को भी कई महिने जेल में रखा गया। उन पर सरकारी अधिकारियों द्वारा माफी मांग कर रिहा होने के लिये दबाव डाला गया। इस बीच उनका एक छोटा लड़का गंभीर रूप से बीमार हो कर मरणासन्न स्थिति को पहुँच गया। इसलिए इतवार की मुलाकातों में उनकी पत्नी मिलने नहीं जा सकी। उसने, उनसे मिलने जाने वाले श्री फूलचन्द गोठड़िया व श्री दयाराम से अपने संदेश में कहलवाया कि, "लड़के की वजह से मौलवी साहब कमजोर न पड़ जायँ, वे जुल्मी राजा के सामने घुटने न टेक दें। लड़का खुदा का दिया हुआ है, खुदा को मंजूर होगा तो वो ही बचायगा।" और वह लड़का आखिर में मर ही गया। इस पर भी उन्हें पैरोल पर नहीं छोड़ा गया, बगैर माफी मांगे। सजा पूरी होने पर ही वे रिहा हो पाये।

श्री कुदूस के रिहा होने का समय पूरा होने से पहले ही सन् 1947 में देश आजाद हो गया। आजादी मिलने पर उनकी इच्छानुसार उन्हें मुसलमान आबादी की अदला बदली में पाकिस्तान भेज दिया गया।

खेड़ा मंगलसिंह के आंदोलन के सफलता पूर्वक एक समझौते के साथ सम्पन्न हो जाने से प्रजामण्डल के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं में भारी जोश था। वे इस आंदोलन की उपलब्धियों को लेकर अपने संगठन को पूरे राज्य में और भी तेजी से व्यापक और प्रभावी बनाने की योजनाएँ बना रहे थे, क्योंकि राजा की सरकार ने श्री हीरालाल शास्त्री के माध्यम से प्रजामण्डल के नेताओं के साथ जो समझौते की शर्तें मंजूर की थी, उनमें से किसी को भी पूरा करने की दिशा में ईमानदारी से कोई दिलचस्पी नहीं दिखलाई, बल्कि किया यह कि, प्रजामण्डल के साथ समझौते में जनता के 2 प्रतिनिधियों को, जहाँ राज्य मंत्री मंडल में लेने की बात स्वीकार की थी, उस पर

जले पर नमक छिड़कने के लिए प्रजामण्डल की सलाह या सुझाव का कोई मंत्री लेने की बजाय, अपने ही एक तरफा तौर पर हिन्दू महासभा के एक व्यक्ति श्री रामचन्द्र व्यास को जन प्रतिनिधि के रूप में लेकर मंत्री बना दिया। श्री व्यास बहुत ही सीधे-साधे व्यक्ति थे। उनकी न तो राजनैतिक के रूप में और न ही प्रशासक आदि के रूप में कोई छवि थी। वे पूरी तरह "जी हुजूर" और "यस मैन" थे। राज्य सरकार ने प्रजामण्डल की दूसरी मांग अपना अखबार निकालने की भी स्वीकार नहीं की। न ही उसने किसानों पर हो रहे जुल्मों और अन्याय के मामलों को सुलझाने की तरफ कोई ध्यान दिया। ऐसी सूरत में प्रजामण्डल ने एक प्रस्ताव पारित कर अप्रेल 1946 के आसपास तय किया कि एक नया आंदोलन शीघ्र ही किया जाए और उसकी सफलता के लिए पहले से ही बड़े राष्ट्रीय नेताओं तथा जनता पर अपना असर छोड़ने वाली हस्तियों को अलवर लाया जाए। इनमें कांग्रेस के बड़े नेता, आजाद हिन्द फौज के प्रमुख सेनानी राजा महेन्द्र प्रताप जैसे क्रान्तिकारी हो सकते थे। प्रस्ताव की क्रियान्वितीं के तौर पर प्रजामण्डल ने अपने कुछ कार्यकर्त्ताओं को इन नेताओं से सम्पर्क कर, कार्यक्रम तैयार करने के लिए जुम्मेदारियाँ सौंपी। मा. भोलानाथ ने राजस्थान के बड़े नेताओं से सम्पर्क किया, जिनमें सर्व श्री जयनारायण व्यास, माणिक्य लाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय आदि प्रमुख हैं। इन नेताओं से प्रजामण्डल वालों ने आंदोलन आदि के बारे में पहले ही चर्चा कर निर्णय लिया था।

किन्तु स्मरण रहे यह वह समय था, जब देश के प्रायः सभी बड़े नेता शिमला तथा दिल्ली में ब्रिटिश सरकार से तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड वावेल से आपसी चर्चाओं और परामर्शों में अत्यधिक व्यस्त थे, अतः उनमें से किसी के भी आने की बातें नहीं हो पा रही थी।

इधर डॉ. शान्तिस्वरूप डाटा ने अपने ऊपर यह जुम्मेदारी ली कि वे आजाद हिन्द फौज के तीन बड़े सेनानियों जनरल शाहनवाज, कर्नल ढिल्लों व कर्नल सहगल तथा झांसी की रानी के नाम से विख्यात कैप्टिन लक्ष्मीबाई को लाने में पूरी सफलता की आशा रखते हैं। उन्हें यह जुम्मेदारी सौंप दी गई। उन्हें पता था कि जनरल शाहनवाज लाल किले से आजाद होने के बाद कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता श्री हंसराज सोढ़ी, जो केन्द्रीय सभा के सदस्य थे, उनके साथ दिल्ली में फिरोजशाह रोड़ पर रहते थे। उन्हें विश्वास था कि पंजाब के दो बड़े नेता श्री ठाकुरदास भार्गव व लाला श्यामलाल की भी वे इसमें सहायता लेने में सफल हो जायेंगे। श्री डाटा इस विश्वास के साथ दिल्ली गए और कर्नल शाहनवाज से अलवर आने का कार्यक्रम तय कर आये। शेष सेनानी दिल्ली में नहीं थे, अतः उनका कार्यक्रम नहीं बन पाया।

डाक्टर डाटा ने अलवर आकर इसकी सूचना दे दी। जनरल शाहनवाज के साथ अलवर आने के कार्यक्रम के अनुसार उन्हें लाने के लिए प्रजामण्डल की ओर से श्री रामावतार गुप्ता एडवोकेट को, जो बाद में राजस्थान सरकार के एडवोकेट जनरल बने, उनके निवास स्थान पर भेजा।

उनके स्वागत के लिए प्रजामण्डल की ओर से बड़े जोर शोर के साथ तैयारियाँ की गई थी। इसके लिए पूरे राज्य के चारों कोनों से लोगों के आने के लिए प्रचार किया गया। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा उनकी आजाद हिन्द फौज के प्रति लोगों के दिलों में अपार श्रद्धा एवं प्रेम था। बच्चा-बच्चा उनके साथ देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी बड़ी कुर्बानी देने वाले उन

वीरों को अपनी आँखों से देखने की सभी के मन में भारी प्यास व उत्सुकता थी। अतः उनके आने की नियत तिथि के पहले दिन शाम से ही शहर में गाँवों और कस्बों से आने वाले लोगों का ताँता लग गया। जनरल शाहनवाज रेल से अलवर आये थे। उनके जुलूस के आगे-आगे एक जीप में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का एक अति आकर्षक आदमकद चित्र जो, अलवर के ही प्रसिद्ध कलाकार 'जी. ओझा' ने बड़े परिश्रम एवं मनोयोग से बनाया था, सजाकर इस तरह लगाया था, मानो साक्षत नेता जी ही उस दिन भव्य एवं अविस्मरणीय जुलूस की अगवाई कर रहे थे। प्रजामण्डल के सैकड़ों युवक व प्रजामण्डल के स्वयं सेवक संघ वाले अपनी पोशाकों में जुलूस का संचालन कर रहे थे। इनमें सर्व श्री महावीर प्रसाद जैन, मोतीलाल शर्मा, राजेन्द्र अग्रवाल आदि प्रमुख थे। जनरल शाहनवाज एक दूसरी खुली जीप में खड़े शहर की सड़कों पर भारी भीड़ का अभिवादन करते हुए चल रहे थे। उसके बावजूद अलवर की सड़कों पर जुड़ा वह अभूतपूर्व जन समुदाय पूरी तरह व्यवस्थित और अनुशासित था। महिला स्वयं सेविकाएँ तथा दर्शक महिलायें भी जुलूस में शामिल थी।

रेल्वे स्टेशन से सुबह का चला वह जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ सुभाष चौक तक गया। गर्मी के दिन होने के बावजूद उसकी रौनक और उत्साह में कहीं भी कमी नहीं दिखाई दी। लोग, राष्ट्र भक्ति और आजादी पाने के जुनून के आगे गर्मी की तपन को भूले हुए, आजाद हिन्द फौज के नारों और गीतों की धुन के साथ बढ़े जा रहे थे। त्याग और कुर्बानी की भावना से भरे लोग न जाने कब पूरे शहर का लम्बा रास्ता पार कर सुभाष चौक (पुराना कटला) तक पहुँच गये, जहाँ जुलूस के पूरा होने पर एक आम सभा हुई जिसमें जनरल शाहनवाज का भाषण हुआ।

'आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को लाकर उनका स्वागत सम्मान कर प्रजामण्डल वालों ने जिस उद्देश्य के लिए यह आयोजन किया था, उसका पूरा लाभ मिलने लगा। जनता में उत्तरदायी शासन को प्राप्त करने की भावना तेजी से बढ़ने लगी और इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तरदायी शासन की मांग को एक आंदोलन के रूप में शुरू करने के लिए जो तारीख 26 अगस्त 1946 तय की गई, उसके 4 दिन पूर्व ता 22 अगस्त को भारत के महान क्रान्तिकारी नेता राजा महेन्द्र प्रताप सिंह को अलवर में एक महती सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह स्मरणीय है कि राजा महेन्द्र प्रताप सिंह, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, रास बिहारी बोस, आदि की भाँति बहुत समय तक जापान आदि देशों में भारत की आजादी के लिए विदेशों में समर्थन जुटाने के लिए घूमते रहे थे। पुराने कटले में उनका ओजस्वी और प्रभाव शाली भाषण हुआ जिसमें प्रजामण्डल के नेताओं के "गैर जुम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो" की सफलता के लिए उन्होंने कामना करते हुए अपना समर्थन दिया। उस सभा में मथुरा के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता हकीम बृजलाल का भी भाषण हुआ और हजारों नागरिकों ने इस बात की शपथ ली और अपना यह संकल्प दुहराया कि वे राजाशाही और जागीरदारी जुल्मों और अन्यायों का मुकाबला करने तथा 'उत्तरदायी शासन प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। उस सभा में अलवर प्रजामण्डल के लगभग सभी नेताओं को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया गया। मोदी कुँजबिहारी लाल से प्रजामण्डल के पदाधिकारियों के गहरे मतभेद होने के बावजूद उन्हें भी

बोलने का अवसर दिया गया। इस आमसभा की अध्यक्षता बाबू शोभाराम ने की । इस सभा में ही सभी तहसीलों से आये कार्यकर्त्ताओं की मौजूदगी में सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की गई कि आंदोलन को प्रारम्भ करने के लिए तहसील केन्द्रों पर प्रदर्शन, जुलूस निकालने का का कार्यकर्त्ता अपने तौर पर करें। ऐसी तैयारियाँ करने के पूरे निर्देश प्रजामण्डल की एक वि बैठक में कार्यकर्त्ताओं को दिये गये जो आमसभा के बाद कार्यालय में की गई थी। इसमें त किया गया कि स्थानीय कमेटियाँ अपने यहाँ से सत्याग्रह के लिए जत्थे तैयार कर भेजेंगी, जि दिन के लिए उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाय। कार्यकारिणी ने यह भी पूरी रणनीति बना थी कि कौन नेता किस दिन के सत्याग्रह का नेतृत्व करेगा तथा बाबू शोभाराम जिन्हें पूरे राज्य संगठन की शक्ति और कार्यकर्त्ताओं को सत्याग्रह के लिए भेजने की क्षमता का पता था, र अलवर राज्य की सीमा से बाहर जाकर वहाँ से आंदोलन को संचालन की जुम्मेदारी सौंपी जिसके लिए उन्हें नाभा रियासत के एक गांव 'काँटीखेड़ा' को अपना केन्द्र बनाने का तय कि गया। निर्णयानुसार वे दूसरे दिन ही वहाँ के लिए रवाना हो गए। इस काम में उन्हें नीमराणा व नाभा रियासत के कार्यकर्त्ताओं ने पूरा सहयोग दिया जिनमें नाभा के श्री मनोहर श्याम जे और बावल के श्री विशम्भरदयाल एडवोकेट के नाम उल्लेखनीय हैं।

जैसा कि प्रजामण्डल की ओर से तहसीलों की कमेटियों को ये निर्देश दिये गये थे वे अपने-अपने तहसील केन्द्रों पर प्रदर्शन व मीटिंग आदि कर कार्यकर्त्ताओं को तैयार करें, क्रम में अलवर, रामगढ़, राजगढ़ आदि निजामत मुख्यालयों पर ता. 24 से ही स्थानीय कमे ने अपने कार्यक्रम प्रारम्भ किए। इन सब बातों को देखकर राज्य सरकार पूरी तरह सावधान चौकन्नी हो चुकी थी। उसने आंदोलन को विफल करने के पूरे इंतजाम कर लिए थे। अतः उ 24 तारीख के ही प्रदर्शनों को न करने देने के लिए प्रदर्शनकारियों और सभा आदि करने व पर लाठीचार्ज आदि कर गिरफ्तारियाँ प्रारम्भ कर दी।

यह ध्यान रहे कि राजगढ़ में स्थानीय कार्यक्रम में एक विशेष घटना हो गई। प्रजा मं... के कार्यकर्त्ता वहाँ से अपनी तैयारियाँ कर रहे थे कि पुलिस वालों ने उन्हें पर्चे लगाने आदि से रोका। इस पर उनमें श्री रामस्वरूप गुप्ता एवं श्री बालाराम को 18 अगस्त को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिन्हें आन्दोलन के अन्य कार्यकर्त्ताओं के साथ छोड़ा गया।

दिनांक 24 अगस्त को राजगढ़ में पंडित भवानी सहाय शर्मा के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की अपनी कार्यवाही शुरू की जिससे लोगों का जोश भड़क उठा और उसी दिन आंदोलन की आग सुलग उठी। पंडितजी के नेतृत्व में उत्साही कार्यकर्त्ताओं की भीड़ ने तहसील को घेर लिया। उत्साही लोगों ने तहसील का रियासती झंडा उतार कर फाड़ दिया। पुलिस का दमन चक्र शुरू हुआ। पंडित भवानी सहाय शर्मा सहित सर्व श्री गणेश प्रसाद शर्मा, रामकिशोर शर्मा, छगन लाल, कन्हैया लाल गुप्ता, केदार नाथ, रामशरण, नत्थूलाल आदि लगभग 13 व्यक्तियों को हथकड़ियाँ लगा कर गिरफ्तार कर लिया गया।

उधर रामगढ़ में भी यही हाल हुआ। वहाँ तारीख 23 अगस्त को श्री फूलचन्द गोठडिया व श्री चिरंजीलाल वर्मा, अलवर से "गैर जुम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो" के स्टेंसिल कटया

कर रामगढ़ पहुँचे। रात भर दीवारों पर उन्हें चिपकाया–छापा गया तथा तारीख 24 को पूर्व कार्यक्रमानुसार प्रदर्शन व सभायें करने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पूरी तहसील भर से कार्यकर्त्ता इकट्ठे हो गए। 3000 से भी ज्यादा की भीड़ श्री फूलचन्द गोठड़िया के नेतृत्व में तहसील के सामने जमा हो गई। उनके साथ आगे पंक्ति में सर्व श्री हरलाल मित्तल, रोशनलाल जैन, रमेशचन्द जैन, नन्द किशोर शर्मा, बुद्धालाल मित्तल आदि साथ थे। भीड़ नारे लगा रही थी और उत्तरदायी सरकार की अपनी मांग को दोहरा रही थी। इसी बीच विना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस वालों ने कार्यकर्त्ताओं पर बेरहमी से लाठी चार्ज कर पशुओं की भांति पीटना शुरू कर दिया जिसके परिणामस्वरूप श्री रोशन लाल जैन का सिर फट गया, श्री नन्द किशोर शर्मा, जिनके हाथ में ऐलान करने का भोंपू था, उस पर पुलिस की लाठी का इतना भारी प्रहार हुआ कि वह टुकड़े होकर गिर पड़ा। श्री गोठड़िया के दोनों हाथों और कंधों व पीठ पर चोटों के घाव हो गए, खून बह निकला, कंधे उतर गए। श्री रोशन लाल जैन के भाई श्री रमेश चन्द जैन के हाथों से खून का फव्वारा फूट पड़ा जिससे उनके हाथ की उँगलियाँ टूट गईं। इन सब साथियों को जख्मी होने पर, पहले रामगढ़ के अस्पताल ले जाया गया जहाँ फर्स्ट एड के बाद चोटें गम्भीर होने के कारण अलवर के बड़े अस्पताल में भेज दिया। उन्हें जब अलवर लाया गया तो सैकड़ों साथी उन्हें देखने तथा हालचाल पूछने बिजलीघर के चौराहे से अस्पताल तक गए। अस्पताल में दाखिल करने से पूर्व उन्हें पुराने कटले तक जुलूस के रूप में ले गए। रास्ते में यह संख्या हजारों में हो गई। श्री रोशनलाल जैन आदि को 4–5 दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। श्री फूलचन्द गोठडिया को15 दिनों तक इलाज के लिए भरती रखा गया।

अलवर शहर में राज्य सरकार ने तारीख 23 अगस्त से ही धारा 144 लगा दी। पर प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ताओं के पूर्व निश्चयानुसार अपना प्रदर्शन और सभा करने का कार्यक्रम चलाने के लिए निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर अपने प्रदर्शन का जुलूस होप सर्कस से शुरू किया। जब प्रदर्शनकारी जिनमें सर्व श्री रामजीलाल अग्रवाल, छोटूसिंह आर्य, मायाराम बालोनी, नारायणदत्त गुप्ता, दयाराम गुप्ता आदि को गिरफ्तार किया गया हजारों की भीड़ प्रदर्शनकारियों के साथ थी। इन गिरफ्तारियों के साथ ही सरकार ने सर्व श्री रामचन्द्र उपाध्याय, लाला काशीराम, श्री कैलाश बिहारी माथुर, श्री शादीलाल गुप्ता आदि को अलवर में तथा तिजारा में लाला घासीराम गुप्ता व श्री कृपादयाल माथुर, श्री उमराव सिंह बारैठ को पद्माड़ा में तथा श्री सियाराम को प्रतापगढ़ में गिरफ्तार किया गया।

राज्य सरकार ने प्रजामण्डल के लगभग उन सभी बड़े नेताओं को 26 अगस्त 1946 से शुरू होने वाले आंदोलन से पूर्व 24 व 25 अगस्त को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिनके नेतृत्व में सत्याग्रही टोलियाँ बना कर उनके नेतृत्व में प्रजामण्डल के कार्यालय से जुलूस बना कर नारे लगाते हुए लादिया गेट प्रवेश कर गिरफ्तारियाँ देने के लिये जाना था। अतः मा. भोलानाथ जिन्हें श्री शोभाराम के सत्याग्रह के लिए 'कांटी' रह कर बहरोड़, बानसूर व मुण्डावर आदि की तरफ से भेजने के लिए बाहर चले जाने के बाद अलवर केन्द्र पर रह कर प्रतिदिन के लिए एक नेता को उस दिन का नेता बना कर उनके साथ गिरफ्तारियाँ देने वालों को भेजना तथा सारी व्यवस्था अन्त तक देखने का भार सौंपा गया था, उन्हें प्रजामण्डल के दफ्तर से दूसरे दिन ही उस

समय गिरफ्तार करने के वारण्ट आ गये जब वे कार्यकर्त्ताओं से बातचीत कर रहे थे। उस समय के सिटी मजिस्ट्रेट श्री मुकुट विहारी लाल माथुर वारण्ट लेकर पूरे पुलिस लवाजमे के साथ पहुँचे। मास्टर जी ने प्रजामण्डल के कार्यालय के छज्जे से ही कार्यालय के सामने खड़ी भारी भीड़ को सम्बोधित कर अपनी गिरफतारी दी।

उनकी गिरफतारी के बाद अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद को राजपूताना शाखा के श्री वी. जी. देशपाण्डे को सत्याग्रह का संचालन करने के लिए भेजा। उन्होंने अलवर के इस सत्याग्रह का संचालन तारीख 26 अगस्त से 3 सितम्बर 1946 तक किया। प्रतिनिधि बाहर से सत्याग्रही गिरफ्तारियाँ देने के लिए आने लगे। श्री शोभाराम सत्याग्रही तैयार कर भेजते थे। श्री श्योप्रसाद घर्मा नेता उनके साथ सहायता के लिए रहते थे। इधर हरसौली, तिजारा, राजगढ़, रामगढ़ से भी प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ता बड़ी संख्या में अपने आप अलवर आकर गिरफ्तारियाँ देने के लिए पेश करते थे।

` महिलाएँ भी बड़ी संख्या में सत्याग्रह के लिए तैयार हो कर गिरफ्तारियाँ देने के लिए जाती थीं। उनके जत्थों को पुलिस वाले गिरफ्तार तो करते थे, पर जेल नहीं भेज कर, शहर से काफी दूर कभी पहाड़ों के पीछे तो कभी थानागाजी और सरिस्का के जंगलों में छोड़ आते। बाद में जब जेल में काफी सत्याग्रही, हो गए और सत्याग्रह तेजी से जोर पकड़ने लगा, सरकार पुरुष सत्याग्रहियों को भी 30-30 और 40-40 मील की दूरियों पर छोड़ कर आने लगी।

इन सत्याग्रहियों के पीछे, चाहे वे पुरुष हों अथवा महिलाएँ, उनका पीछा करते हुए प्रजामण्डल के स्वयं सेवक पहुँच जाते और उन्हें वापिस लाने की व्यवस्था करते थे। बाहर के सत्याग्रहियों के लिए प्रजामण्डल की ओर से एक हवेली में खाने की व्यवस्था कर रखी थी और कई धर्मशालाओं और निजी मकानों में उन्हें ठहराया जाता था।

जेल में बंदियों के साथ अच्छा व्यवहार न कर उन्हें हर तरह से अपमानित और परेशान किया जाता था। जेल में राजनैतिक बंदियों के लिए बहुत ही कम स्थान होने के कारण, उन्हें वैलों की कोठरियों तथा ऐसी बैरकों में रखा जाता था जो पूरी तरह अंधेरी और सीलन भरी थी। एक-एक कोठरी में उसकी क्षमता से दो गुने, तीन गुने व्यक्तियों को ठूँस कर रखा जाता था। यह स्मरणीय है कि उन बैरकों में न तो पेशाव के लिए जगह होती थी और न ही शौचादि के लिए।

जेल में एक दिन हैड वार्डन श्री सुगनसिंह ने श्री रामजीलाल अग्रवाल तथा श्री सियाराम प्रतापगढ़ वाले को जरा सी बात पर जोर से थप्पड़ मार दिया जिससे सेठ सियाराम का चश्मा टूट गया।

डॉ. शान्तिस्वरूप डाटा, श्री रामजीलाल अग्रवाल व श्री रामचन्द्र उपाध्याय को काल कोठरियों में इसलिए बन्द किया कि ये लोग, अपने साथ भद्रता से पेश आने की बात करते थे। इस सत्याग्रह में धातरिया परिवार के सेठ प्रहलादराय जो उस समय के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और राज्य सरकार ने जिन्हें 'देशोपकारक' का खिताब दे रखा था वो भी जेल गए और वह खिताब लौटा दिया। इसी प्रकार सेठ हजारी लाल मांढ़ण वाले जो प्रजामण्डल के नेताओं को हर प्रकार से आर्थिक सहायता दिया करते थे वे भी जेल में थे। राज्य सरकार प्रजामण्डल के सत्याग्रहियों के साथ बाहर और जेल में जो अमानुषिक अत्याचार कर रही थी उसके विरोध में अलवर राज्य के हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार श्री उमादत्त शर्मा ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया।

प्रजामण्डल के नेताओं के साथ किये जाने वाले जुल्मों के बारे में महाराज तेज सिंह से शिकायत करने अलवर की महिलाओं का एक प्रतिनिधि मण्डल तांगों में बैठकर विजय मन्दिर पैलेस पहुँचा। उनके साथ प्रजामण्डल के स्वयं सेवक भी जिनमें मा. हरिनारायण सैनी तथा कई अन्य साथी साइकिलों पर उनकी सहायता के लिए गए।

राज्य सरकार सत्याग्रहियों के साथ ऊपर गिनाये अत्याचारों तक ही सीमित नहीं रही, उसने गांवों से आने वाले सत्याग्रही जत्थों को बीच में ही रुकवा कर, पुलिस के कब्जे में रखवाने लगी। वह जींदोली घाटी तथा अन्य नाकों पर सत्याग्रहियों को रोकने लगी ताकि वे समय पर न पहुँचें और प्रजामण्डल के जत्थों का नियमित कार्यक्रम न चल पाये और उसे यह कहने का मौका मिले कि आंदोलन टांय-टांय फिस हो गया।

प्रजामण्डल के दफ्तर में उस समय भी कार्यकर्त्ताओं और स्वंय सेवकों की काफी बड़ी टीम रात और दिन दफ्तर में रहती थी। देशपाण्डे जी और अन्य कार्यकर्त्ता दूसरे दिन के लिए साथी जुटाने का काम करते। ऐसे अवसर पर स्वयं सेवक शहर तथा आस पास के गांवों से सत्याग्रही तैयार करके लाते और ठीक समय पर उन्हें दफ्तर से बाकायदा किसी कन्या अथवा महिला से तिलक लगवा कर रवाना करते।

ऐसे अवसरों पर कई बार अलवर की हीरा आइस फैक्टरी में काम करने वाले मिस्त्रियों और मजदूरों को सत्याग्रही बनाकर भेजा गया। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि पुलिस ने अपनी जबरदस्त नाकाबन्दी कर चारों तरफ से सत्याग्रहियों का प्रवेश बन्द कर दिया। मा. हरिनारायण सैनी और कुछ साथी जो श्री फूलचन्द गोठड़िया से मिलने अस्पताल गए, और उनके सामने इस स्थिति का जिक्र किया तो उन्होंने सुझाव दिया कि मा. हरिनारायण सैनी चोरौटी गांव साइकिल से जायें और वहाँ से श्री सुख राम सैनी तथा अन्य साथियों को पैदल के रास्ते अलवर लाकर सत्याग्रही टोली बनवायें। ऐसा ही किया गया और चोरौटी गांव से लगभग एक दर्जन से भी ज्यादा साथी रातों रात तैयार होकर आये और उस दिन का कोटा अच्छी तरह पूरा हुआ।

यह आंदोलन इतना व्यापक और सफल रहा कि इसमें लगभग 400 सत्याग्रही जेल गए। काफी लोग, महिलाओं सहित सत्याग्रही बनकर गिरफ्तारियाँ देने गए जिन्हें, गिरफ्तार किया जाता था और अगस्त के महिने की उस बरसात, तेज ऊमस और गर्मी के मौसम में पहाड़ों में

दरिन्दों के बीच छोड़ दिया जाता था। यदि सभी गिरफ्तार किये गये लोगों को जेल भेजा जाता तो यह संख्या दुगनी से भी ज्यादा होती। सत्याग्रह और भी लम्बा चलता क्योंकि लोगों में आंदोलन के लिए जोश कम नहीं था, बल्कि यह दिनों दिन बढ़ रहा था। पर इस समय चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में एक अंतरिम सरकार अगले साल 15 अगस्त को देश की सत्ता हस्तांतरण की योजना बन चुकी थी, अतः श्री जयनारायण व्यास के द्वारा पंडित नेहरू के बीच में पड़ने से अलवर के नेताओं को आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार कर लिया गया। इसके लिए फिर दुबारा श्री हीरालाल शास्त्री को महाराजा से बातें करने के लिए अलवर भेजा गया। उन्होंने महाराजा की सरकार तथा अलवर प्रजामण्डल के नेताओं के बीच आंदोलन को समाप्त करने का समझौता करा दिया। दिनांक 2 सितम्बर 1946 को सारे ही गिरफ्तार नेता व कार्यकर्त्ता रिहा कर दिये गये। नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के रिहा होने पर एक बड़ा भारी जुलूस निकाला गया जिसमें हजारों लोग शामिल थे। उस दिन एक बड़ा ही विचित्र कार्य राज्य सरकार ने किया। राज्य के कर्मचारी जुलूस के बीच उस राजपत्र की प्रतियाँ बाँट रहे थे जिसमें छापा गया था कि महाराज ने मेहरबानी कर राजकुमार के जन्म दिन की खुशी में कैदियों को रिहा किया है।

आंदोलन समापन के दूसरे दिन बाद बाबू शोभाराम कांटी खेड़ा ग्राम से अलवर रेल द्वारा आये। उनका रेल्वे स्टेशन से ही जुलूस निकाला गया। रास्ते भर लोग 'प्रजामण्डल जिंदाबाद', 'महात्मा गांधी जिंदाबाद', 'अलवर के गांधी जिंदाबाद', के नारे लगा रहे थे।

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जहाँ आंदोलन ने प्रजामण्डल को जनता के बीच अधिक लोक प्रिय बना दिया, वहाँ इसको इस प्रकार एक दम अप्रत्याशित रूप से बीच में ही समाप्त कर देने से लोगों में भारी निराशा फैलने लगी, बल्कि अलवर के एक ही साल में होने वाले उपरोक्त दोनों आंदलनों में श्री हीरालाल शास्त्री की समझौता करने में जो भूमिका रही उसकी आमजन तथा राजनैतिक हल्कों में तरह तरह की चर्चाएँ चलने लगी, जो एक बहुत लम्बे अर्से तक लोगों के मन में बनी रही। इस तरह की अफवाहों में यह भी कहा जाता था कि श्री शास्त्री ने खेड़ा मंगल सिंह आंदोलन को समाप्त कराने के लिए राज्य सरकार से वनस्थली विद्यापीठ के लिए बड़ी आर्थिक सहायता ली है। कुछ लोग यह भी कहते थे कि श्री शास्त्री ने अलवर से बाहर भेजने के लिए तिल्ली का परमिट लिया। उनका सैक्रेटरी वनस्थली विद्यापीठ से अलवर आया और महाराजा के आदेश पर राज्य सरकार के तत्कालीन सप्लाई अधिकारी श्री लब्बूराम ने इसका परमिट जारी किया, जिसे शास्त्रीजी का आदमी यहाँ की केडलगंज की एक फर्म को दे गया। इस सौदे में कहते हैं लाभ न होकर घाटा हुआ, जिसकी पूर्ति शास्त्री जी से होने का प्रश्न ही नहीं था।

महिलाओं की आजादी के आंदोलनों में भूमिका :

प्रजामण्डल के उक्त दोनों आंदोलनों के बीच के काम में प्रजामण्डल के अन्तर्गत कांग्रेस विचारधारा की महिलाओं का एक सशक्त संगठन बन गया, जिसने आंदोलनों में तो भाग लिया ही यह महिलाओं को शिक्षा तथा रचनात्मक कार्यों से जोड़ने में भी काफी सक्रिय रहा। महिलाओं में संगठन की ओर लाने में श्री बी.जी. देशपाण्डे की पत्नी श्रीमती रमा देशपाण्डे, कुमारी जगरानी आदि बाहर से यहाँ आकर कार्य करने वाली महिलाओं की बड़ी प्रेरणा रही।

श्रीमती शान्तिगुप्ता, श्रीमती कमला जैन, सुश्री कलावती देवी, कु. शोभा भार्गव, कु. उमामाथुर, श्रीमती रामेश्वरी देवी अग्रवाल, श्रीमती रामप्यारी, श्रीमती शान्ति गोठड़िया, श्रीमती कमला डाटा, कुमारी विमला शर्मा, श्रीमती इमरती देवी खण्डेलवाल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सही अर्थों में किसी भी विचारधारा या दल को जनता के बीच पहुँचाने का अवसर तभी मिल पाता है, जब महिलाओं का उसके प्रसार-प्रचार में पूरा सहयोग मिलता है। पुरुषों के साथ जिस घर में स्त्रियों के माध्यम से बातें जाती हैं, वे गहराई तक जाती हैं और सच्चा प्रभाव डालती हैं। कांग्रेस कहें या प्रजामण्डल, इसको आजादी की लड़ाई शुरू होने से आज तक यदि कोई शक्ति उसे जीवित रखे हुए है, तो उसके पीछे मातृ शक्ति की वरदछाया और पालन की शक्ति रही है। महिलाएँ जब से धर्म के नाम पर, कांग्रेस से हटने लगी हैं उसकी शक्ति भी क्षीण होती चली गई है।

'स्वतंत्र भारत' का प्रकाशन :

अलवर प्रजा मंडल बहुत समय से अपना एक समाचार पत्र निकालने की कोशिश करता आ रहा था। इसकी वजह यह थी कि यहाँ पर जितने भी समाचार पत्र निकल रहे थे, वे प्रजामंडल की गतिविधियों को उचित प्रकाशन देने की बजाए, उसे अपने ही ढंग से पेश करते थे। यहाँ के दो समचार पत्र उस समय चलते थे एक था तेज प्रताप, जो पूरी तरह से राज सरकार का पक्ष धर था, अतः उससे तो कोई आशा या अपेक्षा की ही नहीं जा सकती थी। दूसरा पत्र मोदी कुंज बिहारी लाल जी गुप्त का अलवर पत्रिका था। यह पत्र राष्ट्रीय विचारों का एक कांग्रेसी परिवार का होते हुये भी, उसके प्रजामंडल के नेताओं से गहरे मतभेद थे। मोदी जी प्रजामंडल के उन नेताओं में से थे, जिनका उसकी स्थापना से पूर्व से ही कांग्रेस को बनाने में बड़ा योगदान था, पर श्री शोभाराम व श्री भोलानाथ जी के संस्था पर अपना वर्चस्व बना लेने पर वे संस्था से एक प्रकार से अलग थलग पटक दिये गये थे। इसीलिये, उनके विचार व प्रजामंडल के नेतृत्व से सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। अतः प्रजामंडल इस पत्र के प्रकाशन के लिए विशेष प्रयत्नशील था पर बड़ी कोशिश के बाद पत्र सन 1947 के प्रारंभ में ही प्रकाशित किया जा सका। पत्र के पहले सम्पादक श्री भोलानाथ थे। पत्र की छपाई, प्रजामंडल के तीन नेताओं के द्वारा स्थापित सर्वोदय प्रेस में होने लगी। इस प्रेस के तीन स्वामी थे- सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री नारायण दत्त गुप्ता तथा डॉ. शान्ति स्वरूप डाटा। पत्र के सम्पादक मा. भोला नाथ मत्स्य के निर्माण तक रहे। उनके मंत्रिमंडल में स्थान पा जाने पर श्री रामानन्द अग्रवाल स्वतन्त्र भारत के सम्पादक बने। श्री रामानन्द ने पत्र को अपनी पत्रकारिता की गहरी दिलचस्पी से काफी अच्छा और लोकप्रिय स्थान दिया।

श्री अग्रवाल उच्च शिक्षा प्राप्त कार्यकर्त्ता के अलावा पर पत्रकारिता में एक उच्च डिप्लोमा लिये हुए थे। उनका एक कॉलम 'हुक्के की गुड़-गुड़' बहुत ही लोकप्रिय था।

पत्र में सहयोगी कार्यकर्त्ताओं में सर्व श्री मायाराम, श्री मदन लाल गुप्ता, हरिनारायण सैनी आदि प्रमुख थे। सैनी प्रेस के मैनेजर भी थे इसलिए पत्र की अच्छी छपाई और साजसज्जा में उनका हमेशा सक्रिय योगदान रहता था।

हरिजनों में प्रजामंडल के कार्य:

अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व ही जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता देश की आजादी तथा महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते थे, वे राजनैतिक कार्यों के साथ-साथ हरिजनोद्धार तथा छुआछूत एवं साम्प्रदायिकता के प्रबल विरोधी रहे और इसके लिए वे रचनात्मक गतिविधियों से भी जुड़ते रहे। अलवर में हरिजनों में शिक्षा प्रचार, उनके मंदिरों में प्रवेश तथा छुआछूत को समाप्त करने के लिए सन् 1932-33 से ही प्रयास शुरू हो गए थे। इसमें राष्ट्रवादी आर्य समाजियों का भी एक बड़ा योगदान रहा। प्रजामण्डल व कांग्रेस के शुरू के नेताओं में श्री नत्थूराम मोदी, पं. हरिनारायण शर्मा, पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी आदि ने राजगढ़ व अलवर में हरिजनों के मोहल्लों में जाकर उनके बीच ठंडाई वगैरह पीना, उनके बच्चों व प्रौढ़ों को साक्षर करने के लिए स्कूल चलाने आदि के काम शुरू से ही किये। राजगढ़ के कांग्रेस भक्त कार्यकर्ताओं के साथ उत्तर प्रदेश से यहाँ आकर बसने वाले श्री रामावतार यादव ने पहले राजगढ़ में हरिजन पाठशालायें चलाई और बाद में अलवर में। इन पाठशालाओं को राजस्थान हरिजन सेवक संघ से कुछ आर्थिक मदद मिलती थी। मोदी नत्थूराम, पं. हरिनारायण शर्मा, श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल आदि छुआछूत मिटाने को राष्ट्रभक्ति का एक काम समझ कर उसमें अपने आपको लगाते थे। कुछ साल चलने पर यह काम ठप्प पड़ गया। प्रजामण्डल की स्थापना के बाद यह काम फिर चला। श्री इन्द्रसिंह आजाद और श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री नत्थूराम मोदी आदि ने यहाँ पर पुनः हरिजन संघ की स्थापना की और मोहल्ला खदाना व तीजकी में पाठशालाएँ चालू की जिनमें सन् 1942-43 तक श्री महावीर प्रसाद जैन व इन्द्रसिंह आजाद ने अध्यापकों के रूप में पाठशालाएँ चलाई।

सन् 1943 में श्री नारायण दत्त गुप्ता ने मोगा (पंजाब) से अलवर आने पर इस काम में विशेष दिलचस्पी ली। उन्हें अलवर राज्य हरिजन सेवा संघ का मंत्री बना दिया गया। उन्होंने गंगामंदिर मोहल्ले में स्वयं कुछ समय वहाँ के हरिजन भाइयों को पढ़ाने का काम भी किया।

सन् 1944 में श्री नारायण दत्त गुप्ता की प्रेरणा से हरिनारायण सैनी जिन्होंने इसी वर्ष हाई स्कूल परीक्षा पास की थी, को मोहल्ला खदाना व तीजकी मोहल्लों की पाठशालाएँ चलाने की जिम्मेदारी दी गई। सैनी ने इन दोनों मोहल्लों में नियमित रूप से लगभग डेढ़ साल तक पाठशालाएँ चलाई, जिनमें मेहतर भाइयों के 5-7 साल के बच्चों से लेकर 40-45 वर्ष के वयस्क तक बड़ी संख्या में पढ़ने आते थे। इन पाठशालाओं में मोहल्ले की लड़कियाँ व बड़ी महिलाएँ तक पढ़ने आती थी। इन पाठशालाओं में पढ़े हुए बहुत से युवकों में से आगे पढ़कर सरकारी नौकरियों में लगे, तथा स्थानीय नगर पालिका में जमादार आदि पदों पर उनमें से कई युवक काम करते हुये आगे बढ़े।

बाद में तीजकी मोहल्ला की पाठशाला, जो दिन में लगाई जाती थी बन्द कर उसके स्थान पर मोहल्ला लाल खान में लगाई जाने लगी। वह काफी समय तक चली।

हरिजन मोहल्लों में काम करने का अनुभव व शिक्षा क्षेत्र में काम करने का प्रशिक्षण लेने के लिए मा. हरिनारायण सैनी को हरिजन सेवा संघ की ओर से अजमेर में चलाये गये हरिजन

कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण शिविर में माह जून जुलाई 1945 में एक महिने के लिए भेजा गया, जहाँ पर श्री हरिभाऊ उपाध्याय कार्यकर्त्ताओं की बौद्धिक कक्षायें प्रतिदिन लेते थे। समय समय पर श्री गोकुल भाई भट्ट, हरिभाई किंकर आदि भी प्रशिक्षणार्थियों को अपने अनुभवों से उनका ज्ञान वर्द्धन करते थे।

यह याद रहे हरिजन सेवक संघ को लाला काशीराम गुप्ता अपनी ओर से मुफ्त स्लेट व पेन्सिल आदि देते थे। छात्रों को स्कूल में नहा धोकर आने के लिए साबुन, वर्दी और पुस्तकें, पेंसिले और कापियाँ भी संघ की ओर से ही दी जाती थी। संघ उसके लिए शहर के धनी मानी सज्जनों से मासिक धन एकत्रित करता था जिसको एकत्रित करने में श्री नारायण दत्त गुप्ता, श्री रामजीलाल अग्रवाल, श्री दयाराम, हरिनारायण सैनी आदि बाजारों में घूमा करते थे।

सन् 1946 में श्री नारायण दत्त गुप्ता अपना प्रेस का धंधा करने के लिए अलवर से भरतपुर चले गए। उनके स्थान पर श्री कैलाश बिहारी रायजादा मंत्री बने। उन्होंने भी संघ के लिए काफी परिश्रम किया।

प्रजामण्डल के उस समय के बड़े नेता सर्वश्री शोभाराम, लाला काशीराम गुप्ता, पं. हरिनारायण शर्मा, रामजीलाल अग्रवाल, छोटू सिंह आर्य, इन्द्रसिंह आजाद आदि पाठशालाओं के कार्यों में दिलचस्पी लेते थे और हमारे समाज का जो सबसे पिछड़ा और दलित वर्ग है, और जो अपनी गरीबी और अज्ञानता के कारण अत्यन्त गंदी बस्तियों में रहता है और गंदगी और अस्वच्छता को ही जो अपनी नियति समझे बैठा है, जिसे छूना भी, ऊपर के वर्णों के लोग पाप समझते हैं, इसके लिए प्रजामण्डल वालों ने तीजकी, लालखान आदि मोहल्लों में अपने हाथों से बस्ती की गलियों, नालियों की सफाइयाँ कर सफाई अभियानों के भी आयोजन किये। ऐसे अवसरों पर वे हरिजन भाइयों के युवकों से डोल, बल्टियां, रस्सी आदि मंगवा कर उन्हें साफ करवा कर कुओं से पानी मंगवाते और सबके बीच पानी पीते।

यह स्मरण रहे कि पं. हरिनारायण शर्मा ने अपने घर का मंदिर भी हरिजनों के प्रवेश के लिए खोल दिया था, जिसके लिए उन्हें न सिर्फ पूरे ब्राह्मण समाज का वरन् सभी सवर्णो का कोप भाजन बनना पड़ा।

इस कड़ी में यह भी कहना ठीक होगा कि सन् 1946 में अक्टूबर मास में दीवाली के अवसर पर केडल गंज के रामलक्ष्मण मंदिर पर अन्नकूट गोवर्धन पूजा के दिन रखा गया, जिसका आयोजन प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ताओं ने रखा जिसमें सर्व श्री हरिनारायण शर्मा, रामजीलाल अग्रवाल, छोटूसिंह आर्य, नारायण दत्त गुप्ता, फूलचन्द गोठड़िया, दयाराम, हरिनारायण सैनी आदि प्रमुख थे।

अन्नकूट को परोसने वालों में मोहल्ला खदाना, तीजकी, हजूरी दरवाजा के महन्तगण सर्व श्री कन्हैयालाल, बन्नालाल, बुद्धूसाध, किशनलाल, तोताराम आदि थे और गंगा मंदिर मोहल्ले के श्री देवी सहाय व श्री बाला राम आदि थे।

इस अन्नकूट में सैकड़ों सवर्णों ने भाग लिया और हरिजन भाइयों के साथ पंगत में मिलकर भोजन किया। यह खेद है कि कुछ स्वार्थी तत्वों ने अन्नकूट का विरोध किया। वे

लाउडस्पीकर लगाकर लांकायोड़ा, गंगा मंदिर, दाउदपुर आदि मोहल्लों में लोगों को मना करते गए। उसमें अधिकतर हिन्दू महासभा व राजा के लोगों और कट्टर पंथी लोगों का हाथ था।

यह इस ही का फल है कि दलितों व पिछड़ों का प्रबल समर्थन कांग्रेस को काफी समय तक मिलता रहा है।

प्रजा मण्डल और छात्र :

प्रजामण्डल को छात्रों का समर्थन उसकी स्थापना से पहले ही मिलता रहा था, जब कि यहाँ पर कांग्रेस के नाम पर संगठन की गतिविधियाँ सन् 1937 से ही प्रारम्भ हो गई थी। यहाँ राजर्षि कॉलेज के छात्र उसमें अगुवा थे। स्कूलों में कुछ छात्र देश की राजनैतिक गतिविधियों में दिलचस्पी लेते थे। ऐसे छात्रों को मा. भोलानाथ जी, श्री नन्दकिशोर बर्थोनिया, श्री रमेशचन्द पंत, श्री रेवड़राम, श्री विश्वंभर दयाल आदि अध्यापक होते हुए भी प्रेरित करते रहते थे।

सर्व श्री इन्द्रसिंह आजाद, महावीर प्रसाद जैन, हीरालाल भारतीय, छोटू सिंह आर्य, द्वारका प्रसाद गुप्ता, गुरुदयाल माथुर, रामस्वरूप पाठक, विशम्भर दयाल विजय जो बाद में रा. रा. वि. मंडल के मुख्य अभियन्ता के पद से सेवानिवृत हुए। आदि ऐसे छात्र थे जो सन् 1937 से 1940 तक की छात्र एवं राजनैतिक गतिविधियों में पूरी सक्रियता से भाग लेते थे। इन छात्रों में से कुछ तो 1938 के फीस विरोध आंदोलन में काफी सक्रिय रहे और जेल भी गए।

सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भी इनमें से अधिकांश ने हड़तालें कराई, अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने के लिए डाकखाने जलाये। डाकखाना जलाने के मामले मे श्री चिरंजीलाल वर्मा भी इनमें शामिल हो गये जो राजगढ़ में पढ़ते थे।

डाकखाने जलाने के मामले में सर्व श्री महावीर प्रसाद जैन, हीरालाल भारती, और चिरंजी लाल वर्मा को 12 नवम्बर 1942 को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमे चलाये गये जिसमें इन्हें 2-2 वर्ष की सजायें सुनाई गई। पर महाराज की साल गिरह के अवसर पर बीच में ही 25-3-1943 को रिहा कर दिये गये। सन् 1942 की तोड़ फोड़ की गतिविधियों में यद्यपि और भी छात्र शामिल थे पर वे गुप्त रूप से रह कर बचे रह गये। इनमें श्री महेश बिहारी उर्फ छुट्टन माथुर, श्री प्रीतम चन्द, श्री द्वारका प्रसाद आदि मुख्य थे।

श्री मायाराम के अलवर आ जाने पर और उनके कॉलेज में प्रवेश लेने पर प्रजामण्डल के छात्र कार्यकर्त्ताओं का स्टूडेन्ट्स फैडरेशन बना जिसके श्री मायाराम मंत्री थे। श्री छोटूसिंह आर्य, हरसहाय लाल विजय, श्री राजेन्द्र अग्रवाल आदि विशेष रूप से सक्रिय थे।

ये छात्र नेता प्रजामण्डल के साथ जुड़े रह कर हर आंदोलन व उसके रचनात्मक कार्यों में अपनी निष्ठापूर्वक भागीदारी निभाते थे। इनमें से आगे चलकर राजनीति और प्रशासनिक सेवाओं व अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़े।

जैसे-जैसे प्रजामण्डल की शक्ति पूरे अलवर राज्य में बढ़ने लगी, अलवर महाराजा ने यहाँ तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर डॉ. एन.बी. खरे के इशारे पर हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को तेजी के साथ बढ़ावा देना शुरू किया। डॉ. खरे यद्यपि पहले एक कांग्रेसी नेता थे

पर बाद में वे कांग्रेस और खास तौर से महात्मा गांधी के कट्टर विरोधी बन गये। उन्होंने महाराजा तेजसिंह पर हिन्दुत्व का ऐसा रंग जमाया कि वे पूरी तरह उनके हाथों की कठपुतली बन गये। राजा को वे जैसे हिन्दुओं का महान सम्राट बनाने का स्वप्न दिखाने लगे। वे स्वयं भी अपने आपको मानों बड़ा पेशवा मानते थे। उन्होंने पूरे प्रशासन और राजतंत्र को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की कट्टर हिन्दुत्व वादी विचारधारा में ढालना प्रारम्भ कर दिया। इसके लिए वे कभी इस या उस बड़े हिन्दू नेता को बुलाकर उसकी आम सभा करवाते। ऐसी सभाओं में वे पेशवाई पगड़ी और वैसा ही लिवास धारण कर आते और भाषण देते जिनमें कांग्रेस और गांधी जी को जम कर गालियाँ दी जाती थी। खुले आम राज्य सरकार के संरक्षण में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखायें लगने लगी। सरकारी कर्मचारी और अध्यापक संघ के सदस्य बन कर ऐसी शाखाओं में भाग लेते और प्रातः काल गणवेश में कवायद कर शहर की सड़कों पर घूमते हुए निकलते थे। यही कारण था, अलवर राज्य का लगभग 90% कर्मचारी वर्ग घोर साम्प्रदायिक और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य बन गया। सरकार के पूरे सहयोग और अधिकारियों की देख रेख में अलवर में आर एस. एस. की जम्बूरी हुई जिसमें उसके बड़े-बड़े नेता और संघ संचालक से लेकर प्रचारक अधिकारी गण भी आये। शहर में लगभग सभी कर्मचारी निकर धारी और काली टोपी वाले बन चुके थे।

हिन्दू सभा के बड़े नेता मौलिकचन्द्र शर्मा यहाँ पर एक बड़ी सभा को सम्बोधित करने आये जिसमें खरे और शर्मा ने गांधी जी के बारे में ऐसी ओछी-ओछी और चरित्र हनन की बातें कहीं जिनको सुन कर शर्म के मारे सिर गड़ जाता था। यही नहीं उन्होंने राज्य को पुराने हिन्दुत्व के गौरवशाली स्वरूप में ढालने और चलाने के लिए एक सामंत इनफेंट्री की स्थापना की जिसके लिए नारायण विलास को केन्द्र बनाकर हथियार बनाने का कारखाना चलाने की योजना बनाई।

अलवर के सामाजिक व राजनैतिक व्यक्तियों जैसे पं. गिरधर शर्मा सिद्ध, लाला उमराव लाल गुप्ता एडवोकेट, पं. अवतार चन्द्र जोशी, श्री किशन चन्द्र डोरोली, श्री शंभूदादा, श्री मोती लाल जैन उर्फ जिन्ना जैसे लोगों की खरे की कोठी और कार्यालय में खुली आवाजा ही रहती थी।

राज्य के पूरे प्रशासन को इस प्रकार साम्प्रदायिक बना दिया गया था कि प्रशासन पूरी तरह मुसलमान विरोधी हो गया था।

उधर पाकिस्तान बनाने के मामले में लीग की सीधी कार्यवाही की हवा चल रही थी। स्वाभाविक था कि जब हिन्दुत्व वादी जुनून को यहाँ पर इस प्रकार फैलाकर उन्माद की स्थिति पैदा कर दी हो, तब मुस्लिम सम्प्रदाय का भी हरकत में आना स्वाभाविक था। लीग के नेता यहाँ आकर मुसलमानों को भड़काने लगे। पाकिस्तान की मांग के समर्थन में यहाँ भी सभाएँ की जाने लगी, जुलूस निकाले जाने लगे। उनमें एक प्रकार से भय और असुरक्षा के भाव बढ़ते जा रहे थे। पंजाब, बंगाल आदि में लीग के 'डाइरेक्ट एक्शन' की सीधी कार्यवाही के कारण हिन्दू-मुस्लिम दंगे होने लगे।

केन्द्र की अन्तरिम सरकार साम्प्रदायिक दंगों को दबाने में पूरी तरह असमर्थ होती जा रही थी। लीग जो उस समय अन्तरिम सरकार में थी, वह स्थिति को काबू लाने में मदद देने की

बजाय लोगों को उकसा रही थी। कलकत्ता शहर दंगों की आग में जल रहा था। गांधी जी पहले वहाँ गये और उसके बाद नोआखाली।

भारत को जिस दिन अर्थात पन्द्रह अगस्त 1947 को आजादी मिली, उस दिन गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। वे भाई-भाई के बीच हो रहे दंगों को बंद कराने के लिए नोआखाली में थे। इन सम्प्रदायिक दंगों से हमारा अलवर भी नहीं बचा। यहाँ तो और भी बुरा हाल देखने को मिला। यहाँ के लोग आपस में नहीं लड़े। यहाँ पर जो सम्प्रदायिक दंगे हुए उनमें राज्य के अधिकारियों तथा सेना के जवानों तक का हाथ था। अलवर में फौज के लोगों ने गांवों के लोगों को भगाया, उन्हें मारा और लूटा। उनके धार्मिक स्थलों, मजारों आदि को तोड़ा। मुसलमानों के घरों का सामान जेवर लूटा। बल्कि यह कहा जाय कि उन दिनों लोगों ने अपना यह धन्धा ही बना लिया था कि वे रात को बड़ी भीड़ लेकर जाते, तोड़-फोड़ करते और जो हाथ लगता, लेकर आते। उस लूट में खास तौर से मेवात की लूट में जहाँ अनेक हिन्दू व्यापारियों, दूकानदारों और साहूकारों की उधारें आदि अपने आसामियों के कारण डूब गई, क्योंकि मेवात क्षेत्र के दूकानदार आदि शहरों में आ चुके थे और मेव अपना वतन, अपना सामान छोड़कर पाकिस्तान के लिए यहाँ से जा रहे थे। उधर उस स्थिति में लाभ उठाते हुए अनेकों लोगों ने रातों रात लूट के माल से अपने आपको मालामाल कर लिया।

पूरे हिन्दुस्तान में कोई 563 देशी रियासतें थी जिनमें कुछ बहुत बड़ी थी और कुछ बहुत छोटी, पर इन सभी राजाओं को अंग्रेजों के भारत छोड़ने के साथ आजादी मिल गई थी कि वे भारत के दो देशों के बँटवारे में, चाहे भारत के साथ रहें या पाकिस्तान में मिल जायें और चाहें तो अपना अस्तित्व स्वतंत्र राज्य के रूप में रखें। डॉ. खरे के द्वारा महाराजा तेजसिंह को इन तीनों विकल्पों के बीच खूब नचाया। वे कभी उन्हें स्वतंत्र राज्य का सम्राट बन जाने का स्वप्न दिखाते तो कभी पाकिस्तान के साथ मिलने के फायदे गिनाते। हाँ वे उन्हें भारत में मिलने की कभी सलाह नहीं देते थे, क्योंकि कांग्रेस और उसके एक छत्र नेता गांधी जी को तो वे अपना शत्रु नम्बर एक मानते थे।

अलवर में फैले सम्प्रदायिक उन्माद के पीछे चूँकि यहाँ की राज्य सरकार का हाथ था और उसके पीछे उसके प्रधान मंत्री डॉ. खरे का उसमें पूरा सहयोग था, इसलिए राज्य में यहाँ इन दंगों के नाम पर जो कुछ भी हुआ, उसे महज दो सम्प्रदायों के बीच का झगड़ा न कहकर उसे सरकार की शह पर कराया गया खून खराबा और राज्य की आबादी के बड़े भाग, मेव और पूरे मेवात क्षेत्र को उजाड़ने का एक सुनियोजित षड्यंत्र हुआ, जिसके प्रमुख सूत्रधार डॉ. खरे थे।

हमारे राज्य की भाँति ही पड़ोसी राज्य भरतपुर में भी मेवों को राज्य से भगाने का काम वहाँ के राज-परिवार के सीधे सहयोग से हुआ। वहाँ के राजा [illegible] बच्चूसिंह सेना और

मार्ग पर से तिजारा जाने के लिए, किशनगढ़ पैदल जाते हुए मिलिट्री वालों ने अपनी गोली से भून दिया था, महज इस भ्रम में कि वे मुसलमान थे क्योंकि वे तीन मुसलमान अधिकारियों के साथ जा रहे थे।

अलवर शहर तथा पूरे राज्य के देहाती क्षेत्रों में इन साम्प्रदायिक दंगों का असर इतना हुआ कि जहाँ पर भी दोनों सम्प्रदायों के लोग थे, वहाँ पर रहने वाले पूरी तरह भयभीत हो चुके थे और अपने आप को असुरक्षित मानते थे। अतः दोनों ही लोग अपने-अपने लिए सुरक्षा के स्थानों की तलाश में इधर-उधर भटकने लगे। शहर से मुसलमान और देहात से मेव अलवर राज्य से बाहर पलायन करने लग गये थे।

गांवों में रहने वाले हिन्दू भी शहरों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ अपना सामान भेजने में लगे हुए थे और कुछ लोग रहने भी लग गए थे। इस अदला बदली में मुसलमानों को जहाँ अपनी तरह की बर्बादी और भयंकर विनाश का मुँह देखना पड़ा, वहीं हिन्दू व्यापारियों और दूकानदारों को भी भारी हानियाँ उठानी पड़ी। उनका गांवों का कारोबार बर्बाद हो गया, दूकानें बंद हो गई। किसानों और जरूरत मंद लोगों को दी गई उधारें डूब गई।

उधर इन दोनों तरफ के सम्प्रदायों के लोगों की बर्बादी से भी लाभ उठाने वाले हजारों लोग थे, जो सरकारी अधिकारियों मिलिट्री वालों के संरक्षण में 'दहाड़' बनाकर जाते थे, और शान्तिप्रिय लोगों को हल्ला बोल कर अपने घरों से खदेड़ते, उनके घरों में आग लगाते, जो भी सामने आता उसे मारते और कत्ल कर उनका धन-माल लूट कर ले आते। कुछ लोगों के लिए उस जमाने में इस प्रकार लूट कर अपना घर भरना एक पेशा हो गया था। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कई महिनों तक लगातार दिल खोल कर लूट पाट की और मालामाल हो गए।

अलवर शहर भी उस साम्प्रदायिक आग में पूरी तरह जलने लगा। दोनों ही तरफ से अलग-अलग साम्प्रदायिक दंगों के उस उन्माद में यदि एक तरफ से 'अल्लाहो अकबर' के नारे सुनाई देते तो दूसरी तरफ से उसके जवाब में 'हर हर महादेव' के नारों का रात-रात भर एक दूसरे के जवाब में भारी शोर गुल सुनाई देता। शायद उन दिनों सोता कोई नहीं था। 'दहाड़ों' में जाने वाले, कत्ल करने और माल लूटने में घूमते रहते थे तो शान्ति की कामना करने वाले, अपनी रक्षा में, पूरी बस्ती के लोग एक साथ जाग कर सड़क व गलियों के नुक्कड़ों पर पहरा देते रहते थे।

प्रशासन की सीधी कार्यवाही और भागीदारी का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि जिस रात को अलवर शहर की बजाजा बाजार स्थित जामा मस्जिद टूटी, उसका 'शुभारम्भ' करवाने स्वयं तत्कालीन कलैक्टर श्री मूल चन्द बधावर मौके पर आये। वह भीड़ के बीच से निकलकर मस्जिद में गया और कुरान शरीफ की प्रतियाँ लाया और उन्हें सड़क पर फाड़ कर फैंक दिया। फिर क्या था, सैकड़ों की संख्या में 'दहाड़' वाले अपनी सब्बलों, गेंतियों और हथौड़ों से टूट पड़े और देखते ही देखते वह बड़ी लम्बी चौडी इमारत मलबे का ढेर बन गई। उसका सामान, दरवाजे, खिड़कियों तक को लूटकर लोग ले गए।

प्रजामण्डल के नेता इस मस्जिद के पास स्थित प्रजामण्डल के दफ्तर से यह सब देख रहे थे, जिनमें सर्व श्री शोभाराम, मा. भोलानाथ, रामजी लाल अग्रवाल, फूलचन्द गोठड़िया, मायाराम

आदि थे। प्रजामण्डल के नेताओं में कुछ इस काण्ड से दुखी थे और कुछ मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान में हिन्दुओं के साथ किये जाने वाले ऐसे कारनामों की आड़ में उसे बदले की कार्यवाही कहकर एक प्रकार से उचित बता रहे थे।

ऐसा माहौल देखकर राजा को मिलिट्री यहाँ के तत्कालीन सेनापति श्री अब्दुल रहमान के साथ एक सुरक्षा गार्ड भेज कर उन्हें दिल्ली पहुँचा आई। इसी रात को खटानों के पास जुलाहों के मौहल्ले में तथा नला शीशगरान पर लोगों के घर जला दिये गए और अनेक पुरुषों, स्त्रियों और बालकों को कत्ल कर दिया गया।

शहर के साथ-साथ तिजारा में भी यही दृश्य चल रहा था। वहाँ एक घर में अपनी जान बचाने के लिए एकत्रित 35 जनों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। यह रिटायर्ड फौज के अधिकारी का मकान था।

उधर मेवों की एक भीड़ ने बदले की भावना में एक हवेली में इसी तरह एकत्रित बनियों व हिन्दुओं को मार दिया। इन मेवों के पास हथियार थे।

रामगढ़ में भी इसी प्रकार दंगों का उग्र रूप देखने को मिला। रामगढ़ का तहसीलदार इधर कस्बे तथा आसपास के गांवों में मेवों को मरवा रहा था तो उधर नौगावाँ में नूह आदि की तरफ से आई मेवों की भीड़ ने हिन्दुओं पर हमला कर बदले की कार्यवाही करने के लिए 'दहाड़' बनाकर पत्थरों, हथियारों आदि से हमला किया। अपनी रक्षा में कस्बे के बनियों व मालियों आदि ने पत्थरों व लाठियों से मुकाबला किया।

स्मरणीय है कि अलवर और भरतपुर के इस प्रकार के दंगों की खबर महात्मा गांधी के पास लगातार पहुँच रही थी। वे उन दिनों दिल्ली में ही थे। वे अपने विश्वस्त लोगों को भेजकर शान्ति कायम करवाने के लिए प्रयासरत थे, पर नतीजा कोई खास नहीं निकल पा रहा था। घरबार छोड़ कर भागने वाले मेवों को तसल्ली देने और पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए महात्मा जी एक दिन नूह के पास घासेड़ा गांव में आये। उनसे मेवों के नेता चौधरी अब्दुल हई, यासीन खाँ, सैयद मुतलबी आदि मिले। ये लोग भी इसी पक्ष में थे और कोशिश में थे कि अलवर व भरतपुर के मेवात क्षेत्र में भड़काये गए दंगों को रोका जाय और मेव अपने वतन को न छोड़ें। गांधी जी के आने की खबर सुनते ही अलवर से मौलवी इब्राहिम गये और उन्हें यहाँ के हालात से अवगत कराया तथा उनसे शान्ति कायम करवाने के लिए प्रार्थना की।

इधर प्रजामण्डल के नेताओं ने अलवर राज्य प्रजामण्डल की एक विशेष बैठक कर यह प्रस्ताव पारित किया कि यहाँ पर दंगों को तब ही रोका जा सकता है जब यहाँ पर जनता के प्रतिनिधियों की एक उत्तरदायी हुकूमत कायम कर दी जाय। डॉ. खरे तथा उनके गैर जवाबदार तथा नाम मात्र के मंत्रियों के रहते इस साम्प्रदायिकता की विभीषिका से मुकाबला करना असंभव है।

प्रजामण्डल के इस प्रस्ताव को लेकर मा. भोलानाथ तथा श्री शोभा राम दिल्ली गये। वे पहले दिल्ली में 22 फीरोजशाह रोड पर, जो देशी राज्य प्रजा परिषद का मुख्यालय था, गए और परिषद के महामंत्री श्री गोकुल भाई भट्ट को साथ लेकर प्रातःकाल 5 बजे सरदार वल्लभ भाई

पटेल से उनके प्रातः कालीन भ्रमण के समय मिलने लोदी गार्डन पहुँचे, जहाँ वे नियमित रूप से घूमते थे।

सरदार पटेल ने महाराज तेजसिंह को बुलाया। वे हवाई जहाज से दिल्ली गये जहाँ श्री पटेल ने उनसे उत्तरदायी शासन कायम करने की दिशा में कदम उठाने की बात की। महाराजा ने उनके सामने तो हाँ भरली। इस काम को सम्पन्न कराने के लिए प्रजामण्डल और महाराजा के बीच बात कराने के लिए श्री गोकुल भाई भट्ट को मध्यस्थ बनाया। तदनुसार श्री गोकुल भाई भट्ट राजा से बातें करने अलवर आये। भट्ट जी ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे प्रजामण्डल द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को स्वीकार न करने में तरह-तरह के तर्क देते रहे। उनका यह कहना था '' भट्ट जी आप देखो, हम इन छोटे लोगों को कैसे अपने साथ मंत्री बनाकर बैठा सकेंगे, अगर इन प्रजामण्डल वालों ने 'कुम्हार' और 'भराड़े' जैसे लोगों को मंत्री बनाने के लिए भेज दिया तो?''

महाराजा की इस तरह की हास्यास्पद और भद्दी बातों को सुन कर कोई क्या कर सकता था। भट्ट जी आखिर निराश होकर चले गये।

अलवर राज्य प्रजामण्डल की कार्यकारिणी ने ऐसी स्थिति में अपनी एक विशेष बैठक बुलवा कर पुनः एक आंदोलन 2 फरवारी सन् 1948 से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया, जिसमें साम्प्रदायिकता से संघर्ष के साथ कस्टम हटाने को भी एक मुद्दा बनाकर संघर्ष का आह्वान करने का निश्चय था।

आन्दोलन की तैयारी के लिए, ऊपर का समर्थन जुटाने के लिए मा. भोलानाथ को भेजा गया। वे अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिषद के कार्यालय में जाकर जम गए।

इधर प्रजामण्डल के बाकी नेता व कार्यकर्त्ता अपनी तैयारी में लग गये। इस बार यह तय किया गया कि सत्याग्रह के तहत अधिकारियों को घेरना, कण्ट्रोल का कपड़ा, मिट्टी का तेल, पैट्रोल आदि नियंत्रित रेटों पर दिये जाने के लिये कार्यवाही करवाना भी कार्यक्रम में शामिल था।

सन् 1947 के इन हिन्दू-मुस्लिम दंगों के दौरान नौगांवा वासी हिन्दुओं को तत्कालीन पंजाब और अब हरियाणा के मेवों के आ जाने की आशंका बनी रहती थी। उसके लिए अपने लिए सुरक्षा के विशेष इन्तजाम करने के लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से चन्दा इकट्ठा कर छ हजार रुपये में एक जीप खरीद कर श्री चन्द्रशेखर नाजिम को दी ताकि मेवों को खदेड़ने में मिलिट्री की सहायता करवा सकें। वे यह काम क्या करवाते अलावा इसके कि साम्प्रदायिक मारकाट करवाते और तनाव पैदा कर वातावरण बिगाड़ते। इसके विरोध में श्री फूलचन्द गोठड़िया ने रामगढ़ में 11 दिनों की भूख हड़ताल सरकारी स्कूल के सामने के मैदान में की। उनका विरोध करने और हिन्दुओं को उकसाने को पं. गिरधर शर्मा सिद्ध, लाला उमरावलाल एडवोकेट, श्री अवतार चन्द्र जोशी, श्री रमेश मिश्रा और श्री मोती लाल जैन उर्फ जिन्ना ने भड़काने वाले भाषण दिये।

श्री गोठड़िया की सहायता के लिए अलवर से श्री रामजी लाल अग्रवाल, श्री मायाराम व श्री दयाराम गये। श्री शोभाराम यह कह कर टाल गये कि यह भूख हड़ताल बिना कार्यकारिणी

के [illegible] करते थे। श्री [illegible] भटनागर ने [illegible] के [illegible]
में श्री [illegible] को [illegible] दी गई [illegible] के बारे में जानकारी दी। उन्होंने [illegible] सभा भी [illegible] जिसमें सभी ने भाषण दिये।

ये [illegible] श्री भोलानाथ व सभी कार्यकर्ताओं [illegible] में चर्चा की और [illegible] में [illegible]। उन्होंने सबको [illegible] कि इस बारे में कुछ किया जाय वर्ना वे [illegible] पर बैठेंगे। इस पर मास्टर श्री भोलानाथ, [illegible], [illegible] आदि श्री [illegible] के साथ [illegible] गये और [illegible] पहुँचे। [illegible] के हाथों से [illegible] थी और [illegible] से बातें की। [illegible] द्वारा जाँच शुरू करने की बात तय नहीं हुई और उन्होंने उसी [illegible] को [illegible] कर दी जिसके फलस्वरूप श्री गोर्धनकृष्ण ने भूख हड़ताल तोड़ दी। कुछ दिनों के बाद श्री [illegible] गोर्धनकृष्ण [illegible] गए। लोगों ने पूछा जाँच का क्या करें? इस पर विचार कर यह तय हुआ कि जाँच [illegible] इसके पैसे से एक स्कूल भवन बना दिया जाय। यहाँ के मुख्य मार्ग पर स्थित राजकीय विद्यालय भवन उसी जाँच की [illegible] का प्रतिफल है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता पर जागीरदारों का कातिलाना हमला :

सन् 1947 के दिसम्बर मास में थानागाजी तहसील के नारायणपुर गांव में वहाँ किसानों तथा आम जनता की कतिपय समस्याओं को लेकर प्रजामण्डल की ओर से एक मीटिंग हुई। उस सभा में कुछ राजपूतों और जागीरदारों के आदमियों ने उन पर उस समय फरसियों और धारदार हथियारों से कातिलाना हमला किया, जब वे भाषण दे रहे थे और जागीरदारों और राजसरकार के अधिकारियों के दमन चक्र के बारे में बोल रहे थे। उनके सिर तथा शरीर के कई भागों पर गंभीर चोटें आई और गहरे जख्म हुए जिसके कारण उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा।

महात्मा गांधी की हत्या और यहां की राजनीति में मोड़:

प्रजा मण्डल वाले, जैसा कि ऊपर कहा गया है अपने 27 जनवरी 1948 के प्रस्ताव की तैयारी कर ही रहे थे और मा. भोलानाथ दिल्ली में समर्थन व सहयोग जुटाने में नेताओं से सम्पर्क में ही थे कि 30 जनवरी को शाम को 5 बजे, प्रार्थना सभा में मंच पर आते हुए भीड़ में से उन्हें अभिवादन करने के बहाने, अपनी छिपी पिस्तौल से आर.एस. एस. के एक सक्रिय कार्यकर्ता नाथूराम गौडसे नामक महाराष्ट्र के एक ब्राहण ने उन्हें अपनी गोली का निशाना बनाकर उनकी नृशंस हत्या कर दी। वे 'हरे राम' कहते हुए वहीं धराशायी हो गये। इस हृदय विदारक और वेदना पूर्ण समाचार को सुनकर पूरा देश ही नहीं सारा संसार स्तब्ध रह गया। शान्ति के दूत का, जो जनता के बीच तथागत गौतम बुद्ध की भांति खून के प्यासे अंगुलिमाल का मुकाबला अपने आत्म बल से करता था, उसका ऐसा अन्त, वह भी हजारों की भीड़ के बीच, देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, जहाँ भारत सरकार के सभी बड़े नेता थे। यदि ऐसा, नोआखली या कलकत्ता में उस समय होता जब वहाँ सुहरावर्दी के दरिन्दे जुनून में भरे कत्ले आम कर रहे थे और वे वहाँ उनके बीच शान्ति का संदेश लेकर, मारकाट बन्द करने की अपील कर थे, हो गया होता तो आश्चर्य नहीं होता। पर यहाँ, एक हिन्दू और वह भी ब्राहण ने ऐसा किया था।

उनके निधन पर पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा, "वह रोशनी बुझ गई जो हमें मार्ग दिखाती थी।" महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा, "आने वाली पीढ़ियाँ शायद ही विश्वास करें कि धरती पर ऐसा भी हाड़ मांस का आदमी था जो शान्ति के लिए इस प्रकार प्रयास करता हुआ मारा गया।"

अलवर में भी राष्ट्रपिता के ऐसे आकस्मिक निधन से शोक की लहर छा गई। जहाँ देखो लोग सड़कों पर भीड़ के रूप में जमा होकर यही चर्चा करते रहे कि, "बापू कैसे मारे गए, किसने मारा?" पल पल के समाचार जानने को उत्सुक भीड़ यहाँ के उन रेडियो सैटों पर लगी रही, जो कुछ ही लोगों की दुकानों या घरों में थे। 31 जनवरी, 1948 को उनका अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें अपार भीड़ थी, जिसमें भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड माउण्टवेटन से लेकर जन साधारण वहाँ यमुना के किनारे जमा हो गए। विदेशों से भी अनेक बड़े नेता आये, बापू को अपनी विदाई और श्रद्धा सुमन अर्पित करने।

अलवर के हालात, यहाँ के राजा तथा प्रधानमंत्री डॉ. खरे के कारनामों के बारे में भारत सरकार और गृहमंत्री सरदार पटेल को पहले ही अवगत करा दिया गया था। केन्द्र को पता हो गया था कि यहाँ की राज्य सरकार साम्प्रदायिक दंगे करवा कर शान्ति और सद्भाव को बिगाड़ कर, दो सम्प्रदायों को लड़ा कर मार काट करवा रही थी।

अतः भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से ता. 1 फरवरी की रात को पुलिस का एक ट्रक, हथियारों से लैस होकर टोली का कुआ पर आया और यहाँ के नेताओं से सम्पर्क कर स्थिति की जानकारी ली। दूसरे दिन 2 तारीख को वह ट्रक जावली भवन गया, जहाँ से पं. गिरधर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। श्री सिद्ध को प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ताओं ने बापू की हत्या के लिए प्रचार करने वाले 'बाबाजी' को घर पर ठहराने के कारण घर पर घेर लिया था और वहाँ से रात को भीड़ से आँख बचा कर वे जावली भवन में शरण लिए हुए थे। हिन्दू सभा के अन्य नेता फरार हो गये। तारीख 2 को ही दिल्ली से पुलिस का दूसरा दल आया जो सरदार पटेल का यह आदेश लेकर आया कि सिद्ध को दिल्ली भेज दिया जाये। इसी दिन शाम को 3 बजे महाराजा तेजसिंह की ओर से एक आमसभा कम्पनी बाग में बुलाई गई जिसमें भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। प्रजामण्डल के बड़े नेताओं ने इस शोक सभा में जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि यह आम सभा महाराजा ने एक प्रकार से अपने अपराध को छुपाने के लिये भय के कारण की थी। हाँ, कुछ साथी जिनमें सर्व श्री डॉ. शान्तिस्वरूप डाटा, पृथ्वी नाथ भार्गव, फूलचन्द गोठड़िया, मायाराम, दयाराम, हरसहाय लाल विजय आदि वहाँ पहुँचे। कम्पनी बाग के गणगौरी मैदान की इस सभा में बमुश्किल दो मिनट का भाषण दिया और अपनी ओर से श्रंद्धाजलि अर्पित कर महाराज अपनी कार में बैठ कर भाग गये। उनके जाते ही सभा के माइक और मंच पर प्रजामण्डल के उक्त कार्यकर्त्ताओं ने कब्जा कर लिया। इन सभी वक्ताओं ने महाराजा तथा डॉ. खरे के उन सारे कारनामों पर विस्तार से प्रकाश डाला, जो महात्मा गांधी की हत्या के कारण बने थे। वक्तओं ने साफ तौर पर उन पर यह आरोप लगाया कि गांधी जी की हत्या में इन लोगों का पूरा-पूरा हाथ है। मीटिंग में सारी बातों को सुन कर उपस्थित भीड़ पूरे जोश और गुस्से में भर गई। सब लोग एक साथ यह कह उठे, "बापू के हत्यारे खरे को अलवर से भगाओ।", 'डॉ. खरे मुर्दाबाद',

'गांधीजी के हत्यारे मुर्दाबाद', यह नारे लगाते हुए हजारों लोग सभा स्थल से सीधे डॉ. खरे की कोठी की ओर दौड़ पड़े। अतः प्रजामण्डल के ये सभी कार्यकर्ता तथा नेता जो वहाँ बोले थे, भीड़ के साथ गये। कोठी पर पहुँचते-पहुँचते तो भीड़ और भी अधिक बढ़ गई और चारों तरफ से उसे घेर लिया। लोग अन्दर घुसने लगे। उग्र भीड़ के कम्पनी बाग से खरे की कोठी की ओर बढ़ने की बात सुनते ही अलवर के तत्कालीन कलैक्टर श्री खेमचन्द ने प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए चारों ओर मिलिट्री लगा दी। पर भारी भीड़ को देख कर उसने किया कुछ नहीं। उधर उत्तेजित भीड़ की ओर से ये आवाजें लग रही थी, "बापू के हत्यारे खरे को बाहर खींच कर लाओ।" घबरा कर खरे ने 5-7 आदमियों को बात करने के लिए अन्दर बुलाया। दरवाजा खुलते ही 15-16 आदमी अन्दर घुस गए जिनमें सर्व श्री डॉ. डाटा, फूलचन्द गोठड़िया, रामकुमार 'राम', प्रभुदयाल गुप्ता, पन्नालाल चौबे, दयाराम गुप्ता, हर सहाय लाल, मायाराम आदि थे। इन लोगों ने पहले तो खरे को काफी फटकारा, लताड़ा और अन्त में उनसे यही कहा, "आप 24 घण्टे के अन्दर अलवर छोड़ जाओ। हम तुम्हें अलवर में नहीं रहने देंगे।"

डॉ. खरे ने कहा, "मैं पहले ही जाने की तैयारी कर रहा हूँ।" उसके यह कहते ही भीड़ वहाँ से हट गई। जब भीड़ स्टेशन की तरफ से लौट रही थे, महाराजा स्टेशन के पास महाराजा तेजसिंह की कार बड़ा बाग, राजर्षि कालेज की ओर से विजय मन्दिर की ओर जाती हुई मिली। कुछ लोगों ने उनकी ओर धूल और कंकड़ फेंके।

भीड़ का एक हिस्सा जो होप सर्कस की ओर गया, वह राजा की सरकार में हिन्दू महासभा के प्रतिनिधि मिनिस्टर श्री रामचन्द्र व्यास के मकान पर उससे इस्तीफा देने के लिये नारे लगाने लगा।

इस घटना के बाद तारीख 5 फरवरी 1948 को अलवर के महाराजा तेजसिंह को दिल्ली बुलाकर नजर बन्द कर दिया गया। डॉ. खरे जो दिल्ली पहुँच चुके थे, उन्हें भी उनके साथ वहाँ रोक लिया। राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए भारत सरकार ने 6 फरवरी को श्री के.बी.लाल को हवाई जहाज से अलवर भेजा। उन्होंने प्रजामण्डल के नेताओं को बुलाया और उन्हें सूचना दी कि वे प्रशासक बन कर गृह मंत्रालय की ओर से अलवर भेजे गये हैं। उन्होंने कहा कि उनको यहाँ का प्रशासन चलाने के लिए दो एडवाइजर (सलाहकार) दीजिए। प्रजामंडल ने इसके लिए लाला काशीराम और मास्टर भोलानाथ के नाम दिये। श्री शोभाराम अपना नाम देने पर तैयार नहीं हो रहे थे। अंत में श्री कृपादयाल माथुर व श्री रामजीलाल अग्रवाल के बार-बार जोर देने पर उन्होंने सलाहकार बनना स्वीकार कर लिया। इस तरह श्री शोभाराम और लाला काशीराम को सलाहकार नियुक्त किया गया।

इसी रात को दिल्ली से मिलिट्री के टैंक अलवर आ पहुँचे। उनके साथ उच्च अधिकार प्राप्त फौजी अफसर थे, जिन्होंने गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अलवर राज्य के मिलिट्री केन्द्रों पर कब्जा कर लिया और सारे शहर में 3 दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। राज्य के पूरे प्रशासन व मिलिट्री को अपने अधिकार में ले लिया।

उधर सरदार पटेल तथा गृह मंत्रालय ने महाराजा से अलवर का शासन केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय को सौंपने के कोवनेंट (समर्पण के मसौदे) पर हस्ताक्षर करवा लिए। इसी तरह

अलवर के साथ, भरतपुर, धौलपुर [illegible] के राजाओं को भी अपना शासन केन्द्र सरकार को सौंपने के समर्पण पत्रों पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसके फलस्वरूप इन चारों राजाओं ने अपनी रियासतों को मिला कर एक संघ बनाने का फैसला किया। काफी विचार-विमर्श के बाद इनके संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया। धौलपुर के महाराजा जिन्हें मत्स्य संघ का महाराज प्रमुख बनाया गया। उनका सुझाव था कि इस संघ का नाम 'स्टेट आफ अभधौक ' रखा जाये जिसमें चारों रियासतों के प्रथम अक्षर हैं।

स्मरणीय है कि बाबू शोभाराम ने 5 फरवरी 1948 को लक्ष्मणगढ़ तहसील के हरसाणा ग्राम में ''गांधी विद्यालय'' की स्थापना की। विद्यालय के लिए ग्राम के सेठ श्री प्यारेलाल जैन ने अपनी भूमि दी। इस विद्यालय में कांग्रेस के कई अच्छे कार्यकर्त्ता अध्यापक लगे जिसमें श्री रामस्वरूप गुप्ता, श्री अनन्तराम, श्री गोपालशरण माथुर कमला जैन आदि थे।

अलवर के हालात का पूरा जायजा लेने के लिए सरदार पटेल 17 फरवरी 1948 को अलवर आये। हवाई जहाज के उतरने के लिए हवाई पट्टी न होने के कारण वे छोटे हवाई जहाज से आये। राजर्षि कालेज के खेल के मैदान में उनकी एक विशाल सभा हुई। सरदार पटेल का भाषण हुआ जो कई प्रकार से देशी राज्यों की राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक था। उन्होंने कहा कि यह बड़े खेद का विषय है कि राजपूतों की जो तलवार लोगों की रक्षा किया करती थी आज वह जनता का दमन करती है। उन्होंने कहा आज के युग में मेहतर की झाडू राजपूत की तलवार से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए राजा लोग समय की नब्ज को पहचान कर अपने आपको राष्ट्रीय धारा में मिला लें। इससे सरकार परस्त लोग काफी तिलमिलाये पर कर कुछ नहीं सके।

सरदार पटेल की इस चेतावनी का ऐसा असर हुआ कि मत्स्य के बाद और भी छोटी रियासतों के संघ बनते चले गए और बडे राज्यों ने अपने यहाँ जन प्रतिनिधियों को सत्ता सौंप कर प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली को कबूल कर लिया।

पूर्व निर्णयानुसार मत्स्य संघ का निर्माण कर उसकी पूरी रूप रेखा गृह मंत्रालय द्वारा तैयार कर 19 मार्च 1948 को अलवर में मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। राजस्थान की देशी रियासतों के एकीकरण का यह पहला लोकप्रिय शासन इकाइयों का संघ था। धौलपुर के महाराज को महाराजा प्रमुख बनाये जाने के बाद अलवर राज्य के महाराजा तेजसिंह को राजप्रमुख बना गया। संघ की राजधानी कहाँ हो, इस बारे में सरदार पटेल ने इसका निर्णय चारों राज्यों के नेताओं पर छोड़ दिया। अलवर के नेता बाबू शोभाराम को लोकप्रिय शासन का प्रधान मंत्री बनाया गया। मंत्रियों में प्रत्येक राज्य को मंत्रि-मंडल में राज्यों के आकार की दृष्टि से इस प्रकार स्थान दिया गया-

(1) श्री शोभाराम (अलवर), मुख्य मंत्री

(2) श्री भोलानाथ मास्टर (अलवर) सार्वजनिक निर्माण विभाग व रसद विभाग मंत्री

(3) श्री युगल किशोर चतुर्वेदी (भरतपुर) शिक्षा मंत्री

(4) श्री गोपीलाल यादव (भरतपुर) राजस्व मंत्री

(5) डॉ. मंगल सिंह (धौलपुर) स्वास्थ्य मंत्री

(6) श्री चिरंजी लाल शर्मा (करौली) उद्योग मंत्री

मत्स्य संघ के निर्माण का उद्घाटन भरतपुर में किया गया, जहाँ उद्घाटन के बाद भरतपुर के किले पर केन्द्र सरकार का तिरंगा झंडा फहराया गया जिसका विरोध करने के लिए कुछ स्थानीय जाटों ने धुर्यसिंह के नेतृत्व में हिंसक प्रदर्शन करने का प्रयत्न किया। पुलिस इंतजाम के कारण ये सफल नहीं हो सके। मत्स्य यूनियन का उद्घाटन करने के लिये केन्द्रीय मंत्री श्री एम. वी. गाडगिल आये थे।

भरतपुर में संघ के उद्घाटन के बाद दूसरे दिन अलवर में उद्घाटन के उपलक्ष्य में एक स्वागत व सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमे मंत्रिमण्डल के सदस्यों का अभिनन्दन किया गया। उस स्वागत समारोह व सहभोज में शहर के अनेक गण-मान्य नागरिकों व कार्य कर्ताओं ने भाग लिया।

मत्स्य संघ की राजधानी अलवर बनाने का निर्णय काफी विवाद के बाद श्री के.बी. लाल की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के रियासती विभाग ने कर दिया। इस प्रकार मत्स्य संघ भी बन गया और उसकी राजधानी भी अलवर बन गया।

मत्स्य संघ बन जाने के बाद भी नीमराणा जो अपने आप में एक ठिकाना था और श्री राजेन्द्र सिंह उसके शासक थे, वे मत्स्य संघ में शामिल होने से रह गये। श्री शोभाराम ने उन्हें श्री शान्ति स्वरूप डाटा द्वारा बुलावाकर उनको अपना ठिकाना संघ में विलीन करने के लिए तैयार कर लिया गया।

इस सारे राजनैतिक घटना क्रम में एक बात विधान निर्मात्री परिषद में अलवर से प्रतिनिधि भेजने के मामले में बड़ी ही विचित्र घटी जिसका जिक्र भी यहाँ कर देना उचित रहेगा।

हुआ यह कि यहाँ के एक सरकारी कर्मचारी श्री बलदेव प्रकाश अलवर में सप्लाई विभाग में क्लर्क थे, उन्होंने चने की निकासी में अखिल भारतीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. पट्टाभि सीतारमैया के पुत्र को नीमराणा ठिकाने की मदद से निकासी का परमिट दिलाया उसके फलस्वरूप वे अलवर से विधान निर्मात्री परिषद के लिए प्रतिनिधि बनाये जाने की नियुक्ति करा लाये। उसका पता लगने पर कांग्रेस उच्च सत्ता से उसकी शिकायत की गई जिसके आधार पर श्री बलदेव प्रकाश का नाम हटवा कर श्री रामचन्द्र उपाध्याय एडवोकेट को उसके स्थान पर विधान निर्मात्री परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया।

यह भी बात बड़ी विचित्र और दिलचस्प है कि इस बलदेव प्रकाश ने नीमराणा जो 12 गांवों का ठिकाना था और अधिक से अधिक जिसकी उस समय सालाना आमदनी 12,000 रु. (बारह हजार)सालाना थी, उसे अलग इकाई बनाने का आदेश दिला दिया था।

जहाँ अलवर देशी रियासत से लोकतंत्रीय प्रणाली के अन्तर्गत एक संघ का अंग बन गया था, वहीं अलवर की सारी स्वाधीनता की लड़ाई को लड़ने वाला संगठन, अलवर राज्य प्रजामंडल कांग्रेस में परिवर्तित कर मत्स्य कांग्रेस के साथ विलीन कर दिया गया जिसका अध्यक्ष भरतपुर

के नेता मास्टर आदित्येन्द्र को तथा अलवर के श्री रामानन्द अग्रवाल तथा भरतपुर के श्री राजबहादुर को महामंत्री बनाया गया।

चारों राज्य, अलवर, भरतपुर,धौलपुर, करौली के नेताओं में सामंजस्य बैठाने के लिए अलवर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसमें बाहर के अनेकों कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्त्ताओं ने अलवर में आकर अधिवेशन में भाग लिया। विशेष रूप से राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन एवं आचार्य कृपलानी भी पधारे।

अलवर की प्रमुख एवं दूर-दूर तक ख्याति प्राप्त नाट्य संस्था श्री राजर्षि अभय समाज ने, कम्पनी बाग के सामने यज्ञ भूमि जहाँ आजकल पुराना सूचना केन्द्र है, स्वर्गीय पंडित नन्दकिशोर शर्मा द्वारा लिखित नाटक 'पद चिन्हों पर' का मंचन किया। इस नाटक के दो दृश्यों ने दर्शकों को बड़ा अभिभूत किया। एक वह जिसमें पर्दे पर छाया चित्र में महात्मा गांधी को दिखाया गया था, और श्री मदनलाल गुप्ता द्वारा रचित गीत ''तमसावृत भारत दिव्य ज्योति युग पुरुष तुम्हारी जय'' गाया गया था तथा दूसरा परदे पर बने पुल को तोड़ने का दृश्य। जिसे देखकर यहाँ के पी. डब्ल्यू डी के अभियन्ता ने अन्दर आकर निर्देशक महोदय से पूछा कि इस पानी का निकास कहाँ किया है कहीं यह पाण्डाल में न आ जाए। इस नाटक का निर्देशन भी श्री मिश्रा ने किया। उस समय अलवर रंगकर्मी श्री जयनारायण भार्गव ''मुखिया जी,'' छोटे लाल कपूर, ग्यारसीराम, श्यामलाल सक्सैना आदि को अच्छी ख्याति प्राप्त थी।

मत्स्य संघ के निर्माण के बाद सरदार पटेल राजस्थान की छोटी रियासतों के संघ बनाने में लग गए। बड़ी रियासतों जैसे जोधपुर, बीकानेर, जयपुर आदि के राजाओं के आधीन वहाँ पर लोक प्रिय शासन बना दिये गये। कुछ राज्यों के संघ बनाये। अन्त में 30 मार्च 1949 को राजस्थान के सभी राज्यों और संघों को मिला कर एक वृहत् राजस्थान बना दिया गया जिसमें सिरोही तथा अजमेर को छोड़कर राजस्थान का पूरा भाग, राजस्थान राज्य का अंग बन गया, जिसके प्रथम मुख्य मंत्री पं. हीरालाल शास्त्री और उनके मंत्री मण्डल में श्री शोभाराम काबिना मंत्री बने। ●

नीमराणा का अलवर में विलय

चौहान वंशीय शासक का नीमराणा चीफशिप एक स्वतंत्र राज्य इकाई के रूप में सन् 1947 से [illegible] मे चला आ रहा था। सन् 1897-98 में नीमराणा को सैटलमेंट के समय महाराजा जयसिंह अलवर राज्य का अंग बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। 30 गांवों वाले नीमराणा को इसके शासक ने अंग्रेजों के चीफशिप को स्टेट घोषित करा लिया। 15 अगस्त 1947 को नीमराणा के तत्कालीन शासक श्री राजेन्द्र सिंह ने किले और महल पर तिरंगा झंडा फहराया एवं राष्ट्रगान कराया। इसलिए तब अलवर राज्य के नक्शे में नीमराणा अंकित नहीं किया जाता था। श्री राजेन्द्र सिंह ने, अस्थायी विधान सभा, वास्ते राज्य-प्रबन्ध, नीमराणा चीफशिप एक्ट नं. 2 दिनांक 15-12-1947 को जारी करते हुए स्वयं को हिज हाईनैस नीमराणा घोषित करते हुए, एक 5 सदस्यीय मंत्रिमण्डल बनाया जिसमें श्री मुन्ना लाल वर्मा, श्री रामलाल वकील नारनौल आदि थे।

अलवर की कांग्रेस और जनता नीमराणा को मत्स्य में मिलाना चाहते थे, और नीमराणा शासक और क्षेत्रीय जनता उसे गुड़गाँवां में शामिल कराना चाहते थे। समाजवादी नेता पं विश्वम्भर दयाल शर्मा ने इसे मत्स्य राज्य में मिलाये जाने की मांग को लेकर आन्दोलन चलाया, जिस पर राजा राजेन्द्र सिंह ने उन्हें साथियों सहित देश निकाला दे दिया। अन्ततः नीमराणा भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से मत्स्य संघ में शामिल कर दिया गया। मत्स्य के तत्कालीन प्रधान मंत्री बा. शोभाराम जी की भी इसमें सराहनीय भूमिका रही। नीमराणा का अलवर जिले में विलय अप्रेल 1948 में किया गया। इसी प्रकार कोटकासिम को जो पहले जयपुर राज्य का एक हिस्सा था, आजादी मिलने के काफी समय बाद अलवर जिले में शामिल किया गया।

नीमराणा क्षेत्र के गांवों में राजस्थान बनने के बाद तक सन् 1956 तक पुराना राजस्व जमा कार्यक्रम चलता रहा, जिस पर डॉ. राममनोहर लोहिया ने एक पत्र लिखकर दिसम्बर सन् 1956 में नीमराणा के पुराने कानून को राजस्थान सरकार से समाप्त करवाया।

(प्रस्तुति-श्री हरिशंकर गोयल)

●

गोवा-मुक्ति-आंदोलन : अलवर का योगदान

12-08-1987 को गोवा भारत संघ का 25 वां राज्य बना। 19 दिसम्बर 1961 को पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन से आजाद होने के समय से अब तक गोवा-दमन-दियु एक ही प्रशासन के अधीन रहे हैं। अब दमन-दियु केन्द्र शासित प्रदेश हैं।

गोवा पर्यटन का भारत में एक विशेष स्थान है। यहां का पर्यटन उद्योग नागरिकों का जीवन आधार है। 3702 वर्ग कि. मीटर के क्षेत्रफल में बसे गोवा की पणजी राजधानी है, जिसकी जनसंख्या 11,68,622 है जिसमें पुरुष 5,93,563 व स्त्रियां 5,75,057 हैं, भाषा कोंकणी, मराठी हैं। साक्षरता 76.96 प्रतिशत है। 2800 से 3500 मि. मी. साल में वर्षा होती है।

गोवा ई.पू. तीसरी शताब्दी में मौर्य साम्राज्य में था। दूसरी शताब्दी में कोंकण क्षेत्र पर सातवाहन राजवंश के शासक कृष्ण शातकर्णी का प्रभुत्व था। प्राचीन काल में गोवा का नाम गोपकपट्टण या गोमंत था- ये नाम महाभारत के भीष्म पर्व के आए हैं। 1471 से लेकर 20 साल तक गोवा ब्रह्मनी शासकों के अधीन रहा, लेकिन उसके बाद 1489 में बीजापुर के आदिलशाह ने इसे अपने अधीन कर लिया।

पुर्तगाली साहसी राजपाल आहबुकर्क ने बीजापुर के आदिलशाह से ही 25-11-1510 में गोवा छीन लिया और आहबुकर्क ने उसी दिन गोवा सेंट कैथरीन को समर्पित कर दिया। इस प्रकार गोवा-पुर्तगाली शासन में आया।

स्पेन के जेसुइट पार्टी फ्रांसिस जेवियर गोवा 1542 में आया, जो गरीबों के लिए 1552 में मृत्यु पर्यन्त कार्य करते रहे। उनका शव सुरक्षित रखा गया है। यहां पहला छापाखाना लगाया जिसमें सेंट जेवियर की ओर से लिखी 'दौकिंग किस्टा' थी। यहां इस शासन के विरुद्ध 1787 में पिंटो विद्रोह और 1823 में राने लोगों का विद्रोह भी हुआ। 1755 से 1824 तक राने (राणे) लोगों ने 14 बार विद्रोह किया और कुचले गए।

राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत :

पूर्ण स्वाधीनता की मांग सर्वप्रथम लुसी फ्रांसिसको गोमेस ने 1862 में की। नगर निगम के चुनावों में गड़बड़ी के प्रयत्नों के विरोध में 21-09-1880 को एक सार्वजनिक रैली की गई। मारगोवा चर्च के सामने रैली की गई। मारगोवा चर्च के सामने रैली पर गोली चली और 23 व्यक्तियों की मौत हो गई। रैली का नेतृत्व जोंस इग्रासियों डे-लायेला और रोकयू कोरिया अफोनसो ने किया।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरणा :

ज्यों-ज्यों भारत में स्वाधीनता आंदोलन तेज होता गया, त्यों-त्यों गोवा में आजादी की लड़ाई मजबूत होती गई। इस लड़ाई में लुइस डे मेंजेज बेगेंजा ने गणतंत्री शासन व्यवस्था आरंभ की और 18-6-1946 को यह स्वाधीनता संग्राम एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया जब समाजवादी गोवा आजादी के प्रेरक डॉ. राममनोहर लोहिया ने मरगांव में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया।

1954 में इस आंदोलन को पहली सफलता तब मिली जब दमन के निकट स्थित दादरा और नगर हवेली को आजाद कराया गया। आजाद गोमांतक दल ने जो इस आंदोलन का दाहिना हाथ था, सशस्त्र लड़ाई जारी रखी। उसका पूर्ण विवरण हम आपको दे रहे हैं।

जय पुर्तगाली गर्वनर जनरल और पाकिस्तानी सेनाध्यक्षों के बीच हुई बैठक की सूचना दिल्ली पहुंची तो भारत सरकार ने अंततः इस संबंध में कार्यवाई करने का निर्णय लिया। 18-12-1961 को मेजर जनरल के.पी. कैंडेथ के नेतृत्व में 'ऑपरेशन विजय' की कार्यवाही आरंभ कर दी गई। 19-12-1961 को कोई बड़ी लड़ाई लड़े बिना गोवा को मुक्त कर भारत संघ में शामिल कर लिया गया। 30-5-87 से पूर्ण राज्य का दर्जे वाले गोवा में अब आराम से घूम सकते हैं।

डॉ. राममनोहर लोहिया ने गोवा मुक्ति के लिए आंदोलन आरंभ किया और 1955 में और संगठनों को भी इसमें शामिल किया। गोवा मुक्ति के लिए 9-8-55 को अलवर से प्रथम जत्थे में रामनिवास भारद्वाज (भारद्वाज टेडिंग कं. होपसर्कस) शिंभुदयाल उर्फ शंभु दादा (चोरौटे पहाड़), कु. अमर सिंह (चिमरावली ठाकुर) लक्ष्मीचन्द बजाज (स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी नेता जयपुर हाल बहरोड़) किशनलाल शर्मा पुत्र वैद्य महादेव प्रसाद (डागा भवन के सामने विद्यार्थी राजगढ़) शामिल हुए।

12-8-1955 में दूसरे मुक्ति जत्थे में स्व. दयाराम गुप्ता (बर्फखाने वाले), जयशिव लाल भास्कर एडवोकेट, स्व. कमलेश जोशी (पत्रकार) स्व. का. ठंडूराम हरिजन, डॉ. जगमाल सिंह (अजरका वाले), गुरू दयाल सिंह, हजारी सिंह, स्व. का. नवनीत लाल भाटिया शामिल हुए। यह सत्याग्रही जत्था अलवर में गोवा मुक्ति समिति के संयोजन पं. गिरधर शर्मा की ओर से भेजा गया।

13-08-1955 को ' अलवर पत्रिका' द्वारा गोवा मुक्ति संघर्ष के लिए अलवर का योगदान की 7 पृष्ठों में जानकारी दी गई। अलवर पत्रिका कार्यालय में सत्याग्रहियों को दावत दी गई। कैलाश मोदी अलवर पत्रिका के संपादक, लाला काशीराम, रामानंद अग्रवाल, कृपादयाल माथुर एडवोकेट, रामचंद्र उपाध्याय और पी.एस.पी. समाजवादी नेता उपस्थित थे।

सत्याग्रही ठिकाने पर पहुंचे इसके पहले ही पं. नेहरू के आह्वान पर 15-8-1955 को आंदोलन वापिस ले लिया गया कि भारत सरकार इस आजादी के लिए कार्य करेगी। जयशिव लाल भास्कर ने मुझे बताया कि पूना स्टेशन से पैदल चलकर आयोली दादोली सत्याग्रहियों के साथ गए। सड़क के गांवों में मकई की रोटी और साग, आम का अचार का ढेर सत्याग्रहियों को खिलाने के लिए लगा हुआ था।

खाना खाया, देश भक्ति के गीत गाते हुए 250 सत्याग्रही बढ़े। हमें 24 सत्याग्रही स्टेशनों से गुजरना था। 88 कि. मीटर का पैदल रास्ता पहुंच कर कमेटी के बताए स्थान गोवा क्षेत्र में पहुंचना था। पैदल यात्रा कड़वे तेल की मालिस की। गोवा से 15 कि.मी. नजदीक पहुंचे रात्रि 14-8-55 को, तभी आंदोलन स्थगित हो गया। इस जंगल में जौंक थी। नमक की थैलियां, छड़ी-जौंक को उछालने के लिए दी गई।

जो इस सत्याग्रह में गिरफ्तार हुए उन्हें जेल यात्रा सहनी पड़ी। 30 शहीद हुए। कोटा के पन्नालाल यादव भी उनमें से हैं। अलवर आगमन पर इन जत्थों का बड़ा भारी जुलूस स्टेशन से सारे शहर में निकाला गया।

(प्रस्तुति-श्री हरिशंकर गोयल)





स्वाधीनता- संग्राम के सेनानी
और सिपाही

आलेख एवं प्रस्तुति :

राधेश्याम सोमवंशी चिरकिन अलवरी

स्वाधीनता-संग्राम के सेनानी और सिपाही

❑ राधेश्याम सोमवंशी, *चिरकिन अलवरी*

पं. सालिगराम नाज़िम

पं. सालिगराम का जन्म 1890 में आगरा की एतमादपुर तहसील के बढ़ी महासिंह गांव में हुआ। आप अपना पैतृक गांव छोड़कर अलवर में आकर रहने लगे। यहीं पर अपनी शिक्षा मिडिल तक पूरी कर राज्य सेवा में लग गये। अपनी मेहनत व कार्य में दक्षता के कारण पटवारी से, कानूगो, नायबतहसीलदार व नाज़िम बने। आप शुरू से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। सन् 1933 में महाराजा जयसिंह को राज्य से निर्वासित करने के विरोध में आ गये जिसके कारण आपको अपनी अच्छी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आप नौकरी छोड़कर मन्नी का बड़ के पास मकान लेकर रहने लगे, जहाँ आपने रोजगार के लिए खंडसारी का धन्धा शुरू किया। महाराजा जयसिंह की मृत्यु के बाद जो गतिविधियां राज-गद्दी के मामले में हुई, उसी दौरान आपने कुछ साथियों एवं मित्रों के सहयोग से शिव मंदिर में एक मीटिंग कराकर कांग्रेस की स्थापना की, जिसके आप अध्यक्ष बने।

आप महाराजा की मृत्यु के बाद श्री तेज सिंह के विरोध में जो सभायें आदि हुई और उनमें पंडित जी की भी भागीदारी होने के कारण ही उन्हें गिरफ्तार कर 2 वर्ष की सजा दी गई, राज्यहाईकोर्ट में अपील करने पर वह आधी कर दी गई।

आपके पुत्र श्री रामचन्द्र उपाध्याय, भी कांग्रेस में शामिल होकर काम करने लगे। नेहरू परिवार की भाँति यह उपाध्याय परिवार के बाप-बेटे की जोड़ी भी कांग्रेस और प्रजामण्डल आज़ादी की लड़ाई का अगुआ बनकर उभरी।

गुरू बृजनारायणाचार्य

गुरूजी का जन्म सन् 1893 में अलवर के राजघराने के माफीदार पं. मोतीलाल के घर में हुआ। आप पंजाब विश्वविद्यालय की प्रभाकर तथा यहाँ की ऐंग्लो-वर्नाक्यूलर परीक्षा उत्तीर्ण कर राजकीय स्कूल में अध्यापक बन गये। यह आश्चर्य ही कहा जायगा कि आप ऐसे वातावरण में पलकर भी राष्ट्रीय विचारों से पूरी तरह प्रभावित थे और शुरू से ही गांधीजी के कार्यों में भी रुचि लेते थे। राज्य सेवा में होते हुये भी आप खादी पहनते और गांधी टोपी ओढ़कर स्कूल जाते थे। यही नहीं आपने गांधी जी की विलायती वस्त्रों की होली जलाने की आवाज़ पर अपने स्कूल के छात्रों की टोपियाँ जलवा दी। इसकी शिकायत राजा सहित उच्चाधिकारियों तक पहुँचने पर आपसे इसके बारे में सफाई देने और माफी मांगने की बात कही गई। स्वाभिमानी गुरुजी ने ऐसा न कर राज्य सेवा से ही त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद आपने जीविकोपार्जन के लिये आयुर्वेद परीक्षा उत्तीर्ण की और गुजरात में गांधीजी के पास रहकर वैद्य का धन्धा अपनाया। आप सन् 1931-32 से ही कांग्रेस की गतिविधियों से जुड़ गये। आपने अ. भा. कांग्रेस के एक अधिवेशन में भी भाग लिया। आप अपना चिकित्सा कार्य चूरू, फतहपुर, राजगढ़ आदि शेखावटी क्षेत्र में

भी कर चुके थे। सन् 1941 में अलवर के राजगढ़ कस्बे में आयोजित जागीर-माफी कान्फ्रेंस के आप अध्यक्ष थे। आपने स्वयं माफीदार होते हुये किसानों के अधिकारों व जागीरी जुल्मों और शोषण के खिलाफ जोरदार भाषण दिया। अपने भूमिगत दिनों में व्यास जी आपके घर पर रहे। आप प्रजामण्डल तथा कांग्रेस के हर संघर्ष व गतिविधियों में शामिल होते थे। आप एक अच्छे कवि भी थे। आपके राजस्थान के बड़े नेताओं से अच्छे और निजी सम्बन्ध थे जिनमें विशेषतः श्री हरिभाऊ उपाध्याय, पं. हीरालाल शास्त्री, जयनारायण जी व्यास और माणिक्य लाल वर्मा आदि मुख्य थे। 20 जनवरी 1953 को आपका देहावसान हो गया।

श्री राधाचरण गुप्ता (टप्पल वाले)

अलीगढ़ के कस्बे टप्पल में श्री कन्हैया लाल जी के घर 1898 में जन्मे स्व. गुप्ता जी अलवर में 1937 में कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। इन्हें कांग्रेस सचिव बनाया गया। केदारनाथ गोयल ठेकेदार व गौरी चरण गुप्ता इनके सहयोगी रहे। अलवर में इस जिले से आये सात कानूगोयान परिवारों को हरिशंकर गोयल एडवोकेट के परिवार ने इन्हें और कांग्रेस को सहयोग दिया। छात्र आन्दोलन में 1938 में इन्हें 2 वर्ष की सजा हुई और 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में अलीगढ़ में लम्बी जेल यात्रा की। सन् 1972 में इन्हें ताम्र-पत्र से सम्मानित किया गया और अंग्रेजों द्वारा इनकी जागीर की भूमि जो जब्त की गई थी, आजादी के बाद टप्पल में जमीन वापिस मिलने पर उसे आपने कॉलेज व अस्पताल हेतु दान कर दी। इनका 16-10-93 को निधन हो गया।

देशभक्त विशंभर दयाल शर्मा

अलवर जिले का एक भाग राठ क्षेत्र है। यहाँ के लोगों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि टूट सकते हैं, झुकते नहीं है। राठ क्षेत्र के कस्बे बहरोड़ में सन् 1893 में भारत के एक साहसी सपूत ने जन्म लिया जिसने युवा अवस्था में ही भारत माँ को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया और क्रांतिकारियों की जमात में शामिल हो गये। यह क्रांतिकारी थे बिशंभर दयाल शर्मा जिन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में रामजस कॉलेज दिल्ली से विज्ञान स्नातक की डिग्री ली, किन्तु उसका उपयोग कभी नहीं किया। वे देश के प्रमुख क्रांतिकारियों के सम्पर्क में आये और आजादी के संघर्ष में कूद पड़े।

23 दिसम्बर, 1912 को वायसराय लार्ड हर्डिंग का जुलूस चांदनी चौक से गुजर रहा था। इस जुलूस पर वायसराय को निशाना बनाकर पंजाब नेशनल बैंक की इमारत की ओर से एक बम फैंका गया था जिसमें वायसराय घायल हो गये थे और अंगरक्षक मारा गया था। बम फैंकने वालों में जहाँ प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस थे। वहां उनके साथ 19 वर्ष के नवयुवक विशंभर दयाल भी थे। यह क्रांतियुग का प्रारंभ था, विशंभर दयाल जब दिल्ली में बम प्रहार कर रहे थे तब भावी क्रांतिकारी चन्द्रशेखर छः वर्ष के तथा भगतसिंह मात्र पांच वर्ष के थे। विशंभर ने अपने फरारी जीवन में क्रांतिकारियों की युवा पीढ़ी को अपना सहयोग दिया। चन्द्रशेखर आज़ाद की "हिन्दुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना" आर्थिक संकट में थी। अतएव विशम्भर दयाल की अगुआई में 7 जुलाई, 1930 को चन्द्रशेखर आदि ने दिल्ली के पूर्व गाडोदिया स्टोर पर डकैती डालकर करीब 13, 250/- रुपये प्राप्त किये थे।

वायसराय लार्ड हार्डिंग पर बम प्रहार के बाद वायसराय लार्ड इर्विन की स्पेशल ट्रेन जो कोल्हापुर से दिल्ली आ रही थी, निजाम्मुदीन के पास बम फैंका गया था जिसमें इर्विन बाल-बाल वच गये थे। इस योजना में भी विशंभर दयाल शामिल थे।

क्रांतिकारी विशंभर दयाल अब तक करीब 19 वर्ष का फरारी जीवन बिता चुके थे। इन दिनों वे उज्जैन में एक साधु का छद्म वेश धारण कर जीवन बिताते हुए क्रांतिकारियों से सम्पर्क बनाये हुए थे। अब तक चन्द्रशेखर आजाद शहीद हो गये थे। भगतसिंह, राजगुरू व शुकदेव को भी फाँसी लग चुकी थी। क्रांतिकारियों का नेतृत्व बिखर गया था। केवल विशंभर दयाल बचे थे कि 16 मार्च, 1931 को हुई पुलिस मुठभेड़ में वे घायल हो गये और गिरफ्तार कर उन्हें दिल्ली लाया गया। मुठभेड़ के समय वे अकेले थे और दोनों हाथों से गोलियाँ दाग रहे थे। उनका निशाना अचूक था किन्तु तभी एक गोली उनके पेट में लगी और वे घायल होकर गिर पड़े। दिल्ली के अस्पताल में उन पर वहशियाना अत्याचार कर क्रांतिकारियों संबंधी सूचना पाने का अंग्रेज पुलिस ने भरसक प्रयास किया किन्तु उन्होंने साहसी वीर की भांति सब कुछ सहा और कुछ भी नहीं बताया। 22 अप्रेल, 1931 के दिन मौका देखकर उन्होंने अपने पेट और सीने पर डॉक्टरों द्वारा लगाये गये तमाम टांकों को अपने हाथों से फाड़ डाला। खून बह निकला और वे भारत मां के चरणों में शहीद हो गये। राठ क्षेत्र और उनकी जन्म भूमि बहरोड़ ऐसे सपूत को पाकर धन्य हुई।

पं. हरनारायण शर्मा

पं. हरनारायण शर्मा का जन्म 1 अक्टूबर 1900 को अलवर में हुआ। आपके पिता पं. रामचन्द्र का देहान्त आपकी 5 वर्ष की आयु में ही हो गया। आपने हिन्दी संस्कृत का ज्ञान गुरुओं की पाठशालाओं में प्राप्त कर 18 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी की। आप शुरू में हिन्दूसभा तथा सेवा समितियों से जुड़े। अन्याय, अत्याचार व किसी भी बुराई को आप सहन नहीं कर सकते थे। सही बात के लिये अड़ जाने तथा दुष्टों से लोहा लेने में आप निड़र तथा मुँह फट थे। दुष्टों और दंगा-फसाद करने वालों से निपटने के लिए आप हमेशा लाठी लेकर चलते थे और आवश्यकता पड़ने पर उसके उपयोग करने से भी नहीं चूकते थे। इसीलिये लोगों ने आपका जन-प्रिय सम्बोधन ही 'लट्ठमार' कर दिया था। आप महाराजा जयसिंह के बाद राजगद्दी के उत्तराधिकार के मामले में, तथा कांग्रेस की स्थापना करने वालों की गतिविधियों में मुखरता एवं सक्रियता के कारण जेल गये। सन् 1938 में आप फीस विरोधी आन्दोलन में भी जेल गये। चार फंड विरोध तथा सन् 1946 के दोनों आंदोलनों में भी जेल गये।

आप हरिजनोद्धार तथा लागबेगार को समाप्त करने के कार्यों में भाग लेते रहते थे। आपने सन् 1912 में अपना दाऊजी का मंदिर हरिजनों के प्रवेश हेतु खोल दिया जिसके कारण आपको जाति बहिष्कृत किया गया। आपने मीणों को जरायम पेशा घोषित करने का विरोध किया। 21 सितम्बर 1947 को आपका देहान्त हो गया।

श्री नत्थूराम मोदी

स्व. नत्थूराम मोदी का 10 अक्तूबर 1902 को जन्म श्री गंगासहाय मोदी (महावर वैश्य) के घर में हुआ। आप शुरू से ही सुधारवादी विचारों के व्यक्ति रहे। पहले आप आर्य समाज से

जुड़े और इसी कारण हरिजनोद्धार व स्वदेशी भावना से प्रेरित रहे
रीतिनीतियों के कट्टर विरोधी रहे। आपने मित्रों के साथ हरिजनों के
कार्य किया। सन् 1932-33 के दिनों में हो रहे हिन्दू मुस्लिम दं
काम किया। देश प्रेम व राष्ट्रीयता की भावना के कारण आप कांग्रे
लिये प्रयास करने वालों में अग्रणी रहे। कांग्रेस की गतिविधियों
आप जेल गये जहाँ कड़ी यातनायें सहीं। आपने सबसे पहले खादी
पर ही प्रजामण्डल स्थापना हेतु पहली मीटिंग हुई। 1939 में आपने
में श्री शोभाराम को हराया और सदस्य बने। आपके इस्तीफा देने पर
में विजयी हुये।

आप सन् 1946 के दोनों आन्दोलनों में जेल गये। आपने कां
किसी भी नेता से निकटता के प्रयास नहीं कर अपने स्वाभिमान और स्
के गलियारों से दूर रहे। श्री रामानन्द अग्रवाल के कांग्रेस से अलग हो
आपने भी पार्टी छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अ
1988 को हुआ।

मोदी कुंजविहारी लाल गुप्ता

आपका जन्म 1901 में कठूमर कस्बे में श्री जुगल किशोर मुंशी के
में विवाह हो जाने के बावजूद आपने अध्ययन जारी रख हिन्दी, उर्दू व फ
प्राप्त किया। राजस्व विभाग में कानूगो बने। कुछ समय पुण्य विभाग स
साहित्य पढ़ने के कारण आपको शुरू से ही लेखन की प्रेरणा मिली। अ
सुधारवादी विचारों से विशेष प्रभावित थे। आपको स्पष्टवादिता एवं गलत
कर पाने के कारण राज्य सेवा से इस्तीफा देना पड़ा। आप ने सन् 1937 में रा
होने वाली गतिविधियों खुलकर भाग लिया और कांग्रेस की स्थापना में स
कारणों से आप जेल भेजे गये। फीस विरोधी आन्दोलन में आपको गिरफ्तार
सुनाई गई। आज़ादी के बाद अलवर में बनी अपनी ही पार्टी के नेताओं की
कारण आपके प्रेस व अखबार को सीज किया जिसके विरोध में आप खंडेलव
अनशन पर बैठे। 21 सितम्बर 1949 को आपने राजस्थान भर के पत्रकारों
सम्मेलन अलवर में कराया। 4 दिसम्बर 1953 को आपका देहावसान हुआ।
आपके दोनों भाई, भतीजे आदि भी प्रजामण्डल और अन्य सामाजिक कार्यों में पू
जुड़े रहे। श्री कृष्णचन्द्र और द्वारका प्रसाद तो क्रान्तिकारी गतिविधियों एवं छात्र
पूरी सक्रियता से आगे आये।

श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी

अलवर के स्वतंत्रता सेनानियों में त्रिपाठी जी का नाम बड़े सम्मान के सा
है। आपका जन्म मध्यप्रदेश के खालघाट स्थान पर सन् 1913 में हुआ किन्तु आप
यहरोड़ था। आपके पिता का नाम रामस्वरूप था। अलवर को सामन्तशाही के वि

से वे जुड़े, इसके साथ ही देश के प्रमुख क्रांतिकारियों से उनका निकट का सम्पर्क रहा। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ही उनकी मत भिन्नता अलवर के तत्कालीन आन्दोलनकारियों से रही। उनकी पत्नी सुशीला त्रिपाठी भी आन्दोलनों में बढ़-चढ़ कर भाग लेती थी। अलवर में वे शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। वे हिन्दी व अंग्रेजी में एम.ए. थे। स्थानीय नेताओं से अपने मतभेदों के कारण देश की आजादी से पूर्व ही वे अलवर छोड़कर चले गये थे और दुर्भाग्य से फिर शेष जीवन में अलवर नगर में उनकी वापसी नहीं हो सकी। अलवर के बाद मद्रास, सहारनपुर में रहकर उन्होंने देश की आजादी के लिए कार्य किया।

त्रिपाठी के हृदय में ब्रिटिश सत्ता व सामन्तशाही के विरुद्ध आक्रोश था। उन्होंने अपनी देश भक्ति की अभिव्यक्ति साहित्य सृजन के माध्यम से भी अभिव्यक्त की थी। साहित्य की विभिन्न विधाओं में उन्होंने लिखा किन्तु काव्य और कथा उनके प्रिय विषय थे। आपका "बारक छाया" उपन्यास राष्ट्रीय आन्दोलन को सार्थक प्रेरणा देने वाला सिद्ध हुआ जिसकी भूमिका लोकनायक जय नारायण व्यास ने लिखी थी। कई राज्यों में इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। त्रिपाठी जी की अनेक कविताएं भी देश भक्ति की भावनाओं से परिपूर्ण थी। पत्रकारिता में भी वे अग्रणी थे। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के मुख्य पत्र "हिन्दी प्रचारक", 'अर्जुन' साप्ताहिक 'रंगभूमि' साप्ताहिक "अरावली अलवर " "नया जीवन", "प्रदीप" व दैनिक नवयुग से वे जुड़े रहे।

स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्होंने अनेक बार जेल यात्राएं की। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पेंशन मिलती थी। केन्द्रीय सहयोग योजना के अन्तर्गत भी उन्हें आर्थिक सहयोग मिला। अनेक वर्षों तक वे अपने जीवन की संध्या में जोधपुर श्री इन्दिरा जोशी (अध्यक्ष हिन्दी विभाग जोधपुर विश्वविद्यालय)के संरक्षण में रहे किन्तु अंतिम सांस उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व बहरोड़ में ही आकर ली। वे अपने पीछे अपनी एक मात्र पुत्री श्रीमती सुषमा को छोड़ गये हैं, जो सहारनपुर में अपने परिवार के साथ रहती है। सन् 1984-85 में राजस्थान में साहित्य अकादमी ने उन्हें विशिष्ट साहित्कार का सम्मान दिया। उनकी एक कविता की पंक्तियाँ देखिये-

जागो :

हल्दी घाटी की केसरिया मिट्टी रही पुकार।
वह चित्तौड़ बुलाता तुमको, उठा विजय मीनार।
अरावली की पर्वत माला, झारखण्ड के झाड़।
वह मरूभूमि बुलाती तुम को, कण कण रहा पुकार।
टीबो की चादर ओढ़े, यों बीते बरस हजार।

पं. भवानी सहाय शर्मा :

पं. भवानी सहाय शर्मा का जन्म पं रामचन्द्र रेलवे गार्ड के घर में 21 मार्च 1909 को हुआ। आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा बांदीकुई से पूरी कर दिल्ली के रामजस कॉलेज में प्रवेश लिया। थोड़े ही समय बाद आप क्रांतिकारी साहित्य पढ़ते हुए ऐसे संगठन के बनाने की सोचने

जुड़े और इसी कारण हरिजनोद्धार व स्वदेशी भावना से प्रेरित रहे व अन्धविश्वास एवं रूढ़िवादी रीतिनीतियों के कट्टर विरोधी रहे। आपने मित्रों के साथ हरिजनों के मौहल्लों में जाकर शिक्षा प्रचार कार्य किया। सन् 1932-33 के दिनों में हो रहे हिन्दू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिये अच्छे काम किया। देश प्रेम व राष्ट्रीयता की भावना के कारण आप कांग्रेस की अलवर में स्थापना के लिये प्रयास करने वालों में अग्रणी रहे। कांग्रेस की गतिविधियों एवं फीस विरोधी मामलों में आप जेल गये जहाँ कड़ी यातनायें सहीं। आपने सबसे पहले खादी भंडार खोला। आपके मकान पर ही प्रजामण्डल स्थापना हेतु पहली मीटिंग हुई। 1939 में आपने अलवर नगरपालिका चुनावों में श्री शोभाराम को हराया और सदस्य बने। आपके इस्तीफा देने पर ही श्री शोभाराम उपचुनाव में विजयी हुये।

आप सन् 1946 के दोनों आन्दोलनों में जेल गये। आपने कांग्रेस के सत्ता में आने पर किसी भी नेता से निकटता के प्रयास नहीं कर अपने स्वाभिमान और स्पष्टवादिता के कारण सत्ता के गलियारों से दूर रहे। श्री रामानन्द अग्रवाल के कांग्रेस से अलग हो जाने के कुछ समय बाद आपने भी पार्टी छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आपका देहावसान 23 जून 1988 को हुआ।

मोदी कुंजबिहारी लाल गुप्ता

आपका जन्म 1901 में कठूमर कस्बे में श्री जुगल किशोर मुंशी के घर में हुआ। 13 वर्ष में विवाह हो जाने के बावजूद आपने अध्ययन जारी रख हिन्दी, उर्दू व फारसी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। राजस्व विभाग में कानूगो बने। कुछ समय पुण्य विभाग समाचार पत्र व राष्ट्रीय साहित्य पढ़ने के कारण आपको शुरू से ही लेखन की प्रेरणा मिली। आप आर्य समाज के सुधारवादी विचारों से विशेष प्रभावित थे। आपको स्पष्टवादिता एवं गलत बातों से समझौता न कर पाने के कारण राज्य सेवा से इस्तीफा देना पड़ा। आप ने सन् 1937 में राजगद्दी के मामले में होने वाली गतिविधियों खुलकर भाग लिया और कांग्रेस की स्थापना में सहयोग दिया। इन्हीं कारणों से आप जेल भेजे गये। फीस विरोधी आन्दोलन में आपको गिरफ्तार कर कड़ी सजायें सुनाई गई। आज़ादी के बाद अलवर में बनी अपनी ही पार्टी के नेताओं की खरी आलोचना के कारण आपके प्रेस व अखबार को सीज किया जिसके विरोध में आप खंडेलवाल धर्मशाला में अनशन पर बैठे। 21 सितम्बर 1949 को आपने राजस्थान भर के पत्रकारों का एक सफल सम्मेलन अलवर में कराया। 4 दिसम्बर 1953 को आपका देहावसान हुआ। आप के साथ आपके दोनों भाई, भतीजे आदि भी प्रजामण्डल और अन्य सामाजिक कार्यों में पूरी सक्रियता से जुड़े रहे। श्री कृष्णचन्द्र और द्वारका प्रसाद तो क्रान्तिकारी गतिविधियों एवं छात्र आन्दोलनों में पूरी सक्रियता से आगे आये।

श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी

अलवर के स्वतंत्रता सेनानियों में त्रिपाठी जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आपका जन्म मध्यप्रदेश के खालघाट स्थान पर सन् 1913 में हुआ किन्तु आपका मूल स्थान बहरोड़ था। आपके पिता का नाम रामस्वरूप था। अलवर की सामन्तशाही के विरुद्ध आन्दोलन

से वे जुड़े, इसके साथ ही देश के प्रमुख क्रांतिकारियों से उनका निकट का सम्पर्क रहा। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ही उनकी मत भिन्नता अलवर के तत्कालीन आन्दोलनकारियों से रही। उनकी पत्नी सुशीला त्रिपाठी भी आन्दोलनों में बढ़-चढ़ कर भाग लेती थी। अलवर में वे शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। वे हिन्दी व अंग्रेजी में एम.ए. थे। स्थानीय नेताओं से अपने मतभेदों के कारण देश की आजादी से पूर्व ही वे अलवर छोड़कर चले गये थे और दुर्भाग्य से फिर शेष जीवन में अलवर नगर में उनकी वापसी नहीं हो सकी। अलवर के बाद मद्रास, सहारनपुर में रहकर उन्होंने देश की आजादी के लिए कार्य किया।

त्रिपाठी के हृदय में ब्रिटिश सत्ता व सामन्तशाही के विरुद्ध आक्रोश था। उन्होंने अपनी देश भक्ति की अभिव्यक्ति साहित्य सृजन के माध्यम से भी अभिव्यक्त की थी। साहित्य की विभिन्न विधाओं में उन्होंने लिखा किन्तु काव्य और कथा उनके प्रिय विषय थे। आपका ''बारक छाया'' उपन्यास राष्ट्रीय आन्दोलन को सार्थक प्रेरणा देने वाला सिद्ध हुआ जिसकी भूमिका लोकनायक जय नारायण व्यास ने लिखी थी। कई राज्यों में इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। त्रिपाठी जी की अनेक कविताएं भी देश भक्ति की भावनाओं से परिपूर्ण थी। पत्रकारिता में भी वे अग्रणी थे। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के मुख्य पत्र ''हिन्दी प्रचारक'', 'अर्जुन' साप्ताहिक 'रंगभूमि' साप्ताहिक ''अरावली अलवर '' ''नया जीवन'', ''प्रदीप'' व दैनिक नवयुग से वे जुड़े रहे।

स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्होंने अनेक बार जेल यात्राएं की। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पेंशन मिलती थी। केन्द्रीय सहयोग योजना के अन्तर्गत भी उन्हें आर्थिक सहयोग मिला। अनेक वर्षों तक वे अपने जीवन की संध्या में जोधपुर श्री इन्दिरा जोशी (अध्यक्ष हिन्दी विभाग जोधपुर विश्वविद्यालय)के संरक्षण में रहे किन्तु अंतिम सांस उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व बहरोड़ में ही आकर ली। वे अपने पीछे अपनी एक मात्र पुत्री श्रीमती सुषमा को छोड़ गये हैं, जो सहारनपुर में अपने परिवार के साथ रहती है। सन् 1984-85 में राजस्थान में साहित्य अकादमी ने उन्हें विशिष्ट साहित्कार का सम्मान दिया। उनकी एक कविता की पंक्तियाँ देखिये-

जागो :

हल्दी घाटी की केसरिया मिट्टी रही पुकार।
वह चित्तौड़ बुलाता तुमको, उठा विजय मीनार।
अरावली की पर्वत माला, झारखण्ड के झाड़।
वह मरूभूमि बुलाती तुम को, कण कण रहा पुकार।
टीबो की चादर ओढ़े, यों बीते बरस हजार।

पं. भवानी सहाय शर्मा :

पं. भवानी सहाय शर्मा का जन्म पं रामचन्द्र रेलवे गार्ड के घर में 21 मार्च 1909 को हुआ। आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा बांदीकुई से पूरी कर दिल्ली के रामजस कॉलेज में प्रवेश लिया। थोड़े ही समय बाद आप क्रांतिकारी साहित्य पढ़ते हुए ऐसे संगठन के बनाने की सोचने

लगे जो शक्ति इकट्ठी कर अंग्रेज सत्ता को देश से बाहर कर मातृ भूमि को आजाद करा दे। इसी बीच आपका परिचय बिहार के कैलाशपति से हुआ जो हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऐसोसियेशन की दिल्ली शाखा के आर्गनाइजर थे। इस युवक ने दल के खर्चे के लिए बिहार के डाकखाने से 5 हजार रुपये का गबन किया जिसके कारण वारंट निकले, अतः छिपकर दिल्ली में रहने लगे। कुछ समय बाद यह व्यक्ति मुखबिर बन गया। सन् 1927 में भवानीसहाय जी को दिल्ली शाखा का सहायक आर्गनाइजर बनाया गया। दिल्ली के चर्खेवालान मौहल्ले में ग्दमन स्कूल दल की गतिविधियों का अच्छा केन्द्र था। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री टीकाराम पालीवाल इस स्कूल में तब अध्यापक थे।

बचपन में पं. भवानी सहाय को लोग छुट्टन नाम से बोलते थे। जब वे दिल्ली में क्रांतिकारी संगठनों से जुड़कर कार्यरत थे, आप कहीं छुट्टन, कहीं रामप्रसाद, और रामनाथ नाम लिखाते। सन् 1926 से 29 तक आप काफी सक्रिय रहकर काम कर रहे थे। पुलिस को आपकी गतिविधियों का पता लग गया, और छुट्टन नाम भी जाहिर हो गया। इसी दौरान पिता का देहान्त हो गया। घर वालों ने आपका विवाह करने के लिये सगाई कर दी। उधर आप, शहीद चन्द्रशेखर के सान्निध्य में पिस्तौल तमंचे ठीक करने, उनकी सफाई आदि का काम देखते थे। आप नये साथियों को गोली चलाने, निशाना साधने, मोटर कार, मोटर साइकिल आदि चलाने की ट्रेनिंग भी देने का कार्य करते थे।

20 अगस्त 1931 में पंडित जी को दिल्ली षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया। उन पर सरकार का तख्ता पलटने, गाड़ोदिया बैंक लूटने, वायसराय पर बम फेंकने आदि के अभियोग लगाये गये। हिरासत के दौरान पुलिस ने आपको मुखबिर बनाने के लिए काफी परेशान किया और शरीरिक एवं मानसिक यातनायें दी। इस केस में आप 8 माह जेल में रहे। दिल्ली षड्यंत्र केस में आप बरी कर दिये गये पर उन्हें पुलिस के विरुद्ध अपराध के मामलों में 110 दफा लगाकर हिरासत में रखा। बाद में 10 हजार की जमानत पर रिहा किये गये। 17 फरवरी 1931 को एक अन्य केस-लोशन कमीशन के नेता की गाड़ी के नीचे बम रखने के आरोप में गिरफ्तार कर मोरोलिया लॉक अप में भेज दिया। वहां से 26 जनवरी 32 को दो महीने के लिए नजरबन्द रखा। 21 अप्रेल 32 को रेग्यूलेशन 3/1818 के अन्तर्गत अनिश्चित काल के लिए दिल्ली जेल में नजर बन्द रखा, 1933 में नैनीताल जेल में भेजा। वहाँ से 5 वर्ष बाद दिल्ली लाया गया, जहाँ पर अजमेर के क्रांतिकारी ज्वाला प्रसाद शर्मा और झांसी के बी.जी. वैशम्पायन भी नजर बन्द थे। सन् 1939 में इन तीनों क्रांतिकारियों ने जेल में इस मांग को लेकर अनशन कर दिया कि या तो उन्हें नज़र बन्दी का कारण बताया जाय अथवा रिहा किया जाय। यह अनशन 28 दिनों तक चला। इस मामले में महात्मा गांधी ने वायसराय से मुलाकात कर 19 मार्च 1939 को उन्हें 6 वर्ष 10 माह 28 दिनों के बाद सम्मानपूर्वक बिना शर्त रिहा करा दिया। रिहाई के बाद आप अलवर आ गये। लाला शंकर लाल की सहायता से कांग्रेस की स्थापना में मदद की। आप 1946 के प्रजामण्डल के दोनों आन्दोलनों में जेल गये। पंडित जी प्रजामण्डल के पहले उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष रहे। आप राजगढ़ नगर पालिका के भी अध्यक्ष बने। आप प्रदेश कांग्रेस कार्य कारिणी के तथा अ.भा. कांग्रेस समिति के भी सदस्य रहे।

सन् 1952 से 57 तक थानागाजी से राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। 15 अगस्त सन् 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्द्रागांधी ने उन्हें लाल किले पर ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया। 7 अक्टूबर 1985 को आपका जयपुर में निधन हो गया।

पं. रामचन्द्र उपाध्याय

श्री रामचन्द्र उपाध्याय का जन्म अलवर के वयोवृद्ध नेता व स्वतंत्रता सेनानी श्री सालगराम पूर्व नाजिम के घर में 20 अक्टूबर 1912 को उत्तर प्रदेश की एतमादपुर तहसील के गढ़ी महासिंह में हुआ। आपके पिता इनको छोटी आयु में पूरे परिवार के साथ अलवर आकर राज्य के राजस्व विभाग में तहसीलदार नियुक्त किये गये। इसलिये आपकी हाई स्कूल शिक्षा अलवर में ही हुई। उच्च शिक्षा हेतु आपने बनारस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया जहाँ से बी. ए., एल. एल. बी. परीक्षायें उत्तीर्ण की।

आप बनारस में ही राष्ट्रीय विचारों के रंग में रंग गये थे। खादी पहनते और वहाँ की कांग्रेस के निकट सम्पर्क में रहते थे। सन् 1937 में अलवर आकर आपने वकालत शुरू की। आपके पिता को राज्य सरकार ने सिडीशस मीटिंग्स एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसकी पैरवी करने के लिए श्री टीकाराम पालीवाल अलवर आये। सरकार ने उन्हें इजाजत नहीं दी। अतः स्वंय रामचन्द्र जी ने उनकी वकालत की। आप सन् 1946 के दोनों आन्दोलनों में जेल गये। आप विधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे।

श्री शादी लाल गुप्ता

श्री नारायण दत्त गुप्ता के बड़े भाई श्री शादी लाल गुप्ता, प्रजामण्डल के शुरू से ही सक्रिय एवं समर्पित कार्यकर्त्ता रहे। वे अत्यंत सरल, मृदुभाषी और विवादों से दूर रहने वाले रहे हैं। प्रजामण्डल की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य रहते हुए वे उसके कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते रहे। आंदोलनों में वे जेल गये। प्रजामण्डल में जब भी गुटबाजी होती वे सदैव संस्था हित में तटस्थ रहकर अपनी असरदार भूमिका निभाते थे। उनका राजनैतिक जीवन परिवार के उत्तर प्रदेश के कारोबार व व्यापार के दौरान शुरू हुआ। वहीं से वे खादी पहनने लगे और आज 80-82 वर्ष की आयु में भी शुद्ध खादी का उपयोग करते हैं। वे सन् 1960-62 से ही जयपुर में रहकर अपना कारोबार करते हैं।

बाबू शोभाराम

अलवर की राजनीति में एक लम्बे समय तक पूरी तरह छाये रहने वाले, काफी लोकप्रिय, काफी विवादास्पद, पर अपने लक्ष्य के प्रति काफी सचेष्ट, जागरूक, दूरदर्शी और आज की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले श्री शोभाराम जिन्हें उनके अनुयायी-प्रशंसक 'बाबू जी' कहकर सम्बोधित करते थे, उनका जन्म राजगढ़ कस्बे की नगर पालिका में उस्ताज जो श्री बुद्धाराम के घर सन् 1914 में हुआ। आप ने अर्थशास्त्र में एम. ए. कर एल. एल. बी. की। आप गणित विषय में 10 वीं तक पढ़े हुये होने के बावजूद किसी भी प्रकार गणना में अच्छे-अच्छे गणितज्ञों से अधिक कुशाग्र थे।

शुरू में राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हुये, 1939 के पालिका चुनावों में

निर्दलीय खड़े हुये और मोदी नत्थुराम से हार गये। उनके इस्तीफा देने पर उसी वार्ड से उपचुनाव में विजयी हुई। सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन से आप प्रभावित हुये और विशेषतः गांधी जी द्वारा सन् 1943 में पूना के आगा खाँ पैलेस में 21 दिनों की भूख हड़ताल से प्रभावित होकर आप भी 13 दिनों की भूखहड़ताल पर बैठे। इसके बाद उन्होंने अपने निकट मित्रों श्री रामचन्द्र उपाध्याय तथा श्री कृपा दयाल माथुर के साथ वकालत छोड़कर पूर्ण कालिक प्रजामंडल कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का संकल्प लेकर राजनीति में प्रवेश लिया। इसके बाद आपने कभी कालाकोट नही पहना। प्रजामंडल की गतिविधियों में इतने तल्लीन हो गये कि एक समय वे और प्रजामंडल एक दूसरे के पर्याय बन गये। प्रजामंडल के आप थोड़े समय बाद अध्यक्ष बने और मत्स्य राज्य के प्रधानमंत्री बनने तक इस पद पर रहे। आपकी अध्यक्षता में प्रजामंडल पूरे अलवर राज्य के सभी अंचलों में जन-जन का संगठन बन गया। सन् 1946 के खेड़ा मंगलसिंह में आप गिरफ्तार हुए। अगस्त, 1946 के गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो आन्दोलन का आपने हरियाणा के कोटी गाँव से अलवर की सीमाओं से बाहर रहकर संचालन व सत्याग्रही जत्थे भेजने का कार्य किया। आन्दोलन के समापन पर ही आप अलवर आये। आपने 1947 के साम्प्रदायिक दंगों को शान्त करने के लिये प्रयास किये और इस हेतु अपने साथियों को लेकर केन्द्रीय नेताओं से मिले। राजस्थान की 4 रियासतों अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली का जब मत्स्य संघ बना, आप उसके प्रधानमंत्री बने। जब यह संघ वृहत् राजस्थान में विलीन कर दिया गया आप श्री हीरालाल शास्त्री मंत्रीमंडल में मंत्री बने। आप सन् 1952 से 1962 तक सांसद रहे। 1967 से मृत्यु के समय (23 मार्च 1983) तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे, सिर्फ 1977 के 33 माह के विराम के अलावा लगातार विधायक रहे। आप दो बार राजस्थान मंत्रीमंडल में कृषि, सहकारिता आदि महकमों के मंत्री रहे। आर्थिक एवं सहकारिता मामलों में आप का मौलिक व व्यापक चिन्तन था। आपने जिस भी महकमे का कार्यभार संभाला उसमें अपनी गहरी छाप छोड़ी। आप एक समय राजस्थान की राजनीति के 4 बड़ों में माने जाते थे। श्री सुखाड़िया तो अलवर के मामलों में आपकी राय के विपरीत पत्ता भी नहीं हिलने देते थे। आप ग्रुप पॉलिटिक्स में अधिक रहे और आपने अपने ग्रुप से बाहर के प्रतिद्वन्द्वी को कभी नहीं बढ़ने दिया। जो मित्र बराबर साथ रहा, उसे हमेशा आगे बढ़ाया।

श्रीमती सुशीला त्रिपाठी

श्री भोलानाथ मास्टर

मास्टर जी का जन्म सन् 1912 में लक्ष्मणगढ़ के मौजपुर कस्बे में श्री मूलचन्द के घर में हुआ। 1933 में हाईस्कूल पास कर आप राजकीय स्कूलों में अध्यापक नियुक्त किए गए। शिक्षक रहते हुये भी आप कांग्रेस की गतिविधियों में दिलचस्पी गुप्त रूप से लेते थे। 1938 के फीस विरोधी छात्र आन्दोलन में आप उसकी गतिविधियों से जुड़े हुये थे। छात्र उनसे मार्ग दर्शन लेते रहते थे जिसके कारण सी. आई. डी. रिपोर्टों के आधार पर आपका तबादला हरसौली कर दिया गया जिसे निरस्त कराने की आपने कोशिश की। वह नहीं होने पर आपने राज्य सेवा से मुक्ति पाकर प्रजामंडल तथा छात्र आन्दोलन में सक्रियता से काम किया जिसके कारण आप गिरफ्तार हुये। आपके पीछे से सी. आई. डी. के लोगों ने कांग्रेस ऑफिस पर कब्जा कर झंडा उतार कर पार्टी का बोर्ड हटा दिया और अपना ताला ठोक दिया। यह ध्यान रहे उस समय कांग्रेस कार्यकारिणी के 11 सदस्यों में 8 सी. आई. डी. के थे। मास्टर जी जब जेल से छूटकर आये, आपने द्वारका प्रसाद गुप्ता, छात्र नेता के साथ ऑफिस का ताला तोड़कर पुनः कब्जा कर झंडा लगा दिया। इस पर सरकार ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

मास्टर जी को 13-11-1940 को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लोगों से जबरन वार फंड वसूली का विरोध करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। आपने सन् 1941 की 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक सम्पन्न खादी प्रदर्शनी कराने में महत्त्वपूर्ण कार्य किया। गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई इसका उद्घाटन करने आये जिसमें राजस्थान व दिल्ली आदि के कई बड़े नेता आये। श्री हीरालाल शास्त्री के साथ वनस्थली विद्यापीठ की छात्रायें आई जिनके व्यायाम प्रदर्शन से अलवर वासी बड़े प्रभावित हुये। प्रजामंडल का रजिस्ट्रेशन कराने में मास्टर जी की भूमिका सर्वाधिक रही। सन् 1941 में आपने राजगढ़ में जागीर माफी कान्फ्रेंस कराई। 1945 में आप वर्धा में कार्यकर्त्ता शिविर में एक महीने तक बापू के सानिध्य में रहे। सन् 1946 के खेड़ा मंगलसिंह आन्दोलन के लिये आपने बाहर रहकर उसका संचालन किया तथा राष्ट्रीय समाचार पत्रों में उसकी पब्लिसिटी की। मास्टर जी अलवर के सबसे अधिक पत्रों के संवाददाता थे। अलवर से बाहर के बड़े नेताओं को आपके सबसे अधिक निजी सम्बन्ध थे। जबभी देशी राज्य प्रजा परिषद की ओर से उन्हें राजपूताना की किसी भी रियासत के जनान्दोलन अथवा संगठन के लिये बुलाया जाता वे वहाँ जाकर अपनी भूमिका बखूबी निभाते। अच्छे वक्ता, लेखक, पत्रकार तथा संगठक के रूप में आपकी गहरी छाप थी। सन् 1946 के गैर जिम्मेदार मिनिस्टरी कुर्सी छोड़ो आन्दोलन में आप जेल गये। सन् 1947 के अन्त में प्रजामंडल ने एक साप्ताहिक पत्र स्वतंत्र भारत निकाला जिसके आप सम्पादक थे। मत्स्य राज्य मंत्रीमंडल में आप मंत्री बने।

सन् 1952 से 1962 तक आप राज्य विधान सभा के सदस्य रहे और इसी बीच व्यास मंत्रिमंडल में मंत्री बनाये गये। सन् 1967 से 1972 तक आप सांसद रहे। आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रहे। 17,सितम्बर 1974 को आपका देहावसान हुआ। आपकी धर्म पत्नी श्रीमती पुष्पा शर्मा 1985 से 1990 तक विधान सभा की अलवर से विधायक रही।

ला० काशीराम गुप्ता

लाला जी का जन्म अलवर के राठ क्षेत्र के बीलोट गाँव में 1 सितम्बर 1907 को हुआ। आपके पिताजी लाला रामदयाल जी ने 1914 में दिल्ली में कपड़े के थोक व्यापार का काम शुरू किया। अत: प्रारम्भिक शिक्षा गाँव में प्राप्त कर आप परिवार के साथ दिल्ली जाकर वहाँ पढ़ने लगे। यहीं पर आपने हाईस्कूल तथा इन्टरमीडियेट की परीक्षा विज्ञान विषय के साथ हिंदू कॉलेज से अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके साथ ही आपको परिवार वालों ने अपने परिवार के धन्धे में लगने को कहा। आपने यह न कर 1936 में कुंड में स्लेट का कारखाना लगाया। बापू द्वारा चलाये गये नमक सत्याग्रह हेतु दांडी मार्च पर गये सत्याग्रहियों के परिवार वालों की देखरेख का जिम्मा अपने ऊपर लिया। आपने 1933 से 1939 तक अलवर में वाचनालय, पुस्तकालय आदि खुलवाये, आर्थिक तथा सब प्रकार से सहायता की और सन् 1940 से स्थायी रूप से अलवर में आकर रहने लगे। 1945-46 में आपने अकाल पीड़ितों के लिये कार्य किये। सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान भूमिगत रहने वाले अनेक नेता व कार्यकर्ता आपकी स्लेट फैक्टरी में रहकर अपनी गतिविधियाँ चलाते रहते थे। इनमें राजा महेन्द्र प्रताप, पं. श्रीराम, श्री हरिहर लाल भार्गव एडवोकेट आदि थे। आप 1945 में अलवर नगर पालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने। 1946 के दोनों आन्दोलनों में आपको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 1948 में आप अलवर राज्य के भारत सरकार द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर के सलाहकार बने। मत्स्य के पुरुषार्थियों के पुनर्वास के लिये आपको यह जिम्मेदारी दी गई जिसे आपने एक कुशल और सफल प्रशासक के रूप में निभाई। आप अलवर जिला कांग्रेस के वर्षों तक अध्यक्ष तथा अ. भा. कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। सन् 1962 में आप अलवर लोक सभा क्षेत्र से सांसद चुने गये। आप बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, परम उदार तथा सबको सहयोग देने वाले व्यक्ति थे। शिक्षा व सामाजिक क्षेत्रों में भी आपने जिम्मेदारियाँ निभाई खासतौर से हैपी स्कूल अलवर की बालहित कारिणी समिति के अध्यक्ष के रूप में। आपका देहान्त ता. [illegible] जुलाई 1978 को हुआ। लाला जी अच्छे लेखक और विश्लेषक थे। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं के बारे में आपकी सोच काफी गहरी और यथापरक थी। स्वभाव में आप मृदुभाषी और सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। आप जनता के बीच रहकर, आमजन से बातचीत करने में आनन्दानुभव करते थे। सफल व्यवसायी, अध्ययनशील होते हुये भी आप प्राय: पैदल भ्रमण कर लोगों से मिलते, समस्याओं पर बहसें करते, आपने लोक सभा में अपनी भूमिका भली प्रकार से निभाई और सांसद के रूप में जनहित के कई कार्य कराये, जिन्हें लोग आज तक याद करते हैं।

श्री इन्द्रसिंह भार्गव 'आज़ाद'

श्री इन्द्रसिंह आज़ाद का जन्म अलवर में 5 जून 1914 को भार्गव परिवार में हुआ। आपने हाईस्कूल तक शिक्षा पाई। छात्र जीवन से ही अपने उग्र एवं आज़ाद विचारों के लिये छात्रों एवं जनता में चर्चित रहे। आपको परिवार वालों ने आपकी आन्दोलनात्मक एवं छात्रों में बगावत फैलाने के कारण स्कूल के अध्यापकों की शिकायत पर दिल्ली भेज दिया। वहाँ आपके बहनोई श्री दीनानाथ दिनेश रहते थे जो एक अच्छे कवि व गायक थे। श्री दिनेश ने गीता का हरिगीतिका

छन्द में एक ही सरल एवं सटीक अनुवाद किया था। आप दिल्ली में रहते हुये कांग्रेस के बड़े नेताओं के सम्पर्क में आये, जिनमें श्री आसफ अली, ला. शंकर लाल, इन्द्र विद्यावाचस्पति, आदि प्रमुख थे। आपने उन्हें अलवर में कांग्रेस की स्थापना के लिए बुलाया। श्री शंकर लाल उन्हीं के कहने से अलवर आने लगे। सन् 1938 के फीस विरोधी आन्दोलन में जेल गये। कांग्रेस की स्थापना हित शुरू से प्रयासरत रहे। बाद में आप प्रजामंडल की स्थापना करने वालों में से एक थे। आप कांग्रेस के मंत्री भी बनाये गये। आप 1946 के दोनों आन्दोलनों में जेल गये। 1944 के शुरू के दिनों में आपने सफाई कर्मचारियों के खदाना मोहल्ले में शिक्षण कार्य किया।

आज़ादी आने के बाद जब यहाँ समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई आप उसके संस्थापकों में से एक थे। 19 अगस्त 1969 को आपका देहान्त हो गया।

श्री रामजीलाल अग्रवाल

अलवर राज्य प्रजा मंडल को एक प्रारंभिक एवं असम्बद्ध संगठन से जीवन्त एवं पूरी मुस्तैदी के साथ सक्रिय व जनसमस्याओं के प्रति समर्पित संवेदनशील संस्था बनाने में अपनी पूरी शक्ति-बुद्धि लगा देने वाले युवा साथी रामजीलाल अग्रवाल का जन्म अप्रेल 1919 में बानसूर तहसील के नीमूचाणा परिवार में हुआ। आपकी शिक्षा अपने गाँव, बानसूर, कोटपूतली, अलवर, नीमच, कानपुर आदि शहरों में हुई जिसमें आपने बी. कॉम; एल. एल. बी. परीक्षायें उत्तीर्ण की। आपने राजर्षि कॉलेज से इन्टर परीक्षा वरीयता सूची से पास की जिसके कारण आपको छात्रवृत्ति मिलती थी। श्री अग्रवाल का परिवार सबसे पहले अपने गाँव से मिलीटरी की कैनटीनों के रसद सप्लायर ठेकेदार के रूप में बाहर, नीमच, ग्वालियर, महू, क्वेटा (बिलोचिस्तान) जैसे दूरस्थ स्थानों पर गया। आपको भी परिवार के साथ जहाँ-जहाँ ठेके होते वहाँ जाना पड़ता। इस प्रकार आपको प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के भारतीयों के प्रति रुख तथा उस ज़माने में आज़ादी के लिये किये जाने वाले स्वतंत्रता संग्रामों, आन्दोलनों आदि को अपने छात्र जीवन के दौरान कॉलेजों की छात्र यूनियनों के मार्फत देखने और उनमें पूरी सक्रियता से भाग लेने के अवसर मिले। आप में शोषण-उत्पीड़न के प्रति आक्रोश तो अपने गाँव में ही घटने वाले नीमूचाणा कांड को देखकर हो गया था। वे उस समय 9-10 वर्ष के ही थे, पर उस क्रूरतापूर्ण दमन-चक्र ने छोटे-बड़े सभी को हिलाकर रख दिया था, भारी विनाश के साथ।

आप अपने छात्र जीवन में स्टूडेंट फैडरेशनों में शामिल होकर कार्य करने लगे। इन संगठनों की क्रान्तिकारी गतिविधियों एवं उनमें आपकी बढ़चढ़कर भागीदारी के कारण आपको कई बार कॉलेज से निकाल भी दिया जाता था। आप इसी दौरान असरदार कम्युनिस्ट नेताओं के निकट सम्पर्क में आये। सन् 1942 के अंग्रेजो भारत छोडो आन्दोलन के दौरान आपने सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर के भवन पर तिरंगा झंडा हजारों छात्रों को जुलूस बनाकर ले जाकर फहराने का एलान किया। अंग्रेजों की सेना व पुलिस के जवानों ने आपके इस काम को न करने देने के लिये बल पूर्वक रोकने का प्रयास किया। आपके पीछे पूरे कानपुर तथा आसपास के नगरों के लगभग 15 हजार छात्रों की भारी भीड़ थी। पुलिस के द्वारा रोके जाने के आदेश-प्रयासों के बावजूद जब वे नहीं रुके तो उन पर निर्ममता से लाठी प्रहार किया गया, जिसमें वे बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें छात्र तिलक हाल की होने वाली मीटिंग स्थल पर ले गये। आपने होश आने पर

बड़ा जोशीला भाषण दिया। भाषण के बाद तिरंगा झंडा कॉलेज की बजाय सभा स्थल तिलक हाल पर फराया गया। यह उनके झुझारूपन और वीरता की एक मिसाल थी।

ये छात्र आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार हुये। वे उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों, मध्य भारत के इन्दौर, ग्वालियर, महू आदि में छात्र संगठन के कार्यों से दौरे कर उन्हें सक्रिय करते रहते थे। आपके साथ हॉस्टल में अनेक छात्र नेता रहते थे। श्री रामजी लाल का उनके बड़े भाई श्री सीताराम, जो स्वयं भी राष्ट्रीय विचारों के व्यक्ति थे, अपने ठेके के कार्यों से काफी धन भेजते, जिसको श्री अग्रवाल ने हमेशा ही मित्रों को सहयोग देने और छात्र संगठनों पर व्यय किया। उनकी, मित्रों तथा साथियों पर सब कुछ निछावर कर देने की प्रवृत्ति तो आखिरी क्षणों तक रही।

भारत छोड़ो आन्दोलन में उन पर सभी तरफ से पाबन्दियाँ लगने पर वे अपने गृह राज्य अलवर में सन् 1943 में आ गये और यहाँ आकर प्रजा मंडल में जान फूँक दी। श्री शोभाराम के साथ उन्होंने प्रजामंडल में जो किया, वह तो एक प्रकार से सन् 1943 से सन् 1947-48 तक इस के सर्वाधिक कार्यकलापों की कहानी है। कार्य और सहयोग और क्रियात्मक भागीदारी तो लगभग सभी बड़े-छोटे नेता कार्यकर्त्ताओं की थी, पर उसके हृदय-प्राण तो दो ही थे, श्री रामजीलाल और श्री शोभाराम जो सबको जगाकर काम में लगाये रखते थे। आपने प्रजामंडल के कार्यकर्त्ताओं को एक टीम के रूप में, सदैव कार्य में तत्पर रहने के लिए टोली के कुए पर एक बड़ा मकान लेकर उसमें सबको एक साथ रहने के लिए इकट्ठा कर लिया। वे सबको अपना साथी व अपना भाई और हर घड़ी का सहयोगी बनाकर बड़े प्यार और स्नेह देकर पालते थे। आप वर्षों प्रजामंडल के सैक्रेटरी रहे। सन् 1943 से आजादी आने के समय तक अनेक गाँवों में घूमे। सम्मेलन कराये। प्रजामंडल की शाखायें खोली। खेड़ा मंगल सिंह और गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो आन्दोलनों में जेल गये। देश को आज़ादी मिलने के उपरान्त आप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। सन् 1957 में पंचायती राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत आप अलवर जिला परिषद के प्रमुख रहे। आप पत्रकारिता में भी उतने ही निपुण थे। कई पत्रों का सम्पादन किया। अन्याय, जुल्म, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता आदि के आप कट्टर विरोधी थे। अलवर के साम्प्रदायिक दंगों में वे सबसे व्यथित होने वालों में एक थे। वे दंगों को रुकवाने में सरदार पटेल, नेहरू जी तथा अन्य नेताओं से बराबर पत्र व्यवहार करते, उनके पास डेलीगेशन ले जाकर कार्यवाही करने के लिए आग्रह करते। एक सम्पन्न परिवार में रहकर भी वे जीवन भर फक्कड़ रहे। वे अपने परिवार वालों के प्रति कुछ नहीं कर पाये। उन्हें राज्य के लाभों को लेने से मना करते थे। ऐसे कर्मठ, जागरूक और हरदिल अजीज साथी नेता का निधन 13 अक्टूबर, 1974 को जयपुर में हुआ।

श्री कृपादयाल माथुर

श्री कृपादयाल माथुर का जन्म 27 फरवरी 1916 को अलवर में हुआ। आपके पिता का नाम श्री खैराती लाल माथुर था। चार भाई, एक बहन में आप सबसे छोटे हैं। श्री कृपादयाल माथुर के पिता अलवर स्टेट की दीवानी अदालत में सरिश्तेदार थे तथा दादाजी भी तहसीलदार थे। आपकी बड़ी बहन श्रीमती प्रेमप्यारी माथुर ने भी स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया था। यदि आज वे जीवित होतीं तो वे भी स्वतंत्रता सेनानी कहलाने का गौरव प्राप्त करतीं।

श्री कृपादयाल माथुर ने सन् 1932 में महाराजा कॉलेज जयपुर से हाईस्कूल, सन्1934 में राजर्षि कॉलेज अलवर से इण्टरमिडियेट तथा सन् 1938 में आगरा कॉलेज आगरा से एल.एल.बी. पास की और अलवर आकर वकालात प्रारम्भ कर दी।

श्री माथुर ने वैसे तो भगतसिंह को फांसी लगने के बाद से ही अंगेजी अखबार पढ़ना प्रारम्भ कर राजनीति की गतिविधियों की जानकारी हासिल करना शुरू कर दी थी, और जयपुर प्रवास के दौरान, स्वतंत्रता आन्दोलन में कार्यरत विद्यार्थी साथियों के सम्पर्क में आये किन्तु गुलामी क्या होती है इसका अर्थ व अहसास इन्हें आगरा रहने पर ही हुआ। आगरा में दो विद्यार्थी ऐसे थे जिनका और अंग्रेजों का काफी बैर था। आगरा में गोरों की छावनी थी। जब भी अकेले दुकेले एक-दूसरे के सामने पड़ जाते, मार पिटाई कर देते।

आगरा कॉलेज में एक बार छात्र संगठन की सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही थी। दोनों ही पक्ष बोल रहे थे और एक-दूसरे की बात को नहीं समझा जा रहा था, काफी शोर शराबा हो रहा था तब कॉलेज के अंग्रेज प्रिन्सीपल मि. फिल्डन ने गुस्से में आकर कह दिया कि 'इण्डियन्स डू नोट हैव डेमोक्रेसी सैन्स।' इतना सुनना था कि सारे छात्र एकदम चुप हो गए और सभी का सर शर्म से झुक गया। प्रिन्सीपल साहब को भी अफसोस हुआ। दूसरे दिन इस घटना की खबर सुर्खियों में छपी। आगरा में राष्ट्रीय स्तर के बड़े-बड़े नेता अक्सर ही आते रहते थे। उनके भाषण सुनते रहने से राजनीति का ज्ञान भी बढ़ने लगा। सन् 1937 में राष्ट्रीय एसेम्बली के चुनाव के समय वहां के विद्यार्थी साथियों के साथ चुनाव संबंधी कार्यक्रमों में भाग लिया। बस यहीं से राजनीति का चस्का लग गया।

सन् 1939 में अलवर की म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव भी श्री कृपादयाल माथुर ने लड़ा किन्तु उसमें वे अपने प्रतिद्वंद्वी से हार गए थे, बाद में वे निर्विरोध चुन लिये गये।

सन् 1939 में प्रजामण्डल का रजिस्ट्रेशन अलवर राज्य में हो गया था। श्री कृपादयाल माथुर ने भी उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। स्टेट ने प्रजामण्डल पर कुछ पाबन्दियां लगाई थी जिनमें कार्यालय पर झण्डा न लगने की पावन्दी मुख्य थी जिसके लिए गांधी जी को पत्र लिखा जिसके उत्तर में गांधी जी ने लिखा कि स्टेट जो पाबन्दी लगाती है मान ली जाये। मकसद देश को विदेशी चुंगल से बचाना है। इस कार्य को ही प्राथमिकता दी जाये। तब से ही आपने प्रजामण्डल की गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया।

सन् 1941 में अक्टूबर माह में अलवर में प्रजामण्डल का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। उस समय कृपादयाल माथुर प्रजामण्डल के उपमंत्री थे। सम्मेलन में देश व प्रान्त के बड़े-बड़े नेता आये तथा वनस्थली विद्यापीठ की बालिकाओं ने भी भाग लिया।

सन् 1942 में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के दौरान गांधी जी के आह्वान पर अलवर में श्री कृपादयाल माथुर ने भी वकालत छोड़ दी थी। सर्व श्री शोभाराम तथा रामचन्द्र उपाध्याय ने भी इस दौरान ही वकालत छोड़ी थी और आन्दोलन में कूद पड़े थे। गांव-गांव अंग्रेजों के विरुद्ध नारे, सभाएं तथा जुलूस निकाले जाने लगे। विद्यार्थियों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। शहर के टेलीफोन आदि के तार काट दिये गये लैटर बक्सों में आग लगा दी गई। इन मामलों में पकड़े

गये विद्यार्थियों सर्व श्री महावीर प्रसाद, श्री चिरंजी लाल वर्मा तथा श्री हीरालाल भारती के मुकद्मों की पैरवी की। एक साल तक वकालत छोड़ने के पश्चात् एक कत्ल के मुकदमें की पैरवी के लिए ये तिजारा चले गये और वहाँ पर प्रजामण्डल को संगठित किया। 1945 में तिजारा स्माल टाउन कमेटी के चेयरमैन बनाये गये। ये कमेटियां एक वर्ष तक चली बाद में उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर चेयरमैन शिप से सामूहिक स्तीफे देकर बहिष्कार किया गया। तिजारा में भी प्रजामण्डल का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें भोपाल से श्री शाकिर अली, भरतपुर से श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी तथा इन्दौर से श्री वैजनाथ आये थे। तिजारा के शाहबाद कस्बे में विस्वेदारों का छोटी जातियों पर बड़ा आतंक था श्री कृपादयाल माथुर ने संघर्ष कर शोषण से मुक्त कराया। टपूकड़ा में भी पुलिस और तहसील के कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधा से व्यापारियों को होने वाले नुकसान के विरोध में 400-500 लोगों के जुलूस की अगुवाई कर उस प्रथा को बन्द कराया गया तथा बेगार का पुतला जलाया गया।

2 फरवरी 1946 को खेड़ा मंगल सिंह में एक आम सभा प्रजामण्डल की होनी थी। सरकार ने 1 फरवरी को सर्व श्री शोभाराम, हरिनारायण, रामजीलाल अग्रवाल, काशीराम आदि प्रमुख नेताओं को खेड़ा मंगल सिंह में गिरफ्तार कर लिया। अलवर में सर्व श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, रामावतार, इन्द्रसिंह आजाद आदि को तथा तिजारा में भी जब श्री कृपादयाल माथुर एक जगह खबर सुन रहे थे श्री घासीराम के साथ इन्हें भी गिरफ्तार किया गया और रात को 11 बजे अलवर लाये गये। 12 व्यक्तियों को जेल भेजा गया। हीरालाल शास्त्री की मध्यस्थता करने पर सभी को 10 दिन बाद छोड़ दिया गया। 26 अगस्त 46 से उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर संघर्ष करना था। इस कार्यक्रम को इन्हें लीड करना था। लेकिन सारे नेता पहले ही गिरफ्तार हो गए। प्रजामण्डल कार्यालय से आदेश मिला कि गिरफ्तार नहीं होना है। अतः श्री कृपादयाल माथुर भूमिगत हो गये। इस दौरान ये श्री मोती लाल के घर पर रहे। किन्तु कार्यक्रमानुसार ये 26 अगस्त को गिरफ्तार किये गये। श्रीकृपादयाल माथुर का मानना है कि आजादी के बाद कुछ नहीं हुआ जो लोग ऐसा कहते हैं सही नहीं है। बहुत बदलाव आया है। जीवन स्तर में काफी तरक्की आई है। लोगों में स्वाभिमान की भवना जागृत हुई है। उन्हें इस बात का दुख है कि गांधीजी के बाद चरित्र में गिरावट आई है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता

राजस्थान सरकार के मंत्री पद पर रह चुके श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता का जन्म 30 जनवरी 1912 को गांव रामपुर तहसील बानसूर में हुआ। आपके पिता का नाम श्री बिहारी लाल है।

सन् 1921 में नौ वर्ष की छोटी आयु में पढ़ाई के लिए आपको राजगढ़ भेज दिया गया जहां से आपने मिडिल परीक्षा पास की तथा 1927 में आपने अलवर हाई स्कूल की परीक्षा पास की इसके बाद आप काशी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहे। 1938 में आपने वकालत की परीक्षा पास की और आपने बानसूर में वकालत करना प्रारंभ कर दिया।

जब आप बनारस में अध्ययनरत रहे उस दौरान ही आपका संपर्क पंडित मदन मोहन मालवीय से हो गया और आप कांग्रेस की रीतीनीतियों के प्रति आकर्षित होते चले गये। 1930 से ही आपने खादी पहनना शुरू कर दिया। आज भी आप खादी ही पहनते हैं।

1939 में श्री बद्री प्रसाद गुप्ता अलवर आ गये और प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। वैसे तो पूरे जिला को ही आप अपना कार्य क्षेत्र समझते रहे किन्तु बानसूर तहसील जहां आपका जन्म हुआ उसमें गांव-गांव में प्रजामण्डल का प्रचार-प्रसार विशेष रूप से किया।

2 फरवरी 1946 को गांव खेड़ा मंगल सिंह में जागीर विरोधी आम सभा के लिए जब वहां अलवर के अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी गिरफ्तारी के पश्चात अलवर में भी तब की सामन्ती सरकार ने गिरफ्तारी की, जिसमें मोदी कुंजबिहारी लाल, इन्दरसिंह आजाद, रामावतार एडवोकेट के साथ आपको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तिजारा से कृपादयाल माथुर व घासीराम गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार 12 आदमी गिरफ्तार किये गए। इस गिरफ्तारी के विरोध में अलवर में पूरे आठ दिन तक हड़ताल रही।

अगस्त 1946 में 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन में भी आपने सक्रिय रूप से भाग लिया। यह आन्दोलन सामन्ती सत्ता के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण उसमें गरीब जनता जीवन निर्वाह की आम चीजों की बढ़ती कीमतों से त्रस्त तथा कपड़े की काला बाजारी से भारी परेशानी अनुभव कर रही थी तब प्रजामंडल के आह्वान पर छेड़ा गया था। इसमें सत्याग्रह करते हुए बद्री प्रसाद गुप्ता को भी गिरफ्तार किया जो अन्य सत्याग्रहियों के साथ 2 सितम्बर 1947 को रिहा किये गये पर आंदोलन 11 दिन तक चला था।

देश में आजादी के पश्चात् भी रजवाड़ों का शासन समाप्त नहीं हुआ था। यहां के सामन्तों, जागीरदारों का रवैया वही पुराने तरीके से चला आ रहा था।

देश में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया था फिर भी आजादी के 4 माह बाद माह दिसम्बर में नारायणपुर कस्बे में प्रजामण्डल द्वारा आयोजित एक सभा को जब आप संबोधित कर रहे थे तब कुछ प्रतिक्रियावादियों ने आप पर लाठी तलवार से हमला कर दिया, जिसमें सर में आपके तलवार से भारी जख्म हुआ। प्रतिक्रियावादी तो आपको जान से मारने के इरादों से ही आये थे और अपने मकसद में सफलता प्राप्त करने के भुलावे में रह कर इन्हें मरा समझ कर चले गये थे। बेहोशी की हालत में अलवर पहुंचाये जाने पर प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ताओं श्री फूलचन्द गोठड़िया, दयाराम आदि के सदप्रयत्नों से तथा समय पर उचित उपचार व्यवस्था से आप स्वास्थ्य लाभ कर सके। 1948 में आप नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किये गये। श्री बद्री प्रसाद गुप्ता आजादी की लड़ाई से सदा जुड़े रहे तथा राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भाग लेते रहे। आप बानसूर से 5 बार विधायक रहे और राजस्थान सरकार में लम्बे समय तक मंत्री रहे।

महाशय चुन्नीलाल

महाशय चुन्नीलाल का जन्म तिजारा में हुआ। आपकी आयु 83 साल है। आपके पिता का नाम श्री डालचन्द है। आपको राष्ट्रीय आन्दोलन में कूदने की प्रेरणा तिजारा में मिली जब सन् 1943-44 में श्री शोभाराम, मा. भोलानाथ, रामचन्द्र उपाध्याय, नत्थूराम मोदी आदि अनेक नेता प्रजामण्डल की मीटिंग करने तिजारा आये थे। उसके बाद ही आपका सम्पर्क घासीराम गुप्ता से

हुआ। जब ये नेता तिजारा में आये तो महाशय जी को बुलाया गया और कहा कि ये लोग प्रजामण्डल के नेता हैं इनके ठहरने की व्यवस्था करनी है। महाशय जी ने इनको अपने कमरे में ही ठहराया। पुलिस वाले आये और आपके चाचा से पूछा कि ये कौन अजनबी लोग तुम्हारे यहां ठहरे हैं। आपके चाचा ने आपको बुलाया, आपने बेधड़क होकर कहा कि ये कार्यकर्ता हैं हमारे मेहमान हैं मीटिंग कराने आये हैं। तिजारा में मीटिंग हुई जिसमें आस-पास की काफी जनता ने भाग लिया। इस मीटिंग की अध्यक्षता सुमेर चन्द हलवाई ने की। मीटिंग में पुलिस ने अपनी दमनात्मक कार्यवाही की।

महाशय चुन्नीलाल और इनके 3-4 साथियों ने फौज में भर्ती होने का निश्चय किया। 2-3 साथियों के साथ फौज में भर्ती भी हो गये किन्तु फौज में भी अपनी बगावत करने की आदत को नहीं छोड़ा। 2-3 बार सजा भी मिली। एक बार तो बाकायदा बगावत का चार्ज लगा जिसमें समरी कोर्ट मार्शल बैठाया गया। 28 दिनों की सजा मिली और सन् 1946 में फौज से निकाल दिया।

फौज से निकाले जाने के बाद महाशय जी तिजारा आ गये और गैर जिम्मेदार मिनिस्ट्री कुर्सी छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इन्होंने 8-10 आदमियों के जत्थे के साथ सत्याग्रह किया तो मार-पीट करके रामगढ़ मोड़-पर छोड़ दिया। दूसरे दिन महल चौक में सत्याग्रह पर गए जत्थे में शरीक हो गये। वहां बड़ी संख्या में मिलट्री थी जिसने बंदूक तान रखी थी। यहां से आपको गिरफ्तार कर जेल में ठूंस दिया गया।

जेल में आपसे माफी मांगने के लिए दबाव डाला। नहीं मांगी तो घास खुदवाई। जेल में खराब खाना मिलने पर आपने खाना फेंक दिया और फिर भूख हड़ताल शुरू कर दी। वह भूख हड़ताल ठीक खाना मिलने पर ही टूटी। आप भी अन्य सत्याग्रहियों के साथ 2 सितम्बर को जेल से रिहा किये गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामानन्द अग्रवाल का जन्म 3 मई 1919 को ग्राम बलवाड़ी (हरियाणा) में हुआ। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव तथा बावल से एवं हाई स्कूल परीक्षा रेवाड़ी से पास की। इण्टरमीडियेट हिन्दू कॉलेज दिल्ली से कर बी.ए. व एल.एल.बी. लाहौर से प्रथम श्रेणीयों में की। लॉ में तो आपने गोल्ड मैडल प्राप्त किया। आपने पत्रकारिता में जे.डी. योग्यता हासिल की। अपनी शिक्षा पूरी कर आप सन् 1945 में गुड़गांवा में वकालत करने लगे। आप शुरू से ही जहाँ उच्च कोटि के मेधावी छात्र थे, वहीं अच्छे डिबेटर, समाज सेवी एवं छात्र आन्दोलन से जुड़े हुये थे। सन् 1946 के अन्तिम दिनों में आप अलवर में आकर बस गये और राज्य प्रजामण्डल की गतिविधियों से जुड़ गये। अलवर में आप उस समय आये, जब प्रजामण्डल अपने सभी आन्दोलन कर चुका था, और राज्य सरकार द्वारा पिछले आन्दोलनों के समापन पर दिये आश्वासनों की क्रियान्विती के लिये संघर्षरत था। राष्ट्रीय स्तर पर देश की आजादी की बात चल रही थी। आपने अलवर में वकालत करने का मन बनाया पर उसमें आपका मन नहीं लगा। आप पूरी तरह राजनैतिक गतिविधियों में लग गये। इसी दौरान प्रजामण्डल को अपना समाचार

पत्र स्वतंत्र भारत निकालने की अनुमति मिल गई। अतः आपने, अपने दो साथियों श्री नारायण दत्त व श्री शांतिस्वरूप डाटा के साथ सर्वोदय प्रेस के नाम से एक छापाखाना खोला। स्वतंत्र भारत जो मा. भोलानाथ जी के सम्पादन में निकलता था, वहां इस प्रेस से छपने लगा। इस पत्र के साथ, प्रेस से राष्ट्रीय विचारों का साहित्य प्रकाशन का काम शुरू करने के लिए लगाया 8-10 पुस्तकें छापी गई। यद्यपि आप को प्रकाशन और पत्रकारिता में गहरी दिलचस्पी थी, पर अधिक रुझान राजनीति में ही था। प्रेस का काम अपने साथियों पर छोड़कर आप तो अपना अधिकांश समय प्रजामण्डल के प्रचार-प्रसार कार्यों में लगाते रहते थे, गांवों में दौरे करना, जन समस्याओं के निराकरण के लिए लोगों को संगठित करना, प्रजामण्डल के अन्तर्गत ही किसान सभा, मजदूर सभा आदि के निर्माण में लगे रहने में आपको बड़ा सुकून मिलता। इस दौरान आपने बुनकरों तथा गंगा मंदिर मुहल्लों में साक्षरता हेतु रात्रि पाठशालायें लगाई। आपने बुनकरों को कंट्रोल का सूत आदि दिलाकर बुनकरों के लिये पगड़ी बनाने के लिए समितियाँ बनाई ताकि वे यहाँ पूँजीपतियों के शोषण से मुक्ति पा सकें। सन् 1947 के शुरू से ही देश के विभाजन को लेकर साम्प्रदायिक दंगे होने लगे। अलवर तो इसमें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बन रहा था। आपने यहां के प्रगतिशील नेताओं के साथ मिलकर दोनों सम्प्रदायों में एकता के लिए गांवों में जाकर लोगों को झगड़े नहीं करने के लिए प्रेरित किया। श्री रामजीलाल अग्रवाल इस काम में आप के सहयोगी थे। साम्प्रदायिक माहौल न बिगड़े इस के लिए आप दिल्ली के नेताओं को यहां की स्थिति सुधारने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करते रहते थे।

15 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न मनाने के लिए आप सारे बाजारों में दिये बाँट कर लोगों को रोशनी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। देश के बँटवारे के समय पंजाब आदि से आनेवाले पुरुषार्थियों के सम्बन्ध में अत्यधिक व्यस्त रहते थे। आपकी उस समय की सक्रियता एवं संगठन शक्ति के कारण ही आपको मत्स्य निर्माण के बाद मत्स्य स्टेट कांग्रेस के अस्तित्व में आने पर उसका जनरल सैक्रेटरी बनाया। सन् 1952 के चुनावों में कांग्रेस में रहकर 53 में उससे अलग होकर कम्युनिस्ट पार्टी में आ गये। पार्टी में रहते हुये आप तीन बार विधायक चुने गये। आप जिला कम्युनिस्ट पार्टी तथा प्रदेश पार्टी के सचिव लम्बे अर्से तक रहे। 16 मई 1979 को आपका देहावसान हुआ।

श्री फूलचन्द गोठड़िया

श्री फूलचन्द गोठड़िया का जन्म रामगढ़ कस्बे के एक ब्राह्मण परिवार में दिनांक 26 जनवरी 1923 को हुआ। इनके पिता का नाम श्री नानगराम था। गोठड़िया जी बालपन में ही सामन्ती शासन द्वारा किसानों पर बर्बर अत्याचार एवं भेंट बेगार को देख सुनकर तीव्र आक्रोश से भर उठते थे। गोठड़िया जी ने 1939 से ही राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। उन्हें रामगढ़ क्षेत्र में युवकों को संगठित कर स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ने के लिए प्रेरित करने लगे।

वार फण्ड में रुपया न देने के लिए रामगढ़ में जन जागरण हेतु मीटिंग करने के लिए रामगढ़ के तत्कालीन पदाधिकारियों ने अलवर प्रजामण्डल के नेताओं को बुला तो लिया किन्तु सरकार के भय से भयभीत हो कर छिप गए। ऐसे समय में गोठड़िया जी ने अपने सहयोगियों से

रामगढ़ में प्रजामण्डल की सफल मीटिंग करवाने का श्रेय प्राप्त किया। ये रामगढ़ तहसील प्रजामण्डल के अध्यक्ष बना दिए गए।

रामगढ़ में तत्कालीन थानेदार द्वारा लल्लू कुम्हार से 30 रुपये की रिश्वत लिए जाने की जानकारी मिलते ही थानेदार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। थानेदार अलवर भाग आए। ठाकुर रतन सिंह ने इसकी जांच की। दोषी पाए जाने पर थानेदार से रुपये ही वापस नहीं करवाए बल्कि उसका तबादला भी कर दिया गया। इस घटना से गोठड़िया जी का नाम कस्बे में ही नहीं वरन् आसपास के इलाकों में भी हो गया। फिर तो रामगढ़ में इनके सहयोगियों की एक ठोस एवं सक्रिय टीम बन गई, जिसमें प्रमुख रूप से हरलाल मित्तल, रोशन लाल जैन, रमेश जैन, नन्द किशोर शर्मा, नन्द किशोर विजय, प्रकाश, बुद्धलाल मित्तल आदि ने मिलकर घूम-घूम कर रामगढ़, गोविन्दगढ़, मुबारिकपुर, अलावड़ा, नौगांवा आदि में प्रजामण्डल कमेटियां बनाई तथा रामगढ़ के अलावा गोविन्दगढ़ में भी ब्लाक कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया।

1943 में इनकी कार्यक्षमता स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति प्रतिबद्धता को देख कर गोठड़िया जी को अलवर राज्य प्रजामण्डल कार्यकारिणी का सदस्य बना लिया गया। इतना ही नहीं इनकी संगठनात्मक शक्ति को देखकर श्री रामजीलाल अग्रवाल ने इन्हें राज्य में संगठनात्मक कार्य हेतु अलवर में रह कर प्रजामण्डल का कार्य करने का निमंत्रण दिया। उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अलवर आ गए।

दिसम्बर 1945 के अन्तिम सप्ताह में उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के सम्मेलन में अलवर जिले से भेजे गए आठ डेलीगेट्स के दल में गोठड़िया जी भी एक डेलीगेट थे जिसमें आप उम्र के लिहाज से सबसे कम उम्र के थे।

1944 से 1946 तक बहरोड़, मुण्डावर, बानसूर, जाट बहरोड़, गण्डाला, पदमाड़ा आदि अनेक गांवों में भूख प्यास, नींद की परवाह किए बिना शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल, दयाराम आदि के साथ इन्होंने दौरा कर प्रजामण्डल के कार्यालय खुलवाए। जागीरों के गांवों में प्रजामण्डल की आम सभाओं का निश्चय किया गया। इसके लिए गांव खेड़ा मंगल सिंह में 2 फरवरी 1946 को आमसभा करने का निर्णय लिया। 26 जनवारी को ही श्री शोभाराम, रामजीलाल, नानक चंद के साथ गोठड़िया जी रेल द्वारा राजगढ़ केलिए रवाना हो गये। कार्यकर्त्ताओं को आटा, दाल, आलू, बर्तनआदि एक बैलगाड़ी में रखवा कर चल दिये। गाड़ी एक गांव में खड़ी कर कार्यकर्ता दो-दो की टोली में जेबों में भुने चने रख, प्राथमिक चिकित्सा का सामान साथ ले अलग-अलग दिशाओं में गांवों में पर्चे बांटने के लिए चल पड़ते और जिस स्थान पर गाड़ी रुकती वहां शाम को मीटिंग करते। श्री लक्ष्मीनारायण के ट्रक में शामियाना, फर्श, बांस आदि तथा लाला काशीराम, सर्व श्री पृथ्वीनाथ भार्गव वकील, कैलाश रायजादा, माया राम, हरसहाय, दयाराम, महावीर आदि 15-20 साथियों के साथ लेकर खेड़ा मंगल सिंह के लिए प्रस्थान किया। ट्रक के पीछे-पीछे पुलिस की बस चल रही थी। खेड़ा मंगल सिंह के एक पुराने जीर्ण-शीर्ण मंदिर में अन्य साथी टिके थे, ये भी यहीं पर टिक गए। आधी रात के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, उसे खटखटाया। खोल कर देखा तो श्री रामचंद्र हरित तहसीलदार के साथ पुलिस थी। सर्वश्री शोभाराम, काशीराम, भवानी सहाय शर्मा, पं. हरिनारायण, रामजीलाल अग्रवाल को तो पुलिस

पकड़ ले गई। मा. भोलानाथ महुवा से आने वाले थे उनको सन्देश भिजवाया कि वे नहीं आवें।

प्रजामण्डल के ऐलान के मुताबिक 2 फरवरी को मीटिंग होनी थी। जागीरदार का कहना था कि मीटिंग नहीं होने दी जाएगी। आखिर दिन को 1 बजे मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता श्री पृथ्वीनाथ भार्गव वकील ने की। गोठड़िया ने बड़ा जोशीला भाषण दिया। सर्व श्री कैलाश रायजादा, मायाराम, महावीर आदि ने भी भाषण दिये। 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टर कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन की तैयारी का निर्णय लिया गया जिसके लिये 26 अगस्त 1946 का दिन निश्चित किया गया। 24 अगस्त 1946 को अपने सहयागियों के साथ गोठड़िया जी रामगढ़ में 3000 लोगों के जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे जिस पर पुलिस ने भारी लाठी चार्ज किया। गोठड़िया जी के दोनों हाथों में भारी चोट आई तथा उतर गये। श्री रोशन लाल का सर फट गया। तांगे में डालकर इनको अलवर अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया। यहाँ इनका इलाज लगभग 15 दिन तक चला। एक डॉक्टर वांचू थे जो दिन में तो गोठड़िया जी के पलंग की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे लेकिन आधी रात के बाद अपने साथ एक छोटी सी मशीन लाकर इनके हाथों में झटके लगाते थे जिससे इनके हाथ सही हो सके वर्ना तब की सरकार के भरोसे ये अब तक अपंग ही रहते।

आन्दोलन 11 दिन तक जारी रहा। 600 के करीब गिरफ्तारियां हुई। सारे प्रमुख नेता गिरफ्तार हो चुके थे। आन्दोलन जारी रखने कि लिए मा. हरिनारायण, सेठ थानसिंह लीलीवाले तथा चिरंजीलाल बुर्जावाले गोठड़िया जी के पास अस्पताल में परामर्श लेने आते थे। एक दिन तो ऐसा आया कि दूसरे दिन सत्याग्रह पर बैठने के लिए किसी भी जगह से सूचना नहीं आई। आन्दोलन में व्यवधान की आशंका हो गई। गोठड़िया जी के कहने से मा. हरिनारायण चोरौटी गए और दूसरे दिन 13 आदमियों का जत्था सत्याग्रह के लिए आ गया। ऐसा रहा है गोठड़िया जी का प्रभाव। साम्प्रदायिक दंगों के दौरान अलवर राज्य प्रजामण्डल के सर्वश्री रामजीलाल अग्रवाल, मा. हरिनारायण सैनी, मायाराम, दयाराम, मौ. मोहम्मद इब्राहीम आदि साम्प्रदायिक विरोधी दिमाग के लोगों के साथ गोठड़िया जी ने केवल विरोध ही नहीं किया बल्कि दिल्ली तक डेपूटेशन ले जाकर वहां के नेताओं को अलवर जिले से मेवों के भागने की सूचना भी दी।

साम्प्रदायिक दंगों के दौरान नौगाँवां के कुछ लोगों ने तत्कालीन तहसीलदार चन्द्रशेखर को एक जीप इस मकसद से भेंट की। इसके विरोध में गोठड़िया जी ने 11 दिन तक अनशन किया। अन्ततः तहसीलदार को वह जीप वापिस करनी पड़ी। उस जीप को बेचकर प्राप्त धन राशि से नौगाँवां की जनता की राय से कस्बे के बाहर एक स्कूल का निर्माण कराया जो आज भी चल रहा है।

गोठड़िया जी, श्री रामजीलाल अग्रवाल, श्री मायाराम, श्री दयाराम आदि के साथ गोकुल भाई भट्ट के साथ लेकर सरदार पटेल से भी मिले। लोकप्रिय मंत्रीमंडल में प्रजामण्डल को स्थान दिलाने की गर्ज से पटेल ने मध्यस्थता करने के लिए गोकुल भाई भट्ट को नियुक्त किया। इस संबंध में अलवर महाराजा से मिलने वालों में गोकुल भाई भट्ट के साथ रामावतार एडवोकेट के अलावा गोठड़िया जी भी थे किन्तु समझौता नहीं हो सका। गोठड़िया जी 1946 तक रामगढ़ तहसील प्रजामण्डल के अध्यक्ष रहे हैं तथा 1943 से कांग्रेस छोड़ने तक अलवर प्रजामण्डल

कार्यकारिणी के सदस्य रहे। गोठड़िया जी बचपन से ही साम्प्रदायिकता विरोधी, सामंत विरोधी, विदेशी शासन विरोधी होने के साथ-साथ शोषण और अत्याचार विरोधी भी हैं।

कलावती शर्मा

कलावती शर्मा का जन्म जनवरी 1923 में राजगढ़ कस्बे में हुआ। इनके पिता का नाम श्री मोहन लाल टींगड़ा था जो अलवर में कोतवाल के पद पर रहे थे। श्री टींगड़ा चोरों को पकड़ने में अपनी विशेष शैली के कारण मशहूर रहे थे। इनके पूर्वज महाराजा मंगलसिंह के दीवान थे।

सामन्ती शासन में पर्दा प्रथा अत्यन्त कठोर थी। फिर इनका तो दीवानी परिवार होने के कारण वह प्रथा और भी सख्त थी। इन नियमों का पालन न करने वाली महिलाओं को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। पुरुषों के साथ सभा जुलूसों में जाना तो दूर की बात थी।

कलावती देवी शर्मा को राष्ट्रीय भावना के गानों को गाने में बड़ी रुचि थी। 'खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी' वाले गीत को गाते समय सोचा करती थी कि क्या महिलाओं ने राज्य किया है? क्या महिलाएँ राज्य करेंगी। अक्सर उन दिनों पुराने कटले में प्रजामंडल की आम सभायें होती थी जिनमें ये बालकपन में ऐसे राष्ट्रीय गीता गाया करती थी। रिश्तेदारों को यह बात पसंद नहीं थी। पिताजी को भी कर्त्तव्य भावना को प्राथमिकता देने की भावना के साथ-साथ सामंती शासनके कोप भाजन बनने का डर था। विद्यार्थी जीवन से ही इनका राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेने के कारण और पिताजी के निष्ठावान रियासती अफसर होने के कारण इन्हें पारिवारिक लाड़प्यार एवं सुख सुविधा से वंचित होना पड़ गया था किन्तु ये विचलित नहीं हुई। कलावती देवी शर्मा ने छात्र-छात्राओं के साथ खुलकर प्रजामंडल के कार्यक्रमों में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया।

सन 1939 में इन्हें कन्या मिडिल स्कूल में अध्यापिका बना कर रामगढ़ भेज दिया गया। रामगढ़ तो वैसे ही प्रजामंडल का गढ़ था। वहां पर भी गतिविधियों में भाग लेने के कारण उन्हें सन् 1940 में नौकरी से निकाल दिया गया।

सन् 1940 में यद्यपि श्री मोहन लाल टींगड़ा कलावती देवी शर्मा के पिताजी, सेवा निवृत्त हो चुके थे फिर भी तत्कालीन महाराजा द्वारा उन पर दबाव डाला गया कि वे अपनी पुत्री को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोके अन्यथा उनकी पेंशन बंद कर दी जायेगी। पिता पर पड़े दबाव को भी नकारने और प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेना जारी रखने के कारण इन्हें घर से बिल्कुल ही निर्वासित कर दिया गया।

घर से निकाले जाने पर श्रीमती जयदेवी ने 'बिड़लाट्रस्ट' की ओर से पिलानी में अध्ययन करने के लिए भेज दिया। पिलानी में ये 'हीरो' लड़की के नाम से विख्यात रही।सांस्कृतिक गतिविधियों के अतिरिक्त वाद-विवाद तथा घुड़ सवारी आदि में भाग लेती थी।

पिलानी में रहते हुए श्रीमती जानकी देवी बजाज ने कलावती देवी शर्मा को 'कस्तूरबा' प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत बोरोवली (बम्बई) भेज दिया। बोरोवली में ग्राम उद्धार, महिला जागरण, प्रौढ़ शिक्षा, बालिकाओं को शिक्षा तथा ग्राम सफाई, आदि का प्रशिक्षण लिया। 1942

में वे पुनः अलवर आ गई। इनके अलवर आने का पता इनके पिता जी को भी नहीं चलता था क्योंकि ये अपनी महिला मित्रों श्रीमती गुप्ता, जगरानी आदि के घरों पर रहा करती थी। अलवर आकर मुण्डावर, रसगण और खैरथल आदि में 1942 में भूमिगत रह कर 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में सक्रिय रह कर भाग लिया जिसमें पर्चे बांटना, पोस्टर लगाना तथा क्रान्तिकारियों तक गुप्त-संदेश पहुंचाना आदि का कार्य था।

सन् 1945 से 1946 तक कस्बे और गांवों मे प्रजामंडल की गति विधियों का प्रचार प्रसार कार्य कलावती देवी शर्मा ने किया। महिलाओं में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, महिलाओं को शिक्षा के प्रति रुचि लेना आदि कार्य किये। सन् 1946 में 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आन्दोलन' में महिलाओं के सत्याग्रही जत्थे लाने में पूरा सहयोग दिया।

महिलाओं में इनकी प्रमुख सहयोगी श्रीमती शान्ती गुप्ता, जगरानी, कैलाशवती उपाध्याय, राम प्यारी, ओमकार, रमादेवी पांडे, शान्ती गोठडिया, प्रेम प्यारी माथुर, श्रीमती रुकमणी देवी, कमलेश शर्मा, उमामाथुर, कमला डाटा, कमला जैन और विमला शर्मा आदि थी। सत्याग्रही महिलाओं को पकड़ने के लिये न तो उन दिनों सरकार के पास महिला पुलिस थी और न ही महिला सत्याग्रहियों को जेल में रखने की कोई व्यवस्था थी। इसलिये सरकार इन्हें ट्रकों में भर कर दूर दराज जंगलों में छोड़ आती थी जहां से प्रजामंडल के ट्रक पीछे-पीछे जाते हुए इन्हें वापिस ले आते थे और ये पुनः सत्याग्रह में शरीक हो जाती थी। कलावती देवी शर्मा पर धारा 144 तोड़ने पर लाठी चार्ज भी हुआ था।

भारत विभाजन के समय कलावती देवी शर्मा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेवादल का गठन किया गया जिसके द्वारा आये हुए शरणार्थियों को सरकार द्वारा आयोजित शरणार्थी शिविरों में पहुंचाने का कार्य किया। 1948 में कलावती देवी शर्मा को सेवादल की नायक नियुक्त कर जयपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भेजा गया। कलावती देवी शर्मा ने महिलाओं में चेतना जागृत करने के उद्देश्य से 1946 में महिला मंडल की स्थापना की। इतना ही नहीं अलवर, थानागाजी, बानसूर और लक्ष्मणगढ़ में समाज कल्याण खण्ड खुलवाये।

श्रीमती शान्ति गुप्ता

श्रीमती शान्ति गुप्ता का जन्म 25 अगस्त 1928 को बहरोड़ तहसील के ग्राम घीलोट में हुआ। आपके पिता लाला काशीराम अलवर के प्रतिष्ठित एवं प्रमुख कांग्रेसी थे। आपके दादा सेठ रामदयाल जी दानवीर कहलाते थे व दीन, हीन, गरीबों के प्रति बड़े उदार थे। अच्छा खाता परिवार था। नौकर-चाकर, रथ, बहल, बैलगाड़ी, ऊंट, घोड़ा, सभी साधन उपलब्ध थे। आपने हिन्दी प्रभाकर परीक्षा पास की है।

बचपन में आप, बाबा जय जय राम जो रहने वाले तो बहरोड़ के थे, किन्तु कुण्ड में रहा करते थे के सम्पर्क में आईं। बाबा जय जय राम उनके पास आने वालों को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया करते थे तथा उनके मन में स्वतंत्रता के लिए लड़ने की भावना पैदा किया करते थे।

सन् 1942 में गांव और घरों में चरखे के गीतों को सुनकर आपके मन में उमंग पैदा होती थी। मन में कुछ करने की इच्छा जागृत होती। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में छुट-पुट काम

भी किया। श्रीमती शान्ति गुप्ता के मन में खादी पहनने की इच्छा जागृत हुई। आपने अपनी मां से अपनी इच्छा व्यक्त की। आपकी मां ने आपके पिता लाला काशीराम से जिक्र किया। लाला काशीराम स्वंय प्रजामंडल के सक्रिय कार्यकर्ता थे। लाला जी ने कहा कि यह न करना कि खद्दर पहनना शुरू करो और कुछ समय बाद छोड़ दो। श्रीमती शान्ति गुप्ता नें प्रण किया कि वे खद्दर पहनना किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगी। आज भी ये खादी के ही वस्त्र धारण करती हैं।

सन् 1943 में आपने राष्ट्रीय आन्दोलन के सक्रिय कार्यकर्ता तथा प्रगतिशील विचारों के धनी श्री नारायण दत्त गुप्ता जिनका भी परिवार सम्पन्न परिवार रहा, से बेपर्दा शादी की है। इस बेपर्दा की शादी ने घर ही नहीं समाज और शहर में हलचल मचा दी। सामन्ती शासन में स्त्री महिला को बेपर्दा रहना हेय दृष्टि से देखा जाता था किन्तु आपने अपने मृदुस्वभाव से सतत् प्रयास कर परिवार की अन्य महिलाओं का भी पर्दा धीरे-धीरे छुड़वा दिया।

घर बाहर तथा प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं की पत्नियों से सम्पर्क साधकर आपने समाज एवं देश सेवा की प्रेरणा ली। किसी बात की अड़चन आने पर ये अपने पिता लाला काशीराम से सहयोग लिया करती थी।

महिलाओं में जागृति लाने तथा उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सबसे पहले श्रीमती शान्ति गुप्ता ने महावर महिलाओं की एक संस्था 'महावर महिला मण्डल' की स्थापना की, किन्तु यह संस्था अधिक दिनों तक चल नहीं पाई। सन् 1944 में श्रीमती जगवती के सहयोग से 'महिला जागृति संघ' नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था में हर सप्ताह हरिकीर्तन के लिए महिलाओं को बुलाया जाता। थोड़ी देर हरिकीर्तन के बाद उन्हें देश की स्वतंत्रता के बारे में बताया जाता। राष्ट्रीय भावना का पाठ पढ़ाया जाता तथा अंग्रेजों व सामन्ती शासन की बुराइयों को बतलाया जाता। देशी राज्य लोक परिषदों के प्रजामण्डल में परिवर्तन के पश्चात यह संस्था उदयपुर महिला मण्डल की शाखा में परिवर्तित हो गई। फिर तो पढ़ी लिखी महिलाओं का सहयोग भी मिलने लगा जिनमें शोभा भार्गव, सत्या अग्रवाल, उमा माथुर, कमला जैन, कलावती शर्मा, शान्ती गोठड़िया तथा प्रजामण्डल के ज्यादातर कार्यकर्ताओं की पत्नियां थी, वे भी सदस्य बन गई। सन् 1945 में देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन मे अलवर से जो आठ महिलाओं का दल उदयपुर गया था उसमें श्रीमती शान्ति गुप्ता भी एक थी। महिलाओं की साक्षरता के लिए अपने पिता श्री काशीराम गुप्ता के मकान में एक कमरे में स्कूल खोला गया जिसे चलाने में एस.एम.डी. स्कूल की अध्यापिकाओं एवं छात्राओं का सहयोग मिला। श्री बद्री प्रसाद गुप्ता के मकान में भी निःशुल्क स्कूल चलाया गया जिसमें महिलाओं को सिलाई सिखाई जाती थीं। हरिजनों की बस्ती में 'हरिजन सेवक संघ' द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल में श्रीमती शान्ति गुप्ता स्वंय रात्रि में मिट्टी के तेल की लालटेन की रोशनी में हरिजन महिलाओं को पढ़ाती थी।

श्रीमती शान्ति गुप्ता ने प्रजामण्डल द्वारा चलाये गये सभी आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। सन् 1946 में इनके पिता, पति तथा जेठ सभी जेल चले गये तो उन्होंने पीछे रहकर श्री देश पाण्डे तथा श्रीमती रमा पाण्डे के निर्देशन में कार्य किया। अलवर रियासत के महाराजा के पास महिला पुलिस न होने के कारण महिलाओं को गिरफ्तार तो नहीं किया जाता मगर ट्रकों

में भरकर दूर-दराज जंगलों में छोड़ दिया जाता था। श्रीमती शान्ति गुप्ता ने इन सभी आन्दोलना में भाग लिया। भारत छोड़ो आन्दोलन के समय पेहल, मुण्डावर, खैरथल, रसगण आदि गांवों में कस्तूरबा ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित ग्राम सुधार, नारी उत्थान आदि का कार्य किया। सन् 1946 में श्रीमती कमला श्रोत्रिय के प्रयासों से अलवर में महिला मण्डल की स्थापना में भी आपका सहयोग रहा।

स्वर्गीय महाराजा जयसिंह की एक मात्र पुत्री इनके कार्य से बड़ी प्रभावित थी। उन्होंने छोटी मांजी महाराज के द्वारा मिलने की इच्छा का एक संदेश भिजवाया। श्रीमती शान्ति गुप्ता कोठी जनवासा गई थी, लेकिन वहां के तौर-तरीकों में 10 मिनट की मुलाकात के लिए तीन घण्टे खराब होते थे। महिला संगठन के सिलसिले में उनसे मिलना प्रारम्भ भी किया किन्तु जब पता चला कि राजघराने की रिवाजों की पाबन्दी में ये पर्दे से बाहर आने में मजबूर हैं तो फिर मिलना छोड़ दिया।

श्रीमती शान्ति गुप्ता शारीरिक अस्वस्थता के कारण चलने फिरने में असमर्थ हैं फिर भी आज भी जो सहयोग सामाजिक कार्यों में, राष्ट्रीय कार्यों में दे सकती हैं देती हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन

श्री महावीर प्रसाद जैन का जन्म अलवर राज्य की उप तहसील गोविन्दगढ़ में 10 जुलाई 1922 को हुआ। गांव में रह कर कक्षा 6 तक पढ़े किन्तु मेव आन्दोलन होने के कारण सन् 1933 में अलवर आना पड़ा तथा यहीं से दसवीं तक पढ़े। श्री जैन को 16 वर्ष की आयु से ही क्रांतिकारी साहित्य पढ़ने में रुचि हुई तथा क्रांतिकारी साहित्य पढ़ने वालों का एक सर्किल बना लिया। इस संगठन को पहले 'अजर दल' नाम दिया, एक साल बाद 'नवहिन्द पार्टी' नाम रखा और 1941 में 'रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ इण्डिया' नाम रखा गया, जिसके तकरीबन 50 सदस्य बन गये थे। इस संगठन का मुख्य कार्य था आगरा व दिल्ली से बिना प्रेस लाईन के पर्चे छपवाना, शहर में चिपकाना तथा महाराजा व अधिकारियों को भेजना जिससे राज्य व जागीरदारों द्वारा लगान, बेगार आदि के लिए किये जाने वाले अत्याचारों का पर्दा फाश करना मुख्य उद्देश्य था। दूसरे मामले में यह संगठन राज्य व जागीरदारों के विरुद्ध एक दल था। इस दल के लोगों को प्रोफेसर जंगबहादुर ने अलवर आकर बम, बारूद व गन कौटन आदि बनाना सिखाया था। बाहर से छपे पर्चे मंगाने में पकड़े जाने की आशंका से दल अब स्वयं ही अपने सदस्यों द्वारा टाईप व साईक्लोस्टाइल कर पर्चे छापने का कार्य करने लगा।

यह संगठन चेन टाईप था। सारे सदस्य एक दूसरे को नहीं जानते थे। श्री महावीर प्रसाद जैन और इनके दो साथी ही सारे सदस्यों को जानते थे। कार्य बढ़ गया था और पैसों की कमी आ गई थी। संगठन का कार्य बन्द न हो जाये इस उद्देश्य से श्री महावीर प्रसाद जैन अपने घर से 5 तोला सोने की जंजीर बिना घरवालों को बताये ले आये ओर अपने साथी हीरालाल व किशनलाल के द्वारा अलवर के क्रांतिकारी विचारधारा के अग्रणी नेता श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी के पास एक रिवाल्वर खरीद कर लाने के लिए भिजवाई। क्रांतिकारी पुस्तकों के माध्यम से जिन व्यक्तियों के सम्पर्क में आये उनसे चन्दा भी लिया जिनमें लाला काशीराम गुप्ता जो अलवर राज्य प्रजामंडल के सदस्य थे काफी आर्थिक सहयोग देते थे। अन्य सहयोगियों में हैडमास्टर श्री रमेशचन्द पन्त तथा मास्टर नन्दकिशोर जी व विशम्भर दयाल जी प्रमुख थे।

1942 में नेताजी सुभाष चन्द बोस का विदेश से ब्रोडकास्ट था कि भारत का पैसा किसी भी कीमत पर वार फण्ड में न जाये इस आदेश की पालना में वार फण्ड के लिए फण्ड एकत्रित करने के लिए खेले गये अमर सिंह राठौड़ नाटक के पर्दों को तथा कम्पनी बाग में लगाई गई प्रदर्शनी वगैराह की दरियों आदि को जला दिया ताकि कोई मुनाफा न हो सके। 17-18 अक्टूबर 1942 की रात्रि को एक ग्रुप बैठक में रेल के तार काटने व पोस्ट ऑफिस में आग लगाने का निर्णय लिया गया जिसके तहत 20 अक्टूबर की रात को विजय मंदिर रोड़ की रेलवे लाईन के तार काटे गये और 6-7 नवम्बर 42 की रात को पोस्ट ऑफिस व लैटर बॉक्सों में आग लगा दी गई। ये सारे कार्य वैसे तो काफी गोपनीय तरीके से किये गए किन्तु एक साथी की असावधानी के कारण पुलिस को उसके भाई से सम्बन्धित कागज का सुराग मिल गया इस कारण श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री चिरंजी लाल वर्मा तथा हीरालाल भारतीय गिरफ्तार कर लिए गये। ये गिरफ्तारियां 10 व 11 नवम्बर 1942 को की गई।

तीन रोज तक इन्हें खड़ा रखा गया, सोने नहीं दिया गया ताकि ये लोग अपने अन्य साथियों तथा संगठन के बारे में बतला दें। जब पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्हें हथकड़ी लगा कर घसीटते हुए ट्रक तक ले गए और झंझा-झोली कर ट्रक में फेंक दिया। तीनों पर धारा 120 बी, 435,447, 379 आई.पी.सी. का चार्ज लगा कर 2 साल 9 माह की सख्त कैद की सजा सुना दी गई। जेल में भी जेल मैन्युअल दिखाने पर तीनों ने तीन रोज की भूख हड़ताल की जिस पर 10-10 बेंतों की सजा दी गई और कालकोठरी में 15 दिन रखा। बाद में फांसी जंगलों में अलग-अलग रखा। मास्टर भोलानाथ ने प्राइम मिनिस्टर से विद्यार्थी जीवन को बर्बाद न करने की अपील की तो महाराजा की सालगिरह पर 5 माह बाद इनको छोड़ा गया।

जेल से छूटने के बाद श्री महावीर प्रसाद जैन ने अहिंसात्मक आंदोलन करने का मानस बनाया और प्रजामंडल में विद्यार्थी मंच पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। श्री जैन 1944 में विद्यार्थी कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिये गये। पूरे राज्य के सभी हाई व मिडिल स्कूलों में विद्यार्थी कांग्रेस की शाखाएं खोली गई साथ ही विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना के लिए जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बीकानेर आदि स्थानों पर पत्र व्यवहार कर श्री जैन ने सम्पर्क बढ़ाया।

1945 में पी. ई. एन कांफ्रेंस जयपुर में हुई जिसकी अध्यक्षता श्री सरोजनी नायडू ने की थी, श्री महावीर प्रसाद जैन उसमें सम्मिलित हुए थे। उनसे राज्य की विद्यार्थी कांग्रेस के उद्घाटन के लिए निवेदन किया किन्तु समयाभाव के कारण उन्होंने असमर्थता जताई। 1945 में ए. जे. एस. प्यूपिल्स की कांफ्रेंस में पं. जवाहर लाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी उनसे श्री जैन ने निवेदन किया तो उनके आदेश पर शेख अब्दुल्ला ने विद्यार्थी कांग्रेस का उद्घाटन किया। चुनाव में कु. सुशीला (श्री हीरालाल शास्त्री की साली) अध्यक्ष चुनी गई तथा श्री महावीर प्रसाद जैन को उपाध्यक्ष चुना गया। राजस्थान विद्यार्थी कांग्रेस का एक संगठन खड़ा हो गया।

प्रजामंडल के तत्वाधान में खेड़ा मंगल सिंह मे 2 अगस्त 1946 को होने वाले किसान सम्मेलन में 1.2.1946 को जब सारे प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गये तो मास्टर भोलानाथ जिन्हें 2

फरवरी को आना था उन्हें महुआ रोड मुण्डावर स्टेशन पर ही रोकने के लिए श्री महावीर प्रसाद जैन श्री हरसहाय गुप्ता के साथ गए और वहीं रोक कर दौसा चले गये।

राजा महेन्द्र प्रताप जिन्हें देश निकाला दिया गया था 25 वर्ष बाद महात्मा गांधी के प्रयत्नों से भारत वापिस आये थे, उनको आमंत्रित कर लाने की जिम्मेदारी श्री महावीर प्रसाद जैन पर टाली गई जिसमें वे सफल हो गये और विद्यार्थी कांग्रेस के तत्वाधान में 24 अगस्त 1946 को धारा 144 तोड़ते हुए छात्रों का करीब 1 मील लम्बा जुलूस निकाला गया जिसमें कई हजार की संख्या में विद्यार्थी व जनता थी। स्कूल व बाजार की पूरी हड़ताल रही। चारों बाजार और मुख्य स्थानों पर फौज थी। कैलाश बुर्ज तो मानों फौज की छावनी ही बन गया। जुलूस नंगली के चौराहे से मुख्य बाजारों से होता हुआ सुभाष चौक में पहुंच कर सभा में बदल गया। सभा रात 12 बजे तक चली जिसकी अध्यक्षता श्री महावीर प्रसाद जैन ने की। रात्रि 2 बजे जब वे अपने साथियों के साथ घर जा रहे थे तो होपसर्कस से पहले ही 10-15 पुलिस के सिपाही, कोतवाल व मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार कर उसी रोज जेल के पागल खाने वाले वार्ड में बन्द कर दिया।

26 अगस्त 1946 को गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो आन्दोलन में करीब 400 नेता-कार्यकर्त्ता बन्द किये गये थे उनके साथ उन्हें भी 2 सितम्बर 1946 को छोड़ दिया गया।

श्रीमती रामेश्वरी देवी

श्रीमती रामेश्वरी देवी का जन्म अलवर जिले के प्रतापगढ़ गांव में हुआ था। आपके पिता खेती बाड़ी और बौरगत का काम किया करते थे। आपके पिता का नाम श्री बलदेव चौधरी था। आपका विवाह 16 वर्ष की आयु में श्री रामजी लाल अग्रवाल के साथ हुआ जो नीमूचाणा के रहने वाले थे। आपके पति अपने विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गये थे। जब कभी वे गांव में आते थे तो अपने साथ झण्डे आदि ले आते। उन्हें देख परिवार वाले कहते थे कि यह हमको भी फंसवायेगा। मगर इनके पति को ये बातें विचलित नहीं करती थी। श्री फूलचन्द गोठड़िया का परिवार भी इनके साथ ही रहता था एक मकान में ही। मायाराम उनका भाई चन्द्रमणि आदि भी वहीं रहते थे। अपने पति के साथ रहते हुए उनके विचारों से आप भी प्रभावित हुई और सन् 1940 से ही अपने पति के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। अलवर आकर आप श्रीमती जगरानी, प्रेम प्यारी माथुर, रामप्यारी, रुकमणी देवी, रमाबाई देश पाण्डे, कैलाशवती उपाध्याय, शान्ती देवी गोठड़िया, गोमती देवी, शोभा भार्गव, विद्यावती, कमलेश शर्मा, शान्तीगुप्ता, उमा माथुर, कलावती देवी शर्मा, कमला डाग, कमला जैन, विमला शर्मा आदि के सम्पर्क में आने पर अपने मकान में अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाने के लिए साक्षरता केन्द्र संचालन किया और खादी अपनाने के लिए कताई कक्षाएं भी चलाई। सन् 1943 में श्रीमती रामेश्वरी देवी ने खैरथल एवं तिजारा में कांग्रेसी महिलाओं का सम्मेलन और खादी प्रदर्शनी में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा महिलाओं को खादी पहनने के लिए प्रेरित किया। आप उदयपुर में आयोजित राज्यों के प्रजामंडल सम्मेलन में अलवर से गये महिलाओं के प्रतिनिधि मंडल में भी गई। सन् 1946 में प्रजामंडल द्वारा चलाये गये गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आन्दोलन में अन्य महिलाओं के साथ खुल कर भाग लिया। पुलिस ने आपको तीन बार पकड़ कर दूर जंगलों में छोड़ा क्योंकि शासन के पास महिलाओं के रखने के लिए जेल में व्यवस्था नहीं थी।

श्री नारायण दत्त गुप्ता

श्री नारायण दत्त गुप्ता का जन्म 15 मई 1924 को हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री राम कुमार जी गुप्ता था। आपने इन्टरमीडियट तक शिक्षा प्राप्त की है तथा हिन्दी में भूषण एवं विशारद की परीक्षाएं भी पास की। श्री नारायण दत्त गुप्ता 1936 से 1941 तक मोगा में रहे हैं। जब ये यू. पी. में थे तो इन्होंने देखा कि यहाँ का 90% छात्र स्वतंत्रता के कार्य में जुटा हुआ है। सन् 1936 से ही आपने खादी पहनना शुरू कर दिया। आप सन् 1941-42 से ही राजनीति में सक्रिय होकर कार्य करने लग गए। सन् 1943 में अलवर के प्रमुख एवं प्रतिष्ठित नेता लाला कालीचरन की सुपुत्री शान्ती गुप्ता से श्री नारायण दत्त गुप्ता ने आदर्श विवाह किया। अलवर के इतिहास में यह पहला विवाह हुआ था जो बिना किसी पर्दा तथा बिना किसी दहेज के हुआ। पर्दा प्रथा उन्मूलन का यह प्रथम और क्रांतिकारी सूत्रपात था। इस विवाह की जहां इनके रिश्तेदारों और महावर समाज में आलोचना हुई वहीं शहर में चर्चा का विषय बन गया। ये लोग जब शहर में निकलते थे तो लोग इनकी ओर उंगली उठाते थे क्योंकि सामन्ती शासन में महिलाओं का बिना पर्दा रहना निन्दनीय माना जाता था। श्री नारायण दत्त गुप्ता महात्मा गांधी से प्रभावित थे। उनके हरिजन उद्धार कार्यक्रम से प्रभावित हुए। और अलवर में कुछ अनोखा कार्य करने का मन में विचार किया। उन दिनों सामन्ती शासन में हरिजनों की बड़ी बुरी दशा थी उनका जीवन पशुओं से भी बदतर था। उन्हें पानी भरने के लिए कुओं पर नहीं चढ़ने दिया जाता था, मन्दिरों में प्रवेश वर्जित था, प्यास लगने पर प्याऊ में भी अलग लोहे अथवा लकड़ी की नाली में पानी डाल कर पिलाया जाता था। सड़क पर चलते समय पगड़ी में पांख लगाकर 'बचो जिजमानो' कहते हुए निकलना पड़ता था। सवर्ण जाति के स्पर्श तो दूर इनकी परछाई से भी बचकर निकला करते थे हरिजनों की जहां बस्ती है वहां पर सारे शहर की गंदगी का पहाड़ लगा रहता था। उस दुर्गन्धपूर्ण वातावरण में रहते हुए नारकीय जीवन को भोगने के लिए वे मजबूर थे।

अतः आपने 'हरिजन सेवक संघ' नामक एक संस्था का गठन किया। उस संस्था के माध्यम से उनके लिए पाठशाला चलाई गई जिसमें रात के समय उनको पढ़ाने का कार्य किया जाता। इस कार्य में इनके प्रमुख सहयोगी मा. हरिनारायण सैनी तथा इनकी धर्मपत्नी श्रीमती शान्ती गुप्ता थे। श्री नारायण दत्त गुप्ता तथा मा. हरिनारायण सैनी पुरुषों को तथा श्रीमती शांति गुप्ता महिलाओं को पढ़ाने के लिए हाथ में मिट्टी के तेल की लालटेन लेकर जाया करते थे। बस्ती का वातावरण सुधारने के लिए सफाई अभियान चलाया गया और बस्ती के कूड़े को हटाया गया साथ ही उनमें स्वाभिमान की भावना के साथ-साथ राजनैतिक चेतना भी जागृत करने का कार्य किया गया। इनके निरन्तर अथक प्रयास का परिणाम यह निकला कि जहां हरिजन वर्ग में स्वाभिमान की भावना जागृत होकर वे स्तरीय जीवन यापन का स्वप्न संजोने लगे वहीं सवर्ण वर्ग ने भी अपनी कट्टर रूढ़िवादिता को छोड़कर इनके साथ सम्पर्क साधना प्रारम्भ कर दिया और एक दिन ऐसा आया जब हरिजन और सवर्णों ने एक पंगत में बैठ कर खाना खाया। सन् 1946 में दीपावली के दूसरे दिन शहर के हृदय स्थल सुगनाबाई की धर्मशाला के पास स्थित राम-लक्ष्मण मंदिर में एक विशेष प्रकार के 'अन्नकूट' का निर्णय लिया गया। अन्नकूट का यह आयोजन एक मिसाल बन कर रह गया। श्री नारायण दत्त गुप्ता और उनके साथियों का यह एक

क्रांतिकारी कदम था। अलवर के जन-जीवन में यह एक चर्चा का विषय बन गया। इस अन्नकूट के आयोजन में हरिजनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उनकी बस्ती में नहाने एवं कपड़े धोने के साबुन की व्यवस्था की गई। हरिजनों को साफ-सुथरे कपड़े पहन कर आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अन्नकूट में हरिजन समाज के करीब 20 लोग आये थे जिनमें सर्व श्री कन्हैयालाल, बुद्धालाल साहजी, किशन लाल महन्त आदि प्रमुख व्यक्ति थे तथा सवर्णों एवं नेताओं में सर्वश्री शोभाराम, मा. भोलानाथ, फूलचन्द गोठड़िया, नत्थूराम मोदी, रामजीलाल अग्रवाल, मोदी प्रभुदयाल, प्रभुदयाल गुप्ता, रामजी लाल जैन हलवाई, नारायण दत्त गुप्ता, श्रीमती शान्ति गुप्ता मा. हरिनारायण सैनी, दयाराम आदि के साथ 50 लोगों ने हरिजनों के साथ एक पंगत में बैठकर हरिजनों के हाथों से परोसा गया चावल, कढ़ी, बाजरा आदि खाया। चावल वगैरहा कच्चा भोजन माना जाता है जिसे उच्च जाति के लोग निम्न जाति के हाथों से परोसा हुआ खाने में एतराज करते थे। इस अन्नकूट सहभोज से जहां हरिजनों से परोसा हुआ खाने में आत्म-सम्मान की भावना बढ़ी, वहीं उच्च वर्ग के लोगों में भी छुआछूत के प्रति उदासीनता के भाव उत्पन्न हुए। हरिजनोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत श्री नारायण दत्त गुप्ता के साथ घटी एक रोचक घटना है। उन दिनों श्री गोकुल चन्द जाटव शिक्षित होने के उपरान्त भी पुश्तैनी धंधा ही किया करते थे। श्री गुप्ता ने उन्हें कार्यालय मंत्री बना कर हरिजन सेवक संघ में रख लिया। ग्राम पदमाड़ा की एक शिकायत पर कि वहां हरिजनों को कुए पर नहीं चढ़ने दिया जाता है गुप्ता जी गोकुल जाटव के साथ वहां गए। वहां गुप्ताजी के रिश्ते में एक फूफा रहते थे। उन्होंने गुप्ता जी से खाने को कहा तो दूसरे दिन सुबह खाना स्वीकार किया। गोकल चंद जाटव के रिश्तेदार थे वहां उनके निमंत्रण पर उनसे शाम की हां भर ली किंतु दूसरे दिन 12 बजे तक भी कोई बुलाने नहीं आया तो जानकारी करवाई। गुप्ता जी के उस फूफा ने कहा बताया, होयगो सुरो असनाई, चिमारन के साथ रहे उनके घर को खा ले, ऐसा कूं बुलार अपणों धर्म भ्रिष्ट नाय करणो। गांव वालों को समझाने पर वे हरिजनों को कुए से पानी भरने देने को राजी हो गए। श्री नारायण दत्त गुप्ता ने हरिजन उद्धार कार्य के साथ-साथ प्रजामण्डल द्वारा अपनाए गए विभिन्न आंदोलनों, सत्याग्रहों आदि में भी भाग लिया था। 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में श्री प्रहलाद राय धातरिया के साथ सन् 1946 में वे भी गिरफ्तार हुए थे।

श्रीमति शान्ति गोठड़िया

श्रीमती शांति गोठड़िया का जन्म फिरोजपुर झिरका के स्वामी परिवार में 2 मई 1922 को हुआ। आपका विवाह पंडित नानगराम शर्मा के पुत्र श्री फूलचन्द गोठड़िया के साथ 1940 में हुआ। श्रीमती शांति गोठड़िया के पति प्रगतिशील विचारों के अतिरिक्त अलवर राज्य प्रजामंडल के सदस्य थे तथा 1943 से तो वे सक्रिय राजनीति से जुड़ गये थे। आप भी उनकी संगति में आकर महिलाओं के जागरूक करने तथा पर्दा प्रथा आदि का बहिष्कार करने का मानस बनाने लगी और अन्ततः सन् 1943 में रामगढ़ में ही प्रजामण्डल की एक सभा में मंच पर खड़े होकर पर्दा त्याग ने की घोषणा कर दी। श्रीमती शांति गोठड़िया की इस साहसिक घोषणा से सभा में आये सभी ग्रामवासी आश्चर्य चकित हो गए। सभा स्थल से घर तक आने के रास्ते में दोनों ओर खड़ी महिलाएं इन्हें आश्चर्य मुद्रा से देखने, इशारा करने तथा छींटाकशी करने लगी। परिवार में और रिश्तेदारी में घोर विरोध का सामना करना पड़ा तथा रामगढ़ वासियों ने भी एक प्रकार से

सम्पर्क तक परिवार का भार लिया किन्तु श्रीमती शांति गोठड़िया जरा भी विचलित नहीं हुई व अपने निश्चय पर अडिग रहीं।

समय की पाबंदी ही नहीं थे, पति के प्रजामंडल में ही अत्यधिक रुचि लेने के कारण एक ओर ही गया, उधर से मंत्रणाओं का विरोध, फिर पति का भी प्रजामंडल के साथ ही अलवर में कार्य क्षेत्र बनाने और वहीं अधिक समय व्यतीत करने के कारण श्रीमती शांति गोठड़िया भी अलवर आ गई और दोनों का पुआ पर पति के साथ रहने लगी।

आप प्रगतिशील विचारों की तो पहले से ही थी, अलवर में आकर वे श्रीमती चतुर्वेदी, प्रेमवती माथुर, रामप्यारी, रुक्मणी देवी, रमाबाई देशपांडे, चैनावती उपाध्याय, गौरी देवी, रामेश्वरी, शोभा भार्गव, विद्यावती, कमलेश शर्मा, शांति गुप्ता, उमा माथुर, कलावती देवी रंगा, कमला टाक, कमला जैन, विमला शर्मा आदि जागरूक एवं राजनैतिक विचारधारा की महिलाओं के सम्पर्क में आकर महिला जागरण एवं राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लगीं। आप भी सामन्ती शासन के अत्याचार और विदेशी सत्ता के विरोध में मुखर हो उठीं तथा महिला सत्याग्रहियों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगीं।

सन् 1946 के सत्याग्रह आंदोलन में आपने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए न तो शासन के पास महिला पुलिस थी और न ही जेल में राजनैतिक महिला कैदियों को रखने के लिए व्यवस्था थी, अतः अलवर राज्य की पुलिस महिला सत्याग्रहियों को ट्रक में भर कर दूर दराज के गांवों में छोड़ आती जहां से वापिस लाने की व्यवस्था प्रजामंडल के स्वयंसेवक व कार्यकर्ता किया करते।

श्रीमती शांति गोठड़िया बड़ी साहसिक महिला रही है। एक ओर तो आर्थिक तंगी, दूसरी ओर पति का सारा समय प्रजामंडल के कार्यों में व्यतीत होना, समय पर घर नहीं आना और कभी-कभी प्रजामंडल के संगठन के कार्यों में दो-दो तीन-तीन दिन घर नहीं आने, फिर सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में स्वयं को लिप्त रखने के बावजूद परिवार को संभाल करने में कोई त्रुटि नहीं रहने दी। अपने बच्चों को स्वयं ही पढ़ाया करती।

कभी ट्यूशन नहीं करवाया जिसका प्रतिफल यह है कि इन के सभी बच्चे शिक्षित हैं और सरकारी नौकरियों में हैं। भारत के स्वतंत्र होने के उपरान्त भी आप महिलाओं में जागृति उत्पन्न करने के कार्य में लगी रही हैं। राजनीति में हिस्सा लेते हुए भी बच्चों की अच्छी देखभाल करने के लिए महिला मंडल ने श्रीमती शांति गोठड़िया को सम्मानित किया था। चांदी का तमगा दिया।

श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल

श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल का जन्म 15 सितम्बर 1909 को बानसूर तहसील के ग्राम हरसौरा में हुआ। आपके पिता जी का नाम श्री प्रभुदयाल जी था। आपने आठवीं कक्षा तक शिक्षा पाई है। मात्र 5 वर्ष की आयु में आपके सर से आपके पिता का साया उठ गया। इनका लालन-पालन इनके बड़े भाई ने किया और अलवर आकर बस गये। यहाँ रहकर आपने अध्ययन किया और आठवीं कक्षा पास की।

श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल का बचपन का नाम लच्छीराम था। अलवर महाराजा जयसिंह की मृत्यु के उपरान्त उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर आपने श्री कल्याण सिंह को गद्दी दो आदि के नारे लगाये थे। ऐसे लोगों में आपका भी नाम था किन्तु आपके ब्जाय लच्छीराम सौदागर को पुलिस पकड़ ले गई।

श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल में छुआछूत और जाति-पांति का भेदभाव न था और न है। आपने सन् 1932 में ही राजगढ़ में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इसके अन्तर्गत ही 1934-35 में दो हरिजन पाठशालाएं और खोली। सन् 1938 में ये संस्थाएं आर्थिक कठिनाई के कारण बन्द हो गई जिन्हें सन् 1944 में पुनः चालू की गई। सन् 1933 में गंगाजी की सवारी के गंगोत्री में हरिजनों के साथ भोजन किया।

हल्दौर मण्डी जिला विजनोर में श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल गांधी जी के सत्याग्रह से बड़े प्रभावित हुए। आप श्री आसफ अली से मिले और अलवर में भी कांग्रेस कमेटी बनाने का निवेदन किया। श्री आसफ अली ने ट्रॉफिकल इंश्योरेन्स कम्पनी के मैनेजर श्री शंकरलाल से कहा। श्री शंकर लाल ने बस्वा के श्री बोहरा को कांग्रेस का सदस्य बनाने को नियुक्त किया। 73 सदस्य बनाये भी गये मगर वे मात्र कागज में ही रहे। किन्तु आपको दिल्ली जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सदस्य बनाया गया। अलवर कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक मन्नी का बड़ स्थित शिवजी के मंदिर में पं. सालिगराम की अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग में पं. सालिगराम को अध्यक्ष, इन्दर सिंह आजाद को मंत्री तथा श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल को उप मंत्री बनाया गया। अलवर में एक विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया। जिसकी अध्यक्षता पं. सालिगराम ने की जिसमें वृजकिशोर चांदीवाले, सत्यदेव विद्यालंकार, प्रो. इन्द्र, बहन सत्यवती, कृष्ण नैयर आदि बड़े नेता आये। बहन सत्यवती का बड़ा जोशीला भाषण हुआ जिससे लोगों में जागृति पैदा हुई, सिडिशियस मीटिंग्स एक्ट के तहत 30-32 लोग भी गिरफ्तार हुए। घरवालों ने ऐसे कामों में भाग लेने से मना किया पर आपके नहीं मानने पर इनके बड़े भाई ने इनको घर से अलग कर दिया।

सन् 1940 से ही आपने ठेले पर रखकर खादी बेचना प्रारम्भ कर दिया और अक्टूबर सन् 1941 में एक खादी प्रदर्शनी भी लगाई जिसका उद्घाटन गांधी जी के सचिव महादेव देसाई ने किया। अखिल भारतीय चरखासंघ के सहयोग से नत्थूराम मोदी के प्रयास से यह प्रदर्शनी लगी थी। सन् 1941 में राजगढ़ तहसील मुख्यालय पर किसानों की एक सभा अलवर राज्य प्रजामंडल के तत्वाधान में हुई। इसमें श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल ने मुख्य रूप से भाग लिया। इस सम्मेलन में जागीरी माफी के जुल्मों को समाप्त करने तथा किसानों को खालसा क्षेत्र की भांति पट्टे देकर खातेदारी हुकूक दिलाने की मांग की गई। इस सम्मेलन के सत्यदेव विद्यालंकार प्रमुख अतिथि थे।

9 अगस्त 1942 को गांधी जी की गिरफ्तारी से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। 10 अगस्त 1942 को एक मीटिंग अतिथि आश्रम के सामने रेल की पटरियों के पास गुप्त रूप से आयोजित की गई जिसमें खण्डेलवाल भी थे। इस मीटिंग में ही श्री कृपादयाल माथुर, शोभाराम एवं रामचन्द्र उपाध्याय ने वकालत छोड़ने का निश्चय किया। मीटिंग में मा. भोलानाथ, इन्दर सिंह

आजाद भी थे। आन्दोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। कुंजबिहारी लाल मोदी के साथ श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल लाला काशीराम से मिले। मांढण में एक मीटिंग की। गांव-गांव घूम कर प्रजामण्डल तथा गांधी जी की बातों का प्रचार किया। राजस्थान के प्रजामण्डल और प्रजा परिषदों के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी आपने भाग लिया। इस सम्मेलन में सर्वश्री जयनारायण व्यास, माणिक्य लाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, राजबहादुर, हरलाल सिंह आदि नेता आये थे। आप प्रारम्भ से ही विधवा विवाह, मृत्यु भोज का बहिष्कार, अनमेल विवाह विरोध अछूतोद्धार आदि कार्यों में भाग लेते रहे हैं। सन् 1946 में सुगनाबाई धर्मशाला के पास स्थित धनलक्ष्मन के मंदिर में आयोजित अन्नकूट में भी आपने हरिजनों के साथ हरिजनों द्वारा परोसा कढ़ी, बाजरा, चावल खाया। श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल तीन बार गिरफ्तार होकर जेल गये थे। यहां नहीं आपको काल कोठरी में रख कर काफी यातना दी गई थी।

डॉ. शांतिस्वरूप डाटा

श्री शांतिस्वरूप डाटा का जन्म 17 अगस्त 1917 को रिवाड़ी में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गुरूकुल विश्व विद्यालय कांगड़ी में हुई तथा दिल्ली के तिबिया कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1939 में आपका विवाह श्रीमती गंगा देवी से हो गया। आपका परिवार उन गिने चुने परिवारों में से है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन का सुख चैन समर्पित किया। आपके पिता एवं भाई भी राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़े रहे हैं। विवाह के कुछ समय बाद से ही आप राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड गये थे। गुड़गांवां, दिल्ली, लाहौर, रावल पिण्डी, पटौदी, फरीद कोट आदि में लम्बी अवधि तक जेल यातनाएँ सही।

श्री शांतिस्वरूप डाटा 1944 में अलवर आये, पंजाब में रहते हुए इनके पुनः गिरफ्तार होने की आशंका थी। और जेल में रहकर वे वह सब कुछ नहीं कर सकते थे जो जेल के बाहर रह कर करने में समर्थ थे। 1944 में प्रजामण्डल का एक अधिवेशन खैरथल में आयोजित किया गया था, जिसमें जुगलकिशोर चतुर्वेदी, पं. भवानी सहाय शर्मा, काशीराम, शोभाराम, मा भोलानाथ आदि प्रजामण्डल के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था। आपके खैरथल अधिवेशन के भाषण से सभी नेता प्रभावित हो गये और आपको अलवर रहकर कार्य करने का सभी नेताओं ने निमंत्रण दिया। आप अलवर में रहकर प्रैक्टिस करने के विचार से अलवर आये।

प्रैक्टिस करने के साथ-साथ आप राजनैतिक गतिविधियों से भी जुड़े रहे। सन् 1945 में जाट बहरोड़ में आयोजित एक सभा में आपका भाषण बड़ा प्रभावशाली रहा। अलवर में आकर सबसे पहले आप श्री जगदीश प्रसाद जैन एडवोकेट के पास ठहरे उसके बाद अलवर के प्रमुख नेता लाला काशीराम जो इनके रिश्तेदार थे के पास आ गये। घण्टा घर के पास एक दुकान में आपने अपनी प्रैक्टिस का कार्य प्रारंभ कर दिया।

श्री शांति स्वरूप डाटा में भाषण कला के साथ आन्दोलनों को चलाने का भी तजुर्बा था क्योंकि अलवर आने से पूर्व आप राजनैतिक गतिविधियों में संलग्न रहे थे और यह कार्य भी कर चुके थे। जब कि अलवर में कोई बड़ी गतिविधि न होने के अभाव में यहाँ के नेताओं को उतना अनुभव नहीं था

खेड़ा मंगल सिंह काण्ड से आपको अपनी इस क्षमता का प्रदर्शन अलवर में दिखाने का मौका मिला। आप अपनी दुकान पर बैठे थे कि शहर कोतवाल बालूसिंह जो अक्सर आप के पास आते थे ने बताया कि खेड़ा मंगल सिंह में सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिये गये हैं। आपको सामंती शासन के इस दु:साहस पर क्रोध आ गया और तत्काल दुकान बन्द कर तीन चार युवकों को साथ लेकर निकल पड़े । मोदी प्रभुदयाल तथा मोदी कुंजबिहारी लाल से कुछ रुपया लिया तथा श्री चन्दगीलाल गुप्ता एवं शादी लाल गुप्ता से 500 रुपये लिये। इस प्रकार करीब 1000 रुपया इकट्ठा कर अपने अभियान में लग गये।

उन चार युवकों के साथ रात भर आप स्कूल–कॉलेजों के छात्रावासों में घूमे। छात्रों के द्वारा खड़िया मिट्टी से शहर की सड़कों पर 'कल हड़ताल' लिखवाया। सारे शहर का वातावरण रात भर में ऐसा कर दिया, मानों किसी क्रांति की तैयारी हो रही है। अगले दिन सारा अलवर बन्द हो गया। बजाजा बाजार स्थित प्रजामण्डल के कार्यालय के सामने अपार जन समूह उमड आया। अलग–अलग कार्यकर्त्ता सभी तहसीलों में भेजे गये। संदेश भेजा कि जत्थे बना कर अलवर आयें। अलवर शहर में यह हड़ताल 8 दिन तक चली। रामगढ़ , राजगढ़, बहरोड़ में भी एक दिन बाजार बन्द रहे। अलवर में बारह नेता गिरफ्तार हुये। बहरोड़ में दो नेता गिरफ्तार हुये। तीन–चार दिन तक जुलूस निकाले गये। कम्पनी बाग होपसर्कस सुभाष चौक आदि में आम सभायें की गई। रियासत के सभी कार्यकर्त्ता बड़ी संख्या में आये। सभाओं में 20–20 हजार की संख्या में लोग उमड़ पड़े थे, जिनके संचालन का दायित्व आप पर था। अलवर का यह संघर्ष बिना किसी योजना के बेमिसाल बन गया था।

डॉ. पट्टाभि सीतारमैया उस समय अखिल भारतीय देशी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, उनको, नेहरू जी को, जयनारायण व्यास तथा हीरा लाल शास्त्री को इस सम्बन्ध में जानकारी डॉ. शांति स्वरूप डाटा ने दी। मध्यस्थता के लिए हीरालाल शास्त्री अलवर आये। शास्त्री जी अलवर महाराजा से मिले इसके उपरान्त हीरालाल शास्त्री और डाटा साहब जेल में गये। बन्दियों से मिले डाटा साहब ने शोभाराम आदि से बात की। महाराजा से हुए समझौते पर जनता की तरफ से डॉ. शांति स्वरूप डाटा ने तथा गवर्नमैण्ट की तरफ से सर सिरेमल बाफना ने हस्ताक्षर किये। नेताओं की रिहाई पर बड़ा भारी जुलूस निकाला गया। जनता ने अपने नेताओं को छूटने की खुशी में नोटों की मालाओं से लाद दिया, जगह–जगह स्वागत किये गये, सारे शहर में जुलूस घूमा। एक सभा का आयोजन किया गया। इसके पश्चात् आजाद हिन्द फौज के जनरल शाहनवाज को अलवर लाने का श्रेय भी डाटा साहब को जाता है।

अगस्त 1946 में उत्तरदायी शासन की मांग ने जोर पकड़ लिया। डॉ. शांति स्वरूप डाटा ने इसमें भी सक्रिय भूमिका निभाई। 'उत्तरदायी शासन लेकर छोड़ेंगे' जैसे नारों से शहर , कस्बों की दीवारें रंग दी गई।

22 अगस्त 1946 को सुभाष चौक में एक मीटिंग हुई। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह एवं हकीम ब्रज लाल उसमें आमंत्रित थे वे पधारे थे। उस मीटिंग में हजारों की संख्या में लोगों ने शपथ ली कि उत्तरदायी शासन के लिए लड़ेंगे। 26 अगस्त से सत्याग्रह करने की घोषणा प्रजामण्डल ने की। किन्तु 24 अगस्त को ही रामगढ़ में एक शांति पूर्ण जुलूस में सरकार के

यवंर लाठी चार्ज के कारण गोठड़िया एवं उनके 3-4 साथी घायल हो गये, राजगढ़ में तिरंगा का झण्डा फाड़ दिया गया।

26 अगस्त 1946 को उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। यह सत्याग्रह आठ रोज तक चला। योजना के अनुसार राज्य की सभी तहसीलों से जत्थे आने प्रारंभ हो गए। इस आंदोलन को सफल बनाने में भी डॉ. शांति स्वरूप डाटा की अहम् भूमिका रही।

यह दिन अलवर के इतिहास में एक यादगार दिन है जब डॉ. शांति स्वरूप डाटा ने रात्रि के आठ बजे शेवरलेट गाड़ी में लाउड स्पीकर लगा बीच त्रिपोलिया में जनता को जागृत करते हुए आह्वान किया था 'करो या मरो' की तर्ज पर त्रिपोलिया के चारों बाजारों में अपार जन समूह ठाठें मार रहा था। आपने घोषणा की कि 'अलवर रियासत का हर आदमी सचेत रहे।' इसके पश्चात् आपको गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए चौथे-पांचवे दिन जेल सुपरिटेण्डेंट मार्टिन से झगड़ा हो गया। आपको एक बड़ी बैरक में अकेले बन्द कर दिया गया। किन्तु बाद में वहां से हटा दिया। आज 80 वर्ष की आयु में भी डॉ. शांति स्वरूप डाटा काफी अध्ययन करते हैं और देशहित के कार्यों में अपनी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। स्वाध्याय एवं लेखन में इस उम्र में भी आपकी गहरी रुचि है।

श्रीमती कमला जैन

श्रीमती कमला जैन का जन्म अलवर में 24 मई 1926 को हुआ। आपके पिता का नाम श्री किशोरी लाल जैन था जो अलवर रियासत में सरकारी कर्मचारी थे किन्तु सामन्ती जुल्मों को देखकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वे मूलतः कांग्रेसी विचारधारा के थे। भाई भागचन्द जैन भी देश सेवा के प्रेमी थे। आपने बी.ए. तक शिक्षा प्राप्त की है।

घर में पिता व भाई के देश सेवा में योगदान देने के कारण, उनकी विचारधाराओं से प्रभावित होने के कारण, आपके मन में भी देश एवं समाज सेवा का भाव जागृत हुआ।

1944 में जगरानी सक्सेना की पहल पर 'महिला जागृति संघ' नामक महिलाओं का एक संगठन बनाकर उसमें हरिकीर्तन आदि के बहाने महिलाओं को बुलाकर थोड़े देर हरिकीर्तन कर उन्हें सामन्ती शासन के जुलमों तथा अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाली राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी देने का आपने कार्य किया। 1946 में श्रीमती कमला जैन प्रजामण्डल की महिला शाखा की संयोजक रही तथा महिला मण्डल की सचिव भी रही हैं। श्रीमती शांति गुप्ता के साथ महिलाओं को पढ़ाने का कार्य भी किया।

गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो के अगस्त 1946 के आन्दोलन में आपने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। सत्याग्रह के लिए आप जत्थे के लिए महिलाओं को एकत्रित करती थी और सत्याग्रह के लिए उन्हें प्रेरित करती। आपने अन्य महिलाओं के साथ सत्याग्रह में भी कई बार भाग लिया। इस आन्दोलन में भाग लेने के कारण आपको कई बार ट्रकों में भरकर अन्य सत्याग्रही महिलाओं के साथ जंगलों में छोड़ा गया क्योंकि सामन्ती सरकार के पास न तो महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस ही थी और न ही जेल में रखने के लिए स्थान था। अतः दिन में तो जेल में रखते और दिन छिपने से पहले दूर दराज के जंगलों में छोड़

देते थे। आप अलवर के तत्कालीन महाराजा के पास अन्य महिलाओं के साथ लाठी चार्ज न करने की मांग लेकर वार्ता करने के लिये विजय मंदिर भी जाती थी। उन दिनों एक ओर तो सामन्ती राज्य सरकार प्रजामण्डल की गतिविधियों पर अंकुश लगाती थी दूसरी ओर स्वर्गीय महाराजा जयसिंह की पत्नी महिला मण्डल को चन्दा दिया करती थी।

श्री रोशन लाल जैन

श्री रोशन लाल जैन का जन्म संवत 1976 में अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में हुआ। इनके पिता श्री भौरेलाल जैन सामन्ती शासन में पटवारी थे। आपने मिडिल तक पढ़ाई की है।

आप लगान न देने पर किसानों पर होने वाले अत्याचार तथा बेगार लेने के सामन्ती जुल्मों को देख-देख कर मन ही मन में गुस्सा होते रहते थे और उस समय के शासन से घृणा करने लगे थे। आप सन् 1939 से ही सामन्ती शासन के विरोध में होने वाली गतिविधियों में भाग लेने लगे। रामगढ़ में शासन द्वारा वारफण्ड के लिए जबरन चन्दा उगाहने की शिकायत पर वहां के तत्कालीन पदाधिकारियों द्वारा अलवर के नेताओं जिनमें श्री शोभाराम, मा. भोलानाथ, रामजी लाल अग्रवाल आदि थे, को बुलाकर गायब होने पर आपने श्री गोठड़िया जी के नेतृत्व में वहां उनकी मीटिंग करवाने की व्यवस्था की जिसमें आसपास के गांवों से काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। श्री रोशनलाल जैन और उनके साथियों ने गांव-गांव घूमकर नौगांवा, अलावड़ा, मुबारिकपुर आदि स्थानों पर प्रजामण्डल के कार्यालय खुलवाने में सहयोग किया। इस कार्य में उनके साथ सर्व श्री नन्दकिशोर शर्मा, हरलाल, प्यारेलाल हरिजन, रमेश चन्द जैन आदि थे। श्री फूलचन्द गोठड़िया नेतृत्व किया करते थे। 2 फरवरी 1946 को खेड़ा मंगल सिंह में आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए आप भी वहां गये थे। एक बार बेगार लेने का विरोध करने पर रामगढ़ के तत्कालीन नाजिम ने उन्हें तथा किशोरी लाल मास्टर को बन्द करवा दिया। दो रोज तक आप बन्द रहे।

अगस्त सन् 1946 में 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन में 24 अगस्त को रामगढ़ में आयोजित लगभग तीन हजार की संख्या में आये लोगों के प्रदर्शन में पुलिस द्वारा किये गए भीषण लाठी चार्ज में श्री रोशनलाल जैन का सर फूट गया, श्री रमेश चन्द की एक अंगुली टूट गई तथा श्री फूलचन्द गोठड़िया के दोनों हाथ कंधे पर से उतर कर लटक गये। श्री रोशन लाल जैन के सर में ग्यारह टांके आये थे और अस्पताल में भर्ती रहे थे। श्री रोशन लाल जैन के मन में बड़ी टीस है कि वे जेल नहीं जा सके। अपने साथियों से जय से सत्याग्रह और जेल की यातनाओं का वर्णन सुनते तो रामांचित हो उठते।

इस प्रकार श्री रोशन लाल जैन ने बालपन से ही अंग्रेजी शासन के विरोध, सामंती शासन और जुल्मों का विरोध किया। आज भी जन सेवा में आवश्यकता पड़ने पर सामने आने से नहीं चूकते हैं।

श्री चिरंजी लाल वर्मा

श्री चिरंजी लाल वर्मा का जन्म राजगढ़ में दिनांक 12 दिसम्बर 1924 को हुआ। आपके पिता श्री बुद्धालाल जी थे आपका सम्पर्क 1938 में विद्याध्ययन करते हुए राष्ट्रीय विचारधारा के

कुछ विद्यार्थियों से हुआ और गांधी, नेहरू तथा भगत सिंह आदि की जीवनियां पढ़ कर आपके भी मन में अपने देश को आजाद कराने की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई। आपने अपने विद्यार्थी जीवन से ही खादी पहनना प्रारंभ किया।

सन् 1940 में राजर्षि कॉलेज से मैट्रिक की परीक्षा पास कर आप अध्ययन हेतु आगरा कॉलेज आगरा में दाखिल हो गये। सन् 1942 के 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' 'करो या मरो' आन्दोलन में छात्र समुदाय कूद पड़ा और आप उसमें सम्मिलित हो गये। छात्रों पर घुड़सवार तथा पैदल पुलिस ने भारी लाठी चार्ज किया। घायलों से थाम्पसन अस्पताल भर गया। कॉलेज बन्द कर दिये गये, हॉस्टल खाली करवाये गये। जिन छात्रों ने आनाकानी की उनका सामान कमरों से निकाल कर फेंक दिया गया। आप भारयि हॉस्टल में रहते थे। आपका सामान भी फेंका गया। आप अपने दो साथियों के साथ 'हियट पार्क' के पास एक धर्मशाला में ठहरे। यहां एक सेठ ने आजादी के लिए काम करते रहने को कहते हुए खाने पीने की व्यवस्था कर दी। धन का सहयोग भी दिया। इनके एक क्रांतिकारी साथी ने आपको यह स्थान दिखलाया जहाँ बम बनाने का काम होता था। वहां इन्हें विस्फोटक एवं ज्वलन शील सामग्री की जानकारी दी गई।

अलवर में आकर आप श्री महावीर प्रसाद जैन, हीरालाल भारतीय और रामजी लाल शर्मा जैसे क्रांतिकारी छात्रों के सम्पर्क आये। गुप्त मंत्रणायें हुई, योजनाएं बनी। श्री चिरंजी लाल वर्मा को डाकघर जो उस समय चर्च रोड पर था उसमें आग लगाने तथा वर्तमान कलैक्टर के निवास के पास स्थित लैटर बॉक्स तथा फेडलगंज के लैटर बॉक्स को जलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई जिसे रात्रि में वेश बदल कर अंजाम दिया गया। डाकघर में कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद विजय मंदिर के पास रेलवे लाइन के तार काटने की योजना बनी जिसमें श्री वर्मा ने सहयोग किया जो अमावस्या की अंधेरी रात को किया गया।

श्री चिरंजी लाल वर्मा को जिस दिन पुलिस ने गिरफ्तार किया उस दिन ही हीरालाल भारतीय एवं महावीर प्रसाद को रात्रि में गिरफ्तार किया गया। कुछ पकड़े गये साथियों में दो सरकारी गवाह बन गये तथा शेष भूमिगत हो गये या शहर छोड़ कर चले गए। तीनों को अलग-अलग बैरकों में रख डराया-धमकाया गया। दूसरे दिन इनके मकान की तलाशी इनके भाई बाबू शोभा राम जो शहर के कांग्रेसी थे उनकी उपस्थिति में हुई जहां कुछ विस्फोटक एवं ज्वलन शील पदार्थ पाये गये। रात्रि को ही मजिस्ट्रेट मुकुट बिहारी लाल को बुलवा कर बयान लिये गये जिसमें श्री वर्मा ने स्वीकार किया कि यह कार्य उन्होंने देश की आजादी के लिए किया।

श्री चिरंजी लाल वर्मा तथा इनके अन्य साथियों को कारागार में डाल दिया गया। तत्कालीन कलैक्टर खुर्शीद आलमखान की अदालत में मुकद्मा चला जिसके तहत श्री चिरंजी लाल वर्मा को 4 वर्ष 3 माह की विभिन्न धाराओं में सजा मिली। आपके मुकद्मे की पैरवी सर्व श्री कृपादयाल माथुर, शोभाराम, इन्द्रलाल मित्तल, रामचन्द्र उपाध्याय, बद्री प्रसाद गुप्ता, रामवतार शर्मा ने की जो प्रजामण्डल के नेता भी थे। श्री चिरंजी लाल वर्मा तथा अन्य साथियों के बाल कैंची से काट कर कैदी की ड्रैस पहना अलग-अलग बैरकों में डाल पंद्रह किलो अनाज प्रतिदिन पिसवाया जाता जो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक पीस, छान, तुलवाकर दिया जाता। वर्मा स्वयं को अपराधी कैदी न समझ राजनीतिक कैदी मानते थे। अतः अपने सरीखे अन्य साथियों

को संदेश भेज कर भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। खबर जेल सुपरीण्टेण्डैण्ट के पास पहुँची और वे हाथ में चाबुक लिए वर्मा की कोठरी में आकर कारण पूछने लगे। कारण बतलाने पर बड़े आग बबूला हुए और वर्मा जी के पैरों में आड़ा डण्डा डालने को आदेश दिया। वर्मा के पैरों में एक कैदी लुहार ने कड़े डाल कर एक दस सेर के लगभग लोहे का डंडा पिरोकर कड़ों को बन्द कर दिया जिससे चलने, फिरने, उतरने, चढ़ने, उठने, बैठने आदि में कष्ट होता। यह डंडा करीब एक हफ्ता पड़ा रहा और एक हफ्ता ही भूख हड़ताल भी जारी रही। महाराजा के आश्वासन पर भूख हड़ताल समाप्त की। जेल में वर्मा जी को प्रातः डेढ़ छटांक नाश्ते के लिए भुने चने दोपहर और रात को तीन-तीन रोटियां और सब्जी दी जाती। एक पीतल का तस्ला और एक कटोरी वर्तन के नाम पर मिले थे। तस्ला पानी पीने तथा शौच आदि के काम में भी लिया जाता एवं सब्जी में कंकड़ तथा लट आदि आने पर पानी से ही रोटी निगली जाती और सोने के लिए दो फुट चौड़ा और 6 फिट लम्बा सीमेन्ट का चबूतरा एक चटाई और दो कम्बल मिले हुए थे। मार्च 1943 के अन्त में महाराजा तेजसिंह की साल गिरह पर वर्मा जी एवं अन्य साथियों को रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद पुनः देहली चले गये।

देहली में एक बीमा कम्पनी में नौकरी करते हुए आपकी राष्ट्रवादी एवं गांधीवादी नेता श्री रतनलाल शारदा; नवल प्रभाकर, डाक्टर खूबराम जाजोरिया से मुलाकात हुई और उनके माध्यम से उच्च स्तरीय नेता चौधरी ब्रह्मप्रकाश, सविता बहन, सुभद्रा जोशी तथा कांग्रेस सेवा दल का अच्छा संगठन बना लिया साथ ही सविता बहन की सहायता से कांग्रेस सेविका दल का भी गठन कर लिया। राजनैतिक गतिविधियों में वर्मा जी की गतिशीलता को देख कर उनको करौल बाग सेवा दल का उपकप्तान तथा जिला कांग्रेस का उप सचिव भी बना दिया। श्री चिरंजीलाल वर्मा किशन गंज देहली स्थित इण्डियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इन्टक) के कार्यालय में भी सार्वजनिक मंत्री की हैसियत से काम कर चुके हैं और श्री बी. डी. जोशी, श्रीमती सुभद्रा जोशी, मीर मुश्ताक अहमद के भी सम्पर्क में आए तथा श्री गुलजारी नन्दा के भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला।

सन् 1945 में श्री चिरंजीलाल वर्मा और उनके साथियों ने 'लाल किला ग्रुप' के नाम से एक संस्था बनाई जिसका सम्बन्ध क्रान्तिकारियों के ग्रुप से था। संस्था में 26 जनवरी 1946 को कुतुबमीनार पर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया गया जिसकी जिम्मेदारी श्री चिरंजीलाल वर्मा को दी। उन दिनों कुतुब मीनार पर भीड़-भाड़ नहीं रहती थी।

ये साईकिल से प्रातः चार बजे चले, कुतुबमीनार के दो सरियों में झण्डे फहराये, सलामी दी, नीचे उतरे और साईकिल से ही घर आ गये। यह घटना उनके हृदय पटल पर अंकित है। उन दिनों ब्रिटिश सरकार ने 'कांग्रेस सेवा दल' को गैर कानूनी घोषित कर दिया। करौल बाग कांग्रेस सेवा दल का प्रभारी होने के कारण वर्मा जी के गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो गये। स्थान बदलते रहने पर भी पकड़े गये जिसमें अर्थदण्ड की सजा मिली जिसे पार्टी ने चुकता किया। दिल्ली और पंच कुइया रोड के तिराहे के पास एक छोटे से मंदिर के परिसर में जो हरिजन बस्ती में था गांधी जी ठहरे थे। कांग्रेस सेवा दल की ड्यूटी अधिकतर गांधीजी के कमरे पर रहती थी जिसे ये अपना सौभाग्य समझते हैं। सामूहिक कताई कार्यक्रम में नेहरू, पटेल तथा राजेन्द्र बाबू जैसे नेताओं के भी दर्शन लाभ हुए।

अगस्त 1946 में 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में आप अलवर आ गये और सत्याग्रह में भाग लेने पर गिरफ्तार किये गये। राज्य सरकार और प्रजामंडल का समझौता होने पर अन्य सत्याग्रहियों के साथ आप भी 2 सितम्बर 1946 को छोड़े गए। सत्याग्रह समाप्ति के बाद आप पुन: दिल्ली आ गए।

श्रीमती राम प्यारी

श्रीमती राम प्यारी का विवाह 13 वर्ष की आयु में अलवर के जाने माने नेता बाबू शोभाराम से हुआ।

श्रीमती राम प्यारी ने 22 वर्ष की आयु में खादी पहनना प्रारम्भ कर दिया था तथा 25 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया जिस पर परिवार, रिश्तेदार और बिरादरी में बड़ी कटु आलोचना हुई, मगर ये जरा भी विचलित नहीं हुई। यद्यपि श्रीमती राम प्यारी अधिक पढ़ी लिखी नहीं हैं तथापि महिला जागरण तथा अन्य कार्यक्रमों में अन्य महिलाओं को भरपूर सहयोग देती रही हैं।

फरवरी 1946 के खेड़ा मंगल सिंह आंदोलन में बाबू शोभाराम आदि को गिरफ्तार करने के बाद जब छोड़ा गया तब श्री हीरालाल शास्त्री को एक अंगूठी सोने की अपनी भेंट की थी उस समय सभा स्थल पर उस अंगूठी की नीलामी की गई थी जो 610 रुपये में श्री चांद पूरी वाले ने खरीदी थी। अंगूठी की कीमत मुश्किल से 30 रुपये होगी। जनता में इतना उत्साह और प्यार था अपने नेताओं के प्रति। अगस्त 1946 के 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आंदोलन के समय अपनी एक मात्र नन्ही बच्ची को अपनी बहन के पास छोड़ कर आप उस आन्दोलन में हिस्सा लेती। सत्याग्रहियों को पानी पिलाने, उनकी नाश्ते में गुड़-चना की व्यवस्था करने, उसे बंटवाने तथा यह देखने में कि कोई रह तो नहीं गया आप पूरे-पूरे दिन व्यस्त रहती। साथ ही महिला सत्याग्रहियों के साथ जत्थे में शरीक होकर सत्याग्रह में भी भाग लिया करती। भाग लेने वाली महिलाओं में श्रीमती शान्ति गुप्ता, शान्ति गोलडिया, उमा माथुर, रामेश्वरी देवी, कमला जैन, कलावती देवी शर्मा, जगरानी, शोभा भार्गव आदि महिलाएं होती थी। पुलिस पुरुषों के साथ तो ज्यादती करती थी मगर महिलाओं को वह न तो गिरफ्तार करती थी न जेल भेजती थी क्योंकि सरकार के पास न तो महिला पुलिस ही थी और न ही जेल में रखने की व्यवस्था ही। इसलिए महिलाओं और बच्चों को तो पकड़ कर ट्रक में बिठाकर दूर जंगल में छोड़ आती जहां से लाने की व्यवस्था प्रजामंडल हो अक्सर किया करता। श्रीमती राम प्यारी स्वभाव की बड़ी सरल और सीधी सादी महिला हैं। इनके पति बाबू शोभाराम प्रदेश की राजनीति के चाणक्य माने जाते थे तथा प्रदेश की सत्ता के विभिन्न मंत्री पदों पर रहे किन्तु श्रीमती रामप्यारी की सरलता एवं सादगी में कोई परिवर्तन नहीं आया जबकि सामान्य महिलाएं अपने पति के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने पर मद में चूर हो जाती हैं।

श्री हरीराम डाटा

श्री हरीराम डाटा का जन्म खैरथल में 21 मई 1921 को हुआ। आपके पिता का नाम श्री मंगणराम डाटा है जो व्यापार किया करते थे। आप ने चौथी कक्षा तक ही शिक्षा पाई है।

आप सन् 1942 के 'करो या मरो' आन्दोलन से प्रभावित होकर देश सेवा के काम के लिए प्रभावित हुए। आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने की प्रेरणा भी हरीराम डाटा को राजगढ़ के भवानी सहाय शर्मा तथा अलवर के नत्थूराम मोदी तथा अनेक कर्मठ नेताओं से मिली।

सामन्ती सरकार द्वारा जबरन वार फण्ड वसूल किये जाने के विरोध में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया।

सन् 1945 में अलवर की रियासती सरकार ने तम्बाकू पर भारी महसूल बढ़ा दिया। इससे मेव किसानों में भारी असंतोष पैदा हो गया। मौलवी इब्राहीम, मौलवी सुलेमान तथा अब्दुल कद्दूस के नेतृत्व में महसूल वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किये गये जिसमें श्री हरीराम डाटा ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आंदोलन में किशनगढ़ और खैरथल ग्राम के बीच राता नामक ग्राम में आंदोलनकारियों की भीड़ पर सामन्ती सरकार ने गोलियां चलाई जिसमें एक मेव किसान की घटना स्थल पर मौत हो गई और मौलाना इब्राहीम के पैर में सख्त चोट आई और अनेक व्यक्ति घायल हो गये। प्रजामंडल के कार्यक्रम के तहत मेव किसानों में जागृति पैदा करने का काम भी श्री हरीराम डाटा ने किया।

सन् 1943 में खैरथल में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी लगाने में आपने सहयोग दिया। इस अवसर पर भवानी सहाय जी की अगवानी के लिए एक बहुत बड़ जुलूस निकाला। बाहर से अनेक नेता आए थे जिसमें भरतपुर के जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीराम यादव तथा नानक चन्द आदि प्रमुख थे।

श्री हरीराम डाटा ने महिलाओं में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के लिए 1943 में एक प्राईवेट कन्या पाठशाला भी खुलवाई। इसी वर्ष ही प्रजामंडल की स्थापना खैरथल में हुई। आप प्रजामंडल के प्रचार-प्रसार के लिए गांव-गांव घूमे।

अगस्त 1946 के 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में आपने सक्रिय भूमिका निभाई। आपने सत्याग्रह के लिए जत्थे जुटाने का कार्य किया तथा स्वयं ने भी सत्याग्रह में भाग लिया। आंदोलन एवं सत्याग्रह के दौरान श्री हरीराम डाटा जेल भी गये और यातनाएं सही। 2 सितम्बर 1946 को आप भी अन्य नेताओं के साथ जेल से रिहा किये गये।

श्री छोटू सिंह आर्य एडवोकेट

श्री छोटू सिंह आर्य का जन्म 11 अगस्त 1921 को अलवर में हुआ। आपके पिता का नाम श्री गिरवर मल था जो केडल गंज में व्यापार करते थे। आपने बी. कॉम. (वाणिज्य) तक की पढ़ाई अलवर के राजर्षि कॉलेज से की तथा 1947 में लखनऊ जाकर एम. कॉम. एल. एल. बी. की डिग्री प्राप्त की। 1945 से 47 तक पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आपके बड़े भाई स्वर्गीय श्री रामजीलाल आर्य भी प्रमुख एवं प्रतिष्ठित कांग्रेसी जनसेवी थे।

श्री आर्य 1939 में मास्टर भोलानाथ के सम्पर्क में आये और उनकी प्रेरणा से प्रजामंडल के आंदोलनों से धीरे-धीरे जुड़ने लगे। 16 मार्च 1939 की रात्रि को त्रिपाठी, लट्ठमार, इन्दर सिंह आजाद के जेल से छूटने पर 17.3.39 को प्रातः 8 बजे सुगना बाई की धर्मशाला में इनका स्वागत

कर एक जुलूस निकाला गया जो शहर के मुख्य बाजारों से होता कांग्रेस कार्यालय आया उसमें भी 30 छात्रों के जत्थे का आपने नेतृत्व किया।

स्व. मास्टर नंदकिशोर जी ने आपका परिचय श्री महावीर प्रसाद जैन से करवाया वे क्रान्तिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे। 1942 के 'करो या मरो' नारे की अनुपालना में आपने भी विद्यार्थी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर तोड़ फोड़ की एवं सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया। कम्पनी बाग के सामने लॉन में तीन चबूतरे थे जिन पर गणगौर की सवारी पर गणगौर रखी जाती थी। उन पर फराशखाने की दरियां वगैरह रखी थी जिनको आपने श्री महावीर जैन के साथ जला दिया। इतना ही नहीं राजर्षि कॉलेज की तरफ से 'अमर सिंह राठौड' नामक एक ड्रामा खेला जाना था जिसे उस समय के आर्मी मिनिस्टर अब्दुर्रहमान ने बन्द करवा दिया जिससे उत्तेजित होकर आपने और आपके साथियों ने रात्रि को पांडाल में आग लगा दी।

श्री आर्य का यूनियन के प्रति रुझान विद्यार्थी जीवन से ही रहा है। आपने अपने साथियों के प्रयासों से राजर्षि कॉजेल में 'विद्यार्थी यूनियन' स्थापित कराई जिसके आप प्रथम प्रेसिडेंट बने। स्व. श्री माया राम इसके प्रथम स्पीकर थे। इसके उद्घाटन के लिए श्री प्रकाश एम. एल. ए. (उस समय की सेन्ट्रल असेम्बली और आज की पार्लियामेण्ट) जो बाद में पाकिस्तान में हाई कमिश्नर भी रहे के द्वारा उद्घाटन कराने का निश्चय किया किन्तु तत्कालीन प्राचार्य ने इसकी इजाजत नहीं दी तो कॉलेज में हड़ताल करवा दी और बाहर लॉन में ही यूनियन का उद्घाटन कराया गया। श्री छोटूसिंह आर्य 1945 में छात्र जीवन में ही म्यूनिसिपल कमेटी के सदस्य बने।

आप हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। जिसके श्री गोकुल चंद जाटव मंत्री थे। सामाजिक चेतना के प्रतीक के रूप में राम-लक्ष्मण का मंदिर जो शहर के मध्य सुगना बाई धर्मशाला के पास स्थित है, में आयोजित अन्नकूट में हिस्सा लिया जिसमें मा. भोलानाथ, रामानन्द अग्रवाल, लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल, रामकुमार राम आदि के साथ ही कैलाश नाथ भार्गव, धर्मचंद जैन, नन्दलाल अग्रवाल, किशन लाल डोरोली, रमेश शर्मा , ज्ञानचंद जैन, नवल किशोर, लक्ष्मण आदि आर्यवीरों ने भी हिस्सा लिया। अलवर में आर्यवीर दल की स्थापना में भी आपकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें अलवर में ही आर्यवीरों की संख्या हजारों में थी।

26 अगस्त 1946 से गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो आन्दोलन में जो अलवर राज्य प्रजामंडल की ओर से चलाया जा रहा था, आप प्रथम जत्थे में जिसमें श्री रामजीलाल अग्रवाल,दया राम आदि थे सत्याग्रह पर बैठे और गिरफ्तार कर लिये गये। और 'भारत माता की जय' बोलते सत्याग्रहियों की निर्मम तरीके से पिटाई की तथा माफी मांगने को बाध्य करने लगे किन्तु सत्याग्रहियों के मुंह से एक ही आवाज 'भारत माता की जय' ही निकलती रही। जेल की कड़ी यातनाओं से आर्य अस्वस्थ हो गये तो इनकी माता जी कुछ नागरिकों को साथ लेकर अलवर महाराज तेजसिंह से मिलने गई और उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र पर ऐसे अत्याचार क्यों कर रहे हैं तब महाराजा तेज सिंह ने आपकी माता जी से कहा कि आप लिखकर न सही जुबानी ही कह दें कि मेरे पुत्र को माफ कर छोड़ दो हम छोड़ देंगे। लेकिन श्री आर्य की माताजी ने अपने पुत्र को छुड़वाने के लिये नहीं कहा। आखिर महाराजा ने आपकी माता जी को प्राइम मिनिस्टर

बाफना के पास भेजा जिस पर बाफना ने हस्पताल के अधीक्षक एम. एम. कत्रे की ड्यूटी श्री छोटूसिंह आर्य को दोनों समय मेडिकल चैकअप करने की लगाई।

अलवर में आर्य समाज के प्रचार-प्रसार में छोटूसिंह आर्य का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षा के प्रति आपकी गहन आस्था है। वैदिक विद्या मंदिर जहां 5 हजार बालिकाएं अध्ययनरत हैं और एक छात्रावास जिसमें 3 सौ छात्राएँ निवास करती हैं, आपकी लगन व निष्ठा का ही प्रतिफल है। आप दो बार राजस्थान विधानसभा के अलवर शहर से सदस्य चुने गए।

श्री राम स्वरूप गुप्ता

श्री रामस्वरूप गुप्ता का जन्म 15 सितम्बर 1923 को राजगढ़ में हुआ था। आपके पिता श्री राधाकिशन गुप्ता बौरगत का काम किया करते थे। सन् 1942 में जब आप पढ़ ही रहे थे, विद्यार्थियों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन में खुलकर मैदान में कूद पड़े। रेल की पटरी उखाड़ने के प्रयास में पुलिस ने आपको पकड़ लिया और बिना कोई कारण बताये तीन दिन तक थाने में बिठाये रखा।

आप राजगढ़ में रहते हुए पं. भवानी सहाय शर्मा, जिन्हें लोग प्यार से छुट्टन भी कहा करते थे, के सम्पर्क में आये और उनके मार्ग दर्शन में प्रजामण्डल के कार्यों का प्रचार-प्रसार करने में जुट गये। 2 फरवरी 1946 को खेड़ा मंगल सिंह गांव में होने वाली सभा के प्रचार के लिए पांच दिन पूर्व से ही लग गये। श्री फूलचन्द गोठड़िया के साथ आप झंडा, बिगुल, खाने के लिए गुड़ और चना जेबों में भरकर खेड़ा मंगल सिंह के पास के गांवों में महात्मा गांधी की जय घोषणा करते हुए पर्चे बांट-बांट कर गांव वालों को मीटिंग में आमंत्रित करते हुए घूमने लगे। जागीर के एक गांव में जब श्री रामस्वरूप गुप्ता और श्री गोठड़िया गांव के ठाकुर की कोठड़ी के सामने से तिरंगा लहराते वह महात्मा गांधी की जय बोलते हुए निकल गये तो दो मुश्टंडे व्यक्ति हाथ में लाठी लिए इनके पास आये और कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो कोठड़ी के सामने से तिरंगा लेकर और गांधी की जय बोलते हुए निकले।

चलो आपको ठाकुर साहब बुला रहे हैं तब श्री गोठड़िया जी ने कहा कि हम उनके नौकर नहीं हैं। ठाकुर साहब से जाकर कहो कि वे गांधी जी के आदमी हैं, सुनते ही फौरन वे खुद यहां आयेंगे। मुश्टंडों ने कहा वे कैसे आ सकते हैं, इस जागीर के मालिक हैं। रामस्वरूप गुप्ता ने कहा, कहो तो सही। वे जितने कह कर वापिस आयें इतने में इन लोगों ने सोचा कि इनसे उलझने में कहीं उल्टा-सीधा हो गया तो खेड़ा मंगल सिंह की सभा में विघ्न पड़ेगा इस लिए इस गांव की सीमा से शीघ्रता से बाहर हो गए। एक बार तो एक गांव के पास मुश्किल से 20 गज की दूरी पर एक शेर के भी दर्शन हो गये। खेड़ा मंगल सिंह की सभा से एक दिन पहले बड़े-बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के उपरान्त भी कई हजार की संख्या में श्रोता उमड पड़े। उस सभा की अध्यक्षता पृथ्वीनाथ भार्गव वकील ने की जिसमें श्री फूलचन्द गोठड़िया का भाषण बड़ा जोशीला था।

गैर जिम्मेदार मिनिस्टरी कुर्सी छोड़ो आन्दोलन के तहत दिनांक 9 अगस्त 1946 को श्री रामस्वरूप गुप्ता और अन्य साथियों ने एक बड़ा भारी जुलूस निकाला। इस जुलूस की अपार भीड़

और जनता के जोश को देखकर पुलिस इनके पीछे पड़ गई और 15 अगस्त 1946 को श्री रामस्वरूप गुप्ता के हाथों में हथकड़ी पहना कर घसीटते हुए थाने में ले जाकर बन्द कर दिया। वहीं पर इनके दो साथी पं. बालासहाय तथा रामजीलाल शर्मा को भी बन्दी बना कर लाया गया।

जिन दिनों श्री रामस्वरूप गुप्ता जेल में थे, पंडित भवानी सहाय शर्मा को राजगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भवानी सहाय शर्मा की गिरफ्तारी से जनता में आक्रोश बढ़ गया और उनके समर्थकों की भारी भीड़ ने तहसील पर धावा बोल दिया। तहसील पर से राज्य के पचरंगे झण्डे को उतार कर तिरंगा झंडा लगा दिया गया। उस दिन के बाद से राजगढ़ की तहसील पर राज्य का झंडा नहीं लगा। इस काण्ड में श्री रामस्वरूप गुप्ता के दो बड़े भाई श्री कन्हैयालाल और बोदन लाल को भी अलवर की सेण्ट्रल जेल में बन्द कर कड़ी यातनाएं दी गई। श्री रामस्वरूप गुप्ता और इनके दोनों भाइयों को भी 2 सितम्बर 1946 को जेल से रिहाई मिली। श्री रामस्वरूप गुप्ता ने 19 दिन तक जेल में रह कर काफी यातनाएं भोगी। आज भी श्री गुप्ता सामाजिक कार्यों में संलग्न रहते हैं।

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल

श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल का जन्म तहसील बानसूर के नीमूचाना ग्राम में 13 मई 1931 को हुआ। आपके पिता श्री राधाकिशन थे जिनका व्यवसाय मिलिट्री कैन्टीन का था। आप एक धनाढ्य परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। आपके घर दो बार डाका भी पड़ चुका था। आप अलवर के प्रमुख नेता श्री रामजीलाल अग्रवाल के चाचा के लड़के हैं तथा श्री रामजी लाल जी की माता जी इनकी रिश्ते में मौसी हैं। श्री रामजीलाल अग्रवाल जब कभी गांव आते और प्रजा मंडल तथा देश की राजनीतिक गतिविधियों को बतलाया करते तो इनको सुन-सुन कर इनको बड़ा रोमांच होता और सोचते कि हम भी वह कार्य करें जो श्री रामजीलाल अग्रवाल किया करते हैं।

अलवर में आकर ये प्रजामंडल के कार्यकर्त्ताओं के सम्पर्क में आये। ये भी अलवर आकर उस ही मकान में रहने लगे जिसमें श्री फूलचंद गोठड़िया तथा अन्य कार्यकर्त्ता रहते थे। अतः ये कांग्रेस के फर्माबरदार बन गए और उनके आदेश-निर्देशों पर प्रजामंडल के कार्यों में भाग लेने लगे।

तम्बाकू कर के मामले मे मेवों द्वारा किये गये विरोध में हुए गोलीकांड के भी श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। ग्राम पदमाड़ा में तत्कालीन तहसीलदार श्री रामचन्द हरित द्वारा बारफण्ड वसूल करने के लिए उनके द्वारा किये गये और जबर्दस्ती से क्षुब्ध नागरिकों ने उनके साथ मार पीट की उस घटना में आप भी शामिल थे। 2 फरवरी 46 को ग्राम खेड़ा मंगल सिंह में हुई मीटिंग मे भी आप श्री पृथ्वीनाथ भार्गव आदि नेताओं के साथ श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल के ट्रक में बैठकर भाग लेने पहुँचे जिसमें श्री फूलचन्द गोटड़िया तथा अन्य नेताओं के बड़े जोशीले भाषण हुए।

अगस्त सन् 1946 के 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन में अपने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलवर राज्य के प्रमुख नेता श्री शोभा राम को उनकी गिरफ्तारी के भय से प्रजामंडल ने अलवर राज्य से बाहर भेज दिया तो वे बहरोड़ के पास कांटी नामक गांव

जो पंजाब में पड़ता था, में रहने लगे थे। कैम्प बहरोड़ में लगाया गया था जिसमें शोभाराम जी के निर्देशन पर काम होता था। श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल अन्य दो साथियों श्री श्योप्रसाद नेता तथा हर सहाय के साथ वहां से जत्थे भेजने का कार्य करने लगे। इतना ही नहीं अलवर आकर भी सत्याग्रह में भाग लिया। सत्याग्रह में भाग लेने पर पुलिस के भारी लाठी चार्ज के कारण आपके बांये हाथ की तर्जनी अंगुली के दो पोर समाप्त हो गए। यह अंगुली अब मात्र एक पोर की ही है।

विद्यार्थी जीवन में सामंती शासन और विदेशी सत्ता से देश को मुक्त कराने में आपने अपना अधिक से अधिक समय दिया है। अल्पायु होने के कारण आप जेल नहीं भेजे गये, महिलाओं के साथ-साथ उनकी ही तरह अल्पायु बालकों को जंगलों में छोड़ दिया जाता था जहां से लाने की व्यवस्था प्रजामंडल कार्यकर्त्ता किया करते थे।

श्री गोपाल शरण माथुर

श्री गोपाल शरण माथुर एडवोकेट का जन्म तिजारा में 5 अगस्त 1922 को हुआ। आपके पिता श्री गुलाब सिंह माथुर ऑफिस कानूनगो थे। आपने कक्षा 5 तक शिक्षा गाँव से की व अलवर से इण्टरमिडियेट किया, स्नातक की परीक्षा कानपुर से तथा एल.एल.बी. की डिग्री आगरा से प्राप्त की है।

शिक्षा के दौरान आप गांधीजी की त्याग तपस्या से प्रभावित हुए तथा उनके विचारों से आपके अन्दर भी राष्ट्र की सेवा करने का भाव उत्पन्न हुआ। सामन्ती उत्पीड़न को देख सुन कर सामंती सरकार के प्रति आपके मन में भी रोष उत्पन्न हो रहा था।

सन् 1942 में जब आप कानपुर में पढ़ रहे थे, उस समय श्री रामजी लाल अग्रवाल भी वहां पढ़ रहे थे तब एक खादी प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें श्री रामजी लाल अग्रवाल के साथ आपने भी भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भी आपने भाग लिया था।

सन् 1944 से आपने वकालत करना प्रारंभ कर दी। सन् 1944 में ही आप श्री कृपादयाल माथुर तथा घासी राम गुप्ता के सम्पर्क में आए और आपने प्रजामण्डल की विधिवत सदस्यता ली। 1944 से ही आपने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया।

1946 'में गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिजारा प्रजामंडल के अध्यक्ष के आदेश पर एक सिपाही की तरह आपने उनके आदेशों का पालन किया। आपकी ड्यूटी गांव-गांव घूम कर जत्थों के लिए आदमी जुटाने की थी। आप जत्थे अलवर सत्याग्रह में भेजते रहते थे। सन् 1947 में जब आदमी ने अपनी इंसानियत को भुला कर एक पशु का रूप धारण कर लिया तब आल्हा की तर्ज पर राष्ट्रीय गीत गाने वाले एक सज्जन श्री नानकचंद को साथ लेकर, घासीराम गुप्ता आदि के सहयोग से टपूकड़ा में मीटिंग की, फिर झिवाणा में की। लोगों में साम्प्रदायिक एकता का भाव जागृत करने का काम किया। टपूकड़ा गोली काण्ड के बाद 1947 में आप अलवर आ गये।

श्री हजारी लाल सोनी

श्री हजारी लाल सोनी का जन्म माघ मास की अष्टमी वि. सं. 1972 को किशनगढ़ यास

में हुआ। आपके पिता श्री मामराज सोनी अपना पैतृक धन्धा करते थे। आप कक्षा 2 तक ही शिक्षा ग्रहण कर सके। आपको प्रेरणा महात्मा गांधी के विचारों से मिली। अंग्रेजों ने अत्याचार, शोषण, अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा कर जो देश को गुलाम बना रखा था उससे आपके मन में विद्रोह की भावना जागृत हुई। इसके विरुद्ध आपने प्रचार, प्रसार तथा सभाओं आदि में भाग लेकर जनता को जाग्रत करने का कार्य बहुत कम आयु में शुरू कर दिया। अंग्रेजों की हिमायत पर सामंती शासन भी जुल्म और अत्याचार करता था उससे भी आपके मन में रोष पैदा होता था।

अगस्त सन् 1946 में प्रजामण्डल द्वारा 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन करने का निर्णय लिया जिसमें सरकारी इमारतों पर झण्डा लगाने, तहसीलों पर अर्थी निकालने आदि के आदेश दिये गये। सरकार ने जुलूस जत्थों पर रोक लगा दी लेकिन आपने अपने साथियों के साथ यह सब किया जिसके कारण सामंती सरकार आतंकित हो गई और इनको और इनके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए इनकी तलाश में लग गई। श्री हजारी लाल सोनी अलवर आकर सत्याग्रहियों के जत्थों में शामिल हो गये। सत्याग्रह करने का सिलसिला कई दिनों तक चला। पुलिस पकड़ कर सत्याग्रहियों को दूर पहाड़ों में छोड़ आती।

साथी इनको वहां से लेकर आते ये पुनः जत्थों में शरीक हो जाते। एक दिन पुलिस गिरफ्तार कर इनको जेल में ले गई। वहां सत्याग्रहियों से माफी मंगवाने के लिए पुलिस जोर जुल्म करती। थप्पड़ों और ठोकरों से बेहाल कर देती। सामंती सरकार द्वारा तरह-तरह के कष्ट दिये जाने के बावजूद भी श्री हजारी लाल सोनी टूटे नहीं, बल्कि आपका मनोबल और भी बढ़ा। 4-5 दिन जेल में रहने के बाद 2 सितम्बर 1946 को आप अन्य सत्याग्रहियों के साथ जेल से रिहा कर दिये।

श्री हरफूल

श्री हरफूल का जन्म संवत 1976 में खैरथल कस्बे में हुआ। आपके पिता श्री रामजीलाल दुकानदारी किया करते थे।

खैरथल में आप की व्यवस्था ठीक न होने पर फिरोजपुर चले गये। वहां पर भी वे दुकानदारी करते थे। श्री हरफूल ने कक्षा 9 तक की शिक्षा पंजाब में ही पाई थी। श्री हरफूल के पिता फिरोजपुर में सरदार भगतसिंह की टोली में थे। भगतसिंह की फांसी के समय तक फिरोजपुर में रहे उसके बाद वापिस खैरथल आ गए। सच पूछा जाये तो श्री हरफूल को राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने की प्रेरणा अपने पिता द्वारा ही मिली।

खैरथल में आकर आप प्रजामण्डल के सदस्य बन गये तथा प्रजामण्डल के आदेश-निर्देश पर कार्य करने लगे। आप गांवों में जाकर प्रजामण्डल का प्रचार करते, गांधीजी के संदेशों को पहुंचाते, देश की राजनीतिक गतिविधियों से लोगों को जानकारी कराते। इसमें उन्हें काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा किन्तु अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। उन दिनों के सामन्ती शासन के जोर जुल्म का भी आप विरोध करते। 2 फरवरी को खेड़ा मंगलसिंह में आयोजित जागीर विरोध सभा में भाग लेने आप भी अलवर ट्रक में बैठ कर गये। हालांकि वहां मीटिंग से एक दिन पहले ही प्रजामण्डल के अलवर के प्रमुख नेता [illegible] श्री रामजीलाल

अग्रवाल, ला. काशीराम आदि को पहले गिरफ्तार कर लिया था मगर फिर भी मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता पृथ्वीनाथ भार्गव वकील ने की जिसमें श्री फूलचन्द गोठड़िया तथा दयाराम आदि के बड़े जोशीले भाषण हुए। सामन्ती शासन के दमन चक्र के बावजूद वहां भी काफी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए।

'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन जो अलवर प्रजामण्डल के निर्णयानुसार 26 अगस्त से प्रारम्भ हुआ उसमें भी श्री हरफूल ने हिस्सा लिया और दूसरे जत्थे में गिरफ्तार कर जेल भेजे गये। जेल में बड़ा जुल्म हुआ। माफी मांगने के लिए घण्टों धूप में खड़ा किया जाता, बेरहमी से मारपीट की जाती फिर भी कोई माफी मांगने को तैयार नहीं होता तो उस जमाने का कुख्यात डाकू बिरजूसिंह जो उस समय जेल में सजा भुगत रहा था उसके पास भेज देते। बिरजूसिंह लात, घूंसों, ठोकरों से मार-मार कर लहू-लुहान कर देता। ये अत्याचार श्री हरफूल ने भी सहे मगर आपने माफी नहीं मांगी और 2 सितम्बर 1946 को सभी सत्याग्रहियों के साथ आप भी जेल से छूटे। जेल से छूटने पर सभी सत्याग्रहियों का जनता ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। खैरथल में भी जनता ने मालाओं से लाद दिया।

श्री नन्द किशोर शर्मा

श्री नन्द किशोर शर्मा का जन्म विक्रमी संवत 1978 में हुआ। आपके पिता लक्खीराम शर्मा रामगढ़ में खेती-बाड़ी का काम करते थे। 1938 में रामगढ़ में ही आपने एंग्लो वर्नाक्यूलर परीक्षा पास की।

रामगढ़ में रहते हुए आप तहसील में जमा न देने पर किसानों को काठ में कस कर सर पर 20 सेर का पत्थर लिए धूप में खड़े देखते, गरीबों से बिना पारिश्रमिक सुबह से शाम तक भूखे रहकर जानवरों की तरह बेगार में काम लिया जाते देखते तो आपके भी मन में इस निरंकुश शासन के विरुद्ध बगावत करने के भाव जागृत होते। आप रामगढ़ में रहते हुए वहां के जागरूक युवा फूलचन्द गोठड़िया जी के सम्पर्क में आये और उनको अपना नेता मान लिया। वारफण्ड की जबरन वसूली के खिलाफ रामगढ़ की जनता को जागृत करने के उद्देश्य से आप प्रजामण्डल के प्रचार, प्रसार में जुट गए और गांव-गांव जाकर प्रचार करने लगे।

इस कार्य में आपको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांवों में जागीरदारों के आदमी पोस्टर नहीं लगाने देते, गाली गुफ्तार करते, यहां तक कि हाथा-पाई पर भी उतर आते, मगर आप बिल्कुल भी भय नहीं खाते और अपना काम करते रहते। रामगढ़ के अलावड़ा, मुबारिकपुर, नौगांवा आदि स्थानों पर प्रजामण्डल कार्यालय खुलवाने में योगदान किया। गांव व घर वाले सरकार द्वारा पकड़ लिये जाने का भय दिखाते मगर आप बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। अगस्त 1946 को फूलचन्द गोठड़िया के नेतृत्व में 3000 की भीड़ का जुलूस निकाला गया जो गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ों के नारे लगा रहा था इसमें गोठड़िया के साथ आप भी थे।

जुलूस पर पुलिस द्वारा भीषण लाठी-चार्ज किये जाने से गोठडिया जी के दोनों हाथ उतर गए रोशनलाल का सर फट गया और नन्द किशोर पर लाठियां पड़ी जिसमें हाथ का भौंपू

धकनाचूर हो गया आप भी घायल हुए फिर भी 26 अगस्त से अलवर में चालू हुए आन्दोलन में आपने सत्याग्रह में भाग लिया। जेल गये वहां आपने अनेक यातनाएं सही मगर आप टूटे नहीं। 9 दिन जेल में रहकर अन्य सत्याग्रहियों के साथ आप भी 2 सितम्बर 1946 को जेल से छूटे।

श्री गूगन सिंह

श्री गूगन सिंह का जन्म ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर में संवत् 1977 में हुआ। आपके पिता का नाम रूदसिंह है जो खेती का कार्य करते थे तथा गांव के नम्बरदार थे। आपके गांव में कोई स्कूल न होने से आप शाहजहांपुर में पढ़ने जाया करते थे जो उस समय अलवर राज्य में नहीं था।

आपको बचपन से ही गांधी जी की बातों को सुन-सुन कर देश के प्रति प्रेम भावना का ज्ञान हो गया था।

छोटे-छोटे आन्दोलन में भाग भी लेते रहे किन्तु रोजी रोटी का प्रश्न सामने आने पर आप 1940 में इण्डियन आर्मी में भर्ती हो गए। आर्मी में रहते हुए आपने सिंगापुर, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, हांगकांग, आदि देशों की यात्रा की।

श्री गूगन सिंह नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में सुन-सुन कर तथा उनके द्वारा आजादी के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी प्राप्त कर उनके प्रति श्रद्धा रखने लगे थे। युद्ध में अंग्रेजों की पराजय होने पर आप जापान द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। श्री सुभाषचन्द्र बोस ने जब इण्डियन नेशनल आर्मी का गठन किया तो आप भी अन्य बन्दियों की भांति इण्डियन नेशनल आर्मी में भर्ती हो गए। नेताजी के भाषण के प्रभाव से अनेक लोगों ने इण्डियन नेशनल आर्मी में भर्ती होना स्वीकार किया था।

अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए आपको फौजी टुकड़ी चटगांव तक आ गई थी लेकिन जापान द्वारा हार स्वीकार किये जाने पर आप अंग्रेजों द्वारा बन्दी बना लिए गए वहां आप 7 माह तक सिंगापुर में कैद रहे। सिंगापुर से बन्दियों को भारत लाने के लिए जहाज में बैठने को सिर्फ हिन्दुस्तानियों के लिए कहा गया तो सभी ने मना कर दिया क्योंकि उस समय यह खतरा हो गया था कि कहीं अंग्रेज इस जहाज को ही न डुबो दें। अतः आप और आपके साथियों ने उस जहाज में अंग्रेजों को भी बैठाने की जिद की। आखिर अंग्रेज सरकार को फौजियों की यह मांग स्वीकार करनी पड़ी और जहाज में अंग्रेजों को भी बैठा कर भारत लाया गया जहां से सैन्टर में भेज दिये गये। पकड़े गये फौजी कैदियों की तीन श्रेणियाँ बनाई गई। ब्लैक, व्हाईट और ग्रीन।

जिन्होंने परिस्थितिवश इण्डियन नेशनल आर्मी में जाना स्वीकारा उन्हें व्हाईट श्रेणी में नौकरी पर रखा। जिन्होंने जबर्दस्ती अंग्रेजी सेना में जाना स्वीकारा उन्हें ग्रीन श्रेणी दे किराया-भाड़ा तथा कुछ रुपया दे नौकरी से निकाला गया। किन्तु जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना से इण्डियन नेशनल आर्मी में जाना स्वीकारा उन्हें ब्लैक लिस्ट करार देकर बिना कुछ भी दिये नौकरी से निकाल दिया।

श्री गूगन सिंह ने देश की आजादी के लिए इण्डियन आर्मी में जाना स्वीकारा, अतः आपको ब्लैक श्रेणी में रख बिना कुछ भी दिये नौकरी से निकाल दिया गया। आप 26 मार्च

1946 को अपने गांव आ गए। गांव आकर आप अगस्त 1946 के 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में सक्रिय रहे।

श्री प्रकाश चन्द जैन

श्री प्रकाश चन्द जैन का जन्म रामगढ़ कस्बे में विक्रम संवत 1986 की कार्तिक बदी अष्टमी को हुआ। इनके पिता का नाम श्री रूपकिशोर जैन है जो कस्बे में ही दुकानदारी किया करते थे। विदेशी शासन विरोधी अभियान में श्री प्रकाशचन्द जैन जुट गए और इतने तल्लीन हो कर जुटे कि पढ़ाई लिखाई छूट गई और कक्षा सात तक ही अध्ययन कर सके।

प्रजामंडल की सदस्यता अभियान में गांव-गांव में घूम कर पर्चे बांट कर तथा मीटिंगों में उपस्थित रह कर सदस्य संख्या बढ़ाने का कार्य किया। जिस किसी गांव में मीटिंग करनी होती तिरंगा झण्डा हाथ में लेकर, महात्मा गांधी की जय के नारे बोलते हुए पर्चे बांटते आसपास के गांवों में जनता को अधिक से अधिक लाने का प्रयास करते। यदि किसी गांव में सामन्ती चमचों द्वारा महात्मा गांधी की जय के नारों का विरोध किया जाता अथवा मीटिंग करने में कोई अड़चन पैदा करता तो बांह चढ़ा कर वे उनका मुकाबला करने को भी तत्पर रहते।

श्री प्रकाश चन्द जैन ने रामगढ़, गोविन्दगढ़, अलावड़ा, मुबारिकपुर आदि में प्रजामंडल के कार्यालय खुलवाये जिससे रामगढ़ कस्बे का नाम पूरे अलवर राज्य में चमका दिया। नवयुवकों को पराधीनता से मुक्ति पाने हेतु संघर्ष करने के लिए आह्वान करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते। अलवर राज्य में आयोजित होने वले राज्य स्तर अथवा क्षेत्र स्तर के सभा, जुलूस, आंदोलन आदि में जहां तक बन पड़ता हिस्सा लेते रहते थे। इसमें कभी चूक नहीं करते।

सन् 1945 में पी.ई.एन. कांग्रेस के जयपुर में आयोजित सम्मेलन में विद्यार्थी डेलीगेट की हैसियत से श्री प्रकाशचन्द जैन ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू ने की थी, जिसमें श्री जवाहर लाल नेहरू तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी भी आई थी। महात्मा गांधी और कांग्रेस का संदेश जन-जन में पहुंचाने तथा प्रजामंडल के कार्य में दिन-रात लगे रहने के कारण जहां इन की पढ़ाई-लिखाई चौपट हो गई वहीं धन्धा भी चौपट हो गया और काफी विपन्नावस्था में आ गये थे।

26 अगस्त 1946 को 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन के प्राथमिक जत्थे में गिरफ्तार कर इन्हें भी जेल भेज दिया गया। जेल में इनको अनेक यातनाएं दी गई। माफी मांगने के लिए व इन्हें हतोत्साहित करने का काफी प्रयास किया गया। चलस द्वारा कुए से पानी खींचने तथा चक्की पीसने को कष्टदायक स्थिति का बड़ा ही भयानक तरीके से वर्णन किया गया। किन्तु श्री प्रकाशचन्द जैन इससे हतोत्साहित नहीं हुए, माफी नहीं मांगी।

सामन्ती जेल प्रशासन के अत्याचारों से भी प्रकाश चन्द जैन नहीं घबराये। जब इनसे इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने अपना वास्तविक नाम न बतला कर 'शेर बच्चा' बताया। इनके मुंह पर तमाचों की मार लगाई गई इस पर भी जब इन्होंने अपना असली परिचय तब चक्की का पाट इनके हाथ पर रख दिया। जब यातना की वेदना असहनीय हो गई तो श्री प्रकाश चन्द ने यह चक्की का पाट तत्कालीन जेल अधीक्षक मि. मार्टिन के पैरों पर पटक दिया। मार्टिन जख्मी हो गये

और काफी दिनों तक संगहाते चलते थे। इस घटना के पश्चात श्री जैन को काल कोठड़ी में डाल दिया। काल कोठड़ी की यातना बड़ी असह्य होती थी। एक छोटी सी कोठड़ी, जिसमें रोशनी की कोई गुंजाईश नहीं, पैर भी मुश्किल से पसारे जाते। घमगादड़ों के निवास के कारण असह्य दुर्गन्ध ऊपर से मल-मूत्र के पात्र भी इसी कोठड़ी में और फिर वहीं पर खाना दिया जाता था। अन्य नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ ही इन्हें भी जेल से रिहा किया गया।

श्री मोती लाल शर्मा

श्री मोती लाल शर्मा का जन्म 19 सितम्बर 1926 को अलवर में हुआ। आपके पिता का नाम पंडित छाजूराम है। आपने बी.ए. की डिग्री राजर्षि कॉलेज में पढ़ते हुए 1952 में प्राप्त की तथा एल.एल.बी. की डिग्री 1980 में अलवर से ही प्राप्त की।

फरवरी 1946 के किसान आन्दोलन में जब सभी नेता गिरफ्तार हो गए आपने भी सक्रिय भूमिका निभाई। छात्रों का जुलूस लेकर निकलते, हड़ताल करवाते। आपकी धर्मपत्नी स्व श्रीमती कमलेश कुमारी भी राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेती थी। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन भी प्राप्त थी।

'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन जो अगस्त 1946 में हुआ था। इसका नेतृत्व 26 अगस्त को श्री कृपादयाल माथुर को करना था वे काफी दिन पहले तिजारा से अलवर आए। श्री मोतीलाल शर्मा कॉलेज के छात्रों का एक विशाल जुलूस लेकर आये। हड़ताल की वजह से बाजार बन्द था। गली के पास सिटी मजिस्ट्रेट मुकुट बिहारी लाल माथुर पुलिस के साथ मौजूद थे। जुलूस को रुकवाया गया। भोंपू से (उन दिनों लाउडस्पीकरों का चलन नहीं था) ऐलान करवाया कि शहर में धारा 144 लागू है, सभी लोग यहां से चले जाओ। वर्ना बन्द कर दिये जाओगे। भीड़ ने जोश से कहा हम बन्द होने आये हैं। उन्होंने 10 मिनट का समय दिया, भीड़ नहीं हटी, फिर 5 मिनिट का समय और दिया। सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गये थे। केवल मास्टर भोलानाथ ही भूमिगत रह कर आन्दोलन का संचालन कर रहे थे। सूचना मिली मास्टर जी इस समय कांग्रेस कार्यालय में हैं। श्री मुकुट बिहारी लाल माथुर सिटी मजिस्ट्रेट मय पुलिस फोर्स के आये। श्री मोती लाल शर्मा उधर से गुजर रहे थे, कुछ छात्र भी साथ थे। आपने मा. भोलानाथ से मिलना चाहा। थानेदार और मजिस्ट्रेट ने मना किया तो आपने छात्रों से कहा कि ट्रक को घेर लो और आग लगा दो। तब भोलानाथ जी ने मोती लाल शर्मा से कहा, देखना आन्दोलन ठप न पड़ जाये वर्ना सारे सत्याग्रहियों को सामंती सरकार जेल में सड़ा देगी। आप भी इस 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन में 28-29 को गिरफ्तार हो गये। तब जेल में घुसने पर पंजों के बल बैठाया जाता ऊपर से थप्पड़ लगाए जाते। माफी न मांगने पर जेल के अन्दर चांदमारी की जाती। अन्य सत्याग्रहियों के साथ आप भी 2 सितम्बर को रिहा किये गये।

श्री जगन प्रसाद स्वामी

श्री जगन प्रसाद स्वामी का जन्म 10 फरवरी 1929 को गोविन्दगढ़ में हुआ। आपके पिता का नाम श्री अमरचन्द स्वामी है जो सेवा-पूजा किया करते तथा खेती का काम करते थे। आपने आठवीं तक की शिक्षा गोविन्दगढ़ में ही रहकर प्राप्त की तथा प्राइवेट दसवीं कक्षा पास की।

श्री स्वामी को बालपन से ही गाने में रुचि थी तथा राष्ट्रीय भावना के गीत आप बड़े शौक से गाते थे। ग्राम मौजपुर में आपकी बुआ रहती थी। एक बार मा. भोलानाथ मौजपुर में प्रजामंडल की सभा करने आये। वे सभा की कार्यवाही से पूर्व भारत माता की प्रार्थना कराया करते थे। मंच से उन्होंने बच्चों के साथ भारत माता की प्रार्थना सस्वर गाई। मा. भोलानाथ जी आपसे बड़े खुश हुए पूछा क्या कर रहे हो। जब आपने कहा कि कुछ नहीं तो अपने साथ अलवर ले आये। अलवर आकर आप प्रजामण्डल के कार्यालय में रहने लगे। यह वर्ष 1945-46 की घटना है।

मा. भोलानाथ कई अखबारों के संवाददाता थे। श्री जगनप्रसाद स्वामी उनका काम करते, कुछ अखबारों का काम करते तथा जहां कहीं सभा होती तो मास्टर जी आपको भी साथ ले जाते थे। इस प्रकार राष्ट्रीय गतिविधियों से जुड़े। श्री स्वामी खेड़ा मंगल सिंह में भी जागीर विरोधी सभा के अवसर पर जो 2 फरवरी 1946 को हुई थी, भाग लेने पहुंचे थे।

इसके बाद पारिवारिक परिस्थितियों के कारण एक रिश्तेदार ने आपको अध्यापक की नौकरी दिला दी और आप ग्राम उल्हाड़ी चांदपुर में अध्यापक का कार्य करने लगे। गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो आन्दोलन के पूर्व श्री जगनप्रसाद स्वामी के पास मा. भोलानाथ का पत्र आया कि परतंत्र भारत में अंग्रेजों की गुलामी में नौकरी करना अच्छी बात नहीं है, स्तीफा देकर फौरन अलवर आ जाओ। बस मास्टर जी के आदेश की अनुपालना में आप स्तीफा देकर अलवर आ गए। अगस्त 1946 में गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो आन्दोलन में आपने सक्रिय भूमिका निभाई और गिरफतार कर जेल भेज दिये गये। जेल में ले जाकर आपको एक अकेले बैरक में बन्द किया गया। वहां अत्यधिक मच्छर थे। अंधेरा तो था ही। सारी रात दरवाजे की तानियों के पास खड़े रह कर गुजारी। सुबह जेल अधीक्षक मार्टन ने व्यंग्य में हाल-चाल पूछा। आपने मच्छर काटने की शिकायत की। दूसरे दिन आपको ऐसी कोठरी में बन्द किया जहां टखुनों तक पानी भरा था। तीसरे दिन ऐसी कोठरी में भेजा जहां 20-25 और सत्याग्रही थे। आपके पिताजी आपसे जेल में मिलने गये तो वे रोने लगे, तब अधीक्षक जेल ने माफी नामा लिख कर देने को कहा, मगर आपने नहीं लिखा। इससे पूर्व भी आप 2-3 बार जेल गये थे। मत्स्य संघ बनने पर आप मा. भोलानाथ के पी.ए. रहे। बाद में आपने अध्यापक की नौकरी कर ली। आप साहित्य के साथ संगीत में रुचि ही नहीं रखते बल्कि माहिर भी हैं। आपने स्वयं को 'राम' और राष्ट्र को प्रति समर्पित कर रखा है। भारतीय राग-रागनियों में आपने भगवद् भक्ति के साथ-साथ राष्ट्र भक्ति के छोटे-छोटे छन्द रचे हैं जो दूर-दूर तक काफी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

श्री भंवर सिंह

श्री भंवर सिंह का जन्म 5 जुलाई 1920 को ग्राम जमालपुर में हुआ। आपके पिता का नाम श्री शिवदान सिंह था। राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा के लिए आप अपना आदर्श श्री रास बिहारी बोस को मानते हैं। रोजी रोटी के लिए श्री भंवर सिंह 9.2.1941 को अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो गए और अंग्रेजों की तरफ से लड़ते समय जब अंग्रेजी फौजें जापानियों से हार गई तो आपको जापान सरकार ने कैद कर लिया।

श्री रास बिहारी की प्रेरणा से देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए आप इण्डियन नेशनल आर्मी (आजाद हिन्द फौज) में 15 फरवरी 1942 को भर्ती हो गये। 1943 में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस भी जर्मनी से सिंगापुर आ गए। यहां आकर नेताजी ने भारी संख्या में आजाद हिन्द फौज में भर्ती की तथा युद्ध का अभ्यास कराया। देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए हर सिपाही में एक अजीब ही प्रकार का जोश था। श्री भंवर सिंह आर्मी फौज के साथ 1945 तक बर्मा बार्डर पर लड़ते रहे लेकिन जब अमेरिका ने हिरोशिमा, नागासाकी पर एटम बम डाले और उससे जो नरसंहार हुआ तो जापान ने हथियार डाल दिये।

18 अगस्त 1945 को नेताजी को टोकियो बुलाया गया क्योंकि उन्होंने हथियार नहीं डाले थे। उन्होंने तो हथियार डालने से इंकार ही कर दिया था। नेताजी टोकियो नहीं आ पाये थे, सुना था कि जिस जहाज से नेता जी आ रहे थे वह एक्सीडैण्ट में नष्ट हो गया था। इसके बाद अंग्रेजी फौज ने आजाद हिन्द फौज के जवानों को गिरफ्तार कर लिया जिसमें श्री भंवर सिंह भी थे। जेल में फौजी बन्दियों को कड़ी यातनाएं दी गई। गंदे काम कराये गए नालियां साफ कराई गई, मैसों में जूठे बर्तन साफ कराये, राशन भी मात्र 5 औंस ही देते। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर सब बन्दियों को भारत भेज दिया गया। यहां आकर जब आपसे आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने का कारण पूछा तो आपने फख्र के साथ कहा कि हमारे मुल्क को आजाद कराने की नीयत से आजाद हिन्द फौज में भर्ती हुए। इस पर आपको बिना कुछ दिये फौज से निकाल दिया। 12 मई 1946 को अपने गांव में आ गए। 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन जो अगस्त 1946 में हुआ था उसमें भी आपने सत्याग्रहियों के जत्थे भेजने आदि में सक्रिय सहयोग दिया। आप जनहित के कार्य आज भी अपने ही नहीं आस-पास के गांवों में भी करते हैं। आपने अपने गांव जमालपुर में माताजी का मंदिर तथा बच्चों के स्कूल में एक कमरा भी बनवाया है। श्री भंवर सिंह को केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों से ही पेंशन प्राप्त हो रही है।

श्री रामजीलाल शर्मा (जैमन)

श्री रामजी लाल शर्मा का जन्म ग्राम मौजपुर तहसील बहरोड़ में विक्रम संवत 1974 के चैतमास में हुआ। आपके पिता का नाम वैद्य रामधन शर्मा है। सामंती शासन के विरोध में भाग लेने के लिए आपको मा. भोलानाथ से प्रेरणा मिली। मा. भोलानाथ अक्सर ग्राम मौजपुर में प्रजामण्डल के प्रचार-प्रसार के लिए आते रहते थे उनके सम्पर्क में आने पर ही आपको राष्ट्रीय भावना का ज्ञान हुआ। आप भी आस-पास के गांवों में प्रजामण्डल तथा गांधी जी का प्रचार-प्रसार करने लग गए जिसमें जागीरदारों का विरोध सहन करना पड़ता मगर आप विचलित नहीं होते थे।

आपने बचपन से ही खादी पहनना प्रारंभ किया जो अभी तक जारी है और अपने जीवनकाल में धारण करने का व्रत लिए हुए हैं। सामंती शासन के विरोध की भावना के प्रचार-प्रसार में श्री रामजी लाल शर्मा, कन्हैयालाल एवं रामजीलाल पुत्र सुन्दर लाल शर्मा का साथ एवं काफी सहयोग रहा। 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन छेड़ा गया, इस में आप और आपके सहयोगियों ने उसमें सत्याग्रह के लिए जत्थे जुटाने के साथ स्वयं भी सत्याग्रह में भाग लिया।

जेब में मुट्ठी भर चने भर कर आप सत्याग्रह के लिए उतर पड़े और 28 अगस्त 1946 को गिरफ्तार कर लिए गये। जेल में आपको कठोर यातनाएं दी गई। माफी मांगने के लिए आप पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये गए। आपको धूप में खड़ा किया गया, पंजों के बल मुर्गा बनाया गया फिर भी आपने क्षमा-याचना नहीं की तो आपके सर पर चक्की के पाट रखे गए, मगर आप टूटे नहीं भारत माता की जय बोलते रहे।

छह दिन जेल में रहने के बाद 2 सितम्बर 1946 को अन्य सत्याग्रहियों के साथ आपको भी जेल से रिहा कर दिया गया।

श्री राम यादव

श्रीराम यादव का जन्म सन् 1923 ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर में हुआ। आपके पिता का नाम श्री भैरूराम था। आपको नेताजी सुभाष चन्द बोस के त्याग व बलिदान से प्रेरणा मिली। नेताजी ने अंग्रेजी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने की प्रेरणा अपने सिपाहियों ही नहीं देश की जनता की नस-नस में कूट-कूट कर भर दी थी। उनके भाषण और देश के प्रति उनके त्याग ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आपके अन्दर जोश की लहर प्रवाहित कर दी जो आपके रोम-रोम में व्याप्त हो गई। उस जोश के परिणाम स्वरूप ही आप नेताजी सुभाष चन्द्र की आजाद फौज में एक सैनिक के रूप में भर्ती हो गए और उनके साथ ही मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़ी। आपकी वह फौजी टुकड़ी जिसमें आप सम्मिलित थे सिंगापुर से ब्रह्मपुत्र नदी तक जीतती हुई आ गई। लेकिन दुर्भाग्वश जापान की हार हो गई और आपके सारे सपने यहीं समाप्त हो कर रहे गये। आजाद हिन्द फौज के बहादुर सिपाहियों ने यह युद्ध बहुत ही कम अम्यूनेशन के बल पर लड़ा था। यह अम्यूनेशन जापान ही सप्लाई करता था। जापान की हार और नेताजी के दुनिया से चले जाने के बाद आपको कैद कर लिया और भी आजाद हिन्द फौज के सभी सिपाहियों को अंग्रेजी हुकूमत ने कैद कर जेल में बन्द कर दिया। उसके बाद आपको जिगर गच्च कैम्प कलकत्ता लाकर करीब आठ माह तक कैद में रखा। अंग्रेजी हुकूमत को यह तो पता था ही कि ये लोग नेताजी के साथी थे तो इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना तो निश्चित था ही। जेल में आपसे बहुत काम करवाया जाता तथा खाना भी बहुत खराब दिया जाता था और तो और आपको भगवान की प्रार्थना करने तक से रोका जाता था। इसके बाद आपको बिना कुछ किये अंग्रेजी हुकूमत ने रिहा कर दिया। आजाद हिन्द फौज से डिस्चार्ज होने के बाद आप अपने गांव आ गये। यहां आने के बाद भी आपने गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो वाले आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और तब से ही खादी पहनना भी शुरू कर दिया। सरकार जब किसानों के पेड़ों पर नम्बर डाल रही थी तब आपने जत्थे बना-बना कर सत्याग्रह किया और उसमें 13 दिन अलवर जेल में रह कर अपनी मांग को मनवाया। आपको केन्द्र और राज्य दोनों से पेंशन प्राप्त हो रही है। श्रीराम यादव समय-समय पर आज की पीढ़ी को स्वंतत्रता सेनानियों की कुर्बानी के किस्से सुनाते रहते हैं तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की वीरता एवं त्याग बलिदान के बारे में अवगत कराते रहते हैं।

श्री तारा चन्द जैन

श्री तारा चन्द जैन का जन्म विक्रम संवत 1980 में तहसील रामगढ़ में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री भौंरेलाल जैन है। मिडिल कक्षा पास की। शिक्षा के दौरान ही रामगढ़ की जनता को यारफण्ड के विरोध में जागृत करने के लिए सभा करने आये मा. भोलानाथ, लाल कांशीराम, रामजी लाल अग्रवाल के सम्पर्क में आये। उनके विचारों को सुनकर आप भी बड़े प्रभावित हुए तथा राष्ट्र सेवा करने का विचार उत्पन्न हुआ और प्रजामण्डल के सदस्य बन गये।

श्री ताराचन्द जैन अपने साथियों श्री नन्दकिशोर विजय, हरलाल जैन, प्रभातीलाल शर्मा, प्यारेललाल हरिजन, पांचाराम हरिजन के साथ नौगांवा,अलावड़ा, मुबारिकपुर, सलावड़ी, मंगलेशपुर, खेड़ी आदि गांवों में हाथों में झण्डे लिए हुए महात्मा गांधी की जय बोलते हुए जनता को जागृत करते हुए प्रजामण्डल का सदस्य बनाने लगे। जनता जागीरदारों से बड़ी भयभीत रहती थी। जागीर के विरोध में 2 फरवरी 1946 को खेड़ा मंगल सिंह में आयोजित सभा में भाग लेने श्री ताराचन्द जैन ट्रक में बैठाकर गये थे। उस मीटिंग में पृथ्वीनाथ भार्गव वकील जो अध्यक्षता कर रहे थे उनके तथा फूलचन्द गोठड़िया व दयाराम आदि के बड़े जोशीले भाषण हुए थे। उस सभा में काफी संख्या में लोग एकत्रित थे।

प्रजामण्डल द्वारा 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन जो 26 अगस्त 1946 से प्रारम्भ हुआ था उस समय श्री ताराचन्द जैन ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक जुलूस निकाला जिसमें जुल्म का पुतला बनाकर उसकी अर्थी निकाली तथा रामगढ़ के मुख्य मार्गों से उस जुलूस को घुमा कर रामगढ़ तहसील के सामने उस अर्थी को रख कर पुतला जलाया गया। इस अवसर पर पुलिस ने भारी लाठी चार्ज किया उसमें कुछ लोगों के काफी चोट आई। आपने सत्याग्रह में भाग लिया और गिरफ्तार किये गये। जेल में आपको यातनाएं दी गई मगर आप घबराये नहीं। 9 दिन जेल में रहकर आप भी 2 सितम्बर को अन्य सत्याग्रहियों के साथ रिहा किये गये।

श्री सोहन राम

श्री सोहन राम का जन्म अलवर जिले के ग्राम जाट बहरोड़ में 13 फरवरी 1923 को हुआ। आपके पिता का नाम श्री प्यारे लाल है। आप को राष्ट्रीय आन्दोलन तथा सामंती शासन के अत्याचारों के विरुद्ध खड़ा होने की प्रेरणा सन् 1942 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सिंगापुर में दिये गए भाषण से मिली। आजाद हिन्द फौज से वापिस अपने घर लौटने के बाद से आपने खादी पहनना प्रारंभ किया। जीवन यापन के लिए रोजी रोटी के लिए आप 1940 में अंग्रेजों की इण्डियन आर्मी में भर्ती हो गए। अंग्रेजों के हार जाने के कारण आपको जापानी फौज ने गिरफ्तार कर लिया। वहां आपने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का भाषण सुना और अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के उद्देश्य से आजाद हिन्द फौज से असलाह वगैरह हालांकि ज्यादा अच्छे नहीं थे किन्तु देश की आजादी का लक्ष्य सामने रखते हुए आपने इसकी परवाह नहीं की और पूरे तन-मन से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे।

आपको अंग्रेजी फौज ने गिरफ्तार कर लिया। वहां से आपको बन्दूक धारियों की निगरानी में कलकत्ता लाया गया। आपको और आपके अन्य साथियों के मन में यह भय बैठा दिया गया कि ये बन्दूक धारी सैनिक या तो हमें मार डालेंगे या बीच समुद्र में जहाज को ही डुबो देंगे। कलकत्ता पहुंच कर आपको और आपके साथियों को अलग-अलग गुटों में बांट दिया गया। चूंकि आपने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का साथ दिया था इसलिए आपको जेल में कठोर यातनाएं दी गई। जेल में रहते हुए आपसे गड्ढे खुदवाये गए मिट्टी डलवाई गई, खाने को भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। विरोध करने पर जान से मार डालने की धमकी दी गई। आप जेल में तीन साल रखे गए और बिना एक पैसा दिये आपको 30.12.1945 को डिसचार्ज कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद आप चिपको आंदोलन से जुड़े और पेड़ लगाने का कार्य किया।

अगस्त 1946 में प्रजामण्डल द्वारा चलाये गये गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो आन्दोलन में तत्कालीन सामंती सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए। आंदोलन में आपने सत्याग्रहियों के जत्थे भेजने का कार्य किया तथा गांवों में घूम-घूम कर जनता को आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आपको केन्द्र तथा राज्य से स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन मिलती है।

श्री मित्रसैन जैन

श्री मित्रसैन जैन का जन्म 26 जुलाई 1918 को तिजारा में हुआ। आपके पिता का नाम श्री हजारी लाल जैन है। जिन्हें लोग प्राय: मंत्री कहा करते थे। राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने की प्रेरणा आपको भूतपूर्व विधायक एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री घासीराम अग्रवाल से मिली थी। आपने सन् 1941 में प्रजामण्डल शाखा तिजारा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी तथा तब से लेकर अब तक आप शुद्ध खादी के वस्त्र धारण करते हैं।

प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण करने के बाद से आप सामंती शासन की खिलाफत एवं देश की आजादी के लिए काम करने लगे और कस्बों में जब कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था, ऐसे समय में आप अपने कुछ साथियों जिनमें श्री चुन्नीलाल स्वर्णकार, सुमेरचन्द जैन, मनोहर लाल जैन, जगजीत सिंह जैन एवं घासी राम आदि के साथ गांव-गांव में घूम कर देश की आजादी के प्रति लोगों को जाग्रत करने तथा सामंती शासन के विरोध में लोगों को प्रोत्साहन करने का काम किया करते थे। इन कार्यों से कुपित होकर आपको कई बार थाने में बुलाया जाता एवं पिटाई भी कर दी जाती। एक दो बार तो तिजारा कस्बे की आम सभा के बीच में से पुलिस ने आकर अध्यक्ष की कुर्सी मेज तथा बैठने की फर्श तथा झण्डा आदि जब्त कर लिया। अलवर प्रजामण्डल द्वारा अगस्त 1946 में सामंती सरकार की अकुशलता के परिणाम स्वरूप आम जनता की परेशानी की समस्या को लेकर गैर-जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो आन्दोलन में भी आपकी सक्रिय भागीदारी रही। कुछ सत्याग्रही जब सत्याग्रह में भाग लेने अलवर जा रहे थे तब बस में बैठे सत्याग्रहियों को पुलिस उतार कर ले गई और थाने में लाकर बैठा दिया, उनमें श्री मित्रसैन जैन भी थे। पुलिस ने जब आपको तथा आपके साथियों को अलवर जाने से रोकना चाहा तो इस बात पर काफी विवाद हो गया और आपने थाने में ही सत्याग्रह करने का निश्चय किया और धरने पर बैठ गए। इस घटना की खबर कस्बे तथा गांवों में लगी तो काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और थाने को घेर लिया। इससे थानेदार डर गया और आप लोगों को छोड़ दिया गया।

आप अलवर आकर सत्याग्रहियों के जत्थे में शामिल हो गए और लादिया गेट वाले कचहरी गेट पर आपको सत्याग्रह करते हुए 28 अगस्त 1946 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उस समय सामंती सरकार के जेल प्रशासन ने काफी उत्पीड़ित किया तथा यातनाएं दी। प्रजामण्डल और रियासती प्रशासन के समझौता स्वरूप अन्य सत्याग्रहियों के साथ आपको भी 2 सितम्बर 1946 को रिहा कर दिया गया। श्री मित्रसैन जैन को राज्य सरकार की ओर से ताम्र पत्र मिला है एवं पेंशन भी मिल रही है। आप तिजारा नगर पालिका के 1959-60 में अध्यक्ष रहे हैं तथा नगर पालिका के ग्राम पंचायत में परिवर्तित होने पर उसके सरपंच भी चुने गए।

मास्टर हरिनारायण सैनी

मास्टर हरिनारायण सैनी का जन्म अलवर शहर में कातिक वदी पंचमी संवत 1981 को हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री हरलाल सैनी है। मास्टरजी को 10 वर्ष की आयु में पढ़ने के लिए शाला में भेजा गया। प्रारंभिक शिक्षा आपने मिशन स्कूल में प्राप्त की। आप छात्र जीवन में एक मेधावी छात्र रहे हैं। सन् 1944 में आपने हाई स्कूल परीक्षा पास की तथा एम.ए. तक की शिक्षा प्राईवेट परीक्षाएं दे कर प्राप्त की।

मास्टर हरिनारायण सैनी जब कक्षा 8 के विद्यार्थी थे तब प्रमुख आर्य समाजी तथा राजनीति में रुचि रखने वाले श्री नारायण दत्त गुप्ता तथा श्री दयाराम के सम्पर्क में सन् 1937-38 के आस पास आये और सन् 1940 में प्रजामण्डल की सदस्यता का फार्म श्री नत्थूराम मोदी जो सदस्यता अभियान में जुटे हुए थे को भरकर दे दिया और विधिवत सदस्यता ग्रहण कर ली। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करने के विरोध में देश व्यापी आंदोलन छिड़ गया। अलवर में भी इस आन्दोलन का प्रभाव पड़ा। स्कूलों-कॉलेजों में हड़ताल हुई। इन्हें भी इस मौके पर सक्रिय रूप से भाग लेने का मौका मिला। इस आंदोलन में कुछ अति उत्साही छात्रों ने टेलीफोन आदि के तार काट दिए तथा लैटर बॉक्सों में आग लगा दी। इस आंदोलन के बाद तो मास्टर जी का प्रजामण्डल के कार्यालय में रोजाना जाने का नित्य नियम सा बन गया। श्री दयाराम भी इनके साथ जाया करते थे। सन् 1942 से 44 तक तो यह कार्यक्रम अनवरत चलता रहा। मा. हरिनारायण सैनी बालपन से ही जाति-पाँति, छुआछूत आदि में विश्वास नहीं रखते हैं। गांधी जी के अछूतोद्धार कार्यक्रम के तहत 1944 से 1946 तक दो स्कूलों में हरिजन छात्रों को पढ़ाने का कार्य किया। दिन में 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक तो तीजकी मोहल्ला स्थित स्कूल में तथा रात को खदाना मोहल्ला के स्कूल में कक्षा आठ तक के हरिजन सेवक संघ नाम संस्था के तत्वाधान में चलाये जा रहे थे, जिसके श्री नारायण दत्त गुप्ता जनरल सैकेट्री थे। स्कूल चलाने के लिए चन्दा भी इकट्ठा किया जाता था जिसमें से हरिजन बालकों को स्वच्छ रखने के लिए साबुन व ड्रेस उपलब्ध करायी जाती थी। सन् 1946 में हरिजन सेवक संघ द्वारा सुगना बाई धर्मशाला के पास स्थित राम लक्ष्मण मंदिर में अन्नकूट के आयोजन में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जिसमें हरिजनों के साथ सवर्णों ने एक पंगत में बैठकर उनके हाथ का परोसा गया चावल, कढ़ी, बाजरा खाया। यह घटना अलवर शहर में एक क्रांतिकारी घटना थी। श्री नारायण दत्त गुप्ता तथा श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री शांति स्वरूप डाटा ने जब सर्वोदय प्रेस खोला सन् 1947 से 1951 तक स्वतंत्र भारत अखबार इस प्रेस में छपता था। इस अखबार के सम्पादक मा. भोलानाथ

थे और सहायक सम्पादक के रूप में मा. हरिनारायण सैनी कार्य किया करते थे। मा. भोलानाथ को तो अधिक समय नहीं मिलता था वे तो राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त रहते थे और 5-7 अखबारों के भी संवाददाता थे। वे सिर्फ नोट्स देते थे और सैनी जी उनकी खबर बना कर कम्पोज करवाते और छपवाते थे। इनको पूरी रात ही काम करना पड़ता था। मायाराम जी प्रात: आकर सभी अखबारों पर पते आदि लिख कर डिस्पैच का मारा काम किया करते थे। अन्य अखबारों में भी खबरें देनी होती थी। अत: मा. हरिनारायण सैनी तथा दयाराम जी उन खबरों की कार्बन से नकल करने का काम किया करते थे। स्वतंत्र भारत में काम करने तथा प्रजामण्डल के कार्यालय में नित्य प्रति जाने से सम्पादक की जानकारी हुई। आपने महावर नवजीवन कार्यालय में सहायक का कार्य का सम्पादन किया। यहीं से आपको सम्पादन के कार्य का अनुभव तथा रुचि उपजी।

श्री फूलचन्द गोठड़िया तथा मा. हरिनारायण सैनी को इनके रचनात्मक कार्यो के कारण, प्रजामण्डल के हितों को ध्यान में रखते हुए, इनके चाहने पर भी कार्यकारिणी ने इन्हें गिरफ्तार होने के आदेश नहीं दिए। बल्कि भूमिगत रहते हुये भी पार्टी का कार्य करते रहने के निर्देश मिलते रहे और इन्होंने आज्ञाकारी सैनिक की तरह उनका पालन किया। श्री फूलचन्द गोठड़िया की जहां संगठनिक शक्ति तथा आंदोलन को गति देने की अपूर्व क्षमता थी वहीं मा. हरिनारायण सैनी में अखबार के माध्यम से जनता में प्रचार तथा आंदोलन में बाहर से आये जत्थों की सुख-सुविधा तथा एकत्रित करने और रखने की क्षमता थी। मा. हरिनारायण सैनी फरवरी 1946 तथा अगस्त 1946 केआन्दोलनों के जमाने में सत्याग्रहियों को ठहराने की व्यवस्था करते उन्हें खाने के लिए गुड़ और चनों की व्यवस्था करते तथा पुलिस को भ्रम जाल में रखकर सत्याग्रहियों को सत्याग्रह के स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते थे। महिला सत्याग्रहियों को दूर दराज जंगलों में राज्य की पुलिस द्वारा छोड़ने पर उनको वापिस लाने की व्यवस्था करते। महिला कार्यकर्त्ताओं के महाराजा से वार्ता के लिए विजय मंदिर जाते समय तांगे के साथ-साथ साईकिल से जाकर सत्याग्रहियों की व्यवस्था करते। इस कार्य में वे श्री गोठड़िया जी से विचार विमर्श किया करते थे। गोठड़िया जी के अस्पताल में भर्ती रहने के समय बिना नागा उनसे मिलते और सलाह मशविरा करते। सत्याग्रहियों की संख्या कम पड़ने पर मास्टर जी ने बर्फखाने के कुछ आदमियों को नौकरी छुड़वा कर सत्याग्रह में भेजा जिनमें से कई स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं।

श्री रामजी लाल सैनी

श्री रामजी लाल सैनी का जन्म 30 अक्टूबर 1925 को ग्राम हरसौली में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री नत्थूराम सैनी है। आपने कक्षा पांच तक शिक्षा प्राप्त की है। रामजी लाल सैनी को राष्ट्रीय आंदोलन तथा सामंती शासन के विरोध की प्रेरणा शोभाराम, लाला काशीराम, मा. भोलानाथ, कृपादयाल माथुर एडवोकेट आदि के द्वारा मिली। आप दस वर्ष तक प्रजामण्डल के सदस्य रहे तथा 1943 से खादी पहनना प्रारंभ किया।

रामजी लाल सैनी राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में लाहौर में ग्राम दरबारपुर (अजरका) के एक राव साहब की हलवाई की दुकान में नौकरी किया करते थे। आप जब 16-17 वर्ष के थे

तब वहां दो अंग्रेज अफसरों के दुर्व्यवहार करने पर उन पर बुरी तरह पथराव किया और घायल कर दिया फलस्वरूप आपको गिरफ्तार कर लिया गया और ऋषिराज कॉलेज लाहौर में आपको डाल दिया गया। जेल में आप पर अंग्रेजों ने बड़े अत्याचार किये। आपका कहना कि लाहौर जेल से पं. जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अग्रणी नेताओं के हस्तक्षेप पर आपको रिहा किया गया। लाहौर जेल में आप 3 माह 15 दि रहे। इस दौरान आपको बेरहमी से काल कोठरी में बन्द कर दिया जाता। भर पेट भोजन भी न दिया जाता था। आप 15 दिन अस्पताल में भी रहे। लाहौर जेल से रिहा होने के बाद श्री राम लाल सैनी अपने गांव वापिस आ गये और सामंती शासन के अत्याचारों का विरोध करने लगे

अगस्त 1946 में अलवर प्रजामण्डल द्वारा चलाये गये 'गैर जिम्मेदार मिनिस्ट्री कु छोड़ो' आंदोलन में आपने सक्रिय भूमिका निभाई। सत्याग्रह करने पर आपको पकड़ कर जे में डाल दिया गया और माफी मांगने के लिए मार-पीट और अत्याचार किए गये लेकि आप विचलित नहीं हुए। अन्य सत्याग्रहियों के साथ आप भी जेल से 2 सितम्बर 1946 को रि किये गए।

श्री दलीप सिंह यादव

श्री दलीप सिंह यादव का जन्म 10 सितम्बर 1921 के ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड़ हुआ। आपके पिताजी का नाम देवी सिंह है। आप नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को अपना प्रेर स्रोत मानते हैं। आपने 1945 में प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण की तथा तब से ही खादी पह प्रारंभ किया और आज भी आप खादी ही पहनते हैं।

आप रोजी-रोटी की तलाश में भारतीय सेना में भर्ती हो गये थे। अंग्रेजों की पराजय नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषणों से प्रभावित होकर आपको अपने मुल्क को गुलामी से मु कराने के लिए प्रेरणा मिली और आप आजाद हिन्द फौज में भर्ती हो गए। नेताजी की कमा में सिंगापुर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके पश्चात सन् 1945 में अपने घर आ ग

अपने घर आने पर आप शोभाराम, भोलानाथ, भवानी सहाय, बद्री प्रसाद गुप्ता आदि सम्पर्क में आये और उनकी प्रेरणा से अलवर के राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ने लगे। प्रजामण्ड के कार्यों में सक्रिय योगदान देने लगे। साथ में बहरोड़ तहसील के प्रभुदयाल डवा दुर्गाप्रसाद, गंगासहाय, सम्पतराम यादव जिनकी उपनाम राजा मनोहर यादव है, घासीराम या गण्डाला ग्राम तथा चिरंजी लाल महाशय मांजरी खुर्द, नन्दराम यादव भूपसेड़ा, हरचन्द व झ महाशय भोंटेड़ा, सुखदेव यादव, गगन सिंह यादव, झावर यादव, हुड़िया खुर्द, मुरलीधर याद श्री राम पण्डित आदि बहुत से देश भक्त नेताओं के साथ तथा बहरोड़ वाले रूपबिहारी मा व कैलाश माथुर के साथ गांव-गांव घूमकर प्रजामण्डल का प्रचार-प्रसार किया तथा मज किसानों को जागरूक किया सामंती शासन के अत्याचारों के विरोध में खड़ा होने के लिए जाग करने का काम किया।

सामंती शासन में गरीब जनता की जब अत्याचार सहते-सहते कमर ही टूट गई तो म मनवाने के लिए आंदोलन किया। जेल जाने पर माफी मांगने के लिए दबाव डाला जाता

लेकिन आप सभी लोग जब तक भारत को आजादी नहीं मिलेगी तब तक जेल में ही रहने का प्रण लेते थे। अगर कोई साथी घबराकर टूटने लगता तो उसे दिलासा देते थे तथा अपने हिस्से की रोटी उसे दे देते थे। हीरालाल शास्त्री और अलवर महाराजा के समझौते के कारण सभी सत्याग्रहियों को 2 सितम्बर 1946 को जेल से रिहा किया गया। जेल से रिहा होने पर अलवर की जनता ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। जगह-जगह फूल मालाओं से लाद दिया। जनता द्वारा ऐसा प्यार पाकर जेल की सभी यातनाओं का दर्द काफूर हो गया।

जनता ने आपको ग्राम गण्डाला (बहरोड़) का निर्विरोध सरपंच चुन लिया। आज तक आप दहेज प्रथा विरोध, शराब विरोध, नशीले पदार्थ सेवन विरोध करते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं। साथ ही शिक्षा, बालिका शिक्षा, दलित एवं मजदूरों को शोषण मुक्ति जैसे कार्यों में हिस्सा लेते रहते हैं।

श्री तुलाराम जैन

श्री तुलाराम जैन का जन्म 11 अप्रेल, 1927 को तिजारा में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री हजारीलाल जैन है जो बोहरगत किया करते थे। आप एम.ए.बी.एड. हैं तथा व्याख्याता के पद से सेवा निवृत हुए हैं। आपके दो बड़े भाई मनोहर लाल और मित्रसैन भी 1941 से ही प्रजामण्डल और उसके आंदोलनों से जुड़े रहे। इसके साथ ही राजर्षि कॉलेज में अध्ययन करते हुए आप महावीर प्रसाद जैन के सम्पर्क में आये जो क्रांतिकारी दल के सदस्य रहे थे। महावीर प्रसाद जैन की राष्ट्रीय भावना और साहसिक सूझ बूझ ने आप में एक नई शक्ति का संचार किया।

आपने सन् 1945 से खादी पहनना प्रारंभ किया था। आप खादी के इतने भक्त रहे कि सन् 1948 में अपनी शादी के अवसर पर भी शुद्ध खादी का सूट बनवाया था। किन्तु 1950 के बाद राजकीय सेवा में आने के बाद यह सब छूट गया। राष्ट्रीय आंदोलन के तहत कुछ अनोखा करने की इच्छा को लेकर गांधीजी के अछूतोद्धार आंदोलन के तहत अपने तिजारा कस्बे में दीवान वाले बाबाजी के तिबारे पर सर्वजातीय फूलडोल सम्मेलन किया और बिना भेदभाव सब लोगों ने उनके हाथों से जलपान और ठंडाई ग्रहण की। अगस्त 1946 में अलवर प्रजामण्डल द्वारा आयोजित 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन में भी आपने भाग लिया। 28 अगस्त 1946 को बिना किसी के कहे सुने सत्याग्रही जत्थे में शामिल हो लादिया गेट पहंच कर नारे लगाना शुरू कर दिया।

वयस्क आदमियों को तो पुलिस पकड़ कर जेल ले गई मगर विद्यार्थियों को एक ट्रक में भर कर सरिस्का के गहन वन में ले जाकर छोड़ा। जब मरजी से कोई नहीं उतरा तो धक्के देकर बाहर फेंक दिया गया।

30 अगस्त 1946 को तीसरे दिन आप फिर सत्याग्रही जत्थे में शरीक हो गए। इस दिन आपको पकड़ कर केन्द्रीय कारागार में बन्द कर दिया गया। प्रशासन की ओर से लगातार सख्ती की जा रही थी। सत्याग्रहियों पर लाठी, डंडों और बूटों की ठोकरों का प्रयोग किया जाने लगा था। जेल में लोगों के साथ मारपीट की जाती तथा इन्हें आतंकित [illegible] ताकि ये माफी मांग कर चले जायें।

तब वहां दो अंग्रेज अफसरों के दुर्व्यवहार करने पर उन पर बुरी तरह पथराव किया और उन्हें घायल कर दिया फलस्वरूप आपको गिरफ्तार कर लिया गया और ऋषिराज कॉलेज लाहौर जेल में आपको डाल दिया गया। जेल में आप पर अंग्रेजों ने बड़े अत्याचार किये। आपका कहना है कि लाहौर जेल से पं. जवाहर लाल नेहरू, बल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य अग्रणी नेताओं के हस्तक्षेप पर आपको रिहा किया गया। लाहौर जेल में आप 3 माह 15 दिन रहे। इस दौरान आपको बेरहमी से काल कोठरी में बन्द कर दिया जाता। भर पेट भोजन भी नहीं दिया जाता था। आप 15 दिन अस्पताल में भी रहे। लाहौर जेल से रिहा होने के बाद श्री रामजी लाल सैनी अपने गांव वापिस आ गये और सामंती शासन के अत्याचारों का विरोध करने लगे।

अगस्त 1946 में अलवर प्रजामण्डल द्वारा चलाये गये 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में आपने सक्रिय भूमिका निभाई। सत्याग्रह करने पर आपको पकड़ कर जेल में डाल दिया गया और माफी मांगने के लिए मार-पीट और अत्याचार किए गये लेकिन आप विचलित नहीं हुए। अन्य सत्याग्रहियों के साथ आप भी जेल से 2 सितम्बर 1946 को रिहा किये गए।

श्री दलीप सिंह यादव

श्री दलीप सिंह यादव का जन्म 10 सितम्बर 1921 के ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड़ में हुआ। आपके पिताजी का नाम देवी सिंह है। आप नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आपने 1945 में प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण की तथा तब से ही खादी पहनना प्रारंभ किया और आज भी आप खादी ही पहनते हैं।

आप रोजी-रोटी की तलाश में भारतीय सेना में भर्ती हो गये थे। अंग्रेजों की पराजय पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषणों से प्रभावित होकर आपको अपने मुल्क को गुलामी से मुक्त कराने के लिए प्रेरणा मिली और आप आजाद हिन्द फौज में भर्ती हो गए। नेताजी की कमाण्ड में सिंगापुर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके पश्चात सन् 1945 में अपने घर आ गये।

अपने घर आने पर आप शोभाराम, भोलानाथ, भवानी सहाय, बद्री प्रसाद गुप्ता आदि के सम्पर्क में आये और उनकी प्रेरणा से अलवर के राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ने लगे। प्रजामण्डल के कार्यों में सक्रिय योगदान देने लगे। साथ में बहरोड़ तहसील के प्रभुदयाल डवानी, दुर्गाप्रसाद, गंगासहाय, सम्पतराम यादव जिनकी उपनाम राजा मनोहर यादव है, घासीराम यादव गण्डाला ग्राम तथा चिरंजी लाल महाशय मांजरी खुर्द, नन्दराम यादव भूपसेड़ा, हरचन्द व छुथा महाशय भीटेड़ा, सुखदेव यादव, गगन सिंह यादव, झावर यादव, हुड़िया खुर्द, मुरलीधर यादव, श्री राम पण्डित आदि बहुत से देश भक्त नेताओं के साथ तथा बहरोड़ वाले रूपबिहारी माथुर व कैलाश माथुर के साथ गांव-गांव घूमकर प्रजामण्डल का प्रचार-प्रसार किया तथा मजदूर किसानों को जागरूक किया सामंती शासन के अत्याचारों के विरोध में खड़ा होने के लिए जागृत करने का काम किया।

सामंती शासन में गरीब जनता की जब अत्याचर सहते-सहते कमर ही टूट गई तो मांगें मनवाने के लिए आंदोलन किया। जेल जाने पर माफी मांगने के लिए दवाब डाला जाता था

लेकिन आप सभी लोग जब तक भारत को आजादी नहीं मिलेगी तब तक जेल में ही रहने का प्रण लेते थे। अगर कोई साथी घबराकर टूटने लगता तो उसे दिलासा देते थे तथा अपने हिस्से की रोटी उसे दे देते थे। हीरालाल शास्त्री और अलवर महाराजा के समझौते के कारण सभी सत्याग्रहियों को 2 सितम्बर 1946 को जेल से रिहा किया गया। जेल से रिहा होने पर अलवर की जनता ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। जगह-जगह फूल मालाओं से लाद दिया। जनता द्वारा ऐसा प्यार पाकर जेल की सभी यातनाओं का दर्द काफूर हो गया।

जनता ने आपको ग्राम गण्डाला (बहरोड़) का निर्विरोध सरपंच चुन लिया। आज तक आप दहेज प्रथा विरोध, शराब विरोध, नशीले पदार्थ सेवन विरोध करते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं। साथ ही शिक्षा, बालिका शिक्षा, दलित एवं मजदूरों को शोषण मुक्ति जैसे कार्यों में हिस्सा लेते रहते हैं।

श्री तुलाराम जैन

श्री तुलाराम जैन का जन्म 11 अप्रेल, 1927 को तिजारा में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री हजारीलाल जैन है जो बोहरगत किया करते थे। आप एम.ए.बी.एड. हैं तथा व्याख्याता के पद से सेवा निवृत हुए हैं। आपके दो बड़े भाई मनोहर लाल और मित्रसैन भी 1941 से ही प्रजामण्डल और उसके आंदोलनों से जुड़े रहे। इसके साथ ही राजर्षि कॉलेज में अध्ययन करते हुए आप महावीर प्रसाद जैन के सम्पर्क में आये जो क्रांतिकारी दल के सदस्य रहे थे। महावीर प्रसाद जैन की राष्ट्रीय भावना और साहसिक सूझ बूझ ने आप में एक नई शक्ति का संचार किया।

आपने सन् 1945 से खादी पहनना प्रारंभ किया था। आप खादी के इतने भक्त रहे कि सन् 1948 में अपनी शादी के अवसर पर भी शुद्ध खादी का सूट बनवाया था। किन्तु 1950 के बाद राजकीय सेवा में आने के बाद यह सब छूट गया। राष्ट्रीय आंदोलन के तहत कुछ अनोखा करने की इच्छा को लेकर गांधीजी के अछूतोद्धार आंदोलन के तहत अपने तिजारा कस्बे में दीवान वाले बाबाजी के तिवारे पर सर्वजातीय फूलडोल सम्मेलन किया और बिना भेदभाव सब लोगों ने उनके हाथों से जलपान और ठंडाई ग्रहण की। अगस्त 1946 में अलवर प्रजामण्डल द्वारा आयोजित 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन में भी आपने भाग लिया। 28 अगस्त 1946 को बिना किसी के कहे सुने सत्याग्रही जत्थे में शामिल हो लादिया गेट पहुंच कर नारे लगाना शुरू कर दिया।

वयस्क आदमियों को तो पुलिस पकड़ कर जेल ले गई मगर विद्यार्थियों को एक ट्रक में भर कर सरिस्का के गहन वन में ले जाकर छोड़ा। जब मरजी से कोई नहीं उतरा तो धक्के देकर बाहर फेंक दिया गया।

30 अगस्त 1946 को तीसरे दिन आप फिर सत्याग्रही जत्थे में शरीक हो गए। इस दिन आपको पकड़ कर केन्द्रीय कारागार में बन्द कर दिया गया। प्रशासन की ओर से लगातार सख्ती की जा रही थी। सत्याग्रहियों पर लाठी, डंडों और बूटों की ठोकरों का प्रयोग किया जाने लगा था। जेल में लोगों के साथ मारपीट की जाती तथा इन्हें आतंकित किया जाता ताकि वे माफी मांग कर चले जायें।

तब वहां दो अंग्रेज अफसरों के दुर्व्यवहार करने पर उन पर बुरी तरह पथराव किया और उन्हें घायल कर दिया फलस्वरूप आपको गिरफ्तार कर लिया गया और ऋषिराज कॉलेज लाहौर जेल में आपको डाल दिया गया। जेल में आप पर अंग्रेजों ने बड़े अत्याचार किये। आपका कहना है कि लाहौर जेल से पं. जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य अग्रणी नेताओं के हस्तक्षेप पर आपको रिहा किया गया। लाहौर जेल में आप 3 माह 15 दिन रहे। इस दौरान आपको बेरहमी से काल कोठरी में बन्द कर दिया जाता। भर पेट भोजन भी नहीं दिया जाता था। आप 15 दिन अस्पताल में भी रहे। लाहौर जेल से रिहा होने के बाद श्री रामजी लाल सैनी अपने गांव वापिस आ गये और सामंती शासन के अत्याचारों का विरोध करने लगे।

अगस्त 1946 में अलवर प्रजामण्डल द्वारा चलाये गये 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में आपने सक्रिय भूमिका निभाई। सत्याग्रह करने पर आपको पकड़ कर जेल में डाल दिया गया और माफी मांगने के लिए मार-पीट और अत्याचार किए गये लेकिन आप विचलित नहीं हुए। अन्य सत्याग्रहियों के साथ आप भी जेल से 2 सितम्बर 1946 को रिहा किये गए।

श्री दलीप सिंह यादव

श्री दलीप सिंह यादव का जन्म 10 सितम्बर 1921 के ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड़ में हुआ। आपके पिताजी का नाम देवी सिंह है। आप नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आपने 1945 में प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण की तथा तब से ही खादी पहनना प्रारंभ किया और आज भी आप खादी ही पहनते हैं।

आप रोजी-रोटी की तलाश में भारतीय सेना में भर्ती हो गये थे। अंग्रेजों की पराजय पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषणों से प्रभावित होकर आपको अपने मुल्क को गुलामी से मुक्त कराने के लिए प्रेरणा मिली और आप आजाद हिन्द फौज में भर्ती हो गए। नेताजी की कमाण्ड में सिंगापुर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके पश्चात सन् 1945 में अपने घर आ गये।

अपने घर आने पर आप शोभाराम,भोलानाथ, भवानी सहाय, बद्री प्रसाद गुप्ता आदि के सम्पर्क में आये और उनकी प्रेरणा से अलवर के राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ने लगे। प्रजामण्डल के कार्यों में सक्रिय योगदान देने लगे। साथ में बहरोड़ तहसील के प्रभुदयाल डवानी, दुर्गाप्रसाद, गंगासहाय, सम्पतराम यादव जिनकी उपनाम राजा मनोहर यादव है, घासीराम यादव गण्डाला ग्राम तथा चिरंजी लाल महाशय मांजरी खुर्द, नन्दराम यादव भूपसेड़ा, हरचन्द व झूथा महाशय भीटेड़ा, सुखदेव यादव, गगन सिंह यादव, झाबर यादव, हुड़िया खुर्द, मुरलीधर यादव, श्री राम पण्डित आदि बहुत से देश भक्त नेताओं के साथ तथा बहरोड़ वाले रूपबिहारी माथुर व कैलाश माथुर के साथ गांव-गांव घूमकर प्रजामण्डल का प्रचार-प्रसार किया तथा मजदूर किसानों को जागरूक किया सामंती शासन के अत्याचारों के विरोध में खड़ा होने के लिए जागृत करने का काम किया।

सामंती शासन में गरीब जनता की जब अत्याचर सहते-सहते कमर ही टूट गई तो मांगें मनवाने के लिए आंदोलन किया। जेल जाने पर माफी मांगने के लिए दबाव डाला जाता था

लेकिन आप सभी लोग जब तक भारत को आजादी नहीं मिलेगी तब तक जेल में ही रहने का प्रण लेते थे। अगर कोई साथी घबराकर टूटने लगता तो उसे दिलासा देते थे तथा अपने हिस्से की रोटी उसे दे देते थे। हीरालाल शास्त्री और अलवर महाराजा के समझौते के कारण सभी सत्याग्रहियों को 2 सितम्बर 1946 को जेल से रिहा किया गया। जेल से रिहा होने पर अलवर की जनता ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। जगह-जगह फूल मालाओं से लाद दिया। जनता द्वारा ऐसा प्यार पाकर जेल की सभी यातनाओं का दर्द काफूर हो गया।

जनता ने आपको ग्राम गण्डाला (बहरोड़) का निर्विरोध सरपंच चुन लिया। आज तक आप दहेज प्रथा विरोध, शराब विरोध, नशीले पदार्थ सेवन विरोध करते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं। साथ ही शिक्षा, बालिका शिक्षा, दलित एवं मजदूरों को शोषण मुक्ति जैसे कार्यों में हिस्सा लेते रहते हैं।

श्री तुलाराम जैन

श्री तुलाराम जैन का जन्म 11 अप्रेल, 1927 को तिजारा में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री हजारीलाल जैन है जो बोहरगत किया करते थे। आप एम.ए.बी.एड. हैं तथा व्याख्याता के पद से सेवा निवृत हुए हैं। आपके दो बड़े भाई मनोहर लाल और मित्रसैन भी 1941 से ही प्रजामण्डल और उसके आंदोलनों से जुड़े रहे। इसके साथ ही राजर्षि कॉलेज में अध्ययन करते हुए आप महावीर प्रसाद जैन के सम्पर्क में आये जो क्रांतिकारी दल के सदस्य रहे थे। महावीर प्रसाद जैन की राष्ट्रीय भावना और साहसिक सूझ बूझ ने आप में एक नई शक्ति का संचार किया।

आपने सन् 1945 से खादी पहनना प्रारंभ किया था। आप खादी के इतने भक्त रहे कि सन् 1948 में अपनी शादी के अवसर पर भी शुद्ध खादी का सूट बनवाया था। किन्तु 1950 के बाद राजकीय सेवा में आने के बाद यह सब छूट गया। राष्ट्रीय आंदोलन के तहत कुछ अनोखा करने की इच्छा को लेकर गांधीजी के अछूतोद्धार आंदोलन के तहत अपने तिजारा कस्बे में दीवान वाले बाबाजी के तिबारे पर सर्वजातीय फूलडोल सम्मेलन किया और बिना भेदभाव सब लोगों ने उनके हाथों से जलपान और ठंडाई ग्रहण की। अगस्त 1946 में अलवर प्रजामण्डल द्वारा आयोजित 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन में भी आपने भाग लिया। 28 अगस्त 1946 को बिना किसी के कहे सुने सत्याग्रही जत्थे में शामिल हो लादिया गेट पहुंच कर नारे लगाना शुरू कर दिया।

वयस्क आदमियों की तो पुलिस पकड़ कर जेल ले गई मगर विद्यार्थियों को एक ट्रक में भर कर सरिस्का के गहन वन में ले जाकर छोड़ा। जब मरजी से कोई नहीं उतरा तो धक्के देकर बाहर फेंक दिया गया।

30 अगस्त 1946 को तीसरे दिन आप फिर सत्याग्रही जत्थे में शरीक हो गए। इस दिन आपको पकड़ कर केन्द्रीय कारागार में बन्द कर दिया गया। प्रशासन की ओर से लगातार सख्ती की जा रही थी। सत्याग्रहियों पर लाठी, डंडों और बूटों की ठोकरों का प्रयोग किया जाने लगा था। जेल में लोगों के साथ मारपीट की जाती तथा इन्हें आतंकित किया जाता ताकि वे माफी मांग कर चले जायें।

मगर आप टूटे नहीं समाचार सुनकर आपके पिताजी आपको कपड़े देने के बहाने जेल में आये तो उन्होंने कहा कि यहां आ गए सो तो ठीक है मगर माफी मांग कर मत आना। इससे आपका साहस और भी दृढ़ हो गया। 2 सितम्बर 1946 को अन्य सत्याग्रहियों के साथ आपको भी जेल से रिहा कर दिया गया। श्री तुलाराम जैन इसे अपना दुर्भाग्य ही मानते हैं कि उन्हें मात्र तीन दिन ही जेल में रहने का अवसर मिला। आपको ताम्र-पत्र भी मिला है और पेंशन भी मिल रही है।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता

श्री लक्ष्मी नारायण का जन्म सन् 1926 में ग्राम युर्जा में हुआ। आपके पिता का नाम स्व. श्री रामचन्द्र मोदी है। आपने यशवंत स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़ने एवं सामंती शासन का विरोध करने में ये श्री माया राम को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आप उनके सम्पर्क में आये और प्रजामण्डल के कार्य करने लग गये। आपने प्रजामण्डल के प्रचार-प्रसार में भारी योगदान किया। उमरैण थानागाजी आदि क्षेत्रों में श्री घासीराम के साथ प्रसार के लिए जाया करते थे। तब आपको जागीरदारों के लोगों द्वारा डराया-धमकाया जाता था मगर आप उससे विचलित नहीं होते थे। आप राजगढ़ भी उस समय उपस्थित थे जब वहाँ की तहसील से सामन्ती शासन का झण्डा उतारा गया जो देश की आजादी तक दुबारा नहीं लग सका। गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो आन्दोलन में आपने सक्रिय भूमिका निभाई। लादिया गेट वाले दरवाजे से कचहरी परिसर की ओर सत्याग्रहियों के साथ जेब में मुट्ठी भर चने भर कर आप भी जाते थे। पहले तो आप को दूर जंगलों में ही अन्य लड़कों के साथ पुलिस छोड़ती रही। एक बार तो ऐसा हुआ कि पुलिस दूर छोड़ तो आई मगर उनके दल को वापिस आने के कोई साधन नहीं मिला। भूखे-प्यासे जैसे-तैसे ये लोग अकबरपुर पहुंचे। अकबरपुर में फर्म प्रभुदयाल मिश्रीलाल के श्री मिश्रीलाल ने सबको खाना खिलाया और फिर यातायात का साधन उपलब्ध करवा कर अलवर पहुंचाया। अलवर आकर दूसरे दिन भी फिर सत्याग्रह में शामिल हो गये तो गिरफ्तार कर लिए गये। जेल में खाना सही न मिलने पर 2 -3 दिन की भूख हड़ताल रखी। डाक्टर ने बहुत कहा कि दूध ले लो वर्ना मर जाओगे मगर आपने कहा कि जब अन्य साथी खायेंगे तो वह भी खायेंगे।

आखिर समझौता हुआ, खाना ठीक ढंग का मिलने लगा तब ही आपने भी अन्य साथियों के साथ खाना प्रारंभ किया। आप जेल में 3-4 दिन रहे। अन्य साथियों के साथ आप भी जेल से बाहर आये।

श्री भवानी सहाय

श्री भवानी सहाय का जन्म कार्तिक माह विक्रम संवत 1976 में ग्राम माजरी खुर्द तहसील बहरोड़ में हुआ। आपके पिता का नाम श्री सुलतान सिंह था। आपने सन् 1944 में प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण की तथा तब से ही खादी पहनना प्रारंभ किया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने और सामंती सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा आपको श्री शोभाराम एवं मास्टर भोलानाथ से मिली। आप इन दोनों के सम्पर्क में आये और देश को आजाद कराने एवं

राज्य की सामंती सरकार के शोषण एवं अत्याचार से जनता को मुक्त कराने की मन में ठान ली। इस उद्देश्य को लेकर आप गांव-गांव में घूमे। हाथ में तिरंगा झण्डा लेकर महात्मा गांधी की जय बोलते हुए जब आप गांवों में जाते तो आपको जागीरदारों के आदमियों से भी विरोध का सामना करना पड़ता। गांवों के लोग जागीरदारों के आदमियों से दहशत खाते थे।

जब अलवर राज्य में राज्य के अकुशल व भ्रष्ट अधिकारियों एवं मिनिस्टरों के कारण मेंहगाई और कालाबाजारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गयी तो अलवर प्रजामण्डल द्वारा आयोजित 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में आपने भी खुलकर हिस्सा लिया और सत्याग्रही जत्थे में शरीक होकर आरंभ में गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये। यह आंदोलन 26 अगस्त 1946 से प्रारंभ हुआ था। जेल में रहकर भी आपको अनेक यातनाएं सहन करनी पड़ी। आपको सुबह शाम अन्य सत्याग्रहियों के साथ पंक्ति में बैठा दिया जाता और माफी मांगने के लिए दबाव डाला जाता। माफी मांगने से इंकार करने पर डंडों से पिटाई की जाती। यह क्रम जब तक जेल में रहे निरन्तर चलता रहा। 2 सितम्बर 1946 को अन्य सत्याग्रहियों के साथ आप भी जेल से मुक्त किये गये। श्री भवानी सहाय ने अलवर की बहरोड़ तहसील में जगह-जगह प्रजामण्डल की स्थापना में सहयोग दिया, स्वतंत्रता आंदोलन तथा सामंत विरोधी आंदोलन को गति देने के लिए आपने चंदा एकत्र करने तथा दूध, घी, अनाज आदि के माध्यम से सहायता की तथा गांव-गांव घूमकर जनता में छुआछूत एवं ऊंच-नीच का भेदभाव समाप्त कर सभी लोगों को बिना किसी वर्ग भेद के एक मंच पर एकत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। आपने अपना अधिकतर समय उस कार्य के लिए ही अर्पित किया है। आपकी सेवायें विशेष रूप से सराहनीय रही हैं। श्री भवानी सहाय को राज्य सरकार से पेंशन मिल रही है।

श्री कृष्णचन्द खण्डेलवाल

श्री कृष्णचन्द खण्डेलवाल का जन्म कठूमर तहसील लक्ष्मणगढ़ में 14 अगस्त 1918 को हुआ। आपके पिता का नाम श्री भूरालाल है। जो भूरजी पोद्दार दादा के नाम से जाने जाते थे। आपका मोदी परिवार क्षेत्र में नामी परिवार है तथा आपके दादा मुंशी जुगलकिशोर बड़े ख्यातनाम व्यक्ति रहे हैं। आपको बचपन में किशन कहकर दुलाया जाता था।

आपके दादा और पिता राज्यसेवा में रहे थे। आपके दादा मुंशीजी के देहावसान के पश्चात आपके पिताजी व्यवसाय और खेती में संलग्न रहे। आपने प्रारम्भ में चटशाला में गुरूजी से शिक्षा ली तत्पश्चात सरकारी स्कूल में पढ़े।

सन् 1933 में 18 वर्ष की आयु में विद्या अध्ययन के लिए आप अलवर आ गए। पहले प्राइवेट तत्पश्चात राजकीय मिडिल स्कूल में प्रवेश लिया। अलवर के वरिष्ठ कांग्रेसी मोदी कुंजविहारी आपके रिश्ते में चाचा लगते थे। उनके पास ही आप रहे। यहां पहले से ही आपके बड़े भाई द्वारका प्रसाद भी पढ़ते थे जो प्रजामण्डल के सक्रिय कार्यकर्त्ता रहे थे और इस ही क्रम में जेल भी गये थे। चूंकि मोदी कुंजविहारी लाल अलवर के प्रतिष्ठित कांग्रेसी नेता थे, इस कारण श्री कृष्णचंद पर भी इसका असर पड़ा और आपने भी राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना प्रारम्भ किया। जब आप मिडिल कक्षा में पढ़ते थे तब आपका सम्पर्क कई ऐसे

साथियों से रहा जो जन जागरण और राष्ट्रीय आन्दोलन की विशेष चर्चा किया करते थे। इनमें श्री कृष्ण चरण मित्तल आपके विशेष सहयोगी रहे। आप और आपके साथी मित्तल तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर कर्नल सी. डब्ल्यू. एल. हार्वे को 'ट्रू पेट्रियोट' के नाम से गुमनाम पत्र लिखते। इन पत्रों में राज्य की स्थिति जनता के कष्टों, अभावों का विवरण होता था। इस कार्य में राजर्षि कॉलेज के मास्टर नन्दकिशोर तथा मास्टर विशम्भर दयाल आपका सहयोग करते थे। इन पत्रों का प्रेषण काफी समय तक रहा। पत्रों को पढ़कर हार्वे की इच्छा मिलने की हुई। पत्र द्वारा मिलने की सूचना व समय लिया और उनकी कोठी पर जाकर वार्ता की। इसके बाद पत्रों का सिलसिला बन्द हो गया। श्री कृष्ण चन्द्र खण्डेलवाल का सम्पर्क विशेष रूप से मास्टर लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, मास्टर वंशीधर शर्मा से रहा। आपने 'नवहिन्द पार्टी' का भी गठन किया और इसके माध्यम से प्रशासन को सदा भयाक्रांत रखा। आपकी रुचि क्रांतिकारी कार्यों की रही है। इसके लिए खासतौर से कृष्ण चन्द्र शर्मा, हीरालाल, श्रीराम शर्मा का गहरा साथ रहा। आपने और आपके साथियों ने अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एकान्त स्थान की खोज में पहाड़ों में घूमना शुरू किया और अन्ततः भूर्तासिद्ध के पहाड़ों में एक गुफा मिल गई जिसे अनुकूल बनाने में काफी समय लगा।

आपने अगस्त 1942 की क्रान्ति में सक्रिय भाग लेने का निश्चय किया। रेल की पटरियां उखाड़ने, पोस्ट ऑफिसों में आग लगाने के लिए नये साथियों की भर्ती की गई। कुछ पकड़े गये और शेष भूमिगत हो गए। श्री कृष्णचन्द्र खण्डेलवाल भी आगरा पहुंच कर एक वैश्य होस्टल मे भर्ती हो गए जहां आप बीमार हो गए। वहां से भरतपुर चले गए और गांवों में भ्रमण करने लगे। आपके बड़े भाई के निधन के कारण आपको अलवर आना पड़ा और स्वंय को पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमा चला किन्तु पुलिस ने केस वापिस ले लिया। श्री कृष्ण चन्द्र खण्डेलवाल को अभी पिछले दिनों राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सम्मान पेंशन स्वीकार की है तथा ताम्र-पत्र से सम्मानित किया है।

आपने मोदी कुंज विहारी लाल का 'अलवर पत्रिका' तथा 'खण्डेलवाल जगत' पत्रिकाओं के सम्पादन में हाथ बटाया तथा स्वतंत्र हिन्दी मासिक 'महिला जागृति' का प्रकाशन व सम्पादन किया। अलवर राज्य समाजवादी पार्टी का गठन कर राज्य संगठन के मंत्री रहे। बाद में यह संगठन प्रजा समाजवादी पार्टी में परिणत हो गया।

श्री प्रभुदयाल यादव

मंत्री जी के नाम से ख्याति प्राप्त श्री प्रभुदयाल यादव का जन्म संवत 1970 के कार्तिक मास (सन् 1913) में ग्राम डवानी, पोस्ट बूढ़वाल, तहसील बहरोड़ जिला अलवर में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री रामलाल यादव है। वैसे तो छात्र जीवन में ही श्री प्रभुदयाल यादव अंग्रेजों एवं सामन्ती अत्याचारों की घटनाएं पढ़ सुन कर ही कुछ कर गुजरने को कसमसाते रहते थे लेकिन जब ये अलवर के अग्रणी नेता श्री शोभाराम के सम्पर्क में आये तो उनको अपना राजनैतिक गुरु मानकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े उनके निर्देशन में कार्य करने लगे।

सन् 1937 में प्रान्तीय परिषदों के चुनाव के समय प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण की। देहाती वातावरण में गरीब लोग वैसे ही हाथ करघा द्वारा खादी(दोवटी) घर पर ही बुनकर पहना

करते थे सो आप बचपन से ही खादी पहनते थे किन्तु गांधीजी के स्वदेशी आंदोलन के पश्चात तो आपने खादी पहनना अपने जीवन के लिए अनिवार्य कर लिया। आपने गांव-गांव घूम-घूम कर अंग्रेजों एवं राजाशाही के अत्याचारों के विरुद्ध जनजागरण हेतु सम्मेलन व जलसे आदि किए। इस समय अंग्रेजों तथा राजाशाही के डर से गांवों में घुसने ही नहीं दिया जाता था। कहीं-कहीं तो खाना छोड़ पानी भी डर के मारे कोई नहीं पिलाता था। तहसील मुण्डावर के ग्राम पद्माड़ा में एक नम्बरदार को रियासत के एक तहसीलदार ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया और उसकी एक आंख भी फोड़ दी गई। श्री शोभाराम के नेतृत्व में सैंकड़ों कार्यकर्त्ताओं ने आंदोलन किया और नम्बरदार को छुड़वाया जिसमें आपभी थे। आप को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने तथा जानकारी का इतना शौक था कि पंजाब प्रान्त की नाभा रियासत के गांव रिवाडी में कांग्रेस के मशहूर नेता शौकत अली व नियाकत अली को सुनने के लिए 50 किलोमीटर पैदल ही गए। अली बंधु तो नहीं आए पर सभा को अन्य नेता श्री मनोहर लाल सक्सेना ने सम्बोधित किया। तत्कालीन पंजाब प्रान्त की नाभा रियासत का एक गांव कांटी जो अब हरियाणा की अटेली मण्डी के पास है उसको ही अलवर रियासत के प्रजामण्डल का एक शिविर बनाया गया। यह स्थान बहरोड़ के पास लगता है। अलवर रियासत जब कोई अंकुश लगाती थी तो यहां से ही रणनीति बनाई जाती थी।

वहां पर लोगों के खाने पीने और कार्य कलापों का भार श्री प्रभुदयाल के ताऊ प्रहलाद जी जो भगत जी के नाम से जाने तो थे संभालते थे। कार्यकारिणी के अन्य सदस्य जिनमें प्रमुखतया श्री श्याम मनोहर शर्मा, रामेश्वर राजपूत और डाक्टर उमराव सिंह आदि कांटी के ही थे। पंडित रूपनारायण दोसोद तहसील मुण्डावर और हरचंद महाशय गांव भीटैड़ा के भी थे। कांटी की एक धर्मशाला कार्य कलापों का स्थान थी। डाक्टर उमराव सिंह सत्याग्रहियों का उपचार करते थे।

आपको एक बार नारनौल जेल में भेजने के लिए गिरफ्तार कर लिया पर जेल के दरवाजे पर लाकर अज्ञात कारणों से छोड़ दिया गया। दूसरी बार गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो आंदोलन में जो अलवर प्रजामण्डल द्वारा अगस्त 1946 में चलाया था, आप 27 अगस्त 1946 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। आप अन्य सत्याग्रहियों के साथ रिहा किए गए। श्री प्रभुदयाल यादव को जेल भेज दिए जाने पर काफी कष्ट सहने पड़े आपको नंगा कर तपती फर्श पर भरी दोपहरी में लिटाया गया और बड़ी निर्ममता से कोड़े बरसाए गए जिससे चमड़ी तक उधड़ गई। फिर सीधा खड़ा कर हाथों को आगे पसरवाकर दोनों हाथों पर चक्की के पाट रख दिए। गिरने पर फिर डण्डे कोड़े बरसाये। आपकी चोटें देखकर श्री हीरालाल शास्त्री काफी दुखी हुए। उन्होंने जेल अधीक्षक को काफी डांटा वे बाद में दुखी हुए।

पंडित अनन्तराम शर्मा

पंडित अनन्तराम शर्मा का जन्म 10 अगस्त 1924 को गांव खोहरा (मलावली) तहसील लक्ष्मणगढ़ में हुआ। आपके पिता का नाम श्री श्रवणलाल शर्मा है। आपने प्रारंभिक शिक्षा ग्राम खोहरा में पाई तथा लक्ष्मणगढ़ में मिडिल तक शिक्षा ग्रहण की।

आपके पिता गांव खोहरा में जागीदार के खेत पर खेती कर जीविकोपार्जन करते थे। अनन्त राम के बाल मन पर आपके पिता एवं अन्य किसानों पर किये जाने वाले जुल्मों का भारी असर पड़ा तथा जागीरदार व सामंत विरोधी भावनाएं इनमें भरती चली गई और दसवीं कक्षा की परीक्षा की प्राइवेट तैयारी में लगे। अनन्तराम के मन में प्रतिशोध की भावनायें उभरने लग गई।

आप सरकारी स्कूल में अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए किन्तु राष्ट्रीय भावना में ओत-प्रोत आपके मन को शांति नहीं मिली। आप स्कूल में भी 'विश्वामित्र' तथा 'अर्जुन' अखबारों में से देश में चल रही अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधियों के छपे समाचारों को पढ़ कर उनमें चेतना पैदा करते रहे। फलस्वरूप आपकी इन गतिविधियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया और आपने नौकरी छोड़ कर राजनीति में सक्रिय भाग लेकर देश की सेवा करने का दृढ़ निश्चय किया। ग्राम खोहरा में प्रजामण्डल की एक आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें अलवर प्रजामण्डल से शोभाराम, रामजी लाल अग्रवाल, फूलचंद गोठड़िया आदि बड़े नेता गए थे। इन नेताओं ने जागीरदारी प्रथा के विरोध में ओजस्वी भाषण दिया। इस सभा की अध्यक्षता पंडित अनन्तराम शर्मा ने की। शर्मा द्वारा गांव में प्रजामण्डल की सभा कराने, अलवर से नेताओं को बुलाने तथा सभा की अध्यक्षता करने पर जागीर के अधिकारियों ने इन्हें काश्त की जमीन देने से इंकार करने के साथ-साथ गांव से निकल जाने के आदेश दे दिये।

अन्ततः अनन्त राम शर्मा को अपना गांव छोड़ना पड़ा और अपने परिवार को लेकर अलवर आ गए। अलवर में टोली का कुआँ मोहल्ले में उस मकान में रहने लगे जिसमें रामजीलाल अग्रवाल, फूलचंद गोठड़िया आदि रहते थे। ग्राम खेड़ा मंगलसिंह में 2 फरवरी 1946 को आयोजित होने वाली सभा में भाग लेने के लिए 1 फरवरी 1946 को खादी भण्डार के सामने ट्रक खड़ा कर श्री फूलचंद अलवर से और कार्यकर्त्ताओं लाला काशीराम, पृथ्वीनाथ भार्गव वकील आदि को लेने आये थे आप भी उनके साथ खेड़ा मंगल सिंह गए। रात में ही प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा दो तारीख की सभा को गैर कानूनी करार देकर नहीं करने देने के इरादे से मजिस्ट्रेट रामचन्द्र हरित वहां पर मौजूद रहे। साथ में भारी पुलिस फोर्स भी थी। मगर हजारों की संख्या में किसानों की उपस्थिति देखकर मजिस्ट्रेट की हिम्मत सभा को गैरकानूनी घोषित करने की नहीं हुई।

सभा 2 फरवरी को निश्चित समय पर जिसकी अध्यक्षता पृथ्वी नाथ भार्गव वकील ने की, हुई जिसमें अनन्त राम शर्मा ने भी उस सभा में भाषण दिया। अनन्त राम शर्मा ने प्रजामण्डल द्वारा चलाये गये अगस्त 1946 के 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गए, जहां से 2 सितम्बर 1946 को रिहा किये गए। अनन्तराम शर्मा ने मत्स्य संघ बनने पर बारा लेवर सहकारी समिति का गठन किया और पत्थर मजदूरों को शोषण से मुक्ति दिलाई। आपने सहकारी क्षेत्र में भी काम किया और छह वर्ष तक भूमि विकास बैंक के चेयरमैन रहे।

श्री छगन लाल सोनी

श्री छगन लाल सोनी का जन्म फरवरी 1926 को मुबारिकपुर में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री मुन्नालाल है। सामन्ती शासन के अत्याचारों, जागीरदारों के अमानुषी व्यवहार को

गांव के निर्धन, अछूत, किसानों के प्रति देख-देख कर आपके मन में विद्यार्थी जीवन से ही आक्रोश उमड़ता रहता था। वार फण्ड के विरोध में जनता को जागृत करने के लिए रामगढ़ में सभा आयोजित की गई जिसमें अलवर के प्रमुख नेता श्री शोभाराम, मा. भोलानाथ, रामजीलाल अग्रवाल श्री फूलचन्द वगैहरा अनेक नेता आये थे। उनके भाषणों की मीटिंग के बाद उस दिन ही प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण कर ली।

प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण करने के बाद श्री छगनलाल सोनी ने इसकी सदस्य संख्या बढ़ाने का व्रत लिया जिसके लिए आप अपने सहयोगी श्री मक्खन लाल जैन, किरोड़ी लाल, उमराव लाल आदि के साथ-साथ गांव-गांव में जाकर प्रचार-प्रसार करने लगे।

अगस्त 1946 में 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन जो अलवर प्रजामण्डल द्वारा आयोजित किया गया उसमें भी आपने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। आप सत्याग्रहियों के जत्थों में शामिल होने लगे। कई दिन तो पुलिस आपको पकड़-पकड़ कर दूर जंगलों में छोड़ती रही। एक बार तो सरिस्का घाटी से पैदल ही चलकर आये और दूसरे दिन फिर सत्याग्रह में शामिल हो गए। पुलिस द्वारा अश्रु गैस के गोले छोड़े गए थे जिसका एक गोला तो आपकी जांघ में लगा जिसका निशान आज भी मौजूद है। लादिया गेट पर सत्याग्रह करते हुए, आपको पकड़ लिया गया और जेल भेज दिया गया।

जेल में भी आपको अनेक यातनाएं सहनी पड़ी। जोरावर सिंह उन दिनों जेल पर थे। माफी मांगने के लिए मारपीट कर मजबूर करते, मगर आपने माफी नहीं मांगी। जेल में खराब खाना दिये जाने पर आपने अन्य सत्याग्रहियों के साथ भूख हड़ताल कर दी, जिसके कारण आपको काल कोठरी में डाल दिया गया जहां आप कई दिनों तक रहे। जब खाना ठीक मिलने लगा तभी आपने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी। अन्ततः 2 सितम्बर 1946 को अन्य सत्याग्रहियों के साथ आप भी रिहा किए गए।

श्री मुरली

श्री मुरली का जन्म ग्राम दरबारपुर में हुआ। आपकी आयु 80 वर्ष के लगभग है। आपके पिता का नाम झण्डूराम था। गांव में कोई स्कूल न होने के कारण आप कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। रोजी-रोटी के लिए सन् 1940 में इण्डियन आर्मी में भर्ती हो गए। मात्र 15 रु. माहवार पर आप अंग्रेजों की तरफ से जापान के विरुद्ध लड़ने के लिए सिंगापुर अपनी बटालियन के साथ भेजे गये।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के आह्वान पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए आई. एन. ए. अर्थात आजाद हिन्द फौज का निर्माण प्रारम्भ हुआ। अपने देश को अंग्रेजों के पंजों से मुक्त कराने के लिए आप भी अपनी मर्जी से आजाद हिन्द फौज में भर्ती हो गए और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने लगे। फौज को जापान की तरफ से काफी सहायता प्रदान की गई थी। हिन्दुस्तानियों के दिल में अपने मुल्क को आजाद कराने का जोश था। वह फतह का डंका बजाती हुई देश के आजाद होने का स्वप्न साकार करने के लिए विजय पर विजय प्राप्त कर रही थी कि तभी एक अफसर के अंग्रेजों से सांठ-गांठ करने और तमाम सैनिक ठिकानों, गोला बारुद के गोदामों का

राज बताने के कारण यह सपना चकनाचूर हो गया और अंग्रेजों ने जापान पर अंधाधुंध गोलाबारी प्रारम्भ कर दी। जापान की हार हो गई। आजाद हिन्द फौज के सैनिक बंदी बना लिए गये जिनमें श्री मुरली भी थे। अंग्रेजों ने आजाद हिन्द फौज के सैनिकों पर बड़े जुल्म किए। आप कई महीने तक अंग्रेजों की कैद में रहे।

श्रीमती सत्यवती अग्रवाल

श्रीमती सत्यवती अग्रवाल का जन्म 26 जनवरी, 1926 को अलवर में हुआ। आपके पिता का नाम श्री चुन्नीलाल गुप्ता था। आपने इंग्लिश में इन्टर के अतिरिक्त हिन्दी में प्रभाकर व साहित्य रत्न की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। श्रीमती सत्यवती अग्रवाल का छात्र जीवन से ही समाज सेवा तथा देश प्रेम के प्रति रुझान रहा है। इस कारण ही श्रीमती शांति गुप्ता, शोभा भार्गव, जगरानी आदि महिलाओं से सम्पर्क साध कर 'नारी जागृति मंडल' नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य देश सेवा, समाज सेवा, नारी उत्थान आदि जैसे कार्य थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आपने आपनी सहयोगियों की आर्थिक रूप से मदद की। इसके अतिरिक्त महिलाओं की शिक्षा के प्रति रुचि जागृत की तथा स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से सिलाई आदि सिखाने के लिए लाला काशीराम तथा बद्री प्रसाद गुप्ता के मकानों पर केन्द्र स्थापित किये। इसके साथ-साथ ही महिलाओं में राष्ट्रीय भावना भरने का काम भी किया जाता था। आपके और आपकी संस्था द्वारा चलाये जा रहे सामाजिक सेवा के कार्यों से अलवर रियासत के तत्कालीन प्रमुख अधिकारी भी प्रभावित थे तथा आपके कार्यों की सराहना करते थे। श्रीमती सत्यवती अग्रवाल, सामाजिक सेवा के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन तथा राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी ही नहीं रखती थी उनमें रुचि भी रखती थी। अलवर की सामंती सरकार के शोषण की नीति को आप भी घृणा की दृष्टि से देखती थीं। इस कारण ही आप अलवर प्रजामण्डल के आंदोलनों को पूरा सहयोग व समर्थन देती थी। अगस्त 1946 में अलवर प्रजामण्डल के आह्वान पर 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन में आपने भी अन्य महिलाओं श्रीमती शांति गुप्ता, शोभा भार्गव, कलावती शर्मा, श्रीपती गोठड़िया आदि के साथ सत्याग्रह में भाग लिया और उसमें गिरफ्तार हुई। चूंकि उस समय अलवर स्टेट में महिलाओं को रखने की जेल में व्यवस्था नहीं थी, इसलिए महिलाओं को ट्रक में भरकर दूर जंगलों में छोड़ दिया जाता था जिन्हें वापिस लाने के लिए प्रजामण्डल के साथी व्यवस्था करते थे।

श्री जयनारायण गुप्ता

श्री जयनारायण गुप्ता का जन्म ग्राम बहरोड़ जाट में शक संवत 1870 में हुआ। आपके पिता का नाम श्री मूलचन्द गुप्ता था। श्री जयनारायण गुप्ता को आंदोलनात्मक समाचारों को सुन-सुन कर तथा प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ताओं के प्रचार-प्रसार को देख सुनकर और अंग्रेजी शासन की क्रूरता तथा सामन्ती शासन आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा मिली। आपने खादी पहनना तो संवत 1888 से ही प्रारंभ कर दिया किन्तु प्रजामण्डल की विधिवत सदस्यता संवत 1890 में ग्रहण की।

प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात आप हाथ में तिरंगा लेकर महात्मा गांधी की जय बोलते हुए गांव-गांव में छोटी-छोटी जन सभा कर सामंती शासन के विरुद्ध अलख

जगाते हुए तथा लोगों को स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से अवगत करा विदेशी शासन से मुक्ति के लिए चेतना जागृत करते हुए घूमने लगे।

इस कार्य में आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। अगस्त 1946 में प्रजामण्डल के आह्वान पर गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। सत्याग्रह करते हुए आपको गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया। आप जेल में करीब एक हफ्ता रहे और अन्य सत्याग्रहियों के साथ आपको 2 सितम्बर 1946 को जेल से रिहा कर दिया गया।

श्री जयनारायण गुप्ता ने आजादी के उपरान्त 10 वर्षों तक सरकारी विकास कार्यों में भाग लेकर अनेक विकास कार्य करवाये।

श्री नन्द किशोर

श्री नन्दकिशोर का जन्म फाल्गुन सुदी 14 विक्रम संवत 1974 को तिजारा में हुआ। आपके पिता का नाम गुमानीराम है। आपने कक्षा नौ तक शिक्षा प्राप्त की है। आप बचपन से ही ऐसे लोगों और साथियों की सोसायटी में रहे जहां देश प्रेम की चर्चा होती रहती थी। साथ ही आपको अखबार पढ़ने का भी शौक था जिससे आपके विचारों में देश के प्रति अपने कर्त्तव्य की भावना का ज्ञान हुआ और देश को आजाद कराने की भावना प्रबल हो उठी। नन्द किशोर प्रजामण्डल के सदस्य बने और अपने साथियों वैद्य हरमुख, श्यौजीराम के साथ गांवों में घूम-घूम कर हाथ में तिरंगा लेकर, महात्मा गांधी की जय बोलते हुए, लोगों को देश को आजाद कराने का पाठ पढ़ाते हुए प्रजामण्डल का सदस्य बनने के लिए प्रचार-प्रसार करने लगे। महात्मा गांधी के हरिजन उद्धार कार्यक्रम के अन्तर्गत जाति-पाँति, छुआ-छूत, ऊंच-नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए आपने और आपके साथियों ने चन्दा एकत्रित कर कस्बे के दीवान वाला मकान में एक आयोजन किया जिसमें सभी वर्ग और सभी वर्ण के लोग एकत्रित हुए। हरिजन भाईयों के हाथों परोसे गए प्रसाद एवं शर्बत आदि ग्रहण किया। सन् 1945 में अलवर की रियासत सरकार द्वारा तम्बाकू पर भारी महसूल वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुए मेव आन्दोलन में मौलाना मोहम्मद इब्राहिम की गिरफ्तारी राता गांव में हुई थी। उस समय भी नन्द किशोर वहां गए थे। नन्द किशोर ने अगस्त 1946 में प्रजामण्डल अलवर द्वारा आयोजित 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। आप आन्दोलन के दूसरे दिन महल चौक के सत्याग्रही जत्थे में शामिल हो गए। जेल में ले जाने के बाद खासी अच्छी पिटाई की गई जिसके परिणाम स्वरूप आपकी कमर में चोट लगी और बेहोश हो गए। आपको सामान्य चिकित्सालय जो तब अलैक्जैण्डर अस्पताल कहलाता था, एक दिन रखा गया। माफी मांगने के लिए सभी सत्याग्रहियों पर रोज दबाव डाला जाता था और नहीं मांगने पर पिटाई का सिलसिला शुरु हो जाता था।

श्रीमती विमला शर्मा

श्रीमती विमला शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1932 को अलवर में हुआ आपके पिता का नाम शम्भूदत्त शास्त्री है। शास्त्री जी विद्वान थे तथा अलवर राज्य की सेवा में अधिकारी पद पर थे। आपका विवाह सन् 1949 में पानीपत निवासी डॉ. किशन चन्द्र शर्मा के साथ हुआ। श्रीमती

विमला शर्मा की बालपन से ही राष्ट्रीय, राजनैतिक, एवं सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने में रुचि रही। मात्र 14 वर्ष की आयु में आपने अलवर प्रजामण्डल द्वारा चलाए गए 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। उन दिनों विवाहित महिला ही नहीं लड़कियों को भी घर से बाहर निकलने तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेने की खुली छूट नहीं थी। किन्तु आपने रमा बाई देशपाण्डे, कलावती शर्मा, शांतिगुप्ता, उमा माथुर, शोभा भार्गव, कमला डाय, कमला जैन, रामेश्वरी देवी आदि के साथ सत्याग्रहों में खुलकर भाग लिया। आपको धारा 144 तोड़ने तथा सत्याग्रह करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया किन्तु चूंकि उस जमाने में अलवर की जेल में न तो महिलाओं को रखने और न ही पुलिस (महिला पुलिस) की व्यवस्था थी अतः आपको अन्य महिला सत्याग्रहियों के साथ ट्रक में भरकर 8-10 किलोमीटर दूर जंगलों में छोड़ दिया जाता था। जहां से वापिस आने के लिए वाहन व्यवस्था न होने पर कई बार पैदल भी अलवर आना पड़ा। आप भूखी प्यासी घर आतीं तथा दूसरे दिन पुनः सत्याग्रह में शामिल हो जातीं। कभी-कभी पुलिस से छिप कर आपकी सहयोगी महिलाएं आपके घर पर भी छुप जाती थीं जहां पर एक अधिकारी का निवास स्थान होने के कारण पुलिस वाले वहां नहीं पहुंचे पाते थे। आपकी इन गतिविधियों के कारण आपके पिता ही नहीं अपितु अन्य परिवार जन को यातनाओं का शिकार होना पड़ा। आपके पिता स्व. शम्भु दत्त शास्त्री को तो अलवर राज्य से बाहर चले जाने के आदेश तक दे दिये थे, किन्तु श्रीमती विमला शर्मा के कदम ऐसी विपत्तियों में भी नहीं लड़खड़ाए और आपने स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों में भाग लेना जारी रखा।

कुंवर बलवन्त सिंह

चौहत्तर वर्षीय कुंवर बलवन्त सिंह का जन्म ग्राम व पोस्ट माजरा कान्हावास में हुआ। आपके पिताजी का नाम तोताराम है। तोताराम आर्य समाज के लीडर एवं भजनोपदेशक थे, इस कारण ही ये आर्य मुसाफिर के नाम से जाने जाते थे। वे देश की स्वतंत्रता के लिए गांव-गांव जाकर प्रचार भी किया करते थे। कुंवर बलवन्त सिंह को आजादी के लिए कार्य करने की प्रेरणा अपने पिता तथा राय गोपीलाल, मास्टर भोलानाथ, आदित्येन्द्र आदि से मिली जिन्हें वे अपना गुरु भी मानते हैं।

सन् 1942 में ये अंग्रेजो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। महाशय भगवान दास के साथ रेवाड़ी में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। पुलिस पकड़ कर मजिस्ट्रेट के सामने ले गई। मजिस्ट्रेट ने कहा कि अभी तुम बच्चे हो माफी मांग लो। किन्तु कंवर बलवंत सिंह ने माफी नहीं मांगी, नतीजतन 10 कोड़ों की सजा के साथ गुड़गांवा जेल में भी रहना पड़ा।

आपके पिताजी भी जेल में थे। पुलिस आये दिन इनको गांव में तलाश करती। ये छुप जाया करते थे। रोज-रोज के पुलिस आगमन से तंग होकर एक रोज आपकी मां ने दुखी होकर कहा कि बेटा एक दो फिरंगी मार कर तुम भी मर जाओ, मैं तो रोज-रोज की पुलिस तंगी से तंग आ चुकी हूं। अपनी मां के दुख से दुखी हुए और हथियार चलाना सीख कर अंग्रेजों को मारने का उद्देश्य मन में रख कर इंडियन आर्मी में भर्ती हो गये।

ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग वर्मा में हो गई। वर्मा में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज बना ली थी। आजाद हिन्द फौज में सुभाष ब्रिगेड नं. 1 गुरीला रेजीमेण्ट के आत्मघाती दस्ते में आपको लगाया गया। अंग्रेजों के साथ बड़े जोश से लड़ाई लड़ी, आप पर नेताजी की बड़ी कृपा रही। वे आपको बहादुर लड़का कहकर पुकारते थे। आपने अपने साथियों के साथ मिलकर कालादान दर्रे से होकर मौड़क में अंग्रेजों की पोस्ट पर झण्डा लहरा दिया। इतना ही नहीं आजाद हिन्द फौज ने इम्फाल तथा मणिपुर पर भी कब्जा कर लिया। आपको गैलेन्ट्री मैडल, सरदारे जंग भी मिला है, जो अशोक चक्र के समान है। नागासाकी तथा हिरोशिमा पर बम डाले जाने के कारण जापान ने हथियार डाल कर अपनी हार मान ली, मगर आजाद हिन्द फौज के जवान तब तक लड़ते रहे जब तक उनके पास हथियार रहे। हथियार व रसद बंद होने के कारण आजाद हिन्द फौज के सैनिक कमजोर पड़ गए तथा अंग्रेजों के द्वारा कैद कर लिए गए।

आजाद हिन्द फौज के जवानों को मांडला, सिंगापुर, फिलीपाइन्स, इण्डोनेशिया आदि जेलों में रख गया। देहली के लाल किले में आजाद हिन्द फौज के जवानों पर मुकदमा चलाया गया और कुंवर बलवंत सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 1946 में अलवर प्रजामण्डल द्वारा चलाए गए गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो आंदोलन में भी आपने भाग लिया। आप भी सत्याग्रह में शामिल हुए। जेल की सजा के साथ-साथ 10 कोड़ों की मार भी सहन की। अन्य सत्याग्रहियों के साथ आप भी जेल से रिहा किए गए।

श्री हरसहाय गुप्ता

श्री हरसहाय गुप्ता का जन्म 11 फरवरी 1927 को रामगढ़ में हुआ। आपके पिता श्री रामजीवन गुप्ता दुकानदारी का काम किया करते थे। आपने बी. ए. एल. एल. बी. तक की शिक्षा ग्रहण की है।

जब आप अलवर में अध्ययनरत थे तब श्री महावीर प्रसाद जैन के सम्पर्क में आये और यहीं इनकी प्रेरणा से आपको राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ने का मौका मिला। रामगढ़ में रहते हुए आप तत्कालीन सामन्ती सरकार द्वारा किसानों पर जमा वसूली के लिए किये जाने वाले जुल्मों तथा गरीब लोगों को सुबह से शाम तक भूखे रह कर बेगार में बिना कुछ पारिश्रमिक काम करते देखते थे तो आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता था तथा ऐसी जुल्मी सामन्ती सरकार को उखाड़ फैंकने का मन में निश्चय किया करते थे।

श्री हरसहाय गुप्ता 1942 में श्री महावीर प्रसाद जैन के क्रान्तिकारी संगठन के अन्य सदस्यों के साथ पोस्ट आफिस तथा लैटर बॉक्स में आग लगाने के कार्य में सहयोगी रहे। 1943 में आपने एक विद्यार्थी संगठन बनाने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान किया। आप राजगढ़ के पं. भवानी सहाय तथा अलवर के रामजीलाल अग्रवाल के सम्पर्क में आये तथा राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी हासिल करने लगे तथा उनकी प्रेरणा से कार्य करने लगे। 1943 से ही आपने खादी पहनना प्रारम्भ कर दिया। श्री हरसहाय गुप्ता 1945 में अलवर आ गये। आपने अध्ययन के साथ-साथ नियमित रूप से प्रजामण्डल के कार्यों में भी सहयोग दिया। गांवों में जा-जा कर

प्रजामण्डल का प्रचार-प्रसार किया। साथ ही मीटिंग करके लोगों को जागृत किया तथा राष्ट्रीय भावना को जगाया।

खेड़ा मंगलसिंह आंदोलन जो 2 फरवरी 1946 को हुआ था जिस समय अलवर के प्रमुख नेता शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल, काशीराम, भवानी सहाय शर्मा, आदि को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तव आप वहीं थे।

मास्टर भोलानाथ को भी आना था। उनको गिरफ्तारी से बचाने के लिए आप मण्डावर रेलवे स्टेशन पर एक और साथी के साथ गए तथा भोलानाथ को घटना का ब्यौरा बताते हुए उनसे वहां जाने को मना किया और मास्टर जी के साथ ही दौसा चले गये। इनको बालक होने के कारण नहीं पकड़ा गया। मास्टर जी कई अखबारों के संवाददाता थे जिनमें कई तो राष्ट्रीय स्तर के अखबार थे। समाचार एकत्रित कर प्रेसों में छपने के लिए देने का कार्य करते।

1946 में 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में भी आपने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। शोभाराम को गिरफ्तारी के भय से अलवर राज्य की सीमा से बाहर भेज दिया गया था तब बहरोड़ के पास कांटी नामक गांव में जाकर उन्होंने अपना निवास किया। वह स्थान पंजाब राज्य की सीमा में पड़ता था। बहरोड़ में एक कैम्प लगाया गया जिसमें शोभाराम के निर्देशानुसार कार्य होने लग गया था। आप अलवर की गतिविधियों की सूचना बहरोड़ कैम्प में देने जाते थे तथा उन खबरों को विभिन्न अखबारों में छपने की व्यवस्था भी करते थे। खबरों के प्रकाशन का कार्य आपने बड़ी तल्लीनता से किया। आप जेल नहीं गये क्योंकि जेल में उतने आदमी गिरफ्तार कर लिए कि उसके बाद स्थान नहीं होने के कारण पुरुष सत्याग्रहियों को भी महिलाओं के साथ जंगल में छोड़ा जाने लगा। इस प्रकार श्री हरसहाय गुप्ता ने सामंती शासन को उखाड़ फेंकने में अहम् भूमिका निभाई।

श्री राव रणजीत सिंह

राव रणजीत सिंह यादव का जन्म 23 जुलाई 1914 को अलवर जिले के बूढ़ी बावल कस्बे में हुआ। आपके पिता का नाम स्वर्गीय राव चुन्नीलाल यादव था। आप अपने गांव में बचपन में गाय चराया करते थे। अट्ठारह वर्ष की आयु में 23 दिसम्बर 1932 को आप सेना में भर्ती हो गये।

आप अपना प्रेरणा स्रोत महान् स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस को मानते हैं, इसके बाद नेता जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आप बचपन से ही खादी पहनते आये हैं और अभी भी पहनते हैं। आपका कहना है कि खादी पहनने से गर्व का अहसास होता है।

दूसरे विश्वयुद्ध में आप अंग्रेजों की तरफ से लड़े किन्तु इस युद्ध में अंग्रेजी फौज को जापानी फौज ने परास्त कर दिया और 2 लाख 20 हजार फौज के जवानों को जापान ने बन्दी बना लिया। उस समय अंग्रेज अफसर भारतीय सेना को जापान के रहमो करम पर छोड़ कर भारत आ गये। उस समय जापान के 'तोजू' ने रास बिहारी बोस को बुलवा कर भारतीय फौज को एक सूत्र में बांधने का आह्वान किया। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 'शौनान' सिंगापुर पूर्वी एशिया के प्रवासी भारतीयों के एक सम्मेलन में आजाद हिन्द फौज की स्थापना की। 25 अगस्त

1943 को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज की कमान अपने हाथ में ली। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने घोषणा की तथा सभी सैनिकों ने प्रतिज्ञा की कि खून की आखिरी बूंद तक आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। 2 सितम्बर 1943 को आजाद हिन्द फौज सरकार का शिविर शौनान के स्थान पर रंगून बदल दिया तथा 4 फरवरी 1944 को नेताजी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा नारा दिया कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। सेना को संबोधित करते हुए नेताजी ने कहा, 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा' जापान ने जनधन का अपार सहयोग किया। भयंकर लड़ाई में अंग्रेजो के दांत खट्टे कर दिये। एक गोली श्री यादव को भी लगी तथा पीछे से पड़े एक बम के छोटे से टुकड़ों से वे और उनके अन्य साथी भी घायल हो गये, मगर हौसला पस्त नहीं होने दिया। हाथ में तिरंगा थामे इम्फाल, नागाहिल, मणिपुर पर कब्जा करते हुए कलकत्ता तक अभियान सफल रहा। किन्तु बाद में खाना, हथियार, वाहन, संचार साधनों का अभाव होता गया। आजाद हिन्द फौज के जवान कई-कई दिन भूखे रहने के कारण लड़ने में अक्षम हो गये। 6 व 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा व नागासाकी को एटम बमों के द्वारा तहस-नहस कर दिया गया। 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण करने के लिए आजाद हिन्द फौज मजबूर हो गई। अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बड़ी यातनाएं दी गई। चावलों में सफेदी (कली) मिला कर खाना दिया गया जिससे खूनी दस्त हो गये। हजारों सैनिकों को जान से हाथ धोना पड़ा। दस-दस दिनों तक धूप में बाहर खड़ा किया गया। सर्दियों में पूरी रात बाहर खुले में रखा गया। खुदाई करवाना, जूते साफ करवाना जैसे काम कराये गये। यादव को चार बार जेल यातनाएं सहनी पड़ीं। अन्तिम जेल यात्रा लाल किले में जनवरी 1946 में 27 दिन की थी।

श्रीमती शोभना (शोभा) भार्गव

श्रीमती शोभना भार्गव को घर पर शोभा के नाम से ही प्यार से संबोधित किया करते थे अतः ये शोभा के नाम से ही जानी जाती रही हैं। आपका जन्म अलवर में 20 मार्च 1928 को हुआ। आपके पिता का नाम श्री पृथ्वीनाथ भार्गव है जो अलवर के प्रख्यात वकील के साथ-साथ अलवर प्रजामण्डल के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जिन्होंने खेड़ा मंगलसिंह की ऐतिहासिक सभा की, श्री शोभाराम रामजीलाल अग्रवाल आदि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अध्यक्षता की।

श्रीमती शोभना भार्गव को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा श्री शोभाराम से ही मिली जबकि आपकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। आपके पिता श्री पृथ्वीनाथ वकील भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे और उस समय इनके पिताजी का घर पर ऑफिस ही प्रजामण्डल का ऑफिस था। खादी पहनने की प्रेरणा भी उस उम्र में आपके पिताजी ने दी थी, तब उनको इसके महत्त्व का भी पता नहीं था। किन्तु स्वतंत्रता मिलने और विवाह होने के कारण वह छूट गया।

आपने अपने गुरू श्री रघुवीर शरण भट्ट की प्ररणा से 'महिला मण्डल' की स्थापना में योगदान किया।

यह संस्था प्रारम्भ में सामाजिक उत्थान के लिए बनी थी जिसकी अध्यक्षता के लिए स्व. लाला काशीराम की पुत्री श्रीमती शान्ति गुप्ता को चुना गया। उस समय साक्षरता की बहुत आवश्यकता थी, यद्यपि आज भी है उसमें अन्य महिलाओं ने भी अपना योगदान किया। एक

प्रजामण्डल का प्रचार-प्रसार किया। साथ ही मीटिंग करके लोगों को जागृत किया तथा राष्ट्रीय भावना को जगाया।

खेड़ा मंगलसिंह आंदोलन जो 2 फरवरी 1946 को हुआ था जिस समय अलवर के प्रमुख नेता शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल, काशीराम, भवानी सहाय शर्मा, आदि को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब आप वहीं थे।

मास्टर भोलानाथ को भी आना था। उनको गिरफ्तारी से बचाने के लिए आप मण्डावर रेलवे स्टेशन पर एक और साथी के साथ गए तथा भोलानाथ को घटना का ब्यौरा बताते हुए उनसे वहां जाने को मना किया और मास्टर जी के साथ ही दौसा चले गये। इनको बालक होने के कारण नहीं पकड़ा गया। मास्टर जी कई अखबारों के संवाददाता थे जिनमें कई तो राष्ट्रीय स्तर के अखबार थे। समाचार एकत्रित कर प्रेसों में छपने के लिए देने का कार्य करते।

1946 में 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में भी आपने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। शोभाराम को गिरफ्तारी के भय से अलवर राज्य की सीमा से बाहर भेज दिया गया था तब बहरोड़ के पास कांटी नामक गांव में जाकर उन्होंने अपना निवास किया। वह स्थान पंजाब राज्य की सीमा में पड़ता था। बहरोड़ में एक कैम्प लगाया गया जिसमें शोभाराम के निर्देशानुसार कार्य होने लग गया था। आप अलवर की गतिविधियों की सूचना बहरोड़ कैम्प में देने जाते थे तथा उन खबरों को विभिन्न अखबारों में छपने की व्यवस्था भी करते थे। खबरों के प्रकाशन का कार्य आपने बड़ी तल्लीनता से किया। आप जेल नहीं गये क्योंकि जेल में उतने आदमी गिरफ्तार कर लिए कि उसके बाद स्थान नहीं होने के कारण पुरुष सत्याग्रहियों को भी महिलाओं के साथ जंगल में छोड़ा जाने लगा। इस प्रकार श्री हरसहाय गुप्ता ने सामंती शासन को उखाड़ फेंकने में अहम् भूमिका निभाई।

श्री राव रणजीत सिंह

राव रणजीत सिंह यादव का जन्म 23 जुलाई 1914 को अलवर जिले के बूढ़ी बावल कस्बे में हुआ। आपके पिता का नाम स्वर्गीय राव चुन्नीलाल यादव था। आप अपने गांव में बचपन में गाय चराया करते थे। अट्ठारह वर्ष की आयु में 23 दिसम्बर 1932 को आप सेना में भर्ती हो गये।

आप अपना प्रेरणा स्रोत महान् स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस को मानते हैं, इसके बाद नेता जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आप बचपन से ही खादी पहनते आये हैं और अभी भी पहनते हैं। आपका कहना है कि खादी पहनने से गर्व का अहसास होता है।

दूसरे विश्वयुद्ध में आप अंग्रेजों की तरफ से लड़े किन्तु इस युद्ध में अंग्रेजी फौज को जापानी फौज ने परास्त कर दिया और 2 लाख 20 हजार फौज के जवानों को जापान ने बन्दी बना लिया। उस समय अंग्रेज अफसर भारतीय सेना को जापान के रहमो करम पर छोड़ कर भारत आ छुपे। उस समय जापान के 'तोजू' ने रास बिहारी बोस को बुलवा कर भारतीय फौज को एक सूत्र में बांधने का आह्वान किया। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 'शौनान' सिंगापुर पूर्वी एशिया के प्रवासी भारतीयों के एक सम्मेलन में आजाद हिन्द फौज की स्थापना की। 25 अगस्त

1943 को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज की कमान अपने हाथ में ली। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने घोषणा की तथा सभी सैनिकों ने प्रतिज्ञा की कि खून की आखिरी बूंद तक आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। 2 सितम्बर 1943 को आजाद हिन्द फौज सरकार का शिविर शौनान के स्थान पर रंगून बदल दिया तथा 4 फरवरी 1944 को नेताजी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा नारा दिया कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। सेना को संबोधित करते हुए नेताजी ने कहा, 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा' जापान ने जनधन का अपार सहयोग किया। भयंकर लड़ाई में अंग्रेजो के दांत खट्टे कर दिये। एक गोली श्री यादव को भी लगी तथा पीछे से पड़े एक बम के छोटे से टुकड़ों से वे और उनके अन्य साथी भी घायल हो गये, मगर हौसला पस्त नहीं होने दिया। हाथ में तिरंगा थामे इम्फाल, नागाहिल, मणिपुर पर कब्जा करते हुए कलकत्ता तक अभियान सफल रहा। किन्तु बाद में खाना, हथियार, वाहन, संचार साधनों का अभाव होता गया। आजाद हिन्द फौज के जवान कई-कई दिन भूखे रहने के कारण लड़ने में अक्षम हो गये। 6 व 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा व नागासाकी को एटम बमों के द्वारा तहस-नहस कर दिया गया। 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण करने के लिए आजाद हिन्द फौज मजबूर हो गई। अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बड़ी यातनाएं दी गई। चावलों में सफेदी (कली) मिला कर खाना दिया गया जिससे खूनी दस्त हो गये। हजारों सैनिकों को जान से हाथ धोना पड़ा। दस-दस दिनों तक धूप में बाहर खड़ा किया गया। सर्दियों में पूरी रात बाहर खुले में रखा गया। खुदाई करवाना, जूते साफ करवाना जैसे काम कराये गये। यादव को चार बार जेल यातनाएं सहनी पड़ीं। अन्तिम जेल यात्रा लाल किले में जनवरी 1946 में 27 दिन की थी।

श्रीमती शोभना (शोभा) भार्गव

श्रीमती शोभना भार्गव को घर पर शोभा के नाम से ही प्यार से संबोधित किया करते थे अतः ये शोभा के नाम से ही जानी जाती रही हैं। आपका जन्म अलवर में 20 मार्च 1928 को हुआ। आपके पिता का नाम श्री पृथ्वीनाथ भार्गव है जो अलवर के प्रख्यात वकील के साथ-साथ अलवर प्रजामण्डल के वरिष्ठ कार्यकर्त्ता थे, जिन्होंने खेड़ा मंगलसिंह की ऐतिहासिक सभा की, श्री शोभाराम रामजीलाल अग्रवाल आदि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अध्यक्षता की।

श्रीमती शोभना भार्गव को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा श्री शोभाराम से ही मिली जबकि आपकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। आपके पिता श्री पृथ्वीनाथ वकील भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे और उस समय इनके पिताजी का घर पर ऑफिस ही प्रजामण्डल का ऑफिस था। खादी पहनने की प्रेरणा भी उस उम्र में आपके पिताजी ने दी थी, तब उनको इसके महत्व का भी पता नहीं था। किन्तु स्वतंत्रता मिलने और विवाह होने के कारण वह छूट गया।

आपने अपने गुरू श्री रघुवीर शरण भट्ट की प्ररणा से 'महिला मण्डल' की स्थापना में योगदान किया।

यह संस्था प्रारम्भ में सामाजिक उत्थान के लिए बनी थी जिसकी अध्यक्षता के लिए स्व. लाला काशीराम की पुत्री श्रीमती शान्ति गुप्ता को चुना गया। उस समय साक्षरता की बहुत आवश्यकता थी, यद्यपि आज भी है उसमें अन्य महिलाओं ने भी अपना योगदान किया। एक

बार एक महिला के साथ अन्याय हुआ था, उसके विरोध में अलवर महाराज से मिलने के लिए एक दल महिलाओं का गया था। आप उसमें भी थीं उस घटना के बाद ही आपमें निर्भीकता उत्पन्न हुई और आपने प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण कर ली। यह संस्था बाद में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गई थी।

आप उदयपुर में देशी राज्य परिषद के अधिवेशन में भेजे गए डेलीगेशन में अलवर से भेजी गई, महिलाओं में से एक थी। यह अधिवेशन पं. जवाहर लाल नेहरु की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ था।

आपने राष्ट्रीय आंदोलन में खुल कर भाग लिया। हड़ताल करवाना, स्कूल और कॉलेजों में झण्डा उठा कर नारे लगाते हुए चलना, सभी मीटिंग में भाग लेना आदि कार्य किये। अगस्त 1946 के 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आंदोलन जो अलवर प्रजामण्डल के आह्वान पर बुलाया गया उसमें सत्याग्रही जत्थो में आपने भी भाग लिया।

आपको भी अन्य सत्याग्रहियों महिलाओं के साथ जेल में व्यवस्था न होने के कारण जंगलों में छोड़ा गया, जहां वे अन्य महिलाओं के साथ वापिस आकर पुनः सत्याग्रह में सम्मिलित हो जाती।

सुश्री उमा माथुर

सुश्री उमा माथुर का जन्म 1 नवम्बर 1929 को तिजारा में हुआ। आपके पिता छज्जू सिन्हा अलवर रियासत में तहसीलदार थे।

6-7 साल की आयु में आपको तथा डॉ. घनश्याम दास माथुर की पुत्री बन्नी (घर का प्यार का नाम) को मिस झण्डा सिंह पढ़ने के लिए उन दिनों न्यूतेज टॉकिज के पास एक स्कूल था, उसमें ले गई थी। उस समय जब कभी बाजार में नारों का शोर सुनाई देता तो आप रोमांचित हो उठती और स्कूल छोड़ कर उन लोगों के साथ भाग लेती। नारे लगाने में आपको आनन्द आता।

1942 के छात्र आंदोलन में भी आपने भाग लिया। आपके दोनों भाई सर्व श्री बी. सिन्हा एवं पी. सिन्हा देहली में अध्ययनरत थे, अलवर आ गये थे। उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया। इस समय उनकी मात्र 13 साल की आयु तो थी ही, वे रेल तथा तार व टेलीफोन के तार काटने में प्लास आदि पकड़ाने का कार्य किया करती थीं। पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लीसरीन इनको दी गई, जिसको पोटली या कागज में लपेट कर लैटर बक्सों में आग लगाई, पोस्टर पम्पलैट आदि चिपकाये। भूरासिद्ध के पास एक गुफा थी जिसमें टाइपराईटर रखा हुआ था, पर्चे छपने का कार्य वहीं से किया जाता था।

इनके पिता, डॉ. घनश्याम दास और अलवर रियासत के कोतवाल जोरावर सिंह परम मित्र थे। जोरावर सिंह अक्सर घर आते और इनके पिताजी से इन भाई-बहनों को इन गतिविधियों में भाग लेने से रोकने को कहते थे। पी. सिन्हा के तो वारंट का भी हवाला देते थे, मगर दोस्ती के नाते गिरफ्तार न करने का अहसान भी धरते थे। मगर इनके पिताजी ने इनको ऐसे कार्यों में होने से नहीं रोका, क्योंकि वे स्वंय भी राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति थे। उमा माथुर के

भाई पी. सिन्हा तो अपने पिताजी से अक्सर कह देते थे कि आप लोग तो गुलाम देश में हुए है मगर मौत आजाद देश में पाने का गौरव हासिल करेंगे। उमा माथुर ने सामाजिक गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। अनमेल विवाह रुकवाया, जिसमें एक अधेड़ उम्र के पुरुष के साथ एक अल्पायु की लड़की का विवाह हो रहा था, इसी प्रकार ही जवान मुस्लिम महिला की एक अल्पायु के साथ होने वाले विवाह को भी रुकवाया। इस कार्य में मुख्य भूमिका जगरानी की थी।

1946 में 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में उमा माथुर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ये पम्फलेट आदि चिपकाती तथा सिगरेट के टीन के डिब्बों में चूड़ियां रखकर अफसरों के मकानों पर चुपके से धर आती। सत्याग्रह के लिए महिलाओं को एकत्रित करने का कार्य किया।

इनके एक जत्थे को श्रीमती रमाबाई देश पाण्डे ने लीड किया था जिसमें श्रीमती शांति गुप्ता, कलावती देवी शर्मा, शोभा भार्गव, शांति गोठड़िया, रामेश्वरी, रामप्यारी, विजया माथुर के अलावा उमा माथुर स्वयं कई अन्य महिलाएं भी थी। इन लोगों को पुलिस ने ट्रक में भरकर पाण्डुपोल के पास छोड़ दिया। उन दिनों प्रजामण्डल के पास कोई खास साधन तो थे नहीं, इन्हें वापिस लाने के लिए जो साधन उपलब्ध होते उनसे ही ये आते थे। जनता का उन दिनों का प्यार और व्यवहार बड़ा सराहनीय रहा। तांगे वाले भी बड़े प्यार से बैठाकर लाया करते थे सत्याग्रहियों को। दूसरे दिन फिर ये सत्याग्रह में शरीक हो जाती थीं। उमा माथुर, श्रीमती शांति गुप्ता तथा महिलाओं के साथ महाराजा से लाठी चार्ज न करने की मांग लेकर वार्ता के लिए विजय मंदिर जाया करती थी। उमा माथुर ने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर अत्यंत कष्ट सहे। बचपन से ही पढ़ाई छूटने के कारण बी.ए. प्राईवेट किया। एम. ए. जयपुर से किया, फिर वकालत की डिग्री ली, आर्थिक कष्ट भी उठाये।

श्री के. वी. रायजादा

श्री के.वी रायजादा का जन्म अलवर शहर में 12 मई 1919 को हुआ। पिता का नाम रघुवर चरण रायजादा है। आपने सातवीं तक शिक्षा नोबिल्स स्कूल अलवर में तथा इसके पश्चात जयपुर में पाई। आपने इण्टर की परीक्षा राजर्षि कॉलेज अलवर से पास की तत्पश्चात बी.ए. एल.एल.बी. एवं एम.ए. बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी से 1938 से 1943 तक रह कर की। आपने शासकीय हमीदिया कॉलेज भोपाल में वकालत करते हुए पार्टटाइम प्रोफेसर लॉ का कार्य करते सन् 1948 में एल. एल. एम. की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण मैडल सहित पास की।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय बड़े-बड़े नेताओं विशेषतः लोकनायक जयप्रकाश नारायण से भी आपका संपर्क रहा। अनेक क्रांतिकारी एवं गांधीवादी कार्यकर्ताओं के साथ सक्रिय राजनीति में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ तथा सन् 1942 में आपको कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा। श्री रायजादा ने सन् 1944 से अलवर प्रजामण्डल के कार्यों में भाग लेना प्रारंभ किया। शोभाराम के कहने पर प्रजामण्डल की सक्रिय सदस्यता भी ग्रहण कर ली। उनके साथ सैकड़ों गांवों का दौरा भी किया। आप बताते हैं कि यह ऐसा समय था जब प्रजामण्डल के

कार्यकर्त्ताओं को गांवों में कोई भोजन के लिए भी नहीं पूछता था। एक-एक घर से एक-एक रोटी लेकर भूख शांत करनी पड़ती थी।

आपने हरिजन उद्धार के कार्यक्रमों में भी सक्रिय भूमिका निभायी। हरिजनों में शिक्षा प्रसार, सुधार व संगठन का कार्य किया। अनेक वर्षों तक हरिजन सेवा संघ के मंत्री रहे। कृष्णदत्त पालीवाल भूतपूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश एक बार पाठशाला में आये वे आपके कार्य से प्रसन्न होकर आपको 15.6.46 को एक प्रशंसा पत्र भी स्वयं की हस्तलिपि में लिख कर दे गये थे। अन्नकूट के अवसर पर इस वर्ष ही केडलगंज स्थित राम-लक्ष्मण के मंदिर में हरिजनों को प्रवेश ही नहीं कराया बल्कि सवर्णों के साथ बिठा कर प्रसाद भी खिलाया गया। यह प्रयास इतना सफल रहा कि ऐसा मालूम होता था कि सारा शहर ही इसमें शिरकत करने आ पहुंचा। इस कार्य में नारायण दत्त गुप्ता, मा. हरिनारायण सैनी का सहयोग विशेष रूप से रहा। फरवरी सन् 1946 को खेड़ा मंगल सिंह में एक सभा को आयोजन करने का प्रजामण्डल ने कार्यक्रम बनाया। सभा से एक दिन पूर्व ही सात प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी का वारण्ट आया जिनमें 6 तो गिरफ्तार कर लिए किंतु मा. भोलानाथ वहां पर नहीं थे उनके पास समाचार भिजवाया गया कि वे यहां नहीं आवें अन्यथा गिरफ्तार कर लिए जायेंगे। नियत तिथि को अलवर की सामंती सत्ता की आशा के प्रतिकूल सभा हुई जिसकी अध्यक्षता पृथ्वीनाथ भार्गव वकील ने की। उस समय की रायजादा की स्पीच बड़ी ही प्रभावकारी रही अगस्त 1946 में अलवर प्रजामण्डल द्वारा चलाये गए 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन के समय आपकी ड्यूटी ग्राम कांटी जो अलवर की सीमा से लगता हुआ तथा नाभा स्टेट में था, शोभाराम के साथ सत्याग्रहियों को इकट्ठाकर भेजने की लगाई गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए कार्यकर्त्ताओं को निर्देश थे कि अलवर राज्य की सीमा में न जायें। भूलवश एक बार रायजादा निकल गए। गांव वालों ने आपको घेर लिया और भाषण देने के लिए कहा। गांव वालों ने कहा कि हमारे होते हुए आपको कोई गिरफ्तार कर ले किसी की मां ने ऐसा दूध नहीं पिलाया। आप को अलवर के सक्रिय आंदोलन में भाग लेने की बड़ी तड़प थी। आपका कहना था कि जब शोभाराम यहां पर हैं तो मुझे अलवर जाने दीजिए। उस विवाद में वहां के नेता मा. श्याम मनोहर ने आपसे कहा कि आप अनुशासन में बंधे हैं आप नहीं जा सकते। मगर हम कांटी वालों पर शोभाराम का बंधन है। यहां से एक दल भेजना हैं उसका नेता बनाकर हम आपको भेजेंगे मगर अफसोस उस जत्थे के जाने से पूर्व ही आंदोलन स्थगित कर दिया गया।

आप अलवर छोड़ कर भोपाल गये। आपने वहां वकालत शुरू कर दी। इस समय शोध कार्य में रजिस्टर्ड हैं। डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री थीसिस लिख रहे हैं रायजादा के हजारों शिष्यों में कुछ हाईकोर्ट जज बने, कुछ विधि मंत्री कुछ विद्यालयों में डीन ऑफ द फैकल्टी ऑफ लॉ बने। यहां तक कि उच्चतम न्यायलय में वकील ही नहीं अपितु जज के पद पर भी आपके शिष्य रहे हैं।

श्रीमती कमला देवी डाटा

श्रीमती कमला देवी डाटा का जन्म 1932 की वसन्त पंचमी को बासकृपाल नगर (अलवर) में हुआ। आपके पिता का नाम श्री रामकुमार आर्य है। वे आर्य समाजी विचार धारा

के व्यक्ति थे तथा मोगा मण्डी (पंजाब) की व्यापार समिति के कई साल तक अध्यक्ष भी रहे। आपकी शैक्षिणिक योग्यता पंजाब यूनिवर्सिटी से हिन्दी रत्न तक की है। यद्यपि बालपन में श्रीमती कमला डाटा अपने परिवार के साथ मोगा मण्डी (पंजाब) चली गई थी किन्तु पिताजी की अस्वस्थता के कारण परिवार के साथ पुनः अलवर आना पड़ा। यद्यपि स्वदेशी अपनाओ आन्दोलन के समय घर-घर सूत कातने का नारा जोरों पर था किन्तु आपके घर में तो पहले से ही सूत कातने का काम आपकी माता जी करती थीं जिससे खादी तैयार करवाई जाती थी और सारा घर खादी पहनता था जिसमें आप स्वयं भी सम्मिलित थी। आपके बड़े भ्राता नारायण दत्त गुप्ता का विवाह उस समय के प्रमुख कॉग्रेसी लाला काशीराम की सुपुत्री शांतिदेवी गुप्ता के साथ बिना पर्दे के हुआ जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था क्योंकि सामन्ती शासन में धनाढ्य घराने की बहू-बेटियों को बिना पर्दा किए निकलने पर अच्छा नहीं समझा जाता था। यद्यपि ऐसी शादी से परिवार एवं संबंधियों में विशेषकर स्त्रियों में काफी रोष था किन्तु परिवार का पुरुष वर्ग प्रसन्न था, आपको भी यह अच्छा लगा। भाभी की प्रेरणा से आप आजादी के आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। स्कूल में हड़ताल करवाने, नारे लगाने में आगे रहती थी। आपके मन में आजादी के लिए एक तड़प सी थी। बस अंग्रेज चले जाएं यही मनोकामना थी। सन् 1946 के अलवर प्रजामण्डल द्वारा चलाए गए 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन में पूरे 10 दिन तक आपने सक्रिय भूमिका निभाई। आप सत्याग्रही जत्थों में शामिल होती। पुलिस अन्य महिलाओं के साथ आपको भी पकड़ कर दूर-दराज के जंगलों में छोड़ आती, वहां से कभी-कभी तो पैदल भी आना पड़ता। 9 मार्च 1946 को आपका विवाह रेवाड़ी के कर्मठ कार्यकर्ता महाशय भगवान दास जी के पुत्र प्रेमस्वरूप डाटा से हुआ। आपके ससुर एवं पति आजादी के आन्दोलन में कई बार जेल जा चुके थे। आपने भी विवाह बिना पर्दा प्रथा के किया तथा ससुराल में महिलाओं में शिक्षा प्रसार, अंधविश्वासों को दूर करना आदि कार्यों में रुचि लेने लगी जो अभी भी चालू है।

श्रीमती कौशल्या देवी

श्रीमती कौशल्या देवी का जन्म ग्राम टोडा नागर तहसील लक्ष्मणगढ़ में 31 अक्टूबर 1927 को हुआ। आपके पिता का नाम श्री दलजी राम है। आपके पिता खेती करते थे साथ ही पुर्जा ठिकने के कामदार भी थे। श्रीमती कौशल्या देवी का विवाह अप्रेल 1940 में खोहरा (मलावली) के निवासी पंडित श्रवण लाल के सुपुत्र श्री अनन्त राम के साथ सम्पन्न हुआ। यह भी भाग्य की विडम्बना ही रही कि श्रीमती कौशल्या देवी का पीहर ग्राम टोडा नागर जागीर का एक गांव था, वहीं आपकी ससुराल खोहरा (मलावली) भी एक जागीर का ही गांव था।

जागीरदारों द्वारा महिलाओं से बेगार ली जाती और उन्हें काम के बदले पैसे देना तो दूर उन्हें भूखे पेट ही दिन भर काम करने को मजबूर करने के घटनाक्रम व ससुराल व पीहर दोनों जगह ही देखकर आपको भारी मानसिक वेदना होती थी। श्रीमती कौशल्या देवी के पति भी सामन्ती शासन के विरोधी एवं अंग्रेजों के विरोधी थे। वे गांव-गांव घूमकर प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं के रूप में जागीर विरोधी एवं सामन्ती शासन विरोधी प्रचार किया करते थे। आप भी महिलाओं को जागीरी जुल्मों के विरोध में संगठित करने लगी जिसका परिणाम यह हुआ कि

इनके श्वसुर ने इनके जागीर विरोधी गतिविधियों से रुष्ट होकर इन्हें इनके पीहर टोडानागर भेज दिया। आप पीहर जाकर भी जब जागीरदारों के जुल्मों की चर्चा कर उन्हें संगठित करने लगी तो इनके पिता जो कि माफीदार के नौकर थे अपनी नौकरी तथा अन्य सुविधा छिन जाने के डर से आपसे रुष्ट रहने लगे और अन्ततः आपको आपके पिता ने ससुराल भेज दिया।

आपके पति भी जागीर विरोधी विचारधारा के होने के कारण इनके ग्राम खोहरा (मलावली) जागीरदार की आंख का कांटा बन गए और उसने उन्हें ग्राम छोड़ने को विवश कर दिया। आखिरकार श्रीमती कौशल्या देवी अपने पति श्री अनन्तराम के साथ अलवर आ गई तथा मौहल्ला टोली का कुआ में डॉक्टर गंगाबख्श के मकान में रहने लगे, जिसमें पहले से ही प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ता श्री रामजीलाल अग्रवाल, फूलचन्द गोठड़िया, मायाराम आदि रहते थे।

इस मकान में रहने वाले सभी पुरुष-महिलाओं का काम ही एक प्रकार से विदेशी शासन और सामन्ती सत्ता के जुल्मों के विरोध में वातावरण तैयार करना था। आप भी श्रीमती शांति गोठड़िया, रामेश्वरी देवी, रामप्यारी, आदि के साथ जलसे-जुलूसों में भाग लेने लगी।

प्रजामण्डल अलवर द्वारा 1946 में आयोजित 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन में आपने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं के जत्थों के साथ आप भी सत्याग्रह में शामिल होने लगी। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने लगी किन्तु जेल में महिलाओं को रखने का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं होने के कारण इन्हें ट्रकों में भरकर कभी कालीघाटी, कभी तालवृक्ष, कभी बानसूर के पास दूर-दूर स्थानों में छोड़ने लगी। किन्तु महिलाएं वहां से भी पैदल अथवा जो भी साधन मिलते वापिस आ जाती। इस प्रकार आप इस आन्दोलन में, जब तक यह चला, भाग लेती रही।

श्री विशम्भरदयाल मोदी :

श्री विशम्भरदयाल मोदी का जन्म खैरथल कस्बे में 3 जुलाई 1932 को हुआ। आपके पिता का नाम श्री गोपीराम मोदी है। श्री विशम्भर दयाल मोदी की ससुराल रामगढ़ में है और आपके ससुर और श्री गोठड़िया की मित्रता ही नहीं थी पारिवारिक संबंध भी थे। श्री गोठड़िया ने कन्यादान में 'गांधी चरखा' दिया था। इस चर्खे ने ही आपको गांधी भक्त बना दिया। श्री मोदी के परिवारजन यद्यपि इनको सामंती शासन के भय से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकते थे तथापि चोरी छुपे ये नेताओं के साथ हो लेते थे। एक बार खैरथल में प्रजामण्डल की एक मीटिंग हुई थी जिसमें अलवर से श्री शोभाराम, नत्थूराम मोदी, कुँजबिहारी लाल मोदी, दयाराम वगैरह गये थे। जागीरदारों ने मीटिंग करने पर एतराज किया था। श्रोताओं की भीड़ तो काफी थी मगर जागीरदारों के भय से फर्श पर कोई नहीं बैठा था। फर्श के आस-पास ही चारों ओर लोगों की भीड़ जमी रही थी, जब तक मीटिंग समाप्त नहीं हो गई। विशम्भर दयाल मोदी ने खैरथल कस्बे और उसके आस-पास गांवों में प्रजामण्डल का प्रचार किया और जिसमें इनको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। 2 फरवरी को खेड़ा मंगलसिंह ग्राम में जागीर विरोधी सभा के आयोजन के समय आप भी अलवर से जाने वाले ट्रक में गये थे और मीटिंग में भाग लिया था। उस मीटिंग की अध्यक्षता पृथ्वीनाथ भार्गव वकील ने की। नेता तो पहले ही

सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये थे। 26 अगस्त 1946 में 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आंदोलन जो प्रजामण्डल ने चलाया उसमें भी श्री विशम्भरदयाल मोदी ने भाग लिया था। सत्याग्रह में भाग लेने पर आपको भी पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया था। वहां काफी लोग थे। सुपरिण्टेण्डेण्ट जेल मार्टिन नाम का एक अंग्रेज था वह बड़ा जल्लाद था। सत्याग्रहियों से माफी मंगवाने के लिए बड़ा जुल्म करता था। वहां कपड़े उतरवा कर केवल कच्छा बनियान में सत्याग्रहियों को 21-21 बेतें पड़वाता। उन दिनों बिरजूसिंह नाम का डाकू भी बन्द था उससे इतनी मार पड़वाई कि लहुलुहान हो गये। इलाज के लिए अस्पताल लाये गये। ठीक होने पर फिर जेल में आ गए। 2 सितम्बर 1946 को अन्य बन्दी सत्याग्रहियों के साथ आप भी जेल से छूटे। जनता ने सभी सत्याग्रहियों का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया।

श्री रमेश चन्द जैन

रमेश चंद जैन का जन्म कस्बा रामगढ़ में संवत् 1979 में हुआ। आपके पिता भौरें लाल जैन पटवारी थे। रमेश चंद जैन रामगढ़ में होने वाली प्रजामण्डल की गतिविधियों में स्वतः ही भाग लेने लग गये। यद्यपि आपके पिता अलवर राज्य सरकार के कर्मचारी थे तथापि उन्होंने इनकी गतिविधियों में भाग लेने की रुचि को हतोत्साहित नहीं किया क्योंकि वे स्वयं भी राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति थे। वार फण्ड के जबरन वसूली से जब अलवर राज्य की सारी जनता त्रस्त थी तब अलवर शहर के प्रमुख कांग्रेसी नेता शोभाराम, मा. भोलानाथ, रामजीलाल अग्रवाल आदि को जनता में जागृति लाने के उद्देश्य से रामगढ़ प्रजामण्डल के पदाधिकारियों ने उनको बुला तो लिया किन्तु उनकी सभा आयोजित करने के बजाय गिरफ्तारी के भय से छुप गए तब फूलचंद गोठड़िया के नेतृत्व में उनकी सभा करने की व्यवस्था की जो काफी सफल रही जिसमें काफी संख्या में लोग आये।

2 फरवरी 1946 को खेड़ा मंगल सिंह में आयोजित जागीर विरोधी सभा में आप भी वहां गये और सभा में हिस्सा लिया। 1944 में राजस्थान एवं मध्य भारत की रियासतों के कार्यकर्त्ताओं के अलवर में गिरधर आश्रम में होने वाले सम्मेलन को देखने-सुनने के लिए आप अपने साथियों के साथ रामगढ़ से आये।

26 अगस्त 1946 को गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो आंदोलन के प्रजामण्डल के कार्यक्रमानुसार भी 24 अगस्त 1946 को रामगढ़ में वेगार का पुतला बना कर एक अर्थी जुलूस निकाला गया जिसे कस्बे में घुमाकर रामगढ़ तहसील के सामने जलाया गया। फूलचंद गोठड़िया के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया। उस जूलूस पर पुलिस ने भारी लाठी चार्ज किया जिसमें रोशन लाल का सर फूट गया गोठड़िया के दोनों हाथ कंधे से उतर गये तथा रमेश चंद जैन के हाथ की अंगुली टूट गई। सभी घायलों को तांगें में भवानी सहाय राजगढ़ वाले लेकर आये और अस्पताल में भर्ती कराया। 3-4 दिन आप अस्पताल में भर्ती रहे।

मौलाना मोहम्मद इब्राहीम

मौ. मो. इब्राहीम का जन्म किशनगढ़ तहसील के ग्राम श्यामा का में हुआ। आपने उर्दू, फारसी, अरबी भाषाओं का ज्ञान देवबन्द यू.पी. से पाया। वे कुरान शरीफ तथा मुस्लिम धर्म

ग्रन्थों के पूरे ज्ञाता थे और पूरी निष्ठा के साथ अपने मजहबी उसूलों व नियमों के पाबन्दी होते हुये भी राष्ट्रीय भावों से सरावोर रहकर पूरे गैरजानिवदार थे। आप शुरू से अलवर राज्य प्रजामण्डल की गतिविधियों से जुड़े रहे। मौ. कुद्दूस के साथ आपने राता गांव में तम्बाकू पर बढ़े महसूल का विरोध किया। किसानों की बड़ी कान्फ्रेंस में जब वे तथा अनेक मेव नेता कांग्रेस के शीर्ष नेता बाबू शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल तथा साथी दयाराम आदि थे, तब वहाँ पर गोली चली। मौ. साहब को मिलीटरी वालों ने बंदूकों को बटों से पीटपीटकर जख्मीकर जेल में डाल दिया। आपको जेल में काफी अर्से तक रखा गया। आप पर माफी मांगने के लिए काफी दबाव डाला तथा सताया व परेशान किया, मगर मेवात का यह निडर शेर अपनी आन बान पर अड़ा रहा। बेटे की मौत पर भी विचलित नहीं हुआ।

मौलवी साहब हमेशा ही हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए काम करते रहे। वे एक बड़े प्रभावशाली वक्ता और विचारक थे। आप सन् 1952 से 57 तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य भरतपुर कामा विधान सभा क्षेत्र से रहे। सन् 1970 में आप का देहान्त हो गया। मेवात को आपके जैसा सुलझा और निःस्वार्थ नेता और कार्यकर्त्ता नहीं मिला, जो फकीरी हालत में रहकर अवामकी सेवा करता था। सन् 1947 के दंगों में उजड़े और घर बार छोड़कर बाहर चले जाने वालों मेवों को फिर से बसाने में मौलवी साहब ने जो काम किये वे आज भी लोगों की जबान पर हैं।

मौलाना मो. सुलेमान

मौलाना मो. सुलेमान का जन्म 1917 में चौ. शेरदल के घर किशनगढ़ तहसील के इस्माइलपुर के पास वाझौट ग्राम में हुआ। आठ वर्ष की उम्र में ही आपको दीनी (धार्मिक) तालीम के लिये दिल्ली के मदरसे, सुभानिया में दाखिल कराया, जहां से आपने उर्दू, अरबी, फारसी का अच्छा इल्मम हासिल किया। इसके बाद आप मदरसा अमीनिया से शिक्षा पूरी कर लौटे।

राष्ट्रीय विचारों की प्रेरणा आप को अपनी पढ़ाई के दौरान ही उस्ताद किफायतुल्ला से मिली। वे मशहूर कांग्रेसी व सच्चे वतन-परस्त थे। उन्हें अंग्रेजों से सख्त नफरत थी।

मौलाना सुलेमान अलवर राज्य प्रजामण्डल की हर तहरीक व संघर्ष में साथ रहे आप जेल भी गये। आप अब भी कांग्रेस के हर कार्य में अगुआ रहते हैं।

ला. घासीराम गुप्ता

आपका जन्म सन् 1912 में तिजारा के अग्रवाल व्यापारी परिवार में हुआ। अलवर से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर आपने बनारस विश्वविद्यालय से इण्टरमीडियेट किया। वहीं से राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित हुए। तिजारा में श्री कृपादयाल माथुर के साथ अपने ही कस्बे के कई मित्रों के सहयोग से तहसील प्रजामंडल की स्थापना की, जिसके आप वर्षो अध्यक्ष रहे। इसी कारण 1946 में आप उदयपुर में आयोजित देशी राज्य लोकपरिषद के अधिवेशन में प्रतिनिधि बनकर गये। सन् 1943 में तिजारा पालिका द्वारा बढ़ाई गई चुंगी दरों के आन्दोलन में नेतृत्व करने के ...। आपको डेढ़ मास की सज़ा दी गई। आप 46 के प्रजामण्डल के दोनों आन्दोलनों में भी

जेल गये। सन् 1952 से 1957 तक आप तिजारा विधान सभा क्षेत्र से चुनकर विधायक रहे। आपका देहावसान 5 मार्च 1984 को हुआ।

श्री दयाराम गुप्ता

श्री दयाराम गुप्ता का जन्म सन् 1926 में अलवर के प्रसिद्ध बर्फखाना परिवार के ला. ग्यासी राम के घर में बासकृपाल नगर में हुआ। आप शुरू के 10-11 वर्षों तक परिवार के साथ यू. पी. के बिजनौर, हल्दौर आदि कस्बों में रहे। सन 1937 के बाद परिवार द्वारा अलवर में हीरा आइस फैक्टरी के नाम से कारखाना लगाने के बाद यहाँ आ गए और शिक्षारत रह सन् 1944 में हाई स्कूल परीक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण की। श्री दयाराम बचपन से ही राजनैतिक सामाजिक व आर्थिक व ऐतिहासिक साहित्य पढ़ने में अपना पूरा समय बिताते थे। उनका स्वाध्याय का यह क्रम अन्तिम क्षणों तक चला। वे सभी विषयों का साहित्य संग्रह करने व उसे बड़ी गहराई से -निशान लगाकर, नोट लेकर पढ़ने के आदी थे। हर विषय में वे किसी से भी चुनौती पूर्ण ढंग से बहस व चर्चा करने को तैयार रहते थे। मार्क्सवाद उनका सबसे प्रिय विषय था। वे साम्यवादी आन्दोलन को पूरी तरह समर्पित थे।

वे प्रजामण्डल में जब तक रहे, उसके हर आन्दोलन में पूरी तरह भाग लेते रहे, एक अति निड़र, निष्ठावान और सच्चे सिपाही के रूप में। वे सन 46 के आन्दोलन में जेल जाने वालों के प्रथम दिन ही गिरफ्तार हो गये। राता गोली कांड के समय वे पुलिस व मिलीटरी की फायरिंग में बाल बाल बचे। वे गोवा के मुक्ति आन्दोलन में गये, रास्ते में अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए। श्री दयाराम निडरता, हिम्मत और अपनी बात पर पत्थर की तरह मजबूत रहने के गुणों में बेमिसाल थे। उन्हें काम और अपने लक्ष्य के प्रति कट्टरता भी एक निस्पृही सन्त की भांति थी। वे कार्य करके भी कभी यह नहीं चाहते थे कि कोई उनको उसका श्रेय दे। वे शुरू से मजदूरों, किसानों तथा शोषित वर्गों के जबरदस्त पक्षधर थे। इसके लिये वे अपने ही परिवार के कारखाने में हड़ताल करने में भी मजदूरों के साथ रहे।

अपने विश्वासों के साथ समझौता न करना, अन्याय के विरुद्ध हर किसी से जूझ जाना, अधिकारी हो चाहे कोई भी, उसको पूरी निडरता के साथ खरी खोटी सुनाने में भी वे कभी नहीं चूकते थे। भय और पस्तहिम्मती तो इस, विरयुवा कार्यकर्त्ता के पास भी नहीं फटकते थे। वे समाज को आमूलचूल परिवर्तन के अनेक सपने लिये सन् 1992 में शारीरिक तौर पर शान्त हो गये, पर उनके अन्दर की आग कभी नहीं बुझ पाई।

वे यद्यपि अच्छे, व्यापारी या निर्माता नहीं बन पाये पर उनको खान उद्योग हो, चाहे कृषि व्यवसाय या व्यापार सभी की गहरी जानकारी थी। वे एक ही शब्द में चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे। वे जिस खनिज उद्योग की बुनियाद परिवार के लिये लगा गये, उनके सुयोग्य पुत्रों, चि. सतीश एवं राजीव के संचालन में सफलता की ओर है।

श्री मायाराम बालोनी

श्री मायाराम का जन्म गढ़वाल के टिहरी गांव में श्री गोपालदास के घर सन् 1922 में हुआ। अपनी आगे की शिक्षा हेतु वे कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज में पढ़ने लगे जहाँ आपका

परिचय छात्र आन्दोलनों के दौरान स्व. रामजीलाल अग्रवाल से हुआ। यह शुरुआती परिचय फिर तो ऐसा बना कि दोनों को एक गहरी दोस्ती में बाँध गया। जब श्री अग्रवाल अलवर आये, वे भी अपने भाई चन्द्रमणि तथा माताजी के साथ अलवर आ गये और उनके परिवार के सदस्य के रूप में रहने लगे। श्री अग्रवाल के साथ प्रजामण्डल से जुड़े ओर उसके कार्यालय सहायक बनकर कार्य करने लगे। उन्हें छात्रों में काम करने के लिए राजर्षि कॉलेज में प्रवेश दिलाया, जहाँ से उन्होंने बी.ए. पास किया। इसी बीच मत्स्य का निर्माण हो गया। मत्स्य के भरतपुर कोटे से मंत्री श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी की पुत्री सुश्री इंदिरा से आपका विवाह हो गया। श्री शोभाराम ने इस सुयोग्य युवक को अपना निजी सचिव बना लिया। उनके साथ, वे कार्य करते हुए सरकारी सेवा में आ गये और पहले राज्य प्रशासनिक सेवा में आये और विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए, आई. ए. एस. हो गये। जिलों में कलेक्टर, कई विभागों में निदेशक सचिवालय में सचिव आदि पदों पर रहते हुए आपने अच्छा नाम अर्जित किया।

श्री मायाराम प्रजामण्डल के आन्दोलनों में जेल भी गये। आपके पुत्र श्री अरविन्द एक आई. ए. एस. अधिकारी हैं। उनकी पत्नी श्री इन्दिरा मायाराम राजस्थान विधान सभा की सदस्या हैं।

श्री बाबू प्रसाद मोदी

श्री कुंजबिहारी लाल मोदी के सगे छोटे भाई श्री बाबूप्रसाद का जन्म सन् 1903 में कठूमर में हुआ। आपने प्रजामण्डल के जनान्दोलनों के दौरान लक्ष्मणगढ़ के बसेठ, जावली, तसई आदि गांवों में किसानों के बीच काम किया। जागीरदारों के जुल्मों के खिलाफ आपने किसानों व अनुसूचित जाति के गरीबों को राहत दिलाने के भी काम किए। 1943 में लक्ष्मणगढ़ तहसील प्रजामण्डल की स्थापना की। लक्ष्मणगढ़ के सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना में भी आपका सर्वाधिक योगदान रहा, जिसके आप 10 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। सन् 1946 के दोनों आन्दोलनों के दौरान आपने तहसील के कार्यकर्त्ताओं को उनमें सहयोग व समर्थन जुटाने में बढ़चढ़ कर भाग लिया। आपके साथ लक्ष्मणगढ़ के काशीराम पंसारी, पं. बिहारी लाल शर्मा, श्री अनन्तराम शर्मा, श्री रामसिंह एडवोकेट, खेडली के मोतीलाल लखेरा आदि सहयोगी कार्यकर्त्ता रहे। आप तहसील से जत्थे भेजते रहे। जिस दिन आप एक जत्था लेकर जा रहे थे, उसी दिन सन् 1946 के अगस्त आन्दोलन का समझौता श्री हीरालाल शास्त्री द्वारा कराने की घोषणा हो गई।

आप तहसील लक्ष्मणगढ़ पंचायत के प्रथम अध्यक्ष बने और पंचायत समिति के सदस्य चुने गए।

आपके पुत्र मोदी कान्तिचन्द्र एडवोकेट तथा विप्लव मोदी भी शुरू से ही राजनैतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। आपका पूरा ही परिवार शुरू से आज तक कांग्रेस से जुड़ा रहकर उसके लिए काम करने में लगा रहता है।

श्री शिव प्रसाद वर्मा

नेताजी के नाम से प्रसिद्ध श्री शिवप्रसाद वर्मा का जन्म अलवर के सेढ़ का टीला मोहल्ला में सन् 1920 में हुआ। आप सन् 1945-46 से प्रजामण्डल की गतिविधियों में पूरी सक्रियता के

साथ लगे रहे। आपने सन् 1946 के दोनों आंदोलनों में बढ़चढ़ कर भाग लिया। अगस्त आन्दोलन का संचालन बाहर से रहकर करने के लिए जब श्री शोभाराम अलवर की सीमा से बाहर कौंटी गये तो आप उन के साथ गये और पूरी दिलचस्पी व लगन के साथ सत्याग्रही भेजते तथा बाबू शोभाराम के सन्देश लेकर वे इधर उधर जाते थे। हर आन्दोलन, चुनाव प्रचार तथा अन्य कामों में जोश व तत्परता से से लगे रहने के कारण लोग उन्हें नेताजी कहकर स्नेह से सम्बोधित करते थे। उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ सन् 1951 में 'आगे बढ़ो' तथा बाद में सत्यवक्ता साप्ताहिक निकाला। सन् 1996 में आपका देहान्त हो गया।

डॉ. हरिप्रसाद शर्मा

20 नवम्बर 1921 को खैरथल में जन्में डॉ. हरिप्रसाद ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. की उपाधि प्राप्त की और कानपुर में तेल के प्रतिष्ठित व्यवसायी होते हुए 1942 के गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन से प्रभावित हो स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय हुए। मृदुभाषी डॉ. शर्मा भारत छोड़ो आन्दोलन में गिरफ्तार हुए और सन् 1942-43 में छह माह कारावास में रहे। बाद में भारत छोड़ने की शर्त के साथ विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा दी गई जमानत पर रिहा हुए और अमेरिका चले गये जहां उन्होंने एम. ए. व पी. एच. डी. की उपाधि प्राप्त की। वे 1955 में भारत (खैरथल) वापिस आये। डॉ. शर्मा 1962 से 1971 तक मुण्डावर से विधायक, 1971 से 1977 तक लोकसभा व 1985 से 88 तक राज्य सभा सदस्य और 1981 से 1985 तक जिला प्रमुख के पद पर रहे।

श्री दाताराम गुप्ता

श्री दाताराम का जन्म 8 जुलाई 1921 को हुआ। शुरू से ही आप राष्ट्रीय गतिविधियों में दिलचस्पी लेते रहते थे। सन् 1940-41 में जब पंडित भवानीसहाय शर्मा जेल से छूटकर आए और उनका खैरथल में स्वागत हुआ, आप उनसे प्रभावित होकर प्रजामण्डल के सदस्य बनकर उसकी गतिविधियों से जुड़ गए और थोड़े समय बाद खैरथल प्रजामंडल कार्यकारिणी के सदस्य बना दिए गए। सन् 1946 के अगस्त आंदोलन में गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो का पुतला जलाने के कारण जेल भेजे गए। आन्दोलन के समापन पर सभी अन्य बंदियों के साथ रिहा किए गए।

आप तब से अब तक लगातार राजनैतिक व समाजिक कार्यों में पूरी तरह सक्रिय रहे हैं। अपनी इसी प्रकार की सेवाओं के कारण आप कई बार खैरथल नगरपालिका के सदस्य चुने गए और उसके अध्यक्ष तथा अन्य पदों पर रहे हैं।

श्री पृथ्वीनाथ भार्गव

आप यद्यपि राजनैतिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी तो अपनी अलवर से बाहर शिक्षा के दौरान ही करने लग गये थे पर यहाँ पर आप का नाम खेड़ा मंगलसिंह के आंदोलन से ही प्रकाश में आया। आप अलवर नगरपालिका के अध्यक्ष भी ला. काशीराम के इस्तीफा देने के बाद बने। एक शान्त, धैर्यवान तथा विनम्र कार्यकर्त्ता के रूप में आप सभी के आदर के पात्र बने रहे। आपकी पुत्री शोभा उर्फ शोभना भार्गव शुरू से ही उत्साही व लग्न शील कार्यकर्ता रहीं।

छात्र जीवन से ही वह राजनीति में भाग लेती रही। सत्याग्रह आन्दोलन में गिरफ्तार होकर जंगलों में कष्ट सहती हुई पुन: सत्याग्रही बनकर आगे आ जाती।

आप खेड़ा मंगलसिंह में उस समय मौजूद थे, जब राज्य सरकार ने श्री शोभाराम जी आदि को 2 फरवरी 1946 की रात को गिरफ्तार कर लिया था। आपके नाम चूँकि कोई वारंट आदि नहीं था, अत: आप दूसरे दिन वहाँ रहे और वहाँ दोपहर को होने वाली आम सभा की अध्यक्षता आपने की।

सन् 1946 के गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो आन्दोलन में आप जेल गए। आपके पिता श्री माधो प्रसाद जी अलवर के एक प्रसिद्ध वकील थे। आप अपने अध्ययन काल के दौरान अलवर से बाहर की राजनैतिक गतिविधियों में सक्रिय थे। आपके बारे में अलवर राज्य की सी.आई. डी. सदैव सर्तक रहती थी। उच्च शिक्षा हेतु बाहर रहते समय जब आप अलवर में अपने गांव में आते थे उस समय भी सी.आई.डी. उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखती थी।

श्री प्रहलाद राय धातरिया

ला. प्रहलाद राय धातरिया, मूलत: बर्डोद कस्बे के निवासी थे, पर उनका परिवार काफी समय पहले से दिल्ली में जा बसा था और इनके परिवार के कुछ सदस्य कलकत्ता में भी काफी अच्छा कारोबार करते थे। यह घराना सिंगापुर मलाया में भी काम करता था। धातरिया परिवार ने अलवर में हैपी स्कूल का भवन बनाकर दिया था। राज्य सरकार ने इसीलिए शिक्षा कार्यों में ऐसा योगदान करने के लिए सेठ प्रहलाद राय धातरिया को देशोपकारक की उपाधि से सम्मानित किया। सेठ जी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यों में दिलचस्पी लेते थे, और इसी कारण आप अलवर राज्य प्रजामण्डल की गतिविधियों को लिए धन की सहायता करते हुए स्वयं भी उनमें हिस्सा लेने लगे सन् 1946 के गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो आन्दोलन में आप जेल गए और विरोध स्वरूप अपनी देशोपकारक की उपाधि लौटा दी।

श्री हजारी लाल सेठ

ला. प्रहलाद राय की भांति अलवर जिले के एक अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, सेठ हजारी लाल माँढनवाले। वे प्रजामण्डल के नेताओं के साथ अक्सर रहते थे। उन्हें आर्थिक सहायता देते और कई व्यक्तियों के घरों पर अनाज की बोरियाँ तथा अन्य सामान पहुँचाते। एक बार आपने लगभग आधा दर्जन नेताओं को बाहर से लाकर हाथ की घड़ियाँ भेंट की। खाते पीते धनी होते हुए भी आप बड़े मस्त व्यक्ति थे।

प्रजामण्डल को उन दिनों काफी अच्छे धनी सज्जनों का हर प्रकार से सहयोग मिलता था। अलवर शहर के ऐसे व्यवसायी व व्यापारी वर्ग के व्यक्तियों में श्री प्रभुदयाल मोदी से काफी अच्छा सहयोग मिलता था, जिनकी पूरे व्यापारी वर्ग में प्रतिष्ठा थी। महावर प्रेस के ला. रामकुमार राम, प्रकाशन, प्रचार में सहयोग देने के साथ-साथ प्रजामण्डल के सक्रिय कार्यकर्त्ता रहे हैं। इसी प्रकार केडल गंज मण्डी के गुड़वाला परिवार के श्री प्रभुदयाल गुप्ता, बर्फखाना के श्री चंदगीलाल गुप्ता, श्री कुंजबिहारी मोदी के छोटे भाई रंगबिहारी मोदी, छोटू सिंह जी एडवोकेट के बड़े भाई श्री रामजी लाल आर्य, थानागाजी तहसील के आगर के श्री गूजरमल गुप्ता,

थानागाजी के प्रतिष्ठित वकील पं. नन्दकिशोर शर्मा, लीली लक्ष्मणगढ़ के सेठ थानसिंह जी, खेड़ली के श्री अजीराम, भगेरी किशनगढ़ के श्री रामजीलाल गुप्ता, बासकृपालनगर के श्री ताराचन्द गुप्ता, नारायणपुर के युवा साथी श्री गंगालहरी पारीक व सत्येन्द्र पारीक, लक्ष्मणगढ़ के श्री विश्वम्भर दयाल विजय, जो बाद में राज्य सेवा करते हुए राज. राज विद्युत मण्डल के चीफ इंजीनियर पद से सेवा निर्वत हुए, श्री कृपादयाल माथुर के भतीजे श्री कैलाश नारायण माथुर जिन्होंने प्रजामण्डल के कार्यों में भाग लिया और उसे मजबूती दी। श्री रोशनलाल बुकसेलर व श्री रामदयाल जैन हलवाई भी प्रजामंडल के अच्छे सहयोगी व कार्यकर्त्ता रहे थे। श्री रोशनलाल जैन राजगढ़ की जागीर माफी कान्फ्रेंस में शामिल हुए थे।

अलवर के प्रबुद्ध व्यक्तियों में प्रो. जी.एस. जैमन, ला. इन्द्रलाल मित्तल, लाला रामावतार गुप्ता एडवोकेट आदि ने भी अपनी सेवाओं से प्रजामण्डल को काफी आगे बढ़ाने में मदद की। इसी प्रकार मजदूर किसानों तथा साधारण कहे जाने वाले हजारों लोगों ने भी प्रजामण्डल के सत्याग्रहों में भाग लिया। इसकी जानकारी पुस्तक के परिशिष्ट भाग में जेल जाने वालों की सूची से प्राप्त की जा सकती है। मा. भोलानाथ जी के साथियों में मौजपुर के श्री रेवड़मल मास्टर, श्री मोतीलाल सैनी, मैनेजर चोदन राम सैनी, चोरौटी पहाड़ के अनेक किसान जिनमें श्री सुखराम पटेल, अलवर के श्री कन्हैया लाल सैनी मिस्त्री आदि को आवश्यकता पड़ने पर याद करते ही गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो आन्दोलन में जेल गये और कुछ ने बाहर रहकर अनथक सेवायें की। ऐसी ही जाने-अनजाने हजारों आजादी की कामना करने वालों के कार्यों भावनाओं एवं क्रियात्मक सहयोग से ही अलवर का आजादी का संघर्ष आगे बढ़ा। आओ हम उन्हें सादर नमन करें।

हमारे बाहर के वे स्वतंत्रता सेनानी जिन पर हमें गर्व है-

15 अगस्त 1947 को देश के स्वतंत्र होने पर विभाजन जनित आबादी की अदला-बदली के कारण पाकिस्तान से कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी अलवर में आये जिन्होंने अपनी वहाँ की सेवाओं को आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रता के बाद के दिनों में अलवर जिले की अनेक प्रकार से सेवायें की हैं। इन साथियों की यद्यपि हमारे यहाँ के आजादी के संघर्षों में सीधी भागीदारी नहीं रही, पर इन्होंने देश के अन्य भागों में रहते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन में अविस्मरणीय योगदान किया, जिसके कारण इन्हें भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने इनकी सेवाओं के लिए ताम्र-पत्र तथा पेंशनें देकर सम्मानित किया है। इन साथियों में सर्व श्री हरुमल तोलानी, स्व. बख्शी वजीर चन्द, श्री सेवकराम राजोरिया तथा अन्य साथी हैं। हमें इनकी सेवाओं पर गर्व है और हम इन्हें भी उतना ही सम्मान देते हैं, जितना हमारे यहाँ के सेनानियों को देते हैं।

श्री हरूमल मूलतः सिन्ध प्रान्त, जो आजकल पाकिस्तान का एक भाग है, के रहने वाले हैं। भारत विभाजन से पूर्व आप बचपन से ही कांग्रेस की गतिविधियों में हिस्सा लेने लग गए थे। आप पहले गांधी जी के विचारों से विशेष प्रभावित थे। पर उस समय भी आप मजदूरों, किसानों तथा आम जनता के कार्यों में हमेशा ही संघर्षरत रहते थे। इसी कारण आप पाकिस्तान बनने से पूर्व अंग्रेजों की जेलों में कई साल तक जेल में रहे। इसी कारण आप केन्द्र सरकार की ओर से

केन्द्रीय पेंशन ले रहे हैं। आप आज 80 वर्ष की आयु में भी में लगे रहते है।

आपकी ही तरह बख्शी वजीर चन्द भी पाकिस्तान में आप की शुरू से ही गांधी जी के विचारों से प्रभावित रहे। सन् कांग्रेस छोड़ दी तो आपने भी उनके साथ कांग्रेस के पुराने किसान सभा और कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर, सा तरह यहाँ के पुरुषार्थी किसानों के सवाई जमा आदि

श्री सेवकराम राजोरिया भी हरूमल जी और बख्शी जी में कांग्रेस के हर आन्दोलन में पूरी सक्रियता से जुट गये। हरियाणा क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले थे। आपके पिता, पहले फाजिल्का गये। वहाँ जब कोई काम नहीं मिला तो गया। आप सिन्ध के हैदराबाद सत्याग्रह में कई बार जेल गए। की स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिल रही है। आजकल आप जिला किसान सभा के अध्यक्ष है और भारतीय कम्युनिस्ट

कुँवर मोहम्मद अशरफ

अलवर की राजनैतिक स्तिथि को समझने के लिए कॉ. और कृतित्व को समझना बहुत जरूरी है। यद्यपि उनका जन्म हुआ और अपनी एम.ए. की डिग्री अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से सहायता और प्रेरणा से उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड गए और न जाकर वहाँ पर अध्यापन भी किया, पर वे भारतीय राजनीति से जयसिंह की जुबिली के समय कुछ समय तक उनके निजी मेहमानों की देखभाल के विशेषाधिकारी रहे। उन्होंने यहाँ की अध्ययन किया। सन् 1947 के साम्प्रदायिक दंगों के दौरान रहनुमाई करने में सक्रिय भूमिका निभाई। वे उच्च कोटि के संगठक भी। अलवर की राजनीति में और खासतौर से आज़ादी को सदैव याद किया जायगा। उन्होंने बाहर रहकर यहाँ की रामजीलाल जी अग्रवाल, कृपादयाल जी, दयाराम गुप्ता आदि को ये देश और विदेश के कई विश्वविद्यालयों में इतिहास के शि तहसील के तसई गाँव का मूल निवासी था। ●



अलवर में स्वाधीनता-संघर्षः महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज

- नीमूचाणा-कांड और महात्मा गांधी
- नीमूचाणा-कांड पर 'मतवाला' का मत
- महाराजा जयसिंह का निष्कासन : प्रेमचंद जी की सम्पादकीय टिप्पणी
- महाराजा जयसिंह के निष्कासन के बारे में 'अर्जुन' (दिल्ली) में प्रकाशित समाचार
- अलवर के प्रधानमंत्री के नाम नेहरू जी का पत्र
- अलवर में राजद्रोह : नवज्योति(अजमेर) की टिप्पणी
- अलवर राज्य प्रजामंडल के उद्देश्य और नियम
- महात्मा गांधी और अलवर-मा. भोलानाथ
- अलवर में स्वतंत्रता संग्राम : जेल गये सेनानियों की सूची
- राजशाही से लोकशाही की स्थापना सम्बन्धी अधिसूचनाएँ
- सरदार पटेल की अलवर यात्रा और मत्स्य-संघ का निर्माणः 'राजस्थान क्षितिज' की प्रेस रपट।

नीमूचाणा-काण्ड और महात्मा गांधी

❑ शोभा लाल गुप्त

जलियांवाला बाग के हत्याकाण्ड से सभी परिचित हैं। इस हत्याकाण्ड ने अंग्रेजी शासन के प्रति भारतीय जनता के विश्वास को जड़ मूल से हिला दिया। जनरल डायर ने इस बाग में आयोजित नागरिकों की एक सभा को फौज द्वारा घेर लिया और मशीनगन की अंधा-धुंध गोलियां चला कर सैकड़ों स्त्री-पुरुषों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। भारत में ब्रिटिश शासन पर कभी न मिटने वाला कलंक का टीका लग गया और उसने जब इस अन्याय का समुचित प्रतिकार नहीं किया तो गांधीजी को असहयोग आन्दोलन का सूत्रपात करना पड़ा, जिसने भारतीय इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया। जलियांवाला बाग शहीदों का स्मारक और पुण्य-तीर्थ बन गया है। जिस धरती पर शहीदों का रक्त पड़ा उसकी मिट्टी को माथे पर लगा कर कौन देशभक्त कृतकृत्य नहीं होगा।

जलियांवाला हत्याकाण्ड से मिलता-जुलता काण्ड सन् 1925 की 14 मई को राजस्थान की अलवर रियासत के नीमूचाणा गांव में घटित हुआ। उस समय महाराज जयसिंह अलवर की गद्दी पर थे। उनकी निरंकुशता से प्रजा बुरी तरह पीड़ित थी। उन्हीं दिनों रियासत में भूमि का नया बन्दोबस्त हुआ। किसानों के बिस्वेदारी अधिकार छीन लिए गए और लगान पहले से ड्योढ़ा कर दिया गया। राजपूत किसानों ने अपनी एक कमेटी संगठित की और उसके द्वारा न्याय प्राप्त करने के लिए वैधानिक प्रयत्न करने लगे। महाराजा और ब्रिटिश अधिकारियों को तार, आवेदन पत्र आदि दिए।

महाराजा को इस पर बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने नीमूचाणा गांव पर फौजकशी करने का हुकुम दे दिया। फौज और पुलिस के सैकड़ों आदमियों ने, जिनमें घुड़सवार भी शामिल थे, नीमूचाणा गांव को घेर लिया। चार मशीनगन और दो तोपें उनके साथ थीं। फौज ने राजपूत किसानों की सभा पर चारों ओर से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। सभा को न तो गैर-कानूनी घोषित किया गया और न उसे बिखरने का आदेश दिया गया। गोली चलाने में इस बात का कोई लिहाज नहीं रखा गया कि कम से कम प्राण हानि हो। करीब दो घंटे तक गोलियां चलती रही। 42 मिनट तक लेविस गन ने गोलियां चलाई। पुलिस के सिपाहियों ने गांव को लूटा और आग लगा दी। घायलों को कोई मदद नहीं दी गई।

इस काण्ड में जान-माल की भारी क्षति हुई। 19 व्यक्ति, जिनमें स्त्रियां भी थीं, अपने घरों में गोली से मारे गये, 18 घायल हुए और 9 का पता नहीं लगा। 353 झौंपड़ियां नष्ट हो गई और 71 पशु जल गये। उस समय के अनुमान के अनुसार 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की सम्पत्ति नष्ट हुई। हताहतों की जो संख्या ऊपर दी गई है, वह उन लोगों की है जिनके नाम ज्ञात हुए, दरअसल इस हत्याकाण्ड में एक सौ से अधिक आदमी मारे गए और दो सौ घायल हुए।

इस घटना के बाद बहुत से व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। उनके साथ जेल में दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें माफी मांग लेने के लिए विवश किया गया। कुछ पर मुकदमा चलाया

गया। उनको अपनी सफाई का अवसर नहीं दिया गया। दो को बीस वर्ष, एक को 10 वर्ष, और अन्य दो को पांच-पांच वर्ष सख्त कैद की सजाएं दी गई। दो बन्दी जेल के अत्याचारों के कारण जेल में ही शहीद हो गए।

महाराजा ने इस हत्याकाण्ड पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की, किन्तु सत्य छिपा नहीं रह सका। ब्रिटिश सरकार ने भी इस काण्ड के प्रति आंखें मूंद ली और महाराजा को एक शब्द भी नहीं कहा। कांग्रेस की उस समय यह नीति थी कि देशी रियासतों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। किन्तु जब विवरण गांधीजी के पास पहुँचा तो उन्होंने 'यंग इण्डिया' में Dyerism Double Distilled (दोहरी डायर शाही) शीर्षक से एक टिप्पणी लिखी। उसका अनुवाद इस प्रकार है:-

"अलवर के विषय में मेरे पास इतना ब्यौरा नहीं है कि कुछ लिख सकूं। मेरी बात या लेख पर निजाम साहब की तरह अलवर महाराज भी तिरस्कार के साथ हंस सकते हैं। अब तक जो बातें प्रकाशित हुई हैं, वे यदि सच हैं तो इसे दोहरी डायर शाही ही समझना चाहिए। किन्तु, मैं जानता हूँ कि फिलहाल मेरे पास इसकी कोई दवा नहीं है। इन भीषण आरोपों के सम्बन्ध में कम से कम जांच कराने के निमित्त समाचार पत्रों वाले जो उद्योग कर रहे है, उसे मैं आदर की दृष्टि से देख रहा हूँ।"

इस काण्ड की जांच के लिए एक ज़ांच कमेटी बनी। उसके अध्यक्ष श्री मणिलाल कोठारी और मन्त्री श्री रामनारायण चौधरी हुए। राजस्थान सेवा-संघ की ओर से श्री हरिभाई किंकर, पं. लादूराम जोशी और श्री कन्हैयालाल कलमंत्री गुप्त रूप से घटना स्थल पर पहुँचे। खुले तौर पर तो कोई वहां जा नहीं सकता था। इतनी बड़ी नाकाबन्दी राज्य की ओर से थी। ये तीनों कार्यकर्त्ता काफी मूल्यवान सामग्री जुटा लाये थे। उनके जाने से पीड़ित ग्रामीणों को भी आश्वासन मिला था।

सन् 1925 के अन्त में कानपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। उसके साथ ही देशी राज्य प्रजा-परिषद का भी अधिवेशन हुआ। उसके नेताओं की प्रार्थना पर इस परिषद के लिए नीमूचाणा हत्याकाण्ड के बारे में गांधीजी ने स्वयं अपने हाथ से एक प्रस्ताव का मसविदा तैयार किया। प्रस्ताव का मसविदा अंग्रेजी में था, जिसका अनुवाद नीचे दिया जा रहा है-

"देशी राज्यों की प्रजा की यह परिषद अलवर राज्य के भीतर नीमूचाणा की अमानुषिक घटनाओं पर खेद प्रकट करती है कि राज्य ने अपनी पुलिस और अफसरों द्वारा किए गए घोर अत्याचारों और अनियमितताओं के कारणों और ब्यौरों की खुली और निष्पक्ष जांच करने की अनुमति न देने का दुराग्रह किया है।

यह परिषद अनेक शोकदग्ध कुटुम्बों, आहत व्यक्तियों और उन लोगों के प्रति, जो कानून और व्यवस्था के नाम पर अपनी सम्पत्ति के नष्ट कर दिए जाने के कारण गृहहीन हो गए हैं, हार्दिक सहानुभूति प्रकट करती है और चाहती है कि वह नीमूचाणा के लोगों की इस संकट के समय कुछ कारगर सहायता करने में समर्थ हो।"

यहीं नहीं, गांधीजी ने देशी राज्य प्रजा-परिषद को रियासती जनता के नाम एक छोटा सा स्फूर्तिदायक संदेश भी दिया। संदेश हिन्दी में था। संदेश की शब्दावली यह थी-

"प्रत्येक मनुष्य अपना बन्धन काट सकता है। यदि हम इस सामान्य नियम को समझ लें और उसका पालन करें तो सब दुःख की जड़ काट सकते हैं। कोई जालिम मजलूम की सहाय के बगैर जुल्म नहीं कर सकता है। इतना पाठ सीख लें तो कैसा अच्छा होगा।"

नीमूचाणा हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में गांधीजी ने जो दिलचस्पी ली और रियासती कार्यकर्त्ताओं और जनता का जो मार्ग दर्शन किया, उससे बड़ी हिम्मत बंधी। नीमूचाणा हत्याकाण्ड ने राजाओं की निरंकुशता और अत्याचारों के प्रति रियासती जनता में तीव्र रोष और असंतोष उत्पन्न किया। अन्त में अलवर महाराजा को भी इसी जीवन में उसका फल भोगना पड़ा। किसी और प्रसंग को लेकर ब्रिटिश सरकार उन पर कुपित हुई और उन्हें रियासत से निर्वासित कर दिया गया। उनकी मृत्यु निर्वासित अवस्था में ही पेरिस में हुई।

नीमूचाणा हत्याकाण्ड के बारे में कांग्रेस ने कोई प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकार किया, गांधीजी ने 30 जुलाई 1925 के हिन्दी 'नवजीवन' में प्रकाशित अपने एक लेख में इसका स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की देशी रियासतों के सम्बन्ध में क्या मर्यादायें हैं और व्यक्तिगत रूप से कांग्रेसजन रियासती प्रजा की किस प्रकार मदद कर सकते हैं। गांधीजी ने लिखा था-

लोग जिसे 'अलवर हत्या काण्ड' कहते हैं उसके सम्बन्ध में कलकत्ते की कांग्रेस कार्य समिति में श्री जमनालाल जी बजाज ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया था कि एक जांच समिति नियत की जाये। वर्षों से कांग्रेस की यह परम्परा चली आई है कि वह देशी राज्यों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप न करे। कार्य-समिति के सदस्यों ने अनुभव किया कि यह परम्परा अच्छी है और उसको तोड़ना नादानी होगी। तब श्री जमनालाल बजाज जी ने इस पर जोर न दिया। फिर भी मैंने उनसे कहा था कि मैं 'यंग इण्डियां' में इस प्रश्न की चर्चा करूंगा और अपनी इस जाती राय के कारण बताऊंगा कि क्यों कांग्रेस को देशी रियासतों की भीतरी बातों में दखल न देना चाहिये। यदि कोई चाहे तो इसे समय साधकता या समय-नीति ख्याल कर सकता है। यह बात खुल्लम-खुल्ला कबूल कर लेनी होगी कि खुद ब्रिटिश इलाकों में कांग्रेस अपने आदेशों का पालन कराने की जितनी सत्ता रखती है, उतनी भी देशी राज्यों में उसके पास नहीं है। इसलिए दूरदर्शिता कहती है कि जहां कर्म, यदि नादानी नहीं तो व्यर्थ प्रयत्न हो, वहां अकर्म ही श्रेष्ठ होता है। पर यदि अकर्म दूरदर्शिता-पूर्ण हो तो वह लाभकारी भी है। कांग्रेस देशी राज्यों को तंग करना नहीं चाहती। वह तो उन्हें मदद करना चाहती है। वह उनको नष्ट करना नहीं चाहती, उनमें सुधार करना चाहती है और कांग्रेस यह करती है उनसे दूर रहकर, अपनी सदिच्छा की सरगर्मी का परिचय देकर।

परन्तु कांग्रेस के अलग रहने का यह अर्थ नहीं है कि कांग्रेसी अपनी तरफ से कुछ न करें। जिनका देशी राज्यों से कुछ भी सम्बन्ध है, वे अवश्य ही अपने प्रभाव का उपयोग करेंगे। स्थानिक समितियां दुखी लोगों की सहायता और रहनुमाई कर सकती है, जहां तक राज्य-सत्ता

से उनका संघर्ष न हो। और न कांग्रेस किसी कांग्रेसी के कार्यों पर अंकुश ही रखती है या उसे नियमित ही करती है। क्योंकि वे जब कोई काम वहां करते हैं तब कांग्रेसी की हैसियत से नहीं करते हैं। यह न होना चाहिए कि उनके काम को कांग्रेस का काम दिखाया जाय।

तब क्या देशी राज्यों की प्रजा कांग्रेस से, जो कि एक राष्ट्रीय संस्था होने का दावा रखती है, किसी तरह की सहायता की उम्मीद न करे? मैं समझता हूँ कि इसका उत्तर अंशतः होगा 'नहीं'। वे किसी तरह की प्रत्यक्ष सहायता की आशा न करें। हां अप्रत्यक्ष सहायता उन्हें जरूर मिलती है, क्योंकि जिस दर्जे तक कांग्रेस कार्यक्षम और शक्तिशाली होती है उसी दर्जे तक देशी राज्यों की दशा अच्छी होती है। कांग्रेस का नैतिक प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कोने कोने में हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसी अवस्था में मैं आशा करता हूँ कि अलवर के दुःखी लोग इस बात को समझ लें कि यदि कांग्रेस उन्हें कोई सीधी सहायता नहीं पहुँचा सकती तो इसका कारण इच्छा का अभाव नहीं, बल्कि क्षमता और अवसर का अभाव है।''

एक भाई ने गांधी जी से यह प्रश्न पूछा-

अलवर राज्य मालवीय जी को अकेले नीमूचाणा काण्ड की तहकीकात करने की इजाजत दे रहा था, फिर भी उन्होंने उसे नहीं किया। क्या यह उनकी भूल नहीं ? राज्य की ओर से आर्थिक सहायता मिलने के कारण दब जाना और अपने फर्ज से चूकना, नैतिक साहस प्रकट करने में हिचकना और तहकीकात के मिले मौके को गंवाना-पंडितजी जैसे नेता के लिए क्या अनुचित नहीं है?

गांधीजी ने 27 अगस्त 1925 के 'नवजीवन' में इस प्रश्न का उत्तर यों दिया:-

''मैंने अखबारों में पढ़कर पंडितजी के विषय में लिखा था। प्रश्नकर्त्ता ने जल्दबाजी से उल्टा अनुमान किया है। पंडितजी को अलवर जाने की तथा तहकीकात करने की इजाजत मिली ही नहीं। अलवर नरेश के अधिकारियों ने डायरशाही चलाई है और अलवर नरेश ने खुली तहकीकात को रोककर राजमुकुट के तेज को कम कर दिया है। पंडितजी इतने भीरू नहीं है कि तहकीकात का मौका उन्हें मिले और वह उसे खोयें। कोई स्वप्न में भी यह ख्याल न लावे कि पंडितजी द्रव्य के लिए आत्मा को बेच देंगे।'' ●

नीमूचाणा कांड पर 'मतवाला' का मत

नीमूचाणा-काण्ड ने सारे देश के समाचार-पत्रों का ध्यान आकर्षित किया था और उनमें इस निर्मम हत्याकांड की निन्दा की गयी थी। कलकत्ता से प्रकाशित 'मतवाला' उस युग का प्रमुख साहित्यिक-पत्र था। महाकवि निराला तथा पांडेय बेचैन शर्मा उग्र जैसे वरिष्ठ साहित्यकार इस पत्र से जुड़े हुए थे।–सम्पादक

कहाँ हैं माननीय मालवीय जी महाराज? आवें, इस मौके पर उन्हीं की तो जरूरत है, क्योंकि पंजाब हत्याकाण्ड के समय पहले वे ही पंजाब के पीड़ितों की सेवा के लिए दौड़े थे। अब आज क्यों नहीं दौड़े, जाकर आबू-पर्वत पर अलवर नरेश से पूछते कि क्या दिल्ली से मशीनगन मँगाने के लिए ही आपको हिन्दू-विश्वविद्यालय से सम्मानवर्धक उपाधि दी गई थी? अलवर नरेश हिन्दू-विश्वविद्यालय के कनवोकेशनों में भाषण देने के समय तो प्रजाहितैषणा की साक्षात् मूर्ति बन जाते हैं और अब आपने यह सर्वापेक्षा शिक्षित नरेश होने का कैसा सुन्दर आदर्श संसार के सामने रख दिया? भारत के प्रतिनिधि बनकर विलायत जाने और भारतीय अधिकार पर ओजस्वी भाषण देनेवाले का क्या यही असली रूप है? क्या यह ओडायरशाही सीखने के लिए ही विलायत गये थे? खोल रक्खा है इतिहास विभाग और एकत्र कर रक्खा है इतिहासज्ञ विद्वानों का समूह क्या इसीलिए कि हिन्दू राजाओं के इतिहास में जो बात कभी किसी काल में न हुई हो, उसे ही कर दिखाया जाय? इतिहासज्ञों ने नमकहलाली दिखाने के लिए कहीं किसी इतिहास- प्रसिद्ध प्रजाध्वंसक राजा का आदर्श तो नहीं ढूँढ़ निकाला? क्या कहीं ऐतिहासिक खोज में यह भी निकल आया कि किसी हिन्दू राज्य के एक सारे गाँव को प्रजा भाड़ में कच्चे चने की तरह भूँज डाली गई? तब तो इस अद्वितीय खोज की सूचना ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को दे देनी चाहिए ताकि वह एक और लम्बा 'पुछल्ला' लगा दे अथवा हिन्दू-विश्वविद्यालय के सिनेट-हाल में मालवीयजी महाराज से लगवा दे। यह सब हो या न हो, पर इतना तो जरूर हो गया कि रियासत के इतिहास-विभाग को एक ऐसी महत्त्वपूर्ण घटना घर में ही मिल गई, जिसे सदियों बाद तक इतिहास-पाठक आँखें फाड़-फाड़कर पढ़ेंगे और चकित होकर कहा करेंगे कि अलवर राज्य ने अपने तैयार कराये हुए इतिहास के लिए और कहीं उल्लेखनीय घटना ढूँढने न जाकर घर ही में घटना घटित कर अपना इतिहास बना डाला। अखिल भारतवर्षीय क्षत्रिय-महासभा को भी अपने रेकार्ड में यह दर्ज कर लेना चाहिये कि उसके एक महत्त्वपूर्ण कमीशन के भूतपूर्व सभापति प्रजापालन में बड़े सुदक्ष हैं। नरेन्द्रमण्डल के अलंकार-स्वरूप अलवर नरेश के लिये वाजिब भी यही था कि मण्डल के सामने एक ऐसा आदर्श रख देते, जिसे देख नरेन्द्र भी मुँह बाकर रह जायँ। नरेन्द्रमण्डल को चाहिए कि अलवर-नरेश को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के अधिकारियों से मुफ्त ही मशीनगन पाने का रास्ता साफ कर दिया है। इस महापाप का प्रत्यक्ष प्रायश्चित भी हो सकता है। एक-दो लाख का चन्दा हिन्दू-विश्वविद्यालय के नाम घोषित कर दिया जाय। फिर मालवीयजी के सिवा ऐसे हत्याकाण्डों पर कौन हो-हल्ला मचा सकता है। अब चाहे कौंसिलों में प्रश्न पूछे जायँ या पत्रों में अलवर-नरेश की सभ्यता की दुहाई देकर इस रोमांचकारी घटना पर दिल के फफोले फोड़े जायँ, कोई परिणाम नहीं हो सकता। होगा भी तो

सन्तोष जनक नहीं। क्योंकि इसका परिणाम तो अत्याचारी का सर्वनाश ही होना चाहिए।

डायर और ओडायर से जो नहीं बन पड़ा था, कोहाट के कसाई जिसे पूरा नहीं कर सके थे, उसे अलवर के शिक्षित नरेश ने कर दिया। वास्तव में अलवर की दानवी लीला की कथा सुनकर परलोक में डायर की आत्मा फड़क उठी होगी और विलायत में सर माइकेल ओडायर मूछों पर ताव देता होगा। बहुत दिनों के बाद पृथ्वी पर राक्षसी लीला की पुनरावृत्ति देखकर राक्षस-मण्डली ताण्डव नृत्य करती होगी और अलवर राज्य के नर-राक्षसों का स्वास्थ्य सुरा पान कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता होगा।

पाठक, नीमूचाणा बस्ती की निरपराध प्रजा को अलवर के राजा ने तोपों और मशीनगनों से उड़वा दिया है। उनके घरों पर किरासन तेल छिडककर उनमें आग लगवा दी है। इसके बाद दिमाग ठण्डा करने के लिए आप आबू की चोटी पर गये हैं। कितने ही नीमूचाणा के निवासी लखपती अपने प्रजावत्सल नरेश की कृपा से आज पथ के भिखारी हो रहे हैं। शरीर पर केवल एक वस्त्र के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं रह गया है। मदोन्मत्त नर-राक्षसों ने निर्दयतापूर्वक समस्त ग्राम की प्रजा को भुट्टे की तरह भून डाला है।

मालूम होता है, अलवर पर साढ़ेसाती की दया-दृष्टि पड़ गई है। रूस के अत्याचारी जार की तरह इस राजसत्ता के ध्वंस का समय भी आ गया है वरना बैठे बैठाये यह घोर पाप-प्रवृत्ति उनके सिर सवार न होती। गरीबों की आह, मजलूमों का करुणा-क्रन्दन अवश्य ही जगन्नियन्ता के कानों तक पहुँचेगा और ऐसी नृशंस राजसत्ता का एक-एक कण ध्वंस होगा। एवमस्तु।

-मतवाला (कलकत्ता) 6 जून 1925

महाराजा जयसिंह के निष्कासन के सम्बन्ध में प्रेमचंद जी की सम्पादकीय टिप्पणी

जिस वक्त भारत धर्म-महामंडल ने महाराजा अलवर को 'राजर्षि' की उपाधि प्रदान की थी, उसे इसकी क्या खबर होगी कि एक दिन ऐसा आयगा, जब महाराजा साहब को जबरन संन्यास लेना पड़ेगा। अलवर के राज्य में वर्षों से कुप्रबन्ध चला आता था। राजर्षि के खर्च का पारावार न था और राज्य की आमदनी उसके लिए पूरी न पड़ती थी। अन्धाधुन्ध कर्ज लेकर, तरह-तरह के कर लगाकर, कर्मचारियों के वेतन रोककर, किसी तरह काम चल रहा था। प्रजा के सुख-दुख की परवा किसे थी। उसका जीवन तो केवल राजकोष ही की पूर्ति के लिए बना हुआ था। आखिर पैमाना लबरेज हो गया और महाराजा साहब को संन्यास लेना पड़ा। महाराजा साहब काश्मीर के विषय में हमने सुना कि जिन दिनों काश्मीर राज्य में दंगे हो रहे थे और मुसलिम प्रजा अपने हिन्दू भाइयों के जान-माल को तबाह कर रही थी, उस समय महाराज साहब अपनी नृत्यशाला में बैठे वेश्याओं का नाच देख रहे थे। इतिहास में ऐसी मिसालें पहले भी आ चुकी हैं, 'नीरो' की कथा प्रसिद्ध है। नृत्यकला की ऐसी जबरदस्त उपासना हमारे देशी रजवाड़े ही कर सकते हैं।

महाराजा अलवर के विषय में ऐसी कोई बात तो नहीं सुनने में आयी, लेकिन यह तो सभी जानते हैं कि जिन दिनों अलवर में पुलिस गोलियाँ चला रही थी, महाराजा साहब काशी और प्रयाग में लीडरी के मजे लूट रहे थे, और अच्छे-अच्छे व्याख्यान दे रहे थे। यह वह वक्त था, जब राजा साहब को अलवर और मेवों के बीच में होना चाहिए था। अब वह जमाना नहीं रहा (कम से कम देशी रजवाड़ों के लिए। अंग्रेजी सरकार की बात छोड़िए) कि राजा साहब चाहे प्रजा पर जुल्म करें, चाहे उनके कर्मचारी प्रजा का गला कितना ही रेतें, प्रजा उसे ईश्वर की इच्छा और दीनबन्धु की आज्ञा समझकर चुपचाप सहती चली जाय। जब प्रजा राजा के लिए जान देती है तो राजा भी प्रजा के लिए जान देता है। जो राजा अपनी प्रजा को केवल भेड़-बकरी समझता हो, उसकी प्रजा भी राजा को गीदड़ या भेड़िया ही समझती है। मगर राज का पद ही कुछ ऐसा अनर्थकारी है कि आदमी को सामने की चीज़ नहीं सूझती। अपनी आँखों देख रहे हैं कि जर्मनी का कैसर अभी तक डेनमार्क में निर्वासित पड़ा हुआ है, जार का क्या हाल हुआ, स्पेन के राजा की क्या गत हुई, पुर्तगाल के राजा कहाँ भागे, लेकिन फिर भी आँखें नहीं खुलती। अगर हमारे महाराजों की यही नीति रही तो वह दिन दूर नहीं है, जब इन सबों का निशान दुनिया से मिट जायगा और दुनिया को इसका बिल्कुल खेद न होगा।

❑ हंस- मई 1933

●

महाराजा जयसिंह के निष्कासन के बारे में 'दैनिक अर्जुन' (दिल्ली) में प्रकाशित समाचार

महाराजा अलवर १५ वर्ष तक रियासत में नहीं जा सकेंगे
एडमिनिस्ट्रेटर की भारत सरकार को रिपोर्ट
भारत-सरकार की सहमति ?

दिल्ली 22 अगस्त

महाराज अलवर रियासत से निकाले जाने के बाद लन्दन चले गये थे- मगर, वहां से वापिस आकर आजकल आप पहाड़ी स्थलों की सैर में मशरूफ हैं।

'रियासत' अखबार को मालूम हुआ है कि मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर ने भारत-सरकार को यह रिपोर्ट की है- "यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिये कम से कम 15 वर्ष चाहिये। इन वर्षों में महाराज अलवर को रियासत की सीमा में नहीं आना चाहिये और यदि महाराज यहां आये तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन पर बुरा असर पड़ेगा।"

बताया जाता है कि भारत-सरकार ने इस 15 वर्ष की मियाद पर अपनी सहमति दे दी है। परिणामत: महाराजा साहब 15 वर्ष तक रियासत में कदम नहीं रख सकेंगे। (अर्जुन 25-8-1934)

महाराज अलवर अनिश्चित काल के लिये निर्वासित
सुधार के लिये दो साल कम हैं
भारत-सरकार की विज्ञप्ति

शिमला 31 अगस्त-

भारत-सरकार के राजनीतिक-विभाग ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है कि- "महाराज अलवर का अपनी रियासत से निर्वासन अनिश्चित काल ... है। सरकार का ध्यान कुछ वक्तव्यों की ओर खेंचा गया है जिनमें लिखा है कि महाराज अलवर आगामी मार्च मास में अपनी रियासत में लौट आयेंगे। महाराज के अलवर स्टेट से जाने के बाद सरकार ने जिम्मेवारी ली थी कि वह रियासत की आर्थिक दशा को सुधार देगी, शासन को सुव्यवस्थित कर देगी और जनता को समृद्ध बना देगी। दो साल के छोटे से अरसे में उक्त व्यवस्था हो सकने की कोई आशा नहीं है। अत: महाराजा का निर्वासन अनिश्चित काल के लिये है।" (अर्जुन 3-9-1934)

महाराज अलवर कर्जे की वसूली के लिये रियासत से निकाले गये हैं ?
एक गुप्त रहस्य का भण्डाफोड़

शिमला 6 सितम्बर

यह सूचना पहले दी जा चुकी है कि महाराजा साहब अलवर अनिश्चित काल के लिए अपनी रियासत में प्रवेश न कर सकेंगे। अब इस सम्बन्ध में यह ज्ञात हुआ है कि भारत-सरकार ने रियासत अलवर को काफी रुपया कर्जे के रूप में दिया है और सरकार यह चाहती है कि रियासत की आर्थिक अवस्था अच्छी हो जाय। इसलिये उसने फैसला किया है कि महाराज अलवर को उस समय तक रियासत में न जाने दिया जाय, जब तक कि रियासत की आर्थिक अवस्था में सुधार नहीं हो जाता।

इसके अतिरिक्त सरकार को यह शिकायत है कि महाराजा अलवर के शुभचिन्तकों ने वर्तमान एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसलिये सरकार इन अवस्थाओं में महाराजा को वापिस अलवर नहीं आने देगी।"

(अर्जुन 7-9-1934)

अलवर के प्रधानमंत्री के नाम नेहरूजी का पत्र

अक्तूबर 1937 ई. के आरंभ में अलवर में राजनैतिक नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह पत्र नेहरू जी ने अलवर के प्रधानमंत्री को लिखा था। –सम्पादक

इलाहबाद
21, अक्तूबर 1937

प्रिय महोदय,

मुझे पता लगा है कि अलवर में कुछ साल पहले राजद्रोही–सभा और प्रकाशन निवारक कानून (प्रिवेंशन आफ सेडिशस मीटिंग्स एण्ड पब्लिकेशन एक्ट) नाम का एक कानून बनाया गया था और वह अभी भी लागू है। इस कानून के अन्तर्गत न केवल सार्वजनिक सभाएँ वर्जित हैं बल्कि निजी स्थानों पर तथा टिकट लगाकर की जाने वाली सभाएँ भी नहीं हो सकती। इस कानून के अन्तर्गत पाँच व्यक्तियों का कहीं इकट्ठे मिलना ही सार्वजनिक सभा माना जाता है। यह बड़ी असाधारण बात है और सभा–सम्मेलन के सामान्य अधिकार को बहुत ही असाधारण रूप में सीमित किया गया है। भारत की वर्तमान स्थिति के यह कितना अनुरूप है, यह विचार करने का मैं आपसे अनुरोध करूँगा। मुझे पूरा यकीन है कि अलवर राज्य अपनी गणना उन राज्यों की श्रेणी में नहीं कराना चाहेगा जिन्हें बड़ा प्रतिगामी माना जाता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपकी सरकार इस कानून को रद्द करके अलवर के लोगों को सभा–सम्मेलन करने और विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करेगी। ऐसा किया गया तो लोग उसकी सराहना ही करेंगे, यह निश्चय है।

भवदीय
जवाहर लाल नेहरू

अलवर में राजद्रोह

अलवर में नेताओं की गिरफ्तारी पर नवज्योति (अजमेर) ने अपने 31 अक्तूबर 1937 के अंक में एक बड़ी टिप्पणी प्रकाशित की। पत्र के तत्कालीन सम्पादक श्री रामनारायण चौधरी का अलवर के स्वाधीनता संघर्ष से निकट संबंध था –सम्पादक

अलवर में राजनैतिक जीवन के अंकुर पैदा हो रहे थे कि शासन का भारी हाथ, प्रतीत होता है, उनको दबोच देने के लिये टूट पड़ा है। हम नहीं समझ सकते कि ऐसी कौन सी गंभीर स्थिति पैदा हो गयी थी कि जिसके कारण एक नहीं, दो नहीं, दस व्यक्तियों को गिरफ्तार करना अनिवार्य हो गया। गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों की सूची पर दृष्टि डालने से मालूम होता है कि गिरफ्तारियाँ करने में विवेक से काम नहीं लिया गया, क्योंकि ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में नगण्य ही कहा जा सकता है। इसका यही अर्थ हो सकता है

बताता है कि दमन थोड़े अर्से के लिये कारगर हो सकता है, वह हमेशा के लिए लोकमत को नहीं दबा सकता । यदि अलवर के चारों ओर चीन की दीवार खड़ी कर दी जाये, तो भी पड़ौस की घटनाओं के असर से अलवर-वासी प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकते। उनमें राजनैतिक आकांक्षाएं जागृत होंगी और यदि उनको पूरा नहीं किया गया, तो असंतोष का बढ़ना अनिवार्य है। आज का यह असंतोष तभी शांत हो सकता है, जब कि उसकी उचित आकांक्षाओं को संतुष्ट कर दिया जाये। हम दूर क्यों जायें, ब्रिटिश-भारत का उदाहरण हमारे सामने है। कांग्रेस कठोर दमन के बाद भी आज जीवित ही नहीं है, वह सात प्रांतों में हुकूमत कर रही है। ऐसी दशा में हम चाहेंगे कि अलवर के सत्ताधीश थोड़ी दूरदर्शिता से काम लें और प्रजा की वैध हलचलों को दमन द्वारा रोकने का दुस्साहस न करें। दमन संघर्ष को आमंत्रित करता है, जिसके कटु संस्मरण राजा- प्रजा के पारस्परिक संबंधों पर बहुत खराब असर डालते हैं और यह तो निर्विवाद सत्य है कि जब चारों ओर संघर्ष और कलह का दौर-दौरा है, तब राजा-प्रजा के संबधों का मधुर बने रहना कितना जरूरी है।

यद्यपि, गिरफ्तारशुदा व्यक्तियों का मामला अदालत के सामने विचाराधीन है और उसके औचित्य-अनौचित्य के बारे में विशेष नहीं कहा जा सकता है, तथापि कुछ बातें ऐसी हैं कि हम उनको यों ही दृष्टि से ओझल नहीं होने दे सकते। हम समझते हैं कि कोई भी निष्पक्ष आदमी इस बात से इन्कार न करेगा कि अभियुक्तों को अपनी सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिये। किन्तु, जिस ढंग से मुकदमे की सुनवाई हो रही है, वह अत्यंत आपत्तिजनक है और शंका पैदा करती है कि अभियुक्तों को शुद्ध न्याय मिल सकेगा अथवा नहीं। पहली बात तो यह है कि अदालत की बैठक बंद कमरे में होती है और जनता के आदमियों को उसमें नहीं जाने दिया जाता। हमने खुद ने प्राइम मिनिस्टर से मुकद्दमे की कार्यवाही की रिपोर्ट करने के लिये अपना प्रतिनिधि भेजने की इजाजत चाही थी, किंतु खेद है कि उन्होंने हमारे पत्र की पहुंच तक स्वीकार करने का सौजन्य नहीं दिखाया। इससे भी बड़ी बात यह हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने बाहर के वकीलों को अभियुक्तों की ओर से पैरवी की इजाजत नहीं दी। हम मानते हैं कि अभियुक्तों को अपनी पसंद का वकील नियुक्त करने का पूरा हक है और यदि उस हक से उनको वंचित किया जाता है तो यह न्याय और निष्पक्षता नहीं है। अलवर में अब तक जैसा राजनैतिक प्रतिगामिता का वातावरण रहा है और अधिकारियों का आतंक और दबदबा जिस हद तक कायम है, उसको देखते हुये यह आशा नहीं की जा सकती कि स्थानीय वकील अभियुक्तों की निर्भयता के साथ पैरवी कर सकते हैं। ऐसी दशा में बाहर के वकीलों की सहायता और भी जरूरी हो जाती है। राज्य की परंपरा के नाम पर बाहर के वकीलों पर प्रतिबंध लगाना हास्यास्पद ही प्रतीत होता है। प्रथम तो इस बात के उदाहरण मौजूद हैं कि राज्य की अदालतों में बाहर के वकीलों ने पैरवी की है। दूसरे, जब प्राइम मिनिस्टर से लगाकर अनेक छोटे-बड़े कर्मचारी बाहर से आकर रियासत में नौकरी कर रहे हैं तो समझ में नहीं आता कि वकीलों पर ही क्यों बंदिश लगाई जाती है। यदि अलवर वासियों के हितों की इतनी ही चिंता है तो पहले सब कर्मचारियों को अलग कर दिया जाना चाहिये। कम से कम प्राइम मिनिस्टर महोदय को, जो सात हजार मील दूर समुद्र पार से यहाँ तशरीफ लाये हैं। यह शोभा नहीं देता कि वे अभियुक्तों को अपनी पसंद का वकील केवल

इसीलिये नियुक्त न करने दें कि वह रियासत से बाहर का रहने वाला है। इसी प्रसंग में हम एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहेंगे। यदि, हमारे संवाददाता का यह कथन सही है कि पुलिस के कर्मचारी अपने गवाहों को अदालत से उठ-उठ कर मुकदमे की सारी कार्यवाही से अवगत कर देते हैं, तो कहना होगा कि कानून की दृष्टि से यह अत्यंत आपत्तिजनक बात हुई है। जो भी इसके लिये जिम्मेदार हो, उससे हमारी राय में जवाब तलब किया जाना चाहिये और अपना फैसला लिखते समय न्यायाधीश महाशय को इस तथ्य पर विचार करना चाहिये कि इस्तगासे के गवाहों के बयान कहां तक विश्वसनीय हो सकते हैं।

अब यह स्पष्ट हो चुका है कि ये गिरफ्तारियाँ 13 जून की सभा के सिलसिले में हुई हैं और अभियुक्तों पर सन् 1921 के राजद्रोहात्मक सभा-बंदी कानून के मुताबिक मुकद्दमा चलाया जा रहा है। 13 जून की सभा का छपा हुआ विवरण हमारे सामने है। उसको पढ़ने पर यही पता चलता है कि वक्ताओं ने राजगद्दी के प्रश्न का स्वर्गीय महाराजा की वसीयत के अनुसार निर्णय करने की मांग की थी। भाषण में हमको कोई भी राजद्रोहात्मक उद्‌गार नहीं मिले। किन्तु अलवर राज्य का उक्त कानून इतना व्यापक है कि साधारण से साधारण बात को भी राजद्रोह करार दिया जा सकता है। उदाहरण के लिये निम्न वाक्यांशों को देखिये-

'जब तक अन्यथा साबित न कर दिया जाये, इस कानून के अनुसार पांच से अधिक आदमियों की सभा सार्वजनिक सभा समझी जायेगी। ऐसी कोई सार्वजनिक सभा नहीं की जायेगी, जिसमें किसी ऐसे विषय पर विचार हो, जिससे शांति-भंग होने का अंदेशा हो, अथवा जिसका विषय राजनैतिक हो, अथवा जिसमें ऐसे विषयों के बारे में लिखित या मुद्रित सामग्री दिखाई जाये, या बाँटी जाये। किसी भी सार्वजनिक सभा में ऐसे विषयों पर विवाद या व्याख्यान न होंगे, जो अलवर राज्य के, उसकी सरकार के, उसके शासक के, उसके सर्वसत्ताधीश के अथवा सम्राट और उनकी सरकार के अथवा भारत के किसी देशी राजा के हितों के विरुद्ध हों।'

पाठक देखेंगे कि अलवर रियासत के इस कानून के सर्व-व्यापी अर्थों से कौन अछूता बच सकता है। मजा यह है कि इस कानून में न तो राजनैतिक विषयों की परिभाषा दी गयी है और न यह बताया गया है कि कौन सी बात अलवर राज्य के हितों के विरुद्ध है। इस समय अलवर का शासन प्रबंध सार्वभौम सत्ता के प्रत्यक्ष नियंत्रण में चल रहा है। यह आश्चर्य की बात है कि उसके प्रतिनिधि ने इस अत्यन्त प्राचीन और दकियानूसी कानून का सहारा लेना उचित समझा है। यह कानून तो आये दिन टूटता रहता है। कांग्रेस की सभाएं होती हैं और उनमें राजनैतिक विषयों पर चर्चा होती है। लोगों की यह शंका बिल्कुल निराधार नहीं मालूम होती कि कांग्रेस के बढ़ते हुये प्रचार को रोकने के लिये ही यह मामला चलाया गया है। यदि 13 जून की सभा में वास्तव में आपत्तिजनक भाषण हुये थे, तो उन पर उसी समय कार्यवाही की जा सकती थी। कांग्रेस के लिये होने वाली सभा के ठीक तीन दिन बाद ही गिरफ्तारियों का होना लोगों की उक्त धारणा को पुष्ट करता है। राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे। क्या हम आशा करें कि इस मामले में अंत में विवेक की विजय होगी और लोगों को उनकी उचित हलचलों के लिये दंडित न किया जायगा? ●

अलवर राज्य प्रजामण्डल के
उद्देश्य और नियम
(1938-39)

अलवर राज्य प्रजामंडल के ये नियम उसके गठन के बाद एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किये गये थे। इन नियमों के आधार पर तत्कालीन राजाशाही ने प्रजामंडल का पंजीकरण करने से इनकार कर दिया। उद्देश्यों में परिवर्तन तथा कुछ अन्य शर्तों के साथ प्रजामंडल का पंजीकरण अगस्त 1940 में किया गया। नियमों की पुस्तिका लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, बेलनगंज, आगरा में मुद्रित की गई थी। –सम्पादक

1. नाम :

इस संस्था का नाम "अलवर राज्य प्रजामण्डल" होगा। और इसका प्रधान कार्यालय अलवर में रहेगा।

2. उद्देश्य :

अलवर राज्य की छत्रछाया में उचित और वैध उपायों द्वारा अलवर राज्य में ऐसी शासनप्रणाली प्राप्त करना, जिसमें शासक जनता के प्रति ज़िम्मेदार हो।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मण्डल अलवर राज्य की जनता की सामाजिक और आर्थिक दशा को ठीक करने के लिये उपाय करेगा और सभी उचित और शान्तिमय साधनों द्वारा जनता की शिकायतों को दूर कराने का प्रयत्न करेगा।

मण्डल का मज़हबी और साम्प्रदायिक मामलों से कतई कोई ताल्लुक न होगा।

3. क्षेत्र :

इस मण्डल का क्षेत्र समस्त रियासत अलवर होगा।

4. संगठन :

मण्डल का संगठन नीचे लिखे तरीके से होगा।

(क) इब्तदाई मैम्बर्स जो दफा 5 के अनुसार भर्ती होंगे।

(ख) डिस्ट्रिक्ट मण्डल जो प्रत्येक निज़ामतों में शाखा के रूप में स्थापित होंगे।

(ग) मण्डल का वार्षिक अधिवेशन।

(घ) मण्डल की कार्यकारिणी कमेटी।

नोट- इस संगठन में वे कमेटियां भी शामिल होंगी जो

(क) बराहे रास्त मण्डल की जनरल कमेटी या वर्किंग कमेटी द्वारा स्थापित की जांय। या-

(ख) जो कमेटियां निज़ामत मण्डलों द्वारा उन कवायद के मुताबिक स्थापित की जांय जो इस सम्बन्ध में वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत हुई हों।

5. मैम्बरशिप :

हर स्त्री पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो और जो दफ़ा 2 में लिखित उद्देश्य में विश्वास रखता हों, इस मण्डल का सभासद हो सकेगा। इब्तदाई मैम्बर को वार्षिक चन्दा मैम्बरी देना होगा और मण्डल का फार्म भरना होगा।

ऐसे मेम्बर का नाम उस मण्डल के रजिस्टर में दर्ज किया जायगा जहां वह रहता है या कारोबार करता है।

रियासत से बाहर का वाशिन्दा मण्डल का सभासद न बन सकेगा।

प्रत्येक मेम्बर को भर्ती हो जाने पर लिखित प्रमाण-पत्र दिया जायगा।

मेम्बरी का साल पहली जनवरी से 31 दिसम्बर तक होगा।

6. डिस्ट्रिक्ट :

मण्डल के नीचे लिखे डिस्ट्रिक्ट होंगे जिनके हैडक्वार्टर उनके मुहाज़ में दर्ज हैं।

नम्बर	डिस्ट्रिक्ट	हैडक्वार्टर	नम्बर	डिस्ट्रिक्ट	हैडक्वार्टर
1	अलवर	अलवर	11	रामगढ़	रामगढ़
2	मालाखेड़ा	मालाखेड़ा	12	गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़
3	बहादुरपुर	बहादुरपुर	13	तिजारा	तिजारा
4	थानागाज़ी	थानागाज़ी	14	टपूकड़ा	टपूकड़ा
5	नारायणपुर	नारायणपुर	15	किशनगढ़	खैरथल
6	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	16	मुंडावर	हरसौली
7	राजगढ़	राजगढ़	17	बहरोड़	बहरोड़
[illegible]	लछमनगढ़	लछमनगढ़	18	माँढ़ण	माँढ़ण
9	कठूमर	कठूमर	19	बानसूर	बानसूर
10	खेड़ली	खेड़ली			

7 वार्षिक अधिवेशन :

मण्डल का वार्षिक अधिवेशन उस समय और स्थान पर होगा जो कार्यकारिणी समिति निश्चय करें।

(क) वार्षिक अधिवेशन का सभापति प्रतिनिधियों द्वारा चुना जायगा और वही मंडल का उस वर्ष के लिए सभापति होगा।

(ख) वार्षिक अधिवेशन के लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट अपने यहां से प्रति 20 साधारण सदस्यों पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से चुन कर भेजेगा।

(ग) प्रतिनिधि फीस 2/- रुपया होगी और डिस्ट्रिक्ट का सैक्रेटरी प्रतिनिधि का प्रमाणपत्र देगा।

(घ) वार्षिक अधिवेशनन में आगामी वर्ष का कार्यक्रम, नीति और साधन निर्धारित होंगे।

(ङ) 5 प्रतिनिधियों की संख्या किसी भी प्रतिनिधि का नाम सभापति के लिये तजवीज़ कर सकती है। समस्त प्रतिनिधियों की सूची, मण्डल का जनरल सैक्रेटरी अधिवेशन की तारीख से 1 मास पूर्व नियमानुसार प्रकाशित करेगा।

(च) वार्षिक अधिवेशन का व्यय और प्रबन्ध उस डिस्ट्रिक्ट के जिम्मे होगा जहां अधिवेशन हो। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट को इच्छानुसार स्वागत कारिणी समिति बनाने का अधिकार होगा।

8. कार्यकारिणी कमेटी :

कार्यकारिणी समिति की संख्या पदाधिकारियों सहित 35 होगी, जो नीचे लिखे तरीक़े से वार्षिक अधिवेशन में चुनाव द्वारा नियुक्त की जायगी।

(क) अलवर 6, राजगढ़ 3, तिजारा 3, बहरोड़ 3, लछमनगढ़ 2, रामगढ़ 2, किशनगढ़ 2, मुंडावर 2, बानसूर 2, मालाखेड़ा 1, बहादुरपुर 1, नारायणपुर 1, प्रतापगढ़ 1, कठूमर 1, खेड़ली 1, गोविन्दगढ़ 1, टपूकड़ा 1, माँढ़ण 1, थानागाजी 1

(ख) कार्यकारिणी का कोरम कुल सदस्यों की संख्या का पांचवां भाग होगा।

(ग) कार्यकारिणी ही प्रजामण्डल के प्रत्येक कार्य की जिम्मेदार होगी और मण्डल के कार्यक्रम, नीति, साधन का संचालन करेगी। समयानुसार मण्डल के नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार भी कार्यकारिणी को होगा। वार्षिक बजट भी यही कमेटी पास करेगी।

9. पदाधिकारी।

(क) मण्डल के सभापति के अतिरिक्त एक डिप्टी प्रेसीडेण्ट, एक प्रधानमंत्री, तीन मंत्री और एक कोषाध्यक्ष पदाधिकारी होंगे, जिनको कार्यकारिणी समिति चुनेगी। इनका निम्नलिखित कर्तव्य होगा:-

(ख) प्रधानमंत्री सभापति के आधीन रहते हुए मण्डल के प्रधान कार्यालय का इन्चार्ज होगा और वार्षिक अधिवेशन और कार्यकारिणी की कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार करने और प्रकाशित करने का जिम्मेदार होगा।

(ग) प्रत्येक मंत्री नीचे लिखे विभागों का इन्चार्ज होगा और वे प्रधान मंत्री के अधीन रहेंगे।

1. कृषि विभाग

2. आर्थिक विभाग

3. प्रचार विभाग

(घ) खजांची-

मण्डल के आय-व्यय का हिसाब रखेगा।

10. **डिस्ट्रिक्ट मण्डल :**

(क) वार्षिक अधिवेशन के लिए डिस्ट्रिक्टों से चुने हुए प्रतिनिधि ही डिस्ट्रिक्ट मण्डलों के सदस्य और पदाधिकारी होंगे। जिनकी संख्या कम से कम 7 होगी। यदि किसी स्थान पर 7 प्रतिनिधि न हों तो इस संख्या को पूर्ण करने के लिए इब्तदाई सदस्यों में से पूर्ति की जा सकेगी।

(ख) समस्त डिस्ट्रिक्ट मण्डल राज्य प्रजामण्डल के कंट्रोल और निगरानी में रहेंगे और अपनी हद्द में राज्य प्रजामण्डल के कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रयत्नशील रहेंगे और वे समयानुसार अपने-अपने नियम भी बना सकेंगे। बशर्ते वे नियम इस विधान के विरुद्ध न हों और बिना स्वीकृति राज्य प्रजामण्डल रायज़ न हों।

(ग) हर डिस्ट्रिक्ट मण्डल वार्षिक अधिवेशन से एक मास पूर्व अपने कार्य की रिपोर्ट राज्य प्रजामण्डल के प्रधानमंत्री को भेजेगा।

(घ) हर डिस्ट्रिक्ट अपने इब्तदाई सदस्यों के चन्दे में से तीन चौथाई प्रधान कार्यालय में भेजेगा और एक चौथाई अपने यहां रखेगा और समस्त सदस्यों की सूची अधिवेशन से 2 मास पूर्व प्रधान कार्यालय में भेजेगा।

(ङ) समयानुसार प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को प्रधान कार्यालय की स्वीकृति से अतिरिक्त चन्दा वसूल करने का अधिकार होगा।

मंत्री

अलवर राज्य प्रजामंडल

महात्मा गांधी और अलवर

❑ मा. भोलानाथ

अलवर में स्वाधीनता-संघर्ष के एक वरिष्ठ नेता मा. भोलानाथ जी का यह महत्वपूर्ण लेख हमें उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा शर्मा से प्राप्त हुआ है। अलवर के स्वाधीनता-संघर्ष में राष्ट्र के सर्वोच्च नेता महात्मा-गांधी ने जो दलचस्पी ली, प्रस्तुत लेख से इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है –सम्पादक

मेरी यह मान्यता रही है कि पूज्य महात्मा गांधी से बड़ा कोई भी ऐसा नेता नहीं हुआ है, जिसने भारत में इतने कार्यकर्त्ता पैदा किये हैं। स्व. लोकनायक जयनारायण जी व्यास के सम्बन्ध में लेख लिखते हुए भी मुझे यही ध्यान आया था कि राजस्थान में श्री जय नारायण व्यास और भारत में महात्मा गांधी ने अदने-से-अदना कार्यकर्त्ता को सम्मान दिया और उसे धूल से उठाकर महलों तक पहुँचा दिया। मेरी इस मान्यता का उदाहरण मैं स्वयं हूँ।

विद्यार्थी जीवन से हमने पूज्य महात्मा जी का नाम सुन रखा था। बचपन से ही यह बड़ी प्रबल इच्छा थी कि उनके दर्शन किये जाएँ। अलवर, जहाँ मैं पढ़ता था, के महाराजा जयसिंह उस समय राष्ट्रीय आन्दोलन को अपने राज्य में पनपने देना नहीं चाहते थे। गांधी टोपी का प्रचार न हो, इसलिये उन्होंने स्कूलों और कॉलेज में पगड़ी पहनना अनिवार्य कर दिया था। उन्होंने सन् 1930 में अलवर में इंटर कॉलेज, इसलिये खोला कि यहाँ के कुछ छात्र जो बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वे सत्याग्रह में भाग लेते थे और कांग्रेस गैर कानूनी घोषित हो गई थी। चूँकि यह कॉलेज बहुत जल्दी में जुलाई-अगस्त 1930 में खुला था फिर भी इतनी जल्दी यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कराने में राज्य को बड़ी सफलता मिली, इसलिये महाराज को कॉलेज खोलने पर सब तरफ से बड़ी बधाइयाँ दी गईं।

समय का फेर है कि स्वयं महाराजा जयसिंह अलवर राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण पोलिटिकल विभाग के कोप-भाजन बन गये। उन्होंने इलाहाबाद में पं. मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुई यूनिटी कान्फ्रेंस में भाषण दिया और इसी दौरे से जब बनारस होकर (अलवर) लौटे तो "रामनाम" का दुपट्टा ओढ़कर स्टेशन से शहर तक गर्मी के मौसम में पैदल आये। इससे अलवर की प्रजा में महाराज के प्रति विशेष आकर्षण पैदा हुआ और लोगों का ध्यान भी राष्ट्रीय आन्दोलन की तरफ विशेष रूप से गया।

महाराजा जयसिंह को मई 1933 में अलवर से पहले 3 माह के लिये और बाद में सदा के लिये निर्वासित कर दिया गया। लोगों में यह प्रचार बड़े जोरों से हुआ कि महाराजा को कांग्रेस में शामिल हो जाने के कारण अंग्रेज सरकार ने अलवर से निकाल दिया है, इसलिये महाराजा के समर्थन में बड़ी-बड़ी सभायें हुईं।

मैं उस समय मैट्रिक का इम्तिहान देकर आया था। इम्तिहान से लौटने पर स्थानीय जगन्नाथ जी के मंदिर की सीढ़ियों से मैंने सर्व-प्रथम आम सभा में भाषण दिया। लोगों को एक विद्यार्थी होने के नाते मेरा यह भाषण बहुत पसन्द आया और वे मुझे भी एक छोटा सा नेता मानने

लगे। यहीं से मेरा सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। अलवर में उन दिनों जो भी महाराजा जयसिंह की बातें करते थे, वे सब कांग्रेस के समर्थक समझे जाते थे। इस प्रकार के आन्दोलन व चर्चा को खत्म करने के लिये राजपूताना के ए. जी. जी. ने अलवर में एक बड़ा दरबार किया और ऐलान किया कि महाराजा जयसिंह के वापिस आने की जो भी व्यक्ति चर्चा करेंगे, उन्हें राजद्रोही समझा जायेगा और उसे सख्त सजा दी जायेगी। इस दरबार को देखकर जो भी व्यक्ति लौटे, वे बड़े दुखी मालूम पड़ते थे, इस सख्त आदेश से। अब कांग्रेस की चर्चा लुक-छिप कर होने लगी।

उधर देश का वातावरण दिनों-दिन गर्म होता जा रहा था। महात्माजी ने हरिजनों के सवालों को लेकर अनशन किया और अलवर के लोगों ने भी हरिजनों के मौहल्लों में जाना प्रारम्भ किया। वहाँ पर सभायें करना तथा हवन करना, ठंडाई पीना एक प्रकार से कार्यक्रम बन गये। इस प्रकार लोग स्वतः महात्मा जी की ओर झुकने लगे।

फिर भी महात्मा जी और कांग्रेस, अलवर के लिये बहुत दूर की चीजें थी। हम लोग लुक-छिप कर दिल्ली में कांग्रेस की हलचल देख आया करते थे। 'वन्दे मातरम्' 'गांधी तू आज हिन्द की एक शान बन गया' ये गीत जंगलों व पहाड़ों में लुक-छिपकर गाया करते थे।

1934 में बिहार में भूकम्प आया। भूकम्प-पीड़ितों में राहत-कार्य करने के बाद देशरत्न राजेन्द्र बाबू दिल्ली आये। उस समय महात्मा जी भी हरिजन कॉलोनी में किंग्स वे पर ठहरे हुये थे। मैं भी उस सभा में सम्मिलित हुआ और उसी में सर्वप्रथम मैंने महात्मा जी के दर्शन किये। श्री राजेन्द्र बाबू और राजगोपालाचार्य को भी सर्वप्रथम मैंने उस सभा में देखा।

राजगोपालाचार्य ने श्री राजेन्द्र बाबू के सम्बन्ध में जो शब्द उस समय कहे, वे आज भी मुझे याद हैं। उन्होंने अंग्रेजी में संक्षिप्त भाषण देते हुये कहा कि "आज हम देश के महान व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे कि, जब 3-4 मील पर महात्मा गांधी ठहरे हुये हैं, तब आपने राजेन्द्र बाबू को उनकी मौजूदगी में महान व्यक्ति कैसे बताया? इस पर मैं आपसे कहता हूँ कि महात्मा जी 'महात्मा' हैं और राजेन्द्र बाबू आदमी (Man)। इसलिये मैं कहता हूँ कि राजेन्द्र बाबू महान व्यक्ति (Great Man) हैं।" और इतना कहकर वे बैठ गये। मेरे दिमाग पर इस भाषण का बड़ा असर पड़ा और मैं महात्मा जी को देखने फिर गया। इस प्रकार मेरा झुकाव कांग्रेस की ओर दिनों-दिन होता गया। लोगों में राष्ट्रीय भावनायें इस तरह काम करने लगीं और वे उस समय का इन्तजार करने लगे जबकि वे अपने उद्‌गारों को खुले तौर पर प्रकट कर सकें।

अलवर राज्य का क्षेत्र पुराने राजपूताना प्रान्त में होते हुए भी अखिल भारतीय कांग्रेस के विधान के अनुसार अलवर राज्य दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का एक जिला था। इसलिये दिल्ली कांग्रेस के नेता लाला शंकरलाल जी, प्रो. इन्द्र जी, नायरजी, सत्यवती जी, पार्वती देवी डिडवाना, मौलाना इमदाद कांग्रेस के काम से बहुधा अलवर आते रहते थे। सन् 1937 में इन्होंने अलवर शहर में कांग्रेस की बाकायदा स्थापना करके एक कमरे पर तिरंगा झंडा लगा दिया। इस पर राज्य सरकार बड़ी चौंकी। लाला शंकरलाल जी की अध्यक्षता में एक सभा पुरजन-विहार गार्डन में की गई। इसमें शामिल होने वाले प्रमुख व्यक्तियों को, जिनमें अधिकांश महाराजा जयसिंह

के समर्थक समझे जाते थे, दूसरे दिन पकड़ लिया गया और पैरों में डंडा-बेड़ी डालकर जेल में बन्द कर दिया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उस समय महाराजा जयसिंह का स्वर्गवास पेरिस में निर्वासित अवस्था में हो गया था। नये महाराजा तेजसिंह अलवर की गद्दी पर बैठ गये थे।

सन् 1937 में कांग्रेस ने (ब्रिटिश भारत के) प्रान्तों में पद ग्रहण कर लिया, इससे अलवर की जेल में कैद बन्दियों में बड़ा उत्साह पैदा हुआ। उन्हें लम्बी-लम्बी सजायें दी गई थी। उन कार्यकर्त्ताओं ने डंडा-बेड़ी पहनकर सजायें काटी। महात्मा जी को भी इस दमन-चक्र की सूचना दी गई। वे बड़े दुखी हुए।

सन् 1938 में हरिपुरा कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास किया गया कि देशी राज्यों में कांग्रेस कमेटियों के बजाय स्थानीय प्रजामंडल संगठित किये जायें। अलवर में चौधरी रामनारायण जी के प्रयत्न से अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। प्रजामंडल की स्थापना से सरकार और भी अधिक चौंकी और इकट्ठे हो प्रजामंडल के उद्देश्य को प्रकट करने के लिए सभा हुई ही थी कि पुन: कार्यकर्त्ताओं को उसी पुराने राजद्रोह के कानून के अन्तर्गत पकड़ कर, डंडा-बेड़ी डालकर जेल में बन्द कर दिया गया। हालांकि सन् 1937 के कुछ बन्दी अभी तक जेल से नहीं छूटे थे।

श्री जयनारायण व्यास, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्री जमना लाल बजाज, व श्री रामनारायण जी चौधरी आदि के माध्यम से इस दमन चक्र के बारे में महात्मा जी से निरन्तर सम्पर्क रखा गया। श्री व्यास जी, प्रजामंडल के बन्दियों की जाँच करने जब अलवर आये तो उन्हें निर्वासित कर दिया गया, परन्तु श्री रामनारायण चौधरी फिर भी अलवर में आ गये। श्री हरिभाऊ उपाध्याय प्रकट रूप में अलवर में दाखिल हुए।

सन् 1938 में ही, जयपुर राज्य प्रजामंडल ने सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में प्रजामंडल की स्थापना के लिये सत्याग्रह किया। जयपुर की पड़ौसी रियासत होने के कारण जयपुर के आन्दोलन का अलवर में भी असर हुआ। सेठ जी को अलवर की सरहद में जयपुर के अधिकारी छोड़ गये। इस पर अलवर में विद्यार्थियों ने हड़ताल की और राष्ट्रीय आन्दोलन को अन्तर्राज्यीय गति मिली।

लुधियाना में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिषद का अधिवेशन पं. जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन से देशी राज्यों के आन्दोलन को बड़ी गति मिली। परन्तु प्रजामंडलों को मान्यता अधिकतर राज्यों में नहीं दी गई। जयपुर में जमनालाल जी जैसे प्रभावशील नेतृत्व के होते हुए भी प्रजामंडल को मान्यता नहीं दी गई। जयपुर की भाँति अन्य राज्यों में भी प्रजा के संगठन अपनी-अपनी मान्यता के लिये संघर्ष कर रहे थे। उन्हीं दिनों सभी रियासतों में 'रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटीज एक्ट' जारी किये गये और इन संगठनों की रजिस्ट्री कराना राज्य सरकारों ने अनिवार्य कर दिया। वरना ये संगठन गैरकानूनी माने जाने लगे। सभी प्रजामंडलों ने अपने-अपने संगठनों को रजिस्टर्ड कराने की दरख्वास्तें सम्बन्धित राज्य सरकारों को दी।

परन्तु राज्य सरकारों ने रजिस्ट्री की नई-नई शर्तें लगाई। कई राज्यों में तो प्रजामंडल नाम पर ही एतराज किया गया, कई ने उत्तरदायी शासन को उद्देश्य मानने से इन्कार किया। झंडा तथा बाहर के राज्यों से सम्बन्ध न रखने की शर्त पर राज्य सबसे ज्यादा जोर देते थे।

हम लोगों ने भी अलवर राज्य प्रजामंडल की रजिस्ट्री की दरख्वास्त उस समय के चीफ मिनिस्टर को फरवरी सन् 1939 में दी, परन्तु 'अलवर राज्य प्रजामंडल' की रजिस्ट्री डेढ साल की लिखा-पढ़ी के बाद सन् 1940 के अगस्त मास में हुई। इस बीच जयपुर, भरतपुर, जोधपुर के प्रजामंडल, प्रजापरिषद अथवा लोक-परिषद नाम से रजिस्टर्ड हो गये।

अलवर सरकार ने जब प्रजामंडल की रजिस्ट्री नहीं की, तब मैंने श्री हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा महात्मा जी को लिखा कि अलवर राज्य प्रजामंडल की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। उनका पहला उत्तर राजकोट से ता. 9 अप्रेल' 1939 का आया, जिसमें लिखा था,-

"आपका ता. 23 मार्च, 1939 का पत्र मिला, इस बारे में सब बातें हरिभाऊ उपाध्याय जी से हो गई हैं। कृपा करके उनसे पूछ लीजिये।"

आपका,
मो. क. गांधी

चूँकि यह पत्र मेरे नाम बापू जी का, प्रथम पत्र था, इसलिये उन्होंने विनम्रतापूर्वक, इसमें लिखा है, "कृपा करके" और "आपका"।

इधर हमारा पत्र-व्यवहार चीफ मिनिस्टर से चलता रहा, लेकिन उन्होंने प्रजामंडल की रजिस्ट्री नहीं की और यह शर्त लगाई कि प्रजामंडल के उद्देश्य की धारा "उत्तरदायी शासन" के बजाय "जनता का शासन में प्रगतिशील सहयोग" कर दिया जावे। इस पर मैंने पुनः महात्मा जी को पूज्य बापू जी, सम्बोधित करते हुए पत्र लिखा, जिसका उत्तर इस प्रकार, बम्बई से 5, जून, 1939 का आया।

"प्रिय भाई भोलानाथ,

तुम्हारा पत्र मिला। उद्देश्य में परिवर्तन अब न किया जाय। जयपुर में क्या होता है, देखा जाय।

बापू का आशीर्वाद।"

स्मरण रहे कि उस समय जयपुर राज्य प्रजामंडल का भी जयपुर सरकार से प्रजामंडल का रजिस्ट्रेशन करने का झगड़ा चल रहा था। उस पर कई तरह की पाबन्दियाँ लगाई जा रही थी,जैसे बाहर की संस्था से प्रजामंडल का कोई सम्बन्ध न हो। जयपुर से बाहर का रहने वाला उसका पदाधिकारी न हो। प्रजामंडल का कोई झंडा न हो आदि। सेठ जमनालाल जी इन शर्तों को स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसलिये पूज्य बापू जी ने लिखा "जयपुर में क्या हो रहा है, देख लिया जाय।"

इसके पश्चात् ता. 19 जुलाई, 1939 को चीफ मिनिस्टर का पत्र आया कि "His Highness's Government have now decided that certain additional Conditions must be imposed in the case of political bodies, such as the Alwar Rajya

Praja Mandal before registration under the act can be accorded. These conditions shortly be made public.... in the circumstances..... my letter No. 162 - c dated the 20th May 1939, must now be considered as cancelled."

इस पत्र के आने के बाद लगभग एक साल तक प्रजामंडल की रजिस्ट्री का काम खटाई में पड़ा रहा। जयपुर में उस समय राजा ज्ञाननाथ चीफ मिनिस्टर थे। उनका सेठ जमनालाल बजाज से बड़ा संघर्ष रहा। क्योंकि ता. 5 जून, 1939 के पत्र में महात्मा जी लिख चुके थे कि, 'जयपुर में क्या होता है, देख लिया जाय' हम भी जयपुर का इन्तजार करते रहे। साल भर तक सभी प्रजामंडल, प्रजा-परिषद या लोक-परिषद इसी प्रकार परेशान रहे।

आखिर ता. 17 अप्रेल, 1940 को राजा ज्ञाननाथ ने जयपुर प्रजामंडल की रजिस्ट्री कर दी और असाधारण गजट में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित कर दी-

"As a result of long and protracted discussions between the Prime Minister, Jaipur State and Seth Jamana Lal Bajaj, President of the Jaipur Rajya Praja Mandal, which were initiated at the request of the Seth Sahab, Jaipur Government have decided to accept the application of the Praja Mandal for registration."

इस गजट में बाहर का कोई आदमी पदाधिकारी न हो, इस शर्त के बारे में आगे लिखा गया-

"The Government however having regard for the position of Seth Jamna Lal Bajaj made a special exception in the case in relation to the clause regarding office- bearers, but without it being considered as a precedent for the future."

इस गजट के प्रकाशित होने पर मैंने महात्मा जी को लिखा कि जयपुर राज्य प्रजामंडल की रजिस्ट्रेशन कुछ शर्तों के साथ हो गया है, परन्तु अलवर के अधिकारी अलवर राज्य प्रजामंडल की रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिन शर्तों के साथ जयपुर राज्य प्रजामंडल की रजिस्ट्री की गई है, उससे भी सख्त शर्तें लगा रहे हैं, यानी वे कह रहे हैं कि अलवर राज्य प्रजामंडल का उद्देश्य ''उत्तरदायी शासन' न होकर ''जनता का शासन में प्रगतिशील सहयोग'' होना चाहिये। इस पर महात्मा जी ने ता. 30 मई 1940 के सेवाग्राम से भेजे गये अपने पत्र में लिखा-

भाई भोलानाथ,

मेरा ऐसा ख्याल है कि तुम्हारे ता. 26 अप्रेल, 1940 के खत का उत्तर मैंने भेजा था। आज सब खत देख रहा हूँ। इसमें यह भी मिला। अब क्या हाल है बताइये'

बापू का आशीर्वाद

महात्मा जी के इस पत्र के उत्तर में मैंने फिर लिखा कि अलवर राज्य सरकार रजिस्ट्री की निम्नलिखित शर्तें लगा रही है-

(a) This Association shall have no affiliation to any political body such as, All India State's People Conference in future. (It is presumed that this means that the Praja Mandal will not be affiliated to any political body

out side the Alwar state.)

(b) No office bearer of the Praja Mandal shall be the office bearer of the out side political body.

(c) Praja Mandal shall not install any political flag.

(d) No one who is not a resident of the Alwar state shall be eligible for membership of the Mandal.

(e) Finally, The object of the Praja Mandal shall be "To attain by all peaceful and legitimate means the Progressive association of the People with the State administration of the State."

इस पर महात्मा जी ने मुझे अपने पत्र दिनांक 9 जून 1940 में, सेवाग्राम से लिखा-

'भाई भोलानाथ,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं पाता हूँ कि दीवान की इच्छा ही प्रजामंडल को टालने की है। कहीं तो हमें दृढ़ रहना ही है। झंडे का आग्रह छोड़ना है तो छोड़ो। रिस्पोंसीबल गवर्नमेंट को गोल कबूल करें। अखिल भारतीय कांग्रेस से सम्बन्ध के बारे में क्या नीति अख्तियार करनी है, यह निर्णय जवाहरलाल जी से करा लो। मैं कुछ दुविधा में हूँ।

बापू का आशीर्वाद।

यह पत्र एक लिफाफे में आया था। उस पर भी महात्मा जी ने अपने हाथ से इस प्रकार लिखा था-

श्री भोलानाथ मास्टर,
प्रजामंडल,
Ulwar (Raj.)

इस पत्र से पहले जो पत्र आये वे पोस्ट कार्ड थे। उन पर भी अपने हाथ से ही पता उन्होंने लिखा था और अलवर की Spelling (हिज्जे) 'A' से शुरू करने की बजाय 'U' से प्रारम्भ की थी।

इसी बीच में भरतपुर प्रजापरिषद की रजिस्ट्री भी उपरोक्त शर्तें कबूल करने पर हो गई और कुछ दिनों बाद जोधपुर लोक-परिषद की रजिस्ट्री भी हो गई। इन दोनों राज्यों के अधिकारियों ने 'प्रजामंडल' नाम को ही स्वीकार नहीं किया, इसलिये उन्होंने प्रजापरिषद और लोक-परिषद नाम रखे।

हम लोग 'उत्तरदायी शासन' को उद्देश्य कबूल कराने के लिये बराबर जोर देते रहे। इस पर अलवर राज्य के चीफ मिनिस्टर मि. हार्वे का ता. 2 जुलाई 1940 का आबू से निम्नलिखित पत्र आया-

"Dear Sir,

1. Please refer to your letter No.77, dated the 29th June, 1940.

2. I informed you quite clearly in my letter No. 232-C/173-39 dated the 30th of the May, 1940 that registration could not be accorded to the Alwar Raj Praja Mandal until it accepts a definition of its aims and

objects the words already communicated to you more than once, namely, "The Progressive association of the people with the Administration of the State." These words have not so far been accepted by the Praja Mandal and His Highnes's Government is not, therefore prepared to accord its registration.'

उपरोक्त, ता. 2 जुलाई, 1940 के, मेजर हार्वे, चीफ मिनिस्टर के पत्र की सूचना, मैंने महात्मा जी को दी तो उन्होंने कुछ खिन्न मन, सेवाग्राम से ता. 13.7.1940, को लिखा–

''भाई भोलानाथ,

तुम्हारा पत्र मैं कल पढ़ सका। मैंने लिखने का निश्चय तो किया ही था। कैसे रह गया, मैं नहीं कह सकता। लेकिन हुआ सो ठीक ही हुआ। तुम्हारे कामों में दखल न देना ही काफी समझा जावे। बापू के आशीर्वाद।''

इस पत्र के आने पर dead-lock (डेड लॉक) हो गया। हमारी इस लिखा-पढ़ी से लोकनायक जयनारायण जी व्यास, हरिभाऊ जी उपाध्याय, व रामनारायण जी चौधरी भी बराबर सूचित रहे।

यहाँ प्रसंग वश मैं श्री हरिभाऊ जी, श्री जयनारायण जी व्यास, व श्री रामनारायण जी चौधरी के पत्रों का हवाला भी देना चाहता हूँ।

ता. 16 जून, 1940 को अजमेर से श्री हरिभाऊ जी ने लिखा–

''जब सरकार प्रजामंडल की रजिस्ट्री आपकी शर्तों पर नहीं कर रही है तो आपके सामने तीन मार्ग हैं–

(1) प्रजामंडल को बन्द रखकर रचानात्मक काम में लग जाना। विरोध-स्वरूप प्रजामंडल को बन्द रखना।

(2) सत्याग्रह करना। बिना रजिस्ट्री कराये प्रजामंडल को चलाना।

(3) सरकार की शर्तों पर रजिस्ट्री करा लेना।

मुझको पहला मार्ग ही ठीक जंचता है। दूसरे मार्ग पर चलने की शक्ति व संगठन आपके पास हो, तो बात दूसरी है। तीसरी को अंगीकार करना हो तो पूज्य महात्मा जी की सलाह ले लेनी चाहिये। मेरा मतलब भरतपुर व सिरोही जैसा समझौता कर लेना हो तो।

ता. 17 जून, 1940 को इसी सिलसिले में श्री रामनारायण जी चौधरी का पत्र भी इस प्रकार आया–

''भाई भोलानाथ जी,

महात्मा जी के पत्र का अर्थ आपने ठीक ही किया। उनसे बात करने की वैसे मेरी जरूरत नहीं मालूम पड़ती। आप सीधा ही काम चला लें तो अच्छा है। फिर भी आप लोगों का आग्रह हो तो मैं बापू जी से बात कर लूँगा।........ यह भी लिखें कि मुझे किन प्रश्नों पर महात्मा जी से उत्तर लेना है।''

ता. 28 जून '1940 को दिल्ली से श्री रामनारायण जी चौधरी का फिर पत्र आया। उसमें उन्होंने लिखा–

"पूज्य महात्मा जी से अलवर के बारे में बातें हुई। आपको सीधा उत्तर तो वे देंगे ही। आप लोगों की मौजूदा स्थिति तथा देश विदेश की स्थिति को ध्यान में रखते हुये, उन्होंने राय दी है कि अगर इससे आपको कार्य में और प्रजामंडल-को बल संचय करने में सुविधा हो तो *'Progressive Association of the people with the Administration of the State'* का ध्येय रख कर फिलहाल प्रजामंडल की रजिस्ट्री करा ली जावे।

इसके पश्चात ता. 9 जुलाई 40 को श्री चौधरी जी ने एक दूसरा पत्र लिखा और उसमें चीफ मिनिस्टर को लिखे जाने वाले पत्र का मसविदा भी साथ भेज दिया। पत्र इस प्रकार था–

"पत्र मिला। प्रधान मंत्री के लिये जवाब का मसविदा भेजता हूँ। आवश्यक सुधार कर लें। आबू के बारे में मुझे कोई विशेष समाचार नहीं मिले हैं।

स्मरण रहे कि ता. 3 सितम्बर, 39 को दूसरा महायुद्ध आरम्भ हो गया था और 8 नवम्बर को प्रान्तों में कांग्रेस सरकारों द्वारा पदत्याग का दिन आ गया था और व्यक्तिगत सत्याग्रह की तैयारियाँ महात्मा जी की ओर से प्रारम्भ किये जाने की चर्चा शुरू हो गई थी।

श्री रामनारायण जी चौधरी की सलाह से राज्य की शर्तों पर रजिस्ट्री कराने का अन्तिम पत्र 31 जुलाई 40 को लिखा दिया गया और ता. 1, अगस्त 1940 को अलवर राज्य प्रजामंडल को रजिस्टर्ड कर दिया गया।

अलवर राज्य प्रजामंडल की रजिस्ट्री हो जाने के बाद मैंने महात्मा जी से प्रजा मंडल के लिये आशीवार्द माँगा। इस पर महात्मा जी का निम्न पत्र ता. 20 अगस्त '1940 का सेवाग्राम से मिला जिसमें लिखा था–

"भाई भोलानाथ,

मेरा ख्याल है, मैंने तुमको आशीवार्द भेजे हैं। लेकिन तुम्हारा पत्र मेरे सामने है, इसलिये यह लिखता हूँ। तुम्हारे कार्य में सफलता मिले।

बापू के आशीर्वाद।"

प्रजामंडल की रजिस्ट्री के बाद दूसरे महायुद्ध का जोर बढ़ता जा रहा था। प्रजामंडल ने देहातों में अपना काम बढ़ाया। उस समय सभी राज्यों की सरकारें युद्ध के लिये बड़ी सख्ती से युद्ध का चन्दा (War Fund) वसूल करने लगी। इस चंदे की वसूली के लिये (राज्य की) तहसीलों के अधिकारी मारपीट करते थे। अलवर के देहातों से बडी शिकायतें आई। सारे भारत में शिकायतें थी। महात्मा जी वाइसराय से मिलने दिल्ली गये। युद्ध के चन्दे की वसूली में की गई ज्यादतियों की शिकायतें वाइसराय से भी की। उसी समय मैंने एक पत्र महात्मा जी को लिखा। उसके उत्तर में उनका जो महत्वपूर्ण पत्र मेरे पास आया वह इस प्रकार है–

सेवाग्राम, वर्धा
ता. 3.11.40

''भाई भोलानाथ,

आपका पत्र मिला। वहाँ की उपाधी (तकलीफ) मैं जानता हूँ। मैं नहीं जानता क्या हो सकता है। तजवीज तो कर रहा हूँ, लेकिन फल की कम आशा है। लोगों में विरोध की शक्ति है तो विरोध अवश्य करें। ऐसा न समझा जाय कि मैं ऐसी ज्यादतियाँ बरदाश्त करने की सलाह दे सकता हूँ। लोग भले ही टूट जायें, परन्तु बलात्कार के वश कभी न हों।

बापू के आशीर्वाद।''

कितना बड़ा गुरूमंत्र था यह हमारे लिये। इसके आधार पर हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र में टिके रहे और देशी राज्यों की ज्यादतियों का विरोध किया।

भाग-2

महात्मा जी और अलवर की खादी प्रदर्शनी

प्रजामंडल की रजिस्ट्री के बाद पूज्य महात्मा जी से मेरा जो दूसरा पत्र-व्यवहार हुआ वह अलवर में खादी प्रदर्शनी के वृहद् आयोजन के सम्बन्ध में था अलवर शहर में पहली बार इतना बड़ा आयोजन बड़ी धूमधाम से हुआ। अलवर राज्य में इससे बड़ा सार्वजनिक व राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को दर्शाने वाला प्रदर्शन कभी नहीं हुआ था।

यह प्रदर्शनी एक अक्टूबर से 5 अक्टूबर, 1941 तक हुई। अखिल भारतीय चर्खा संघ की राजस्थान शाखा के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन करने के लिए पूज्य महात्मा जी ने श्री महादेव भाई को भेजा था, जिससे समस्त राजस्थान में इस प्रदर्शनी का महत्व बढ़ गया। यह प्रदर्शनी पाँच दिनों तक चली, जिसमें प्रदर्शनी के अतिरिक्त आम सभाओं में भाषण, महिला सम्मेलन, कवि सम्मेलन के आयोजन भी किये गये। वनस्थली विद्यापीठ की छात्रायें श्री हीरालाल जी शास्त्री के साथ प्रथम बार अलवर आई। इन बालिकाओं के सार्वजनिक व्यायाम का प्रदर्शन अलवर के लिये अद्भुत चीज थी।

महादेव भाई के उद्घाटन भाषण ने तो अलवर में क्रान्ति की लहर ही फूँक दी। उनका विशाल जुलूस एक देशी रथ में निकाला गया जो यहाँ पर आमतौर से दशहरे के अवसर पर रामचन्द्र जी की सवारी का जुलूस निकालने के लिये काम में आता है। महादेव भाई को इस रथ में बैठाया गया तो उन्होंने इस पर बड़ा संकोच प्रकट किया। इसका जिक्र उन्होंने आम सभा के अपने भाषण में भी किया। महादेव भाई ने गुरूदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की निम्न पंक्तियाँ सुनाई जिन्हें सुनकर जनता विह्वल हो गई-

रथ भावे आमी देव, पथ भावी आमी
मूर्ति भावे आमी देव, हाँसे अन्तरयामी।

इन पंक्तियों को बोलते हुये, महादेव भाई का भव्य व्यक्तित्व प्रकाशित हो रहा था।

उन्होंने कहा कि एक देवता के रथ में मेरा जो जुलूस निकाला गया है, वह मेरे जैसे छोटे व्यक्ति का जुलूस नहीं है, यह उस महान आत्मा की करामात है, जो सेवाग्राम में बैठी है और जिसका सन्देश लेकर मैं अलवर आया हूँ। इन शब्दों ने अलवर की जनता के हृदयों में हिलोरें पैदा कर दी।

परन्तु महादेव भाई ने आम सभा में इस बात पर खेद भी प्रकट किया कि इस विशाल प्रदर्शनी में राष्ट्रीय झंडा क्यों नहीं था। उन्होंने जोश में यहाँ तक कह दिया कि यदि मुझे जुलूस प्रारम्भ होने से पहले यह पता लग जाता कि प्रदर्शनी में राष्ट्रीय झंडा नहीं होगा, तो मैं इस जुलूस में शामिल ही नहीं होता।

यहाँ यह स्मरण रहे कि इस प्रदर्शनी का आयोजन चर्खा संघ के सहयोग से अलवर राज्य प्रजामंडल ने अपनी रचनात्मक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने के लिये किया था और प्रजामंडल पर उसके रजिस्ट्री के समय 1 अगस्त, 1940 को ही पाबन्दी लगा दी गई थी कि वह अपना कोई झंडा काम में नहीं लेगा। इस प्रदर्शनी का आयोजन रजिस्ट्रेशन के 13 महीने बाद किया गया था। अलवर म्युनिसिपल बोर्ड ही राजस्थान में पहला बोर्ड था, जिसमें प्रजामंडल के सदस्यों का बहुमत था उसने 500 रुपये की सहायता इस प्रदर्शनी को दी जो तब तक ऐसी प्रदर्शनी को किसी राज्य में नहीं मिली थी। अलवर के तत्कालीन मुख्यमंत्री मेजर हार्वे ने अंग्रेज होते हुए भी इस प्रदर्शनी को काफी सहायता दी। महाराजा तेजसिंह जी ने भी अपनी शुभकामनायें भेजी।

इस प्रदर्शनी का संयोजक मैं ही था और अलवर राज्य प्रजामंडल का मंत्री भी। प्रजा मंडल के मंत्री की हैसियत से इन्हीं मेजर हार्वे के कार्यकाल में मैं दो बार भारत रक्षा कानून में जेल भी गया। परन्तु इस उदारचित्त अंग्रेज ने प्रजामंडल की रजिस्ट्री हो जाने के बाद अपना रुख बदल लिया और प्रदर्शनी के काम में पूरा सहयोग दिया।

इस खादी प्रदर्शनी के सिलसिले में जो पत्र व्यवहार हुआ उसका जिक्र करना यहाँ बहुत आवश्यक होगा, जिससे उस समय की राजनीति पर प्रकाश पड़ता है और महात्मा जी का सीधा असर हमारे राज्य की राजनीति पर दिखाई देता है।

प्रदर्शनी का विचार हमारे मन में श्री देशपाण्डे के ता. 17.8.41 के पत्र से आया जिसमें उन्होंने लिखा था "गत 4-5 वर्षों में रियासतों के राजनैतिक आन्दोलनों की वजह से राजस्थानी जनता में काफी जागृति आई है। उस जागृति को बनाये रखने के लिये प्रजामंडलों के सामने रचनात्मक कार्यों के सिवाय और कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। पूज्य गांधीजी भी इस बात पर जोर देते हैं। चर्खा सप्ताह में प्रजामंडलों को अपनी सारी शक्ति इन रचनात्मक कामों को बढ़ाने में, विशेषत: खादी प्रचार में लगा देनी चाहिये।"

इस पर मैंने श्री देशपांडे जी को अलवर में खादी प्रदर्शनी करने के लिए लिखा और उन्हें आश्वासन दिया कि अलवर म्युनिसिपल बोर्ड से भी कुछ सहायता प्राप्त हो जाएगी। मैंने उन्हें अलवर बुलाया। इस पर उनका उत्तर आया, " मैं ता. 27 या 28 को अलवर आ सकूँगा। तब तक सब पूरी तैयारी कर रखें। अधिकारियों से भी बातें कर लें। स्थान भी निश्चित कर लें। प्रदर्शनी का ढांचा भी मैंने सोच रखा है। वह जमा दी जावेगी।"

इससे पहले श्री देशपांडे जी का एक पत्र और आया जिसमें कार्यकर्त्ताओं से महात्मा जी व खादी के सम्बन्ध में लेख माँगे। इसके उत्तर में मैंने एक लेख लिखा जो चर्खा संघ की तरफ से प्रकाशित किया गया।

खादी प्रदर्शनी की इस तैयारी में किस प्रकार की दिलचस्पी बड़े-बड़े नेताओं ने ली, इस बारे में मैं ऊपर लिख चुका हूँ। परन्तु पूज्य महात्मा जी की दिलचस्पी किस प्रकार पैदा हुई, उसका संक्षेप में जिक्र करना आवश्यक है।

खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए मैंने पूज्य महात्मा जी से निवेदन किया कि वे अपना प्रतिनिधि अलवर भेजें। इस कार्य में मैंने उस समय के राजस्थान के बड़े नेता श्री हरिभाऊ जी उपाध्याय और श्री रामनारायण जी चौधरी से भी मदद चाही। श्री जमनालाल जी बजाज को भी पत्र लिखा।

आखिर में मैंने महात्मा जी को फिर लिखा कि वे श्री महादेव भाई को इस कार्य के लिये अलवर भेजने की कृपा करें। पहले तो वे तैयार नहीं हुये। इस लिये मैंने इस कार्य के लिये व्यक्तिगत जिम्मेदारी श्री कृष्णदास जी जाजू, श्री हरिभाऊ उपाध्याय व श्री रामनारायण जी चौधरी पर डाली। उनके जो पत्र इस सम्बन्ध में आए उनके उदाहरण यहाँ देना मैं उचित समझता हूँ।

6 सितम्बर '1941 को श्री रामनारायण जी चौधरी ने लिखा कि, "पहला नाम राजकुमारी अमृत कौर का सबसे उपयुक्त होगा। शायद बापू भी तैयार हो जावें।........ जाजू जी या महादेव भाई शायद आ नहीं सकेंगे। हाँ, सेठ जमनालाल जी शायद आ जावें। वे रहेंगे भी सब तरह ठीक।"

हरिभाऊ जी ने 12.9.41 को लिखा, " प्रदर्शनी का उद्घाटन किससे कराना चाहते हो, मुझे जल्दी सूचित कीजिये।"

13.9.41 को श्री कृष्णदास जी जाजू ने लिखा, "खुशी की बात है कि आप वहाँ प्रदर्शनी कर रहे हैं। इधर से कोई प्रदर्शनी में पहुँच सके ऐसी आशा नहीं। मैं ता. 15 को गुजरात-काठियावाड़ के दौरे पर जा रहा हूँ। महादेव भाई इधर बहुत कम रहते हैं। राजकुमारी जी शिमला में हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। किसी पास रहने वाले को बुलाना चाहिये। श्री डॉ. गोपीचन्द भार्गव को लिख दीजिये।"

16.9.41 को श्री जमनालाल जी बजाज का पत्र नैनीताल से मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था, "प्रिय भोलानाथ जी, आपका ता. 6.9.41 का पत्र मुझे मिला। बीच में अलमोड़ा चला गया था। एक अक्टूबर को खादी प्रदर्शनी करने का निश्चय किया है, जानकर खुशी हुई। आशा है आपकी प्रदर्शनी पूर्णतया सफल होगी। स्टेट आपके साथ सहकार कर रही है, जानकर प्रसन्नता हुई। इस समय मैं अलवर पहुँचता तो मुझे खुशी होती परन्तु स्वास्थ्य के कारण न आ सकूँगा। इस समय मेरा आना संभव नहीं होगा। जमनालाल बजाज का वन्देमातरम्!"

परन्तु खुशी की बात है कि इसी बीच में मेरे अनुरोध पर पूज्य महात्मा गांधी ने एक पत्र श्री किशोरी लाल मशरूवाला के द्वारा ता. 10.9.41 को भिजवाया। वह इस प्रकार है-

"श्री भोलानाथ जी,

पूज्य बापू जी आपके लिये योग्य व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। निश्चित होने पर खबर देंगे।

आपका-किशोरी लाल मशरूवाला"

पूज्य बापू का यह सन्देश श्री किशोरी लाल मशरूवाला के द्वारा प्राप्त होने पर हमारे यहाँ उत्साह की लहर दौड़ गई। बड़े-बड़े नेताओं के प्रयत्न से जो काम होता हुआ नहीं दिखाई दिया, वह मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्त्ता के प्रयत्न से सरल हो गया।

मैंने श्री किशोरीलाल मशरूवाला के पत्र की सूचना श्री देशपांडे जी, जो उस समय राजस्थान चर्खा संघ के मंत्री थे, को दी, जिनके प्रयत्न से यह प्रदर्शनी हो रही थी। श्री देशपांडे जी ने 14.9.41 को लिखा-

"प्रिय श्री भोलानाथ जी,

सप्रेम वन्दे।

आपका 14.9.41 का पत्र मिला। यह देखकर खुशी हो रही है कि अलवर राज्य वाले प्रदर्शनी में सहयोग दे रहे हैं। मैं ता. 22 को अलवर आने की कोशिश कर रहा हूँ। पूज्य बापू जी अलवर किसी को अवश्य भेज देंगे। ऐसा लगता है।......... श्री लादूराम जी जोशी ने अलवर आना स्वीकार कर लिया है। श्री हरिभाऊ उपाध्याय जी आयेंगे। श्री शास्त्री जी को लाने की कोशिश करूँगा। श्री जयनारायण व्यास आज यहाँ आये। वे भी प्रदर्शनी में अलवर आने का भरसक प्रयत्न करेंगे।"

उन दिनों माननीय राजेन्द्र बाबू भी वर्धा में थे। मैंने उन्हें भी पत्र लिखा। उन्होंने ता. 16.9.41को बजाजवाड़ी से निम्नलिखित पत्र लिखा-

"प्रिय भोलानाथ जी मास्टर,

आपका ता. 10.9.41 का पत्र मिला। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपने गांधी जयन्ती के उपलक्ष में खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इसमें आपको रियासत और अलवर म्युनिसिपल बोर्ड से भी सहायता मिल रही है। खादी प्रचार और दूसरे प्रकार के रचनात्मक कामों में किसी प्रकार का विरोध होना ही अस्वाभाविक है और रियासत तथा म्युनिसिपैलिटी ने सहायता देकर कर्त्तव्य का पालन किया है। इसके लिये उन्हें जितना धन्यवाद दिया जाय ठीक है।

मुझे खेद है कि मैं पिछले अढ़ाई महीने से बीमार हूँ और स्वास्थ्य सुधारने के लिये यहाँ आया हूँ। अभी तक तबियत ठीक नहीं है और इसकी आशा नहीं कर सकता हूँ कि मैं अक्टूबर तक स्वस्थ होकर अलवर जाने लायक हो सकूँगा। आप से निवेदन है कि आप क्षमा करेंगे।

आपका-

राजेन्द्र प्रसाद"

सब तरफ से निराश होने के बाद यकायक ता. 18.9.41 को सेवाग्राम से लिखा हुआ श्री मशरूवाला का निम्नलिखित भावना प्रधान पत्र मिला-

श्री भोलानाथ जी, श्री महादेव भाई ता. 1 अक्टूबर को आपके कार्यक्रम के लिये अलवर पहुँचेंगे। पूज्य बापू जी ने लिखवाया है कि चूँकि वे हाल ही में निमोनिया की बीमारी से उठे हैं,

अभी बहुत अशक्य हैं, इसलिये बहुत श्रम न दिया जावे। बहुत न घुमाया जावे और बहुत भारी कार्यक्रम उनके वास्ते न बनाया जावे। कृपया उनके स्वास्थ्य को सँभालें। अलवर के विषय में कोई खास सूचना देने लायक हो तो उन्हें नीचे लिखे पते पर पत्र भेजें-

आपका

किशोरीलाल मशरूवाला"

इस पत्र के पहुँचते ही राजस्थान के सभी नेता अलवर की तरफ आकर्षित हो गये। श्री हरिभाऊ जी उपाध्याय ने लिखा-

"श्री महादेव भाई के आने के समाचार से तो अब प्रदर्शनी का काम चौगुने उत्साह से हो रहा होगा।"

एक दूसरे पत्र में श्री हरिभाऊ जी ने लिखा कि "मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है। मेरा शरीर भले ही यहाँ रहे, मेरा सारा प्राण व आत्मा आपके ही पास रहेगी। श्री महादेव भाई के वहाँ पधारने से बढ़कर शुभ क्या हो सकता है। पूज्य बापू के प्रत्यक्ष आशीर्वाद के रूप में उन्हें ही समझना चाहिये। आप जानते ही हैं कि मैं खादी को महात्मा जी की सबसे बड़ी देन मानता हूँ।"

ता. 26.9.41 को सिरोही से श्री गोकुल भाई भट्ट ने लिखा-

"श्री भोलानाथ जी,

जब कि श्री महादेव भाई वहाँ पधार रहे हैं तो मैं क्या संदेश भेजूँ ? पूज्य महात्मा जी के वे सन्देश वाहक हैं और सारी दुनिया को महात्मा गांधी ने एक अमूल्य सन्देश सत्य-अहिंसा का दिया है। यह संदेश हमारी संस्थाओं में ओत-प्रोत हो जाना चाहिये।"

श्री रामनारायण जी चौधरी ने ता. 21.9.41 को वर्धा से लिखा-

"श्री महादेव भाई यहाँ (वर्धा) आकर अलवर जायेंगे। श्री महादेव भाई के साथ आने का आपका आग्रह मुझे भी वहाँ खींच रहा है।"

ता. 28.9.41 को दूसरे पत्र में श्री रामनारायण जी चौधरी ने लिखा-

"श्री महादेव भाई कल ही आये हैं। मेरी उनसे अलवर के सम्बन्ध में बातें हो गई। मेरी बहुत दिनों से कोशिश थी कि पूज्य बापू से अलवर का सीधा और निकट का सम्बन्ध हो, वह सफल हो गई। महादेव भाई पर उनका पूरा विश्वास है। अब आप लोगों पर निर्भर है कि इस सम्बन्ध को मजबूत बनायें।

"महादेव भाई को मैंने राजी कर लिया है कि वे जुलूस निकालने पर आपत्ति न करें। जुलूस ठंड के समय निकाला जावे।"

श्री हीरालाल जी शास्त्री तो और भी प्रसन्न हुये। वे उन्हें वनस्थली ले जाने के लिये प्रयत्नशील हो गये। उन्होंने ता. 21.9.1941 को लिखा-

"श्री महादेव भाई कब पहुँचेंगे और वे यहाँ कब तक ठहरेंगे। उनका पूरा प्रोग्राम लिखने की कृपा करें। इस अवसर पर वनस्थली की लड़कियों से दूसरे प्रदर्शन कराने हैं। 15-16

लड़कियों से कम से काम नहीं चलेगा। इस सम्बन्ध में बाद में लिखूँगा।"

आखिर श्री हीरालाल शास्त्री ने भी श्री महादेव भाई के राजपूताना के इस प्रथम दौरे का लाभ उठाया और उन्हें अलवर आने से पहले वनस्थली ले गये।

श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को भी श्री महादेव भाई के अलवर आगमन की बड़ी खुशी हुई। उन्होंने लिखा कि श्री महादेव भाई की मार्फत हम भी भरतपुर के दमन के समाचार पूज्य बापू के पास पहुँचावेंगे। इस समय बड़ा दमन का दौर-दौरा यहाँ चल रहा है।

उड़ीसा के देशी राज्यों के नेता श्री सारंगदास ने लिखा कि-

"Mahatmaji is the one great man of our land who has shown us the way. We must follow his directions religeously without a question or a murmur." उनका पत्र लम्बा था जिसे उन्होंने हिन्दी में अनुवाद करके पढ़ने के लिये कहा।

श्री महादेव भाई के अलवर आने के समाचार मिलने पर दिल्ली के बड़े-बड़े नेता प्रो. इन्द्र, सत्यवती देवी, श्री कृष्ण नय्यर, श्री सत्यदेव विद्यालंकार, श्री रामगोपाल विद्यालंकार आदि अलवर आने का लोभ संवरण नहीं कर सके। ये लोग अलवर पधारे और इन्होंने आम सभाओं में प्रभावशाली भाषण दिये।

यद्यपि ता. 18.9.1941 का श्री किशोरी लाल मशरूवाला का पत्र मिल गया था कि हमारे काम के लिये श्री महादेव भाई ता. 1 अक्टूबर को अलवर पहुँच रहे हैं, परन्तु यहाँ यह अफवाह फैल गई कि श्री महादेव भाई अलवर नहीं पहुँच रहे हैं। इस पर एक तार श्री मशरूवाला को दिया, जिस पर ता. 28.9.41 का उनका तार मिला, "No fear Mahadeo Bhai attending Mashruwala."

कितना ध्यान, हमारा पूज्य बापू ने रखा। इसके बाद तो स्वयं महादेव भाई का ता. 29.9.1941 का लिखा हुआ पत्र आया, जिसमें लिखा था-

"प्रिय श्री भोलानाथ जी,

मैं ता. 1 अक्टूबर को दोपहर को अलवर पहुँचूंगा। ता. 2 तक रहूँगा। मेरे लिए उद्घाटन समय के व्याख्यान के कार्य को छोड़कर और कुछ न रखिये। मैं व्याख्यानों से ऊब जाता हूँ। दोपहर में करीब एक घंटे का आराम मैं चाहूँगा। मुझे जुलूस पसन्द नहीं है। उससे मुझे अवश्य बचाइये। खाने-पीने में मुझे कोई खास चीज नहीं चाहिये। दाल, चावल, रोटी, सब्जी काफी है। गाय का दूध दही मिलेगा तो अच्छा है। तीन को मुझे दिल्ली पहुँचना है।

आपका

महादेव भाई!"

पूज्य महात्मा जी के अलवर के सम्बन्ध में हमारे मधुर संस्मरण आज भी अलवर के लोगों को याद हैं।

उत्तरार्द्ध

इस प्रकार अलवर के सार्वजनिक जीवन को सक्रिय बनाने में पूज्य महात्मा गांधी जी का हमें सहयोग व आशीर्वाद मिला। सन 1942 के अगस्त में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' प्रारम्भ हो

गया। कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। हड़ताल व गिरफ्तारियों का तांता बंधा रहा। फरवरी सन् 1943 में जब पूज्य महात्मा जी ने आगा खाँ महल में अनशन किया तो अलवर में भी उनकी सहानुभूति में श्री शोभाराम जी ने 13 दिनों का उपवास महात्मा जी की दीर्घायु की कामना करते हुए किया।

सन् 1944 में महात्मा जी जेल से छूटकर आये। उन्होंने कांग्रेस को सक्रिय रखने के लिये नया नारा दिया। कांग्रेस कार्यसमिति के अधिकांश सदस्य उस समय जेल में थे। डॉ. सैयद महमूद व आसाम के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बारदोलाई ही जेल से बाहर थे। सेवाग्राम में समग्र ग्राम-सेवा शिविर एक मास के लिये चलाया गया। इस शिविर में सम्मिलित होने मैं भी सेवा ग्राम गया और एक मास तक वहाँ रहा। एक मास तक बराबर यहाँ रहने के कारण रोजाना पूज्य महात्मा जी के भाषण सुनने के अवसर मिले। उस समय वे मौन-व्रत धारण किये हुये थे, केवल प्रार्थना सभा में बोलते थे।

मैंने 2, फरवरी 1945 को पूज्य महात्मा जी से अलवर के लिए रवानगी से पहले एक मुलाकात की । अपने कुछ प्रश्न पहले उन्हें लिख कर दिये, जिनके उत्तर भी उन्होंने मुझे लिखकर दिये। वे आज भी मेरे पास एक थाती के रूप में सुरक्षित है। ये प्रश्नोत्तर उस समय की हमारी संगठन की स्थिति पर बखूबी प्रकाश डालते हैं।

प्रथम प्रश्न में मैंने उनसे पूछा था कि हम जागीरदारों के विरुद्ध सत्याग्रह करना चाहते हैं। आपकी क्या आज्ञा है? इस पर उन्होंने उत्तर दिया-

1. सब कुछ कर सकते हो, मेरे कहने से कुछ भी नहीं। मेरी सलाह है कि वहाँ की परिस्थिति को देखकर तुम्हीं विचार कर सकते हो।
2. द्वितीय प्रश्न में मैंने पूछा था कि सत्याग्रह शुरू करने से पहले एक बड़ा सम्मेलन करना चाहते हैं, उसमें आप श्रीमती सरोजनी देवी को भेजने का कष्ट करें। इस पर उन्होंने उत्तर दिया- सरोजनी देवी बीमार पड़ गई है, दूसरे किसी को ले लें।
3. तीसरे प्रश्न का उत्तर- सत्याग्रह करने वाले हैं तो जागीरदारों से शुद्ध सत्याग्रह करो। अगर आधार नहीं है तो जो हज्म हो सके वह करो।
4. चौथे प्रश्न में मैंने महात्मा जी से अलवर आने की प्रार्थना की। इसके उत्तर में उन्होंने लिखा- अगर मैं देहली जा सका तो अलवर वासियों से अवश्य मिलूँगा।
5. पाँचवें प्रश्न में मैंने लिखा था, हम अधिकारियों से मिलकर समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं। इस पर उन्होंने उत्तर दिया-

   शासकों से मिलने में तनिक भी बाधा नहीं। अगर वे इसमें सहायता करें।

अन्त में इसी पत्र में उन्होंने मुझे निम्न प्रकार सलाह दी-

"इसमें कुछ भी मेरे नाम से प्रकट करने के लिये नहीं है। सिर्फ तुम्हारी समझ के लिये है।

कितना अगाध प्रेम हमारे संगठन और व्यक्तिगत मेरे प्रति इस प्रश्नोत्तर में है।

मुझे दुःख है कि पूज्य महात्मा जी का अलवर आने का वादा पूरा नहीं हुआ। परन्तु अलवर की समस्या उनके सामने अन्तिम समय तक रही।

सन 1946 में अन्तरिम सरकार बनी। 1947 में देश में हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुये। अलवर भी इन दंगों का प्रमुख केन्द्र रहा। महात्मा जी को इससे बड़ा दुःख हुआ। यहाँ के हजारों मेव राज्य छोड़कर भागने लगे। उस समय भी उन्होंने एक स्पेशल मिलिटरी गाड़ी में यहाँ के हालात जानने के लिये श्री जयनारायण जी व्यास, श्री वृषभान (पंजाब) तथा दक्षिण के एक कार्यकर्त्ता श्री धारी को अलवर भेजा।

अलवर में बड़े भयंकर दंगे हुये। यहाँ पर सन् 1947 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भी बडे समारोह के साथ नहीं मनाया जा सका। अलवर के उस समय के मुख्यमंत्री डॉ. एन. बी. खरे महात्मा जी के प्रबल विरोधी थे। उन्होने यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी रैली कराई। हिन्दू महासभा के नेता अलवर को अपनी गतिविधियों का खास केन्द्र मानने लगे। हिन्दु-मुस्लिम के बीच मेवात के साम्प्रदायिक भावनायें, एक दूसरे के विरोध में खून खराबे तक पहुँच गई थी।

स्वंय महात्मा जी अलवर की सीमा पर घासेड़ा गाँव में आये, और मेवों को समझाया कि वे अपने-अपने घरों को वापिस जावें।

28 जनवरी को मैं श्री जयनारायण जी व्यास, श्री देश पांडे और श्री हरिभाऊ जी उपाध्याय अलवर के पूरे समाचार देने के लिये बिरला हाऊस गये। प्रार्थना सभा के बाद हमारी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हमारी बात बड़े ध्यान से सुनी और अलवर व भरतपुर के साम्प्रदायिक दंगों पर बड़ा खेद प्रकट किया। उनको इस बात से बड़ा दुःख हुआ कि रियासत के अधिकारी दंगों का दमन करने के बजाय उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं।

कौन जानता था कि दो दिन बाद ही यही दंगे उनकी हत्या के कारण बनेंगे, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को उन्हें गोली मार दी गई। सारे भारत में यह शोक समाचार बिजली की तरह फैल गया कि इस कांड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ है। अलवर में चूँकि उनकी रैली हो चुकी थी, इसलिये अलवर के अधिकारियों पर शक किया गया कि इस हत्या में कहीं उनका भी हाथ न हो।

हत्या के तुरन्त बाद ही महाराजा अलवर तथा उस समय के मुख्यमंत्री डॉ. एन. बी. खरे को दिल्ली बुला लिया गया और उन्हें वहीं रोक दिया गया। इन दोनों के अलवर आने पर पाबन्दी लगा दी गई।

अलवर का शासन भारत सरकार ने संभाल लिया। अलवर महाराजा का मंत्रिमंडल बरखास्त कर दिया गया। श्री के. बी. लाल को एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर हवाई जहाज से भेजा गया। साथ में भारत सरकार ने बड़ी तादाद में टैंक भेजे। रेडियो से ऐलान कराया गया कि अलवर रियासत का शासन भार भारत सरकार की स्टेट मिनिस्टरी ने संभाल लिया है। अलवर में कर्फ्यू लगा दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर ने अलवर में कांग्रेस के नेताओं तथा अन्य संभ्रान्त नागरिकों को बुलाकर ऐलान किया कि अलवर का शासन भार अब भारत सरकार ने संभाल लिया है। इस

कार्यवाही से अलवर में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि लोग हिन्दू-मुस्लिम दंगों से तंग आ गये थे। किसी का भी जान-माल सुरक्षित नहीं था।

हम लोगों का एक शिष्टमडंल सरदार पटेल से मिला। अलवर के हालात से उन्हें अवगत कराया। सरदार पटेल ने स्वयं अलवर आने का वादा किया। 25 फरवरी को सरदार पटेल हवाई-जहाज से अलवर पधारे और एक विशाल सार्वजनिक सभा में भाषण दिया। देशी रियासतों को चेतावनी देते हुये अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा कि राजपूतों की तलवार को अब भंगी की झाड़ू से ज्यादा नहीं समझना चाहिये। अब श्रम की महिमा होगी। इस चेतावनी से देशी राज्यों में तहलका मच गया।

राजस्थान के चार राज्यों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली को मिलाकर मत्स्य यूनियन नाम से संघ बनाया गया, जिसकी राजधानी अलवर बना। मुझे भी इस मंत्रिमंडल में एक मंत्री बनने का सुअवसर मिला। भरतपुर में भी हिन्दू मुस्लिम दंगे हुये थे। इसलिये अलवर के बाद भरतपुर रियासत पर भी एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा टैंको के साथ जाकर अधिकार कर लिया गया।

देशी राज्यों के कार्यकर्त्ता यह मानते हैं कि महात्मा जी की हत्या ने और अलवर के महाराज को दिल्ली में नजरबन्द किये जाने ने देशी राज्यों के शासकों को भयभीत कर दिया और उन्होंने अपनी रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व को खत्म कर यूनियन बनाने की स्वीकृतियाँ दे दी।

यद्यपि महात्मा जी मुझ से किये गये वादे के मुताबिक अलवर नहीं आ सके, परन्तु उनकी आत्मा हमारे साथ रही। उत्तरदायी शासन, जिसकी प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिये उन्हें हम अलवर बुलाना चाहते थे, वह हमें ही नहीं सारा देशी रियासतों को प्राप्त हो गया। महात्माजी स्वयं रियासती प्रजा थे और रियासती शासक के राज्य में परवरिश पाये थे। अन्त समय में अपने प्राणों की आहुति देकर वे ब्रिटिश भारत के साथ हम देशी-राज्यों के लोगों को भी आजाद कर गये। ●

अलवर में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न अवसरों पर जेल गये सेनानियों की सूची

I. सन् 1937 में कांग्रेस का झंडा फहराने पर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति-

(1) पं. हरनारायण शर्मा (2) श्री कुंजबिहारी लाल मोदी, (3) श्री सालिगराम पूर्व नाजिम, (4) अब्दुल गफूर जमाली, (5) डॉ. मोहम्मद अली, (6) श्री लच्छीराम सौदागर।

II. सन् 1938 में छात्रों की फीस वृद्धि का विरोध करने पर गिरफ्तार कर जेल भेजे गये व्यक्ति-

(1) पं. हरिनारायण शर्मा, (2) श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, (3) श्री इन्द्रसिंह आजाद, (4) श्री नत्थूराम मोदी, (5) श्री राधाचरण

III. कांग्रेस दफ्तर पर पुनः कब्जा करने व झण्डा फहराने पर 30-10-38 को गिरफ्तार व्यक्ति-

(1) मा. भोलानाथ जी, (2) श्री द्वारिका प्रसाद गुप्ता

IV. द्वितीय विश्व युद्ध के लिये जबरन चन्दा वसूली का विरोध करने पर 13-11-40 को डी.आई. आर के तहत गिरफ्तार व्यक्ति-

(1) पं. हरिनारायण शर्मा, (2) मा. भोलानाथ जी

V. सन् 1942 में डाकखाना जलाने के आरोप में गिरफ्तार युवा-

(1) श्री चिरंजी लाल वर्मा, (2) श्री हीरालाल यादव, (3) श्री महावीर प्रसाद जैन

VI. म्यूनिसिपल टैक्सों का विरोध करते हुये तिजारा में 1943 में गिरफ्तार -

(1) श्री घासीराम गुप्ता

VII. खेड़ा मंगल सिंह में जागीरी जुल्मों का विरोध करते हुए सभा करने गये व्यक्तियों की ता. 2-2-1946 को गिरफ्तारी-

(1) श्री शोभाराम (2) श्री भवानी सहाय शर्मा, (3) श्री कुंज बिहारी लाल मोदी, (4) श्री रामचन्द्र उपाध्याय, (5) श्री बदरी प्रसाद गुप्ता, (6) लाला काशी राम, (7) लाला घासी राम गुप्ता तिजारा (8) श्री हरनारायण शर्मा (9) श्री कृपादयाल माथुर (10) श्री इन्द्र सिंह आजाद, (11) श्री रामावतार गुप्ता एडवोकेट

(12) श्री रामजीलाल अग्रवाल

ये सभी प्रजामण्डल के नेता व कार्यकर्ता थे इनके साथ पुलिस ने एक श्री रामदयाल गार्ड को गिरफ्तार कर लिया जो 3-2-1946 को माफी माग कर छूट आये। इनका प्रजा मण्डल से कोई सम्बन्ध नहीं था अतः सरकार द्वारा यह प्रचार किया गया कि गिरफ्तार लोगों में से एक ने

मांफी माग ली। सरकार ने यह गिरफ्तारियों के विरोध में चल रहे आन्दोलन के दौरान भ्रम फैलाने के लिये ऐसा किया।

यह ध्यान रहे कि उपरोक्त गिरफ्तारियाँ कानून की किसी धारा के तहत न कर प्राइममिनिस्टर के आदेश पर की गई, जो सरासर अन्यायपूर्ण थी।

VIII. गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों! कुर्सी छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में ता. 18-8-1946 से सत्याग्रह के समापन तक गिरफ्तार व्यक्ति-

(1) श्री रामस्वरूप गुप्ता, राजगढ़ (2) श्री बाला राम, राजगढ़ (3) श्री रामजी लाल पुत्र श्री रामगोपाल (4) श्री रामसुख पुत्र श्री राधाकिशन (5) श्री भवानी सहाय शर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र (6) श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री कान्तिचन्द (7) श्री रामजी लाल अग्रवाल पुत्र श्री रामरिछपाल (8) श्री लक्ष्मीनारायण खंडेलवाल पुत्र श्री प्रभुदयाल (9) श्री सम्पत राम पुत्र श्री भवानी राम (10) श्री माया राम पुत्र श्री गोपाल राम (11) श्री नारायणदत्त पुत्र श्री रामकुमार आर्य (12) श्री छोटू सिंह आर्य पुत्र श्री गिरवर राम (13) श्री शादी लाल पुत्र श्री राम कुमार आर्य (14) श्री देवी सहाय पुत्र श्री मूल चंद (15) श्री दयाराम गुप्ता पुत्र श्री ग्यासीराम (16) श्री रामचन्द्र उपाध्याय पुत्र श्री सालगराम नाजिम (17) श्री पृथ्वीनाथ भार्गव पुत्र श्री माधोप्रसाद (18) लाला काशीराम गुप्ता पुत्र श्री रामदयाल (19) श्री बदरी प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री बिहारी लाल (20) श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री बदरी प्रसाद (21) डॉ. शांति स्वरूप डाटा पुत्र श्री भगवान दास (22) श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण (23) मा. भोलानाथ पुत्र श्री मूलचन्द्र (24) श्री नत्थूराम पुत्र श्री राम सहाय, राजगढ़ (25) श्री बोदन राम पुत्र श्री छोटू राम (राजगढ़) (26) श्री दिनेश चन्द पुत्र श्री हरबख्श (27) श्री रामशरण उर्फ लीलाराम पुत्र श्री राम सहाय (28) श्री मोती लाल पुत्र श्री नन्द लाल (29) श्री छगन लाल पुत्र श्री जगन्नाथ (30) श्री रामकिशन पुत्र श्री गणेश (31) श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री राधरमण (32) श्री केदारनाथ पुत्र श्री जगदीश चन्द्र (33) श्री कन्हैया पुत्र श्री राधाकिशन (34) श्री रतन लाल पुत्र श्री गणतराम (35) श्री राम प्रसाद पुत्र श्री धूरजी (सभी राजगढ़) (36) श्री प्रहलाद राय पुत्र श्री बिहारी लाल (37) श्री मूलचन्द पुत्र श्री हरफूल (38) श्री कृपादयाज माथुर पुत्र श्री खैराती लाल (39) श्री रामजी लाल पुत्र श्री हीरालाल (40) श्री उमाशंकर पुत्र श्री रघुनाथ (41) श्री मुंशी लाल पुत्र श्री श्याम लाल (42) श्री सियाराम पुत्र श्री सीताराम प्रतापगढ़ (43) श्री दाताराम खैरथल (44) श्री मोती लाल पुत्र श्री कन्हैया लाल (45) श्री महेश चन्द पुत्र श्री प्रभुदयाल (46) श्री आनन्द चन्द्र पुत्र श्री प्यारे लाल (47) श्री मिश्री लाल पुत्र श्री वेदराम खैरथल (48) श्री लालजी पुत्र श्री मामराज (49) श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह गण्डाला (50) श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री देवी सिंह (51) श्री रामसहाय पुत्र श्री किशन सहाय (52) श्री श्योराम पुत्र श्री नेतराम माजरी खुर्द (53) श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री दलेलराम (54) श्री चिम्मन लाल पुत्र श्री गणेश राम (55) श्री मातादीन पुत्र श्री कालूराम (56) श्री

भवानीसहाय पुत्र श्री सुल्तान (57) श्री रामनारायण पुत्र श्री गोविन्द राम (58) श्री प्रभाती लाल पुत्र श्री जयराम डवानी (59) श्री सरदारा पुत्र श्री भोजाराम मांजरी खुर्द (60) श्री शंकर पुत्र श्री मंगतू (61) श्री रघुवर पुत्र श्री मन्नालाल हरसौली (62) श्री सूरजभान पुत्र श्री घनसीराम ढूंढारिया (63) श्री मातादीन पुत्र श्री हरगोविन्द, बहरोड (64) श्री मूलाराम पुत्र श्री सेवाराम ऊँटवाल (65) श्री लल्लूराम पुत्र श्री महावीर प्रसाद हरसौली (66) श्री सूरज भान पुत्र श्री रामनारायण माजरी खुर्द (67) श्री रामनारायण पुत्र श्री सीताराम (68) श्री राम पुत्र श्री जयसिंह (69) श्री सूरज पुत्र श्री विशम्भर देव भरोडा (70) श्री केहर सिंह पुत्र श्री सुखदेव मांजरी खुर्द (71) श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री रामचन्द्र खुर्जा (72) श्री मातादीन पुत्र श्री रघुनाथ उलाडिया (73) श्री गिरधर राम पुत्र श्री धन्नाराम माजरी खुर्द (74) श्री नत्थूराम पुत्र श्री रामदयाल बहरोड़ (75) श्री प्रभाती पुत्र श्री सूरजभान डवानी (76) श्री राम पुत्र श्री मूला हाडिया (77) श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री सोवख्श प्रताप बास अलवर (78) श्री श्योदान पुत्र श्री रामनारायण हरसौली (79) श्री श्योदयाल पुत्र श्री देवी सहाय (80) श्री मनोहर लाल पुत्र श्री सौराज गण्डाला (81) श्री चिरंजी लाल पुत्र श्री बृजलाल माजरी खुर्द (82) श्री नन्द लाल पुत्र श्री जगन्नाथ नहन्या (83) श्री रामजी लाल पुत्र श्री लाल बख्श, अलवर (84) श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री रामपाल डवानी (85) श्री रामचन्द्र पुत्र श्री मन्नीराम घासी (86) श्री सुखलाल पुत्र श्री मंगतू राम तिजारा (87) श्री मनोहर लाल पुत्र श्री कन्हैया लाल (88) श्री चुन्नी लाल पुत्र श्री डालचन्द (89) श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री नत्थीराम राजगढ़ (90)श्री जगता पुत्र श्री हरजी माजरी (91)श्री राधेश्याम पुत्र श्री प्रसादी लाल अलवर (92) श्री बृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री किशन बहादुर (93) श्री रामकिशन पुत्र श्री भोराम किशनगढ़ (94) श्री मित्रसैन पुत्र श्री हजारी लाल तिजारा (95) श्री हजारी लाल पुत्र श्री मामराज किशनगढ़ (96) श्री मातादीन पुत्र श्री गंगाराम (97) श्री जगत सिंह पुत्र श्री कोतीलाल तिजारा (98)श्री ईश्वर मल पुत्र श्री रामदयाल (99) श्री जगन्नाथ पुत्र श्री अमर चन्द गोविन्दगढ़ (100) श्री रामजी लाल पुत्र श्री ओमकार अकबरपुर (101) श्री अनन्त राम पुत्र श्री श्रवण लाल खोहरा (102) श्री रामावतार पुत्र श्री ओमकार खैरथल (103) श्री मूलचन्द पुत्र श्री श्योनारायण लक्ष्मणगढ (104) श्री झावरसिंह पुत्र श्री मंगल सिंह मूंडिया (105) श्री जगन्नाथ सिंह पुत्र श्री दिलसुख मांढन (106) श्री बखसाधु पुत्र श्री सुआ (107) श्री उमराव सिंह पुत्र श्री मोहन लाल मूंडिया (108) श्री रामप्रसाद पुत्र श्री रामधन (109) श्री मनोहर लाल पुत्र श्री सुखदेव (110) श्री मामन पुत्र श्री भोला मूंडिया (111) श्री हरजी राम पुत्र श्री मंगल खैरथल (112) श्री रामचरण पुत्र श्री दौलतराम अकबरपुर (113) श्री मुकट सिंह पुत्र श्री शोभाराम मूंडिया (114) श्री कल्लूराम पुत्र श्री मंगल (115) श्री चन्दर सिंह पुत्र श्री नानगराम (116) श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री रामदयाल (117) श्री सिरियाराम पुत्र श्री बगरी (118) श्री मूला पुत्र श्री लेखू (119) श्री विशम्भर दयाल पुत्र श्री मामे खाँ (120) श्री विश्वभर दयाल पुत्र श्री गोपी लाल

(121) श्री रामजी लाल पुत्र श्री श्योसहाय मौजपुर (122) श्री कन्हैया लाल पुत्र रूढ़मल (123) श्री राम पुत्र श्री मलखान मूंडिया (124) श्री सूरजसिंह पुत्र मामराज किशनगढ़ (125) श्री प्रभुदयाल पुत्र बुद्धाराम हुड़िया (126) श्री किशन लाल पुत्र श्री चुन्नी लाल अकबरपुर (127) श्री रामजी लाल पुत्र श्री रामधन मौजपुर (128) श्री घासीराम पुत्र श्री रिछपाल अकबरपुर (129)श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री कमल नयन माढंन (130) श्री मुरारी लाल पुत्र श्री हरी राम खैरथल (131) श्री श्योप्रसाद पुत्र श्री ओमकार मांढन (132) श्री रामप्रसाद पुत्र श्री महादेव हुडिया (133)श्री जगन सिंह पुत्र श्री तुलाराम (134) श्री रामजी लाल पुत्र सुन्दर लाल मौजपुर (135) श्री मूलचन्द पुत्र सीताराम डूमरोली (136) श्री किशोरी लाल पुत्र श्री देवी सहाय (137) श्री परताराम पुत्र नत्थूराम (138) श्री विसराम पुत्र श्री जयनारायण (139) श्री गंगाराम पुत्र श्री प्रानसुख गण्डाला (140) श्री सम्पत राम पुत्र श्री दौलत राम (141) श्री लोटन पुत्र श्री दौलत राम (142) श्री घासीराम पुत्र श्री चुन्नाराम (143) श्री प्रभुदयाल पुत्र गिरधारी डूमरोली (144) श्री दुर्गा प्रसाद पुत्र श्री रामसहाय गण्डाला (145) श्री सोताज पुत्र नत्थूराम (146) श्री धर्म चन्द पुत्र श्री घासी अकबरपुर (147) श्री गोरधन पुत्र श्री मामराज (148) श्री जयनारायण पुत्र श्री बेगराम डूमरोली (149) श्री जंगली पुत्र श्री शोबक्स कणवास (150) श्री यादराम पुत्र श्री श्योराम डूमरोली (151) श्री छोटे लाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण डूमरोली (152) श्री काशी पुत्र श्री बिहारी लाल (153) श्री दीनदयाल पुत्र श्री नत्थुराम (154) श्री रामसहाय पुत्र श्री मुंशी सिंह (155) श्री कुन्दन लाल पुत्र ममल राम (156) श्री श्योराम पुत्र हरीराम नगीना (157) श्री ताराचन्द पुत्र श्री बद्री प्रसाद बास कृपालनगर (158) श्री भगवान दास पुत्र श्री सन्तोष खैरथल (159) श्री नत्थूराम पुत्र श्री बोदन राम (160) श्री बेडा डेडराज पुत्र श्री रामसाय साधोली (161) श्री बिहारी लाल पुत्र श्री भौंरेलाल लक्ष्मणगढ़ (162) श्री मदन लाल पुत्र श्री राम सहाय अलवर (163) श्री देवी प्रसाद पुत्र श्री अध्योप्रसाद (164) श्री चिरंजी लाल पुत्र श्री बुद्धाराम (165) श्री राम पुत्र श्री मंगल साधोली (166) श्री मूला राम पुत्र श्री मामराज हरसौली (167) श्री प्रहलाद पुत्र श्री दत्ताराम (168)श्री मञ्जू पुत्र श्री नन्दलाल (169)श्री शहर चन्द पुत्र श्री रामसुख (170) श्री नानगराम पुत्र श्री भूरा (171)श्री शिव लाल पुत्र श्री नवेला (172)श्री शिव कुमार पुत्र श्री नावेला(173)श्री शिव कुमार पुत्र श्री मदन लाल माढ़न (174)श्री मागीलाल पुत्र श्री हरदयाल (175) श्री रघुवीर प्रसाद पुत्र श्री मंगीलाल (176) श्री मामराज पुत्र श्री नेतराम (177) श्री रामजीलाल पुत्र श्री खेडमल (178) श्री बजरंगा पुत्र श्री मन्नालाल (179) श्री रामजी लाल पुत्र श्री मूलचन्द (180) श्री डिप्टी पुत्र श्री रामधन महाराज वास (181) श्री किशोरी लाल पुत्र श्री प्यारे लाल रामगढ़ (182) श्री हरलाल पुत्र श्री मंगल राम (183) श्री जगदीश पुत्र श्री भूरजी खेड़ली (184) श्री बोदन लाल पुत्र श्री गोकल राम नौगाँवां (185) श्री नन्दराम पुत्र श्री बन्सीराम भगैसडा (186) श्री अजय राम पुत्र श्री मूलचन्द खेड़ली (187) श्री नत्थूराम पुत्र श्री माखन नौगाँवां (188) श्री

छज्जू पुत्र श्री गिरधारी रामगढ़ (189) श्री रमेश पुत्र श्री ओंकार महाराजबास (190) श्री रूपचन्द पुत्र श्री भैरों लाल रामगढ़ (191) श्री मुन्ना पुत्र श्री इसरा भगेसड़ा (192) श्री हरी सिंह पुत्र श्री रामनारायण किशनगढ़ बास (193) श्री रमेदान पुत्र श्री रूपचन्द रामगढ़ (194) श्री छोटेलाल पुत्र श्री नारायण नगला (195) श्री प्यारे लाल पुत्र श्री प्रेम राम रामगढ़ (196) श्री किशन मुरारी पुत्र भागीरथ बहरोड़ (197) श्री रामस्वरूप पुत्र श्री बेनी प्रसाद महाराज बास (198) श्री टेकचन्द पुत्र श्री गूजरमल रामगढ़ (199) श्री प्रभाती पुत्र श्री प्रेम बरवाड़ा (200) श्री रमेशचन्द पुत्र श्री हुरमल (201) श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री मुरलीधर लक्ष्मणगढ़ (202) श्री जगजीवन पुत्र श्री हनुमान सहाय अलवर (203) श्री मूलचन्द पुत्र श्री चमन लाल नागल (204) श्री बाला सहाय पुत्र श्री बना बानसूरी (205) श्री रामकिशन पुत्र श्री आनन्दी लाल अलवर (206) श्री गंगासहाय पुत्र श्री चमन लाल अकलीपुर (207) श्री कुन्ज बिहारी पुत्र श्री जुगल किशोर अलवर (208) श्री मूला पुत्र श्री भैरू लक्ष्मणपुरा (209) श्री भूरा पुत्र श्री नन्दू हथाड़ी (210) श्री राम प्रसाद पुत्र श्री रमेशचन्द सरतपुरा (211) श्री जवाहर पुत्र श्री मनराम बहरोड़ (212) श्री परमेश्वर पुत्र श्री भवानी सहाय शाहपुरा (213) श्री रामप्रसाद पुत्र श्री छोटी मसतपुरा (214) श्री अमर सिंह पुत्र श्री मंगीराम (215) श्री राम प्रसाद पुत्र श्री गोरधन (216) श्री छगन पुत्र श्री चन्दर (217) श्री छोटू पुत्र श्री देवीसहाय (218) श्री मरी पुत्र श्री जीवन (219) श्री घासीराम पुत्र गणेशी लाल तिजारा (220) श्री हरसुख राम पुत्र श्री नारायनदत्त (221) श्री रामजी लाल पुत्र श्री नन्दराम अलवर (222) श्री तुलाराम पुत्र श्री हजारी लाल तिजारा (223) श्री जंगली पुत्र श्री सहू सरतपुरा (224) श्री फूसी लाल पुत्र श्री रामनारायण डिगावड़ा (225) श्री लाला पुत्र श्री पन्ना (226) श्री श्रीराम पुत्र श्री धर्मचन्द (227) श्री छब्बू राम पुत्र श्री भीमा (228) श्री हजारी पुत्र श्री हरीश चन्द (229) श्री रमला पुत्र चौथला (230) श्री जयनारायण पुत्र श्री हरीचन्द्र (231) श्री कन्हैया राम पुत्र श्री रामनारायण मुगलपुरा (232) श्री छोटे लाल पुत्र श्री गोरधन (233) श्री रामू पुत्र श्री देवन सिंह (234) श्री लाल चन्द पुत्र श्री साधूराम अजरका (235) श्री सूरजा पुत्र श्री गिरधारी हरसौली (236) श्री रामजी लाल पुत्र श्री नत्थूराम (237) श्री जगदीश पुत्र श्री गंगा लहरी (238) श्री टेकचन्द पुत्र श्री रामनारायण (239) श्री शिम्भू दयाल पुत्र श्री रामदयाल (240) श्री लीला राम पुत्र श्री मंगलराम (241) श्री जयनारायण पुत्र श्री मूलचन्द बहरोड़ (242) श्री तोता राम पुत्र श्री दीपचन्द (243) श्री जयनारायण पुत्र श्री कन्हैया लाल (244) श्री हर चन्द पुत्र श्री शोलाल (245) श्री ईश्वर चन्द पुत्र श्री रामचन्दर अलवर (246) श्रीराम पुत्र श्री मोहरराम सोनाली (247) श्री मातादीन पुत्र श्री केसाराम पदमाड़ा (248) श्री सुलतान पुत्र श्री नत्थूराम (249) श्री देवी सिंह पुत्र श्री हरबक्स (250) श्री राम नाथ सिंह पुत्र श्री भोलानाथ (251) श्री प्रभाती पुत्र श्री चन्दा (252) श्री गंगासहाय पुत्र श्री सावल दास खेड़ली गंज (253) श्री दीनदयाल पुत्र श्री कुन्दन लाल (254) श्री हरफूल पुत्र श्री रामजी लाल खैरथल (255) श्री बोदन पुत्र

श्री मूल्या नागल खोडिया (256) श्री रामचन्दर पुत्र श्री मंगलराम नहिल पुरा (257) श्री मूलचन्द पुत्र श्री जोधाराम शोदानपुरा (258) श्री वीरेन्द्र पुत्र श्री मंगत राम माहयारा (259) श्री बद्री पुत्र श्री शंकर लाल भाग का बास(260)श्री फूल सिंह पुत्र श्री सैयाराम खैरथल (261) श्री भवाना पुत्र श्री पुशा गादोज (262) श्री गोपाल पुत्र श्री सालगराम नागल खोडिया (263) श्री फहल्या पुत्र श्री कन्हैया राम गाहोंज (264) श्री रामानन्द पुत्र श्री हरनारायण नौहालपुरा (265) श्री नत्थू राम पुत्र श्री मनसुख गादोज (266) श्री चन्द पुत्र श्री उपकार, नौहालपुरा (267) श्री महादेव पुत्र श्री सुवाराम नागल, खोहरा (268) श्री बिहारी पुत्र श्री रूपा माहिम पुरा (269) श्री रामरत पुत्र श्री रूपलाल गाहोज (270) श्री उगसाराम पुत्र श्री हरनारायण भगवाड़ी (271) श्री सोहन लाल पुत्र श्री गोपाल, शौदानपुरा (272) श्री सहदेव पुत्र श्री बेगराज (273) श्री सुलतान पुत्र रामू (274) श्री अमर चन्द पुत्र श्री गोविन्द राम (275) श्री नेहराम पुत्र श्री सूरजराम बगवाडी (276) श्री चिरंजी लाल पुत्र श्री मोहन (277) श्री बाल किशन पुत्र श्री राम लाल (278) श्री राम करण पुत्र श्री परसा बगवाडी (279) श्री जयराम पुत्र श्री रूदाराम (280) श्री नत्थूराम पुत्र श्री श्योराम (281) श्री गिल्लाराम पुत्र श्री बसेराम जठमावाद (282) श्री मनोहर लाल पुत्र श्री तेजराम बगवाडी (283) श्री मुखराम पुत्र शोनारायण जटवाडा (284) श्री गोरधन पुत्र मेहर सिंह बगवाडी (285) श्री ओमकार पुत्र श्री जवाहर (286) श्री मायाचन्द पुत्र श्री नन्दा (287) श्री गोरधन पुत्र श्री नारायण जटवाड़ा (288) श्री जीता पुत्र श्री सालगा गल्लाना (289) श्री हरि नारायण पुत्र श्री लालजी (290) श्री शोनारायण पुत्र श्री केशर सिंह बगवाड़ी (291) श्री भगवान पुत्र श्री रामनारायण गादोज (292) श्री ताराचन्द पुत्र श्री बक्सीराम अलवर (293) श्री श्री रामकुमार पुत्र श्री रामप्रसाद किशनगढ बास (294) श्री प्रभाती लाल पुत्र श्री छुट्टन लाल रामगढ़ (295) श्री मूल चन्द पुत्र श्री सोहन लाल, किशनगढ़ बास (296) श्री लालराम पुत्र श्री गोरधन (297) श्री रामजीवन पुत्र श्री रूड़मल (298) श्री छुट्टन पुत्र श्री कुन्दन बघोरा (299) श्री भगवान पुत्र श्री रामरतन चौरोटी (300) श्री कालू राम चौरोटी (301) श्री बाला पुत्र श्री बसन्ता (302) श्री सूखा पुत्र श्री रामसहाय (303) श्री मंगल पुत्र श्री लादू (304) किशन लाल पुत्र श्री राम सहाय (305) मूल्या पुत्र श्री छोटूराम (306) घीसा पुत्र श्री हरजी (307) श्री मोहन लाल पुत्र श्री सूरज (308) श्री मन्ड्डू पुत्र श्री सालगा (309) श्री घीसा पुत्र श्री हरजी (310) श्री मोजी पुत्र श्री हरजी (311) श्री छोटे लाल पुत्र श्री रामसहाय (312) श्री भैरू बक्स पुत्र श्री धन्ना (313) श्री मक्खन लाल पुत्र श्री मोहन प्रसाद (314) श्री उमराव पुत्र श्री लदूर मेव दुगानी का बास (315) श्री विश्वनाथ पुत्र श्री मांगीलाल नौगाँवां (316) श्री छगन्न लाल पुत्र श्री मुन्नालाल मुरारी पुरा (317) श्री सुगन चन्द पुत्र श्री नत्थू नौगाँवां (318) श्री देवी सिंह पुत्र श्री गोपी राम (319) श्री किशोरी लाल पुत्र श्री राम प्रसाद मुबारिकपुर (320) श्री रतन लाल पुत्र श्री बद्री प्रसाद उमरैण (321) श्री संता पुत्र श्री रामचन्दर नारायणा (322) श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद (323) श्री विशवभर दयाल श्री नारायण

IX.	ग्राम राना में गिरफ्तार व्यक्ति	दिनांक गिरफ्तार	रिहा हुये
1.	मौलवी अब्दुल कुद्दूस	31-3-46	(पाकिस्तान भेज दिये गये
2.	मौ. अब्दुल गफूर	31-3-46	
3.	श्री रफीक	31-3-46	
4.	श्री अब्दुल सत्तार	31-3-46	
5.	मोहम्मद हसन	31-3-46	
6.	अल्ला बन्दा	31-3-46	9-5-46
7.	मोहम्मद खाँ	2-4-46	4-6-46
8.	मौलवी मोहम्मद इब्राहीम	2-4-46	
9.	श्री अशरफ	2-4-46	6-6-46
10.	मुनेर खाँ	2-4-46	
11.	घोसी	2-4-46	6-6-46
12.	रूडा	2-4-46	
13.	नूर मोहम्मद	2-4-46	
14.	सुलेमान खाँ	9-4-46	

MAHARAJA AND PREMIER OF ALWAR ASKED TO REMAIN OUTSIDE STATE

A NOTIFICATION in the Gazette of India Extraordinary dated New Delhi, February 7, 1948 says :

All available members of the negotiating committee of the States which have individual representation in the Constituent Assembly, having been individually consulted by the Governor General, and having considered the material placed before them in regard to the activities of the R.S.S.S in Alwar State, the possible complicity of this organisation in the assassination of Mahatma Gandhi and other serious crimes with the support or connivance of the State administration, agree that there are prima facie grounds for :

1. asking His Highness the Maharaja of Alwar and Dr. Khare, Prime Minister of Alwar, to remain outside Alwar State temporarily in order that there should be no question of the investigations of the allegations being in any way prejudiced, and.

2 the Administration of the State being carried on, as a temporary measure, by an Administrator appointed by the Ministry of States.

3 The Government of India accept the above advice and have decided that His Highness the Maharaja of Alwar and Dr. Khare, Prime Minister of Alwar, should remain out side Alwar State and have appointed an Administrator to carry on the administration of the State as a temporary measure Arrangements have been accordingly made with immediate effect.

दिनांक 8 फरवरी की शाम अलवर शहर पर दो वायुयान चक्कर लगाते देखे गए। रात को रेडियो पर स्थानीय जनता ने सुना कि महाराजा अलवर को अलवर से बाहर रहने का हुक्म हुआ है, और अलवर के दीवान डॉ. खरे पर दिल्ली के मजिस्ट्रेट ने शहर से बाहर जाने पर पाबन्दी लगा दी है।

तत्कालीन वायसराय लार्ड माउण्टबैटन ने अलवर राज्य के प्रति उस आरोप को बीकानेर आदि महाराजाओं के सामने रखा, जिसके सबूत उनके पास काफी थे कि गांधी जी की हत्या में अलवर राज्य और उसके अधिकारियों का काफी हाथ है। वायसराय के इस कथन पर महाराजा अलवर ने तुरन्त ही डॉ. एन. बी. खरे को प्रधान मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया और उस समय तक अलवर से बाहर रहना स्वीकार किया जब तक केन्द्रीय सरकार पूरी जांच पड़ताल करती। यह भी स्वीकार किया कि इस दौरान भारत सरकार के प्रतिनिधि के. बी. लाल सेठ, अलवर के एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे।

RULER'S COMMUNICATION TO STATE MINISTRY

The Maharaja of Alwar in communication to the States Ministry says

New Delhi, February 7,1948.

Government of India, Ministry of State Noitification No F. 200-P-48 dated February 7, 1948 has been handed over to me by the Secretary to the Government of India, Ministry of States, in the presence of the Governor-General and the Hon'ble the Minister for States I am shocked to note the contents of this document referring to the activities of the R S.S S. in Alwar State, the possible complicity of this organisation in the assassination of Mahatma Gandhi and other serious crimes with the support of conivance of the State administration It is extremely painful for me even to think that such an allegation should have been against my State As howerver the allegation is so grave, I do not wish to interfere in the least in the proposed investigations of the allegations and wish the position of my State to be cleared as best as soon as possible It is therefore ordered that the sevices of Dr. Khare the Prime Minister of the state be dispensed with The administration of the state will be carried out by an administrator appointed for the period of the inquiry The Administrator should be given full co-operation by the Services, both civil and Militray. I Shall voluntarily reside outside Alwar State during the period of the inquiry which should not in any way be prejudiced

दिनांक 25 फरवरी 1948 को सरदार पटेल अलवर आये। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत एडमिनिस्ट्रेटर, के. बी. लाल सेठ, राजपूताना रीजनल कौंसिल के गोकुल भाई भट्ट, स्व. जयनारायण व्यास अलवर राज्य प्रजामण्डल के अध्यक्ष पं. भवानी सहाय शर्मा, एडमिनिस्ट्रेटर अलवर के सलाहकार लाला काशीराम व श्री शोभाराम आदि ने उनका स्वागत किया। उन्होंने गार्ड ऑफ आनर्स का निरिक्षण किया। शाम को आम सभा में जनता के बीच भाषण देकर उन राजपूतों को शान्त किया जो केन्द्र सरकार की कार्यवाही से उत्तेजित थे। सरदार ने साफ कहा महाराज अलवर यदि निर्दोष पाये गये तो उन्हें शीघ्र ही वापिस गद्दी पर बैठा दिया जायगा। पर अलवर अलग अस्तित्व रखकर चल नहीं पायगा। इस निश्चय के अनुसार महाराज तेजसिंह 15 मार्च 1948 को सकुशल अलवर आये।

ORDER SERVED ON DR. KHARE

The District Magistrate passed the following order which was served or Dr. Khare :-

WHEREAS I am satisfied from information received that Dr. N. B Khare, Prime Minister of Alwar State, at present resideing at Keeling Lane, Delhi, has acted in a manner prejudicial to the public safety and maintenance of public order by furthering or promoting in Alwar State the activities of the Rashtriya Swayam Sewak Sangh which has been declared an unlawfulorganisation.

AND WHEREAS, it is necessary to maintenance prevent him from acting in any manner prejudicial to the public safety or maintenance of Public Order.

Now therfore, I, M. S Randhawa, District Magistrate, Delhi, in exercise of the powers vested in me by section 4 (1) (b) of the Punjab Public Safety Act, 1947, as made applicable to Delhi province hereby make this written order directing the said Dr. N. B Khare to reside or remain within the area of Delhi Province for a period of one month from today.

This order shall take effect immediately and has been passed ex-parte in face of an emergency

●

सरदार पटेल की अलवर-यात्रा और मत्स्य-संघ का निर्माण

यह प्रेस रपट ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ द्वारा सम्पादित 'राजस्थान क्षितिज' के अप्रेल 1948 ई. के अंक में प्रकाशित हुई थी। -सम्पादक

25 फरवरी 1948 को ग्यारह बजे सरदार पटेल का वायुयान अलवर पहुँच गया। ठीक सवा ग्यारह बजे वह अलवर के हवाई अड्डे पर उतर आया। हवाई जहाज से उतरते ही अलवर की जनता सरदार पटेल के दर्शनार्थ उमड़ पड़ी और वह मिलिटरी द्वारा बनाये गये घेरे को तोड़कर हवाई जहाज के निकट पहुँच गई। उसने उन्हें घेर लिया। वह खुश थी कि आखिर हमारी भी गुलामी दूर होने वाली है। उसने अपने त्राता का जयजयकार किया, 'सरदार पटेल की जय'.....

हवाई अड्डे पर आपके स्वागत के लिए ऐडमिनिस्ट्रेटर, राजपूताना रीजनल कौंसिल के श्री गोकुलभाई भट्ट, श्री जयनारायण व्यास, अलवर राज्य प्रजामण्डल के सभापति श्री भवानीसहाय थे। सरदार पटेल ने गुरखा फौज की ओर से पेश किये गये 'गार्ड ऑफ औनर' का निरीक्षण किया। शाम को सरदार पटेल ने जनता के बीच भाषण दिया। आपके साथ श्री सेठ, ला. काशीरामजी गुप्ता, श्री जयनारायण व्यास, सुश्री मीराबेन पटेल, और श्री त्रिवेदी थे। सरदार पटेल ने अलवर की जनता के बीच जो भाषण दिया, वह उनकी सिंह गर्जना नहीं थी, यह देखकर हमें अत्यन्त आश्चर्य हुआ। वे बड़े संयम से शांतिपूर्ण चित्त से बोल रहे थे। आपने जो कुछ कहा, वह भारतीय इतिहास में भारत की एकता के प्रति एक मात्र स्तुत्य चेष्टा मानी जायेगी। आपने कहा, "आपको जो आजादी मिली है, उसकी पहचान क्या है आपको? क्या वह हजम हो सकेगी? क्या आप उसकी रक्षा कर सकेंगे? आजादी की रक्षा केवल बन्दूक से नहीं होती। वह तो तभी संभव है जबकि आप स्वतंत्र नागरिक का कर्त्तव्य पालन करने लगें। पहले यह बात थी कि केवल राजपूतों के ऊपर देश की रक्षा का भार था। पर आज भारतीय फौज में सब प्रान्तों के वीर युवक शामिल हो चुके हैं। इन राजपूतों के पास तलवारें होते हुए भी क्यों तो देश गुलाम हुआ और क्यों ये राजा भी गुलाम हो गये? इसलिये आज इसका एकमात्र उत्तर यही है कि हम अपनी आजादी की रक्षा तभी कर सकेंगे कि अपनी जातियाँ हम भूल जायें। जिस राजधर्म में सेवा की भावना नहीं है, वह राजधर्म नहीं। राजा तो अपने को जनता के ट्रस्टी समझें। हमने आजादी का दाम पाकिस्तान स्वीकार करके दिया है, पर अब यह कीमत अपनी स्वतन्त्रता की नहीं देना चाहते कि ये राजा यहाँ-वहाँ अपने स्वतन्त्र राज्य कायम कर देश को अनेक टुकड़ों में बांट दें। अब तो शेष देश को हमें एक बनाना है। ऐसी हालत में जो हिन्दू-मुस्लिम सांप्रदायिक भावना रखते हैं, वे इस देश को दो में से किसी एक का भी नहीं रहने देंगे और अगर कोई राजा यह समझता है कि हमारी केन्द्रीय सरकार कमजोर है और उससे फायदा उठाकर हम स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेंगे, तो मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि भारतीय सरकार इतनी मजबूत है कि वह दुनिया के किसी भी राष्ट्र से मुकाबला कर सकती है। मैं पूछता हूँ कि अगर अंग्रेजों को तलवार-वालों को ही राज्य सोपना था, तो वे इन तलवार के धारण करने वालों को राज्य क्यों नहीं सौंप गये? मैंने और

गांधीजी ने तो कभी तलवार या बन्दूक हाथ में नहीं पकड़ी। इसलिये मैं तो यहाँ यही कहने आया हूँ कि हमें आपस में क्लेश से नहीं, प्यार से रहना है। तलवारों का जमाना अब गया, कभी वे सेवा करती होंगी, अब तो उस तलवार से भंगी की झाड़ू अधिक सेवा करती है और मैं उसे ही अच्छी समझता हूँ तो आप यह गाँठ बाँध लें कि रियासतों का आपस का सहयोग ही रियासतों की बहबूदी कर सकता है, आपस में मिलकर ही वे अपनी उन्नति के साधन जुटा सकती हैं, अन्यथा, जिस रियासत में एक सिपाही को 27 रू. मिलें, वह क्या राज हुआ? हिन्दुस्तान अब हवाई वेग से आगे चल रहा है। राजपूताना को भी सारे हिन्दुस्तान के साथ आगे चलना है। न अब आपमें से किसी को शराब पीना है, न अफीम खाना है, न टूटी-फूटी तलवार बगल में रखना है। 15 अगस्त के बाद जो झगड़े हुये, वे तो स्वतंत्रता की प्रसव-वेदना के रूप में थे। अब आपका कर्तव्य है कि उस जन्मी स्वतंत्रता को मजबूत बनायें।"

सरदार पटेल ने भाषण में प्रतिक्रियावादी राजपूतों को शांत किया कि यदि अलवर महाराज पर कोई दोष नहीं हुआ तो उन्हें वापिस अलवर की गद्दी पर बैठा दिया जायेगा। परन्तु अलवर अब अपना अलग अस्तित्व रखकर जीवित न रह सकेगा.........

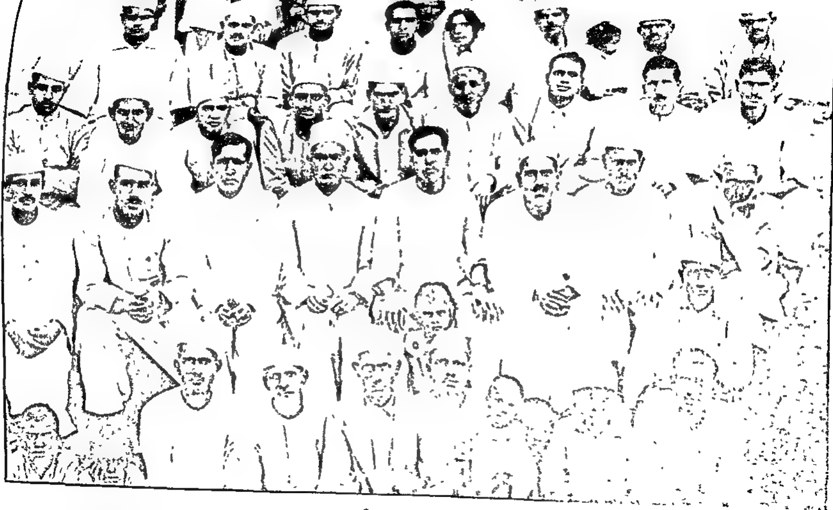
इसी निश्चय के अनुसार अलवर-शासक श्री सवाई तेजसिंह जी 15 मार्च सन् 1948 को सकुशल अलवर लौट आये।

भंगी की झाड़ू और तलवार : सरदार पटेल का स्पष्टीकरण

सरदार पटेल के भाषण के बाद अलवर के कुछ बड़े राजपूत सरदार उनसे नई दिल्ली मिलने गये। भेंट के पहले उनकी तलाशी ली गई कि कहीं सशस्त्र साजिश तो नहीं है। भेंट के दौरान राजपूतों ने कहा कि आपने ठीक नहीं कहा कि झाड़ू और तलवार एक ही चीज है। कहीं एक ही घाट पर शेर और बकरी ने पानी पिया है? सरदार पटेल ने उन्हें तुरन्त जवाब दिया कि मैं देखूंगा कि ये सब शेर बकरी हो जाते हैं, अन्यथा मैं इन बकरियों को इतना खाना दूंगा कि वे शेर बन जायें।

उधर 9 फरवरी को भरतपुर का शासन भी केन्द्र ने अपने हाथ में ले लिया था। किन्तु भरतपुर महाराजा को भरतपुर में ही रहने की आज्ञा दे दी गई थी। इधर जांच-पड़ताल के साथ-साथ रियासती विभाग देश भर की रियासतों के एकीकरण की योजना को ध्यान में रखते हुये, राजस्थान की रियासतों की समस्या हल करने में संलग्न था। इस दिशा में महाराजा धौलपुर ने स्तुत्य कदम उठाया और धौलपुर के अविलंब विलय करने की स्वीकृति दे दी........ और 10 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर का संयुक्त राज्य 'मत्स्य-संघ' के नाम से घोषित हो गया। इसमें महाराजा धौलपुर राजप्रमुख और अलवर महाराजा उपराजप्रमुख हुए। 6 मन्त्रियों में से प्रधानमंत्री भी अलवर से ही लिया गया। ऐसी हालत में भरतपुर को यही संतुष्टि दी गई कि भरतपुर में ही मत्स्य प्रदेश का उद्घाटन किया जायेगा। सरदार पटेल की अस्वस्थ हालत के कारण श्री गाड़गिल के हाथों उद्घाटन करना तय किया गया। इस शुभ समारोह की तिथि 17 मार्च 1948 निश्चित की गई।

चारों राज्यों की जनता हर्ष से फूली न समाती थी। अलवर के चप्पे-चप्पे पर दीवाली मनाने का आयोजन किया जा रहा था। भरतपुर का सारा नगर इस नई धूम के लिये सजाया गया



1941–जागीर माफी कान्फ्रेन्स, राजगढ़

महिला सत्याग्रही, अगस्त 1946
प्रथम पंक्ति में- जगरानी माथुर, प्रेमप्यारी माथुर, रामप्यारी, रूक्मणि देवी, रमाबाई देशपाण्डे, कैलाशवति उपाध्याय, शान्तिदेवी गोठड़िया, गोमती देवी, रामेश्वरी देवी अग्रवाल।
पीछे की पंक्ति में- शोभा भार्गव, सुन्दरी देवी, शान्ति गुप्ता, उमा माथुर, कलावती देवी, कमला डाटा, कमला जैन, विमला शर्मा



श्री रामजीलाल अग्रवाल, प्रजामण्डल की सभा को सम्बोधित करते हुए। मंचासीन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (1946)

नारायणपुर की सभा (1946) में जागीरदारों द्वारा किये गये हमले में घायल श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता

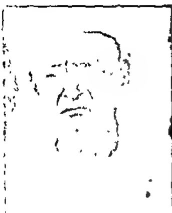


अलवर हवाई अड्डे पर विमान से उतरते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल (1948)



श्री भवानी सहाय शर्मा, श्रीमती इन्दिरा गांधी से ताम्र-पत्र लेते हुए

अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, 1997-98



स्व ब्रजनारायणाचार्य



स्व. लक्ष्मणस्वरूप त्रिपाठी



स्व.मोदी कुंजबिहारीलाल गुप्ता



स्व. मोदी नत्थूराम



स्व. मा. भोलानाथ



स्व. बाबू शोभाराम



स्व. रामजी लाल अग्रवाल



स्व. लाला काशीराम



स्व. इन्दर सिंह आजाद



स्व. श्री रामानन्द अग्रवाल



स्व. श्री दयाराम गुप्ता



स्व. श्री बिहारी लाल शर्मा



स्व. मोदी बाबूप्रसाद,
लक्ष्मणगढ़



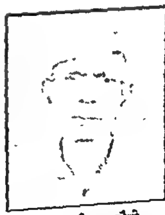
स्व. गोपालशरण माथुर,
तिजारा



स्व. श्री बख्शी वजीर चंद

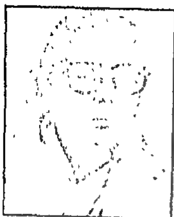


स्व. रामजीलाल शर्मा जैमन,
राजगढ़



स्व. रामजीलाल सैनी,
हरसौली

अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, 1997-98


सुश्री कलावती शर्मा


श्रीमती गंगा डाया


श्रीमती शान्ति गुप्ता


श्रीमती कमला डाया


श्रीमती कमला जैन


श्रीमती शोभा भार्गव


श्रीमती रामप्यारी शोभाराम


श्रीमती शान्ति गोठड़िया


श्रीमती विमला शर्मा

अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, 1997-98


श्री लक्ष्मीनारायण खंडेलवाल


डॉ. शान्तिस्वरूप डाटा


श्री बद्री प्रसाद गुप्ता


श्री कृपादयाल माथुर


श्री फूलचन्द गोठड़िया

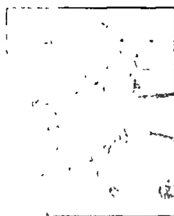

श्री महावीर प्रसाद जैन


श्री चिरंजीलाल वर्मा

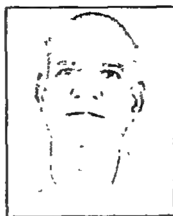

श्री नारायणदत्त गुप्ता


श्री हरूमल तोलानी

अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, 1997-98



डॉ हरिप्रसाद शर्मा



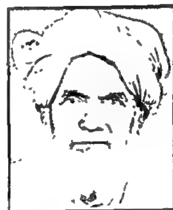
श्री रामस्वरूप गुप्ता



श्री महाशय चुन्नीलाल



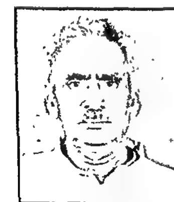
अनन्तराम शर्मा



श्री सुलेमान खाँ



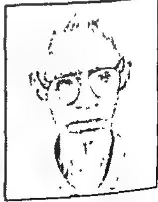
मित्र सेन जैन



श्री हरि राम डाटा



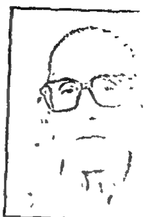
श्री कैलाश विहारी रायजादा



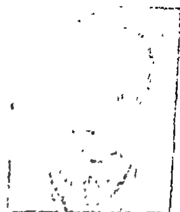
श्री सेवक राम राजोरिया



श्री कृष्ण चंद्र खण्डेलवाल



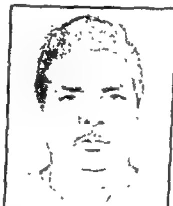
श्री प्रभुदयाल यादव डपानी



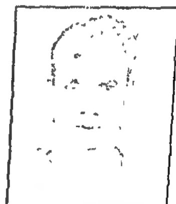
श्री छोटूसिंह आर्य



श्री तुलाराम जैन



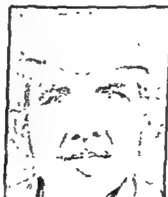
श्री प्रकाश चन्द जैन



श्री लक्ष्मीनारायण, बुर्जावाला



श्री ताराचन्द जैन, रामगढ़

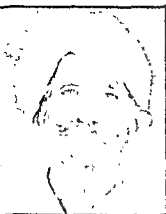


कुँवर बलवंत सिंह

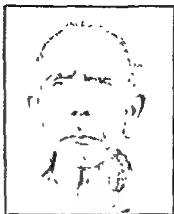


श्री रोशन लाल जैन, रामगढ़

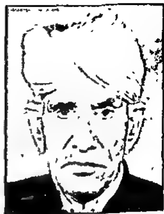
अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, 1997-98



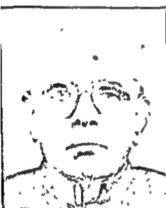
श्री डीगराम



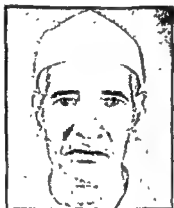
श्री हरफूल



श्री सोहन राम



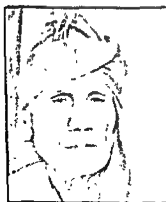
श्री भँवर सिंह



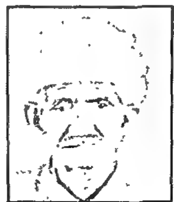
श्री हजारी लाल सोनी



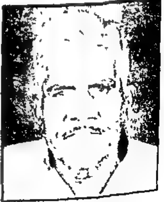
श्री जगन प्रसाद स्वामी



श्री श्रीराम यादव



राव रणजीत सिंह यादव



श्री नन्द किशोर शर्मा

जयन्ती समा

अलवर जिला स्वर्ण



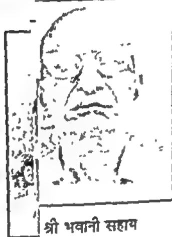
राजेन्द्र प्रसाद

श्री मोतीलाल शर्मा

श्री



श्री रामस्वरूप जी



श्री भवानी सहाय



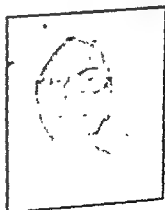
श्री छगन लाल सोनी



श्री दलीप सिंह यादव



श्रीमती गुलाब देवी

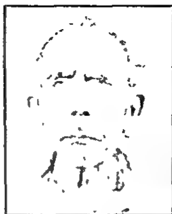


श्रीमती

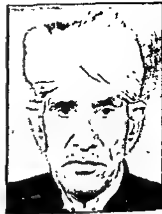
अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, 1997-98



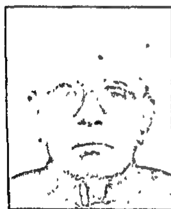
श्री डीगराम



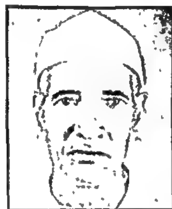
श्री हरफूल



श्री सोहन राम



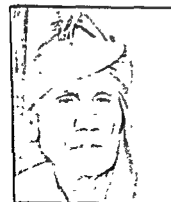
श्री भँवर सिंह



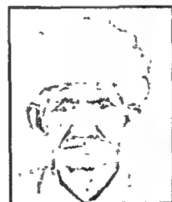
श्री हजारी लाल सोनी



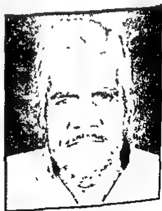
श्री जगन प्रसाद स्वामी



श्री श्रीराम यादव



राव रणजीत सिंह यादव

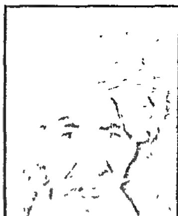


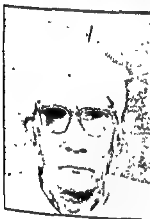
श्री नन्द किशोर शर्मा

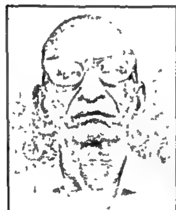
अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, 1997-98


श्री मोतीलाल शर्मा


श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल

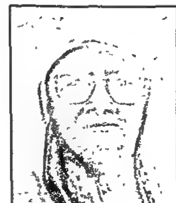

श्री गूगन सिंह

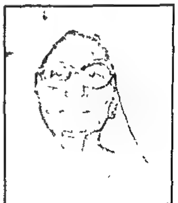

श्री रामस्वरूप जी


श्री भवानी सहाय


श्री छगन लाल सोनी


श्री दलीप सिंह यादव


श्रीमती गुलाब देवी

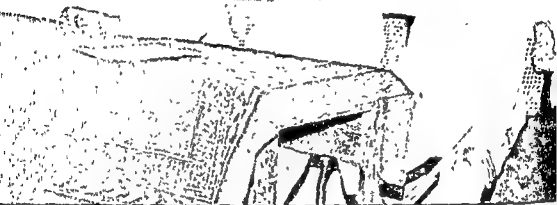

श्रीमती सत्यवती अग्रवाल

सम्मानित महिला स्वतंत्रता सेनानी–समिति के अध्यक्ष श्री निरंजन लाल डाटा के साथ

स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती शान्ति गुप्ता को सम्मानित करते हुए



स्वाधीनता-स्वर्णजयन्ती दौड़ (10 मई 1998) को सम्बोधित करते हुए
मुख्य अतिथि कुँवर नटवर सिंह एवं समिति अध्यक्ष श्री निरंजन लाल द्वारा



गोवा सत्याग्रहियों का सम्मान, 18 जून 1998

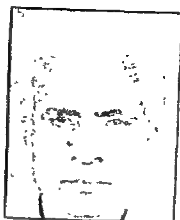


सत्याग्रही श्री किशन चंद शर्मा का सम्मान करते हुए

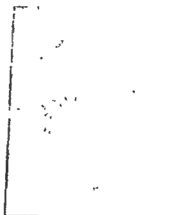
अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति



श्री निरंजन लाल डाटा
अध्यक्ष



श्री फूलचन्द गोठड़िया
उपाध्यक्ष



श्री महेन्द्र शास्त्री
उपाध्यक्ष



श्री जुगमंदिर तायल
सचिव



श्री हरिनारायण सैनी
ग्रन्थ सम्पादक



डॉ. जीवन सिंह मानवी
संयुक्त सचिव



श्री राधेश्याम सोमवंशी
चिरकिन अलवरी संयुक्त सचिव



श्री वी.एम. शुक्ला
कोषाध्यक्ष



श्री भागीरथ भार्गव



स्वाधीनता-स्वर्णजयन्ती दौड़ को सम्बोधित करते हुए सचिव प्रो. जुगमंदिर तायल- 10 मई 1998



बायें से दायें- सर्वश्री चिरंजीव अलवरी, श्री निरंजन लाल डाटा, श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, श्री फूलचन्द गोठड़िया, श्री भागीरथ भार्गव

10 मई 1998 को आयोजित स्वाधीनता स्वर्णजयन्ती दौड़ का पुरजन विहार (कम्पनी बाग) में समापन

✆ 21318
22250

मै. नारायणी एक्सपोर्ट इण्डस्ट्रीज

(नारायणी ब्रांड शुद्ध सरसों तेल एवं सरसों खल के ख्याति प्राप्त उत्पादक)

एफ-92-95 खेरड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया,

सवाईमाधोपुर

की ओर से

हमारे राष्ट्र की

स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह

के

शुभ अवसर पर

सभी देश वासियों के

उज्ज्वल भविष्य एवं सुख समृद्धि के लिए

हार्दिक शुभकामनायें।





देश की आज़ादी की 50 वीं सालगिरह के शुभावसर पर

अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह

के सभी आयोजनों की सफलता के लिए

अलवर के सभी व्यापारियों किसानों एवं श्रमिक बन्धुओं

की ओर से

हार्दिक शुभकामनायें एवं बधाई

महेन्द्र गुप्ता	अजय अग्रवाल
मुख्य सचिव	अध्यक्ष

केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति (रजि.)

Kedal Ganj Vyaparik Sanchalan Samiti
(Regd.)

(Registered under Non Trading Companines Act.)

Navin Mandi Yard, Alwar- 301001 (Raj.)

☎ 0144-333060



अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह

के समापन के

शुभावसर पर

मैं. ओम प्रकाश संजय कुमार

(ग्रेन मर्चेंट्स एण्ड कमीशन एजेंट्स)

ई-9, नवीन मंडी यार्ड, अलवर-301001 (राज.)

सभी देश वासियों को

अपनी हार्दिक शुभकामनायें

अर्पित करते हुये

मंगलमय भविष्य एवं सुखसमृद्धि

की कामनाओं के साथ

☆ ओमप्रकाश अग्रवाल



आफिस : 332809, 332038

निवास : 335519, 330019

